ekuuh;k vuHkk jkor pkèkjh] U;k;efr

रूक्मिणि देवी जलान एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

WP(C) No. 4664 of 2007. Decided on 2nd February, 2018.

बिहार अभिधारी धृति (अभिलेखों का संधारण) अधिनियम, 1973—धारा 14—नामांतरण—पुनरीक्षण आदेश पारित करते हुए उपायुक्त ने रजिस्टर्ड दस्तावेजों तथा न्यायालय द्वारा पारित डिक्री सहित मामले के तथ्यों का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया है—आक्षेपित आदेश पारित करते हुए उपायुक्त द्वारा बिहार अभिधारी धृति (अभिलेखों का संधारण) अधिनियम, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों पर भी विचार नहीं किया है—आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और मामला तार्किक आदेश पारित करने के लिए उपायुक्त को वापस भेजा गया।

(पैराएँ 5 से 9)

निर्णयज विधि.—(2010) 6 SCC 384—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Rahul Kumar Gupta, Radha Krishan Gupta, For the Petitioners; Mr. Amit Kumar Verma, For the Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार गुप्ता एवं एस॰ सी॰ (एल॰ एन्ड सी॰) के विद्वान जे॰ सी॰ श्री अमित कुमार वर्मा सुने गए।

2. यह रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दाखिल की गयी हैं:—

(a) fjV ;kfpdk d ifjf'k"V 12 e ;Fkk vrfo"V dl l0 141/R-15/02-03 e mik;Dr] jkph (çR;Fkh l0 4) }kjk ikfjr fnukd 25.8.2006 dk vkn'k vfHk[kfMr dju d fy, ftld }kjk mDr çkfèkdkjh u ;kphx.k }kjk nkf[ky iujh{k.k [kkfjt dj fn;k gA

(b) ljdkjh jktLo vfHky[k e ;kphx.k dk uke ukekrfjr dju dk çR;fFk;k dk fun'k nr g, ijekn'k çÑfr dk fjV@vkn'k@fun'k tkjh dju d fy,A

(c) çR;Fkh l0 5 d fo:) dkj.k crkvk tkjh dju d fy, fd fdl çdkj mlu in l viu LFkkukrj.k d ckn vkn'k ikfjr fd;k g vkj fdl çdkj mlu vfre rd dh luokb dh frfFk l yxHkx <kb o"k ckn iujh{k.k ekeyk e vfre vkn'k ikfjr fd;k gA

(d) ;kphx.k u fjV ;kfpdk d ifjf'k"V 14 e ;Fkk vrfo"V ukekrj.k ekeyk l0 105/2000-200V e vpykfèkdkjh] jkph }kjk ikfjr fnukd 18.5.2002/24.5.2002 d vkn'kk dk pukrh nr g, vkj fjV vkonu d ifjf'k"V 15 e ;Fkk vrfo"V ukekrj.k vihy l0 21 R/02-03 e Hk lèkkj milekgrk] lnj] jkph }kjk ikfjr fnukd 19.9.2002 d vkn'k dk Hkh pukrh nr g, fjV ;kfpdk e l'kkèku d fy, ;kfpdk vkb0 ,0 l0 819 o"k 2008 nkf[ky fd;k FkkA l'kkèku d fy, ;g ;kfpdk fnukd 27.4.2009 d vkn'k d rgr vuKkr dh x;h FkhA

bl çdkj] vpykfèkdkjh rFkk vihyh; çkfèkdkjh }kjk ikfjr vkn'k pukrh d vèkhu gA

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता मामले की ताथ्यिक पृष्ठभूमि देते हुए निम्नलिखित निवेदन करते हैं:–

(i) bl ekeys e vrxLr Hk[kM jkph ftyk d vUrxr pno e vofLFkr Hk[kM lO 317, 318, 319 gA

(ii) ;kphx.k d vuqlkj] iokDr Hk[kM rRdkyhu tehUnkj jktx: Jhèkjukfk jko iMl dk xjet : vk ekfyd Hkfe g ftUgku fnukd 2.9.1940 d jftLVM foy[k }kjk NIijcUnh cnkcLrh fd;kA

(iii) mDr NIijcUnh cnkcLrh d ckn fnukd 3.10.1940 dk jftLVM dcfy;r foy[k fd;k x;k FkkA

(iv) vpykfèkdkjh] dkd }kjk tkp fd;k x;k Fkk ftlu li"V fd;k fd iokDr nLrkot mld fnukd 17.6.2000 d i= d rgr jftLVM fd;k x;k FkkA

(v) ;kphx.k dk fofufn"V ekeyk ;g g fd iokDr Hkfe NIijcnh vfèkdkjk d lkFk jxyky tyku d i{k e tehUnkj }kjk cnkcLr dh x;h Fkh vkj lVyh jxyky tyku u jlhnk d fo:) tehUnkj dk yxku dk Hkxrku fd;k FkkA

(vi) ;kphx.k dk vkx ekeyk ;g g fd fcgkj Hkfe lèkkj vfèkfu;e] 1950 d ç[;kiu ij bVjehfM;jh ,LVV fcgkj jkT; e fufgr gvkA

(vii) fcgkj Hkfe lèkkj vfèkfu;e] 1950 d ç[;kiu ij fcgkj jkT; e bVjehfM;jh ,LVV fufgr gvkA fdr ,d Hke Fkk fd D;k NIijcUnh vfèkdkjk d lkFk Hkfe d lcèk e tehUnkj dh link fcgkj jkT; e fufgr gb ;k ughA vfHkèkku okn lO 161 o"k 1956 rFkk vfHkèkku okn lO 162 o"k 1956 nkf[ky fd, x, Fk vkj mUg çFke vij efIQ] jkph d U;k;ky; }kjk ln'k :i l fofuf'pr fd;k x;k FkkA fnukd 22.8.1959 d fu.k; }kjk vij efIQ u vfHkfuèkkfjr fd;k fd NIij cUnh Hkfe d lcèk e yxku lxfgr dju dk Hkrio eè;orh dk vfèkdkj fcgkj jkT; e fufgr ugh gvkA

(viii) iokDr fu.k; ,o fMØh d vkèkkj ij] rRdkyhu tehUnkj jktx: ,lO oh0 vkj0 iMl u fnukd 17 fnlcj] 1959 dk i= fy[kk vkj jxyky tkyku l C;kt d lkFk NIijcUnh yxku d Hkxrku dk nkok fd;kA

(ix) vpykfèkdkjh] dkd u jxyky tyku ij yxku ekxr g, ukfVl rkehy fd;k vkj dFku fd;k fd jxyky tyku dk foxr nk o"kk d fy, Hkrio bVjehfM;jh dk yxku dk Hkxrku fl) dju d fy, 18.8.1959 dk mifLFkr gkuk pkfg,A

(x) jxyky tyku u A/D d lkFk jftLVM Mkd l mÙkj Hktk ftl vpykfèkdkjh dkd d dk;ky; e çkIr fd;k x;k FkkA

(xi) rRi'pkr lh0 vk0 dkd u jxyky tyku dk Hkrio tehUnkj dk yxku dk Hkxrku n'kku d fy, jlhn d lkFk 17.9.1959 dk mifLFkr gku d fy, fnukd 8 flrcj] 1959 dk ukfVl Hktk A

(xii) jxyky tyku u fnukd 5.12.1960 dk mÙkj nkf[ky fd;kA

(xiii) rRi'pkr vpykfèkdkjh] dkd u jxyky tyku dk NIijcUnh ekyxtkjh dk Hkxrku dju dk fun'k nr g, fnukd 2.2.1961 dk i= lO 26 Hktk A

(xiv) rnulkj jxyky tyku lE;d :i ls tkjh jlhnk dk fo:) jkT; ljdkj dk NlijcUnh yxku dk Hkxrku dju yxk rFkk o"k 2001 rd yxku dk Hkxrku fd;k x;k FkkA

(xv) fd iokDr lifÙk ij vkoklh; xg ,o lajpukvk dk fuek.k fd;k x;k g vkj lifÙk vc uxjikfydk èkfr l0 227/A, okM IB dk :i e Kkr g vkj blds fy, djk dk Hkxrku fd;k x;k gA

(xvi) fd jxyky tyku dh eR;q viu ihN viu nks i=ks ljtey tyku ,o lhrkjke tyku dks NksMdj gks x;hA lhrkjke tyku u cVokjk okn l0 11 o"k 1988 nkf[ky fd;k ftle 7 tu] 1999 dks lyg dh fucèkukuqlkj fMØh ikfjr dh x;h FkhA iokDr fMØh ds fucèkukuqlkj ;kphx.k dks bl ekeys e vrxLr lifÙk vkofVr dh x;h FkhA

(xvii) ;kphx.k u vpykfèkdkjh] dkd ds le{k ukekrj.k ds fy, vkonu fn;k vkj ;kphx.k }kjk nkf[ky mDr vkonu dks l0 103 o"k 2000-2001 ds :i e nt fd;k x;k FkkA

(xviii) vpykfèkdkjh] dkd u fnukd 24 eb] 2004 ds vkn'k ds rgr ukekrj.k ds fy, vkonu bu vkèkkjk ij vLohdkj fd;k fd&

(i) vkj0 ,l0 [kfr;ku e lcfèkr Hk[kM xj et:vk Hkfe ds :i e nt fd, x, FkA

(ii) fufgr fd, tku ds ckn tehUnkj }kjk nkf[ky fjVu miyCèk ugh g] vkj

(iii) cVokjk okn e vfre fMØh ikfjr ugh fd;k x;k gA

(xix) rRi'pkr] ;kphx.k u Hkw lèkkj mi lekgrk] jkph vFkkr oreku çR;FkhZ l0 3 ds le{k vihy nkf[ky fd;k vkj bls ukekrj.k vihy l0 21R15 o"k 2002-03 ds :i e l[;kfdr fd;k x;k FkkA çR;FkhZ l0 3 u 19 flrcj] 2002 dks ;g vfHkfuèkkfjr djr g, vihy [kkfjt dj fn;k fd Hkfe dh çÑfr xjet:vk g vkj 1961 ds igy Hkfe dh voLFkk jftLVj II l Li"V ugh g vkj blfy, n'kk e bl lcèk e ukekrj.k vuKkr ugh fd;k tk ldrk gA

(xx) rRi'pkr ;kphx.k u lekgrk lg mik;Dr] jkph vFkkr çR;FkhZ l0 4 ds le{k iqujh{k.k vkonu nkf[ky fd;k ftls dsl l0 141/R15 o"k 2002-03 ds :i e l[;kfdr fd;k x;k FkkA

4. याची का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि तत्कालीन समाहर्ता सह उपायुक्त श्री प्रदीप कुमार ने 10.3.2004 को याचीगण की ओर से तर्क सुना तथा अपना निर्णय आरक्षित किया और केवल 25.8.2006 को निर्णय पारित किया। इसके लिए अधिवक्ता रिट याचिका के परिशिष्ट 12 से संलग्न आर्डर शीट को निर्दिष्ट करते हैं। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण प्रत्यर्थी सं० 4 के कार्यालय से पूछते रहे कि क्या उक्त मामला सं० 141/R15 वर्ष 2002-03 में कोई आदेश पारित किया गया था किंतु उन्हें नियमित रूप से सूचित किया गया था कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। याची का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि मई, 2006 में याची ने प्रत्यर्थी सं० 4 के कार्यालय से सूचना एकत्र किया कि चूँकि अंतिम तर्क की तिथि से दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका था, मामला पुन: सूचीबद्ध किया जाएगा और प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा मामला पुन: सुना जाएगा, किंतु मामला सूचीबद्ध कभी नहीं किया गया

था तथा तत्कालीन समाहर्ता सह उपायुक्त श्री प्रदीप कुमार को 26.9.2006 को अपने पद से स्थानांतरित किया गया था। याची निवेदन करता है कि उनके स्थानान्तरण के कुछ सप्ताह बाद याची को पता चला कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 श्री प्रदीप कुमार समस्त अभिलेख अभी भी अपने पास रखे हुए थे जिसमें आदेश आरक्षित किए गए थे और पूर्वदिनांकित आदेशों को पारित किया है। तत्पश्चात याचीगण को जानकारी हुई कि श्री प्रदीप कुमार ने दिनांक 25.8.2006 का आदेश पारित किया था। याचीगण ने आवेदन किया और संपूर्ण आर्डर शीट का प्रमाणपत्रित प्रति प्राप्त किया। याची आगे निवेदन करता है कि दिनांक 25.8.2006 का आदेश गैर–सकारण आदेश है क्योंकि यह याची द्वारा उठाए गए प्रतिवादों पर विचार नहीं करता है जिस कारण याची पर अत्यन्त प्रतिकूलता कारित हुई है।

5. याची के अधिवक्ता ने इस बिन्दु पर जोर दिया है कि स्वीकृत रूप से आदेश 10.3.2004 को आरक्षित किया गया था और अंतिम आदेश 25.8.2006 को अर्थात ढाई वर्ष से अधिक समय बाद पारित किया गया था और इस तथ्य कि यह गूढ़, गैर सकारण और विशेषत: याचीगण के मामला पर विचार किए बिना दिया गया आदेश है कि दृष्टि में केवल इस आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है।

याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश लगभग ढाई वर्षों तक आरक्षित रखे जाने पर विद्वान उपायुक्त ने याचीगण द्वारा दिए गए तर्कों के प्रति विवेक का इस्तेमाल नहीं किया था और उनका मामला खारिज कर दिया जो एक गूढ़ आदेश है। दिनांक 25.8.2006 के आक्षेपित आदेश को निर्दिष्ट करके याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उक्त प्राधिकारी ने केवल छप्परबन्दी का दावा सिद्ध करने के लिए भूतपूर्व इंटरमीडियरी के रिटर्न की गैरदाखिली के कारण याची का मामला अस्वीकार कर दिया है और आगे दर्ज किया है कि प्रश्नगत भूमि छप्परबन्दी खतियान के रूप में दर्ज की गयी थी और 1961 के पहले का विवरण उपलब्ध नहीं है। आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विद्वान उपायुक्त ने प्राधिकारी के समक्ष दाखिल दस्तावेजों आदि जो अभिलेख पर मौजूद है पर विचार नहीं किया है बल्कि गैर–सकारण गूढ़ आदेश पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि आरंभ में केवल उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए रिट आवेदन दाखिल किया गया था किंतु अनवधानता के कारण अंचलाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को चुनौती नहीं दी गयी थी और तद्नुसार याचीगण ने रिट याचिका के परिशिष्ट 14 में यथा अंतर्विष्ट नामांतरण केस सं॰ 105/2000-2001 में अंचलाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 18.5.2002/24.5.2002 के आदेशों तथा रिट आवेदन के परिशिष्ट 15 में यथा अंतर्विष्ट नामांतरण अपील सं॰ 21R/02-03 में एल॰ आर॰ डी॰ सी॰, सदर, राँची द्वारा पारित दिनांक 19.9.2002 के आदेश को चुनौती देते हुए आई॰ ए॰ सं॰ 819 वर्ष 2008 दाखिल किया। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान उपायुक्त ने बिहार अभिधारी धृति (अभिलेखों का रखरखाव) अधिनियम, 1973 की धाराओं 5, 12 एवं 14 के प्रावधानों को पूर्णत: अनदेखा किया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि रजिस्टर्ड दस्तावेज तथा न्यायालय द्वारा पारित डिक्री जिसे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, नामांतरण आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त हैं। अवर प्राधिकारियों द्वारा मामले के इस पहलू का परीक्षण नहीं किया गया है।

6. किंतु, तर्क के दौरान याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यदि यह मामला इस तथ्य के कारण कि ढाई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आदेश पारित किया गया था, नए निर्णय के लिए उपायुक्त के पास वापस भेजा जाता है, यह न्याय का उद्देश्य पूरा करेगा। वह आगे निवेदन करते हैं कि याचीगण को अपने मामला के समर्थन में याची के साथ उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर विश्वास करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

7. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता यह तथ्य विवादित नहीं करते हैं कि आक्षेपित आदेश 25.8.2006 को पारित किया गया था और आदेश 10.3.2004 को आरक्षित किया गया था जिसके लिए याचीगण के मामला पर पूर्णरूप से विचार किया गया प्रतीत नहीं होता है। किंतु, पूर्व दिनांकन के अभिकथन से इनकार किया गया है।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन, मैं **केस सं॰ 141 R15/2002-2003 (श्रीमती रूक्मणि देवी जलान एवं अन्य बनाम राज्य)** में उपायुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 25.8.2006 का आदेश (परिशिष्ट 12) अपास्त करती हूँ और नयी सुनवाई के लिए और पक्षों द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार करते हुए नया युक्तिसंगत आदेश पारित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से मामला उपायुक्त के पास वापस भेजती हूँ:–

(a) स्वीकृत रूप से उपायुक्त, राँची द्वारा 10.3.2004 को आदेश आरक्षित किया गया था और अंतिम आदेश केवल 25.8.2006 को अर्थात ढाई वर्ष से अधिक बाद उद्घोषित किया गया था।

(b) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(2010) 6 SCC 384** में प्रकाशित निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि तर्क समाप्त होने के बाद जल्दी निर्णय उद्घोषित किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में तीन माह की अवधि के परे नहीं क्योंकि इसे लंबे समय तक लंबित रखना वादकारों एवं समाज को गलत संकेत देता है।

(c) दिनांक 25.8.2006 का आक्षेपित आदेश परिलक्षित करता है कि उपायुक्त, राँची ने रजिस्टर्ड दस्तावेजों तथा न्यायालय द्वारा पारित डिक्री सहित मामले के तथ्यों का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त आक्षेपित आदेश पारित करते हुए उपायुक्त, राँची द्वारा बिहार अभिधारी धृति अभिलेखों का संधारण) अधिनियम, 1973 के अनेक प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया है।

(d) यद्यपि आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया गया है कि लिखित तर्क दाखिल किए गए थे किंतु लिखित तर्क की विषयवस्तु पर चर्चा नहीं की गयी है।

(e) दिनांक 25.8.2006 का आक्षेपित आदेश मामले के अनेक पहलूओं पर विचार नहीं करने वाला गूढ़ आदेश है और चूँकि निर्णय 10.3.2004 को आरक्षित किया गया था और ढाई वर्षों से अधिक समय तक अंतिम आदेश पारित नहीं किए जाने पर उपायुक्त, राँची पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों को भूलते प्रतीत होते हैं जिसका परिणाम दिनांक 25.8.2006 के आक्षेपित आदेश में हुआ।

9. मामले के पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन रिट याचिका के परिशिष्ट 12 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 25.8.2006 का आक्षेपित आदेश जिस सीमा तक यह **मामला सं॰ 141 R15/2002-03 (श्रीमती रूक्मणि देवी जलान एवं अन्य बनाम राज्य)** से संबंधित है एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और मामला पर नए सिरे से विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद एवं पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के बाद पक्षों की उपस्थिति की तिथि से चार माह के भीतर तार्किक आदेश पारित करने के लिए मामला उपायुक्त के पास वापस भेजा जाता है।

10. याची के अधिवक्ता को उपायुक्त, राँची के समक्ष 27.2.2018 को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है और तत्पश्चात उपायुक्त, राँची चार माह की अवधि के भीतर विधि के

अनुरूप मामला नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए अग्रसर होंगे। उपायुक्त किसी अतिरिक्त दस्तावेज को भी विचार में लेंगे जिसे अपने मामले के समर्थन में शपथ पत्र पर पक्षों द्वारा दाखिल किया जा सकता है।

11. पूर्वोक्त संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ यह रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

राजेश मंडल उर्फ राजेश कुमार उर्फ राजेश कुमार मंडल

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Rev. No. 1547 of 2017. Decided on 9th January, 2018.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015—धारा 12—किशोर अभियुक्त को जमानत—याची को इस आक्षेप पर आरोपित किया गया कि उसने विवाह के बहाना पर अनेक अवसरों पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया था—याची लगभग 10 माह से रिमान्ड होम में है—पीड़िता घटना के समय पर वयस्क थी—शर्तों के विरूद्ध जमानत आवेदन अनुज्ञात किया गया। (पैराए 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.—Mr. Birendra Burman, For the Petitioner; Mr. Vijay Shankar Prasad, For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री बिरेन्द्र बर्मन तथा राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री विजय शंकर प्रसाद सुने गए।

2. बरकठा पी॰ एस॰ केस सं॰ 35 वर्ष 2017 से उद्भूत होनेवाले जी॰ आर॰ सं॰ 609 वर्ष 2017 के संबंध में विद्वान प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, हजारीबाग द्वारा पारित याची को जमानत पर निर्मुक्त करने से इनकार करने वाला दिनांक 7.7.2017 का आदेश अभिपुष्ट करते हुए तथा अपील खारिज करते हुए दांडिक अपील सं॰ 82 वर्ष 2017 में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 7.9.2017 के आदेश से व्यथित होकर याची ने यह आवेदन दाखिल किया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची को किशोर घोषित किया गया था और अभिकथन है कि उसने पीड़िता जो सूचक की पुत्री है के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि पीड़िता स्वयं वयस्क महिला है और पीड़ित के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने में याची की ओर से प्रच्छन्न हेतु नहीं था। यह निवेदन भी किया गया है कि याची 8.3.2017 से रिमान्ड होम में है और याची की माता ने वचन दिया है कि वह याची की देखभाल करेगी और आपराधिक तत्वों के संगति में आने की अनुमति याची को नहीं देगी।

4. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने याची के प्रार्थना का विरोध किया है।

5. अभिकथन से यह प्रतीत होता है कि याची ने विवाह के बहाना पर अनेक अवसरों पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया था। पीड़िता घटना के समय पर वयस्क प्रतीत होती है। याची लगभग 10 माह से रिमान्ड होम में है।

6. याची द्वारा भुगती गयी कारावास की अवधि पर विचार करने पर विद्वान सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा दांडिक अपील सं॰ 82 वर्ष 2017 में पारित दिनांक 7.9.2017 का आदेश तथा विद्वान प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 7.7.2017 का आदेश अपास्त करते हुए उक्त नामित याची को बरकठा पी॰ एस॰ केस सं॰ 35 वर्ष 2017 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ सं॰ 609 वर्ष 2017 के संबंध में विद्वान प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, हजारीबाग के संतुष्टि के प्रति प्रत्येक समान राशि की 10,000/- (दस हजार) रुपयों की दो प्रतिभूतियों के साथ जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि याची की माता याची को सुरक्षित दूरी पर रखेगी और उसे किसी बुरे तत्व से मिलने नहीं देगी और आगे जाँच के समापन तक संबंधित मामले में नियत प्रत्येक तिथि पर संबंधित न्यायालय के समक्ष याची को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

7. यह आवेदन निपटाया जाता है।

---

ekuuh; chñ chñ exyefr] U;k;efr

गीता देवी एवं अन्य

cuke

झारखण्ड राज्य

Cr. App. (SJ) No. 437 of 2001. Decided on 15th September, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 106 वर्ष 1985 में श्री रामानुज नारायण, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, डालटनगंज, पलामू द्वारा पारित दिनांक 22 सितंबर, 2001 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 24 सितंबर, 2001 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 323, 367, 370 एवं 374—बालश्रम का नियोजन—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—निविदत्त गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए गए और उन्होंने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है—अभियोजन मामला इस आधार पर आधारित है कि उनके संरक्षक की सहमति के बिना बालकों को ले जाया गया था किंतु साक्ष्य दिया गया है कि संरक्षक अपने पुत्रों के अपीलार्थी के कारखाना में उन्हें काम पर लगाए जाने के बारे में जानते थे—अन्वेषण अधिकारी के गैरपरीक्षण की अनुपस्थिति में उससे विरोधाभास नहीं निकाला जा सका था—अन्वेषण अधिकारी के गैरपरीक्षण ने मामला प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है—संदेह का लाभ देकर दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 9 से 14)

निर्णयज विधि.–2017 (1) JLJR 672—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Vijoy Pratap Singh, For the Appellants; Mr. Ravi Prakash, For the State

आदेश

यह अपील सत्र विचारण सं॰ 106 वर्ष 1985 में अभियुक्तों शिव कुमार ठाकुर एवं सुदामा ठाकुर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 367 तथा 370 के अधीन आरोपों का दोषी अभिनिर्धारित करते हुए सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, डालटेनगंज, पलामू द्वारा पारित दिनांक 22 सितंबर, 2001 के दोषसिद्धि के

निर्णय तथा दिनांक 24 सितंबर, 2001 के दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है। अभियुक्त पन्नालाल बिन्द को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 374 एवं 323 के अधीन दोषी पाया गया था किंतु उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 367 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया था। दोषसिद्धों सुदामा ठाकुर तथा शिव कुमार ठाकुर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 367 एवं 370 के अधीन दोषी पाया गया था किंतु उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 367 के अधीन दण्डित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के अधीन पृथक दंडादेश अधिनिर्णीत किया गया था। परिणामस्वरूप दोषसिद्ध सुदामा ठाकुर तथा शिव कुमार ठाकुर को सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था जबकि दोषसिद्ध पन्नालाल बिन्द को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 374 एवं 323 के अधीन छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडदेश दिया गया था। दोनों दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्धों सुदामा ठाकुर एवं शिव कुमार ठाकर पर कोई जुर्माना अधिरोपित करने की आवश्यकता नहीं है।

2. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि पाटन पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी ने 26.3.1984 को शिव कुमार ठाकुर, सुदामा ठाकुर एवं पन्ना बाबू के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 363A के अधीन माला ग्राम छिछोरी पी॰ एस॰ पाटन जिला पलामू के निवासी सुखदेव भुइयाँ के पुत्र गंगा भूइयाँ का फर्दबयान दर्ज करने के बाद संस्थित किया जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि ढाई माह पहले अभियुक्तगण शिव कुमार ठाकुर एवं उसका भाई सुदामा ठाकुर 1. कोडू भुइयाँ, 2. कृष्णा भुईयाँ 3. विरेन्द्र भुइयाँ, 4. विक्रम भुइयाँ, 5. कोइलर भुइयाँ, 6. मोगल भुइयाँ, 7. भोल्टा, 8. कारिख भुइयाँ, 9. श्यामदेव भुइयाँ, 10. विजय भुईयाँ, 11. बच्चन भुइयाँ, 12. नाथू भुइयाँ, 13. प्रेमन भुइयाँ, 14. गणेश भुइयाँ, 15. विनोद भुइयाँ, 16. राजधानी भुइयाँ, 17. प्रमोद साह, 18. जपता मोची, 19. नरेश मोची, 20. सुरेश मोची, 21. जोगन मोची, 22. इन्नर मोची, 23. विनोद मोची, 24. रामाधार महतो, 25. शिवनाथ ठाकुर, 26. रघुबंश मोची, 27. मुन्नी मोची, 28. मदन महरा को मजदूर के रूप में काम करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्जापुर के निवासी पन्ना बाबू के कारखाना में ले गए। शिव कुमार ठाकुर ने प्रकट किया कि वह पन्ना बाबू के कारखाना में मुंशी था जो ग्राम बेलबरिया, पी॰ एस॰ चिल्कू जिला मिर्जापुर (उ॰ प्र॰) में अवस्थित था। अभियोजन का आगे मामला यह है कि इस मामला का सूचक गंगा भुइयाँ तथा बनवारी भुइयाँ पन्ना बाबू के कारखाना में अपने पुत्रों को देखने गए तब उन्होंने पाया कि समस्त लड़के कालीन बुन रहे थे। लड़कों का स्वास्थ्य बिगड़ा पाया गया था। बालकों ने उन्हें बताया कि उन्हें समय पर भोजन नहीं दिया जाता है। जब सूचक ने अपने पुत्र को ले जाने का प्रयास किया, तब पन्ना बाबू ने उसको बताया कि वह शिव कुमार ठाकुर जो उनका लेखा रखता था की अनापत्ति के बाद बालकों को मुक्त कर सकता है। किंतु शिव कुमार ठाकुर ने सूचक को अपने पुत्र को वापस ले जाने की अनुमति नहीं दिया था। बालकों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

मामले के अन्वेषण के बाद, समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 365, 367, 368, 374, 370, 323, 120B के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बचाव ने इस मामला में झूठा आलिप्त किए जाने का अभिवचन किया।

अभियोजन ने कुल 26 गवाहों का परीक्षण किया जबकि बचाव ने केवल एक गवाह सुदामा ठाकुर जो इस मामले में अभियुक्तों में से एक है का परीक्षण किया। बचाव ने भी प्रदर्श A के रूप में चिन्हित वेटरिनरी अस्पताल, विशरामपुर, जिला पलामू के कार्यालय से जनवरी, 1984 से अप्रिल, 1984 तक का उपस्थिति रजिस्टर, प्रदर्श B के रूप में चिन्हित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश VI पलामू के न्यायालय

के सत्र विचारण सं॰ 105 वर्ष 1985 का दिनांक 29.5.1989 के निर्णय की प्रमाणपत्रित और प्रदर्श के रूप में चिन्हित जी॰ आर॰ केस सं॰ 537 वर्ष 1984 के आरोपपत्र की प्रमाणपत्रित प्रति भी प्रस्तुत किया है। न्यायालय ने मामला में दिए गए साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के बाद सुदामा ठाकुर, शिव कुमार ठाकुर तथा पन्ना लाल बिंद को दोषी अभिनिर्धारित किया और उनको दंडादेशित किया।

3. यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि बाबुल बिन्द की मृत्यु विचारण के दौरान हो गयी जब कि मनसा राम को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 367, 374 एवं 323 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया था।

4. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी सं॰ 1 सुदामा ठाकुर की मृत्यु जनवरी 2013 में हो गयी और उसके स्थान पर अपीलार्थी सं॰ 1 के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किया जाना आदेशित किया गया था। अत: अपीलार्थी सं॰ 1 के उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त, शिव कुमार ठाकुर एवं पन्नालाल बिन्द अपील अग्रसर कर रहे हैं।

5. निर्णय का विरोध करते हुए विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय अपहरण के तत्व पर विचार करने में विफल हुआ है क्योंकि इस मामला में यथा अभिकथित तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामला नहीं बनता है। अवर न्यायालय अ॰ सा॰ 16, 18, 21 एवं 23 के बयान पर विश्वास नहीं करने में विफल हुआ है जिन्होंने कथन किया है कि बालक कालीन बुनने की कला सीखने के लिए बेलबरिया (मिर्जापुर) गए हैं और यह कृत्य उन धाराओं के अधीन अपराध नहीं है। अवर न्यायालय यह भी विचार करने में विफल रहा कि गवाहों ने अन्य तात्विक विशिष्टियों का खंडन किया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि आपराधिक मन: स्थिति की अनुपस्थिति है क्योंकि मामला ढाई माह बाद दर्ज किया गया था जब बालक अपीलार्थियों के साथ बेलबरिया गए थे। अवर न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 374 के अधीन अपीलाथियों को दोषसिद्ध किया है यद्यपि ऐसा आरोप सिद्ध नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय ने इसपर विचार भी नहीं किया है कि बेलबरिया (मिर्जापुर) में पुलिस थाना था, और अनेक अन्य व्यक्तियों के घर थे किंतु किसी भी बालक द्वारा परिवाद अथवा रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया था जिन्हें बंदी बताया गया था और बचाव का दृष्टिकोण अनदेखा किया कि बालक बुनाई कला सीखने वहाँ गए थे। अत:, दोषसिद्धि का निर्णय दूषित है और विधि के प्रावधान के अनुरूप नहीं है।

6. अवर न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि बालकों को अपीलार्थी द्वारा नहीं ले जाया गया था बल्कि वे स्वयं कालीन बुनने का प्रशिक्षण पाने के लिए अपने अभिभावकों की सहमति से वहाँ गए और उनमें से किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। छब्बीस गवाहो में से 15 गवाह अभियोजन द्वारा दिए गए थे और तीन गवाहों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जबकि अ॰ सा॰ 10 औपचारिक गवाह है जिसने प्राथमिकी सिद्ध किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि उस परिस्थिति में केवल अ॰ सा॰ 11 बनबारी भुइयाँ, अ॰ सा॰ 2 सनन भुइयाँ, अ॰ सा॰ 4 सुरेश मोची, अ॰ सा॰ 7 लल्लू मोची, अ॰ सा॰ 11 मोहन भुइयाँ शेष रहे जिनके साक्ष्य पर अभियोजन ने अपीलार्थियों को दोषी पाया। इसके अतिरिक्त दोषसिद्धि का आदेश विधि में दोषपूर्ण है क्योंकि इस मामला के सूचक एवं अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है और फर्दबयान प्रदर्शित नहीं किया गया है जबकि प्राथमिकी औपचारिक गवाह अ॰ सा॰ 10 के माध्यम से प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित की गयी है। उन्होंने **करन सिंह मुंडा बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड),** 2017(1) JLJR 672 **[: 2017 (2) JBCJ 124 (HC)]**, में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि अन्वेषण अधिकारी के गैरपरीक्षण ने बचाव पर प्रतिकूलता कारित किया है।

7. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि साक्ष्य नहीं है कि इन अवयस्क बालकों को विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण किया गया था। बल का प्रयोग नहीं किया गया था, अत: उनकी इच्छा के विरूद्ध जाने का प्रश्न नहीं है। अत:, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 374 की आवश्यकता अपीलार्थी सं॰ 3 के विरूद्ध प्रयोज्य नहीं है। उन्होंने यह निवेदन भी किया कि डॉक्टर के गैर परीक्षण के कारण कारित की गयी उपहति की मात्रा का निर्धारण मौखिक बयान पर नहीं किया जा सकता था कि उन्हें पीटा गया था, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन संपुष्टि के बिना दोषसिद्धि विधि में दोषपूर्ण होगी। उन्होंने यह निवेदन भी किया कि कुछ गवाहों अ॰ सा॰ 2 सनन् भुइयाँ एवं अ॰ सा॰ 7 लल्लू मोची को पीड़ित की सूची फर्दबयान या आरोप में नामित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण ने उनका साक्ष्य इस मामला के प्रति अप्रासंगिक बनाया। अंत में, उन्होंने निवेदन किया कि औपचारिक आरोप विधि के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि उसमें नामित तथा ''अन्य पीड़ित'' गायब है। अत:, इस कारण भी औपचारिक आरोप त्रुटिपूर्ण है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज अभियुक्तों के बयान भी धारा की आवश्यकता परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं। चूँकि समस्त बालक बुनाई कला सीखने के लिए अपीलार्थी सं॰ 3 के कारखाना में गए थे और बल का प्रयोग नहीं किया गया था और कोई भी संरक्षक यह कहने आगे नहीं आया है कि उनकी सहमति के बिना उसके प्रतिपाल्य को फुसला कर ले जाया गया था। उन्होंने निवेदन किया कि कार्यस्थल पर कुछ प्रतिकूल दशा हो सकती है किंतु न तो पीड़ित बालक न ही उनके संरक्षक निकटतम पुलिस थाना के पास गए जब सूचक ने अपीलार्थी सं॰ 3 के कार्यस्थल का दौरा किया। मामला पाटन थाना डालटेनगंज में और न कि उ॰ प्र॰ राज्य में मिर्जापुर में दर्ज किया गया था जहाँ बालकों को दासता की दशा के अधीन रखा गया अभिकथित किया गया है।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री रवि प्रकाश ने निवेदन किया कि समस्त तीनों दोषसिद्धों को सही प्रकार से पीड़ितों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें हर समय संगत पाया गया है जहाँ तक समुचित भोजन की गैर आपूर्ति, यातना के साथ लेने का संबंध है, दोषसिद्धों ने एक-दूसरे से दुरभिसंधि किया और पीड़ितों को कालीन कारखाना में नियोजित करने के लिए ले गए और उन्हें दास बनाया। पीड़ित गरीब परिवार से आते हैं और उनके साथ छल किया गया है और उन्हें उनके वेतन से भी वंचित किया गया है। जब संरक्षक वहाँ पहुँचे और अपने बालकों की बिगड़ती शारीरिक दशा पाया, दासता से अपने संतानों को निर्मुक्त करने का प्रार्थना किया, तब बालकों की निर्मुक्ति के लिए धन मांगा गया था जो वर्तमान मामला में दोषसिद्धि करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने निवेदन किया कि कुछ लघु विरोधाभास तथा डॉक्टर एवं अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण हो सकता है जो अभियोजन मामला पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा। प्राथमिकी में पीड़ितों के नाम का गैर उल्लेख प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा क्योंकि ये दोषसिद्ध समरूप प्रकृति के मामलों में भी अंतर्ग्रस्त थे, यद्यपि उन्हें दोषमुक्त किया गया था जैसा प्रदर्श B (सत्र विचारण सं॰ 105 वर्ष 1985 का निर्णय से प्रतीत होगा।

9. पक्षों के उक्त निवेदनों पर विचार करते हुए तथा अभियोजन एवं बचाव की ओर से दिए गए साक्ष्य के संवीक्षण पर यह प्रतीत होगा कि 26 गवाहों में से 15 अभियोजन द्वारा दिए गए हैं जिसमें अधिकांश गवाह पीड़ित बालक हैं। तीन गवाहों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अन्वेषण अधिकारी के गैरपरीक्षण की अनुपस्थिति में उससे विरोधाभास निकाला नहीं जा सका था। सूचक गंगा भूइयाँ ने भी इस न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य नहीं दिया है। गंगा भुइयाँ एवं बनबारी पन्ना बाबू के कारखाना गए। किंतु वर्तमान अपीलार्थी सं॰ 3 पुलिस थाना नहीं गया था बल्कि उन्होंने लौटने के बाद मामला दाखिल करना चुना और पाटन थाना, जिला

डालटेनगंज में मामला दर्ज किया। केवल बनबारी का अ॰ सा॰ 1 के रूप में परीक्षण किया गया था। उसने अपीलार्थी सं॰ 2 शिव कुमार ठाकुर को नामित किया है कि वह उसके पुत्र श्याम देव को ले गया तथा पन्ना बाबू के कारखाना में नियोजित किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने उत्तर दिया कि अपीलार्थी सं॰ 2 शिव कुमार ठाकुर ने कथन किया था कि उसे मिर्जापुर में कालीन बुनाई करने के लिए ले जाया जाएगा जहाँ उसे खाना भी दिया जायेगा और इस वादा पर वह उसके पुत्र को ले गया था किंतु उसे वहाँ यातना दी गयी थी। पैराग्राफ 13 में, उसने कथन किया था कि वह गंगा भुइयाँ के साथ पाटन थाना गया और पाटन पुलिस थाना की मदद से बालकों जिन्हें मिर्जापुर में रखा गया था बचाया जा सका था। अ॰ सा॰ 2 सनम भुइयाँ, अ॰ सा॰ 4 सुरेश मोची एवं अ॰ सा॰ 7 लल्लू मोची को बाल गवाह के रूप में कोटिकृत किया जा सकता था। अ॰ सा॰ 4 सुरेश मोची ने पहली बार सुदामा ठाकुर को नामित किया यद्यपि अन्य गवाहों अर्थात अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 7 एवं अ॰ सा॰ 11 जिनके अभिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि अभिनिर्धारित की गयी थी ने सुदामा ठाकुर को नामित नहीं किया है। अत: साक्ष्य का यह भाग असंपुष्ट रहा। सुदामा ठाकुर का अभियुक्त जिसने प्रदर्श A उपस्थिति रजिस्टर सिद्ध किया में से एक होने के नाते ब॰ सा॰ 1 के रूप में यह दर्शाने के लिए परीक्षण किया गया था कि वह सारे समय कार्यस्थल पर मौजूद था। सुदामा ठाकुर वेटरिनरी अस्पताल विशरामपुर में चपरासी था और प्रदर्श A जनवरी 1984 से अप्रिल 1984 के बीच उसकी उपस्थिति दर्शाता है।

10. अवर न्यायालय निष्कर्ष पर आया और अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 364 एवं 367 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया। यद्यपि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 364 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया था। अ॰ सा॰ 10 दामोदर महतो ने प्राथमिकी प्रदर्श 1 सिद्ध किया है किंतु फर्दबयान अभिलेख पर नहीं लाया गया है। बालकों के नाम का उल्लेख करके आरोप विरचित किए गए थे किंतु शब्द ''अन्य पीड़ित'' गायब थे। अत: उन गवाहों अर्थात अ॰ सा॰ 2 सनन भुइयाँ, अ॰ सा॰ 4 सुरेश मोची एवं अ॰ सा॰ 7 लल्लू मोची को आरोप में नामित नहीं किया गया था। अभियोजन ने उनके साक्ष्य पर भारी विश्वास किया जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

11. अभियोजन इस आधार पर अग्रसर हुआ कि बालकों को उनके अभिभावकों की सहमति के बिना ले जाया गया था किंतु साक्ष्य दिया गया है कि उनके संरक्षक अपने पुत्रों को अपीलार्थी सं॰ 3 के कारखाना में काम पर लगाए जाने के बारे में जानते थे। बाल गवाहों जिन्हें बेलबरिया, मिर्जापुर से निर्मुक्त किया गया था में से अधिकांश ने अभियोजन विवरण का समर्थन नहीं किया है, अत: अभियोजन ने उन गवाहों को निविदत्त करना चुना।

12. इस न्यायालय ने **करम सिंह मुंडा बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड) (ऊपर)** में अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^bl ekey e vkb0 vk0 dk ijh{k.k ugh fd;k x;k Fkk vkj vU; xokg u vihykFkh dk ukfer ugh fd;k gA gekj lfopkfjr nf"Vdk.k e bl ekey e vkb0 vk0 d xj ijh{k.k d dkj.k cpko ij egRoi.k :i l çfrdyrk dkfjr gb g vkj vU;Fkk Hkh ,dek= p'enhn xokg d lk{; ij fo'okl djuk ljf{kr ugh g tk erd dk viu lkFk y x;k Fkk vkj tk Lo; gR;k ekeyk e vfHk;Dr gA bl ekey d rF;k e gekjk lfopkfjr nf"Vdk.k g fd vihykFkh lng d ykHk dk gdnkj gA***

अवर न्यायालय ने बचाव का अभिवचन आधारहीन के रूप में त्यक्त किया है कि बालक कालीन बुनने की कला सीखने के लिए वहाँ गए क्योंकि अपीलार्थी सं॰ 3 पन्ना लाल बिन्द का कालीन बुनने की कला का प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान नहीं था। सरंक्षकों को मिर्जापुर में अपने बालकों के नियोजन के बारे में पूरी जानकारी थी। अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण ने मामला प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त, पीड़ित जिन्हें उपहति कारित की गयी थी का चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया है

और अभिलेख पर उपहति रिपोर्ट नहीं लायी गयी है। अतः, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन दोषसिद्धि सिद्ध की गयी अभिनिर्धारित नहीं की जा सकती है।

13. इन परिस्थितियों के अधीन, यह समुचित होगा कि दोषसिद्धों को संदेह का लाभ दिया जा सकता है।

14. सत्र विचारण सं॰ 106 वर्ष 1985 में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, डालटेनगंज, पलामू द्वारा पारित दिनांक 22 सितंबर, 2001 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 24 सितंबर, 2001 का दंदादेश अपास्त किया जाता है।

15. परिणामस्वरूप यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh;k vuHkk jkor pkèkjh] U;k;efr

राजा राम साहू

cuke

उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण एवं एक अन्य

WP(C) No. 4705 of 2007. Decided on 5th February, 2018.

झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2001—धाराएँ 35 एवं 36—अप्राधिकृत निर्माण हटाने का आदेश—आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के पहले कारण बताओ नोटिस पर्याप्त था और आगे कारण बताओ नोटिस की आवश्यकता नहीं थी—याची द्वारा setback क्षेत्र में आगे निर्माण किया जा रहा था और पुराने भवन में आगे निर्माण केवल विद्यमान निर्माण उपविधियों के मुताबिक किया जा सकता है—झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2001 के अधीन ऐसा अपवाद नहीं है—रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराए 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.—1991 PLJR 398—Referred.

अधिवक्तागण.—Mr. Rohit Ranjan Sinha, For the Petitioner; Mr. Prashant Kumar Singh, For the Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित कुमार सिन्हा तथा प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार सिंह सुने गए।

2. यह रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित आदेशों को चुनौती देते हुए दाखिल की गयी है:

a. ;kph }kjk nkf[ky vihy l0 1o"k 2006 [kkfjt djr g, vihyh; vfèkdj.k] jkph {k=h; fodkl çkfèkdj.k] jkph }kjk ikfjr fjV ;kfpdk d ifjf'k"V 6e ;Fkkvrfo"V fnukd 31.7.2007 dk vkn'kA

b. mikè;{k] jkph {k=h; fodkl çkfèkdj.k] jkph }kjk vçkfèkÑr fuek.k ekeyk l0 L.S./1/2005e ikfjr fnukd 30.12.2005 dk vkn'k ftld }kjk ;kph dk voèk fuek.k gVku vFkok jkph {k=h; fodkl çkfèkdj.k d gkFkk Hktu l ihfMr gku dk fun'k fn;k x;k gA

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निम्नलिखित निवेदन करते हैं:—

(a) rhu duh; vfHk;Urkvk }kjk 21.4.2005 dk ;kph dh mifLFkfr e fujh{k.k fd;k x;k Fkk ft le ;g fjikV fd;k x;k Fkk fd ;kph G+2 ry ij fuek.k djok jgk Fkk vkj tc ;kph dk etj uD'kk çLrr dju d fy, dgk x;k Fkk] og bl çLrr ugh dj ldk FkkA fjikV dh nf"V e ,Q Ldp Hkh r;kj fd;k x;k Fkk tk fjV ;kfpdk d i"B 24 ij gA

(b) rRi'pkr fnukd 26.4.2005 d ifjf'k"V&2 }kjk ;g mYy[k djr g, fd 'kVfjx dke py jgk Fkk vkj ;kph dk voèk fuek.k jkdu dk fun'k fn;k x;k Fkk] lkbV dk fujh{k.k dju oky duh; vfHk;rkvk e l doy ,d }kjk fnukd 21.4.2005 d fujh{k.k fjikV d vkèkkj ij ,d vU; fjikV r;kj dh x;h FkhA

(c) fnukd 26.4.2005 dk i= l0 LS/01/05-112 d rgr >kj[kM {k=h; fodkl çkfèkdj.k vfèkfu;e] 2001 dh èkkjkvk 35 ,o 36 dk mYy?ku vfHkdfFkr djr g, ;kph dk ukfVl tkjh fd;k x;k Fkk vkj mle mYy[k fd;k x;k Fkk fd ;kph etj uD'kk dh çfr çLrr dj ldrk g vFkok vkx etjh d fy, vkonu n ldrk g vkj mDr çkfèkdkjh d le{k 4.5.2005 dk mifLFkr gk ldrk g ft le foQy gku ij mDr vfèkfu;e dh èkkjk 54 d vèkhu lefpr dkjokb dh tk,xh vkj èkkjk 52 d vèkhu nM vfèkjkfir fd;k tk,xkA

(d) rRi'pkr ;kph d fo:) ;0 lh0 dl l0 LS/1/2005 e vxlj gvk x;k Fkk vkj vrrh ;kph dk iæg fnuk d Hkhrj voèk fuek.k dke gVku d fy, dgr g,] ft le foQy gku ij bl Hkftr fd;k tk,xk vkj Hktu d fy, mixr 0;; ;kph l oly fd;k tk,xk] çR;Fkh l0 1 }kjk fnukd 30.12.2005 dk vk{kfir vkn'k ikfjr fd;k x;k FkkA

(e) bl vkn'k d fo:) ;kph u fofoèk vihy 1 o"k 2006 nkf[ky fd;k ft ldh çfr fjV ;kfpdk d ifjf'k"V 5 d lkFk lyXku dh x;h gA

(f) vihyh; çkfèkdkjh }kjk fnukd 31.7.2007 d vk{kfir vkn'k d rgr ;g vihy [kkfjt dh x;h FkhA

4. आक्षेपित आदेश का विरोध करते हुए याची निवेदन करता है कि अपीलीय अधिकरण के समक्ष याची का विनिर्दिष्ट मामला यह था कि संपत्ति पर निर्माण 7.3.1979 से विद्यमान था और इसलिए, मंजूर किए गए प्लान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि संपत्ति उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के काफी पहले से विद्यमान था। याची ने विक्रय विलेख निर्दिष्ट करके इस अभिवचन को सिद्ध करने का प्रयास किया जिसे स्वीकृत रूप से रिट याची द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। वह निवेदन करते हैं कि केवल अंदर में कुछ मरम्मत एवं पुनरूद्धार काम चल रहा था और निर्माण काम नहीं किया जा रहा था। दूसरा तर्क यह है कि दिनांक 30.12.2005 का आक्षेपित आदेश पारित करने के पहले झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2001 की धारा 54(1) के परन्तुक के निबंधनानुसार प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा एक अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता थी। याची के विद्वान अधिवक्ता ने 1991 (2) PLJR 398 (patna) में प्रकाशित माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि setback क्षेत्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि याची का घर 1987 के पहले निर्मित किया गया था।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं:–

(i) ;kph dk çfrokn ;g g fd ljpuk mDr vfèkfu;e d çHkko e vku d dkQh igy l fo|eku Fkh ft l ;kph }kjk LFkkfir fd;k tkuk Fkk ft l dju e ;kph foQy jgkA

(ii) iokDr fuonu d çfr çfrdyrk dkfjr fd, fcuk ;g fuonu fd;k x;k g fd fuek.k tk py jgk Fkk iu#)kj ,o ejEer dke d fy, ugh fd;k tk jgk Fkk cfYd ;kph }kjk lVcd {k= ij fuek.k fd;k tk jgk Fkk vkj fujh{k.k fjikV bl fcUn ij Li"V gA

(iii) fjV vkonu d ifjf'k"V 4 ij ;0 lh0 dl l0 LS/1/2005 d vkMj 'khV dk fufn"V djr g, çR;fFk;k d vfèkoDrk fuonu djr g fd ;kph u ckjckj çR;Fkh l0 2 d le{k vH;konu fn;k g vkj fuonu fd;k g fd og lVcd {k= ij voèk fuek.k gVk,xk ft le ;g nt fd;k x;k g fd mlu fuonu fd;k Fkk fd ;kph Ng ekg dh vofèk d Hkhrj lVcd {k= ij fuek.k gVk,xkA

(iv) fnukd 31.12.2005 d vk{kfir vkn'k d ifj'khyu l ;g çrhr gkrk g fd mikè;{k] vkj0 vkj0 MhO ,0 d le{k fjV ;kph }kjk ckjckj fn, x, opu d ckotn ;kph d voèk fuek.k ugh gVku ij mikè;{k] vkj0 vkj0 MhO ,0 d ikl ;kph dk iæg fnuk d Hkhrj voèk fuek.k Hkftr dju ft le mld foQy gku ij çR;fFk;k }kjk bl Hkftr fd;k tk,xk] dk fun'k nr g, Hktu vknf'kr dju d vykok fodYi ugh FkkA

(v) çR;fFk;k d vfèkoDrk vkx fuonu djr g fd vihyh; çkfèkdkjh d le{k nkf[ky vihy eek d ifj'khyu l ;g çrhr gkrk g fd ;kph dk ekeyk ;g dHkh ugh Fkk fd lV cd {k= e voèk fuek.k gVku d lcèk e ,l vk'oklu ;kph }kjk mikè;{k vkj0 vkj0 MhO ,0 ¼iR;Fkh l0 1) d le{k ugh fn;k x;k FkkA

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, मैं याची को कोई 'अनुतोष प्रदान करने का कारण नहीं पाता हूँ और निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से रिट याचिका खारिज की जाती है:–

(a) fjV ;kfpdk d ifjf'k"V 4 e ;Fkk vrfo"V mikè;{k] vkj0 vkj0 MhO ,0 d vkMj 'khV d ifj'khyu l ;g çdV g fd Lo; ;kph u 28.8.2005 lfgr vud frfFk;k ij Ng ekg dh vofèk d Hkhrj lV cd {k= ij voèk fuek.k gVku dk opu fn;k FkkA fdr ,l opu d ckotn ;kph u voèk fuek.k ugh gVk;k FkkA rnulkj] mikè;{k] vkj0 vkj0 MhO ,0 d ikl ;kph dk iæg fnuk d Hkhrj voèk fuek.k Hkftr dju ft le mld foQy gku ij çR;fFk;k }kjk bl Hkftr fd;k tk,xk] dk fun'k nr g, fnukd 30.12.2005 d vk{kfir vkn'k d rgr Hktu vknf'kr dju d vykok fodYi ugh FkkA

(b) tgk rd fnukd 30.12.2005 dk vk{kfir vkn'k ikfjr fd, tku d igy dkj.k crkvk ukfVl tkjh dju d lcèk e fcn dk lcèk g] e ikrh g fd Lo; ifjf'k"V 3 e ;Fkk vrfo"V ukfVl i;kIr Fkk vkj vkx dkj.k crkvk ukfVl dh vko';drk ugh Fkh] fo'k"kr% bl rF; dh nf"V e fd Lo; ;kph u le;≤ ij opu fn;k Fkk fd og voèk fuek.k gVk,xk fdr bld ckotn mlu voèk fuek.k ugh gVk;k FkkA vr%] mikè;{k u lgh çdkj l fnukd 30.12.2005 dk vk{kfir vkn'k ikfjr fd;kA

(c) vihy d eek dk ifj'khyu dju l ;g çrhr gkrk g fd ;kph }kjk voèk fuek.k gVku d lcèk e mikè;{k] vkj0 vkj0 MhO ,0 d le{k fn;k x;k opu vihy d eek e fookfnr dHkh ugh fd;k x;k FkkA

(d) tgk rd vfèkfu;e d ç[;kiu d igy fuek.k fd, tku d lcèk e ;kph d ekeyk dk lcèk g] ;g nk vkèkkjk ij vLohdkj fd, tku ;kX; gA çFker% ;kph u foØ; foy[k fufn"V djd ;g fuonu dju dk ç;kl fd;k Fkk ftl LohÑr :i l fjV ;kph }kjk nkf[ky ugh fd;k x;k Fkk vkj] f}rh; r% ekey dk vfHky[k n'kkrk g fd lV cd {k= e fuek.k fd;k tk jgk Fkk tk vfrfjDr fuek.k d rY; gkxk vkj ;g iu#)kj dk; ugh Fkk tl ;kph }kjk nkok fd;k x;k Fkk ftld fy, fu'p; gh etjh vko';d FkhA

(e) tgk rd 1991 (2) PLJR 398 e çdkf'kr fu.k; e ;kph d fo'okl dk lcèk g] ;g fdlh rjhd l ;kph dh lgk;rk ugh djrk gA mDr fu.k; d ifj'khyu l ;g çrhr gkrk g fd mDr ekeyk e lV cd {k= e fuek.k 1987 d igy l fo|eku Fkk tc lV cd {k= dh vko';drk ij%LFkkfir dh x;h crk;h tkrh g vkj mDr ekeyk d ;kph u fo|eku Hkou ij ejEer dk; fd;k FkkA oreku ekeyk e ;kph }kjk lVcd {k= d vfrfjDr fuek.k fd;k tk jgk Fkk vkj bl U;k;ky; dk nf"Vdk.k g fd ijku Hkou e vfrfjDr fuek.k doy fo|eku fuek.k mifofèk;k d erkfcd fd;k tk ldrk gA >kj[kM {k=h; fodkl çkfèkdj.k vfèkfu;e] 2001 d çkoèkkuk d vèkhu ,lk viokn ugh gA

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

8. इस चरण पर याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची को विधि के अनुरूप मंजूरी के लिए आवेदन देने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।

9. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता इसे विवादित नहीं करते हैं कि याची सदैव विधि के मुताबिक मंजूरी के लिए आवेदन दे सकता है।

यह न्यायालय इस संबंध में कोई संप्रेक्षण करना आवश्यक नहीं समझता है। किन्तु, यदि विधि अनुमति देती है, याची मंजूरी के लिए आवेदन दे सकता है।

10. तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o vfuy dekj pkèkjh] U;k;efrx.k

सनोज पासवान

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 1069 of 2007. Decided on 12th December, 2017.

एस॰ टी॰ सं॰ 293 वर्ष 2005 में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ IV धनबाद द्वारा पारित दिनांक 24.7.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—दो चश्मदीद गवाहों द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन किया गया—अन्य अ॰ सा॰ घटना के बाद घटना स्थल

पर आए—मृतक की हत्या करने का आशय स्थापित नहीं किया जा सका था—भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी कि दोषसिद्धि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन संपरिवर्तित की गयी—अपीलार्थी 12 वर्षों से अधिक से कारा में है—अपीलार्थी को कारा से निर्मुक्त करने का आदेश दिया। (पैरा 8 से 15)

अधिवक्तागण.—Mr. Pramod Kumar, For the Appellant; Mr. Shekhar Sinha, For the State.

न्यायालय द्वारा.—अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी एस॰ टी॰ सं॰ 293 वर्ष 2005 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय संख्या IV, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 24.7.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई पर एकमात्र अपीलार्थी को उक्त अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. अभियोजन मामला 23.3.2005 को अपराह्न लगभग 10.40 बजे दर्ज मृतक आबिद हुसैन की पत्नी नजमा खातून के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था। सूचक घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है, और उसके फर्दबयान के अनुसार, उसे नुरेशा खातून तथा आमना खातून द्वारा सूचित किया गया था कि उसके पति आबिद हुसैन पर अभियुक्त सनोज पासवान द्वारा प्रहार किया जा रहा था जिस पर वह घटना स्थल पर गयी और अपने पति का मृत शरीर देखा। फर्दबयान के आधार पर झरिया (तिरसरा) पी॰ एस॰ केस सं॰ 119 वर्ष 2005, जी॰ आर॰ सं॰ 852 वर्ष 2005 के तत्सम, एकमात्र अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्त के निर्दोषिता का अभिवचन करने एवं विचारण किए जाने का दावा करने पर उसका विचारण किया गया था।

5. अभियोजन ने इस मामले में नौ गवाहों का परीक्षण किया है, जिनमें से केवल दो गवाह अर्थात अ॰ सा॰ 1 नुरेशा खातून तथा अ॰ सा॰ 2 आमना खातून घटना के चश्मदीद गवाह हैं। सूचक सहित अन्य तात्विक गवाह केवल अनुश्रुत गवाह हैं जिन्होंने मृत शरीर देखा था।

6. अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ शैलेनद्र कुमार जिन्होंने 24.3.2005 को मृतक के मृत शरीर का शवपरीक्षण किया का साक्ष्य केवल मृत शरीर पर दो खरोंच दर्शाता है जो निम्नलिखित हैं:—

(i) [kjkp

a. fupy tcM d lrg d uhp ck, Hkkx ij 4"×1" vkj

b. eLrd d 'kh"k ij 2½ × 2½" d [kjkp

foPNnu dju ij Hkktu ufydk] dB] 'okluyh ,o 'oluh dhpM l Hkjk ik;k x;k FkkA

तद्नुसार, इस गवाह ने मत दिया है कि मृत्यु श्वास नली में कीचड़ भरने से दम घुटने के परिणामस्वरूप कारित हुई थी। शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का अन्य कारण नहीं दर्शाया गया है। इस गवाह ने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया था।

7. इस प्रकार, डॉक्टर के साक्ष्य की दृष्टि में एकमात्र चीज जिसे देखा जाना है यह है कि किस गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्त ने मृतक पर इस तरीके से प्रहार किया था कि मृतक की श्वास नली कीचड़ से अवरूद्ध हो गयी थी।

8. घटना के केवल दो चश्मदीद गवाह हैं। अ॰ सा॰ 1 नुरेशा खातून ने कथन किया है कि घटना के दिन उसने अभियुक्त सनोज पासवान को मृतक आबिद हुसैन का गला घोंटते देखा था। अभियुक्त ने उसको भाग जाने के लिए फटकारा, जिस पर वह मृतक की पत्नी को सूचित करने के लिए घटना स्थल से भाग गयी। इस गवाह ने यह दर्शाने के लिए कुछ भी कथन नहीं किया है कि कीचड़ द्वारा मृतक की श्वास नली अवरूद्ध करने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई कार्रवाई की गयी थी।

9. इस बिन्दु पर एकमात्र अन्य साक्ष्य अ॰ सा॰ 2 आमना खातून का है, जिसने कथन किया है कि अभियुक्त सनोज पासवान मृतक का गला घोंट रहा था जब वे झगड़ा कर रहे थे और तत्पश्चात उसने मृतक को नाला में धकेल दिया। तत्पश्चात अभियुक्त सनोज पासवान ने मृतक को नाला से निकाला और उसे खेत में रख दिया। उसने कथन किया कि मृतक नाला की मिट्टी से पूरी तरह ढंका हुआ था और उसकी मृत्यु हो गयी। इस गवाह का अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण किया था, किंतु उसके प्रतिपरीक्षण में कुछ भी नहीं है जो उसका परिसाक्ष्य त्यक्त कर सके।

10. मृतक की बहन अ॰ सा॰ 4 हसीना खातून, मृतक के भाई अ॰ सा॰ 6 मो॰ हारून रशीद और मृतक की पत्नी तथा इस मामला की सूचक अ॰ सा॰ 7 नजमा खातून सहित अन्य समस्त तात्विक गवाह केवल अनुश्रुत गवाह हैं। ये समस्त गवाह घटना के बाद घटना स्थल पहुँचे और उन्होंने केवल मृत शरीर देखा।

11. अ॰ सा॰ 8 राम इकबाल सिंह इस मामला का आई॰ ओ॰ है, जिसने प्रदर्श 3 के रूप में फर्दबयान और प्रदर्श 4 के रूप में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध किया है और उसने फर्दबयान एवं औपचारिक प्राथमिकी पर पृष्ठांकनों को भी सिद्ध किया है जिन्हें भी प्रदर्शों के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने कीचड़ से भरे नाला जो घटनास्थल है में हिंसा का निशान पाया था और मृत शरीर कीचड़ से ढंका पाया था।

12. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से, जो दर्शाता है कि मृतक को नाला में कीचड़ में धकेला गया था, एकमात्र साक्ष्य अ॰ सा॰ 2 आमना खातून का है और उसका साक्ष्य दर्शाता है कि घटना के समय पर अभियुक्त ने मृतक को कीचड़ में धकेला था किंतु पुनः उसने उसे बाहर निकाला और उसको खेत में रखा। यह दर्शाता है कि मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय अभियुक्त का नहीं था। यदि उसने मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय रखा होता, उसने उसे कीचड़ से बाहर नहीं निकाला होता।

13. मामला के उस दृष्टिकोण में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि इस मामला के तथ्यों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि में संपरिवर्तत किए जाने योग्य है।

14. तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित करते हुए एस॰ टी॰ सं॰ 293 वर्ष 2005 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ IV, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 24.7.2007 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि अपीलार्थी सनोज पासवान को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया जाता है और दोषसिद्ध किया जाता है। हमें सूचित किया गया है कि अभियुक्त अपीलार्थी अपना दंडादेश भुगतते हुए पहले से अभिरक्षा में है और वह 12 वर्षों से अधिक से अभिरक्षा में बना हुआ है। मामला के उस दृष्टिकोण में, भले ही अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए 10 वर्षों की महत्तम अवधि के लिए कठोर आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, हम पाते हैं कि उसने पहले ही दंडादेश भुगत लिया है। अत: अपीलार्थी सनोज पासवान को निर्मुक्त एवं तुरन्त स्वतंत्र करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

15. परिणामस्वरूप, पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि एवं दंडादेश में उपांतरण के साथ यह अपील खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; vij'k dekj flg ,o jkt'k dekj] U;k;efrx.k

दिवाकर महतो

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr. Revision No. 719 of 2006. Decided on 11th January, 2018.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 436/34—अग्नि द्वारा रिष्टि—विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति—विचारण के क्रम के दौरान अभियोजन मामला पूरी तरह भंजित किया गया था क्योंकि सूचक की पत्नी तथा अन्य गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था—अभियोजन विवरण अंतर्निहित विरोधाभासों से पीड़ित है—दोषमुक्ति का निर्णय अभिपुष्ट किया गया—पुनरीक्षण याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 6 एवं 7)

आदेश

याची अथवा विरोधी पक्षकारों के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. हमने आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है। यह पुनरीक्षण याचिका सत्र विचारण सं॰ 20 वर्ष 2004 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावाँ के न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 8 अगस्त, 2006 के दोषमुक्ति के निर्णय के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके अधीन विरोधी पक्षकारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 436 सहपठित 34 के अधीन अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

3. परिवादी के मामला के मुताबिक घटना 27.5.1998 के शाम की है जब अपराह्न लगभग 7.30 बजे स्थानीय हाट से लौटने पर उसने ग्राम देवलटाँड़ के आर॰ एस॰ खाता सं॰ 214 के भूखंड सं॰ 2496 के भाग पर फूस की छत के साथ एक कमरा वाले अपने घर को जलते देखा तथा उसकी पत्नी एवं संतानें रो रहे थे। उक्त मामला के गवाह आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे और वे आधा सफल हुए किंतु

घर का शेष भाग जल गया था। घर के अंदर रखी वस्तुएँ तथा 15 मुर्गियाँ जलकर राख हो गयी थी। उसकी पत्नी ने अभियुक्तों के कृत्यों की शिकायत किया जो घातक हथियारों से लैस होकर उनके आंगन में आए और घर जलाने के लिए किरासन तेल डाला। अभियुक्त मझिला महतो ने किरासन तेल डाला जबकि छुट्टू राम ने घर को आग लगाया। चूँकि पुलिस थाना 15 कि॰ मी॰ दूर था, उसने अगले दिन पुलिस को सूचित किया, किंतु 31.5.1998 तक वे मामला का अन्वेषण करने नहीं आए थे। 1.6.1998 को इस दशा में, उसने विद्वान न्यायालय के समक्ष परिवाद दाखिल किया। उसने आगे कथन किया कि अभियुक्तों का परिवादी के पूर्वोक्त घर पर अधिकार, अभिधान, हित अथवा कब्जा नहीं था।

4. विद्वान सी॰ जे॰ एम॰, सरायकेला ने प्राथमिकी के संस्थापन तथा पुलिस द्वारा अन्वेषण के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 156(3) के अधीन मामला निर्दिष्ट किया। इचागढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 33 वर्ष 1998 भारतीय दंड संहिता की धारा 435 सहपठित 34 के अधीन संस्थित किया गया था। उक्त धारा के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया गया था और तत्पश्चात् विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, सरायकेला, जमशेदपुर द्वारा 5.8.1998 को संज्ञान लिया गया था। न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सरायकेला के विद्वान न्यायालय द्वारा 2.12.1998 को भारतीय दंड संहिता की धारा 435 सहपठित धारा 34 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे। अभियोजन द्वारा साक्ष्य भी दिया गया था। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के परीक्षण के बाद तथा तर्क के चरण पर यह पता चला था कि अभियुक्तों के विरूद्ध मामला भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 436 की परिधि के अधीन आता था। तत्पश्चात, इसे अंतिम निपटान के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। पुनः पूर्वोक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और आरोप स्पष्ट किए जाने पर अभियुक्तों ने निर्दोषिता का अभिवचन किया। बचाव के अनुसार, उन्हें भूमि विवाद तथा पूर्व दुश्मनी के कारण उक्त मामला के झूठा आलिप्त किया गया था।

5. अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण किया। अ॰ सा॰ 1 सूचक है। मुख्य परीक्षण में तथा प्रतिपरीक्षण में भी उसके साक्ष्य के विश्लेषण से विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि वह चश्मदीद गवाह नहीं बल्कि अनुश्रुत गवाह था। उन्होंने आगे मत दिया कि अभिकथित घर पक्षों के बीच बंटवारा विवाद का विषयवस्तु था। इस गवाह ने अभिसाक्ष्य दिया था कि उसकी पत्नी ने अभिकथित घटना के बारे में कथन किया। अ॰ सा॰ 2 सुमित्रा देवी सूचक की पत्नी है। उसने वस्तुतः अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट बयान दिया कि सूचक अ॰ सा॰ 1 अभिकथित घटना के समय घर में उपस्थित नहीं था। रंजीत महतो तथा डोमा महतो हल्ला सुनकर आए और आग बुझाया। उसने अभियुक्तों के बीच भूमि विवाद स्वीकार किया जो अभिकथित घटना का मुख्य कारण था। अभियुक्तगण 'गोतिया' थे तथा छुट्टु राम महतो उसका 'चाचा ससुर' था। विद्वान विचारण न्यायालय इस मत पर आया कि घर जिसे जला दिया गया था का हिस्सा विवादित है। इस गवाह के अनुसार वह घर में अकेली थी। अ॰ सा॰ 3 रंजीत महतो सहग्रामीण है और घटना तथा घटना स्थल पर पाँच अभियुक्तों को देखने का दावा करता है। इस गवाह ने भी कथन किया है कि सूचक घर में उपस्थित नहीं था। अपने मुख्य परीक्षण में उसने कथन किया कि अभियुक्तगण सूचक को धमकी दे रहे थे। उसने यह कथन भी किया था कि सूचक घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था बल्कि उसकी पत्नी मौजूद थी। अतः उसने विरोधाभासी बयान दिया। अ॰ सा॰ 4 डोमा महतो जो भी उसी गाँव का निवासी है ने यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण में घटना देखने के बारे में कथन किया था किंतु वह किरासन तेल छिड़कने तथा घर में आग लगाने में अभियुक्तों की भूमिका स्पष्ट रूप से बताने में विफल

रहा। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन के अन्य गवाहों के साक्ष्य के बीच विरोधाभास पाया। अ॰ सा॰ 5 देव नारायण लायक जो भी उसी गाँव का निवासी है ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि सूचक घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था बल्कि उसकी पत्नी मौजूद थी। उक्त गवाह ने अभियुक्त मझिला महतो के नाम के अलावा अभियुक्तों तथा अभिकथित घटना में उनकी भूमिका के बारे में कुछ भी कथित नहीं किया है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने अभियोजन मामला के समर्थन में कुछ नहीं कहा था। विद्वान विचारण न्यायालय के पास चश्मदीद गवाह के रूप में उसके परिसाक्ष्य पर संदेह करने का कारण था और उसे अनुश्रुत गवाह के रूप में माना गया था। अ॰ सा॰ 6 रविन्द्र मोदक औपचारिक गवाह है जिसने अभिकथित घटना के बारे में कोई चीज प्रकट नहीं किया था।

6. अ॰ सा॰ 1 जिसे चश्मदीद गवाह नहीं पाया गया था के बयान की विश्वसनीयता में कमी और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभासों की दृष्टि में, विद्वान विचारण न्यायालय ने मत निर्मित किया कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है।

7. वस्तुत: संपूर्ण अभियोजन मामला सूचक द्वारा प्राथमिकी में स्थापित मामला के इर्दगिर्द बुना गया था कि दुर्भाग्यपूर्ण तिथि पर अपराह्न 7.30 बजे स्थानीय हाट से लौटने पर उसने अपने घर को जलाया जाना देखा। यह मामला विचारण के क्रम के दौरान पूरी तरह भंजित किया गया था चूँकि स्वयं उसकी पत्नी अ॰ सा॰ 2 तथा अन्य गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया है कि वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। अत: अभियोजन मामला अंतर्निहित विरोधाभासों से पीड़ित प्रतीत होता है जो अभियुक्तों की दोषमुक्ति की ओर ले जाता है।

8. अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य पर विचार करने पर, हम पुनरीक्षण में दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता अथवा विकृति नहीं पाते हैं। तद्नुसार, वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg ,o jkt'k dekj] U;k;efrx.k

बैजनाथ मंडल

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 212 of 2016. Decided on 11th January, 2018.

विद्यालय विधि—सेवा समाप्ति—उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में पारा शिक्षक के रूप में संविदा का रद्दकरण—पदधारी को न केवल शिक्षक प्रशिक्षण अर्हता रखने की आवश्यकता है बल्कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में भी अर्हित होने की आवश्यकता है—जिला शिक्षा अधीक्षक ने प्रखंड स्तर शिक्षा कमिटी की अनुशंसा पर इसी आधार पर याची की संविदा रद्द कर दिया कि अपीलार्थी नवनियुक्त पारा शिक्षक को प्रश्नगत विद्यालय में पद ग्रहण करने की अनुमति देने में विफल रहा—अपीलार्थी उस प्रभाव के अनुदेश के बावजूद प्राइवेट प्रत्यर्थी को पदग्रहण करने की अनुमति देने में विफल रहा था—अब तक लगभग 10 वर्षों के अंतराल के दौरान न केवल उन दो पदों को भरा गया है बल्कि प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति के लिए NCTE मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में नयी नियमावली विरचित की गयी है—एल॰ पी॰ ए॰ खारिज। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Ashok Kr. Sinha, For the Appellant; Mr. Kaustav Roy, For the Resp.-State; M/s Rajiva Sharma, M.K. Mehta, For the Resp No.10.

आदेश

आई॰ ए॰ सं॰ 2539 वर्ष 2016

आई॰ ए॰ सं॰ 2539 वर्ष 2016 के माध्यम से अपील का वर्तमान मेमो दाखिल करने में 35 दिनों के विलंब की माफी के लिए आवेदन पर अपीलार्थी के अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान याचिका में कथित कारणों पर विचार करने पर तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर अपील मेमो दाखिल करने में विलंब तद्नुसार अनुज्ञात किया जाता है। आई॰ ए॰ सं॰ 2539 वर्ष 2016 निपटायी जाती है।

एल॰ पी॰ ए॰ 212 वर्ष 2016

3. अपील के मुख्य मेमो पर पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

4. अपीलार्थी WP (S) सं॰ 1473 वर्ष 2008 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 29.1.2016 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा रिट याचिका निपटायी गयी है। संक्षिप्त रूप से कथित, अपीलार्थी शिक्षा–सह–प्रोग्राम ऑफिसर, झारखंड शिक्षा परियोजना, साहेबगंज के जिला अधीक्षक द्वारा जारी मेमो सं॰ 526 वाले दिनांक 5.6.2007 के कार्यालय आदेश के तहत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, राजमहल सइद बाजार में पारा शिक्षक के रूप में अपनी संविदा के रद्दकरण से व्यथित होकर रिट न्यायालय के पास आया था।

5. याची/अपीलार्थी के मामले के मुताबिक उसे 2.6.2003 को प्रश्नगत विद्यालय में पारा शिक्षक के रूप में काम पर लगाया गया था और वह प्राधिकारियों की संतुष्टि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहा। प्राईवेट प्रत्यर्थी को 4.1.2006 को सहायक पारा शिक्षक के पद के लिए गाँव में की गयी आम सभा द्वारा चयनित किया गया था। चूँकि अपीलार्थी दिनांक 19.3.2007 के पत्र में यथा अंतर्विष्ट प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के अनुदेश का पालन करने में विफल रहा, प्रत्यर्थी जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज याची की संविदा रद्द करने के लिए अग्रसर हुए।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों के मामला तथा प्रतिशपथपत्र के माध्यम से लाए गए प्रत्यर्थी के दृष्टिकोण पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर आया कि याची की संविदा का रद्दकरण प्रखंड शिक्षा अधिकारी–सह–अध्यक्ष प्रखंड स्तर शिक्षा कमिटी राजमहल की अनुशंसा पर किया गया था। कि प्रत्यर्थी ने अभिलेख पर यह भी लाया था कि उक्त विद्यालय में दो पदों को बाद में भरे जाने के कारण उक्त विद्यालय में शिक्षक का पद रिक्त नहीं था। उक्त संविदा के रद्करण के बाद 9 वर्ष बीत गए हैं। रिट याचिका प्रत्यर्थी को इस निर्देश के साथ निपटायी गयी थी कि यदि भविष्य में चयन किया जाता है और याची विचार के क्षेत्र में आता है, पारा शिक्षक के रूप में उसके पूर्व अनुभव की दृष्टि में उसके मामले पर विचार किया जा सकता है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रद्करण का आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरोध में और विधि की दृष्टि में समुचित कार्यवाही के बिना था। इसके अतिरिक्त, ग्राम शिक्षा कमिटी के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की गयी थी जिसे भी नवचयनित पारा शिक्षक/वर्तमान प्राइवेट प्रत्यर्थी का पदग्रहण सुनिश्चित करने का अनुदेश दिया गया था। किसी समुचित जाँच द्वारा अपीलार्थी को दोष

स्थापित नहीं किया गया था। अत: अपीलार्थी अपना बचाव करने के किसी अवसर के बिना विधि की दृष्टि में पीड़ित हुआ है।

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री का परिशीलन किया है। स्वयं अपील मेमो में अभिवचनों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि रद्दकरण का आदेश जारी करने के पहले अपीलार्थी एवं ग्राम शिक्षा कमिटी दोनों ने प्राइवेट प्रत्यर्थी के गैर-पदग्रहण के संबंध में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से अनुदेश प्राप्त किया था। अपीलार्थी ने अपील मेमों के परिशिष्ट 7 के तहत इसका प्रत्युत्तर भी दिया था। जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज प्रखंड स्तर शिक्षा कमिटी की अनुशंसा पर इसी आधार पर याची की संविदा रद् करने की ओर अग्रसर हुए कि अपीलार्थी प्रश्नगत विद्यालय में नवनियुक्त सहायक पैरा शिक्षक को पदग्रहण करने की अनुमति देने में विफल रहा था। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, राजमहल द्वारा जारी दिनांक 16.10.2006 की संसूचना, अपील मेमो का परिशिष्ट 3, दर्शाता है कि अपीलार्थी उस प्रभाव के अनुदेश के बावजूद प्राइवेट प्रत्यर्थी को पदग्रहण करने की अनुमति देने में विफल रहा था। यह भी देखा जा सकता है कि अब तक लगभग 10 वर्षों के अंतराल के दौरान न केवल ये दो पद भरे गए हैं बल्कि प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति के लिए NCTE दिशा निर्देशों के आलोक में नयी नियमावली भी विरचित की गयी है। पदधारी को न केवल शिक्षक प्रशिक्षण अर्हता रखने बल्कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा। (TET) में अर्हित होने की भी आवश्यकता है।

9. की गयी चर्चा की पृष्ठभूमि में एवं उक्त कथित कारणों से हम आक्षेपित आदेश में गलती नहीं पाते हैं जो अपील में हस्तक्षेप आवश्यक बनाए। तद्नुसार, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pæ'k[kj] U;k;efr

मेसर्स हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 7286 of 2017. Decided on 12th January, 2018.

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971—धारा 12—न्यायालय का अवमान—न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अननुपालन—समस्त कीमत पर न्यायिक आदेशों का अनुपालन बाध्यकारी है—इसका प्रभाव चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, यह न्यायिक आदेशों के अननुपालन का उत्तर नहीं है—न्यायिक आदेशों का परिवंचन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है—न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा विधि के शासन की जड़ पर प्रहार करती है जिस पर न्यायिक प्रणाली आधारित है—सचिव, उद्योग विभाग, खान एवं भूगर्भशास्त्र एवं सहायक खनन अधिकारी, लोहरदग्गा के विरूद्ध स्व-प्रेरित अवमान मामला आरंभ किया जाए। (पैराएँ 4 एवं 8)

निर्णयज विधि.—(2014) 8 SCC 470—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s A.K. Ganguly, Indrajit Sinha, Ashish Prasad, Mukta Dutta, Vijay Kant Dubey, For the Petitioner; M/s Ajit Kumar, H.K. Mehta, Atanu Banerjee, Chanchal Jain, Aprajita Bhardwaj, For the Resp.-State.

आदेश

आई॰ ए॰ सं॰ 231 वर्ष 2018

एक विचित्र आवेदन दाखिल किया गया है। WP(C) No. 7286 वर्ष 2017 में पारित दिनांक 4.1.2018 के आदेश के निबंधनानुसार अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने से छूट इप्सित करते हुए प्रत्यर्थियों ने यह आवेदन दाखिल किया है।

2. विद्वान महाधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उच्च न्यायालय नियमावली के अधीन इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल करने की परिसीमा तीस दिन है और दिनांक 4.1.2018 के आदेश के स्थगन के लिए आवेदन के साथ एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 10 वर्ष 2018 के तहत अपील झारखंड राज्य द्वारा 6.1.2018 को ही दाखिल की गयी थी और यही कारण है कि यह आवेदन अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने से छूट इप्सित करते हुए दाखिल किया गया है जैसा इस न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता श्री चंचल जैन कथन करते हैं कि स्टांप रिपोर्टर द्वारा उक्त अपील ज्ञापन में दो त्रुटियाँ अधिसूचित की गयी थी जिन्हें 11.1.2018 को दूर कर दिया गया है।

4. रिट याची हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ गांगुली IA No. 231 वर्ष 2018 के तहत छूट के लिए आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन करते हैं कि यह आवेदन पोषणीय नहीं है, क्योंकि दिनांक 4.1.2018 के आदेश के तहत सचिव, उद्योग, खान एवं भूगर्भशास्त्र विभाग को उनकी निजी हैसियत में निर्देश जारी किया गया था, किंतु, वर्तमान आवेदन सहायक खान अधिकारी, लोहरदग्गा (वर्तमान में जिला खनन अधिकारी का पद धारण करने वाले) द्वारा शपथ पर दिया गया है।

5. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रति अपनी शर्तहीन समर्पण शपथ पर करते हुए प्रत्यर्थियों की ओर से दाखिल आवेदन में उसी साँस में प्रत्यर्थियों ने अभिवचन किया है कि अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं किया जाना अनाशयपूर्ण है। इस आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र उपदर्शित नहीं करता है कि इस आवेदन में दिया गया कौन सा बयान उस व्यक्ति की जानकारी में सत्य है जिसने शपथ पर शपथ पत्र दिया है और वे कौन से पैराग्राफ हैं जो उसकी सूचना में सत्य हैं जिन्हें अभिलेख से प्राप्त किया गया है। WP(C) No. 7286 वर्ष 2017 में दिनांक 4.1.2018 के आदेश द्वारा सचिव, उद्योग, खान एवं भूगर्भशास्त्र विभाग, झारखंड सरकार, राँची प्रत्यर्थी सं॰ 2 को जिला खनन अधिकारी, लोहरदग्गा, जिन्हें याची कंपनी को तुरंत ट्रांजिट चालान जारी करने तथा 8.1.2018 तक इसका अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, को जारी निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। आई॰ ए॰ सं॰ 231 वर्ष 2018 में दाखिल शपथपत्र के पैराग्राफ सं॰ 2 एवं 3 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"2. eu bl vrorh vkonu dh fo"k;oLr rFkk bld 'kiFki= dk ifj'khyu fd;k gA*
>
> *3. fd ijkxkQ------ e fn, x, c;ku ejh tkudkjh e lR; g vkj ijkxkQ------- e fn, x, c;ku vfHky[k l fudkyh x;h ejh lpuk e lR; g vkj 'k"k bl ekuuh; U;k;ky; d le{k fuonu d :i e gA***

6. मात्र यह कथन करके कि WP(C) No. 7286 वर्ष 2017 में पारित दिनांक 4.1.2018 के आदेश को 6.1.2018 को लेटर्स पेटेंट अपील दाखिल करके चुनौती दी गयी है और इसलिए अनुपालन रिपोर्ट ''दाखिल नहीं किया जा सका था'', अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने से छूट इप्सित करते हुए IA

No. 231 वर्ष 2018 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। स्पष्टतः, ऐसे अभिवचन पर यह आवेदन ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

7. गुणागुणरहित ऐसे अक्षम शपथपत्र की दाखिली पर कोई मत अभिव्यक्त किए बिना IA सं॰ 231 वर्ष 2018 खारिज किया जाता है।

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 372 वर्ष 2018</u>

यह आवेदन WP(C) सं॰ 7286 वर्ष 2017 में पारित दिनांक 4.1.2018 के आदेश का अनुपालन करने के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है, विशेषतः उनको ट्रांजिट चालान जारी करने तथा न्यायालय अवमान अधिनियम के अधीन कार्यवाही आरंभ होने का निर्देश देने के लिए।

2. विद्वान महाधिवक्ता के सहायक अधिवक्ता उत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय इप्सित करते हैं।

3. प्रार्थनाओं के प्रति प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए; दिनांक 4.1.2018 के आदेश का अनुपालन करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश के लिए तथा याची कंपनी को ट्रांजिट चालान जारी करने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। इस आवेदन को 2.2.2018 को सूचीबद्ध करें।

4. ''सुब्रत रॉय सहारा बनाम भारत संघ'', (2014) 8 SCC 470, में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> ^^185.2. U;k;ky; d vkn'kk dh voKk fofèk d 'kklu dh tM ij çgkj djrh g ftl ij U;kf;d ç.kkyh vkèkkfjr gA leLr dher ij U;kf;d vkn'k dk vuikyu fd;k tkuk ckè;dkjh gA çHkko fdruk Hkh xHkhj D;k u gk] ;g U;kf;d vkn'k d vuikyu dk mÙkj ugh gA U;kf;d vkn'kk dh ifjopuk dju dh vuefr ugh nh tk ldrh gA voeku vfèkdkfjrk d ç;kx e U;k;ky; dk U;kf;d vkn'kk dk vuikyu çofrr dju dh 'kfDr vkj voeku d fy, nfMr dju dh 'kfDr Hkh gA**

5. सहायक खनन अधिकारी, लोहरदग्गा न्यायालय में उपस्थित हैं।

6. न्यायालय के प्रश्न पर कि क्या उन्होंने दिनांक 4.1.2018 के आदेश के संबंध में किसी उच्चतर अधिकारी से कोई लिखित संसूचना प्राप्त किया है, वह कहते हैं कि उन्होंने मामले में किसी उच्चतर प्राधिकारी से कोई अनुदेश/निर्देश प्राप्त नहीं किया है।

7. न्यायालय के निर्देश पर विद्वान महाधिवक्ता के सहायक अधिवक्ता द्वारा विरोधी पक्षकारों के नाम की आपूर्ति की गयी है जो निम्नलिखित हैं:–

(1) luhy dekj cucky] m|kx] [kku ,o HkxHk 'kkL= foHkkxA

(2) fujtu çlkn] lgk;d [kuu vfèkdkjh] ykgjnXxkA

8. उक्त तथ्यों एवं IANo. 372 वर्ष 2018 में किए गए अभिकथनों की दृष्टि में, रजिस्ट्री को श्री सुनील कुमार बर्नवाल सचिव, उद्योग, खान एवं भूगर्भशास्त्र विभाग और श्री निरंजन प्रसाद, सहायक खनन अधिकारी के विरूद्ध स्वप्रेरित अवमान मामला संस्थित करने का निर्देश दिया जाता है जिसे 19.1.2018 को आरंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अवमान मामलों की सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित है। किंतु, यहाँ यह उपदर्शित किया जाता है कि इस चरण पर न्यायालय ने न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अधीन प्रस्तावित अवमानकर्ताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। और उन्हें इस चरण पर अपना कारण बताओ उत्तर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। रिट याची के विद्वान अधिवक्ता उस दिन पर न्यायालय की सहायता कर सकते हैं।

ekuuh; ,p lhi feJk ,o vkun lu] U;k;efrx.k

मटल मुर्मू एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. App. (D.B.) No. 1200 of 2007. Decided on 9th November, 2017.

एस॰ सी॰ सं॰ 26 वर्ष 2005/एस॰ टी॰ सं॰ 18 वर्ष 2005 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 9 फरवरी, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 307 एवं 302—डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999—धारा 4—हत्या—जादू टोना का संदेह—आजीवन कारावास—शरीर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर बारबार प्रहार किया गया था—भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307/34 के अधीन समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध बनता है जिसके लिए उनको दस वर्षों का कठोर कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 2000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया था—अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया गया और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया—भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 15 से 18)

अधिवक्तागण.—M/s Rajeev Sharma, Manoj Kumar, For The Appellants; Mr. Ram Prakash Singh, For The State

न्यायालय द्वारा.—अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ सुने गए।

2. अपीलार्थीगण जो अभिरक्षा में हैं, एस॰ सी॰ सं॰ 26 वर्ष 2005/एस॰ टी॰ सं॰ 18 वर्ष 2005 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 9.2.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश से व्यथित हैं जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 307 के अधीन और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई करने पर अपीलाथियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 5000/- रुपया जुर्माना का भुगतान करने, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए प्रत्येक को 2000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराध के लिए छह माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

3. अभियोजन मामला 17.12.2004 को अपराह्न लगभग 11 बजे ग्राम सियाल पहाड़ी में दर्ज सूचक जानकी गृही के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था, जिसमें उसने कथन किया है कि 16.12.2004 को अपराह्न 4 बजे उसकी माता बुधनी ग्रिहिन आंगन में लकड़ी तोड़ रही थी जहाँ अभियुक्तगण मटल मुर्मु, रविया ग्रिही, देवी ग्रिही एवं सिगना ग्रिही कुल्हाड़ी एवं चाकू से लैस होकर आए और उसकी माता पर प्रहार करने लगे। उसने कथन किया है कि मटल मुर्मु कुल्हाड़ी से उसकी माता को काटने लगा और रबिया ग्रिही जो चाकू से लैस था, उसकी माता पर चाकू से वार करने लगा। उसने आगे कथन किया है कि देबू ग्रिही ने उसकी माता पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया जिस कारण घटना स्थल पर उसकी माता की मृत्यु हो गयी। अभियुक्त मटल मुर्मु ने सूचक जानकी ग्रिही पर प्रहार करने के लिए

उसका भी पीछा किया किंतु सूचक भाग गया। सूचक का भाई देवा ग्रिही अपनी माता को देखने आ रहा था और जब वह मटल मुर्मु के घर के निकट पहुँचा, मटल मुर्मू, रबिया ग्रिही, देबू ग्रिही तथा सिगना ग्रिही द्वारा उसको पकड़ा गया था। देबू ग्रिही तथा मटल मुर्मू ने उसके भाई पर कुल्हाड़ी एवं चाकू से प्रहार किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। घटना के कारण के प्रति, यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्तगण उसकी माता को डायन बता रहे थे और इसके लिए उन्होंने उसकी माता की हत्या की और सूचक के भाई पर प्रहार किया। सूचक के फर्दबयान के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 324, 307, 302/ 34 के अधीन अपराधों के लिए अमरापाडा पी॰ एस॰ केस सं॰ 40 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ सं॰ 482 वर्ष 2004 के तत्सम, संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण पूरा करने पर, पुलिस ने इस मामले में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद, अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 तथा 307/34 के अधीन और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए थे और समस्त अभियुक्तों के निर्दोशिता का अभिवचन करने पर तथा विचारण किए जाने का दावा करने पर उनका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन ने 11 गवाहों का परीक्षण किया, जिनसे अ॰ सा॰ 8 बलेया टुडु पक्षद्रोही हो गया है और अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 9 गंगू गिरी एवं अ॰ सा॰ 10 छोटा देवा ग्रिही को केवल अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया है।

5. अ॰ सा॰ 2 जानकी ग्रिही मामले का सूचक है। इस गवाह ने कथन किया है कि घटना की तिथि पर उसकी माता आंगन में लकड़ियां तोड़ रही थी जब कुल्हाड़ी से लैस होकर मटल मुर्मु, रबिया ग्रिही, देबू ग्रिही एवं सिगना ग्रिही उसके घर में घुसे और यह अभिकथित करते हुए कि उसकी माता डायन थी, उन्होंने उसकी माता पर प्रहार किया और उसकी हत्या कर दिया। मटल मुर्मु ने उसपर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, रबिया ग्रिही ने उसपर चाकू से प्रहार किया, देबू ग्रिही ने उसपर कुल्हाड़ी से प्रहार किया और सिगना ग्रिही ने उसको पकड़ रखा था। जब इस गवाह ने आपत्ति किया, उसपर मटल मुर्मु द्वारा उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया था। जब उसका भाई अपनी माता को देखने आ रहा था, अभियुक्तों ने उसको पकड़ा और उसपर भी प्रहार किया। उसके भाई पर रबिया ग्रिही द्वारा चाकू से प्रहार किया गया था और सिगना ग्रिही ने उसे जमीन पर पटक दिया था और देबू उसका गला घोंट रहा था। उसने कथन किया है कि वह पुलिस थाना गया और सूचना दिया जिसे दर्ज किया गया था और उसे पढ़कर सुनाया गया था जिसपर उसने अंगूठा का निशान लगाया। उसने न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना है। प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने पुनः कथन किया है कि उसका बयान पुलिस थाना में दर्ज किया गया था। उसने कथन किया कि वह जंगल में खेती कर रहा था और घटना की तिथि पर वह खेती करने जंगल गया था और अपराह्न लगभग 4 बजे लौटा था। उसने यह कथन भी किया है कि डॉक्टर द्वारा उसकी उपहतियों का इलाज किया गया था। उसने अपने प्रति परीक्षण में आगे कथन किया है कि चूँकि रात हो गयी थी, वह अगली सुबह अपने भाई देवा ग्रिही के साथ पुलिस थाना गया था। ग्रामीणों द्वारा अभियुक्तों को पकड़ा गया था। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने अभियुक्तों को इस मामले में झूठा फँसाया है।

6. अ॰ सा॰ 4 देवा ग्रिही सूचक का घायल भाई है। इस गवाह ने कथन किया है कि घटना अपराह्न लगभग 4 बजे हुई थी और यह सुनने पर कि अभियुक्तों ने उसकी माता की हत्या कर दी थी, वह अपनी माता को देखने जा रहा था जब उसे अभियुक्तों द्वारा पकड़ा गया था और रबिया ने उसपर चाकू से प्रहार किया और उसके मस्तक एवं हाथ के पिछले भाग पर उपहति कारित किया। मटल मुर्मु ने कुल्हाड़ी से

उसके मस्तक पर प्रहार किया जिसपर वह बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया था। उसने भी अभियुक्तों को पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया है कि जब अभियुक्तों ने उसपर प्रहार किया था, वह बेहोश हो गया था और अस्पताल में उसे होश आया। उसने कथन किया है कि वह और उसका भाई जंगल में खेती करते थे और इसके लिए वे प्रात: 6 बजे जंगल जाते थे और अपराह्न लगभग 6-7 बजे सूर्यास्त के बाद लौटते थे। घटना की तिथि को भी, उसका भाई (सूचक) सूर्यास्त के उपरांत लौटा था। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

7. अ॰ सा॰ 5 लिलू हंसदा ने भी घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन मामला का समर्थन यह कथन करते हुए किया है कि रबिया ग्रिही एवं मटल मुर्मु ने मृतका की हत्या की थी और दो अन्य अभियुक्तगण उनके साथ थे। उन्होंने देवा ग्रिही पर भी प्रहार किया। इस गवाह ने न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना है। उसने अपना हस्ताक्षर किया था और इसने इसे पहचाना है जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

8. अ॰ सा॰ 6 हिंदु मुर्मु एवं अ॰ सा॰ 7 सुभाष सोरेन अनुश्रुत गवाह हैं जिन्होंने केवल घटना के बारे में सुना था और कथन किया कि उन्होंने सुना कि अभियुक्तों ने मृतका पर प्रहार किया था और उन्होंने सूचक के भाई पर भी प्रहार किया था।

9. अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ प्रेम कुमार मरान्डी है जिसने देवा ग्रिही की उपहतियों का परीक्षण किया था और निम्नलिखित उपहतियाँ पाया था:–

(i) vkD lhihVy {k= e 12" yck ×½" ×½ ×" rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dk t[eA

(ii) vkD lhihVy {k= e 1½" × 1½" lrgh rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dk t[eA

(iii) likbu voLFkk e nk,] gkFk d vxckg e 1½" ×½" × 1" fonh.k t[eA

उन्होंने कथन किया है कि उपहतियाँ तेज धार वाले तथा कड़े वस्तु द्वारा कारित सरल प्रकृति की थीं। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया है।

10. अ॰ सा॰ 3 डॉ॰ बिन्दु भूषण हैं जिन्होंने 18.12.2004 को मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहति पाया था:–

(I) fonh.k t[e] 2" × 1" vfLFk rd xgjk] flj dh [kky d nk;] Hkkx ij nk,] ijkbVy vfLFk dk ÝDpjA

(II) flj dh [kky d nk,] Hkkx ij ÝVy vfLFk d ÝDpj d lkFk 1" ×½" × vfLFk rd xgjk fonh.k t[eA

(III) nk;] fiUuk d Bhd ihN flj dh [kky d nk,] Hkkx ij ½" ×½ × vfLFk rd xgjk fonh.k t[eA

[kkiMh [kkyu ij-*&cu fV'k ,o bld eEcu jDr l fonh.k Fk rFkk ijkbVy ,o ÝVy vfLFk dk nk;k Hkkx ÝDpj FkkA*

Nkrh dh nhoky [kkyu ij-*&QQM d fuLrt rFkk ldfpr Fk] ân; d lHkh pkjk idk"B [kkyh FkA*

mnj [kyu ij-*&mnj e xnh rjy lkexh vrfo"V Fkh] NkVh ,o cMh vkr e xl ,o Qhdy lkexh vrfo"V FkhA fyoj] Llyhu] nkuk fdMuh fuLrt Fk] e=k'k; [kkyh FkkA xHkk'k; uuxoh ,o ,VkQk;M FkkA*

इस गवाह ने कथन किया है कि मृत्यु का कारण भारी भोथरे हथियार द्वारा सिर की खाल पर उपहतियों के बाद गंभीर हेमरेज एवं न्यूरोजेनिक आघात था। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया। है।

11. अ॰ सा॰ 11 हरि गोविन्द दास इस मामले का जाँच अधिकारी है। इस गवाह ने कथन किया है कि 17.12.2004 को अमरापाड़ा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित था और अपराह्न 11.15 बजे चौकीदार ने उसको सूचित किया कि ग्राम सियाल पहाड़ी में एक स्त्री की हत्या की गयी थी और एक व्यक्ति घायल हुआ था। सनहा प्रविष्टि की गयी थी और वह घटना स्थल की ओर अग्रसर हुआ जहाँ जानकी ग्रिही का बयान दर्ज किया गया था। उसने अन्वेषण का प्रभार लिया तथा गवाहों का बयान दर्ज किया। उसने घटना स्थल का विवरण भी दिया है। उसने कथन किया है कि घटनास्थल पर काफी खून पाया गया था और उसने घायल को अस्पताल भेजा था। उसने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में फर्दबयान पहचाना है जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया है। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तथा अभिग्रहण सूची भी सिद्ध किया है जिसे क्रमशः प्रदर्श 5 एवं प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया था। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि चौकीदार ने उसे रात में सूचना दिया और रात में ही वह अग्रसर हुआ था। उसने अपने प्रति–परीक्षण में यह कथन भी किया है कि रक्तरंजित मिट्टी न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजी गयी थी।

12. अभियोजन का साक्ष्य बंद करने के बाद दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों का बयान दर्ज किया गया था। जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इनकार किया है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्तों को दोषी पाया गया है और उन्हें पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है।

13. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। यह निवेदन किया गया है कि सूचक वस्तुतः घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है, किंतु उसने चश्मदीद गवाह बनने का प्रयास किया है जैसा उसके भाई अ॰ सा॰ 4 देवा ग्रिही के साक्ष्य से प्रकट है जिसने कथन किया है कि वे प्रातः 6 बजे खेती करने जंगल जाते थे और शाम में लगभग 6-7 बजे लौटते थे। सूचक के भाई ने विनिर्दिष्टतः कथन किया है कि घटना की तिथि पर भी उसका भाई अर्थात सूचक सूर्यास्त के बाद वापस लौटा था। यह कथन किया गया है कि घटना अपराह्न लगभग 4 बजे हुई और इस दशा में, सूचक के पास घटना देखने का अवसर नहीं था। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यद्यपि सूचक अ॰ सा॰ 2 जानकी ग्रिही ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उसपर कुल्हाड़ी से प्रहार एवं घायल किया गया था और अस्पताल में उसका इलाज किया गया था, किंतु फर्दबयान में उसने कथन किया है कि जब अभियुक्तों ने उसपर प्रहार करने का प्रयास किया, वह भाग गया। यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि वह घटना में घायल हुआ था। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यद्यपि सूचक का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि अभियुक्तगण उसकी माता को कुल्हाड़ी से काटने लगे और उसपर चाकू से बार–बार वार करके प्रहार किया गया था, किंतु मृतका के मृत शरीर पर तेज धार वाले हथियार द्वारा

कारित उपहति नहीं पायी गयी थी और मृतका पर समस्त उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थीं, आगे यह इंगित किया गया है कि अपने साक्ष्य में सूचक (अ॰ सा॰ 2) ने कथन किया है कि वह और उसका भाई पुलिस थाना गए थे और अपने प्रति-परीक्षण में भी उसने दोहराया कि उसका बयान पुलिस थाना में दर्ज किया गया था, किंतु जाँच अधिकारी (अ॰ सा॰ 11) ने विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि घटना की सूचना चौकीदार के माध्यम से प्राप्त की गयी थी, जिसपर वे घटना स्थल पर गए थे जहाँ उसने सूचक का फर्दबयान दर्ज किया। आगे यह कथन किया गया है कि अभियोजन मामला अत्यन्त संदेहपूर्ण है और अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलर्थियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है और इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

14. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध एवं निवेदन किया है कि गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया है कि अभियुक्तों ने मृतका पर तथा सूचक के भाई अ॰ सा॰ 4 देवा ग्रिही पर भी प्रहार किया। वह आगे निवेदन करते हैं कि जहाँ तक सूचक की माता पर प्रहार का संबंध है, सूचक इसका चश्मदीद गवाह है और उसने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन मामला का पूर्ण समर्थन किया है। जहाँ तक सूचक के भाई अ॰ सा॰ 4 देवा ग्रिही पर प्रहार का संबंध है, स्वयं देवा ग्रिही ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे अभियुक्तों द्वारा पकड़ा गया था और रबिया ने उस पर चाकू से प्रहार किया तथा उसके हाथ एवं मस्तक के पिछले भाग पर उपहति कारित किया। मटल मुर्मु ने उसके मस्तक पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। विद्वान अपर पी॰ पी॰ आगे निवेदन करते हैं कि इन गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य अ॰ सा॰ 3 डॉ॰ बिन्दु भूषण के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: संपुष्ट किया गया है जिन्होंने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और प्रदर्श 2 के रूप में शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया था जबकि अ॰ सा॰ 4 देवा ग्रिही की उपहति अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ प्रेम कुमार मरान्डी द्वारा भी सिद्ध की गयी है और उपहति रिपोर्ट प्रदर्श 1 चिन्हित की गयी है। तद्नुसार, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ निवेदन करते हैं कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है और अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है।

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि अभियोजन मामला के दो भाग है; पहला भाग सूचक के घर के आंगन में मृतका की हत्या से संबंधित है। यद्यपि सूचक अ॰ सा॰ 2 जानकी ग्रिही ने घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में मामला का समर्थन यह कथन करते हुए किया है कि अभियुक्तों में मटल मुर्मु तथा देबू ग्रिही ने कुल्हाड़ी से उसकी माता पर प्रहार किया जबकि रबिया ग्रिही ने उसकी माता पर चाकू से प्रहार किया और शेष अभियुक्तों ने मृतका को पकड़ रखा था और अपने फर्दबयान में उसने कथन किया है कि उसकी माता को कुल्हाड़ी से काटा गया था और उसकी माता पर बार-बार चाकू से वार किया गया था किंतु तथ्य बना रहता है कि मृतका के मृत शरीर पर तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित उपहति नहीं पायी गयी थी जैसा अ॰ सा॰ 3 डॉ॰ बिन्दु भूषण जिन्होंने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया के साक्ष्य से स्पष्ट है। अ॰ सा॰ 2 जानकी ग्रिही ने कथन किया है कि उस पर भी घटना में कुल्हाड़ी से प्रहार एवं घायल किया गया था और इसके लिए उसका इलाज किया गया था, किंतु अभियोजन द्वारा इस गवाह पर उपहति सिद्ध नहीं की गयी है। उसने यह कथन भी किया है कि वह अपने भाई के साथ पुलिस थाना गया और पुलिस को

सूचना दिया और पुलिस थाना में उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि जाँच अधिकारी अ॰ सा॰ 11 हरि गोविन्द दास ने कथन किया कि घटना के बारे में सूचना चौकीदार द्वारा और न कि सूचक द्वारा दी गयी थी और पुलिस घटना स्थल पर गयी जहाँ सूचक का बयान दर्ज किया गया था और यह तथ्य प्रदर्श 4 के रूप में सिद्ध फर्दबयान द्वारा भी समर्थित है जो दर्शाता है कि इसे पुलिस थाना में दर्ज नहीं किया गया था बल्कि इसे घटना स्थल पर दर्ज किया गया था। सूचक के भाई॰ अ॰ सा॰ 4 देवा ग्रिही ने कथन किया है कि घटना की तिथि पर भी सूचक सूर्यास्त के बाद जंगल से वापस लौटा था जबकि घटना अपराह्न 4 बजे हुई थी और यह तथ्य भी घटना स्थल पर सूचक की उपस्थिति अत्यन्त संदेहपूर्ण बनाता है। इस दशा में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि मृतका पर प्रहार के बिन्दु पर अभियोजन साक्ष्य संदेहपूर्ण है और समस्त अभियुक्तगण संदेह के लाभ के हकदार हैं।

16. जहाँ तक घटना के अन्य भाग का संबंध है, यह अ॰ सा॰ 4 देवा ग्रिही पर प्रहार से संबंधित है जब वह घटना के बारे में सुनने के बाद अपनी माता को देखने जा रहा था। उसने कथन किया है कि उसे समस्त अभियुक्तों द्वारा पकड़ा गया था और उस पर तेज धारवाले हथियार से प्रहार किया था। उसकी उपहतियाँ अभियोजन एवं अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ प्रेम कुमार मरान्डी जिन्होंने घायल का परीक्षण किया और देवा ग्रिही पर तेज धार वाले हथियार तथा कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित तीन उपहति पाया। यद्यपि अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ प्रेम कुमार मरान्डी ने कथन किया है कि समस्त उपहतियाँ सामान्य प्रकृति की थी, किंतु उपहति दर्शाती है कि वे आक्सीपीटल क्षेत्र पर, अग्रबाहु पर, मस्तक पर थी जो प्रहार के बिन्दु पर अ॰ सा॰ 4 देवा ग्रिही के साक्ष्य को पूर्णत: संपुष्ट करता है। चूँकि ऑक्सीपीटल क्षेत्र पर तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित दो उपहतियाँ थीं जो दर्शाता है कि शरीर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर बार–बार वार किया गया था, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307/34 के अधीन समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध बनता है जिसके लिए उन सबों को 10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 2000/- रुपयों का जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है। हम अभिलेख से पाते हैं कि समस्त अभियुक्तगण जुर्माना के भुगतान में व्यतिक्रम के लिए अवधि सहित उक्त दंडादेश पहले ही भुगत चुके हैं।

17. इस प्रकार, पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, एस॰ सी॰ सं॰ 26 वर्ष 2005/एस॰ टी॰ सं॰ 18 वर्ष 2005 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 9.2.2007 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है जहाँ तक भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का संबंध है। समस्त अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जाता है और उन्हें इन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। जहाँ तक भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, हम इसमें कोई अवैधता नहीं पाते हैं और उक्त अपराध के लिए दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद्द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है। समस्त चारों अभियुक्तगण अभिरक्षा में हैं और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन उनको अधिनिर्णीत दंडादेश भुगत लिया है, उन्हें तुरन्त निर्मुक्त एवं स्वतंत्र करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामला में उनका निरोध आवश्यक नहीं है।

18. परिणामस्वरूप, यह अपील अंशत: अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख संबंधित न्यायालय को तुरन्त वापस भेजे जाएँ।

ekuuh; Jh pæ'k[kj ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

जीतन मरांडी

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 271 of 2015. Decided on 2nd December, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 462 वर्ष 2005 में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश V, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 1.4.2015 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 313—अभियुक्त का परीक्षण—यह नैसर्गिक न्याय की आवश्यकता है—दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण औपचारिकता मात्र नहीं है—दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के परीक्षण का प्रयोजन अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध सामने आने वाले अपराध में फँसाने वाली समस्त परिस्थितियों को उसके समक्ष रखना है—ऐसे मामले में जहाँ महत्वपूर्ण एवं अपराध में फँसाने वाली तात्विक परिस्थितियाँ अभियुक्त के समक्ष नहीं रखी जाती हैं, अभियुक्त गंभीर प्रतिकूलता से पीड़ित होगा। (पैरा 16)

(ख) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302, 376 एवं 201—हत्या, बलात्कार एवं साक्ष्य गायब करना—आजीवन कारावास—शव परीक्षण रिपोर्ट के सिवाए अभियोजन कोई तात्विक दस्तावेज प्रदर्शित करने में विफल रहा है—फर्दबयान या प्राथमिकी या मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अभियोजन द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत एवं सिद्ध नहीं किए गए थे—अभियोजन अपीलार्थी के विरूद्ध बलात्कार का आरोप सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा—अभियोजन गवाहों द्वारा किया गया संदेह मात्र दोषसिद्धि का आधार निर्मित नहीं कर सकता है—न्यायालय की विधिक संतुष्टि और न कि न्यायाधीश की नैतिक अथवा निजी संतुष्टि को उनके समक्ष प्रस्तुत मामला विनिश्चित करना होगा—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया।(पैराएँ 8, 9, 15 से 18)

निर्णयज विधि.—(2002) 1 SCC 655; (2014) 5 SCC 108; (1994) 4 SCC 602; (1991) 1 SCC 212; 1957 (2) QB 55; (1973) 2 SCC 793; (1984) 4 SCC 116—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Shree Nivas Roy, For the Appellant; Mr. Arun Kumar Pandey, For the State.

श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति.—सत्र विचारण सं॰ 462 वर्ष 2005 में पारित दिनांक 1.4.2015 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दोनों से व्यथित होकर अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन वर्तमान दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 271 वर्ष 2015 दाखिल किया है।

2. फर्दबयान में प्रकट अभियोजन मामला यह है कि सुकरा मरान्डी मृतका बुधनी देवी का पिता है। उसने बेंगाबाद पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष कथन किया है कि 16.4.2005 को उसकी पुत्री लकड़ी लेने जंगल गयी थी जब वह घर वापस नहीं आयी थी। सूचक ग्रामीणों के साथ जंगल में अपनी पुत्री को तलाश करने गया जब उसने बिष्णु सोरेन, उसके पुत्र अर्जुन मरान्डी तथा चूरकी देवी को

अपनी पुत्री बुधनी देवी का मृत शरीर लाते देखा। पूछने पर उन्होंने उसको बताया कि समोली देवी ने उनको सूचित किया है कि अभियुक्त जीतन मरान्डी ने बुधनी देवी का शील भंग किया था और जब उसने समोली देवी से इसकी शिकायत की, जीतन मरान्डी ने साड़ी से उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी।

3. सुकरा मरान्डी के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी बेंगाबाद पी॰ एस॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2005 अपीलार्थी जीतन मरान्डी के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 376, 302 एवं 201 के अधीन 17.4.2005 को दर्ज किया गया था। अन्वेषण के बाद अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था और न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 376, 302 एवं 201 के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया। पूर्वोक्त अपराधों के लिए दिनांक 13.2.2006 के आदेश के तहत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए थे जिसके प्रति अभियुक्त ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

4. विचारण के दौरान, अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण किया, किंतु, सूचक सुकरा मरान्डी एवं अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया था। अ॰ सा॰ 3 समोली देवी को चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। समोली देवी के साक्ष्य जिसे अभिकथित रूप से चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है पर विश्वास करते हुए विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला पूरी तरह सिद्ध करने में सफल हुआ है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने बलात्कार एवं हत्या के बिंदु पर अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 4, अ॰ सा॰ 5 तथा अ॰ सा॰ 6 के साक्ष्य से संपुष्टि पाया है। अपीलार्थी जीतन मरान्डी को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 376, 302 एवं 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए 5000/- रुपया के जुर्माना के साथ आजीवन कठोर कारावास भुगतने और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए 5000/- रुपया के जुर्माना के साथ दस वर्षों का कठोर कारावास भुगतने तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए 5000/- रुपया के जुर्माना के साथ तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलना है।

5. हमने अभिलेख पर मौजूद सामग्री का सावधानीपूर्वक संवीक्षण किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री निवास रॉय तथा विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री अरूण कुमार पांडे को सुनने पर हम यह संप्रेक्षित करने के लिए मजबूर हैं कि न केवल न्यायालय बल्कि लोक अभियोजक तथा अन्वेषण अधिकारी अपने सांविधिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। **शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2002)1 SCC 655,** में सर्वोच्च न्यायालय ने इंगित किया है कि विचारण के समय पर अन्वेषण अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है। विचारण के दौरान उनके परीक्षण के लिए गवाहों को उपस्थित करवाना उसका कर्तव्य है। गवाहों को प्रस्तुत करने में अन्वेषण अधिकारी की ओर से विफलता पर विचारण के दौरान गवाहों की उपस्थिति मजबूर करने के लिए अन्वेषण अधिकारी को समन जारी करना न्यायालय का कर्तव्य है। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री अरूण कुमार पांडे निवेदन करते हैं कि सूचक एवं अन्वेषण अधिकारी के परीक्षण के लिए कदम उठाये गए थे, किंतु, तथ्य बना रहता है कि विचारण के दौरान इन गवाहों का परीक्षण नहीं किया गया था।

6. अनेक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को गलती कर रहे अन्वेषण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने का निर्देश जारी किया है। उल्लेखनीय निर्णयों में से एक **गुजरात राज्य बनाम किशन भाई एवं अन्य, (2014)5 SCC 108** हैं।

7. दांडिक विचारण में लोक अभियोजक की भूमिका पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है जिस पर **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1994)4 SCC 602,** तथा **श्रीलेखा विद्यार्थी (कुमारी) बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, (1991) 1 SCC 212,** में पहले ही जोर दिया जा चुका है।

8. सत्र विचारण सं॰ 462 वर्ष 2005 का अभिलेख प्रकट करता है कि शव परीक्षण रिपोर्ट के सिवाए अभियोजन किसी तात्विक दस्तावेज को प्रदर्शित करने में विफल रहा है। फर्दबयान, प्राथमिकी अथवा मृत्यु

समीक्षा रिपोर्ट अभियोजन द्वारा सत्र विचारण सं॰ 462 वर्ष 2005 में विचारण के दौरान प्रस्तुत एवं सिद्ध नहीं की गयी थी। अन्वेषण अधिकारी, लोक अभियोजक एवं न्यायालय ने अपनी आँखे मूंद ली तथा उन पर डाले गए सांविधिक कर्तव्य के विपरीत तरीके में कृत्य किया। **जोन्स बनाम नेशनल कोल बोर्ड, 1957(2) QB 55** में लॉड डेनिंग ने संप्रेक्षित किया है ''न्याय को अंधा दर्शाना काफी अच्छा है, किंतु वह अपनी आँखों के इर्द गिर्द बंधी पट्टी के बिना अधिक बेहतर दिखेगी। उसे कृपा अथवा प्रतिकूलता के प्रति वस्तुत: अंधा होना चाहिए, किंतु यह देखने के लिए साफ कि सत्य क्या है....''

9. पूर्वोक्त ताथ्यिक पृष्ठभूमि में, जब हम सत्र विचारण सं॰ 462 वर्ष 2005 में अपीलार्थी के विरूद्ध विरचित बलात्कार एवं हत्या के आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण करते हैं, हम पाते हैं कि अभियोजन अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है। तथाकथित चश्मदीद गवाह समोली देवी चश्मदीद गवाह नहीं है।

10. न्यायालय में अपने मुख्य परीक्षण में अ॰ सा॰ 3 समोली देवी के कथन किया है कि जब वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, मृतका बुधनी देवी ने उसको बलात्कार के बारे में सूचित किया। उसने स्वयं घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा नहीं किया है। जहाँ तक बुधनी देवी की हत्या का संबंध है, स्वीकृत रूप से वह घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है।

11. अपने प्रतिपरीक्षण में अ॰ सा॰ 3 ने स्वीकार किया है कि घटना की तिथि पर केवल मृतका बुधनी देवी तथा अपीलार्थी जीतन मरान्डी उससे मिले। उसने स्वीकार किया है कि उसने हल्ला नहीं किया था बल्कि वह घर आयी और मृतका के माता-पिता को सूचित किया। इस चरण पर, यह इंगित करने की आवश्यकता है कि सूचक ने कथन नहीं किया है कि अ॰ सा॰ 3 ने उसे घटना के बारे में सूचित किया। वस्तुत:, उसने कथन किया कि जब वह घर वापस आया, उसकी पत्नी ने उसको सूचित किया कि बुधनी देवी जो लकड़ी लाने जंगल गयी थी, घर वापस नहीं आयी है। अपने प्रतिपरीक्षण में, अ॰ सा॰ 3 ने अभिसाक्ष्य दिया कि बुधनी देवी लकड़ी काटने टांगी के साथ जंगल गयी थी और चौकीदार ने टांगी ले लिया था, किंतु उक्त चौकीदार का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि अभिकथित घटना के पहले जीतन मरान्डी ने बुधनी देवी को कभी नहीं छेड़ा था।

12. जब अ॰ सा॰ 3 के बयान की तुलना अ॰ सा॰ 2 बिशुन सोरेन के अभिसाक्ष्य के साथ की जाती है, हम इन दो गवाहों के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास पाते हैं, अ॰ सा॰ 2 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अ॰ सा॰ 3 समोली देवी ने उसको अपराह्न 12 बजे घटना के बारे में सूचित किया, जिस पर वे मृतका बुधनी देवी को खोजने लगे। घटना 16.4.2005 को अपराह्न लगभग 2.30 बजे की है और यदि यह स्वीकार किया जाता है कि अ॰ सा॰ 3 ने 17.4.2005 को अपराह्न लगभग 12 बजे घटना के बारे में सूचित किया, अभियोजन ने इस विलंब को स्पष्ट नहीं किया है। अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास अ॰ सा॰ 5 अर्जुन मरान्डी के अभिसाक्ष्य में भी परिलक्षित होते हैं जिसने कथन किया है कि उन्होंने अपराह्न 2 बजे तक मृतका बुधनी देवी की प्रतीक्षा किया और जब वे अ॰ सा॰ 3 समोली देवी से मिले, वे बुधनी देवी को खोजने लगे। वह दावा करता है कि मृत शरीर शाम में लगभग 5 बजे पाया गया था। दिलचस्प रूप में, उसने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अभिसाक्ष्य दिया है कि वे समोली देवी से जंगल में मिले (पैराग्राफ 8), इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

13. वस्तुतः किसी भी गवाह ने दावा नहीं किया है कि उन्होंने अपीलार्थी जीतन मरान्डी को बुधनी देवी का बलात्कार एवं हत्या करते देखा है।

14. शिवाजी साहब राव बोबदे एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973)2 SCC 793, में यह संप्रेक्षित किया गया है कि ''....निश्चय ही यह प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के पहले अभियुक्त को दोषी होना होगा और न कि मात्र दोषी हो सकता है और ''हो सकता है'' तथा'' होना होगा'' के बीच मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्ष से विभाजित करती है।...''

15. दांडिक विधिशास्त्र के पूर्वोक्त मूल सिद्धांत तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के अधीन न्यायालय के कर्तव्य को अनदेखा करते हुए विद्वान विचारण न्यायाधीश ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि ''आगे, मैं जीतन मरान्डी को झूठा आलिप्त करने का कारण बिलकुल नहीं पाता हूँ और गवाहों ने यह भी कहा है कि उनकी जीतन मरान्डी से दुश्मनी नहीं थी।'' इस पर, यह पुनर्स्मरण करने की आवश्यकता है कि न्यायालय की विधिक संतुष्टि और न कि न्यायाधीश की नैतिक अथवा व्यक्तिगत संतुष्टि अपने समक्ष मामला विनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने गलत रूप से निष्कर्ष दर्ज किया है कि सोमाली देवी ने बलात्कार की घटना देखा है। डॉक्टर जिन्होंने मृतका बुधनी देवी के मृत शरीर का शव परीक्षण किया ने अभिसाक्ष्य दिया है कि ''यह कहना अत्यन्त मुश्किल है कि बलात्कार किया गया है या नहीं।'' शव परीक्षण के दौरान डॉक्टर ने मृत शरीर के नाखून में मिट्टी, कीचड़ अथवा मांस नहीं पाया है। यह भी डॉक्टर द्वारा दर्ज निष्कर्ष नहीं है कि साड़ी जिससे अभिकथित रूप से मृतका का गला घोंटा गया के खिंचने का निशान था जो सामान्यतः ऐसे मामला में होना चाहिए। मृत्यु का कारण गला घोंटे जाने के कारण दम घुटना पाया गया है किंतु, शव परीक्षण रिपोर्ट मृतका के मृत शरीर पर कोई बाह्य उपहति प्रकट नहीं करती है। अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण ने निश्चय ही अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है जहाँ तक घटना स्थल, अभियोजन द्वारा सुनायी गयी मृतका की तलाश की कहानी एवं मृत शरीर की बरामदगी का संबंध है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी-अभियुक्त दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसकी सतही परीक्षा के कारण गंभीर प्रतिकूलता से पीड़ित हुआ है जिसके दौरान उससे निम्नलिखित चार गूढ़ प्रश्न पूछे गए थेः

i0- D;k vkiu lkf{k;k dk c;ku luk

i0- vkid fo:) vkjki ,o lk{; g vkiu fnukd 16.4.05 dk t:u fonk txy Fkkuk cxkckn fty fxfjMhg e cèkuh noh tk ydMh dkVu xb Fkh mld lkFk cykRdkj fd;k ok/kedh fn;k fd vxj fdlh d ikl f'kdk;r dh rk tku l ekj dj lekIr dj nxA

i0- vkid fo:) ;g Hkh vkjki ,o lk{; g fd mDr frfFk le; ok LFkku ij lk{; feVku d mí'; l erdk cèkuh dk lkMh xyk e yiV dj ekj Mkyk

i0- lQkb e D;k dguk g

16. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण औपचारिकता मात्र नहीं है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के परीक्षण का प्रयोजन अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध सामने आती अपराध में फँसाने वाली परिस्थितियों को उसके समक्ष रखना है। यह नैसर्गिक न्याय की आवश्यकता है। ऐसे मामला में जहाँ महत्वपूर्ण एवं अपराध में फँसाने वाली तात्विक परिस्थिति अभियुक्त के समक्ष नहीं रखी जाती है, अभियुक्त गंभीर प्रतिकूलता से पीड़ित होगा। **(शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 SCC 116)**

17. पूर्वोक्त ताथ्यिक पृष्ठ भूमि में और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की दृष्टि में, जब सत्र विचारण सं॰ 462 वर्ष 2005 में दिनांक 1.4.2015 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश का संवीक्षण किया जाता है, हम पाते हैं कि यह विधि में गंभीर दुर्बलता से पीड़ित है। अपीलार्थी को अभियोजन गवाहों द्वारा किए गए संदेह मात्र पर भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 376, 302 एवं 201 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है जो स्पष्टत: सत्र विचारण में अभियुक्त के दोषसिद्धि का आधार निर्मित नहीं कर सकता है।

18. तद्नुसार, सत्र विचारण सं॰ 462 वर्ष 2005 में दिनांक 1.4.2015 की अपीलार्थी की भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 376, 302 एवं 201 के अधीन दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दोनों अपास्त किया जाता है। दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 271 वर्ष 2015 अनुज्ञात की जाती है। अपीलार्थी जीतन मरान्डी यदि किसी अन्य मामला के संबंध में उसकी आवश्यकता नहीं है को तुरन्त निर्मुक्त किया जाएगा।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

शिव सहकारी गृह निर्माण समिति लि॰

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 1995 of 2015. Decided on 13th December, 2017.

झारखंड सहकारी समिति अधिनियम, 1935—धारा 48(7)—आवंटन पत्र के निबंधनानुसार प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने का निर्देश—रजिस्ट्रार, सहकारी समिति ने समस्त प्रासंगिक दस्तावेजों सहित मामले के विवरणों पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर आया है कि यद्यपि प्रत्यर्थी सं॰ 5 का दावा वास्तविक था और प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने के अनेक विभागीय निर्देश थे, याची समिति निजी अभिकथन लगाकर निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही—याची प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित नहीं करने का कोई तर्कपूर्ण कारण दर्शाने में विफल रहा है—आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.—M/s K.P. Deo, Mr. Anil Kumar Sinha, For the Petitioner; Mr. D.C. Mishra, For the Resp.-State; Mr. Mrinal Kanti Roy, For the Resp. No. 5.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, झारखंड, राँची (प्रत्यर्थी सं॰ 3) द्वारा पारित दिनांक 30.3.2013 के मेमो सं॰ 970/ राँची में अंतर्विष्ट आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा दिनांक 25.3.2012 का पत्र सं॰ SS GNS-17 अपास्त किया गया है और याची को दिनांक 5.11.1988 के आवंटन पत्र में उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों के मुताबिक विक्रय विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। याची ने दिनांक 15.1.2014 के मेमो सं॰ 160/ राँची के तत्सम दिनांक 10.1.2014 के आदेश के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है जिसके द्वारा झारखंड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (इसमें इसके बाद'' अधिनियम, 1935" के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 48(7) के अधीन याची की पुनर्विलोकन याचिका खारिज कर दिया गया है।

3. रिट याचिका में यथा कथित मामले की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 अर्थात श्री श्यामनंदन प्रसाद 5.11.1988 को याची समिति का सदस्य बन गया। याची समिति ने 28.11.1988 को ग्राम राँची, थाना राँची, थाना सं॰ 205, परगना खुखरा, नगरपालिका सर्वे 1932-33, वार्ड सं॰ III, खाता सं॰ 9, भूखंड MS 307 एवं RS 707 की लगभग 20 कठ्ठा भूमि खरीदने के लिए श्री दशरथ लाल की पत्नी श्रीमती मुंद्रिका देवी के साथ करार किया। तत्पश्चात, 25,541/- रुपयों का भुगतान पाने के बाद प्रत्यर्थी सं॰ 5 का अनंतिम रूप से भूखंड सं॰ 307/F आवंटित किया गया था। याची ने दावा किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने समय पर किश्तों का भुगतान नहीं किया था और तब याची के सचिव अर्थात ब्रजभूषण सिन्हा ने 17.1.1989 को प्रत्यर्थी सं॰ 5 को पत्र लिखा कि बार–बार अनुरोध के बावजूद प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने आवंटन पत्र के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन नहीं किया था। याची समिति ने पुनः 7.5.1990 को प्रत्यर्थी सं॰ 5 को पत्र लिखा और उससे 20.5.1990 तक शेष राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया। याची ने पूर्व आवंटन पत्र को रद्द करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 5 को दिनांक 6.9.1990 का द्वितीय आवंटन पत्र जारी किया। प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने 28.11.1991 को उसके द्वारा पहले भुगतान की गयी राशि ब्रजभूषण सिन्हा से वसूल करने के लिए किसी चंद्रमा सिंह का प्राधिकृत पत्र जारी किया। याची ने 6.5.1997 को प्रत्यर्थी सं॰ 5 को कानूनी नोटिस भी जारी किया और उसके पक्ष में प्रभावकारी रूप से विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए समस्त आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपालन करने का निर्देश दिया। याची ने 8.9.2011 का पत्र प्रत्यर्थी सं॰ 5 को जारी किया। और उससे स्पष्टीकरण मांगा जिसका उत्तर प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने 11.11.2011 को दिया, किंतु, दिनांक 25.3.2012 के पत्र के तहत याची ने समिति की उपविधि की धारा 41(A) और झारखंड सहकारी समिति नियमावली 1959 के नियम 14(2) के अधीन शक्ति के प्रयोग में उसकी सदस्यता तथा भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया। प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, झारखंड (प्रत्यर्थी सं॰ 3) के न्यायालय में अधिनियम, 1935 की धारा 48(1) के अधीन आवेदन विविध केस सं॰ 10 वर्ष 2012 के तहत दाखिल किया जिसे दिनांक 30.3.2013 के आदेश के तहत दिनांक 5.11.1988 के आवंटन पत्र के निबंधनानुसार प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने का याची को निर्देश देते हुए अनुज्ञात किया गया था। याची ने पुनर्विलोकन मामला सं॰ 14 वर्ष 2013 के तहत अधिनियम, 1935 की धारा 47 (7) के अधीन आवेदन दाखिल किया, किंतु इसे 10.1.2014 को खारिज किया गया था जिसने वर्तमान रिट याचिका की दाखिली उद्भूत किया।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने केवल आवंटन पत्र के निबंधनों तथा शर्तों का उल्लंघन किया है बल्कि समिति के सुचारू रूप से कार्य संचालन में बाधा भी डाला है जो प्रत्यर्थी सं॰ 5 के आचरण से स्पष्ट है, क्योंकि उसने भूखंड के आवंटन के लिए उसके द्वारा भुगतान की गयी राशि ब्रज भूषण सिन्हा से वसूल करने के लिए किसी चंद्रमा सिंह को प्राधिकृत करता पत्र दिया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 के उकसावा पर किसी अर्जुन प्रसाद ने याची समिति के सचिव के विरूद्ध कोतवाली पी॰ एस॰ केस सं॰ 289 वर्ष 1997 के तहत दांडिक मामला संस्थित किया था, किंतु, दिनांक 5.2.2009 के निर्णय के तहत उसे उक्त मामले में दोषमुक्त किया गया था।

5. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रजिस्ट्रार, सहकारी समिति प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने अधिनियम, 1935 के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में आक्षेपित आदेशों को पारित किया है जो पूर्णतः वैध तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 को 25,511/- रुपया जमा करने के बाद दो कठ्ठा 8 छटाँक माप वाले क्षेत्र खाता सं॰ 9 खेसरा सं॰

19, 117, 139 के अधीन भूखंड सं॰ एम॰ एस॰ सं॰ 307, उप–भूखंड सं॰ 307/F आर॰ एस॰ 707 के तत्सम के अधीन भूखंड आवंटित किया गया था और तत्पश्चात 28.11.1988 को भूमि खरीदने के लिए श्रीमती मुंद्रिका देवी के साथ याची समिति द्वारा करार निष्पादित किया गया था। मामले का अभिलेख प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने आवंटन के अनुसरण में 46,511/- रुपयों का भुगतान किया किंतु उसके पक्ष में विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। याची द्वारा पूर्व आवंटन पत्र रद्द किया गया था और भूखंड सं॰ 707A आवंटित करते हुए पत्र सं॰ GNS/PF/2 दिनांक 7.4.1993 के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 5 को दिनांक 6.9.1990 का नया आवंटन पत्र जारी किया गया था।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 5 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पूर्व भूखंड का आवंटन उसके अलाभ के प्रति परिवर्तित किया गया था और इस दशा में उसने अपने धन की वापसी सुनिश्चित करने के लिए श्री चंद्रमा सिंह को प्राधिकृत करता पत्र दिया था। किंतु, यह गलत रूप से अभिकथित किया गया है कि ब्रजभूषण सिन्हा के विरूद्ध दांडिक मामला संस्थित करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा श्री अर्जुन प्रसाद को उकसाया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची समिति के परेशान करने वाले रवैया के कारण प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पास भूखंड समर्पित करने के अलावा अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि भूखंड का आवंटन दुष्प्रेरणा के साथ उसके अलाभ के प्रति परिवर्तित किया गया था और नव आवंटित भूखंड के लिए पहुँच का रास्ता नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 की सदस्यता का रद्दकरण पत्र उसको संसूचित कभी नहीं किया गया था।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक था उसे दो कठ्ठा आठ छटाँक माप वाला क्षेत्र का भूखंड सं॰ 307/F अनंतिम रूप से आवंटित किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने उक्त आवंटन के अनुसरण में 46,511/- रुपयों की राशि भी जमा किया। याची की ओर से प्रतिवाद किया गया है कि बार–बार अनुरोध के बावजूद, प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने आवंटित भूखंड के लिए किश्तों को जमा नहीं किया था और भूखंड सं॰ 707/A के लिए 6.9.1990 को द्वितीय आवंटन पत्र जारी किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि द्वितीय आवंटन पत्र कम माप के साथ उसके पीठ पीछे जारी किया गया था और किसी पहुँच के रास्ता के बिना भी। याची का दावा यह है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने समिति के काम में बाधा डाला और इस दशा में उसे समिति की सदस्यता से निष्काषित किया गया था और उसके भूखंड का आवंटन भी रद्द किया गया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि समिति के सचिव अर्थात ब्रजभूषण सिन्हा को प्रत्यर्थी सं॰ 5 के विरूद्ध निजी शिकायत थी क्योंकि उसने अभिकथित किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 के उकसावा पर किसी अर्जुन प्रसाद ने दांडिक मामला संस्थित किया था जिसके लिए उक्त झूठे मामले के कारण ब्रज भूषण सिन्हा 12 वर्षों तक पीड़ित हुआ। रिट याचिका में यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने समिति से भूखंड की कीमत जबरन वसूल करने के लिए किसी चंद्रमा सिंह को प्राधिकृत करता पत्र भी दिया था। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि कुछ निजी दुश्मनी के कारण समिति के सचिव ब्रजभूषण सिन्हा ने प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के बार–बार निर्देश के बावजूद प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया था। याची प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित नहीं करने में अपना दृष्टिकोण न्यायोचित ठहराने के लिए कोई वैध कारण दर्शाने में विफल रहा है।

8. आगे, आक्षेपित आदेशों के परिशीलन पर, यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने समस्त प्रासंगिक दस्तावेजों सहित मामला के विवरण पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर आया है कि यद्यपि

प्रत्यर्थी सं॰ 5 का दावा वास्तविक था और प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए अनेक विभागीय निर्देश थे, याची समिति निजी अभिकथन करके उक्त निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा। वर्तमान रिट याचिका में भी याची प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित नहीं करने के लिए कोई तर्कपूर्ण कारण दर्शाने में विफल रहा है। याची अपने सचिव ब्रज भूषण सिन्हा के माध्यम से किसी संपुष्टकारी सामग्री के बिना प्रत्यर्थी सं॰ 5 के विरूद्ध कतिपय अभिकथन करता प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि आवंटन के रद्दकरण के पहले आवंटिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने की आवश्यकता है। किंतु, वर्तमान मामला में, प्रत्यर्थी सं॰ 5 को ऐसा अवसर नहीं दिया गया है। आगे भूखंड का नया आवंटन जो प्रत्यर्थी सं॰ 5 के मुताबिक कम माप वाला और किसी पहुँच के रास्ता के बिना है, भी मनमाना प्रतीत होता है। आक्षेपित आदेशों को पारित करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा इन समस्त ताथ्यिक पहलूओं पर सम्यक रूप से विचार किया गया है। इस प्रकार यह न्यायालय दिनांक 30.3.2013 के मेमो सं॰ 970/ राँची तथा दिनांक 15.1.2014 के मेमो सं॰ 160/ राँची में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेशों में दुर्बलता नहीं पाता है।

9. वर्तमान रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o vfuy dekj pkèkjh] U;k;efrx.k

लखी लोहरा

cuke

झारखंड राज्य

Cri. App. (D.B.) No. 258 of 2010. Decided on 9th December, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 555 वर्ष 2007 में अपर न्यायिक आयुक्त, एफ॰ टी॰ सी॰ VI, राँची द्वारा पारित दिनांक 5 जनवरी, 2010 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 323—हत्या एवं घोर उपहति—आजीवन कारावास—संबंधित गवाह स्वाभाविक गवाह हैं क्योंकि वे घटना स्थल पर उपस्थित थे—चश्मदीद गवाहों पर उपहति के किसी प्रमाण की अनुपस्थिति में अवर न्यायालय ने सही प्रकार से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के बजाए धारा 323 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है—अभियुक्त दस वर्षों से अधिक से अभिरक्षा में बना हुआ है—दोषसिद्धि एवं दंडादेश में उपांतरण के साथ अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 13 से 18)

अधिवक्तागण.–M/s B.M. Tripahti, N.K. Jaiswal, For the Appellant; Mr. Vijay Kumar Gupta, For the Resp.-State.

न्यायालय द्वारा.—अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी सत्र विचारण सं॰ 555 वर्ष 2007 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, एफ॰ टी॰ सी॰ VI, राँची द्वारा पारित दिनांक 5 जनवरी 2010 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित है, जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 323 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई पर अपीलार्थी को भारतीय दंड

संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। किंतु, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए पृथक दंडदेश पारित नहीं किया गया था।

3. मृतक चरण लोहरा के पुत्र सोहराय लोहरा के 6.6.2007 को अपने घर में दर्ज फर्दबयान के आधार पर अभियोजन मामला संस्थित किया गया था जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि सूचक उसके पिता एवं पत्नी अपने खेत में काम कर रहे थे। इस बीच, अभियुक्त अपीलार्थी लाखी लोहरा अपने पुत्र मुची राम लोहरा के साथ वहाँ टांगी से लैस होकर आया और उसके पिता पर प्रहार करने लगा, जिस कारण उसका पिता बेहोश हो गया। जब सूचक ने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया, दोनों अभियुक्तों ने सूचक एवं उसकी पत्नी पर भी प्रहार किया और उन दोनों को घायल किया। जब सूचक अपने पिता को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गयी। फर्दबयान में कथन किया गया है कि उसी भूमि जिस पर घटना हुई थी के लिए पक्षों के बीच भूमि विवाद था। सूचक के फर्दबयान के आधार पर दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 307, 302/34 के अधीन अपराधों के लिए सोनाहातु पी॰ एस॰ केस सं॰ 20 वर्ष 2007, जी॰ आर॰ सं॰ 312 वर्ष 2007 के तत्सम, संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।

4. हमें सूचित किया गया है कि सह-अभियुक्त मुची राम लोहरा को घटना की तिथि पर किशोर पाया गया था और तद्नुसार, उसके मामला में किशोर न्याय बोर्ड, राँची द्वारा जाँच की गयी थी। चूँकि अभियोजन द्वारा किसी गवाह का परीक्षण नहीं किया जा सका था, जाँच मामला सं॰ 565 वर्ष 2008 में किशोर न्याय बोर्ड, राँची द्वारा पारित दिनांक 3.10.2008 के आदेश द्वारा सहअभियुक्त मुची राम लोहरा को दोषमुक्त किया गया था।

5. सत्र न्यायालय को मामला की सुपुर्दगी के बाद अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 307 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्त के निर्दोषिता का अभिवचन करने और विचारण किए जाने का दावा करने पर उसका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन द्वारा आठ गवाहों का परीक्षण किया गया था, जिनमें से अ॰ सा॰ 7 जनक महतो पक्षद्रोही हो गया है और अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया है। अ॰ सा॰ 4 भुनेश्वर महतो तथा अ॰ सा॰ 5 बलराम महतो केवल अनुश्रुत गवाह है जिन्होंने कथन किया कि उन्होंने घटना के बारे में सुना था।

6. अ॰ सा॰ 3 सोहराय लोहरा मामला का सूचक है और उसने कथन किया है कि घटना 6.6.2007 को हुई थी। उसका पिता खेत जोत रहा था और वह अपनी पत्नी के साथ काम कर रहा था। लखी लोहरा एवं मुचीराम लोहरा टांगी से लैस होकर वहाँ आए और उसके पिता चरन लोहरा पर अंधाधुंध प्रहार किया। उसका पिता बेहोश हो गया और जब उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया, उनपर भी अभियुक्तों द्वारा प्रहार किया गया था और घायल किया गया था। उसने कथन किया कि घटनास्थल पर ही उसके पिता की मृत्यु हो गयी और वह तथा उसकी पत्नी डॉक्टर द्वारा अपनी उपहतियों का परीक्षण इस तथ्य के कारण नहीं करवा सके थे कि उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी। उसने अभियुक्त को न्यायालय में पहचाना है और उसने यह कथन भी किया है कि उसका फर्दबयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था जिसे उसने पहचाना है ओर इसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। इस गवाह का प्रतिपरीक्षण किया गया था, किंतु उसके प्रतिपरीक्षण में अधिक महत्व का कुछ नहीं है।

7. अ॰ सा॰ 1 ठाकुर मनि सूचक की पत्नी है और अ॰ सा॰ 2 कोलामनि देवी मृतक की पत्नी है

और उन्होंने सूचक द्वारा यथा कथित अभियोजन मामला का समर्थन किया है। अपने प्रति परीक्षण में, दोनों गवाहों ने कथन किया कि तेज धार वाले टांगी से मृतक पर प्रहार किया गया था।

8. अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ अनिता सुंडी हैं जिन्होंने 7.6.2007 को मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित उपहति पाया था:

fonh.k t[e

(i) eLrd d ck, ijkbVy {k= ij 3 cm × 1 cm vfLFk rd xgjkA

vkrfjd

(ii) ck, VEikjk ijkbVy vkDlhihVy LdkYi dk fM¶;TM dV; tu rFkk ck; VEikjy ekli'kh dk dV; tu FkkA ck, VEikjk ijkbVy vfLFk dk Ød ÝDpj Fkk vkj ÝDpj 30 cm yc eki oky nk, vkDlhihVy vfLFk rd x;k FkkA cu d ck, VEikjy rFkk nk, ÝVy ykc e fonh.krk d lkFk ck, VEikjy ,o nk, ÝVy ykc e lc M;jy jDr rFkk jDr d FkDdk d lkFk cu dk fM¶;TM dV; tu FkkA nk, ckg d eè; Hkkx e 8 cm × 6 cm {k= dk fM¶;TM dV; tu FkkA nk, g;ejl vfLFk dh mijh Hkkx dk ÝDpj FkkA nk, vkj dh nljh l ikpoh ily dk ÝDpj FkkA

उन्होंने कथन किया है कि समस्त पूर्वोक्त उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे हथियार द्वारा कारित मृत्यु पूर्व प्रकृति की थी और मृत्यु पूर्वोक्त उपहतियों के कारण हुई थी। इस गवाह ने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचान है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था।

9. अ॰ सा॰ 8 अशोक कुमार इस मामले का जाँच अधिकारी है जिसने फर्दबयान, फर्दबयान पर पृष्ठांकन तथा औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध किया है जिन्हें क्रमशः प्रदर्श 3, 4 एवं 5 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया कि वह घटना स्थल पर गया और उसने घटना स्थल का विवरण दिया है और उसने घटना का निशान पाया था, किंतु घटना स्थल पर रक्त का निशान नहीं पाया था। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया और मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा। उसने कथन किया है कि उसने दोनों घायलों को इलाज के लिए भेजा और तत्पश्चात अपने निलंबन के कारण अन्वेषण का प्रभार सौंपा। अपने प्रति परीक्षण में, उसने स्वीकार किया है कि उसने अपराध का हथियार बरामद नहीं किया था।

10. अभियुक्त का बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इनकार किया है। इस मामला में बचाव द्वारा साक्ष्य नहीं दिया गया था।

11. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अवर न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी पाया और उसे दोषसिद्ध तथा दंडादेशित किया और इस तथ्य की दृष्टि में कि न तो घायल व्यक्तियों की उपहति रिपोर्ट सिद्ध की गयी थी और न ही उनकी उपहतियाँ सिद्ध करने के लिए किसी चिकित्सीय अधिकारी का परीक्षण किया गया था अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध का भी दोषी पाया गया था और दोषसिद्ध किया गया था जिसके लिए पृथक दंडादेश पारित नहीं किया गया था।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिलेख

पर लाए गए गवाहों के मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य में अंतर हैं। यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 1 ठाकुर मनि तथा अ॰ सा॰ 2 कोलामनी देवी दोनों ने विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि मृतक पर तेज धारवाले हथियार द्वारा प्रहार किया गया था किंतु मृतक के मृत शरीर पर तेज धार वाली उपहति नहीं पायी गयी थी। यह भी निवेदन किया गया है कि मृतक के मस्तक पर केवल एक विदीर्ण जख्म था और अन्य उपहतियाँ शरीर के अन्य भागों पर थीं। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मृतक पर प्रहार करने का दो अभियुक्तों के विरूद्ध अभिकथन है, किंतु गवाहों ने कथन नहीं किया है कि किस अभियुक्त ने शरीर के किस भाग पर प्रहार किया था, यद्यपि वे घटना के चश्मदीद गवाह हैं। इस तथ्य की दृष्टि में कि यद्यपि यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्तगण टांगी से लैस थे किंतु टांगी की तेज धार से कारित उपहति मृतक पर नहीं पायी गयी थी, यह उपधारित किया जा सकता है कि मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय अभियुक्तों का नहीं था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि इन्हीं अभिकथनों पर एक अभियुक्त को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था क्योंकि मामला का समर्थन करने कोई गवाह नहीं आया। तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि तीन गवाहों ने अभियोजन मामला का समर्थन किया है, यह सुयोग्य मामला है जिसमें अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए प्रार्थना का विरोध किया है कि अ॰ सा॰ 1 ठाकुर मनि, अ॰ सा॰ 2 कोलामनि देवी तथा अ॰ सा॰ 3 सोहराय लोहरा मामला के चश्मदीद गवाह हैं और उन सबों ने कथन किया है कि अभियुक्त ने मृतक पर टांगी से प्रहार किया और घटना स्थल पर उसकी मृत्यु कारित किया। उनका साक्ष्य अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ अनीता सुंडी के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: संपुष्ट किया गया है जिन्होंने मृतक के मस्तक तथा उसके मृत शरीर के अन्य भागों पर मृत्यु पूर्व उपहतियाँ पाया जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि घायल व्यक्तियों पर उपहतियाँ सिद्ध नहीं की जा सकी थी, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 323 के अधीन दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

14. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि मृतक की बहु अ॰ सा॰ 1 ठाकुर मनि, मृतक की पत्नी अ॰ सा॰ 2 कोलामनि देवी तथा मृतक के पुत्र एवं सूचक अ॰ सा॰ 3 सोहराय लोहरा ने यह कथन करते हुए अभियोजन मामला का पूर्णत: समर्थन किया है कि अभियुक्त लाखी लोहरा अपने पुत्र के साथ घटना स्थल पर आया और टांगी से मृतक पर अंधाधुंध प्रहार करने लगा। यद्यपि, अ॰ सा॰ 1 एवं 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि तेज धारवाले हथियार से प्रहार किया गया था, किंतु अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ अनीता सुंडी को चिकित्सीय साक्ष्य और उनके द्वारा प्रदर्श 2 के रूप में सिद्ध किए गए शव परीक्षण रिपोर्ट से हम पाते हैं कि मृतक पर तेज धार वाले हथियार से उपहति कारित नहीं की गयी थी। समस्त उपहतियाँ केवल कड़े एवं भोथरे हथियार द्वारा कारित की गयी थी और मामला के उस दृष्टिकोण में यदि अभियुक्तगण टांगी से लैस थे और फिर भी उन्होंने मृतक पर प्रहार करने के लिए केवल टांगी के भोथरे भाग का उपयोग किया और इस तथ्य की दृष्टि में भी कि मृतक के मस्तक पर प्रहार दुबारा किया जाना प्रतीत नहीं होता है, यह अच्छी तरह उपधारित किया जा सकता है कि उनका मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय

नहीं था। हम यह भी पाते हैं कि यद्यपि पूर्वोक्त तीनों गवाह मृतक के साथ निकट रूप से संबंधित है, किंतु वे स्वाभाविक गवाह है क्योंकि वे घटना स्थल पर उपस्थित थे। इस दशा में हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि यह सुयोग्य मामला है जिसमें अपीलार्थी लाखी लोहरा की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि में संपरिवर्तित की जाए।

15. हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि चश्मदीद गवाहों की उपहतियों के किसी प्रमाण की अनुपस्थिति में, जो घटना में प्रहार एवं घायल किए जाने का दावा करते हैं, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के बजाए धारा 323 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है। अ॰ सा॰ 8 आई॰ ओ॰ अशोक कुमार ने भी कथन किया है कि उसने दोनों घायलों को इलाज के लिए भेजा था जो दर्शाता है कि सूचक एवं उसकी पत्नी घटना में घायल हुए थे।

16. पूर्वोक्त कारणों से, सत्र विचारण सं॰ 555 वर्ष 2007 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, एफ॰ टी॰ सी॰ VI, राँची द्वारा पारित दिनांक 5 जनवरी, 2010 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि अपीलार्थी लाखी लोहरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II तथा धारा 323 के अधीन अपराध का दोषी पाया जाता है। हमें सूचित किया गया है कि अभियुक्त पहले से ही अभिरक्षा में है और अपना दंडादेश भुगत रहा है और वह दस वर्षों से अधिक से अभिरक्षा में बना हुआ है। मामला के उस दृष्टिकोण में, भले ही अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए 10 वर्षों की महत्तम अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है, हम पाते हैं कि वह पहले ही दंडादेश भुगत चुका है।

17. मामला के उस दृष्टिकोण में, अपीलार्थी लाखी लोहरा को तुरन्त निर्मुक्त एवं स्वतंत्र करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामला में उसका निरोध आवश्यक नहीं है।

18. तद्नुसार, पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि एवं दंडादेश में उपांतरण के साथ यह अपील खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को वापस भेजे जाएँ।

---

ekuuh; vfuy dekj pkèkjh] U;k;efr

बसन्त प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 80 of 2012. Decided on 15th December, 2017.

बिहार पेंशन नियमावली, 1950—नियम 43(b)—सेवानिवृत्ति लाभों की वसूली—विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का रद्दकरण—सेवानिवृत्ति लाभों से धन वसूल करने का आदेश याची की ओर से अवचार अथवा उपेक्षा के किसी अभिकथन के बिना और न्यायिक अथवा विभागीय कार्यवाही में दोष के किसी निष्कर्ष के बिना पारित किया गया है—बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन यथा प्रावधानित विधि की प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना पारित किया गया आक्षेपित आदेश अभिखंडित किए जाने का दायी है—डी॰ एस॰ ई॰ को

राशि जिसे याची के सेवा निवृत्ति देयों से कटौती किया गया है, वापस करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 11 एवं 12)

निर्णयज विधि.–(2015) 4 SCC 334; (2008) 1 JCR 381—Applied.

अधिवक्तागण.–Mr. Awnish Shankar, For the Petitioner; Mr. Amit Kumar Sinha, For the Respondents.

अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति.—याची के अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के एस॰ सी॰ V के जे॰ सी॰ सुने गए।

2. यह रिट याचिका प्रथमत: प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा जारी दिनांक 10.10.2009 के मेमो सं॰ 2256 के अभिखंडन की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है जिसके द्वारा याची को वर्ष 2003 में प्रधान अध्यापक के पद पर याची को दी गयी प्रोन्नति रद्द की गयी थी और आगे 24 समान किश्तों में उसके सेवानिवृत्ति देयों से याची को भुगतान की गयी राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया था और राशि आधिक्य जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में याची के वेतन से काटा गया था को वापस करने का निर्देश प्रत्यर्थी सं॰ 3 को देने की प्रार्थना की गयी है।

3. याची ने विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश शंकर द्वारा निवेदन किया गया है कि याची दिनांक 10.10.2009 के उक्त मेमो सं॰ 2256 के भाग के अभिखंडन तक अपनी प्रार्थना सीमित रखता है जिसके द्वारा 24 समान किश्तों में याची से राशि आधिक्य वसूल करने का निर्देश दिया गया था और राशि आधिक्य जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में याची के वेतन से काटने का निर्देश प्रत्यर्थी सं॰ 3 को देने की प्रार्थना तक सीमित रखता है एवं शेष प्रार्थनाओं पर जोर नहीं देता है।

4. यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि यद्यपि प्रत्यर्थी राज्य ने 15.5.2012 को प्रतिशपथपत्र दाखिल करने का समय इप्सित किया किंतु आज की तिथि तक इस रिट याचिका में प्रत्यर्थी राज्य द्वारा प्रतिशपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

5. इस रिट आवेदन में अंतर्ग्रस्त तथ्य संक्षेप में ये हैं कि याची को हजारीबाग जिला के अंतर्गत सलगाँवा राजकीय मध्य विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वहाँ 18.10.1973 से 7.8.1981 तक बना रहा। याची 3.2.1983 को भागलपुर विश्वविद्यालय से शिक्षा में डिप्लोमा में उत्तीर्ण हुआ और उसे विज्ञान शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान पर सरकारी मध्य विद्यालय, कुजु स्थानांतरित किया गया था जहाँ उसने अक्टूबर 2002 तक काम किया। प्रत्यर्थी सं॰ 3 के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 24.5.2003 के मेमो सं॰ 2196 के तहत याची को प्रधानाध्यापक के रूप में प्रोन्नत किया गया था और इस दशा में याची ने 15.6.2003 को सरकारी मध्य विद्यालय, तिऊज पुनाई, इचक जिला हजारीबाग में प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण किया। ग्रेड 7 वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूरी करने पर याची को 31.3.1995 के प्रभाव से ग्रेड 8 में उत्क्रमित किया गया था। याची 31.5.2009 को प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुआ और उसकी सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने किसी कारण के बिना दिनांक 24.5.2003 के पत्र सं॰ 2196 के तहत प्रधानाध्यापक के पद पर याची को प्रदान की गयी प्रोन्नति दिनांक 10.10.2009 के मेमो सं॰ 2256 के तहत रद् कर दी गयी थी और प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने आगे याची की सेवानिवृत्ति देयों से 24 समान किश्तों में भुगतान आधिक्य वसूल करने का निर्देश दिया।

6. चूँकि राज्य सरकार द्वारा प्रतिशपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है, रिट याचिका में प्रकथित तथ्य अविवादित बने रहते हैं।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश शंकर ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मशीह (चूना वाला) एवं अन्य, (2015)4 SCC 334,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास

किया जिसमें माननीय न्यायालय ने पैरा 18 में निम्नलिखित तथ्यपरक स्थितियों को संक्षिप्त किया जिसमें नियोक्ता द्वारा वसूली विधि में अनुज्ञेय होगी:–

.....

(iv) mu ekeyk e oly h tgk depkjh dk xyr :i l mPprj in ij dr0; dk fuogu djuk vko';d cuk;k x;k g ;fi mldk lgh :i l fuEurj in d fo:) dke djuk vko';d cuk;k tkuk pkfg, FkkA

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि चूँकि याची सेवा निवृत्त कर्मचारी है और उसने निर्विवादत: उच्चतर पद पर कर्तव्य का निर्वहन किया है, अत: सेवानिवृत्ति देयों से वसूली विधि में अननुज्ञेय है।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **श्रीमती नोर्मी टोपनो बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, (2008)1 JCR 381,** में इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय पर विश्वास किया जिसमें इस न्यायालय ने पैराग्राफ 47 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^mDr ppk dh nf"V e ge fuEufyf[kr fu"d"k ij vkr gA l{ki e%

lokfuofÙk d ckn fu;kDrk depkjh lcèk ugh jgrk g vkj bl n'kk e ***fcgkj i'ku fu;ekoyh d fu;e*** *43(b)* ***e ;Fkk çkoèkkfur fofèk dh çfØ;k dk vuqlj.k fd, fcuk lokfuofÙk n;k l oly h ugh dh tk ldrh gA*** *vr%] fu;e 43 (b) d vèkhu 'krk dk ifji.k fd, fcuk rFkk l{ke çkfèkdkjh }kjk tkp d ckn çkUufr vkn'k jnn fd, fcuk i'ku ,o vU; lok fuofÙk ykHkk dk oly ugh fd;k tk ldrk g] og Hkh lokfuoÙk depkjh dk volj fn, fcuk vkj ek= y[kk ijh{kk vkifÙk dh vu'klk ij lcfèkr depkjh vFkok fdlh vU; depkjh dh vkj l n0;in'ku vFkok vopkj d çfr fun'k e dkb fu"d"k fn, fcukA** ¼tkj fn;k x;k½*

बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(b) को निर्दिष्ट करना प्रासंगिक होगा जो निम्नलिखित है:–

43(b) jkT; ljdkj viu ikl i'ku ;k bld fdlh fgLl dk jkd j[ku ;k okil yu d vfèkdkj dk Hkh ljf{kr j[krh g] pkg LFkk;h :i l ;k ,d fofufn"V vofèk d fy,] rFkk ljdkj dk dkfjr fdlh vkfFkd {kfr d dkj.k leph i'ku ;k mld fdlh fgLl l oly h dju dk vkn'k dju dk vfèkdkj ljf{kr j[krh g ***vxj ;kph dk foHkkxh; ;k U;kf;d dk;kogh e xHkhj dnkpkj dk nk"kh ik;k tkrk g(;k dnkpkj ;k ykijokgh d dkj.k lokfuofÙk d*** *mijkUr iufu;ktu ij inÙk lok ler* ***mldh lok d nkjku ljdkj dk vkfFkd {kfr dkfjr dju okyk ik;k tkrk g%***

ijUr ;g fd%&

(a) ***,lh foHkkxh; dk;kogh] vxj ljdkjh lod d lokfuofÙk d igy lokjr jgr ;k iufu;ktu d }kjk lfLFkr ugh dh x;h gk(***

(i) jkT; ljdkj dh etjh d fcuk lfLFkr ugh dh tk;xh(

(ii) **,d ,lh ?kVuk d lcèk e gkxh tk ,lh dk;okgh d lfLFkr fd; tku d pkj o"k l vfèkd le; igy ?kfVr ugh gbZ Fkh(rFkk**

(iii) ,l ikfèkdkj }kjk ,o ,l LFkku ;k LFkkuk ij] tlk fd jkT; ljdkj fun'k dj rFkk mu dk;okfg;k ij ykx ifØ;k d vulkj lpkfyr dh tk;xh ftuij lok l c[kkLrxh dk dkb vkn'k fd;k tk ldrk g(

(b) U;kf;d dk;okgh] vxj lokfuofÙk d igy ljdkjh lod d lokjr jgr ;k iufu;ktu d nkjku lfLFkr ugh dh x;h gk] [kM (a) d mi[kM (ii) d vulkj lfLFkr dh tk;xh(rFkk

(c) vfre vkn'kk d ikfjr fd; tku d igy fcgkj ykd lok vk;kx l e=.kk fd;k tk;xkA

***Li"Vhdj.k&**fu;e d i;ktuk d fy,&*

(a) foHkkxh; dk;okgh lfLFkr ekuh tk;xh tc i'ku iku oky d fo:) fojfpr vkjki mlI fuxr fd; tkr g] ;k] vxj ljdkjh lod dk ,d fiNyh frfFk l] ,lh frfFk ij fuycu d vèkhu dj fn;k x;k g(rFkk

(b) U;kf;d dk;okgh lfLFkr ekuh tk,xh(

(i) nkfMd dk;okgh d ekey e] ml frfFk dk tc ,d nkfMd U;k;ky; e ,d ifjokn fd;k tkrk g ;k ,d vkjki i= nkf[ky fd;k tkrk g(rFkk

*(ii) flfoy dk;okfg;k d ekey e] ml frfFk dk tc ,d flfoy U;k;ky; d le{k ,d ifjokn iLrr fd;k tkrk g] ;k ,d vkonu fd;k tkrk g] tk Hkh fLFkfr gk*** ¼tkj Mkyk x;k½

9. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि चूँकि भुगतान किए गए राशि आधिक्य वसूल करने का आदेश अवैध रूप से दिया गया है, अत: दिनांक 10.10.2009 के मेमो सं॰ 2256 का भाग अभिखंडित किया जा सकता है और प्रत्यर्थी सं॰ 3 को युक्तियुक्त समय के भीतर राशि जिसे याची के सेवा निवृत्ति देयों से वसूल किया गया है वापस करने का निर्देश दिया जाए।

10. एस॰ सी॰ V के विद्वान जे॰ सी॰ निष्पक्षत: स्वीकार करते हैं कि याची राशि वापस पाने का हकदार है जिसे उसके सेवानिवृत्ति देयों से काटा गया है।

11. पक्षों को सुनने एवं अभिलेख का परिशीलन करने के बाद मेरा सुविचारित मत है कि याची ने निर्विवादत: प्रधानाध्यापक के उच्चतर पद पर कर्तव्य का निर्वहन किया है और उसे तद्नुसार भुगतान किया गया है, शायद याची के लिए गलत रूप से ऐसा करना आवश्यक बनाया गया था, अत: याची का मामला **रफीक मसीह (ऊपर)** मामला द्वारा पूर्णत: आच्छादित है। अन्यथा भी सेवानिवृत्ति लाभों से धन वसूल करने का आदेश याची की ओर से अवचार अथवा उपेक्षा के किसी अभिकथन के बिना और स्पष्टत: किसी विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही में दोष के किसी निष्कर्ष के बिना, इस प्रकार बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन यथा प्रावधानित विधि के प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना पारित किए जाने पर अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने का दायी है।

12. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण दिनांक 10.10.2009 के मेमो सं॰ 2256 का भाग जिसके द्वारा याची से 24 समान किश्तों में राशि आधिक्य वसूल

करने का निर्देश दिया गया था अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी सं॰ 3 को राशि जिसे याची को भुगतान किए गए सेवा निवृत्ति देयों से काटा गया है को इस आदेश की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

13. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देश के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

रीता देवी

cuke

झारखंड राज्य

W.P. (C) No. 71 of 2016. Decided on 4th December, 2017.

झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001—धारा 66(1)—चुनाव लड़ने का अधिकार—साहिया का पद धारण करने वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से अपवर्जित नहीं किया गया है—प्रत्यर्थी सं॰ 6 का चुनाव मान्य ठहराया गया—रिट याचिका खारिज की गयी।

(पैराएँ 8 से 10)

अधिवक्तागण.—None, For the Petitioner; Mrs. Chandra Prabha, Mr. Rohit, For the State.

आदेश

बार-बार बुलाए जाने के बावजूद वर्तमान रिट याचिका अग्रसर करने के लिए याची की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। पहले भी 30.10.2017 को याची की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी सं॰ 6 का सिलाजोरी पंचायत के मुखिया के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को निर्देश तथा नया चुनाव करने अथवा मतपत्रों की पुनर्गणना के लिए निर्देश जारी करने के लिए दाखिल की गयी है।

4. रिट याचिका में यथा कथित मामला की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि वर्ष 2015 के ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना के अनुसरण में याची, प्रत्यर्थी सं॰ 6 एवं अन्य उम्मीदवारों ने बोकारो जिला अवस्थित सिलाजोरी पंचायत के मुखिया के पद के लिए नामांकन दाखिल किया। प्रत्यर्थी सं॰ 6 की उम्मीदवारी को इस आधार पर चुनौती देते हुए कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 चुनाव के समय पर ''सहिया'' का पद धारण कर रही थी तथा वेतन पा रही थी और इस दशा में वह झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 66(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अनुदेश की दृष्टि में ''मुखिया'' के पद के लिए चुनाव लड़ने की हकदार नहीं थी, 20.11.2015 तथा 23.11.2015 को कतिपय अभ्यावेदन दाखिल किए गए थे। आगे यह अभिकथित किया गया है कि उक्त पंचायत का चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया था, क्योंकि मृत व्यक्तियों के नाम में अनेक बोगस मत डाले गए थे और उन व्यक्तियों के नाम में भी जो समय के उस बिन्दु पर कर्तव्य पर थे, बोगस वोट डाले गए थे। प्रत्यर्थी सं॰ 6 की अल्प मार्जिन अर्थात 12 मतों से जीत हुई और यदि पुनर्गणना की जाती है, याची निश्चय ही विजयी घोषित की जाएगी। किंतु, कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी और अंततः प्रत्यर्थी सं॰ 6 को सिलाजोरी पंचायत की मुखिया के रूप में चुना गया था।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थीगण राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 ''सहिया'' के काम के लिए न तो वेतन पा रही थी और न ही कोई प्रोत्साहन और उक्त तथ्य प्रभारी चिकित्सीय अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 22.4.2016 के पत्र सं॰ 223 से स्पष्ट है। आगे यह निवेदन किया गया है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अनुदेश के पैरा 8 के परिशीलन पर यह स्पष्ट होगा कि उक्त पैराग्राफ में ''साहिया'' के पद का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, मुखिया के रूप में निर्वाचित होने पर प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने उक्त पद से त्याग पत्र दे दिया। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची द्वारा यथा अभिकथित चुनाव में बोगस मतदान नहीं हुआ है।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि याची ने ग्राम पंचायत चुनाव, 2015 में जिला बोकारो में ''सिलाजोरी पंचायत'' के ''मुखिया'' के रूप में प्रत्यर्थी सं॰ 6 के चुनाव को मुख्यत: इस आधार पर चुनौती दिया है कि चुनाव के समय पर प्रत्यर्थी सं॰ 6 ''सहिया'' का पद धारण कर रही थी और वेतन भी पा रही थी और इस दशा में वह मुखिया के रूप में चुने जाने की हकदार नहीं थी। याची ने चुनाव में बोगस मतदान तथा मतगणना में अनियमितता का अभिकथन किया है।

7. बसन्ती देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (LPA 420/2011) में इस न्यायालय की माननीय खंड न्यायपीठ ने पैराग्राफ सं॰ 10, 13, 14, 15, 16 एवं 17 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"10. mDr fufn"V rF;k l ;g Li"V g fd >kj[kM ipk;rh jkt vfèkfu;e] 2001 d çkoèkkuk d vèkhu vkj fo'k"kr~h mlh vfèkfu;e d vèkhu fojfpr fu;ekoyh o"k 2001 rFkk çkoèkkuk d vu:i puko çfØ;k 'k: dh x;h FkhA tc ,d ckj vfèkfu;e o"k 2001 d fu;e 84 d vu:i Qke 22 d vèkhu mEehnokj d i{k e çek.ki= tkjh fd;k tkrk g] rc og ?kk"k.kk vfre g vkj doy puko vfèkdj.k vFkok puko ;kfpdk xg.k dju d fy, çkfèkÑr U;k;ky; d vkn'k }kjk fujLr fd;k tk ldrk gA fjVfux vfèkdkjh }kjk puko ifj.kke dh ?kk"k.kk d ckn og in dk; fuoÙk gk tkrk g vkj fjVfux vfèkdkjh u rk iux.kuk d fy, vkonu xg.k dj ldrk g vkj u gh ifj.kke dh ?kk"k.kk ,o ifj.kkfed çek.ki= jnn dj ldrk gA*
>
> *13. ;g lLFkkfir fofèk g fd leLr puko fookn vfèkfu;ek ,o fu;ekofy;k ftud vèkhu puko lpkfyr fd;k tkrk g }kjk çkoèkkfur çfØ;k }kjk ly>k, tku pkfg,A puko fooknk dk viotu vfèkfu;e o"k 2001 rFkk mld vèkhu fojfpr fu;ekoyh l vfHk0;Dr ,o Li"V gA li.k n'k e lLFkkfir fofèk g fd leLr puko fooknk dk doy puko ;kfpdk d eklè;e l mBkuk ,o ly>k;k tkuk pkfg, tc vfèkfu;e ,o fu;ekoyh tk puko ;kfpdk çkoèkkfur djr g d vèkhu mipkj çkoèkkfur fd;k x;k gA*
>
> *14. ekuuh; lokPp U;k;ky; u ,e0 oh0 ,fytkcFk ekeyk ¼Åij½ e vfHkfuèkkfjr fd;k g fd Hkkjr e mPp U;k;ky; ey ,o vihyh; vfèkdkfjrk j[ku oky vfHky[k d mPprj U;k;ky; g vkj mud ikl vrfufgr ,o lokxh.k 'kfDr g vkj ; 'kfDr;k fucfèkr g tc mu vfèkdkfj;k ,o 'kfDr;k dk vfHk0;Dr :i l ,o foof{kr :i l oftr vkj lokPp U;k;ky; dh vihyh; vFkok Lofoodh vfèkdkfjrk d vè;èkhu fd;k tkrk gA mu ekeyk d vfrfjDr tgk mPp U;k;ky; dh vfèkdkfjrk vfHk0;Dr :i l oftr dh x;h g] mPp U;k;ky; e ikl] gekj*

er e] Lo; viuh 'kfDr lhfer dju dh vlhfer vfèkdkfjrk gA ge mDr fu.k; d ijk 66 dk m)r djuk pkgx tk fuEufyf[kr g%

*66. Hkkjr e mPp U;k;ky; vfHky[k d mPprj U;k;ky; gA mud ikl ey ,o vihyh; vfèkdkfjrk gA mud ikl vrfufgr ,o lokxh.k 'kfDr gA tc rd bl vfHk0;Dr vFkok foof{kr :i l oftr ,o bl U;k;ky; dh vihyh; ,o Lofoodh vfèkdkfjrk d vè;èkhu ugh fd;k tkrk gA mPp U;k;ky;k d ikl Lo; viuh 'kfDr;k dk fofuf'pr dju dh vlhfer vfèkdkfjrk gkxkA ***

¼tkj fn;k x;k½

15. vr%] ekuuh; lokPp U;k;ky; d mDr fu.k; dh nf"V e] tc mPp U;k;ky; dh 'kfDr fofèkiod fdlh lfofèk }kjk lhfer dh x;h g] rc mlh fLFkfr e mPp U;k;ky; lkE;ki.k fjV vfèkdkfjrk dk ç;kx dju e èkhek g vkj ml çkfèkdkjh dh 'kfDr dk ç;kx ugh djxk] ftl Hkkjr d lfoèkku d vèkhu fojfpr lkfofèkd çkoèkkuk }kjk fufgr dh x;h gA

16. ;gk bl ekeyk e] tlk geu igy gh lçf{kr fd;k g] fu;ekoyh o"k 2001 d fu;e 84 d vèkhu Qke 22 e çek.ki= nr g, fjVfux vfèkdkjh }kjk ikfjr vkn'k i.kr% vfèkdkfjrkghu ugh dk tk ldrk gA gekjk lfopkfjr er g fd ;fn çek.k i= fjV ;kph çR;Fkh d i{k e xyr vFkok voèk :i l tkjh fd;k x;k Fkk] rc vihykFkh d ikl [kyk ,dek= jkLrk puko ;kfpdk nkf[ky djuk gA vihykFkh d fo}ku vfèkoDrk u tkjnkj fuonu fd;k fd fjV ;kph u viuh fjV ;kfpdk e mYy[k ugh fd;k Fkk fd mlu mPpre er ik;k vkj] blfy,] vfHkopuk dh deh d dkj.k çR;Fkh fjV ;kph d i{k e fn;k x;k çek.k i= bldk n[kr gh i.kr% vfèkdkfjrkghu gA tlk geu igy gh dFku fd;k g] ;fn fdlh 0;fDr d i{k e ?kk"k.kk ,o çek.ki= tkjh fd;k x;k g] rc ;g voèk gk ldrk g fdr ,lh ?kk"k.kk mDr rF;k e vfèkdkfjrkghu ugh gA

17. tc U;k;ky; ikrk g fd vfèkdkfjrk dh xyrh ugh g vkj U;k;ky; dk nf"Vdk.k g fd odfYid mipkj miyCèk g] rc U;k;ky; dk ekeyk d x.kkx.k ij fVIi.kh ugh djuk pkfg,A bl ekeyk e] tlk geu igy gh lçf{kr fd;k g fd ;g puko rFkk vfèkfu;e o"k 2001 d vèkhu ifj.kke dh ?kk"k.kk dk ekeyk g] vr% U;k;ky; d ikl ekeyk d rkfF;d igy ij fopkj dju dh vfèkdkfjrk ugh gku ij U;k;ky; dk puko vfHky[k ij fopkj dju l cpuk pkfg, vkj ekeyk puko vfèkdj.k d fy, NkMk tk ldrk g] ^lkekU; ekeyk ,o ^puko ekeyk* d chp lfHkUurk dju dh vko';drk g vkj rF;ijd fLFkfr e tgk vfèkfu;e rFkk fu;ekoyh }kjk çHkkodkjh odfYid <x fofgr fd;k x;k g] puko ekeyk e viuh vfèkdkfjrk dk ç;kx dju e U;k;ky; dk fucfèkr djr g, ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k;k dh nf"V e vfHky[k fl) djd rF;k dh xgjkbZ e tkuk vuK; ugh g vkj ;g U;k;ky; fofuf'pr ugh dj ldrk g fd fdlu vfèkd er çkIr fd;kA*

8. पूर्वोक्त निर्णय का परिशीलन करने पर, यह सामने आएगा कि जब एक बार झारखंड पंचायत अधिनियम, 2001 के अधीन विरचित नियमावली के नियम 84 के अधीन फॉर्म 22 में विजित उम्मीदवार को प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, व्यथित पक्ष को इसे अधिकरण अथवा न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का विकल्प है जो चुनाव याचिका सुनने के लिए प्राधिकृत है। यद्यपि उच्च न्यायालय को किसी आवेदन को ग्रहण करने की सर्वांगीण शक्ति है किंतु यदि संविधि प्रभावकारी उपचार प्रावधानित करती है, उच्च

न्यायालय को ऐसे मामलों को ग्रहण करने तथा हस्तक्षेप करने से सामान्यतया परहेज करना चाहिए। उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आपवादिक मामलों तक सीमित है। वर्तमान मामला में याची ने चुनाव में बोगस मतदान को चुनौती दिया है जो शुद्धत: ताथ्यिक विवाद है जिसे रिट अधिकारिता में ग्रहण अथवा विनिश्चित नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका में याची द्वारा उठाया गया एक अन्य आधार यह है कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 को अल्प मार्जिन से सफल घोषित किया गया है और इस दशा में, पुनर्गणना आवश्यक है, भी रिट न्यायालय द्वारा इस चरण पर विनिश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्वयं झारखंड पंचायत राज अधिनियम में मत की पुनर्गणना की प्रक्रिया है किंतु यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं लाया गया है कि याची ने परिणाम की घोषणा के पहले प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के समक्ष मामला उठाया है और इसे अस्वीकार किया गया है। रिट याचिका में काफी कुछ प्रतिवाद किया गया है कि समय के प्रासंगिक बिन्दु पर प्रत्यर्थी सं॰ 6 ''सहिया'' का पद धारण कर रही थी और वेतन पा रही थी और इस दशा में झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66(1) के अधीन शक्ति को प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अनुदेश के पैरा 8 की दृष्टि में वह मुखिया का चुनाव लड़ने की हकदार नहीं थी। जहाँ तक उक्त प्रतिवाद का संबंध है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अनुदेश के पैरा 8 के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि ''सहिया'' का पद धारण करने वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने से अपवर्जित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी राज्य ने याची के अभिकथन से विनिर्दिष्टत: इनकार किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 ''सहिया'' का पद धारण करने के लिए वेतन पा रही थी और प्रत्यर्थी राज्य ने चिकित्सा अधिकारी चंदन कियारी द्वारा जारी उस प्रभाव का प्रमाणपत्र अभिलेख पर लाया है।

9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता में मैं वर्तमान रिट याचिका को ग्रहण करने का कारण नहीं पाता हूँ।

10. वर्तमान रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

नारायण गंझू उर्फ उपेन्द्र जी

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Revision No. 808 of 2005. Decided on 31st August, 2017.

विद्वान सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा दांडिक अपील सं॰ 16 वर्ष 2004 में पारित दिनांक 28.5.2005 के निर्णय तथा जी॰ आर॰ केस सं॰ 236 वर्ष 2001 (टी॰ आर॰ सं॰ 91 वर्ष 2004) में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 27.4.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

आयुध अधिनियम, 1959—धारा 25(1b) a—दांडिक विधि संशोधन (सी॰ एल॰ ए॰) अधिनियम, 1944—धारा 17(ii)—बंदूक रखना—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक तथ्य तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि याची के कब्जा से मजल गन बरामद किया गया था—मौखिक साक्ष्य से तथा दस्तावेजी साक्ष्य से भी, जिन्हें

अभिलेख पर लाया गया था, अभियोजन याची के कब्जा से मजल गन की बरामदगी के संबंध में समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है—याची लगभग नौ माह से अभिरक्षा में बना हुआ है—याची के विरूद्ध पारित दंडादेश याची द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित किया गया। (पैराएँ 9 से 12)

अधिवक्तागण.—Mr. A. K. Chaturvedi, For the Petitioner; Mr. Ravi Kumar Singh, For the State.

रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति.—याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ चतुर्वेदी तथा राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री रवि कुमार सिंह सुने गए।

2. यह आवेदन दांडिक अपील सं॰ 16 वर्ष 2004 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 28.5.2005 के निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन जी॰ आर॰ केस सं॰ 236 वर्ष 2001 (टी॰ आर॰ सं॰ 91 वर्ष 2004) में याची को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-b) a तथा दांडिक विधि संशोधन (सी॰ एल॰ ए॰) अधिनियम की धारा 17(ii) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए याची को दोषसिद्ध करते हुए तथा दोनों आधारों पर दो वर्षों का सामान्य कारावास भुगतने के लिए उसको दंडादेशित करते हुए विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 27.4.2004 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि पुलिसकर्मी द्वारा याची के घर पर छापा मारा गया था और दो गवाहों की उपस्थिति में मजल गन लिए याची को पकड़ा गया था जब वह अपने घर से बाहर आ रहा था। जाँच के क्रम में छापा मारने वाले दल को जानकारी हुई कि अभियुक्त अर्थात नसीर अंसारी एम॰ सी॰ सी॰ का सक्रिय सदस्य है जो लेवी वसूल करता था और उसके माध्यम से लेवी का भुगतान किया जाता था। यह अभिकथित किया गया है कि 23.6.2001 को आठ व्यक्ति याची के घर आए और लेवी जिसे जनता से वसूला गया था के रूप में रनविजय जी तथा डॉक्टर को 50,000/- रुपयों का भुगतान किया गया था। छापामार दल ने नसीर अंसारी की घर की तलाशी ली और तलाशी पर बैंक में रखा गया 78900/- रुपया स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में बरामद किया गया था। पूर्वोक्त कथनों के आधार पर जी॰ आर॰ केस सं॰ 236 वर्ष 2001 आयुध अधिनियम की धारा 25(1-b)a/26 के अधीन तथा दांडिक विधि संशोधन (सी॰ एल॰ ए॰) अधिनियम की धारा 17 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था। अन्वेषण का परिणाम आरोप पत्र की दाखिली में हुआ तथा संज्ञान लिए जाने के बाद विचारण अग्रसर हुआ।

4. चूँकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याची को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-b)a तथा दांडिक विधि संशोधन (सी॰ एल॰ ए॰) की धारा 17(ii) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और तद्नुसार दंडादेशित किया गया था। याची द्वारा दाखिल दांडिक अपील सं॰ 16 वर्ष 2004 भी विद्वान सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा 28.5.2005 को खारिज की गयी थी।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ चतुर्वेदी द्वारा कथन किया गया है कि गवाहों के साक्ष्य में अनेक अंतर हैं जिन्हें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अधिमूल्यित नहीं किया गया है। यह निवेदन भी किया गया है कि सूचक मामला का अन्वेषण नहीं कर सकता था और इसने बचाव मामला पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ का परीक्षण नहीं किया गया है और बैलिस्टक विशेषज्ञ के गैर परीक्षण की अनुपस्थिति में अभियोजन मामला विफल हो गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया वैकल्पिक तर्क यह है कि यदि यह न्यायालय दोषसिद्धि के आक्षेपित

निर्णय में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याची 2001 से दांडिक मामला की कठोरता का सामना कर रहा है और लगभग 9 माह से अभिरक्षा में बना हुआ है, दंडादेश की अवधि उपांतरित की जाए।

6. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने याची की प्रार्थना का विरोध किया है।

7. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से दस गवाहों का परीक्षण किया गया था। अ॰ सा॰ 1 जुनैद अनवर नसीर मियाँ के घर से बरामद नगद की जब्ती का गवाह है। इस गवाह ने कथन किया था कि उसे उसके कब्जा से किसी बरामदगी की जानकारी नहीं थी। अ॰ सा॰ 2 मो॰ इरफान भी नगद की बरामदगी के संबंध में जब्ती का गवाह है। अ॰ सा॰ 3 कामेश्वर सिंह छापा मारने वाले दल का सदस्य था। उसने याची के कब्जा से मजल गन की बरामदगी के बारे में कथन किया है और इस गवाह ने स्पष्टत: कथन किया है कि मनल गन के सिवाए याची के कब्जा से अपराध में फँसाने वाली किसी वस्तु की बरामदगी नहीं की गयी थी। अ॰ सा॰ 4 सदाशिव झा सार्जेन्ट मेजर है जिसने जब्त मजल गन का परीक्षण किया था और कथन किया था कि एक नाल वाली बंदूक प्रभावकारी थी। अ॰ सा॰ 5 मुनेश्वर राम इस मामला का सूचक एवं अन्वेषण अधिकारी है। उसने कथन किया है कि याची के घर पर छापा मारा गया था और उसे मजल गन के साथ गिरफ्तार किया गया था। अ॰ सा॰ 6 परवीन कुमार भी छापा मारने वाले दल का सदस्य था जिसने अभियोजन मामला का समर्थन किया है। अ॰ सा॰ 7 सत्यबीर सिंह औपचारिक गवाह है। अ॰ सा॰ 8 उगीनो कुजुर भी जब्ती का गवाह है जिसने अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है, किंतु उसने कथन किया है कि उसे घटना की जानकारी नहीं थी। अ॰ सा॰ 9 मो॰ जहीम भी जब्ती का गवाह है, जिसने अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है, किंतु उसने कथन किया है कि उसे घटना की जानकारी नहीं थी। अ॰ सा॰ 10 माइकल किसपोत्ता ने कुछ पत्रों को प्रस्तुत किया है जिन्हें जब्त किया गया था।

8. बचाव ने भी अपने मामला के समर्थन में 9 गवाहों का परीक्षण किया है। ब॰ सा॰ 1, 2, 3, 4 एवं 5 याची के सह ग्रामीण हैं और उन्होंने कथन किया है कि गिरफ्तारी के समय पर याची के कब्जा से कोई बरामदगी नहीं की गयी थी। आगे, ब॰ सा॰ 6, 7, 8 एवं 9 ने भी पूर्वोक्त गवाहों के विवरणों का समर्थन किया है।

9. अधिकांश अभियोजन गवाह जो छापा मारने वाले दल के सदस्य थे ने स्पष्ट शब्दों में याची के मजल गन के साथ पकड़े जाने के बारे में कथन किया है। यद्यपि बचाव गवाहों ने यह चित्र प्रक्षेपित करने का प्रयास किया है कि याची के कब्जा से कोई चीज बरामद नहीं की गयी थी, किंतु अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि याची के कब्जा से मजल गन बरामद किया गया था।

10. यद्यपि याची के विद्वान अधिवक्ता ने गवाहों के साक्ष्य में अंतरों के बारे में कथन किया है, किंतु जैसा अ॰ सा॰ 4, अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6 जो छापा मारने वाले दल के सदस्य थे के साक्ष्य से प्रतीत होगा कि उन सबों ने याची के कब्जा से मजल गन की बरामदगी के संबंध में अपने बयानों में स्पष्टत: कथन किया है। सूचक के अन्वेषण अधिकारी होने के संबंध में याची के विद्वान अधिवक्ता के अन्य प्रतिवाद पर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और ऐसा प्रतिवाद इस तथ्य की दृष्टि में अस्वीकार किया गया है कि आग्नेयास्त्र की जब्ती के संबंध में अंतर नहीं था और अभियोजन की सम्यक मंजूरी भी दी गयी थी। सार्जेन्ट मेजर का परीक्षण अ॰ सा॰ 4 के रूप में किया गया था जिसने

जब्त किए गए मजल गन का परीक्षण किया था औरा कथन किया था कि एक नाल वाला बंदूक प्रभावकारी था। मात्र इसलिए कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ का परीक्षण नहीं किया गया है, यह अभियोजन मामला भंजित नहीं कर सकता है।

11. इस प्रकार, मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य जिसे अभिलेख पर लाया गया है, से अभियोजन याची के कब्जे से मजल गन की बरामदगी के संबंध में समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। ऐसी तथ्यपरक स्थिति पर विचार करते हुए याची को सही प्रकार से आयुध अधिनियम की धारा 25(1-b) a और दांडिक विधि संशोधन (सी॰ एल॰ ए॰) अधिनियम की धारा 17(ii) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है जिसे अपील में संपुष्ट भी किया गया है। अत:, अन्यथा निष्कर्षित करने का कोई कारण नहीं होने पर याची के विरूद्ध पारित दोषसिद्धि का आदेश एतद्द्वारा संपोषित किया जाता है।

दंडादेश जिसे याची पर अधिरोपित किया गया है के संबंध में, यह प्रतीत होता है कि याची 26.6.2001 से 1.12.2001 तक और अपील की खारिजी के बाद 4.12.2006 से 30.3.2007 तक अभिरक्षा में बना रहा है और इस प्रकार याची लगभग 9 माह से अभिरक्षा में बना रहा है। मामले के ऐसे दृष्टिकोण में, याची के विरूद्ध पारित दंडादेश याची द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित किया जाता है।

12. याची को अधिनिर्णीत दंडादेश में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ यह आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

संगीता कुमारी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P.(C) No. 5491 of 2014. Decided on 12th October, 2017.

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 24—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125—मासिक वादकालीन निर्वाह भत्ता का प्रदान—हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन याचिका की दाखिली मात्र अथवा उसके अधीन भरण-पोषण का प्रदान व्यक्ति को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 एवं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन भरण-पोषण प्रदान करने के लिए प्रावधान भिन्न हैं, पति दो बार भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है बल्कि उसे केवल उन दोनों में से उच्चतर राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है—याची उस अवधि के दौरान जब वह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन भरण-पोषण पा रही है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन भरण-पोषण/अंतरिम निर्वाह भत्ता की हकदार नहीं है। (पैराएँ 16 एवं 17)

निर्णयज विधि.—AIR 2008 MP 139—Referred; (1997) 11 SCC 286; 2000 (1) PLJR 1066; 2008 SCC Online Cal 742—Relied.

अधिवक्तागण.—Ms. In Person, For the Petitioner; Mr. S.K.Verma, For the Resp. No.1; Mr. A.K.Mehta, For the Resp. No.2.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका आई॰ ए॰ सं॰ 854/2017 के साथ सुनी जा रही है।

2. वर्तमान रिट याचिका विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची को एम॰ टी॰ एस॰ 12/2011 में दोनों पक्षों को समान अवसर देने के लिए और एम॰ टी॰ एस॰ केस सं॰ 12 वर्ष 2011 के अपोषणीय न होने के नाते, क्योंकि प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा विवाह के 24 माह पहले मामला दाखिल किया गया था, अपास्त करने के लिए भी निर्देश देने के लिए दाखिल की गयी है। आई॰ ए॰ सं॰ 854 वर्ष 2017 याची द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 2 को जुलाई, 2015 से जनवरी, 2017 तक 2000/- रुपया प्रति माह जो 38,000/- रुपयों के तुल्य है की राशि बकाया के रूप में 15000/- रुपयों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं वाद व्यय के साथ निर्मुक्त करने का निर्देश देने के लिए दाखिल किया गया है।

3. याची द्वारा यथा कथित मामला की ताथ्यिक पृष्ठ भूमि यह है कि उसका विवाह हिन्दू रीति के मुताबिक 6.6.2009 को प्रत्यर्थी सं॰ 2 के साथ हुआ था। प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन तलाक के लिए एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 12 वर्ष 2011 दाखिल किया। याची निवेदन करती है कि वैवाहिक अभिधान वाद सं॰ 12/2011 में पारित दिनांक 6.3.2013 के आदेश के तहत विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन याचिका की दाखिली की तिथि अर्थात 14.12.2011 से मासिक वादकालीन निर्वाह भत्ता के रूप में 2000/- रुपया प्रतिमाह की राशि तथा वाद व्यय के रूप में एकमुश्त 2000/- रुपयों की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। याची आगे निवेदन करती है कि जहाँ तक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन 2000/- रुपया प्रतिमाह की राशि के भुगतान का संबंध है, प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने जून 2015 तक भुगतान किया और तत्पश्चात उसको उक्त राशि का भुगतान करना रोक दिया। किंतु, प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 6.3.2013 के आदेश के तुरन्त बाद एकमुश्त वाद व्यय के रूप में 3000/- रुपयों का भुगतान किया। याची ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण के लिए मामला भी दाखिल किया और विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राँची ने भरण–पोषण मामला सं॰ 149/2012 में पारित दिनांक 9.7.2015 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 2 को एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 12/2011 में दिए गए 2000/- रुपया प्रतिमाह की राशि अपवर्जित करते हुए भरण पोषण याचिका की दाखिली की तिथि से याची को 10,000/- रुपया प्रतिमाह भुगतान करने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी सं॰ 2 को आगे प्रत्येक माह की दसवीं तिथि तक 10,000/- रुपया के उक्त भरण–पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने इस न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 892/2015 दाखिल करके विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती दिया और इस न्यायालय की न्यायपीठ ने दिनांक 19.7.2016 के आदेश के तहत भरण पोषण मामला सं॰ 149/2012 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 9.7.2015 का आदेश अभिखंडित करते हुए विधि के अनुरूप और यदि आवश्यक हो, साक्ष्य लेकर और याची एवं प्रत्यर्थी सं॰ 2 को सुनवाई का अवसर देने के बाद नया आदेश पारित करने के लिए मामला उक्त न्यायालय के पास वापस भेज दिया।

4. इस न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर, याची ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की विशेष अनुमति (दांडिक) सं॰ 7907/2016 दाखिल किया, जिसे दांडिक अपील सं॰ 1468/2017 में संपरिवर्तित किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 22.8.2017 के आदेश के तहत संप्रेक्षित किया कि न्याय का उद्देश्य अच्छी तरह पूरा किया जाएगा यदि प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन भरण पोषण की ओर याची को 8000/- रुपया प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि इस आधार पर बकाया की संगणना 1.12.2016 के प्रभाव से की जाएगी जिसका चालू बकाया के अतिरिक्त चार माह के भीतर भुगतान किया जाना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में लेने के बाद कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची के न्यायालय में दाखिल तलाक याचिका एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 12/2011 वर्तमान रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए स्थगन के कारण लंबित है, इस न्यायालय से अक्टूबर, 2017 के अंत तक वर्तमान रिट याचिका निपटाने का अनुरोध किया।

5. एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 12 वर्ष 2011 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने 3.9.2013 को यह कथन करते हुए याचिका दाखिल किया कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 का साक्ष्य पहले ही 18.10.2012 को बन्द कर दिया गया है और वाद याची के साक्ष्य के लिए लंबित है, किंतु उसने न तो गवाहों की सूची दाखिल किया है, न ही किसी गवाह का परीक्षण किया है और साक्ष्य देने के लिए स्थगन इप्सित करते हुए कोई समय याचिका भी दाखिल नहीं किया है। अत:, याची का साक्ष्य बंद किया जा सकता है। याची ने 26.9.2013 को प्रत्यर्थी सं॰ 2 की दिनांक 3.9.2013 की याचिका का उत्तर दाखिल किया और कथन किया कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 के एक गवाह अर्थात अनिल कुमार (अ॰ सा॰ 2) को आंशिक प्रतिपरीक्षण के बिना उन्मोचित किया गया था और उसके तात्विक गवाह होने के नाते याची उक्त गवाह का आगे प्रतिपरीक्षण करने के लिए तैयार रहे। मामला 20.11.2013 को नियत किया गया था, किंतु उस तिथि पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था और याची का साक्ष्य शुरू हुआ था। जब याची का प्रतिपरीक्षण प्रक्रिया में था, याची द्वारा 16.4.2014 को दिनांक 3.9.2013 के आवेदन पर जोर दिया गया था और इसे अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए निपटाया गया था कि चूँकि याची के गवाह का पहले ही प्रतिपरीक्षण किया जा चुका है, उक्त याचिका निष्फल हो गयी है।

6. याची निवेदन करती हैं कि उसे प्रत्यर्थी सं॰ 2 के पूर्वोक्त गवाह का प्रतिपरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने नियत तिथि अर्थात 20.11.2013 को दिनांक 3.9.2013 की याचिका नहीं निपटाया था और अचानक याची के साक्ष्य के दौरान इसे निष्फल के रूप में निपटाया गया था जो स्पष्टत: अवैध है। आगे यह निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 का गवाह अर्थात अनिल कुमार महत्वपूर्ण गवाह है और यदि याची को उसका प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाती है, उसे अपूरणीय हानि एवं क्षति होगी। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने गलत रूप से दिनांक 21.3.2016 के आदेश के तहत वर्तमान वाद के प्रवर्तन के स्थगन के आधार पर और इस आधार पर भी कि याची दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 892 वर्ष 2015 में आदेश की दृष्टि में 4000/- रुपया प्रति माह पा रही है और वह दोहरे लाभ की हकदार नहीं है, याची की निष्पादन याचिका खारिज कर दिया है।

7. उक्त प्रतिवादों के समर्थन में, याची म॰ प्र॰ उच्च न्यायालय द्वारा **अशोक सिंह पाल बनाम श्रीमती मंजूलता, AIR 2008 MP 139,** में दिए गए निर्णय पर विश्वास करती है।

8. प्रत्यर्थी सं॰ 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने गलत रूप से प्रतिवाद किया कि उसे प्रत्यर्थी सं॰ 2 के गवाह विशेष का प्रतिपरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है बल्कि उसने न तो प्रत्यर्थी सं॰ 2 के गवाह के प्रति परीक्षण के लिए कोई याचिका दाखिल किया और न ही समय की प्रार्थना करते हुए कोई याचिका दाखिल किया और इस दशा में प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने याची का साक्ष्य बंद करने के लिए दिनांक 3.9.2013 की याचिका दाखिल किया। यह भी निवेदन किया गया है कि चूँकि प्रत्यर्थी सं॰ 2 याची के साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण करने लगा, दिनांक 3.9.2013 की याचिका सही प्रकार से निष्फल के रूप में खारिज की गयी थी। यह निवेदन भी किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने सारे समय याची को भरण पोषण के भुगतान के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया। आरंभ में प्रत्यर्थी सं॰ 2 को 2000/- रुपया प्रतिमाह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसका भुगतान 14.12.2011 से 2.7.2015 तक किया गया था। बाद में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 को दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 892 वर्ष 2015 में पारित आदेश के तहत याची को 4000/- रुपयों की राशि का

भुगतान करने का निर्देश दिया गया था जिसका भुगतान भी सितंबर, 2015 से जुलाई, 2016 तक किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि एस॰ एल॰ पी॰ (दांडिक) सं॰ 7907 वर्ष 2016 में पारित अंतरिम आदेश की दृष्टि में प्रत्यर्थी सं॰–2 ने याची को दिसंबर, 2016 से फरवरी, 2017 तक 5000/- रुपयों का भुगतान किया, अत: वह किसी तरीके से गलत नहीं है। अंत में यह निवेदन किया गया है कि याची दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 एवं हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 दोनों के अधीन भरण–पोषण पाने का हकदार नहीं है।

9. याची को निजी रूप से और प्रत्यर्थी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया। आरंभ में याची ने दो प्रार्थना किया था। एक एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 12 वर्ष 2011 अपास्त करने के लिए थी, क्योंकि इसे विवाह के 24 माह के भीतर दाखिल किया गया था और दूसरी प्रार्थना एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 12 वर्ष 2011 में अपने मामला को बचाव करने के लिए दोनों पक्षों को समान अवसर प्रदान करने के लिए थी। बाद में, वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याची ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन जुलाई, 2015 से जनवरी, 2017 तक 2000/- रुपया प्रतिमाह की राशि निर्मुक्त करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 को निर्देश देने की प्रार्थना जोड़ा। जहाँ तक इस आधार पर कि इसे विवाह के 24 माह के भीतर दाखिल किया गया था, तलाक याचिका की पोषणीयता के संबंध में याची द्वारा की गयी आपत्ति का संबंध है, प्रत्यर्थी सं॰ 2 निवेदन करता है कि तलाक याचिका विवाह के 12 माह बाद दाखिल की गयी है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 के अधीन तलाक याचिका दाखिल करने का विहित समय एक वर्ष है। मामला के अभिलेख से, यह प्रतीत होता है कि याची ने दिनांक 16.4.2014 की याचिका (रिट याचिका का परिशिष्ट 4) दाखिल किया है जिसके द्वारा उसने तलाक याचिका की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति किया था, किंतु रिट याचिका में यह प्रकट नहीं किया गया है कि उक्त याचिका सुनी गयी थी या नहीं। वैवाहिक वादी की पोषणीयता के संबंध में प्रश्न आरंभ में ही स्वयं विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष उठाया/जोर दिया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा दाखिल तलाक याचिका के संबंध में प्रश्न विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष जोर दिए बिना और उक्त विवाद्यक पर उक्त विद्वान न्यायालय ऐसे किसी विनिश्चयकरण की अनुपस्थिति में नहीं उठाया जा सकता है।

10. अपने मामले का बचाव करने के लिए दोनों पक्षों को समान अवसर देने के लिए कुटुम्ब न्यायालय को निर्देश जारी करने की याची की प्रार्थना अस्पष्ट है, यह सुझाने के लिए किसी विनिर्दिष्ट उदाहरण के बिना है कि उसे अपना मामला का बचाव करने के लिए समान अवसर नहीं दिया गया है। अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 का साक्ष्य 18.10.2012 को बंद किया गया था और याची ने प्रतिपरीक्षण करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 के किसी गवाह को वापस बुलाने के लिए कोई याचिका दाखिल नहीं किया था और केवल याची का साक्ष्य बंद करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 की दिनांक 3.9.2013 की याचिका पर उसने यह कथन करते हुए उत्तर दाखिल किया कि एक गवाह अर्थात अनिल कुमार प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा अ॰ सा॰ 2 के रूप में परीक्षण किया गया था किंतु पूर्ण प्रतिपरीक्षण के बिना उसे उन्मोचित कर दिया गया था किंतु उस उत्तर में भी याची ने आगे प्रतिपरीक्षण के लिए अ॰ सा॰ 2 को वापस बुलाने के लिए विद्वान कुटुम्ब न्यायालय से अनुरोध नहीं किया था। चाहे जो भी हो, यह संभव हो सकता है कि इसे न्यायालय की प्रक्रिया से अनभिज्ञता के कारण दाखिल नहीं किया गया था। कुटुम्ब न्यायालय की पुर:स्थापना के पीछे का उद्देश्य पारिवारिक मामलों पर विचार करने के लिए मामला के प्रक्रियात्मक भाग को सरल बनाना है। ऐसे मामलों में कठोर नियम नहीं अपनाए जा सकते हैं अन्यथा कुटुम्ब न्यायालय का उद्देश्य विफल होगा। चूँकि पेशा करने वाले वकीलों को उपस्थित होने से वर्जित किया गया है, जबतक न्यायालय अनुमति नहीं देता है, यह स्पष्टत: उपदर्शित करता है कि प्रक्रिया का कठोरतापूर्वक अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। याची द्वारा दावा किया गया है कि अ॰ सा॰ 2

अनिल कुमार का प्रतिपरीक्षण पूरा नहीं हुआ था जो उसके मुताबिक मामला का प्रासंगिक गवाह है। विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय स्वप्रेरणा पर अथवा किसी भी पक्ष के आवेदन पर किसी गवाह को वापस बुलाने की अधिकारिता के सुअंतर्गत है जिसका साक्ष्य वाद के विनिश्चयकरण के लिए आवश्यक है। प्रत्यर्थी सं॰ 2 किसी प्रतिकूलता का कथन करने में विफल रहा है जिसे अ॰ सा॰ 2 अनिल कुमार का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति देकर उस पर कारित किया जा सकता है। चूँकि साक्ष्य का चरण अभी पूरा नहीं हुआ है, न्याय के उद्देश्य में याची की उक्त प्रार्थना अनुज्ञात की जाती है।

11. जहाँ तक जुलाई, 2015 में जनवरी, 2017 तक 2000/- रुपया प्रतिमाह की अंतरिम निर्वाह भत्ता राशि का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 को निर्देश देने की प्रार्थना का संबंध है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी, (1997) 11 SCC 286,** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^5. pfd ifr iokDrkulkj Hkj.k&ik"k.k jkf'k dk Hkxrku dju e foQy jgk] iRuh u olyh dk dk;okgh 'k: fd;kA ifr u çfrokn fd;k fd Hkj.k&ik"k.k jkf'k vrfje fuokg HkÙkk d fo:) lek;kftr fd;k tkuk pkfg, vkj nMkfèkdkjh ftud le{k olyh dk;okgh yfcr Fkh u çfrokn ekU; Bgjk;kA mPp U;k;ky; u vkn'k tk vihykèkhu g e vfHkfuèkkfjr fd;k fd nMkfèkdkjh fgn fookg vfèkfu;e dh èkkjk 24 d vèkhu vfèkfu.khr jkf'k d fo:) n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 d vèkhu vfèkfu.khr Hkj.k&ik"k.k jkf'k dk lek;ktu dju dk fun'k nu e xyr FkkA***

> *^^6. gekjk nf"Vdk.k g fd mPp U;k;ky; xyr FkkA Hkj.k&ik"k.k d fy, n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 d vèkhu vfèkfu.khr jkf'k ookfgd dk;okgh e vfèkfu.khr jkf'k d fo:) lek;ktuh; Fkh vkj bld vfrfjDr bl ugh fn;k tkuk FkkA fdr] iRuh dh vuifLFkfr e ge fofèk ij fdlh foLrkji.k ppk dju d bPNd ugh gA***

12. पूर्वोक्त मामला में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण का आदेश वैवाहिक कार्यवाही में अंतरिम निर्वाह भत्ता की अधिनिर्णीत राशि के विरूद्ध समायोजनीय है और इसके अतिरिक्त नहीं दिया जाना है।

13. अशोक सिंह पाल बनाम श्रीमती मंजूलता (ऊपर) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ ने उक्त मामला के तथ्य कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 तथ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन दोनों आदेश समायोजन के किसी आदेश के बिना उसी न्यायालय द्वारा उसी दिन पारित किए गए हैं, को विचार में लेने पर अभिनिर्धारित किया है कि समायोजन नहीं किया जा सकता है। चूँकि उक्त मामला पूरी तरह भिन्न तथ्यों एवं परिस्थितियों में विनिश्चित किया गया था, इसे वर्तमान मामला के तथ्यों के प्रति प्रयोज्य नहीं बनाया जा सकता है।

14. संशय कुमारी बनाम बिहार राज्य, 2000(1) PLJR 1066, में पटना उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने पैरा 4 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^4 fo}ku nMkfèkdkjh }kjk fn;k x;k nljk dkj.k Hkh bl rF; dh nf"V e Hkked çrhr gkrk g fd n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 rFkk fgn fookg vfèkfu;e dh èkkjk 24 dk foLrkj fHkUu vkèkkj ij [kMk gA ;g lR; g fd fgn fookg vfèkfu;e d vèkhu çnku fd;k x;k Hkj.k ik"k.k n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 d vèkhu çnku dh x;h jkf'k e l lek;kftr fd;k tk ldrk gA ejk lnhi pkèkjh cuke jkèkk pkèkjh] AIR 1999 SC 536 e fu.k; }kjk leFku ikIr gkrk g ftle ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fd tc iRuh dk fgn fookg vfèkfu;e dh èkkjk 24 rFkk n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 nkuk d vèkhu vrfje fuokg HkÙkk çnku fd;k tkrk g]*

*ml fLFkfr e] n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 d vèkhu çnku dh x;h Hkj.k&ik"k.k dh jkf'k ookfgd dk;okgh e vfèkfu.khr jkf'k d fo:) lek;kftr dh tkuh gA LohÑr :i l] vcrd flfoy U;k;ky; }kjk ikfjr fMØh d fucèkukuslkj ;kph dk ,d ilk Hkh ugh fn;k x;k gA ekeyk d ml nf"Vdk.k e ;kph iRuh] ;|fi rykd 'knk] gku d ukr vHkh Hkh n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 d fucèkukuslkj Hkj.k&ik"k.k dh gdnkj gA fdr] fgn fookg vfèkfu;e d çkoèkkuk d vèkhu vuKkr Hkj.k ik"k.k jkf'k n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 d fucèkukuslkj çnku dh x;h jkf'k d lek;ktu d vè;èkhu gA***

15. महुआ नंदा बनाम तपन नंदा, 2008 SCC online Cal 742, में कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^7. eu i{kk d fojkèkh çfroknk ij xHkhjrkiod fopkj fd;k gA vk{kfir vkn'k dk ifj'khyu dju ijj] e bl likf"kr dju e v{ke gA ek= blfy, fd ookfgd okn d lcèk e flfoy U;k;ky; u iRuh ,o lrku d i{k e Hkj.k ik"k.k vfèkfu.khr dju okyk vkn'k ikfjr fd;k g] og nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 125 d vèkhu dk;okgh ikf"kr dju e otuk d :i e çofrr dHkh ugh gkxkA nkuk dk;okfg;k ,d&nlj l Lor=g vkj lkFk&lkFk tkjh jg ldrh gA fdr] ifr nk ckj Hkj.k&ik"k.k dk Hkxrku dju d fy, ckè; ugh g] ,d ckj flfoy U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k d fucèkukuslkj vkj rc nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 125 d vèkhu dk;okgh d lcèk e ikfjr vkn'k d fucèkukuslkjA ml doy Hkj.k ik"k.k dh ,lh jkf'k dk Hkxrku dju dh vko';drk g tk nkuk d chp mPprj g] rn}kjk ftldk vFk g fd ;fn ookfgd okn d lcèk e çnku dh x;h jkf'k vkj nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 125 d vèkhu dk;okgh d lcèk e çnku dh x;h Hkj.k ik"k.k jkf'k fHkUu g] ifr ij ble l doy mPprj jkf'k dk Hkxrku dju dh ckè;rk g vkj u fd flfoy U;k;ky; }kjk rFkk nkfMd U;k;ky; }kjk ikfjr vkn'k d fucèkukuslkj nkuk dk Hkxrku dju dhA***

16. पूर्वोक्त निर्णयों के परिशीलन से, यह सामने आएगा कि यद्यपि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन भरण पोषण प्रदान करने वाले प्रावधान भिन्न हैं, पति भरण पोषण का दोहरा भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है बल्कि उसे केवल दोनों में से उच्चतर राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, याची का तर्क कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा भुगतान किए जाने के लिए 2000/- रुपया प्रतिमाह की राशि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन प्रदान किए गए भरण–पोषण के अधिनिर्णय के विरूद्ध समायोजनीय नहीं है, मान्य नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन अधिनिर्णीत भरण पोषण वादकालीन भरण पोषण है और वैवाहिक मामला के समापन के बाद इसका प्रभाव नहीं होगा, किंतु, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन प्रदान किया गया भरण पोषण परिवर्तित परिस्थितियों में इसे परिवर्तित किए जाने तक जारी रहेगा जैसा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 127 के अधीन उल्लिखित किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन याचिका की दाखिली अथवा उसके अधीन भरण पोषण का प्रदान मात्र व्यक्ति को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन याचिका दाखिल करने से अपवर्जित नहीं करता है। किंतु, जब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 तथा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन भरण पोषण के आदेश हैं, दावादार साथ–साथ दोनों भरण पोषण पाने का हकदार नहीं होगा बल्कि वह दोनों प्रावधानों में से केवल भरण पोषण की उच्चतर राशि पाने का हकदार होगा। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 कार्यवाही के किसी पक्ष को भरण–पोषण सुनिश्चित करने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ पुर: स्थापित किया गया है ताकि ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान

उसे अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 भी स्त्री, संतान एवं वृद्ध तथा दुर्बल गरीब माता–पिता जो स्वयं का भरण पोषण करने में अक्षम हैं भरण पोषण सुनिश्चित करने के लिए पुर: स्थापित किया गया है। इस प्रकार, दोनों धाराओं का उद्देश्य भरण पोषण प्रदान करना है। यदि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन भुगतान की जा रही राशि के अतिरिक्त हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन अंतरिम निर्वाह भत्ता का भुगतान अन्य पक्ष द्वारा दावादार को करने की अनुमति दी जाती है, भरण पोषण प्रदान करने का प्रयोजन व्यक्ति जिसके विरूद्ध उक्त आदेश पारित किया गया है पर अधिक बोझ डालते हुए विफल हो जाएगा।

17. वर्तमान मामला में, यह स्वीकृत तथ्य है कि याची ने दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 892 वर्ष 2015 में पारित आदेश की दृष्टि में सितंबर, 2015 से जुलाई, 2016 तक दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन 4000/- रुपयों और एस॰ एल॰ पी॰ (दांडिक) सं॰ 7907 वर्ष 2016 में पारित अंतरिम आदेश के मुताबिक दिसंबर, 2016 से फरवरी, 2017 तक 5000/- रुपया का भरण–पोषण पाया है। चूँकि प्रासंगिक अवधि के दौरान याची दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के प्रावधान के अधीन भरण पोषण प्राप्त कर रही है, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में वह 2000/- रुपया की अंतरिम निर्वाह भत्ता पाने की हकदार नहीं है जैसा दावा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन किया गया है।

18. पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन तथा यहाँ उपर की गयी चर्चा की दृष्टि में वर्तमान रिट याचिका एवं आई॰ ए॰ सं॰ 854/2017 निम्नलिखित संप्रेक्षणों/निर्देशों के साथ निपटायी जाती है।

i. प्रत्यर्थी को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची के समक्ष याची द्वारा आगे प्रतिपरीक्षण करने के लिए अ॰ सा॰ 2 अर्थात अनिल कुमार को 8.11.2017 को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है और उस दिन पर विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटम्ब न्यायालय, राँची याची को उक्त गवाह का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति देंगे।

ii. याची उस अवधि के दौरान जब वह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन भरण पोषण पा रही है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन भरण पोषण/अंतरिम निर्वाह भत्ता की हकदार नहीं होगी।

iii. विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची याची को अपने मामला के समर्थन में साक्ष्य देने का सम्यक अवसर प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष वैवाहिक वाद के निपटान में पूर्ण सहयोग करेंगे और किसी भी पक्ष द्वारा अनावश्यक स्थगन इप्सित नहीं किया जाएगा।

iv. विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची वैवाहिक वाद (एम॰ टी॰ एस॰ सं॰ 12/2011) को विचारण शीघ्रातिशीघ्र करने तथा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निष्कर्षित करने का सम्यक प्रयास करेंगे।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] ,ñ lhñ tñ ,o vferkHk dñ xlrk] U;k;efr

संबंधित कर्मकार, प्रमोद कुमार साहनी (190 में)

टाटा स्टील लिमिटेड के प्रबंधन के संबंध में नियोक्तागण (247 में)

cuke

टाटा स्टील लिमिटेड के प्रबंधन के संबंध में नियोक्तागण (190 में)

संबंधित कर्मकार, प्रमोद कुमार सहनी (247 में)

LPA Nos. 190, 247 with I.A. No. 2174 of 2016. Decided on 13th November, 2017.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—धारा 2(oo) एवं 25F—संविदात्मक नियुक्ति की समाप्ति—जब एक बार काम पर लगाए जाने की अवधि समाप्त हो जाती है, सेवा स्वतः बंद हो जाती है प्रबंधन द्वारा विनिर्दिष्ट कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है—सेवा का ऐसा स्वतः समापन छँटनी के तुल्य नहीं है—नियत अवधि का नियोजन उस नियत अवधि के बाद समाप्त हो जाता है, इस प्रकार की सेवा समाप्ति केवल सेवा समाप्ति है—सेवा समाप्ति मात्र को छँटनी नहीं कहा जा सकता है। (पैरा 7)

निर्णयज विधि.—2011) 6 SCC 584; (2015) 4 SCC 458; (2015) 12 SCC 39; (2015) 12 SCC 754; (2001) 5 SCC 540; (2001) 7 SCC 1; (2007) 1 SCC 533; (2007) 2 SCC 428; (2007) 6 SCC 207; 2006(3) JCR 432—Referred; (2005) 5 SCC 122; (2006) 2 SCC 702; (2006) 2 SCC 716; (2007)5 SCC 317; (2007)6 SCC 207; (2008) 2 SCC 552;(2008) 1 SCC 542—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Ajit Kumar, Kumar Sundaram (in 190); M/s Rajiv Ranjan, Manish Mishra (in 247), For the Appellant; M/s Rajiv Ranjan, Manish Mishra (in 190); M/s Ajit Kumar, Kumar Sundaram (in 190), For the Respondent.

डी॰ एन॰ पटेल, ए॰ सी॰ जे॰.—

एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 190 वर्ष 2016 में आई॰ ए॰ सं॰ 2174 वर्ष 2016

यह अंतर्वर्ती आवेदन लेटर्स पटेन्ट अपील सं॰ 190 वर्ष 2016 दाखिल करने में 14 दिनों के विलंब की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दाखिल किया गया है।

2. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अंतर्वर्ती आवेदन विशेषतः पैरा 3 एवं 4 में कथित कारणों को देखते हुए विलंब माफ करने का युक्तियुक्त कारण है। अतः, हम इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल करने में विलंब माफ करते हैं। अंतर्वर्ती आवेदन अनुज्ञात एवं निपटाया जाता है।

एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 247 वर्ष 2016 के साथ एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 190 वर्ष 2016

3. ये लेटर्स पेटेन्ट अपीलें डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दिनांक 5 फरवरी 2016 के निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर एक कर्मचारी द्वारा और दूसरा प्रबंधन द्वारा दाखिल की गयी हैं जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश मामला सं॰ 305 वर्ष 2000 में केंद्रीय औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 16 सितंबर, 2005 का अधिनिर्णय मान्य ठहराया है।

4. ताथ्यिक मैट्रिक्सः

● प्रबंधन ने स्टेनोग्राफर के पद के लिए परीक्षा लिया जिसमें कर्मचारी प्रबोध कुमार सहनी सफल नहीं हुआ था।

● तत्पश्चात कर्मचारी द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 1993 के पत्र के तहत कर्मचारी द्वारा अनुरोध किया था। (यह दस्तावेज एम॰ 1 श्रृंखला के रूप में केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

● यह पत्र लेटर्स पेटेंट अपील सं॰ 247 वर्ष 2016 के मेमो के परिशिष्ट 2 के तौर पर संलग्न किया गया है।

● कर्मचारी प्रबोध कुमार साहनी द्वारा 80 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त नहीं की जा सकी थी और इसलिए उसके अनुरोध पर उसे दो माह के लिए नियोजित किया गया था। आरंभ में 7 मार्च, 1994

को, तत्पश्चात 30 अक्टूबर 1994, तत्पश्चात 23 मार्च 1995, तत्पश्चात 31 मई 1997, तब 9 सितंबर 1997, तब 10 दिसंबर 1997 और अंत में 12 मार्च, 1998 को कभी कभार दो माह के लिए और कभी कभार 15 दिन के लिए और कभी कभार लंबी अवधि के लिए बनाए रखा गया था।

● इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि विभिन्न अवसरों पर संविदात्मक अवधि पर प्रबोध कुमार साहनी को आशुलेखक के रूप में काम पर उसके आशुलेखक परीक्षा में विफल होने के बावजूद लगाया गया था और वह भी प्रबोध कुमार साहनी के दिनांक 2 नवम्बर, 1993 के अपने पत्र के तहत अनुरोध पर औद्योगिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत M1 श्रृंखला दस्तावेज)

● यह प्रतीत होता है कि अंत में 23 अप्रिल, 1997 को उसे काम पर लगाया गया था और तत्पश्चात उसे नियोजन नहीं दिया गया था क्योंकि प्रबंधन को आवश्यकता नहीं थी और इसलिए प्रबोध कुमार साहनी द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अधीन औद्योगिक विवाद उठाया गया था और अंततः समुचित सरकार द्वारा निम्नलिखित निबंधनों के साथ निर्देश किया गया था:–

> *^^D;k 24 vfçy] 1997 d çHkko l çcakèk dekj lkguh dh lok lekIr dju e e l l fVLdk dh cykVkM ok'kjh d çcèku dh dkjokb fofèkd ,o U;k;kfpr Fkh\ ;fn ugh lcfèkr dedkj fdl vurk"k dk gdnkj g***

● यह निर्देश धारा 10 के अधीन किया गया था और केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद में निर्देश मामला सं॰ 305 वर्ष 2000 संस्थित किया गया था। प्रबंधन एवं कर्मकार द्वारा दिए गए साक्ष्य के साथ प्रबंधन एवं कर्मचारी द्वारा अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण ने दिनांक 16 सितंबर, 2015 का इस प्रभाव का अधिनिर्णय दिया कि प्रबंधन द्वारा प्रबोध कुमार साहनी की सेवा की दिनांक 23 अप्रिल, 1997 की सेवा समाप्ति अवैध थी और कर्मचारी की सेवा की संपुष्टि के लिए अनुशंसा की गयी थी

● दिनांक 23 अप्रिल, 1997 के निर्देश सं॰ 305 वर्ष 2000 में अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर प्रबंधन ने रिट याचिका **डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006** मुख्यतः इस आधार पर दाखिल किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों विशेषतः धारा 2(oo) (bb) को देखते हुए जब कभी इस प्रकार की सेवा समाप्ति में कर्मचारी की संविदात्मक अवधि समाप्त हो जाती है, किसी भी प्रकार पुनर्बहाली का प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है क्योंकि सेवा की स्वतः समाप्ति का ऐसा प्रकार शब्द ''छँटनी'' के प्रति अपवाद है। स्वतः सेवा समाप्ति प्रबंधन की कार्रवाई नहीं है। स्वतः सेवा समाप्ति कर्मचारी का कृत्य भी है क्योंकि वह सीमित अवधि के लिए नियोजन पाने के लिए सहमत हुआ है। छँटनी का प्रबंधन की कार्रवाई से लेना-देना है जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(oo) (bb) के प्रावधानों को देखते हुए छँटनी के प्रति अपवाद है। मुख्यतः इस आधार पर प्रबंधन द्वारा रिट याचिका दाखिल की गयी थी और लेटर्स पेटेन्ट अपील में इसे दोहराया गया है।

● रिट याचिका में प्रचारित एक अन्य मुख्य आधार यह है कि केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद निर्देश के विस्तार के परे गया है अर्थात कर्मचारी को स्थायी बनाने की अनुशंसा किया है।

इस प्रकार की अनुशंसा केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी। यद्यपि अस्थायी रूप से नियोजित व्यक्ति ने 240 दिनों के लिए काम किया है, एक निरंतर वर्ष में 240 दिनों का काम सोने की छड़ी नहीं है जो कर्मचारी को स्वत: सेवा में स्थायी बनाती है। इन दो मुख्य आधारों पर रिट याचिका WP(L)1571/2006 दाखिल किया गया था और रिट याचिका अंशत: अनुज्ञात की गयी थी और संपुष्टि के लिए निर्देश अपास्त किया गया था, फिर भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पूर्ण पिछली मजदूरी के साथ पुनर्बहाली बनायी रखी गयी थी, अत: प्रबंधन ने लेटर्स पेटेन्ट अपील सं॰ 247 वर्ष 2016 दाखिल किया है।

● कर्मचारी द्वारा किया गया मुख्य प्रतिवाद एक निरंतर वर्ष में 240 दिनों का काम तथा विशेषत: 23 मार्च, 1995 अप्रिल, 1997 तक चली अवधि के लिए।

● चूँकि दिनांक 5 फरवरी, 2016 के निर्णय एवं आदेश के तहत डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णय अंशत: उपांतरित किया गया है, प्रबंधन एवं कर्मचारी दोनों ने एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 190 एवं 247 वर्ष 2016 दाखिल किया है।

5. <u>कर्मचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचारित तर्क</u>

● यह निवेदन किया गया है कि कर्मचारी प्रबोध कुमार साहनी को स्थायी कर्मकार के लाभ के प्रदान से बचने के लिए विभिन्न अंतराल के लिए नियमित रूप से नियोजित किया गया था। विभिन्न अवधियाँ 15 दिन, दो माह और अधिक की हैं जैसा विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में कथित किया गया है।

● कर्मचारी प्रबोध कुमार साहनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि कर्मचारी ने 23 मार्च, 1995 से 23 अप्रिल, 1997 तक चली अवधि के लिए 240 दिनों से अधिक तक आशुलेखक के रूप में काम किया है, अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(f) में यथा निर्दिष्ट शर्तों का अनुसरण किए बिना 23 अप्रिल, 1997 को सेवा समाप्ति सेवा की अवैध समाप्ति के तुल्य होगी। दिनांक 23 अप्रिल, 1997 के निर्देश केस सं॰ 305 वर्ष 2000 में अधिनिर्णय पारित करते हुए अधिकरण द्वारा मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है और डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 में विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 5 फरवरी, 2016 के निर्णय में भी किया गया है।

● कर्मचारी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अनेक निर्णयों पर विश्वास किया है जो निम्नलिखित है:–

(2011) 6 SCC 584;

(2015)4 SCC 458;

(2015) 12 SCC 39;

(2015) 12 SCC 754

पूर्वोक्त निर्णयों के आधार पर कर्मचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रबोध कुमार साहनी की सेवा में कृत्रिम व्यवधान अनुज्ञेय नहीं है। वस्तुत:, इस कर्मचारी ने 7 मार्च, 1994 से अपनी सेवा समाप्ति की तिथि अर्थात 23 अप्रिल, 1997 तक लगातार काम किया है और इसलिए, पूर्ण पिछली मजदूरी के साथ पुनर्बहाली का अधिनिर्णय पारित करते हुए केंद्रीय औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1 धनबाद द्वारा गलती नहीं की गयी थी और प्रबंधन गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को देखते हुए भी, प्रबोध

कुमार साहनी का काम संतोषजनक था और उसे स्थायी सेवा पाने के लिए अनुशंसित किया गया था और इसलिए कर्मचारी की सेवा स्थायी करने की अनुशंसा करने में अधिकरण ने गलती नहीं किया है। डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 में दिनांक 5 फरवरी 2016 का आदेश पारित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है, अत: कर्मचारी द्वारा लेटर्स पेटेन्ट अपील सं॰ 190 वर्ष 2016 दाखिल की गयी है।

6. <u>प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचारित तर्क</u>

● प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रबोध कुमार साहनी आशुलेखक की परीक्षा में विफल रहा है, किंतु चूँकि वह प्रबंधन के एक कर्मचारी का पुत्र था और चूँकि उसने आशुलेखन के कुछ अस्थायी काम के लिए अनुरोध किया, उसने कुछ काम पाने के लिए दिनांक 24 नवम्बर 1993 का पत्र लिखा, उसे 7 मार्च 1994 को आशुलेखक के रूप में दो माह का नियोजन दिया गया था। उसे पुन: 30 अक्टूबर, 1994 को पुन: 23 मार्च, 1995 को अस्थायी अवधि के लिए नियोजन दिया गया था। त्वरित निर्देश के लिए तालिका में दी गयी नियोजन की विभिन्न तिथियाँ नीचे उद्धृत की जाती है:–

क्रम सं॰	नियुक्ति पत्र की तिथि	नियुक्ति अवधि
1.	7.3.1994	प्रत्यर्थी दो माह के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था।
2.	30.10.1994	प्रत्यर्थी को पुन: दो माह के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था।
3.	23.3.1995	प्रत्यर्थी को पुन: दो माह के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। वह दो माह के परे 23.4.1997 तक काम करता रहा। उसे 24.4.1997 से काम करने से रोक दिया गया था।
4.	31.5.1997	प्रत्यर्थी को पुन: 15 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया था।
5.	9.9.1997	प्रत्यर्थी को पुन: 15 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया था।
6.	10.12.1997	प्रत्यर्थी को पुन: तीन माह की अवधि के लिए अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया था।
7.	12.3.1998	प्रत्यर्थी को पुन: तीन माह की अवधि के लिए अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया था।

● इस प्रकार, पूर्वोक्त विभिन्न नियुक्ति पत्रों की दृष्टि में तथ्य बना रहता है कि निश्चित अवधि के लिए संविदात्मक नियोजन था। जब कभी ऐसी संविदात्मक अवधि समाप्त हो जाती है, प्रबोध कुमार साहनी की सेवा भी समाप्त हो जाएगी, अत:, प्रबंधन एवं कर्मचारी के संयुक्त कृत्य द्वारा सेवा की स्वत: समाप्ति का ऐसा प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा (oo) (bb) के मुताबिक ''छँटनी'' की परिभाषा से बहिष्कृत किया गया है। केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद तथा रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 विनिश्चित करते हुए दिनांक 5 फरवरी, 2016 के निर्णय एवं

आदेश के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

● प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित सीमित अवधि के लिए अस्थायी संविदात्मक नियोजन कर्मचारी द्वारा स्वीकार किया गया था क्योंकि वह प्रबंधन द्वारा ली गयी आशुलेखक परीक्षा में विफल रहा था और केवल दिनांक 2 नवम्बर, 1993 के अपने पत्र के तहत (अधिकरण के समक्ष प्रदर्श M1 श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज) कर्मचारी के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक उसे यह काम दिया जा रहा था। यह दस्तावेज लेटर्स पेटेन्ट अपील सं॰ 247 वर्ष 2016 के मेमों के परिशिष्ट 2 के रूप में भी संलग्न किया गया है। जब कभी संविदात्मक नियोजन सीमित समय के लिए दिया जाता है, समय विनिर्दिष्ट तिथि पर समाप्त होने के लिए बाध्य है, क्योंकि समय एवं ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। जब एक बार समयसीमा समाप्त हो जाती है, सेवा संविदा समाप्त हो जाएगी। सेवा समाप्ति के ऐसे प्रकार को 'छँटनी' नहीं कहा जा सकता है जैसा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन परिभाषित किया गया है।

● प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि भले ही संविदात्मक कर्मचारी ने एक लगातार वर्ष में 240 दिन अथवा अधिक के लिए काम किया है, उसने स्थायी कर्मचारी का दर्जा कभी प्राप्त नहीं किया है जब तक प्रबंधन द्वारा इसे नहीं दिया जाता है। 240 दिनों से अधिक का काम सोने की छड़ी नहीं है जो स्वत: कर्मचारी को सेवा में स्थायी बनाता है। एक लगातार वर्ष में 240 दिनों से अधिक का काम ऐसे कर्मचारी को सेवा में स्थायी बनाने के लिए प्रबंधन की ओर से बाध्यता सृजित कभी नहीं करता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा इंगित एकमात्र बाध्यता धारा 25(F) के अधीन यथाकथित प्रक्रिया का अनुसरण करना है, किंतु, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन ऐसा प्रावधान नहीं है कि यदि कर्मचारी ने 240 दिन से अधिक के लिए काम किया है, उसे सेवा में स्थायित्व प्रदत्त किया जाएगा। निर्देश सं॰ 305 वर्ष 2000 में दिनांक 16 सितंबर, 2005 का अधिनिर्णय पारित करते हुए अधिकरण द्वारा मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है। वस्तुत:, इस मामला में छँटनी का कोई भी प्रश्न प्रबोध कुमार साहनी को सेवा में स्थायित्व प्रदान करने के लिए उद्‌भूत नहीं होता है। रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 विनिश्चित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2016 के निर्णय एवं आदेश के तहत मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

● प्रबंधन के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि 23 अप्रिल, 1997 के बाद भी, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अधीन निर्दिष्ट किया गया है, चार विभिन्न अवसरों पर आगे नियोजन दिया गया था और इसे कर्मचारी द्वारा स्वीकार किया गया था जो 15 दिनों के लिए अथवा तीन माह के लिए था और तिथियाँ 31 मई, 1997 एवं इसके आगे से शुरू होती हैं जैसा यहाँ उपर तालिका में दिया गया है।

● इस प्रकार, जब एवं जैसे काम की आवश्यकता हुई, इसे प्रबोध कुमार साहनी को प्रस्तावित किया गया था और उसने स्वेच्छापूर्वक 15 दिनों के लिए अथवा तीन माह के लिए काम स्वीकार किया था क्योंकि अन्यथा वह आशुलेखन परीक्षा में विफल हुआ था।

● प्रबंधन के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने–

(2001) 5 SCC 540;

(2001)7 SCC 1;

(2007)1 SCC 533;

(2007) 2 SCC 428,

(2007) 6 SCC 207 *e ekuuh; lokPp U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k;k rFkk 2006(3) JCR 432 e bl U;k;ky; d fu.k; ij fo'okl fd;k gA*

● पूर्वोक्त निर्णयों के आधार पर, प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि जब कभी भी नियत अवधि के लिए नियोजन दिया जाता है, संविदात्मक आधार पर सीमित अवधि एवं उक्त अवधि के समापन पर कर्मचारी की सेवा का अंत हो जाने पर सहमति हुई थी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा (2) (oo) (bb) को देखते हुए छँटनी नहीं कहीं जा सकती है और न ही इस प्रकार के कर्मचारी को स्थायी सेवा अधिनिर्णीत की जा सकती है यद्यपि उसने एक निरंतर वर्ष में 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया है। निर्देश सं॰ 305 वर्ष 2000 विनिश्चित करते हुए केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा और न ही डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 विनिश्चित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इन पहलूओं का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है। अत: प्रबंधन ने लेटर्स पेटेन्ट अपील सं॰ 247 वर्ष 2016 दाखिल किया है।

कारण:

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामला के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए हम एतद् द्वारा डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 में दिनांक 5 फरवरी, 2016 के आदेश और दिनांक 23 अप्रिल, 1997 के निर्देश सं॰ 305 वर्ष 2000 में केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा पारित अधिनिर्णय को निम्नलिखित तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के कारण अभिखंडित एवं अपास्त करते हैं:

(i) मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अधिकरण के समक्ष साक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रबोध कुमार साहनी प्रबंधन द्वारा संचालित आशुलेखन की परीक्षा में विफल हुआ था और चूँकि वह एक अन्य कर्मचारी का पुत्र था और चूँकि प्रबोध कुमार साहनी ने दिनांक 2 नवम्बर, 1993 को पत्र (औद्योगिक अधिकरण के समक्ष प्रदर्श M1 श्रृंखला) जिसे लेटर्स पेटेन्ट अपील सं॰ 247 वर्ष 2016 के मेमो के परिशिष्ट 2 के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है के आधार पर 7 मार्च, 1994 को दो माह का नियोजन किया गया था। तत्पश्चात, प्रबंधन की आवश्यकता देखते हुए विभिन्न तिथियों पर अस्थायी अवधि के लिए संविदात्मक आधार पर अस्थायी आधार पर नियोजन दिया गया था। त्वरित निर्देश के लिए यहाँ उपर तालिका में अवधि का उल्लेख किया गया है। उक्त तालिका से यह प्रतीत होता है कि 23 अप्रिल, 1997 को अवधि समाप्त हो गयी और प्रबोध कुमार साहनी ने औद्योगिक विवाद उठाया जिसे अंतत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अधीन निर्दिष्ट किया गया है। निर्देश के निबंधन का उल्लेख यहाँ उपर किया गया है।

(ii) मामले के तथ्यों से आगे प्रतीत होता है कि भले ही पूर्वोक्त कट ऑफ तिथि 23 अप्रिल, 1997 थी, प्रबंधन की आवश्यकता देखते हुए प्रबोध कुमार साहनी को विभिन्न अंतरालों पर 15 दिन एवं 3 माह के लिए नियोजन दिया गया था और अंत में इसे 12 मार्च, 1998 को दिया गया था।

(iii) इस प्रकार, पूर्वोक्त विवरणों से यह प्रतीत होता है कि 15 दिनों अथवा दो माह अथवा तीन माह के लिए प्रबंधन द्वारा आशुलेखक काम पर लगाया गया था; जब एक बार ऐसी अवधि का अंत हो जाता है, सेवा स्वत: समाप्त हो जाती है। सेवा की ऐसी स्वत: समाप्ति को प्रबंधन द्वारा सेवा समाप्ति नहीं

कहा जा सकता है। वस्तुत: जब एक बार संविदात्मक अवधि समाप्त हो जाती है, सेवा स्वत: समाप्त हो जाती है, प्रबंधन द्वारा विनिर्दिष्ट कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुत: चूँकि संविदात्मक अवधि के रूप में पक्षों की सहमति समाप्त हो जाती है, कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाएगी।

(iv) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(oo) के मुताबिक, शब्द 'छँटनी' की परिभाषा अपने अपवाद के लिए अधिक ज्ञात है और विशेषत: शब्द यहाँ उपर कथित धारा 2(oo) (bb) के अधीन परिभाषित किया गया है। जब एकबार संविदात्मक अवधि समाप्त हो जाती है, प्रबंधन की किसी कार्रवाई के बिना सेवा स्वत: समाप्त हो जाएगी, जबकि छँटनी प्रबंधन की कार्रवाई आवश्यक बनाती है। जब एक बार सेवा अवधि समाप्त हो जाती है, प्रबंधन द्वारा कुछ नहीं किया जाता है, अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि सेवा की ऐसी स्वत: समाप्ति छँटनी के तुल्य है। जब एक बार संविदात्मक अवधि समाप्त हो जाती है, सेवा की स्वत: समाप्ति हो जाती है– जबकि छँटनी प्रबंधन की एकपक्षीय कार्रवाई है। जब एक बार संविदात्मक अवधि समाप्त हो जाती है, कोई उत्तरदायी नहीं होता है, प्रबंधन की तो बात ही दूर। अत:, इसे छँटनी नहीं कहा जा सकता है। जब एक बार सेवा की संविदात्मक अवधि समाप्त हो जाती है, यह स्वैच्छिक परिघटना है और volenti non fit injuria है। इस प्रकार, सेवा समाप्ति पर कर्मचारी शिकायत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने स्वत: सेवा समाप्ति के लिए अपनी सहमति दिया है क्योंकि समय एवं ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। नियत अवधि का नियोजन उस नियत अवधि के समाप्त हो जाने के बाद समाप्त होने के लिए बाध्य है, अत:, इस प्रकार की सेवा समाप्ति ''मात्र सेवा समाप्ति'' है। सेवा समाप्ति मात्र को छँटनी नहीं कहा जा सकता है। ''सहमत सेवा समाप्ति'' का ऐसा प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(oo)(bb) के अधीन आच्छादित नहीं है सहमत सेवा समाप्ति के ऐसे प्रकार को कर्मचारी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। निर्देश सं॰ 305 वर्ष 2000 में केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद में निर्देश करते हुए अथवा डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2016 के आदेश के तहत मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

(v) कर्मचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा और केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा तथा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रबोध कुमार साहनी द्वारा एक निरंतर वर्ष में 240 दिनों से अधिक के लिए किए गए काम तथा सेवा में सपुंष्टि के लिए अधिकरण द्वारा की गयी अनुशंसा जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा थोड़ा उपांतरित किया गया है, पर काफी तर्क एवं चर्चा की गयी है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कर्मकार द्वारा 240 दिनों से अधिक तक काम करना जादू की छड़ी नहीं है जो सदैव कर्मकार को सेवा में स्थायित्व देगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम की इस प्रकार की व्याख्या विधि की दृष्टि में अनुज्ञेय नहीं है, भले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(s) के अर्थ के अंतर्गत कर्मकार ने एक निरंतर वर्ष में 240 दिनों से अधिक तक काम किया है। उसे संपुष्ट किया अथवा नहीं किया जा सकता है, किंतु, मात्र इसलिए कि कर्मकार ने 240 दिनों के लिए काम किया है, यह ऐसे प्रकार के कर्मचारी की संपुष्टि करने के लिए प्रबंधन की ओर से बाध्यता सृजित कभी नहीं करता है। जब प्रबंधन की ओर से इस प्रकार के कर्मचारी को संपुष्ट करने की बाध्यता नहीं है, सेवा में संपुष्ट किए जाने के लिए कर्मकार में अधिकार निहित नहीं हे। जब एक बार सेवा में संपुष्ट किए जाने के लिए ऐसे कर्मकार

में कोई अधिकार निहित नहीं है। प्रबंधन को संपुष्टि का निर्देश देने के लिए निर्देश सं॰ 305 वर्ष 2000 विनिश्चित करते हुए औद्योगिक अधिकरण द्वारा ऐसा निर्देश अथवा प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है। जब तक कर्मचारी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, औद्योगिक अधिकरण द्वारा इस प्रकार का निर्देश नहीं दिया जा सकता था। वस्तुत:, प्रबंधन में कर्तव्य निहित नहीं है कि मात्र इसलिए कि कर्मचारी ने 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया है, ऐसे कर्मचारी को संपुष्ट करने की प्रबंधन की ओर से बाध्यता है। वस्तुत: यह अधिकरण के दिमाग में गलत धारणा है। पहले भी इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 229 वर्ष 2009 को दिनांक 2 नवंबर, 2015 के निर्णय एवं आदेश के तहत विनिश्चित किया है और उक्त निर्णय एवं आदेश की प्रति प्रसारित भी की गयी है क्योंकि समरूप प्रकार के मामले विनिश्चित किए जा रहे हैं और यह मामला इस प्रकार के निर्णय के प्रति अपवाद नहीं है। यह निर्देश सं॰ 305 वर्ष 2000 दिनांक 16 सितम्बर, 2005 के अधिनिर्णय के तहत विनिश्चित करते हुए केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा की गयी अभिलेख को देखते ही प्रकट गलती है और इसे डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 विनिश्चित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही रूप से सुधारा गया है। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण लेने का कारण नहीं देखते हैं। केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा निर्देश नहीं दिया जा सकता था और न ही इस प्रकार के कर्मचारी को संपुष्ट करते हुए औद्योगिक अधिकरण द्वारा कोई अनुशंसा की जा सकती थी।

(vi) इन दो लेटर्स पेटेन्ट अपीलों में अंतर्ग्रस्त दूसरा मुख्य विवाद्यक प्रबोध कुमार साहनी की छँटनी के बारे में है। कर्मचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा काफी तर्क किया गया है कि 23 अप्रिल, 1997 को कर्मचारी की सेवा समाप्त की गयी थी जिसे आरंभ में दो माह के लिए संविदात्मक नियोजन दिया गया था और इसे 23 मार्च, 1995 से 23 अप्रिल, 1997 तक चली अवधि के लिए जारी रखा गया था, इस प्रकार के कर्मचारी जिसकी सेवा अस्थायी है की सेवा यदि कोई नोटिस दिए बिना और कोई छँटनी मुआवजा दिए बिना समाप्त की जाती है, इस प्रकार की छँटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(F) में अंतर्विष्ट प्रावधान के मुताबिक अवैध है। हम कर्मचारी प्रबोध कुमार साहनी के अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिवाद से मुख्यत: इस कारण से सहमत नहीं हो रहे हैं कि इस कर्मचारी को प्रबंधन की अत्यावश्यकता को देखते हुए दो माह के लिए आशुलेखन का काम दिया गया था। वस्तुत:, प्रबोध कुमार साहनी प्रबंधन द्वारा संचालित आशुलेखन परीक्षा में विफल रहा था और दिनांक 2 नवम्बर, 1993 के पत्र के तहत उसके अनुरोध पर अंशत: सहानुभूति के कारण और अंशत: अस्थायी आवश्यकता के कारण 7 मार्च, 1994 को दो माह का संविदात्मक नियोजन दिया गया था और पुन: इसे 30 अक्टूबर, 1994 को दिया गया था और यह 23 अप्रिल, 1997 तक जारी रहा जैसा उपर दी गयी तालिका में अंतर्विष्ट है। कर्मचारी द्वारा 23 अप्रिल, 1997 के बाद औद्योगिक विवाद उठाया गया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि तत्पश्चात भी प्रबंधन की आवश्यकता देखते हुए 15 दिनों के लिए और पुन: तीन माह के लिए आशुलेखक का काम प्रस्तावित एवं स्वीकार किया गया था और अंतत: इसे 12 मार्च 1998 को दिया गया था। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ज्योंही संविदात्मक अवधि समाप्त हो जाती है, संविदात्मक नियोजन सदैव समाप्त हो जाता है। पक्षों की इच्छा से संविदा की जाती है। सेवा समाप्ति का यह प्रकार दंडात्मक सेवा समाप्ति नहीं है, बल्कि मात्र सेवा समाप्ति है जो संविदात्मक अवधि के समाप्त होने से उद्भूत होती है और यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(oo) के मुताबिक छँटनी के तुल्य नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(oo) (bb) में विशेषत: परिभाषित अपवादों को

ध्यान में रखा जाना चाहिए। संविदात्मक अवधि अनिश्चितकालीन नहीं होती है। प्रबंधन द्वारा किए जाने के लिए कुछ भी नहीं है। भले ही प्रबंधन द्वारा कुछ नहीं किया जाता है, तब भी सेवा समाप्त होगी यदि यह सीमित संविदात्मक अवधि के लिए है। अत:, इस छँटनी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कर्मचारी की सेवा समाप्ति संविदा के निबंधन के मुताबिक है और यह छँटनी के तुल्य नहीं है। केवल छँटनी धारा 25(F) द्वारा संरक्षित की गयी है। इस प्रकार, समस्त सेवा समाप्ति छँटनी नहीं है। कभी कभार प्रबंधन एवं कर्मचारी के बीच करार द्वारा सेवा समाप्ति होती है। कर्मचारी को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वे इस प्रकार का संविदात्मक नियोजन स्वीकार कर रहे हैं और जब वे दो माह अथवा तीन माह के लिए काम कर रहे हैं, वे भी अपनी सेवा की स्वत: समाप्ति के लिए सहमत हो रहे हैं। जब एक बार कर्मचारी नियत अवधि की संविदात्मक सेवा के लिए सहमत हो रहा है, वह ऐसी संविदात्मक अवधि की समाप्ति पर सेवा की समाप्ति के लिए भी सहमत हो रहा है। जब एक बार कर्मचारी सेवा समाप्ति के लिए सहमत होता है, इस प्रकार की सेवा समाप्ति मात्र सेवा समाप्ति के रूप में जानी जाती है जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(oo) के अधीन यथा परिभाषित छँटनी नहीं कहा जा सकता है।

(vii) **माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अनिल कुमार मिश्रा, (2005) 5 SCC 122,** मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"5. ge mPp U;k;ky; dk vkn'k ekU; Bgjkus e v{ke gA dkb Hkh etj in fo|eku ugh Fkk ftl ij mUgs fu;Dr fd;k x;k dgk tk ldrk FkkA dke rnFk Fkk tk çR;kf'kr :i l lekIr gk x;kA vk|kfxd fookn vfèkfu;e] 1947 d çkoèkkuk dh ln';rk ij] 240 fnuk dk dke ijk fd, tku dh ?kVukvk dk vFkkU;u djr g,] mudk dedkj dk ntk nuk ifjdfYir djuk ef'dy gA vk|kfxd fookn vfèkfu;e] 1947 d vèkhu ml dky d fy, dke l çokfgr gku oky fofèkd ifj.kke ml l fcydy fHkUu g ftl foo{kk }kjk lkn';rk d :i e oreku fLFkfr ij vH;kjkfir fd;k x;k gA ***ml fofèk d vèkhu 240 fnuk dk dke ijk djuk fu;fefrdj.k dk vfèkdkj vftr ugh djrk gA ;g ek= lok lekfIr d le; ij fu;kDrk ij dfri; ckè;rkvk dk vfèkjkfir djrk gA ;gk foLrkfjr :i e*** *ml lkn';rk dk vFkkU;u djuk ,o bl ykx djuk lefpr ugh gkxkA** (tkj fn;k x;k)*

(viii) **म॰ प्र॰ हाउसिंग बोर्ड बनाम मनोज श्रीवास्तव, (2006)2 SCC 702,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"17. ***vc ;g lLFkkfir g fd doy blfy, fd dkb 0;fDr 240 fnuk l vfèkd d fy, dk;jr g] og lok e fu;fer fd, tku dk fofèkd vfèkdkj ugh ikrk gA*** *(n[kh ekè;fed f'k{kk ifj"kn] m0 ç0 cuke vfuy dekj feJk(dk;ikyd vfHk;Urk] tM0 ih0 bthfu;fjx fMfotu cuke fnxEcj jko] èkkeij lxj feYl fy0 cuke Hkkyk flg] çcèkd] fjto cd vkQ bfM;k cuke ,l0 efu ,o uhjt voLFkh)** (tkj fn;k x;k)*

(ix) **म॰ प्र॰ राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज विकास निगम लि॰ बनाम एस॰ सी॰ पांडे, (2006) 2 SCC 716,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

^^17. bl vihy e mBk;k x;k ç'u vc e0 ç0 gkmflx ckM cuke eukt dekj JhokLro e bl U;k;ky; d fu.k; }kjk vkPNkfnr g ftle bl U;k;ky;

u Li"Vr% er fn;k g fd (1) tc lok 'krs nk lfofèk;k }kjk 'kkflr gkrh g(,d p;u ,o fu;fDr l lcfèkr rFkk nlj h lok d fucèkuk ,o 'krk l lcfèkr] nkuk gh lfofèk;k dk çHkko fn, tku dk ç;kl fd;k tkuk pkfg,((2) ***nfud etnj in èkkj.k ugh djrk g D;kfd ml vfèkfu;e d çkoèkkuk rFkk mld vèkhu fojfpr fu;ekoyh d fucèkukuqlkj fu;Dr ugh fd;k x;k g vkj ekeyk d ml nf"Vdk.k e og dkb fofèkd vfèkdkj çklr ugh djrk g((3) doy blfy, fd depkjh 240 fnuk l vfèkd d fy, dke dj jgk Fkk] og Lo;a e ml ij lok e fu;fer fd, tku dk fofèkd vfèkdkj çnÙk ugh djxk((4) ;fn fu;fDr lfofèk d çkoèkkuk d foijhr dh x;h g] ;g 'kU; gkxh vkj mldk çHkko ;g gkxk fd ml dkj.k l depkjh }kjk fofèkd vfèkdkj çklr ugh fd;k x;k FkkA*** *(tkj fn;k x;k)*

(x) **पोस्टमास्टर जनरल, कोलकाता बनाम टूटू दास (दत्ता), (2007)5 SCC 317** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

^16. lf{klr vkn'k tk nfcdk xgk e bl U;k;ky; d fu.k; dk fo"k;oLrq Fkk] mek noh (3) e myV fn;k x;k FkkA ***ge bl pj.k ij ;g Hkh xkj dj ldr g fd lok d fu;fefrdj.k d ç;ktu l 240 fnuk d dV vkQ fcUnq gksu dh èkkj.kk ekè;fed f'k{kk ifj"kn cuke vfuy dekj feJk e bl U;k;ky; d fopkjkFk vk;h ftle ;g Li"Vr% vfèkdfFkr fd;k x;k Fkk fd ,d o"k e fujrj lok dk 240 fnu ijk djuk doy ml ekeyk e vkÑ"V gkxk tgk vk|kfxd fookn vfèkfu;e dh èkkjk 25F e vrfo"V çkoèkkuk dk vuikyu fd, fcuk NVuh çHkkoh cuk;h x;h g] fdr lok d fu;fefrdj.k d fy, çklfxd ugh gkxkA***

(tkj fn;k x;k)

(xi) **हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० बनाम दान बहादुर सिंह, (2007) 6 SCC 207** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

^18. vxyk ç'u ftl ij fopkj djuk dh vko';drk ;g g fd D;k ,d o"k e dke dk 240 fnu ijk fd;k tkuk depkjh vFkok dedkj ij lok e fu;fefrdj.k dk nkok djuk dk dkb vfèkdkj çnÙk djrk gA ekè;fed f'k{kk ifj"kn cuke vfuy dekj feJk e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd 240 fnu dk dke ijk fd;k tkuk vk|kfxd fookn vfèkfu;e d vèkhu fu;fefrdj.k dk vfèkdkj çnÙk ugh djrk gA ;g ek= lok dh lekflr d le; ij fu;kDrk ij dfri; ckè;rk,a vfèkjksfir djrk gA eO çO gkmflx ckM cuke euk t JhokLro (ijk 17) e vud io fu.k;k dk fufn"V dju d ckn ;g nkgjk;k x;k g fd ;g lLFkkfir g fd doy blfy, fd 0;fDr u 240 fnuk l vfèkd d fy, dke fd;k g] og lok e fu;fer fd, tku dk dkb fofèkd vfèkdkj çklr ugh djrk gA ;g nf"Vdk.k xxkèkj fiYy cuke lkbeal fyO e nkgjk;k x;k gA ljdkjh dkiuh e dk;jr depkjh d çfr funs'k e vR;fèkd foLrkj e blh ç'u dk bfM;u MXl ,UM QkekL;fVdYl fyO cuke dedkj e ijh{k.k fd;k x;k g vkj fjiksV d ijk 34 ,o 35 dk uhp m)r fd;k tkrk g% *(SSC P. 426)*

^34. ***bl çdkj] ;g lLFkkfir g fd fu;fefrdj.k bfllr djuk d fy, fdlh nfud etnj e vfèkdkj fufgr ugh gA fu;fefrdj.k doy fu;ek d vuq:i vkj u fd fu;ek l vlc) fd;k tk ldrk gA bO jkek Ñ".k.k cuke djy jkT; e bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd fu;ek l vlc) fu;fefrdj.k ugh gk ldrk gA ;gh nf"Vdk.k fd'kkj (MkO) cuke egkjk"V jkT; rFkk Hkkjr l?k cuke fo'kHkj nÙk e***

viuk;k x;k FkkA 0;fDr;k ftUg fu;ek d vu:i fu;fer vkèkkj ij fu;Dr ugh fd;k x;k Fkk dh lok, fu;fer dju d fy, lok vfèkdj.k }kjk tkjh fun'k vkLr fd;k x;k Fkk ;fi ;kph yc le; l fu;fer :i l dke dj jgk FkkA

*35. lfjUnj flg tkeoky (MkO) cuke t0 d0 jkT; e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd rnFk fu;fDr fu;fefrdj.k dk dkb vfèkdkj ugh nrh g D;kfd fu;fefrdj.k lkfofèkd fu;ek }kjk 'kkflr gkrk gA** (tkj fn;k x;k)*

(xii) **चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाम यूनाइटेड ट्रेड्स काँग्रेस, (2008)2 SCC 552,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^12. fdr] çR;Fkh 2 dh vkj l mifLFkr fo}ku vfèkoDrk }kjk ;g dFku dju dk {kh.k ç;kl fd;k x;k Fkk fd ml LFkk;h fjfDr d fo:) fu;Dr fd;k x;k FkkA viu fyf[kr dFku e mlu , lk dkb çfrokn ugh mBk;k FkkA vfHky[k l ;g Hkh çrhr ugh gkrk g fd ml fu;fDr dk dkb çLrko fn;k x;k FkkA ;g vdYiuh; g fd fu;fer vkèkkj ij fu;Dr depkjh dk fu;fDr dk çLrko ugh fn;k tk,xk vFkok orueku e ugh j[kk tk,xkA vr%] ge bl vkèkkj ij vxlj gku e ldkp ugh g fd çR;Fkh 2 dk nfud etnjh ij fu;Dr fd;k x;k FkkA ***vk|kfxd U;k;ky; vk{kfir vfèkfu.k; ikfjr dju e bl vkèkkj ij vxlj gvk fd çR;Fkh 2 viu dke ij yxk, tku dh frfFk l yxkrkj 240 fnuk l vfèkd d fy, dk;jr FkkA vc ;g io l çpfyr g fd ;g Lo; e lok e fu;fer fd, tku d fy, dedkj ij dkb vfèkdkj çnUk ugh djrk gA ,d o"k e 240 fnuk l vfèkd dke djuk doy dedkjk dh NVuh dh ijkHkk0; 'kr l çkoèkkfur djr g, m0 ç0 vk|kfxd fookn vfèkfu;e dh èkkjk 6 N dh ç;kT;rk d ç;ktu l çkflfxd FkkA ;g lok e fu;fer fd, tku d fy, dedkj }kjk fdlh vfèkdkj d vtu d ckj e ugh dgrk gA***

13. dk;ikyd vfHk;Urk] tMO ihO bftfu;fjx fMfotu cuke fnxEcj jko e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g] ***(SCC P 269, para 20)***

*^^20. ;gk ;g mYy[k djuk vçkflfxd ugh gk ldrk g fd ,d o"k e yxkrkj lok dk 240 fnu ijk fd;k tkuk Lo; e fu;fefrdj.k d vkn'k dk funf'kr dju dk vkèkkj ugh gk ldrk gA çR;FkZk dk ekeyk ;g Hkh ugh g fd mUg fo|eku fu;ek d vu:i fu;Dr fd;k x;k FkkA vr% mudh lok d fu;fefrdj.k d fy, fun'k tkjh ugh fd;k tk ldrk FkkA***

(;g Hkh n[kk ekè;fed f'k{kk ifj"kn cuke vfuy dekj feJk ,o m0 ç0 jkT; cuke uhjt voLFkh)" (tkj fn;k x;k)

(xiii) **उत्तरांचल वन अस्पताल न्यास बनाम दिनेश कुमार, (2008)1 SCC 542,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

^^6. ;g fufookfnr g fd vLirky dh lQkb dju dk dke Bdnkj dk 17.8.1996 d çHkko l fn;k x;k gA ;g n'kku d fy, Je U;k;ky; d le{k lkexh çLrr dh x;h g fd dedkj dk v'kdkfyd dke dju d fy, dke ij yxk;k x;k Fkk vkj fd ml vud ekgk e dN fnu d fy, dke fd;k FkkA Je U;k;ky; u çLrr fd, x, nLrkotk ,o vfHky[kk ij fopkj dju ij fuEufyf[kr è;ku e fy;kA

^^;g Li"V g fd dedkj u vxLr 1996-16 fnu] tykb 1996-30 fnu] eb 1996-30 fnu] vçy 1996-30 fnu] ekp 1996-29 fnu] Qjojh 1996-29 fnu] tuojh 1996-31 fnu] fnlcj 1995-31 fnu] uoEcj 1995-20 fnu (i.k)] vDVcj 1995-19 fnu (i.k) flrcj 1995-25 fnu (i.k) 35/- #i;k çfr fnu dh nj ij dke fd;k FkkA bld vfrfjDr] uocj] 1995 e 3 fnu] vDVcj] 1995 e 9 fnu v'kdkfyd dke dh vkj 20/- #i;k çfrfnu dh nj ij dke fd;k Fkk vkj flrcj] 1995 e 3 fnu v'kdkfyd 5 #i;k çfrfnu dh nj ij dke fd;k FkkA

7. **0;fDr ftl v'kdkfyd vkèkkj ij ,d ?kVk ;k dN ?kVk d fy, dke ij yxk;k x;k g vkj 0;fDr ftl fu;fer vkèkkj ij ,d ?kVk ;k dN ?kVk d fy, dke ij yxk;k x;k g vkj 0;fDr ftl fu;fer vkèkkj ij nfud etnj d :i e dke ij yxk;k x;k g d chp ey vrj dk Je U;k;ky; }kjk vFkok mPp U;k;ky; }kjk è;ku e ugh j[kk x;k FkkA nkf[ky fd, x, nLrkot Li"Vr% LFkkfir djr g fd 240 fnuk l vfèkd dke dju dk nkok Li"Vr% >Byk;k x;k gA**

8. **vihykFkh dk nf"Vdk.k fd çR;Fkh dk dke dju d fy, cyk;k x;k Fkk tc Hkh dke miyC/k Fkk] tc vkj tl bldh vko';drk gb vkj fd ml dkb ^dke dju d fy, ugh cyk;k x;k Fkk tc ;g miyC/k ugh Fkk] LFkkfir fd;k x;k gA** Je U;k;ky; u Lo; xkj fd;k fd dedkj dk vU; }kjk dke ij yxk;k x;k Fkk D;kfd og dN fnuk ij ?kVk vFkok FkkM vfèkd d fy, vihykFkh d LFkkiu e dk;jr FkkA Je U;k;ky; d le{k çLrr nLrkotk l ;g Hkh n[kk tkuk g fd tc dHkh çR;Fkh dke dh i.k vofèk d fy, dk;jr Fkk] ml 35/- #i;k çfrfnu Hkxrku fd;k tkrk Fkk vkj vU; fnuk ij tc mlu ,d ?kVk d fy, dke fd;k] og 5/- #i;k ik jgk FkkA

9. iokDr voLFkk e] **vifjgk; fu"d"k ;g g fd Je U;k;ky; ,o mPp U;k;ky; vkf'kd fiNyh etnjh d lkFk iucgkyh dk fun'k nu e U;k;kfpr ugh FkA** (tkj fn;k x;k)

(xiv) इस प्रकार, पूर्वोक्त निर्णयों की दृष्टि में, कर्मचारी जिसने 240 दिनों के लिए काम किया है को संपुष्ट करने की प्रबंधन की ओर से विधिक बाध्यता नहीं है। इसके अतिरिक्त, सेवा की संविदा अवधि की समाप्ति के कारण सेवा समाप्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(oo) (bb) द्वारा आच्छादित है और इसलिए सेवा समाप्ति का ऐसा प्रकार:–

(i) tk Lor% çÑfr dh g]

(ii) tk i{kk dh LoPNk d dkj.k g]

(iii) ftld fy, çcèku }kjk fofufn"V dkjokb dh vko';drk ugh g]

(iv) tk dfri; fofufn"V vofèk tk lekIr gku d fy, ckè; g d ckn lekIr gku d fy, ckè; g Hky gh çcèku }kjk dN ugh fd;k tkrk g]

(v) ftll depkjh lger gvk g vkj Ñr; fd;k g] lok lekfIr dk ,lk çdkj NVuh dh ifjHkk"kk }kjk vkPNkfnr ugh gA

(xv) जब एक बार सेवा की संविदात्मक अवधि समाप्त हो जाती है, यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(oo) के अर्थ के अंतर्गत छँटनी नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में उल्लिखित किसी प्रक्रिया, उसकी धारा 25(F) के अधीन प्रक्रिया की तो बात ही दूर, का अनुसरण करने का प्रश्न ही नहीं है। निर्देश सं॰ 305 वर्ष 2000 को दिनांक 16 सितंबर, 2005 के अधिनिर्णय के तहत

विनिश्चित करते हुए केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा मामला के इस पहलू को अनदेखा किया गया है और डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 को दिनांक 5 फरवरी 2006 के निर्णय एवं आदेश के तहत विनिश्चित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और इसलिए पूर्ण पिछली मजदूरी के साथ पुनर्बहाली के लिए अधिकरण द्वारा दिया गया निर्देश जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी संपुष्ट किया गया है, एतद्द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भले ही कर्मकार ने एक निरंतर वर्ष में 240 दिनों के लिए काम किया है, कर्मचारी को संपुष्ट करने की प्रबंधन की ओर से सांविधिक बाध्यता नहीं है।

8. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण हम एतद्द्वारा निर्देश सं॰ 305 वर्ष 2000 में केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 16 सितंबर, 2005 के अधिनिर्णय को अभिखंडित एवं अपास्त करते हैं और हम डब्लू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1571 वर्ष 2006 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2016 के निर्णय एवं आदेश के तहत निर्देश को भी अभिखंडित एवं अपास्त करते हैं। जहाँ तक यह पिछली मजदूरी के साथ पुनर्बहाली से संबंधित है। इस प्रकार, **एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 247 वर्ष 2016** अनुज्ञात की जाती है तथा निपटायी जाती है और **एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 190 वर्ष 2016** खारिज की जाती है।

9. इन लेटर्स पेटेन्ट अपीलों में पारित अंतिम आदेश की दृष्टि में समस्त अंतर्वर्ती आवेदन भी एतद्द्वारा खारिज किए जाते हैं।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

राम नरेश प्रसाद (3019 में)

अरबिन्द कुमार प्रसाद (1409 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

W.P.(C) No. 3019, 1409 of 2017. Decided on 6th December, 2017.

झारखंड सहकारी समिति अधिनियम, 1935—धारा 14—बिहार सहकारी समिति नियमावली, 1959—नियम 21-I—निर्वाचन विवाद—सहकारी वर्ष के अंत के पहले सहकारी समिति के लिए सूची तैयार की जाएगी जिसके लिए चुनाव आसन्न क्रमवर्ती वर्ष में होना है और उस प्रयोजन से संबंधित सोसाइटी चुनाव अधिकारी को पूर्ववर्ती सहकारिता वर्ष के अंतिम दिन पर विद्यमान मतदाता सूची प्रस्तुत करेगी—किसी बोर्ड को लंबे समय के लिए अकार्यशील नहीं बना रहना चाहिए ताकि समिति के सदस्यों का हित संकट में नहीं डाला जाए—प्रत्यर्थियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव संचालित करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 10 से 12)

अधिवक्तागण.—M/s Sameer Saurabh (in 3019), Deepak Kumar (in 1409), For the Petitioners; M/s Binod Singh (in 3019), Abhay Prakash (in 1409), For the State; M/s Deepak Kumar, Manish Kumar (in 3019), Manish Kumar (in 1409), For the Interveners.

आदेश

डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3019 वर्ष 2017 सहकारी विस्तारण अधिकारी-सह-निर्वाचन अधिकारी, आदर्श सहकारी आवास निर्माण सोसाइटी लिमिटेड, बंदगोरा, चास/प्रत्यर्थी सं॰ 6) के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 23.5.2017 की नोटिस के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा आदर्श सहकारी आवास निर्माण सोसाइटी लिमिटेड, बंदगोरा, चास के प्रबंधन कमिटि का चुनाव संचालित करने के लिए 12.6.2017 को विशेष आम सभा बुलायी गयी थी।

2. डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1409 वर्ष 2017 सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, चास द्वारा जारी दिनांक 27.10.2016 के मेमो सं॰ 484 के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा 31.10.2016 को की जानेवाली आदर्श सहकारी आवास निर्माण सोसाइटी लिमिटेड, बंधगोरा, चास के पदाधिकारियों का चुनाव संचालित करने के लिए विशेष आमसभा बैठक स्थगित कर दी गयी है।

3. ये दोनों रिट याचिकाएँ आदर्श सहकारी आवास निर्माण सोसाइटी लिमिटेड, बंदगोरा, चास के चुनाव विवाद से उद्भूत होती है और इस दशा में इन्हें साथ सुना और इस एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है। चूँकि डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1409 वर्ष 2017 उस आदेश के विरूद्ध दाखिल की गयी थी जिसके द्वारा आदर्श सहकारी आवास निर्माण सोसाइटी लिमिटेड, बंदगोरा, चास का चुनाव स्थगित कर दिया गया था और बाद में चुनाव करने के लिए विशेष आम सभा बैठक आहूत की गयी थी जिसने डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3019 वर्ष 2017 को उद्भूत किया, उक्त रिट याचिका अग्रणी मामला के रूप में ली जाती है।

4. डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3019/2017 में यथा कथित मामला की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि आदर्श सहकारी आवास निर्माण सोसाइटी लिमिटेड, बंदगोरा, चास (इसमें इसके बाद ''उक्त सोसाइटी'' के रूप में निर्दिष्ट) रजिस्टर्ड सहकारी सोसाइटी है और उक्त सोसाइटी का अंतिम चुनाव 3.10.2010 को किया गया था। झारखंड सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (इसमें इसके बाद ''अधिनियम 1935'' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 14 के मुताबिक सोसाइटी के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष हैं और इस दशा में उक्त सोसाइटी की पदकाल 31.3.2013 का समाप्त हो गयी, जिसे 31.12.2013 तक बढ़ाया गया था। इस बीच 97वाँ संवैधानिक संशोधन प्रभाव में लाया गया था और सोसाइटी के प्रबंधन कमिटी/बोर्ड का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष तक का नियत करते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 243ZJ सम्मिलित किया गया था। झारखंड राज्य ने दिनांक 1.12.2015 की अधिसूचना के तहत झारखंड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 अधिसूचित किया और प्रावधान बनाया गया है कि प्रबंधन कमिटी बोर्ड का 50% सीट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लिए महिला सदस्यों के लिए आरक्षित की जाएगी जिसमें से दो सीट अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा और आगे प्रावधानित किया गया था कि बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं इसके पदधारियों के पद की अवधि चुनाव की तिथि से पाँच वर्ष तक की होगी। सोसाइटी का चुनाव सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन कमिटी/बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्षों के रूप में मानते हुए 5.8.2013 को अधिसूचित किया गया था, जिसे रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5673 वर्ष 2013 दाखिल करके चुनौती के अधीन किया गया था। रिट याचिका लंबित रहने के दौरान बोर्ड की पाँच वर्ष की अवधि पूरी हो गयी और इस दशा में उक्त सोसाइटी के बोर्ड का प्रभार प्रशासक को सौंपा गया था। अंतत:, रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5673 वर्ष 2013 समय व्यतीत होने के कारण निष्फल होने के नाते 27.11.2015 को निपटायी गयी थी, क्योंकि उक्त सोसाइटी के प्रबंधन कमिटी ने पहले ही पाँच वर्ष से अधिक पूरा कर लिया था और संप्रेक्षण किया गया था कि क्या सहकारी सोसाइटी के पदधारियों का नया चुनाव संशोधन अधिनियम, 2015 की दृष्टि में तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष के लिए किया जाना चाहिए, नए चुनाव की कोई अधिसूचना सचिव, सहकारी सोसाइटी विभाग, झारखंड सरकार के साथ परामर्श करके जारी की जाएगी जो संशोधन अधिनियम, 2015 के आलोक में निर्णय लेंगे। डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5673 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 27.11.2015 के आदेश के अनुसरण में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने दिनांक 9.8.2016 को मेमो सं॰ 1907 निर्गत किया, जिसके द्वारा यह विनिश्चित किया गया था कि उक्त सोसाइटी के निर्वाचित सदस्यों की अवधि पाँच वर्ष होगी और उक्त

सोसाइटी के 50% सदस्य महिलाएँ होगी। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने दिनांक 21.9.2016 का मेमो सं॰ 01 के तहत नोटिस जारी किया जिसके द्वारा, उक्त सोसाइटी की अर्नंतिम मतदाता सूची उन व्यक्तियों जिन्हें अधिक्रमण की अवधि के दौरान प्रवेश दिया गया था के नामों सहित प्रकाशित की गयी थी। प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने दिनांक 28.9.2016 तथा 5.10.2016 के पत्रों के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 5 को निर्देश दिया कि केवल उन सदस्यों को मतदान अधिकार होगा जो 31.3.2013 तक उक्त सोसाइटी के सदस्य बन गए हैं और, तद्नुसार, उक्त निर्देश के मुताबिक सोसाइटी का चुनाव करने का निर्देश दिया। किंतु, प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने प्रत्यर्थी सं॰ 4 के निर्देश का अनुसरण किए बिना मतदाता सूची तैयार किया और इस दशा में प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने दिनांक 26.10.2016 के पत्र सं॰ 2596 के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 5 को प्रत्यर्थी सं॰ 4 के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए पत्र जारी किया। इस प्रकार, प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने दिनांक 27.10.2016 के मेमो सं॰ 484 के तहत चुनाव स्थगित किया और निर्देश जारी किया कि चुनाव केवल उन व्यक्तियों जिन्हें सदस्य के रूप में उक्त सोसाइटी में 31.3.2013 तक सम्मिलित किया गया था कि मतदाता सूची के आधार पर किया जाएगा। प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष संपूर्ण दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जिसने प्रत्यर्थी सं॰ 5 को दिनांक 16.12.2016 के पत्र सं॰ 3037 के तहत दिनांक 28.9.2016 तथा 5.10.2016 के पत्रों में अंतर्विष्ट प्रत्यर्थी सं॰ 4 के निर्देश के मुताबिक उक्त सोसाइटी का चुनाव करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात, चुनाव करने के लिए तदर्थ कमिटी गठित की गयी थी, किंतु प्रत्यर्थी सं॰ 05 एवं 6 ने पुन: दिनांक 23.5.2017 का नोटिस जारी किया जिसके द्वारा यह विनिश्चित किया गया था कि उक्त सोसाइटी का चुनाव 30.9.2016 को तैयार की गयी उम्मीदवारों की सूची के आधार पर 12.6.2017 को किया जाएगा जिसमें उन व्यक्तियों का नाम अंतर्विष्ट था जिन्हें अधिक्रमण की अवधि के दौरान प्रवेश दिया गया था, जिसने रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3019/2017 को उद्भूत किया।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि एक अन्य रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1409 वर्ष 2017 में राज्य प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया जिसमें विनिर्दिष्ट दृष्टिकोण लिया गया है कि उक्त सोसाइटी का चुनाव केवल उन व्यक्तियों जो 31.3.2013 तक उक्त सोसाइटी के सदस्य बन गए के नामों को अंतर्विष्ट करने वाली मतदाता सूची के आधार पर किया जाएगी और अब राज्य–प्रत्यर्थीगण स्वयं अपने दृष्टिकोण से हट नहीं सकते हैं। व्यक्तियों जिन्हें 31.3.2013 को प्रबंधन कमिटी का तीन वर्षों का पदकाल पूरा करने के बाद उक्त सोसाइटी के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि मतदाता सूची में उनके नामों का सम्मिलन अवैध है। आगे यह निवेदन किया गया है कि राज्य प्रत्यर्थियों ने 1935 एवं 2015 के अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कृत्य किया है। प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा पारित दिनांक 27.10.2016 के मेमो सं॰ 484 में अंतर्विष्ट आदेश प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा जारी दिनांक 16.12.2016 के पत्र सं॰ 3037 द्वारा यथासंभव शीघ्र चुनाव करने की सीमा तक अधिक्रांत किया गया है। किंतु, प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा जारी दिनांक 16.12.2016 का पत्र सं॰ 3037 ने स्पष्ट नहीं किया था कि क्या 31.3.2013 के बाद सम्मिलित किए गए सदस्यों को चुनाव में अपना मत डालने का हकदार बनने के लिए वैध सदस्यों के रूप में माना जाएगा और इस दशा में याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा प्रकाशित दिनांक 23.5.2017 की चुनाव तिथि को चुनौती दिया है। प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा जारी दिनांक 28.9.2016 का पत्र सं॰ 585, दिनांक 5.10.2016 का पत्र सं॰ 621 तथा दिनांक 19.4.2017 का पत्र सं॰ 268 स्पष्टत: उपदर्शित करता है कि सहकारी सोसाइटी

के अब तक की प्रबंधन कमिटी का कार्यकाल 31.3.2013 को समाप्त हुआ, इस प्रकार उक्त तिथि के पहले उक्त सोसाइटी में सम्मिलित सदस्य चुनाव में मत डालने के हकदार होंगे। प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय द्वारा डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5673 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 27.11.2015 के आदेश का गलत अर्थ लगाया, क्योंकि उक्त आदेश के परिशीलन पर यह प्रकट होगा कि इस न्यायालय ने यह विवाद्यक कभी नहीं विनिश्चित किया है कि क्या सहकारी सोसाइटी के पदधारियों का चुनाव तीन वर्ष में किया जाना है या पाँच वर्ष में। इस प्रकार, सदस्यों जिन्हें 31.3.2013 के बाद सहकारी सोसाइटी में सम्मिलित किया गया है को अनुमति देते हुए प्रत्यर्थी द्वारा लिया गया पश्चातवर्ती निर्णय अवैध है।

6. डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1409/2017 में याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार निवेदन करते हैं कि समरूप परिस्थिति में, बोकारो इस्पात कर्मचारी सहकारी सोसाइटी का चुनाव 31.3.2016 को तैयार की गयी मतदाता सूची के आधार पर 16.5.2016 को किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने बोकारो इस्पात कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी लि॰ के मुकाबले वर्तमान सहकारी सोसाइटी के मामला में दोहरा माप दंड अपनाया है और इस संबंध में, प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने दिनांक 19.5.2017 के पत्र सं॰ 1423(6) के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 4 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उक्त कारण बताओ नोटिस भी प्रश्नगत सहकारी सोसाइटी के कार्यकलाप में संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रत्यर्थी सं॰ 4) द्वारा दर्शाए गए निजी हित के बारे में उल्लेख किया है। प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने दिनांक 19.5.2017 के उक्त पत्र में वस्तुतः 31.3.2013 को तैयार की गयी मतदाता सूची के आधार पर सहकारी सोसाइटी का चुनाव संचालित करवाने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा जारी पूर्व निर्देशों पर स्पष्टतः आपत्ति किया है। प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने दिनांक 19.5.2017 के उक्त पत्र में भी विनिर्दिष्ट किया है कि झारखंड सहकारी सोसाइटी नियमावली के चुनाव नियम 21-[हिन्दी में 21 (झ) (2)] के निबंधनानुसार किया जाना है जो यह स्पष्ट करता है कि संबंधित सहकारी सोसाइटी को पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के अंतिम तिथि पर तैयार की गयी मतदाता सूची प्रस्तुत करना होगा। सहकारी सोसाइटी के पदधारीगण डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5673/2013 में इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के फलस्वरूप दिनांक 24.10.2013 के प्रभाव से अपना पदधारण करना जारी रखा और तत्पश्चात 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को मुताबिक पाँच वर्ष का अपना पदकाल पूरा किया। उन्होंने 1.10.2015 के प्रभाव से अपना पद त्याग किया और, तत्पश्चात, सहकारी सोसाइटी के कार्यकलाप का प्रभार लेने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया था। यदि किसी नए सदस्य को प्रवेश दिया भी गया है, वे केवल विद्यमान सदस्यों की भूमि/घरों के उत्तराधिकारी/विधिक प्रति निधि अथवा पश्चातवर्ती खरीदार हैं और इस दशा में इसमें अवैधता नहीं है।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एस॰ सी॰ (एल॰ एन्ड सी॰) निवेदन करते हैं कि सहकारी सोसाइटी की प्रबंधन कमिटि के लिए निर्वाचित सदस्यों की पदावधि अंतिम चुनाव से पाँच वर्ष होगी। आगे यह निवेदन किया गया है कि डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1409 वर्ष 2017 में प्रत्यर्थी सं॰ 2, 3 एवं 5 की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र में प्रत्यर्थियों का दृष्टिकोण कि उक्त सोसाइटी की प्रबंधन कमिटी का कार्यकाल तीन सहकारी वर्ष होगा, चुनाव के संदर्भ में है जिसे 12.11.2013 को किया गया था जिसके लिए 5.8.2013 को अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी और न कि 31.10.2016 को किए जाने वाले चुनाव के संदर्भ में। प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5673 वर्ष 2013 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक 9.8.2016 का मेमो सं॰ 1907 जारी किया जिसके द्वारा यह निर्णय किया गया था कि सहकारी सोसाइटी की प्रबंधन कमिटी के लिए निर्वाचित सदस्यों की पदावधि चुनाव की तिथि से शुरू होकर पाँच वर्षों के

लिए नियत की जाएगी। उक्त सोसाइटी के प्रशासक ने नियमावली, 1959 के नियम 21 के मुताबिक 31.3.2016 तक सम्मिलित सदस्यों के नामों सहित 584 सदस्यों की मतदाता सूची सौंपा और आपत्ति के निपटान के बाद रिट याची राम नरेश प्रसाद तथा अन्य चार के नामों सहित 589 सदस्यों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात विशेष आम सभा बैठक आहूत करने के लिए मतदाताओं को नोटिस जारी करने के लिए मतदाता सूची प्रशासक को अग्रसारित की गयी थी। प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने 19.5.2017 को प्रत्यर्थी सं॰ 5 को उक्त सोसाइटी की चुनाव प्रक्रिया पूरा करने को निर्देश दिया और, तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने प्रत्यर्थी सं॰ 6 को तद्नुसार कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए चुनाव प्रोग्राम जारी किया। इस प्रकार प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने चुनाव के लिए नोटिस जारी किया और उपविधियों तथा नियमावली 1959 के नियमों के मुताबिक 12.6.2017 को उक्त सोसाइटी का चुनाव करने के लिए श्री सुभाषचंद्र मंडल, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी सोसाइटी, धनबाद को संप्रेक्षक के रूप में तैनात करते हुए दिनांक 31.5.2017 का पत्र सं॰ 366 जारी किया।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया। दोनों रिट याचिकाएँ आदर्श सहकारी आवास निर्माण सोसाइटी लिमिटेड, बंदगोरा चास के चुनाव विवाद से संबंधित हैं। उक्त सोसाइटी में अंतिम चुनाव 3.10.2010 को किया गया था और अधिनियम 1935 की धारा 14 के मुताबिक तीन वर्षों के लिए प्रबंधन कमिटी कठित की गयी थी। इस बीच 97वाँ संवैधानिक संशोधन प्रभाव में लाया गया था और बोर्ड/प्रबंधन कमिटी के निर्वाचित सदस्यों एवं पदधारियों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से पाँच वर्ष तक नियत करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 243ZJ पुनःस्थापित किया गया था। झारखंड राज्य ने दिनांक 1.12.2015 की गजट अधिसूचना के तहत अधिनियम, 2015 अधिसूचित किया और उसके निबंधनानुसार, बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं इसके पदधारियों की पदावधि चुनाव की तिथि से पाँच वर्ष तक नियत की गयी थी। उक्त सोसाइटी का चुनाव पहले 5.8.2013 को अधिसूचित किया गया था, जिसे रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5673 वर्ष 2013 में चुनौती दी गयी थी। उक्त रिट याचिका 27.11.2015 को अन्य बातों के साथ यह संप्रेक्षित करते हुए निपटायी गयी थी कि यह समय प्रवाह के कारण निष्फल हो गयी है, क्योंकि उक्त सोसाइटी की प्रबंधन कमिटी ने पहले ही पाँच वर्ष से अधिक पूरा कर लिया था और आगे सचिव, सहकारी विभाग, झारखंड सरकार को अधिनियम 2015 के आलोक में बोर्ड के सदस्यों एवं पदधारियों की पदावधि के मामला में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने मेमो सं॰ 5673 वर्ष 2013 जारी किया जिसके द्वारा यह घोषित किया गया था कि सहकारी सोसाइटी की प्रबंधन कमिटी के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि चुनाव की तिथि से शुरू होते हुए पाँच वर्ष तक के लिए नियत की जाएगी। बाद में, मतदाता सूची तैयार की गयी थी जिसमें सदस्यों जिन्हें 31.3.2013 (बोर्ड के अधिक्रमण की आरंभिक तिथि) के बाद सम्मिलित किया गया था को भी मतदाताओं के रूप में सम्मिलित किया गया था जिसे याची द्वारा डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3019/2017 में इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि चूँकि प्रबंधन कमिटी का कार्यकाल तीन वर्ष था, कमिटी स्वतः 31.3.2013 को विघटित हो गयी और इस दशा में सदस्यों जिन्हें 31.3.2013 के बाद सोसाइटी में सम्मिलित किया गया था को मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

9. संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 के रूप में भाग IXB भारत के संविधान में सोसाइटी के प्रावधानों पर विचार करते हुए शीर्षक ''सहकारी सोसाइटी'' के अधीन अंतः स्थापित किया

गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243ZT राज्यों की विधियों में से किसी में संशोधन जो संशोधित प्रावधान के साथ असंगत हैं के प्रभाव पर विचार करता है। अनुच्छेद 243ZT का पठन निम्नलिखित है:–

> *^^243ZT. bl Hkkx e fdlh ckr d gkr g, Hkh lfoèkku (97ok l'kks/ku) vfèkfu;e] 2011 d ioru e vku l io jkT; e rRle; iHkkoh lgdkjh lfefr;k l lEcUfèkr fofèk d micUèk] tk bl Hkkx d micUèkk l vlxr g] rc rd iHkko e jgx tc rd o l{ke foèkkf;dk vFkok vU; ikfèkÑr ikfèkdkjh }kjk l'kks/kr ;k fujflr ugh dj fn;; tkr vFkok ,l ioru l ,d o"k dh lekfIr rd] tk Hkh bue l igy gkA***

10. पूर्वोक्त प्रावधान के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रभाव में आने के बाद भी उक्त संवैधानिक संशोधन के पहले राज्यों में प्रवर्तित संबंधित विधि राज्य विधान मंडल द्वारा विधि संशोधित किए जाने तक अथवा 97वें संवैधानिक संशोधन के आरंभ की तिथि से एक वर्ष के अवसान तक, जो भी पहले हो, वैध अभिनिर्धारित की गयी थी। वर्तमान मामला में ताथ्यिक संदर्भ यह है कि उक्त सोसाइटी का प्रबंधन कमिटी/बोर्ड उस समय पर विद्यमान प्रचलित विधि के मुताबिक 3.10.2010 से 31.3.2013 तक की अवधि के लिए गठित की गयी थी। किंतु, प्रबंधन कमिटी के वैध कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 243ZT 12.1.2012 के प्रभाव से भारत के संविधान में पुर: स्थापित किया गया था जिस कारण अवधि तीन वर्षों से पाँच वर्षों तक बढ़ायी गयी थी। राज्य की विद्यमान विधि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित अथवा निरसित किए जाने तक अथवा एक वर्ष के अवसान, जो भी पहले हो, अर्थात 12.1.2013 तक वैध बनी रहनी थी। स्वीकृत रूप से, झारखंड राज्य विधानमंडल ने 12.1.2013 तक अधिनियम, 1935 संशोधित किया था और केवल अधिनियम, 2015 (1.12.2015 को गजट में अधिसूचित) के कारण से यह प्रावधानित किया गया था कि 97वें संविधान संशोधन की आज्ञा के मुताबिक, किसी सहकारी सोसाइटी की प्रबंधन कमिटी का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा। इस प्रकार, 12.1.2013 से 30.11.2015 तक की अवधि तक झारखंड राज्य विधान मंडल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZJ एवं 243ZT प्रावधान के साथ संगत अधिनियम, 1935 में संशोधन नहीं किया गया था। सोसाइटी के चुनाव जिसे 5.8.2013 को अधिसूचित किया गया था को डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5673 वर्ष 2013 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी और, तत्पश्चात, रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश के कारण से अधिसूचना स्थगित की गयी थी। उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, बोर्ड का पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और इस दशा में 1.10.2015 को उक्त सोसाइटी का प्रभार प्रशासक को सौंपा गया था। चूँकि प्रबंधन कमिटी पाँच वर्ष की अवधि पूरा होने तक कार्यशील रही, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रबंधन कमिटी स्वत: तीन वर्ष पूरा करने के बाद अधिक्रमित हो गयी जब उस समय पर प्रबंधन कमिटी के कार्यकाल पर विचार करने वाला राज्य प्रावधान अस्तित्व में नहीं था। अनुच्छेद 243ZK प्रावधानित करता है बोर्ड का चुनाव बोर्ड का कार्यकाल के अवसान के पहले किया जाएगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के नवनिर्वाचित सदस्य निवर्तमान बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल के अवसान पर तुरन्त पद धारण कर सके। अनुच्छेद 243ZL प्रावधानित करता है कि बोर्ड को छह माह के परे की अवधि के लिए निलंबन के अधीन किया जाएगा अथवा निर्लंबित रखा जाएगा। इन प्रावधानों की पुर: स्थापना के पीछे उद्देश्य यह है कि किसी बोर्ड को लंबे समय तक गैर–कार्यशील नहीं रहना चाहिए ताकि सोसाइटी के सदस्यों के हित पर संकट न आए। डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3019/2017 के याची द्वारा

प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा जारी अनेक संसूचनाओं पर काफी विश्वास किया गया है जिसके द्वारा 31.3.2013 तक तैयार की गयी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। किंतु, अभिलेख से पता चलता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 को दिनांक 19.5.2017 के पत्र सं॰ 1423 (6) के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा कारण बताओ जारी किया गया था जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने समस्थित सहकारी सोसाइटी अर्थात वर्तमान सोसाइटी के मुकाबले बोकारो इस्पात कर्मचारी सहकारी सोसाइटी के चुनाव के मामला में दोहरा मापदंड अपनाया है। दिनांक 19.5.2017 के पत्र में इंगित किया गया था कि 31.3.2016 के तैयार की गयी मतदाता सूची के आधार पर सोसाइटी का चुनाव 16.5.2016 को किया जाएगा किंतु, वर्तमान सोसाइटी के संबंध में विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी सं॰ 4 की पूर्व संसूचनाएँ डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3019/2017 के याची की सहायता नहीं करेगी।

11. इसके अतिरिक्त, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 का नियम 21-I प्रावधानित करता है कि सहकारिता वर्ष के अंत के पहले, सहकारी सोसाइटी जिनका चुनाव आसन्न क्रमवर्ती वर्ष में होनेवाला है के लिए सूची तैयार की जाएगी और उस प्रयोजन से संबंधित सोसाइटी पूर्ववर्ती सहकारिता वर्ष के अंतिम दिन पर मौजूद मतदाता सूची चुनाव अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। वर्तमान मामला में भी, राज्य-प्रत्यर्थियों के प्रकथनों के मुताबिक रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5673/2013 के निपटान के बाद वर्ष 2017 में किए जाने वाले चुनाव के लिए पूर्ववर्ती सहकारिता वर्ष अर्थात 31.3.2016 तक प्रवेश दिए गए सदस्यों सहित मतदाता सूची तैयार की गयी थी जो नियमावली 1959 के नियम 21-I के प्रावधान के अनुरूप है। इस प्रकार, मैं मतदाता सूची तैयार करने में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ।

12. मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन, डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3019 वर्ष 2017 खारिज की जाती है और डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1409 वर्ष 2017 प्रत्यर्थियों को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से 31.3.2016 तक वर्तमान सहकारी सोसाइटी में सम्मिलित सदस्यों को अंतर्विष्ट करने वाली मतदाता सूची के आधार पर चुनाव करने के निर्देश के साथ निपटायी जाती है।

13. परिणामस्वरूप, इन दोनों रिट याचिकाओं में लंबित समस्त अंतर्वर्ती आवेदन भी निपटाए जाते हैं।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

डॉ॰ प्रसून कुमार

cuke

चेतन कुमार

WP(C) No. 4638 of 2017. Decided on 2nd February, 2018.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125—अंतरिम भरण-पोषण का प्रदान—पति की वित्तीय मजबूरी पत्नी को भरण-पोषण के भुगतान से बचने का आधार नहीं है—यदि पत्नी दूर रही है, उसे मूल आवश्यकताओं से वंचित नहीं किया जा सकता है और ऐसी भरण पोषण राशि प्रदान करना पति का कर्तव्य है ताकि पत्नी जीवन के उस ढंग जैसा वह अपने पति के साथ रह रही थी पर विचार करते हुए युक्तियुक्त सुविधा में रह सके—पत्नी के भरण पोषण/अंतरिम भरण पोषण के प्रदान की मूल धारणा अलग हो गयी पत्नी के साथ सामाजिक न्याय के साधन

के रूप में देखी गयी है—प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.—(1985) 4 SCC 337; (2015) 5 SCC 705—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Praveen Kumar, For the Petitioners; Mr. Rahul Kumar, For the Respondent.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका मूल भरण पोषण मामला सं॰ 89/2015 में विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 10.7.2017 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 5) के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा याची को प्रत्यर्थी को आवेदन की दाखिली की तिथि से दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन अंतरिम भरण पोषण के रूप में 15,000/- रुपया प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची (पति) एवं प्रत्यर्थी (पत्नी) के बीच विवाह 27.6.1985 को पटना में संपन्न किया गया था। उक्त विवाह से प्रथम पुत्री का जन्म 31.5.1986 को हुआ था। सितंबर, 1987 में प्रत्यर्थी ने याची को अपने माता पिता का घर छोड़ने तथा कहीं और रहने के लिए मजबूर किया। तत्पश्चात, सउदी अरबिया में 18.10.1991 को द्वितीय पुत्री का जन्म हुआ। जनवरी 1997 में पति याची सउदी अरबिया से भारत लौटा। चूँकि प्रत्यर्थी द्वारा याची का पूरी तरह अधित्यजन कर दिया गया था, याची ने प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पटना के न्यायालय में तलाक याचिका वैवाहिक मामला सं॰ 953/2015 दाखिल किया जिसे बाद में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची अंतरित किया गया था और वैवाहिक मामला सं॰ 198/2007 संख्यांकित किया गया था जो अभी भी लंबित है। इस बीच प्रत्यर्थी ने भरण पोषण के प्रदान के लिए प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची के न्यायालय में 29.4.2015 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन याचिका दाखिल किया जिसे मूल वैवाहिक मामला सं॰ 89/2015 के रूप में दर्ज किया गया था। विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, राँची ने दिनांक 10.7.2017 के आक्षेपित आदेश के तहत याची को प्रत्यर्थी को आवेदन की दाखिली की तिथि से 15,000/- रुपया प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि याची पेशे से डॉक्टर है। फिर भी उसका सीमित प्राइवेट प्रैक्टिस है और उसे अपने बीमार पिता की भी देखभाल करनी है। आगे, उसपर ज्येष्ठ पुत्री के विवाह तथा कनिष्ठ पुत्री की शिक्षा के लिए 46 लाख रुपया के कर्ज का भी है। याची मुश्किल से 17000/- रुपया प्रतिमाह कमाता है जब कि प्रत्यर्थी स्वयं शिक्षिका है और 30,000/- रुपया प्रति माह कमाती है। याची द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न पर्याप्त रूप से उपदर्शित करेगा कि वह विद्वान अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा यथा निर्देशित 15,000/- रुपया भरण पोषण का भुगतान करने की अवस्था में नहीं है। उक्त राशि अत्यधिक है और किसी ताथ्यिक विनिश्चयकरण के बिना विद्वान अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा निर्धारित की गयी है।

3. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा निर्धारित 15,000/- रुपया प्रतिमाह की अंतरिम भरणपोषण न्यायोचित है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि प्रत्यर्थी भद्र परिवार की है और सुशिक्षित है, फिर भी उसे पति द्वारा अपार शारीरिक–मानसिक यातना के अध्यधीन किया गया था। किंतु, यह प्रत्याशा करते हुए कि संबंध सुधरेंगे और उसका वैवाहिक जीवन सामान्य होगा, वह संतानों के हित में लंबे समय

तक मौन रही। याची पेशे से डॉक्टर है उसकी अच्छी आय है। आरंभ में प्रत्यर्थी ने कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, राँची की प्राचार्या के रूप में कुछ समय काम किया था, किंतु अपने कुस्वास्थ्य के कारण वह उक्त नौकरी में टिक नहीं सकी थी और वर्तमान में उसका आय का स्वतंत्र स्रोत नहीं है। याची एवं प्रत्यर्थी अलग–अलग रह रहे हैं। पहले याची प्रत्यर्थी का भरण पोषण करता था और उसने उसके एम॰ बी॰ ए॰ की पढ़ाई का खर्च भी उपगत किया, किंतु बाद में उसने ख्याल रखना छोड़ दिया और वर्तमान में उसके पास जीविका का साधन नहीं है। वह 6720/- रुपया प्रति माह के किराए पर किराया के घर में रहती है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा दिनांक 10.7.2017 के आक्षेपित आदेश सहित अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि पक्षों की ओर से किए गए निवेदनों पर सम्यक विचार करने के बाद विद्वान अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, राँची इस निष्कर्ष पर आया कि प्रत्यर्थी वर्तमान में राँची में याची से अलग रह रही है और स्वयं का भरण पोषण करने में वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही है। विद्वान अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय राँची ने विचार में यह भी लिया है कि याची ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करके अपना प्रतिवाद सिद्ध नहीं कर सका था कि प्रत्यर्थी की स्वयं अपनी आय है, बल्कि उसने स्वीकार किया है कि वह पेशे से डॉक्टर है, यद्यपि उसके पास प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए कम समय है। तद्नुसार, विद्वान अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, राँची ने दिनांक 10.7.2017 के आक्षेपित आदेश के तहत याची को प्रत्यर्थी को आवेदन की दाखिली की तिथि से अंतरिम भरण पोषण के रूप में प्रति माह 15,000/- रुपयों का भुगतान करने का निर्देश दिया। वर्तमान में मामला साक्ष्य के लिए लंबित है। मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, विद्वान अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा निर्धारित 15,000/- रुपया प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण अत्यधिक अथवा अन्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूँकि मामला साक्ष्य के चरण पर है, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन अंतिम आदेश पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करने के बाद पारित किया जाएगा।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सावित्री बनाम गोविन्द सिंह रावत, (1985) 4 SCC 337,** में अभिनिर्धारित किया है कि यह अत्यन्त सामान्य है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन दायित्व आवेदन भी अंतिम रूप से निपटाए जाने के लिए महीनों लेते है। धारा 125 के अधीन कार्यवाही के फल का आनन्द लेने के लिए आवेदन को अंतिम आदेश की तिथि तक अस्तिवशील रहना चाहिए और आवेदन मामलों की विशाल संख्या में ऐसा केवल तब कर सकते हैं जब न्यायालय द्वारा अंतरिम भरण पोषण के भुगतान का अंतिम आदेश पारित किया जाता है। प्रत्येक न्यायालय आवश्यक आशय से ऐसी, समस्त शक्तियाँ रखने वाला समझा जाएगा जो इसका आदेश प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में **शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान, (2015) 5 SCC 705,** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"14. mPp U;k;ky; }kjk nM dh ek=k ?kVk, tku ij vkr g, ;g xkj fd;k x;k g fd mPp U;k;ky; u ifr dh lokfuofÙk d ckn jkf'k ?kVkdj mld çfr Hkkjh lgkuHkfr n'kk;k gA ;g vfHky[k ij vk;k g fd ifr 17,654/- #i;k dk ekfld oru ik jgk FkkA mPp U;k;ky; u dkb dkj.k minf'kr fd, fcuk ekfld Hkj.k&ik"k.k HkÙkk 2000/- #i;k rd ?kVk fn;k gA vkt d fo'o e ;g dYiuk djuk vR;Ur ef'dy g fd ml nt dh efgyk 2000/- #i;k çfrekg d Hkhrj dke pyku dh voLFkk e gkxhA ;g dHkh ugh Hkyk;k tk ldrk g fd n0 ç0 l0 dh èkkjk*

125 d ihN dk vrfufgr ,o ey fl)kr foÙkh; dk;dyki dh fLFkfr rFkk ekufld onuk ,o ihMk ftlll efgyk ihfMr gkrh g tc ml viuk nkiR; xg NkMu d fy, etcj fd;k tkrk g dk nj dju d fy, gA lfofèk vkKk nrh g fd dN Lohdk; 0;oLFkk gkuh gkxh rkfd og Lo; dk ikf"kr dj ldA thfodk dk fl)kr vkj Hkh c< tkrk g tc lrku mld lkFk gkrh gA ;g Li"V fd;k tk, fd fuokg dk vFk mÙkjthfork ek= ugh g vkj mÙkjthfork ek= d :i e bldk vFk yxku dh vuefr dHkh ugh nh tk ldrh gA efgyk ftl nkiR; xg NkMu d fy, etcj fd;k tkrk g dk ;g egll dju ugh nh tkuh pkfg, fd ml ij l Ñik nf"V lekIr gk x;h g vkj ml vc fuokg dh 0;oLFkk dju d fy, bèkj&mèkj HkVduk gkxkA fofèk d erkfcd] og mlh rjhd dk thou 0;rhr dju dh gdnkj g tlk thou mlu viu ifr d ?kj e 0;rhr fd;k gkrkA vkj ;gh ij ifr d nt ,o Lrj dh Hkfedk 'k: gkrh g vkj ;gh ij ifr dh fofèkd ckè;rk egRoi.k cu tkrh gA tc rd iRuh dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 d ekinMk d vrxr Hkj.k&ik"k.k d çnku dk gdnkj vfHkfuèkkfjr fd;k tkrk g] bl i;kIr gkuk gkxk rkfd og mlh e;knk d lkFk jg ld tl og viu nkiR; xg e jgh gkrhA ml nfjn vFkok fHk[kkjh cuu d fy, etcj ugh fd;k tk ldrk gA ble dkb Ing ugh gk ldrk g fd n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 d vèkhu vkn'k ikfjr fd;k tk ldrk g ;fn 0;fDr i;kIr lkèku gku d ckotn iRuh dh mi{kk djrk g vFkok mld Hkj.k&ik"k.k l budkj djrk gA dHkh&dHkkj ifr }kjk vfHkopu fd;k tkrk g fd mld ikl Hkxrku dju dk lkèku ugh g D;kfd mld ikl ukdjh ugh g vFkok mldk 0;olk; vPNk ugh py jgk gA ;g doy dkjk cgkuk g vkj oLrr% fofèk e budh Lohdk;rk ugh gA ;fn ifr LoLFk] 'kjhj l l{ke g vkj Lo; dk Hkj.k&ik"k.k dju dh voLFkk e g] og viuh iRuh dk lgkjk nu d fy, fofèkd ckè;rk d vèkhu g D;kfd n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 d vèkhu Hkj.k&ik"k.k çkIr dju dk iRuh dk vfèkdkj] tc rd ml vufgr ugh fd;k tkrk g] li.k vfèkdkj gA

15. Hkj.k&ik"k.k dh ek=k fofuf'pr djr g, bl U;k;ky; u tlchj dkj lgxy cuke ftyk U;k;kèkh'k] ngjknu e fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k g% (SCC i"B 12, ijk 8)

^^8..... U;k;ky; dk i{kk d nt] mudh ikjLifjd vko';drk] Lo; viu Hkj.k&ik"k.k vkj mud ftudk Hkj.k&ik"k.k dju d fy, og fofèk ,o lfofèk d vèkhu ckè; g] Hkj.k&ik"k.k d fy, mld ;fDr;Dr 0;; dk è;ku e j[k dj Hkxrku dju dh ifr dh {kerk ij fopkj djuk gkxkA iRuh d fy, fu;r Hkj.k&ik"k.k dh jkf'k ,lh gkuh pkfg, rkfd og] mld ntk ,o thou dk <x ftldh og vH;Lr Fkh tc og viu ifr d lkFk jgrh Fkh vkj ;g Hkh fd og viu ekey dk vxlj dju e vlgk; egll u dj ij fopkj djr g,] ;fDr;Dr lfoèkk d lkFk jg ldA blh le; ij] bl çdkj fu;r dh x;h jkf'k vR;fèkd vFkok yV&[klkV dh gn rd dh ugh gk ldrh gA**

16. iRuh dk Hkj.k&ik"k.k dk Hkxrku bl U;k;ky; }kjk lkekftd U;k; d mik; d :i e le>k x;k gA prHkt cuke lhrk ckb] e ;g vkn'k fn;k x;k g fd% (SCC i"B] ijk)

^^6..... n0 ç0 l0 dh èkkjk 125 lkekftd U;k; dk dne g vkj bl fo'k"kr% efgyk ,o lrkuk dk ljf{kr dju d fy, vfèkfu;fer fd;k x;k g vkj tlk dIVu je'k pnj dk'ky cuke oh.kk dk'ke bl U;k;ky; }kjk xkj fd;k x;k g] ;g Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 39 }kjk çcfyr vuPNn 15(3) d loèkkfud foLrkj d vrxr vkrk gA ;g lkekftd ç;ktu çkIr dju d fy, vk'kf;r gA mí'; nfjnrk ,o vkokjkxnh dk jkduk gA ;g ifjR;Dr iRuh dk

*Hkkrtu] oL= ,o vkJ; dh vkifr d fy, Rofjr mipkj çkoèkkfur djrk gA ;g viuh iRuh] lrkuk ,o ekrk&firk tc o Lo; dk ik"k.k dju e v{ke g] dk ik"k.k dju d fy, i#"k d ey vfèkdkjk ,o ulfxd dr0;k dk çHkko nrk gA iokDr voLFkk dk lfork cu lkekHkkb HkkfV;k cuke xtjkr jkT;] e çdk'keku fd;k x;k FkkA***

17. fofèk e ;g voLFkk gku d pyr] viuh iRuh dk ik"k.k djuk ifr dk dr0; gA ml ;g vfHkopu dju dh vuefr ugh nh tk ldrh g fd og foÙkh; etcfj;k d dkj.k iRuh dk ik"k.k dju e v{ke g tc rd og vtu dju ;kX; gA

18. bl lnHk e] ge ykHknk;h :i l pnj çdk'k ckèkjkt cuke 'khyk jkuh pnj çdk'k] e fnYyh mPp U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k; l m) j.k dk m) r dj ldr g ftle fuEufyf[kr er fn;k x;k g%&

*^^7..... 'kkjhfjd :i l l{ke uktoku dk i;kIr èku vftr dju ;kX; mièkkfjr djuk gkxk rkfd og viuh iRuh ,o lrkuk dk ik"k.k dju d fy, ;fDr;Dr :i l l{ke gk ld vkj ml ;g dgrk ugh luk tk ldrk g fd og ikfjokfjd Lrj d vuIkj mudk ik"k.k dju e l{ke gku d fy, i;kIr vtu dju dh voLFkk e ugh gA ,l 'kkjhfjd :i l l{ke 0;fDr dk U;k;ky; dk ;g vfHkfuèkkfjr dju d fy, rdi.k vkèkkj n'kkuk g fd og viuh iRuh ,o lrkuk dk ik"k.k dju dh viuh fofèkd ckè;rk dk fuogu dju d fy, i;kIr vtu dju d fy, viu fu;=.k l ij dkj.kk l v{ke gA tc ifr U;k;ky; dk viuh vk; dh lVhd jkf'k çdV ugh djrk g] ml d fo#) mièkkj.kk vkIkuh l vuK; gkxhA***

*19. fofèk dh iokDr çfriknuk l ;g lkQ g fd ifr dh ckè;rk mPprj LrHk ij g tc iRuh ,o lrkuk] d Hkj.k&ik"k.k dk ç'u mnHkr gkrk gA tc efgyk viuk nkiR; xg NkMrh g] fLFkfr fcYdy fHkUu gkrh gA og vud lfoèkkvk l ofpr gkrh gA dHkh dHkkj thou e fo'okl de gk tkrk gA dHkh dHkkj] og egl l djrh g fd ml u viuk enyre fe= xok fn;k gA ,lh Hkkouk gk ldrh g fd ml dk fuHk; lkgl ml d fy, nHkkX; yk;k gA bl pj.k ij ,d ek= lfoèkk tk fofèk vfèkjkfir dj ldrh g] ;g g fd ifr èkuh; lfoèkk nu d fy, ckè; gA ;gh doy vkjkenk;d fofèkd eyge g D;kfd ml HkkX; ij NkM ugh fn;k tk ldrh gA vr% Hkj.k&ik"k.k HkÙkk çnku d fy, fofèki.k vfèkjki.k fd;k x;k gA***

7. इस प्रकार, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पति की वित्तीय मजबूरी पत्नी को भरण पोषण के भुगतान से बचने का आधार नहीं है। यदि पत्नी दूर रह रही है, उसे उसकी मूल आवश्यकता से वंचित नहीं किया जा सकता है और ऐसी भरण पोषण राशि प्रदान करना पति का कर्तव्य है ताकि पत्नी उस तरीके से सुविधापूर्वक रह सके जैसा वह पति के साथ रहती थी। पत्नी को भरण पोषण/अंतरिम भरण पोषण के प्रदान की मूल धारणा अलग हो गयी पत्नी को सामाजिक न्याय दिलाने के साधन के रूप में समझी गयी है।

8. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में मैं, मूल वैवाहिक मामला सं॰ 89/2015 में विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा पारित दिनांक 10.7.2017 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ।

9. तद्नुसार, वर्तमान रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

10. किंतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ उपर किए गए संप्रेक्षण विद्वान अवर न्यायालय द्वारा भरण पोषण का अंतिम आदेश पारित करते हुए पक्षों के मामला पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेंगे।

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

निर्मल गिरी एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 6455 of 2016. Decided on 15th February, 2018.

बिहार सरकारी भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 1956—धारा 3—अधिक्रमण हटाया जाना—याचीगण द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल करने का मुख्य कारण यह है कि उनके द्वारा डिविजनल वन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त के समक्ष दाखिल अपीलें अभी तक ग्रहण नहीं की गयी है और इस बीच, याचीगण प्रश्नगत भूमि से बेदखल किए जाने की लगातार धमकी पा रहे हैं—उपायुक्त को याचीगण द्वारा डिविजनल वन अधिकारी के आदेश के विरूद्ध दाखिल अपीलों को दर्ज करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 3 से 5)

अधिवक्तागण.—Mr. A.K.Sahani, For the Petitioner; J.C. to S.C.(L&C), For the State-Resp.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ केस सं॰ 130 वर्ष 2016, बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ केस सं॰ 136 से बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ केस सं॰ 148 वर्ष 2016 एवं बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ केस सं॰ 150 वर्ष 2016 में प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित दिनांक 13.10.2016 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 8) जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने याचीगण को आदेश की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपने-अपने दुकानों को हटाने का निर्देश दिया है का प्रवर्तन/क्रियान्वयन स्थगित करने की प्रार्थना के साथ याचीगण द्वारा दाखिल अपीलों पर विचार करने का निर्देश प्रत्यर्थी सं॰ 2 को जारी करने के लिए दाखिल की गयी है।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि मौजा घोराबन्धा में भूखंड सं॰ 20 से संबंधित है और यह वन भूमि नहीं है। याचीगण तीन दशकों से अधिक से उक्त भूमि पर प्रत्येक 150 वर्ग फीट-200 वर्ग फीट के क्षेत्र वाले अपने-अपने दुकानों को चला रहे है। पहले, याचीगण के एशोसिएशन अर्थात ''खडंगाझार बाजार विकास समिति'' ने दिनांक 27.1.2014 के नोटिस जिसके द्वारा याचीगण/समिति को प्रश्नगत भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया था के विरूद्ध रिट याचिका डब्लू॰ पी॰(सी॰) सं॰ 1013 वर्ष 2014 दाखिल किया। इस न्यायालय की न्यायपीठ ने दिनांक 1.12.2015 के आदेश के तहत उक्त रिट याचिका को चार सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। बाद में, दिनांक 10.3.2016 के आदेश के तहत याचीगण को उक्त रिट याचिका वापस लेने की अनुमति इस संप्रेक्षण के साथ दी गयी थी कि संबंधित व्यक्ति जिनके विरूद्ध बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ अधिनियम, 1956 के अधीन अग्रसर हुआ गया है तीन सप्ताह के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के पास जाएँगे और आगे निर्देश दिया गया था कि प्रत्यर्थीगण पूर्वोक्त अवधि में समिति के सदस्यों की बेदखली के लिए कोई 'प्रपीड़क कदम नहीं उठाएँगे। तत्पश्चात, वर्तमान याचीगण में से कुछ ने डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1013 वर्ष 2014 में इस न्यायालय की न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 10.3.2016 के आदेश के निबंधनानुसार प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष 30.3.2016 को पृथक अपील दाखिल किया। दिनांक 30.3.2016 को दाखिल उक्त अपील अभी भी विचार किए जाने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष लंबित है। इस बीच, प्रत्यर्थी सं॰ 2 याचीगण को प्रश्नगत भूमि से अभिकथित अधिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करता

रहा। आगे यह निवेदन किया गया है कि 6.8.2016 को वन रक्षक, भिलाई पहाड़ी कैम्पस ने प्रत्यर्थी सं॰ 4 के समक्ष अपराध रिपोर्ट अन्य बातों के साथ यह अभिकथित करते हुए प्रस्तुत किया कि याचीगण विगत 10-12 वर्ष से संरक्षित वन भूमि का अधिभोग कर रहे हैं। उक्त अभियोजन रिपोर्ट के आधार पर, प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने याचीगण के विरूद्ध बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ केस सं॰ 130 वर्ष 2016, बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ केस सं॰ 136 वर्ष 2016 से बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ केस सं॰ 148 वर्ष 2016 एवं बी॰ पी॰ एल॰ ई॰ केस सं॰ 150 वर्ष 2016 आरंभ किया। याचीगण ने अपना–अपना कारण बताओ उत्तर दाखिल किया, किंतु, प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने दिनांक 13.10.2016 के आदेश के तहत याचीगण को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अभिकथित अधिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचीगण ने 26.10.2016 को प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष अपनी–अपनी अपीलों को दाखिल किया है। अपील के ऐसे मेमों में से एक को रिट याचिका के परिशिष्ट 9 के रूप में संलग्न किया गया है। किंतु, उक्त अपीलें प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा अभी तक ग्रहण नहीं की गयी हैं। अत: वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होता है कि याचीगण द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल करने का मुख्य कारण यह है कि प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित दिनांक 13.10.2016 के आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष दाखिल अपीलें अभी तक ग्रहण नहीं की गयी है और इस बीच याचीगण प्रश्नगत भूमि से बेदखल किए जाने की धमकी लगातार पा रहे हैं।

4. याचीगण की सीमित प्रार्थना पर विचार करते हुए, विवाद्यक के गुणागुण पर विचार किए बिना प्रत्यर्थी सं॰ 2 को याचीगण द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित दिनांक 13.10.2016 के आदेश के विरूद्ध दाखिल अपीलों को दर्ज करने तथा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर इसे शीघ्रातिशीघ्र निपटाने का प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा उक्त अपीलें निपटाए जाने तक प्रत्यर्थी प्राधिकारी प्रश्नगत भूमि से उनकी बेदखली के लिए याचीगण के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

5. तद्नुसार, पूर्वोक्त संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

6. रिट याचिका में पारित आदेश की दृष्टि में लंबित आई॰ ए॰ सं॰ 849 वर्ष 2018 भी निपटायी जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o vfuy dekj pkèkjh] U;k;efrx.k

सुखलाल सिंह

cuke

झारखंड राज्य

Cr. App. (DB) No. 165 of 2006. Decided on 5th January, 2018.

सत्र मामला सं॰ 135 वर्ष 2004 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰) लातेहार द्वारा पारित दिनांक 13.12.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 14.12.2005 के दंडादेश के विरूद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 396 एवं 397—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—हत्या के साथ ट्रेन डकैती—आजीवन कारावास—अभियोजन मामला तीन चश्मदीद

गवाहों के विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित है उनके अभिसाक्ष्य विश्वसनीय तथा भरोसेमंद हैं—उनके अभिसाक्ष्य के किसी भाग को अविश्वसनीय बनाने या अविश्वास करने के लिए उनकी प्रतिपरीक्षा से कुछ भी निकाला नहीं गया है—इन गवाहों ने घटना का विस्तार से वर्णन किया है—वे स्वाभाविक गवाह हैं—यह केवल परीक्षा पहचान परेड में अभियुक्त की पहचान का एक मामला नहीं है अपितु इस मामले में परीक्षा पहचान में अभियुक्तों की पहचान के अतिरिक्त गवाहों ने अभियुक्त अपीलार्थी को न्यायालय में भी पहचाना है जो प्राथमिक साक्ष्य है तथा जहाँ तक उनकी प्रति-परीक्षा में उनके अभिसाक्ष्य के तात्विक भाग का संबंध है तथा गवाहों के अभिसाक्ष्य को भी चुनौती नहीं दी गयी है—टी॰ आई॰ परेड करने में विलंब अनिवार्यतः घातक नहीं है—बचाव टी॰ आई॰ परेड करने में विलंब के लिए अभियोजन के प्रति किसी प्रेरणा का लांछन लगाने में विफल हुआ है और न ही बचाव ने टी॰ आई॰ परेड करने में किसी अनियमितता को अभिकथित किया है—भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 396 एवं 397 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश संपुष्ट किया गया किंतु आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त की गयी। (पैराएँ 21, 22, 26 से 30)

(ख) दांडिक विधि—साक्ष्य का अधिमूल्यन—यदि कोई पक्ष गवाह के बयान की शुद्धता के प्रति कोई संदेह करने की इच्छा रखता है, उक्त गवाह को इसके उस भाग जिसके प्रति अन्य पक्ष द्वारा असत्य होने के रूप में आपत्ति की गयी है की ओर ध्यान आकृष्ट करके अपने बयान को स्पष्ट करने का अवसर देना होगा—इसके बिना उसकी विश्वसनीयता को अधिक्षेपित करना संभव नहीं है। (पैरा 22)

निर्णयज विधि.—(1982)3 SCC 368; (2010) 7 SCC 697; (2016)4 SCC 735; 1996 CRI L.J. 445; 2017 (2) JBCJ 44 (SC) : (2015) 6 SCC 623—Referred; 2013 (2) JBCJ 128 (SC) : AIR 2013 (SC) 1204; AIR 1998 SC 1328; AIR 2005 SC 1096; AIR 1981 (SC) 373; (2005) 9 SCC 200; (2004) 13 SCC 150—Relied.

अधिवक्तागण.—Mrs. J. Mazumdar, For the Appellant; Mr. Awnish Shankar, For the State.

अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति.—यह दांडिक अपील सत्र मामला सं॰ 135 वर्ष 2004 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰), लातेहर द्वारा पारित दिनांक 13.12.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 14.12.2005 के दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अधीन अपराधों के लिए दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अधीन दोषसिद्ध एवं सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडादेशित किया गया है और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी दोषसिद्धि एवं जुर्माना के साथ तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडादेशित किया गया है। समस्त तीनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का आदेश दिया गया है।

2. डाल्टेनगंज रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म सं॰ 1 पर अपराह्न 6.45 बजे 7.5.2004 को दर्ज आर्मी कैडेट नगेन्द्र कुमार पटेल के फर्दबयान के आधार पर संस्थित अभियोजन मामला यह है कि 6.5.2004 को दोपहर लगभग 3 बजे सूचक अपने मित्रों ब्रजेश कुमार शर्मा 3 स्क्वैड्न 3 ट्रूप और एल॰ डी॰ एच॰ एस॰ दूबे के साथ छुट्टी में अपने-अपने घर जाने के लिए राँची में ट्रेन सं॰ 8101 अप राँची हटिया पठानकोट एक्सप्रेस के डिब्बा सं॰ 958408/A (सामान्य) में चढ़ा। अपराह्न लगभग 10 बजे जब उक्त

ट्रेन 'टोरी' रेलवे स्टेशन से जा रही थी, उक्त सामान्य डब्बा के कुछ यात्रियों ने दरवाजा बंद कर दिया। जब ट्रेन धीमी गति में थी, एस्कोर्ट पार्टी के दो जी॰ आर॰ पी॰ कॉंस्टेबल डब्बा के दरवाजा पर लटक गए और दरवाजा खोलने के लिए इसे खटखटाने लगे किंतु डब्बा में मौजूद दुष्ट दरवाजा नहीं खोल रहे थे। जब ट्रेन ने गति पकड़ी, यात्रियों के अनुरोध पर दरवाजा के पास खड़े दुष्टों ने अचानक दरवाजा खोल दिया और दोनों कॉंसटेबल को अंदर खींचने के बाद उन पर लोहे की छड़ एवं अन्य हथियारों तथा आग्नेयास्त्रों से प्रहार किया। इस बीच देसी पिस्तौल, लोहे की छड़ एवं अन्य घातक हथियारों से लैस दुष्ट समस्त यात्रियों का नगद एवं अन्य सामान लूटने लगे। दुष्टों ने निचली सीट पर बैठे उसके मित्र एच॰ एस॰ दूबे का बैग छीनने का प्रयास किया। जब एच॰ एस॰ दूबे ने आपत्ति किया, एक दुष्ट ने उस पर प्रहार किया तथा दूसरे दुष्ट ने देसी पिस्तौल से उस पर गोली दागी तथा उसे गंभीर रूप से घायल किया। तत्पश्चात दुष्टों ने लगभग 15,000/- रुपया नगद अंतर्विष्ट करते सूचक के बैग के साथ उसके मित्र का बैग एवं अन्य वस्तुओं को छीन लिया। तब ब्रेक वैक्यूम कर दुष्टों ने चेतर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन रोका और भाग गए। सूचक को बाद में अन्य यात्रियों से पता चला कि दुष्टों ने एक महिला यात्री इंदु देवी तथा पुरुष यात्रियों अर्थात उमेश पांडे, जितवहन महतो, जगेश्वर बराई एवं अन्य यात्रियों से गहना, नगद आदि लूटा और दुष्टों द्वारा गोली मारा गया जी॰ आर॰ पी॰ कॉंसटेबल कैलाश यादव और घायल जी॰ आर॰ पी॰ कॉंसटेबल बासुकी यादव था जिसे दुष्टों ने मुर्दा समझकर छोड़ दिया और कि दुष्टों ने उक्त जी॰ आर॰ पी॰ कॉंसटेबलों का दो राइफल एवं बुलेट लूटा। सूचक ने अपने एवं डब्बा के अन्य यात्रियों द्वारा देखे गए दुष्टों का वर्णन दिया और बाद में उनको पहचानने का दावा किया है। फर्दबयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 396 एवं 397 के अधीन एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन 20-25 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 7.5.2004 का बरकाकाना रेल पी॰ एस॰ केस सं॰ 19 वर्ष 2004 दर्ज किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के दौरान अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था जिसमें उसने पूर्वोक्त घटना में अपनी अंतर्ग्रस्तता तथा अपना दोष संस्वीकार किया। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने नौ संदिग्ध अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया किंतु केवल एक अभियुक्त अर्थात अपीलार्थी गिरफ्तार किया गया था।

3. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद, अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 396 एवं 397 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था। अभियुक्त के निर्दोषिता का अभिवचन करने पर तथा विचारण किए जाने का दावा करने पर उसका विचारण किया गया था। अपने मामला के समर्थन में अभियोजन ने कुल 18 गवाहों का परीक्षण किया और अनेक दस्तावेज सिद्ध किया है जिन्हें प्रदर्श 1 से 17 चिन्हित किया गया है। किंतु बचाव ने किसी गवाह का परीक्षण करना अथवा कोई दस्तावेज सिद्ध करना नहीं चुना था।

4. अ॰ सा॰ 7 बासुकी यादव घटना का घायल चश्मदीद गवाह है। उसने कथन किया है कि 6.5.2004 को वह रेलवे पुलिस थाना, बरकाकाना में पदस्थापित था और उक्त तिथि पर वह टाटा-जम्मूतवी ट्रेन के अनुरक्षण के लिए तैनात ए॰ एस॰ आई॰ रामा मुन्डा, हवलदार जनार्दन यादव, हवलदार कलीमुद्दीन खान एवं नौ अन्य कॉंसटेबलों के साथ था। उस क्रम में जब ट्रेन टोरी स्टेशन पर रूकी, तब अनुरक्षक दल स्टेशन पर उतरा और जब ट्रेन वहाँ से चलने लगी, तब अनुरक्षक दल एक अन्य डब्बा में चढ़ा और अ॰ सा॰ 7 कॉंसटेबल सं॰ 272 कैलाश यादव (अब मृतक) के साथ चलती ट्रेन में

सामान्य डब्बा के दरवाजा पर लटक गया क्योंकि दरवाजा बन्द था। जब ट्रेन ने गति पकड़ा तब कई बार बुलाने पर दुष्टों ने दरवाजा खोला और उनको डब्बा में खींचा और कैलाश यादव को गोली मारा और अ॰ सा॰ 7 पर लोहे की छड़ पिस्तौल के कुंदा, फँसुल से प्रहार करने लगे और उनका राइफल एवं बुलेट छीन लिया और एक सैनिक की हत्या भी कर दी। ये दुष्ट संख्या में लगभग 20-25 थे। उन्होंने यात्रियों का नगद, बैग एवं अन्य सामान लूटा। अ॰ सा॰ 7 ने दुष्टों के चेहरे के बारे में उल्लेख किया और डब्बा की रोशनी में उनको पहचानने का दावा किया। अ॰ सा॰ 7 ने जिला कारा डालटेनगंज में न्यायिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में किए गए अभियुक्त सुखलाल सिंह के परीक्षा पहचान परेड में भाग लिया और अभियुक्त को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसने काँसटेबल कैलाश यादव को बुलेट उपहति कारित किया था और पिस्तौल के कुंदा से अ॰ सा॰ 7 पर प्रहार किया था और उनका राइफल एवं बुलेट छीना। यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि अ॰ सा॰ 7 के मुख्य परीक्षण के किसी तात्विक भाग पर प्रतिपरीक्षण बिलकुल नहीं किया गया है और केवल सामान्य सुझाव कि वह झूठा अभिसाक्ष्य दे रहा था, अ॰ सा॰ 7 को दिया गया था।

5. अ॰ सा॰ 5 नागेन्द्र कुमार पटेल इस मामला का सूचक है। उसने कथन किया है कि वह रेवा (म॰ प्र॰) में अपने घर जाने के लिए राँची में अपराह्न लगभग 3 बजे अपने सहयोगियों ब्रजेश कुमार शर्मा तथा हृदय शंकर दूबे के साथ टाटा–हटिया–पठानकोट ट्रेन के सामान्य डब्बा में चढ़ा। अपराह्न लगभग 10 बजे जब उक्त ट्रेन ने टोरी स्टेशन से प्रस्थान किया, तब डब्बा के कुछ लोगों ने डब्बा का दरवाजा बंद कर दिया। इस बीच दो जी॰ आर॰ पी॰ काँसटेबल चढ़ गये और बाहर से उक्त डब्बा के दरवाजा पर लटक गए और दरवाजा खोलने के लिए इसे खटखटाने लगे। किंतु डब्बा में मौजूद दुष्टों ने दरवाजा नहीं खोला था। जब ट्रेन ने गति पकड़ी, यात्रियों के अनुरोध पर दुष्टों ने अचानक दरवाजा खेल दिया और काँसटेबलों को डब्बा के अंदर खींच लिया और पहले काँसटेबल पर लोहे की छड़ से प्रहार किया और वह बेहोश हो गया। तब दुष्टों ने दूसरे काँसटेबल को गोली मारी। इस बीच पिस्तौल, लोहे की छड़ आदि से लैस 20-25 दुष्ट डब्बा में फैल गए और यात्रियों का नगद, गहना एवं अन्य सामान लूटा और उसके मित्र एच॰ एस॰ दूबे का बैग छीनने का प्रयास किया जिस पर उसके मित्र द्वारा जोरदार आपत्ति की गयी थी। तब दुष्टों ने उसके मित्र पर प्रहार किया और एक दुष्ट ने पिस्तौल से उसके मित्र पर गोली चलायी। उसके मित्र को उपहति आयी और गिर गया। तब दुष्टों ने 15,000/- रुपया नगद तथा अन्य सामान अंतर्विष्ट करने वाले उसके बैग के साथ उसके मित्र का बैग लूटा। घटना 15 मिनट तक जारी रही और ब्रेक लगाकर दुष्टों ने चेतर स्टेशन के निकट ट्रेन रोका और भाग गए। बाद में अ॰ सा॰ 5 को जानकारी हुई कि घायल जी॰ आर॰ पी॰ काँसटेबल कैलाश प्रसाद यादव था और उसे एवं उसके मित्र को इलाज के लिए डालटेनगंज सदर अस्पताल भेजा गया था। उसने आगे कथन किया कि दुष्टों का चेहरा ढंका नहीं था और उसने तथा अन्य यात्रियों ने डब्बा की रोशनी में उनका चेहरा देखा था और वह भविष्य में उनके चेहरों को पहचान सकता है। आगे, उसने कथन किया है कि उसने जिला कारा डालटेनगंज में न्यायिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में अभियुक्त अपीलार्थी सुखलाल सिंह की परीक्षा पहचान परेड में भाग लिया और उसे पहचाना क्योंकि वह घटना के दौरान अ॰ सा॰ 5 के निकट पिस्तौल से लैस टहल रहा था। अ॰ सा॰ 5 द्वारा फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किए जाने पर इसे प्रदर्श 10 चिन्हित किया गया था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को अ॰ सा॰ 5 द्वारा पहचाना गया था। अन्य गवाहों की तरह अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य के किसी तात्विक भाग पर कोई प्रतिपरीक्षण बिलकुल नहीं किया गया है।

6. आर्मी कैडेट अ॰ सा॰ 6 ब्रजेश कुमार शर्मा इस मामला में अभियोजन द्वारा परीक्षण किया गया तीसरा चश्मदीद गवाह है। उसने भी घटना के बारे में वही विवरण दिया है जैसा अ॰ सा॰ 5 नागेन्द्र कुमार पटेल द्वारा दिया गया था। अ॰ सा॰ 6 ने भी कथन किया है कि उसने भी न्यायिक दंडाधिकारी, डालटेनगंज की उपस्थिति में परीक्षा पहचान परेड में अभियुक्त को पहचाना है क्योंकि उसने दुष्टों को डब्बा की रोशनी में देखा था। उसने यह कथन भी किया है कि वह फर्दबयान में गवाह था और फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर उसके द्वारा सिद्ध किए जाने पर इसे प्रदर्श 10/1 चिन्हित किया गया है। न्यायालय में साक्ष्य के दौरान भी अ॰ सा॰ 6 ने घटना के समय पर पिस्तौल के साथ टहलते व्यक्ति के रूप में अभियुक्त को पहचाना है। अ॰ सा॰ 6 के प्रतिपरीक्षण में भी उसके अभिसाक्ष्य के किसी तात्विक विशिष्टियों के संबंध में प्रश्न नहीं पूछा गया था।

7. अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ विजय सिंह ने काँसटेबल कैलाश प्रसाद के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियाँ पाया:–

(i) buoVM ekftu d lkFk ,o dkfyek fy, ihB d nk, Hkkx ij 1 cm dfoVh rd xgjk fonh.k t[;A ;g ço'k d t[e dk o.ku gA

(ii) Åijh Nkrh d ck, Hkkx ij 1.5 cm x 1.5 cm vkdkj dk ,oVM ekftu dk fonh.k t[eA

Nkrh ,o iV d foPNnu ij Nkrh dfoVh [ku l Hkjh Fkh] nk, ,o ck; QQMk dh fonh.krk] nk;h Åijh ilfy;k dk ÝDpj] migfr l0 (i) ,o (ii) ,d nlj d lid e FkhA nkuk migfr;k vkXu;k;èk }kjk dkfjr dh x;h FkhA eR; dk dkj.k iokfYyf[kr migfr;k }kjk dkfjr gej t ,o vk?kkr FkkA

mlh fnu ij v0 lk0 1 u vkeh dMV ,p0 ,l0 nc d er 'kjhj dk 'ko ijh{k.k fd;k vkj fuEufyf[kr eR; io migfr ik;k%&

(i) vfLFk d fMçlu d lkFk 4 cm x 2 cm vkdkj dk [kkiMh d nk, Hkkx ij fonh.k t[eA

(ii) 3 cm x 2 cm dk vfLFk rd xgjk [kkiMh d ck, Hkkx ij fonh.k t[eA

(iii) ck:n d d.kk tk t[e d bn fxn dh ifjfèk d yxHkx 3 cm ij vofLFkr g d dkj.k VV fpUg d lkFk fupyh Nkrh d nk, Hkkx ij dkfyek fy, ,o buoVM ekftu d lkFk 1.5 cm vkdkj dk fonh.k t[eA ;g ço'k d t[e dk o.ku gA

(iv) ihB d nk; Hkkx ij 2 cm dk xky fonh.k t[e ftld fdukj myV Fk&fudkl dk t[eA

Nkrh ,o ij dk foPNnu dju ij ,oMkfeuy dfoVh vkr] fyoj ,o nk, dkyku dh fonh.krk d lkFk [ku l Hkjh FkhA migfr l0 (iii) ,o (iv) ,d nlj d lid e FkhA migfr l0 (i) ,o (ii) dM] HkkFkj inkFk }kjk dkfjr dh x;h Fkh vkj migfr l0 (iii) ,o (iv) vkXu;kL= }kjk dkfjr dh x;h FkhA eR; migfr l0 (iii) ,o (iv) d dkj.k vk?kkr ,o gej t d dkj.k dkfjr gb FkhA

उसके प्रतिपरीक्षण में अ॰ सा॰ 1 से महत्व का कुछ भी नहीं पूछा गया था।

8. अ॰ सा॰ 2 कमाल खान मामला का अन्वेषण अधिकारी है। उसने घटना स्थल एवं इसके परिवेश का वर्णन किया है। अ॰ सा॰ 2 ने मामला के सूचक एवं अन्य गवाहों का बयान दर्ज किया है। उसने कैलाश यादव एवं एच॰ एस॰ दूबे दोनों के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया है। अ॰ सा॰ 2 द्वारा सिद्ध किए जाने पर फर्दबयान प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था, औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 3 चिन्हित की गयी थी और दो मृत्यु समीक्षा रिपोर्टों को प्रदर्श 4 तथा 4/1 चिन्हित किया गया था, अभिग्रहण सूची प्रदर्श 5 चिन्हित की गयी थी, परीक्षा पहचान परेड चार्ट पर उसका हस्ताक्षर प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया था और अभियुक्त सुखलाल सिंह की संस्वीकृत प्रदर्श 7 चिन्हित की गयी थी। अपने प्रतिपरीक्षण में अ॰ सा॰ 2 ने कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान जब्त रक्त रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था और मृत शरीर ट्रेन सं॰ 8101 अप के डब्बा सं॰ 958408/A से बरामद किए गए थे। अपने आगे के प्रति परीक्षण में उसने खून से लथपथ मृतक के मृत शरीर के बारे में विस्तार से वर्णन किया है।

9. अ॰ सा॰ 3 सुरेन्द्र कुमार पांडे तत्कालीन सबडिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, पलामू है, जिसने लिपिक, दीनबंधु सिंह जिला कारा की उपस्थिति में जिला कारा डालटेनगंज में नियमों के मुताबिक परीक्षा पहचान परेड संचालित किया था, जिसमें गवाह बासुकी यादव (अ॰ सा॰ 7) ने अभियुक्त (सुखलाल सिंह) को पहचाना और कथन किया कि उक्त अभियुक्त ने मृतक कैलाश यादव पर गोली दागा और उस पर भी निशाना लगाकर गोली दागा किंतु यह मिसफायर हो गया और अभियुक्त ने लोहे की छड़, पिस्तौल के कुंदा से अ॰ सा॰ 7 पर प्रहार किया और उसका राइफल छीना। अ॰ सा॰ 3 द्वारा सिद्ध किए जाने पर टी॰ आई॰ पी॰ चार्ट प्रदर्श 8 चिन्हित किया गया था। उसके प्रतिपरीक्षण में अ॰ सा॰ 3 से किसी महत्व का कुछ नहीं पूछा गया था।

10. अ॰ सा॰ 4 राज कुमार मिश्रा अन्य दंडाधिकारी है जिन्होंने भी पूर्वोक्त मामला के संबंध में अभियुक्त अपीलार्थी का परीक्षा पहचान परेड संचालित किया था जिसमें अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6 ने उक्त नामित अभियुक्त को पहचाना और बताया कि घटना के समय पर पिस्तौल से लैस पूर्वोक्त अभियुक्त उनके निकट टहल रहा था। उसके द्वारा सिद्ध किए जाने पर टी॰ आई॰ पी॰ चार्ट प्रदर्श 9 चिन्हित किया गया है। उसके प्रतिपरीक्षण में अ॰ सा॰ 4 से किसी महत्व का कुछ भी नहीं पूछा गया था।

11. अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ मोहन प्रसाद ने जी॰ आर॰ पी॰ कॉंसटेबल बासुकी यादव (अ॰ सा॰ 7) का परीक्षण किया और निम्नलिखित उपहतियाँ पाया:–

(i) jDr cgr t[e d lkFk 2"x¼"xflj dh [kky rd xgjk flj dh [kky d fiNy Hkkx ij dVu dk fonh.k t[e eNk Fkh] dM ,o HkkFkj inkFk }kjk dkfjrA

उन्होंने उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है। उसके प्रतिपरीक्षण में किसी परिणाम का कुछ भी निकाला नहीं गया था।

12. अ॰ सा॰ 9 शिवलाल टुडु मामला का आंशिक अन्वेषण अधिकारी है। उसने कथन किया है कि डालटेनगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म सं॰ 1 पर उसने देखा कि एक जी॰ आर॰ पी॰ कॉंसटेबल खून से लथपथ पड़ा है और एक अन्य जी॰ आर॰ पी॰ कॉंसटेबल और एक मिलिट्री कैडेट गंभीर रूप से घायल थे और टाटा–हटिया–पठानकोट 8101 अप ट्रेन के सामान्य डब्बा सं॰ 958408/A में बेहोश दशा में पड़े हुए थे। अ॰ सा॰ 9 ने सूचक अ॰ सा॰ 5 का फर्दबयान दर्ज किया। सिद्ध किए जाने पर फर्दबयान प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था। अ॰ सा॰ 9 ने घायल कॉंसटेबल एवं मिलिट्री कैडेट को अस्पताल भेजा जहाँ इलाज के क्रम में मिलिट्री कैडेट की मृत्यु हो गयी, अ॰ सा॰ 9 ने गवाहों का बयान दर्ज किया, अभिग्रहण

सूची तैयार किया, मृत शरीरों की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और घायल बासुकी यादव (अ॰ सा॰ 7) का तलब तैयार किया। चूँकि घटना स्थल बरकाकाना रेल पी॰ एस॰ है, अत: अ॰ सा॰ 9 ने मामला का आगे अन्वेषण बरकाकाना रेल पी॰ एस॰ को सौंपा। उसके प्रतिपरीक्षण में किसी महत्व का कुछ नहीं है।

13. अ॰ सा॰ 10 पाचू साव पीड़ितों के चप्पलों की जब्ती का गवाह है। अ॰ सा॰ 12 श्यामा नन्द राय बरकाकाना रेल पी॰ एस॰ का तत्कालीन ए॰ एस॰ आई॰ है जिसने न्यायालय में मामला के तात्विक प्रदर्शों को प्रस्तुत किया। अ॰ सा॰ 11 अनिल दास, अ॰ सा॰ 13 अंगद पासवान, अ॰ सा॰ 14 जनार्दन यादव, अ॰ सा॰ 15 कलीमुद्दीन, अ॰ सा॰ 16 देव करन सिंह और अ॰ सा॰ 17 अब्दुल सत्तार जी॰ आर॰ पी॰ अनुरक्षण दल के सदस्य हैं। वे समस्त घटना के बाद के गवाह हैं। अ॰ सा॰ 18 राधा हरिजन तत्कालीन सार्जेन्ट मेजर, पुलिस लाइन रेल जिला धनबाद है। अ॰ सा॰ 18 ने दो सर्विस राइफलों तथा तीन 0.303 खाली कारतूस का परीक्षण किया है और प्रमाण पत्रित किया कि गोली दोनों राइफलों से चलायी गयी थी। उसके द्वारा सिद्ध किए जाने पर आयुध परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 17 चिन्हित की गयी है।

14. अभियुक्त का बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया था जिसमें अभियुक्त सुखलाल सिंह ने साक्ष्य में अपने विरूद्ध सामने आने वाली परिस्थितियों से इनकार किया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को पूर्वोक्तानुसार दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के समय पर निवेदन किया कि परीक्षा पहचान परेड करने में विलंब ने परीक्षा पहचान अविश्वसनीय बनाया है और उक्त निवेदन के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1982)3 SCC 368; सिदन्की राम रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2010) 7 SCC 697; महाराष्ट्र राज्य बनाम सैयद ऊमर सइद अब्बास एवं अन्य, (2016) 4 SCC 735** तथा **गोविन्द एवं अन्य बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, 1996 Cri.L.J. 445** मामलों में दिए गए निर्णयों पर विश्वास किया है।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि चूँकि अभियोजन लूटी गयी वस्तुओं में से किसी की जब्ती के संबंध में कोई साक्ष्य देने में विफल रहा है। यह अभियोजन द्वारा दिए गए नाम-मात्र साक्ष्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 396 अथवा 397 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी सिद्ध करने के लिए सुयोग्य मामला नहीं है। इस संबंध में अपने प्रतिवाद के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **इकबाल एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2015)6 SCC 623 [: 2017 (2) JBCJ 44 (SC)],** में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

> *^^15.* ***ijh{kk igpku ijM e n"Vk dh igpku dk lk{; lkjoku lk{; ugh gA doy ijh{kk igpku ijM e xokgk }kjk Mdrk dh igpku ij nk"kf lf) vkèkkfjr ugh dh tk ldrh gA*** *vfHk;ktu dk vfHk;Dr dk vijkèk d lkFk tkMu okyk vijkèk e Qlku okyk lk{; LFkkfir djd* ***oLrvk tk Mdrh dk fo"k;oLr g vkj vijkèk dh dkfjrk e ç;Dr vfHkdfFkr gfFk;kjk dh cjkenxh tlk lk{; nuk gkxkA***
>
> *(tkj fn;k x;k)*

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि चूँकि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा अभिकथित रूप से प्रयुक्त आग्नेयास्त्र न तो जब्त किए गए हैं न ही न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं और

न ही किसी बैलिस्टिक विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट है कि अभिकथित आग्नेयास्त्र बिल्कुल किस कोटि का था और फिर साक्ष्य नहीं है कि किस तरीके से आयुध अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, अत: विद्वान विचारण न्यायालय ने यह विनिर्दिष्ट किए बिना कि क्या अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 27(1) अथवा 27(2) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, सामान्यत: अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में गलती किया। यह निवेदन भी किया गया था कि अन्यथा भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए अपर्याप्त है, अत: अपीलार्थी को कम से कम संदेह का लाभ देकर आरोप से दोषमुक्त किया जाए।

18. दूसरी ओर, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आक्षेपित आदेश का बचाव एवं निवेदन किया कि जहाँ तक परीक्षा पहचान परेड करने में विलंब के संबंध में अपीलार्थी के प्रतिवाद का संबंध है, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि टी॰ आई॰ परेड करने में विलंब अनिवार्यत: अभियोजन मामला के प्रति घातक नहीं है किंतु ऐसे पहचान की विश्वसनीयता का निर्णय करते हुए न्यायालय को पता लगाना चाहिए कि क्या गवाहों के पास घटना के समय पर अभियुक्त को देखने का पर्याप्त अवसर था और क्या टी॰ आई॰ परेड के पहले अभियुक्त को देखने का अवसर उनके पास था। यह निवेदन भी किया गया है कि दोष स्थापित करने का भार अभियोजन पर है किंतु यह सिद्धांत यह अभिनिर्धारित करने के लिए इतनी दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है कि अभियोजन को समस्त संभव बचावों का खंडन करने के लिए साक्ष्य देना होगा। चूँकि अपीलार्थी का प्रतिवाद यह है कि पहचान परेड करने में अनुचित विलंब था, दंडाधिकारी जिन्होंने परेड करवाया और पुलिस अधिकारी जिसने अन्वेषण किया का उस निमित्त प्रति परीक्षण किया जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किए जाने पर अपीलार्थी पहली बार अपील में टी॰ आई॰ परेड करने में विलंब का विवाद्यक उठाने का हकदार नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी अभियुक्त को पहली बार 31.5.2004 को रेलवे दंडाधिकारी के न्यायालय में पेश किया गया था और 23.6.2004 को की गयी टी॰ आई॰ परेड में अ॰ सा॰ 7 ने अपीलार्थी अभियुक्त को पहचाना और 26.6.2004 को किए गए टी॰ आई॰ परेड में अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6 ने अभियुक्त अपीलार्थी को पहचाना था, किंतु चूँकि बचाव टी॰ आई॰ परेड करने में विलंब के लिए अभियोजन के प्रति किसी हेतु का लांछन लगाने में विफल रहा और न ही टी॰ आई॰ परेड करने में किसी अनियमितता अभिकथित किया है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6 मुसीबत भरी परिस्थितियों में अथवा खून खराबा देखने पर नहीं घबरा जाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित आर्मी कैडेट होने के नाते और अ॰ सा॰ 7 के जी॰ आर॰ पी॰ कर्मी होने के नाते जिसने भी लड़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और प्राय: अपराधियों का सामना किया है, उनके डकैती की घटना के समय पर घबरा जाने की संभावना नहीं है, विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अभियोजन मामला पर विश्वास किया है और सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन ने किसी युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला स्थापित किया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा यह निवेदन भी किया गया कि इसे विचार में लेते हुए कि तीनों चश्मदीद गवाहों में से किसी के विरूद्ध लांछन नहीं है कि उनके पास टी॰ आई॰ परेड के पहले अभियुक्त को देखने का अवसर था, उनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई भी कारण नहीं है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि इसपर कोई विवाद नहीं है कि परीक्षा पहचान परेड में दुष्टों की पहचान का साक्ष्य सारवान साक्ष्य नहीं है, अत: परीक्षा पहचान परेड में केवल गवाहों द्वारा डकैतों की पहचान पर दोषसिद्धि आधारित नहीं की जा सकती हैं किंतु वर्तमान मामला मात्र परीक्षा पहचान परेड में अभियुक्त की पहचान का मामला नहीं है बल्कि यह ऐसा मामला है जहाँ परीक्षा पहचान परेड में पहचान के अतिरिक्त मौखिक परिसाक्ष्य तथा गवाहों द्वारा न्यायालय में अभियुक्त की पहचान भी है जो प्राथमिक एवं सारवान साक्ष्य है, अत: यह निवेदन किया गया है कि प्रत्येक

आरोप जिसके लिए अभियुक्त अपीलार्थी ने विचारण का सामना किया सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। यह निवेदन भी किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय के अभियुक्त अपीलार्थी को सही प्रकार से दोषसिद्ध एवं दंडादेशित करने पर गुणागुण रहित यह अपील खारिज की जाए।

21. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 7, 6 एवं 5 घटना के चश्मदीद गवाह हैं। उनका परिसाक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद है। उनके परिसाक्ष्य के किसी भाग को भंजित करने के लिए उनके प्रतिपरीक्षण में कुछ भी नहीं निकाला गया है। वस्तुतः अपने परस्पर मुख्य परीक्षण में उनके द्वारा अभिसाक्ष्य दिए गए इन गवाहों के परिसाक्ष्य के किसी तात्विक भाग के संबंध में प्रति परीक्षण नहीं है और इस प्रकार इन गवाहों के परिसाक्ष्य के किसी तात्विक भाग के संबंध में प्रति परीक्षण नहीं है और इस प्रकार इन गवाहों के परिसाक्ष्य के वे अंश चुनौतीहीन बने रहते हैं। इन गवाहों ने विस्तार में घटना बताया है। वे स्वाभाविक गवाह हैं। इन गवाहों के परिसाक्ष्य विश्वास उत्पन्न करते हैं।

22. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई पक्ष किसी गवाह के बयान की शुद्धता के संबंध में संदेह उठाने की इच्छा रखता है, उक्त गवाह को उसका ध्यान इसके उस भाग जिस पर अन्य पक्ष द्वारा इसके असत्य होने के रूप में आपत्ति की गयी है की ओर ध्यान आकृष्ट करके अपने बयान को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना होगा और इसके बिना उसकी विश्वसनीयता अधिक्षेपित करना संभव नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **लक्ष्मी बाई (मृत) एल॰ आर॰ के माध्यम से एवं एक अन्य बनाम भगवन्तबुवा (मृत) एल॰ आर॰ के माध्यम से एवं अन्य, AIR 2013 (SC) 1204 [: 2013 (2) JBCJ 128 (SC)]** में पैरा 31 में इस संबंध में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^31.* ***vkx bl lLFkkfir fofèkd çfriknuk d lcèk e dkb fookn ugh gk ldrk g fd ;fn dkb i{k xokg d c;ku dh 'k)rk d lcèk e dkb lng mBku dh bPNk j[krk g] mDr xokg dk mldk è;ku bld ml Hkkx ftld çfr bld vlR; gku d :i e vU; i{k }kjk vkifÙk dh x;h g dh vkj vkÑ"V djd viuk c;ku Li"V dju dk volj fn;k tkuk gkxkA bld fcuk] mldh fo'oluh;rk vfèk{kfir djuk lHko ugh gA*** *, lh fofèk lk{; vfèkfu;e] 1872 dh èkkjk 138 e çfr"Bkfir lkfofèkd çkoèkkuk dh nf"V e vxlj dh x;h g tk fojkèkh i{kdkj dk xokg dk mld vkjfHkd e[; ijh{k.k d nkjku mld }kjk lk{; e nh x;h lpuk d lcèk e çfrijh{k.k dju d fy, l{ke cukrk g vkj bl çkoèkku dk foLrkj lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 146 }kjk c<k;k x;k g tk vU; ckrk d lkFk mldh lR;rk dh ijh{kk dju d fy, xokg l ç'u iNu dh vuefr nrk gA* ***rRi'pkr mld lk{; d pukrhghu Hkkx ij bl dkj.k fo'okl fd;k tkuk g fd ifjfLFkfr;k tk minf'kr djrh g fd mld }kjk fn;k x;k ?kVukvk dk fooj.k fo'okl fd, tku ;kX; ugh g vkj Lo; xokg fo'okl d v;kX; g] d lcèk e mll iN x, ç'u dh vuifLFkfr e bld lcèk e fdlh lng dk Li"V djuk vFkok foLrkj nuk xokg d fy, vlHko gA bl çdkj] ;fn dkb i{k fdlh xokg dk vfèk{kfir dju dk vk'k; j[krk g] ml dV?kjk e [kM xokg dk i.k ,o lefpr Li"Vhdj.k nu d fy, i;kIr volj nuk gkxkA*** *;g xokgk ij fopkj dju e fu"i{krk ,o mfprrk lfuf'pr dju d fy, vko';d gA (n[kh [ke pn cuke fgekpy çn'k jkT;] AIR 1994 SC 226: (1993 AIR SCW 3675); m0 ç0 jkT; cuke ukgj flg (er) ,o vU;] AIR 1998 SC 1328: (1998 AIR SC W 1200); jkftUnj çlkn (er) ,y0 vkj0 }kjk cuke n'kuk noh (Jherh)] AIR 2001 SC 3207: (2001 AIR SCW 3042); ,o luhy dekj ,o ,d vU; cuke jkt LFkku jkT;] AIR 2005 SC 1096: (2005 AIR SCW 589)"* *(tkj fn;k x;k)*

23. यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि अनेक उदाहरण हैं जहाँ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गवाह के प्रतिपरीक्षण की अनुपस्थिति में ऐसे गवाह का साक्ष्य चुनौतीहीन बना रहता है और विश्वास किया जाना चाहिए। **उ॰ प्र॰ राज्य बनाम नाहर सिंह, AIR 1998 SC 1328,** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 13 एवं 14 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^13. ;gk ;g xkj fd;k tk ldrk g fd vfHk;Dr }kjk v0 lk0 1 d c;ku d Hkkx dk çfrijh{k.k ugh fd;k x;k FkkA ***foyc d Li"Vhdj.k ij çfrijh{k.k dh vuifLFkfr e v0 lk0 1 dk lk{; pukrhghu cuk jgk vkj mPp U;k;ky; }kjk bl ij fo'okl fd;k tkuk pkfg, FkkA*** *lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 138 fojkèkh i{k }kjk lk{; e fn, x, xokg dk çfrijh{k.k dju dk cgeY; vfèkdkj çnÙk djrh gA ml çkoèkku dk foLrkj xokg l ç'u iNu dh vuefr ndj lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 146 }kjk c<k;k x;k g%*

(1) ml dh lR;rk dh ijh{kk dju d fy,

(2) ;g irk yxku d fy, fd og dku g vkj thou e ml dh voLFkk D;k g] vFkok

(3) ml dh fo'oluh;rk fgyku d fy,] ml d pfj= dk {kfr igpk dj] ;fi ,l ç'uk d çfr mÙkj çR;{k vFkok vçR;{k :i l ml dk vijkèk e Ql ku dh çofÙk j[k ldrh g vFkok nM vFkok leigj.k d çfr ml dk lkeu yk ldrh g vFkok çR;{kr% ;k vçR;{kr% lkeu yku dh çofÙk j[k ldrk gA

14. ckmu cuke Mu] (1893) 6 The Reports 67 e ykM g"ky] ,y0 lh0 dk çk;% m) r lç{k.k Li"Vr% mu çkoèkkuk dk vkèkkjHkr fl)kr çfrikfnr djrk gA ;g bl idkj ifBr g%&

*^^e ;g dgu dk leFku ugh dj ldrk fd ;g grd d mi;Dr lpkyu d fy, i.kr% vko';d irhr gkrk g] tgk ;g l>ko nu dk vk;k; gk fd dkb xokg fdl h fof'k"V fcUn ij lR; ugh cky jgk g] ifr ijh{kk e dN i'u j[kdj rF; dh vkj ml dk è;ku dju dk fun'k nuk tk ;g n'kkrk gk fd ykNu yxku dk vk'k; g rFkk ml dk lk{; ugh yuk ,o i.kr% pukrhghu fo"k; ij bl ikfjr djuk rFkk fQj tc ml d fy, Li"V djuk vlHko gk] ftl dju e og lHkor% l{ke gk ldrk g] vxj ,l i'u ml d le{k j[k x; gkr] ifjfLFkfr;k tk] ;g l>ko fn;k x;k g] bfxr djrh g fd tk oÙkkr og crkrk g] ml ij fo'okl ugh fd;k tkuk pkfg, ;g rd dju d fy, fd og vfo'oluh; xokg gA eu lno ;g le>k g fd vxj vki fdl h xokg ij vfHk;ktu yku dk vk'k; j[kr g] tc og dB?kj e g] vki dkb Li"Vhdj.k dju dk vol j nu dk vkc) g rFkk tl k fd e> irhr gkrk g fd ;g u doy ekey d lpkyu e 0;ogkfjd ifjikVh dk ,d fu;e g vfir ;g xokgk d lkFk fu"i{krk rFkk U;k;i.k 0;ogkj d fy, vko';d gA***

*nHkkX;i.k :i l bl igy dk NkM fn;k x;k Fkk tc ;g bl fu"d"k ij vk;k fd foyEc d fy, fn;k x;k Li"Vhdj.k fcYdy fo'okl kRiknd ugh gA vr,o] ;g rd fo'okl kRiknd ugh gA** ¼tkj Mkyk x;k½*

bl çdkj l] ***luhy dekj ,o ,d vU; cuke jkt LFkku jkT;] AIR 2005 SC 1096,*** *e ekuuh; lokPp U;k;ky; u fu.k; d ijkxkQ 13 e fuEufyf[kr lçf{kr fd;k g%&*

13.... bl d vfrfjDr] çkFkfedh foyc l Hkt u d dkj.k d çfr vUo"k.k vfèkdkjh l ç'u ugh iNk x;k FkkA ;fn ;g fd;k x;k gkrk] vUo"k.k vfèkdkjh

ifjfLFkfr;k Li"V dj ldrk FkkA ***,lk ugh fd, tku ij çfrdy fu"d"k ugh fudkyk tk ldrk gA*** *¼tkj Mkyk x;k½*

24. जुआर सिंह बनाम म० प्र० राज्य, AIR 1981 (SC) 373, में, निश्चय ही, उस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, यद्यपि बचाव ने अभिवचन किया कि बचाव गवाहों के परिसाक्ष्य को प्रतिपरीक्षण के दौरान चुनौती नहीं दिए जाने पर, उनका परिसाक्ष्य स्वीकार किया गया माना जाना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 5 में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

> *^^5. vfHk;Dr u rhu cpko xokgk dk ijh{k.k fd;k vkj mle l ,d xxk jke dk Hkkb iUuk yky FkkA mu lck u dFku fd;k fd uoEcj 10, 1970 dh jkr e xxkjke dk ?kj tyk fn;k x;k Fkk fdr mUgku fdlh vfHk;Dr dk ?kVuk LFky ij ugh n[kk Fkk vkj fdlh u fdlh dk vkx c>ku l ugh jkdk Fkk tlk nkok v0 lk0 1, 2 ,o 6 }kjk fd;k x;k gA Jh eYyk u fuonu fd;k fd c0 lk0 1, 2 ,o 3 dk fdlh çfrijh{k.k d vè;èkhu ugh fd;k x;k Fkk vkj blfy, mudk lk{; fuLldkp Lohdkj fd;k tkuk pkfg,A* ***ge Jh eYyk d fuonu l lger ugh gA xokg dk >Byku dh ,dek= i)fr çfrijh{k.k ugh gA ;fn dfri; xokgk dk ekf[kd ifjlk{; fl) fd, x, rF;k d foijhr g] ml vkèkkj ij mudk lk{; fcYdy R;Dr fd;k tk ldrk FkkA ;fn mudk ifjlk{; bldk n[kr g, vLohdk; g] U;k;ky; ek= blfy, mudk ifjlk{; Lohdkj dju d fy, ckè; ugh g fd çfrijh{k.k ugh fd;k x;k FkkA*** *(tkj fn;k x;k)*

25. अत: विधि के पूर्वोक्त सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह अच्छी तरह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी अ० सा० 7, अ० सा० 6 अथवा अ० सा० 5 की विश्वसनीयता अधिक्षेपित नहीं कर सकता है क्योंकि वह उनके परस्पर प्रतिपरीक्षण में उनके परिसाक्ष्य के किसी तात्विक भाग को चुनौती देने में विफल रहा है, तद्द्वारा उनके ऐसे परिसाक्ष्य के प्रति किसी आपत्ति पर अपना बयान स्पष्ट करने का अवसर उन्हें देते हुए। अत: अ० सा० 7, अ० सा० 6 एवं अ० सा० 5 के साक्ष्य के चुनौतीहीन भाग के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और इसे स्वीकार किया जाना है। यह भी अविवादित बना रहता है कि अ० सा० 7 ने घटना के दौरान उपहति पाया। इन गवाहों के माध्यम से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे यह स्थापित करने में सफल हुआ है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने 20-25 सह अभियुक्तों के साथ कृत्य करते हुए 6.5.2004 को टाटा–हटिया–पठानकोट एक्सप्रेस ट्रेन के सामान्य डब्बा में अ० सा० 7 और मृतक जी० आर० पी० काँसटेबल कैलाश यादव को घसीटा तथा कैलाश यादव को गोली मारा जिसका परिणाम उसकी मृत्यु में हुआ और लोहे की छड़ पिस्तौल के कुन्दा एवं फसुल से अ० सा० 7 पर प्रहार किया और उनका राइफल एवं बुलेट छीना और उक्त डकैती के दौरान सैनिक एच० एस० दूबे की हत्या भी किया और यात्रियों का सामान एवं नगद लूटा और विनिर्दिष्ट साक्ष्य है कि अभियुक्त अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने मृतक जी० आर० पी० काँसटेबल कैलाश यादव को गोली मारा था।

26. जहाँ तक **इकबाल एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ऊपर)** के दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में अपीलार्थी के प्रतिवाद का संबंध है, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **उमेश कामत बनाम बिहार राज्य, (2005) 9 SCC 200** में दिए गए निर्णय में पैरा 19 पर अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *^^---- tlk ey[kku flg cuke e0 ç0 jkT;] (2003)5 SCC 746, e bfxr fd;k x;k g fd igpku ijM vUo"k.k dk pj.k g vkj* ***lkjoku lk{; xfBr***

> ***ugh djrk gA lkjoku lk{; U;k;ky; e igpku dk lk{; g*** *D;kfd rF; tk vfHk;Dr dh igpku LFkkfir djrk g] lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 9 d vèkhu çklfxd gA bl U;k;ky; u vkx lçf{kr fd;k fd ijh{kk igpku ijM djku e foQyrk U;k;ky; e igpku d lk{; dk vxkg; ugh cuk,xhA bl çdkj] lk{; nu d le; ij U;k;ky; e igpku dh vuifLFkfr e] ijh{kk igpku ijM dk ifj.kke FkkM eY; dk gkxk---**** *(tkj fn;k x;k)*

जैसी चर्चा पहले ही उपर की गयी है, यह मात्र परीक्षा पहचान परेड में अभियुक्त की पहचान का मामला नहीं है बल्कि इस मामला में परीक्षा पहचान में अभियुक्त की पहचान के अतिरिक्त गवाहों का मौखिक परिसाक्ष्य है और गवाहों ने न्यायालय में भी अभियुक्त अपीलार्थी को पहचाना है जो प्राथमिक साक्ष्य है और गवाहों के परिसाक्ष्य को प्रतिपरीक्षण में चुनौती भी नहीं दी गयी है जहाँ तक उनके परिसाक्ष्य के तात्विक भाग का संबंध है।

27. जहाँ तक टी॰ आई॰ परेड करने में विलंब के संबंध में अपीलार्थी के प्रतिवाद का संबंध है, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि टी॰ आई॰ परेड करने में विलंब अनिवार्यत: घातक नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रमोद मंडल बनाम बिहार राज्य, (2004)13 Supreme Court Cases 150,** में दिए निर्णय के पैराग्राफों 18 एवं 20 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^18. .... 'k[k glhc cuke fcgkj jkT;] (1972) 4 SCC 773: AIR 1972 SC 283, e U;k;ky; }kjk lçf{kr fd;k x;k Fkk fd igpku ijM vUo"k.k dk pj.k g vkj blfy, ;Fkk lHko 'kh?kkfr'kh?k mudk djuk okNuh; gA igpku dk tYnh volj yck le; chru d dkj.k xokgk dk igpkuu dh ;knnk'r èkèky gku dk l;kx vYi dju dh çofÙk j[krk gA bl fu.k;, ij fo'okl djr g, vihykFkh d vfèkoDrk çfrokn djr g fd ijM e tk gvk mll leFku çklr ugh fd;k tk ldrk g D;kfd ;g vihykFkh dh fxj¶rkjh d dkQh ckn fd;k x;k FkkA* ***vc ;g lR; g fd oreku ekeyk e igpku ijM dju e yxHkx rhu ekg dk foyc gvk Fkk fdr ;gk iuk vUo"k.k vfèkdkjh l dkb ç'u ugh iNk x;k Fkk fd D;k vkj dl foyc gvkA ;g lR; g fd nk"k LFkkfir dju dk Hkkj vfHk;ktu ij g fdr mlI fl)kr dk ;g vfHkfuèkkfjr dju d fy, bruh nj ugh yk;k tk ldrk g fd vfHk;ktu dk leLr lHko cpkok dk [kMu dju d fy, lk{; nuk gkxkA ;fn çfrokn ;g Fkk fd igpku ijM vfu;fer rjhd l fd;k x;k Fkk vFkok fd bl dju e vufpr foyc gvk Fkk] nMkfèkdkjh ftlu ijM djok;k vkj ifyl vfèkdkjh ftlu vUo"k.k lpkfyr fd;k dk mlI fufeÙk çfrijh{k.k fd;k tkuk pkfg, FkkA******
>
> *^^20.* ***mldh nk"kflf) lkif"kr dju d fy, vofèk ftld Hkhrj ijh{kk igpku ijM dh tkuh gkxh d çfr vFkok xokgk dh l[;k ftUg lgh :i l vfHk;Dr dk igpkuuk gkxk d çfr dkb vifjoruh; fu;e vfèkdfFkr djuk u rk lHko g u gh foodi.kA ; ekey çR;d ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e fofuf'pr fd, tku d fy, rF; d U;k;ky; ij NkM nuk gkxk---------***
>
> *--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---*
>
> *vr% food'khyrk ekx djrh g fd bu ekeyk dk rF; d U;k;ky;k dh cf)erk ij NkM nuk gkxk ftUg ,l igpku dh Lohdk;rk vFkok vLohdj.k ij fu.k; mn?kkf"kr dju d igy vfHky[k ij miyCèk lk{; d vkykd e ekeyk d bu leLr igyvk ij fopkj djuk gkxkA**** *(tkj fn;k x;k)*

यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि बचाव टी॰ आई॰ परेड करने में विलंब के लिए अभियोजन पर किसी हेतु का लांछन लगाने में विफल हुआ है और न ही बचाव ने टी॰ आई॰ परेड में कोई अनियमितता अभिकथित किया है। बचाव द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण में टी आई॰ परेड कराने में किसी विलंब के बारे में अन्वेषण अधिकारी से प्रश्न नहीं पूछा गया था। किसी भी चश्मदीद गवाह का उनके परस्पर प्रतिपरीक्षण में उनके मुख्य परीक्षण के किसी तात्विक भाग के संबंध में प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि घटना के तीन चश्मदीद गवाहों जिन्होंने टी॰ आई॰ परेड तथा विचारण के दौरान न्यायालय दोनों में अभियुक्त अपीलार्थी को पहचाना है, में से दो सैनिक एवं एक जी॰ आर॰ पी॰ काँसटेबल है। निश्चय ही, ऐसे व्यक्ति आम आदमी की तरह कठिन परिस्थितियों के अधीन अथवा खून खराबा देखने पर घबरा नहीं जाते हैं। मामला के इन तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि हमने परीक्षा पहचान परेड करने में अनियमितता अथवा अनुचितता नहीं पाया है, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि टी॰ आई॰ परेड करने में विलंब इस मामला में घातक नहीं है।

28. अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा प्रयुक्त आग्नेयास्त्र की प्रकृति के बारे में किसी विनिर्दिष्ट साक्ष्य की अनुपस्थिति में और अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा प्रयुक्त आग्नेयास्त्र के किसी लाइसेंस के अस्तित्व के संबंध में किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में भी और इस तथ्य की दृष्टि में कि किस तरीके से आयुध अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है सुझाने के लिए अभिलेख पर विनिर्दिष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य आयुध अधिनियम की धारा 27(1) अथवा 27(2) के अधीन अभियुक्त अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है और विद्वान विचारण न्यायालय ने विनिर्दिष्टत: यह उल्लेख किए बिना कि क्या अभियुक्त अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 27(1) अथवा 27 (2) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में गलती किया है, तद्नुसार आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त अपीलार्थी सुखलाल सिंह की दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है और उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

29. किंतु जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धाराओं 396 एवं 397 के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश का संबंध है, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गयी चर्चा के कारण अभियुक्त अपीलार्थी को अन्य अभियुक्तों के साथ डकैती करने तथा जी॰ आर॰ पी॰ काँसटेबल कैलाश यादव एवं आर्मी कैडेट एच॰ एस॰ दूबे की ऐसी डकैती करने में हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए और अपराध कि उक्त डकैती करने के समय पर अभियुक्त अपीलार्थी ने आग्नेयास्त्र एवं अन्य घातक हथियारों का उपयोग किया और अ॰ सा॰ 7 को घोर उपहति कारित किया और उसकी हत्या करने का प्रयास किया, के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अधीन भी सही प्रकार से दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है। सत्र विचारण सं॰ 135 वर्ष 2004 में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 13.12.2005 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय के उक्त भाग में एवं दिनांक 14.12.2005 के दंडादेश में कोई अवैधता नहीं है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी अर्थात सुखलाल सिंह को दोषी पाया और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 396 एवं 397 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है, अत: सुखलाल सिंह की उक्त दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट की जाती है।

30. तद्नुसार, परिणामस्वरूप अपील अंशत: अनुज्ञात की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 396 एवं 397 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश संपुष्ट

की जाती है किंतु आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

31. अपीलार्थी सुखलाल सिंह पहले से ही अभिरक्षा में है और दंडादेश भुगत रहा है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख संबंधित न्यायालय को तुरन्त वापस भेजा जाए।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

जितेन्द्र कोरवा उर्फ छोटन जी उर्फ कोमल जी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(Cr.) No. 282 of 2017. Decided on 19th December, 2017.

झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002—धाराएँ 12(2), 21 एवं 22—निवारक निरोध—याची को अनेक मामलों में अभियुक्त बनाया गया था—महत्तम अवधि जिसके लिए बंदी को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निरूद्ध किया जा सकता है एक वर्ष है जैसा धारा 22 में प्रावधानित किया गया है—राज्य सरकार ने याची के निरोध की अवधि तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया है और निरोध का मूल आदेश भी तीन माह की अवधि तक सीमित है—राज्य सरकार को ऐसी अवधि जिसे यह अधिनियम की धारा 21 के निबंधनानुसार सुयोग्य समझता है, के लिए बंदी का निरोध जारी रखने का स्वविवेक है—यह राज्य सरकार को आरंभिक चरण पर ही अधिनियम की धारा 22 के निबंधनानुसार एक वर्ष की महत्तम अवधि के लिए अथवा निरोध का आरंभिक आदेश पारित किए जाने के बाद अलग-अलग विस्तारण में निरोध का आदेश पारित करने का विशेषाधिकार देता है—सलाहकार बोर्ड का मत लेने के लिए राज्य सरकार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता उद्भूत नहीं होगी—रिट याचिका खारिज की गयी।

(पैराएँ 12, 14, 20 एवं 21)

निर्णयज विधि.–[(2014) 13 SCC 722]; [(2017) 2 JLJR 27]; [(1990) 2 SCC 456]; (1985) PLJR 763—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Rajesh Kumar, For the Petitioner; Mr. Rajiv Ranjan Mishra, For the Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार एवं प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान जी॰ पी॰ II श्री राजीव रंजन मिश्र सुने गए।

2. इस रिट आवेदन में याची ने अपर सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, राँची द्वारा पारित दिनांक 15.5.2017 के मेमो सं॰ 5/CCA/01/27/2017-2693 में यथा अंतर्विष्ट आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 12 (2) के अधीन पारित निरोध आदेश 7.9.2017 तक बढ़ाया गया है। आगे याची को अवैध निरोध से निर्मुक्त करने के लिए संबंधित प्रत्यर्थियों को निर्देश देने की प्रार्थना की गयी है।

3. रिट आवेदन में वर्णित ताथ्यिक पहलू यह है कि याची को अनेक मामलों में अभियुक्त बनाया गया था जो प्रत्यर्थी सं॰ 6 को प्रत्यर्थी सं॰ 4 को यह सूचित करने की ओर ले गया कि याची को झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (इसमें इसके बाद अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट) की धारा 12(2) के अधीन निरूद्ध करना आवश्यक था। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने दिनांक 24.1.2017 के मेमो सं॰ 65 के तहत याची को अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन अभिरक्षा में निरूद्ध करने के लिए जिला दंडाधिकारी, गढ़वा (प्रत्यर्थी सं॰ 4) को अनुशंसा किया। प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा लिया गया आधार यह था कि याची को अभिरक्षा से निर्मुक्त किए जाने की संभावना थी और उसकी निर्मुक्ति विधिव्यवस्था की समस्या सृजित करेगी, अत: यह आवश्यक था कि याची को निवारणात्मक उपाय के रूप में अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन निरूद्ध किया जाए। प्रत्यर्थी सं॰ 4 अर्थात जिला दंडाधिकारी, गढ़वा ने याची को तीन माह के लिए निरूद्ध करते हुए 8.3.2017 को आदेश पारित किया जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा दिनांक 16.3.2017 के मेमो के तहत संपुष्ट किया गया था और तत्पश्चात मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था जिसने दिनांक 1.4.2017 के अपने आदेश के तहत अभिनिर्धारित किया कि याची को निरूद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार दिए गए थे। सलाहकार बोर्ड के आदेश के बाद याची के निरोध का अदेश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.4.2017 के मेमो के तहत संपुष्ट किया गया था। याची का निरोध 15.5.2017 को आगे तीन माह की अवधि के लिए 7.9.2017 तक विस्तारित किया गया था और याची अपने निरोध आदेश के विस्तारण से व्यथित है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित विस्तार आदेश विधि की दृष्टि में इस तथ्य की दृष्टि में अविद्यमान है कि ऐसे विस्तारण के पहले सलाहकार बोर्ड का अनुमोदन कभी नहीं लिया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन विस्तारण तीन माह की अवधि के लिए हो सकता था, प्रत्येक अधिनियम की धारा 22 के निबंधनानुसार एक वर्ष के महत्तम निरोध के अध्यधीन और निरोध की अवधि के विस्तारण के पहले अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में आवश्यक शर्तें परिपूर्ण करने की आवश्यकता थी और इसके याची के निरोध की अवधि के पश्चातवर्ती विस्तारण द्वारा बिलकुल दरकिनार कर दिए जाने पर यह अपास्त किए जाने योग्य है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में याची के विद्वान अधिवक्ता ने **चेरूकुरि मनि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2015) 13 SCC 722** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **प्रिंस खान बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,** (2017)2 JLJR 27 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निर्दिष्ट किया है।

5. दूसरी ओर, विद्वान जी॰ पी॰ II श्री राजीव रंजन मिश्रा ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि निरोध आदेश जिसे आरंभ में पारित किया गया है को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है और तत्पश्चात सलाहकार बोर्ड द्वारा आगे अनुमोदन पर इसे राज्य सरकार द्वारा संपुष्ट किया जाना होगा। प्रत्यर्थियों के विद्वान जी॰ पी॰ II निवेदन करते हैं कि विस्तारण के पश्चातवर्ती आदेशों में राज्य सरकार एवं सलाहकार बोर्ड द्वारा संपुष्टि एवं अनुमोदन की प्रक्रिया दोहराया जाना अव्यवहारिक कार्य है और अधिनियम के प्रावधान ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। प्रत्यर्थियों के विद्वान जी॰ पी॰ II आगे निवेदन करते हैं कि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के परन्तुक में यथा उल्लिखित तीन माह की अवधि केवल राज्य सरकार द्वारा जिला दंडाधिकारी को शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में संकेंद्रित है और इसका किसी भी रूप में निरोध आदेश के साथ सरोकार नहीं है। विद्वान जी॰

पी॰ ॥ द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि एक वर्ष के निरोध की महत्तम अवधि के अध्यधीन तीन माह की अवधि के लिए विस्तारणीय बंदी का निरोध अननुज्ञेय है क्योंकि अधिनियम कहीं नहीं प्रदर्शित करता है कि महत्तम अवधि जिसके लिए निरोध आदेश पारित किया जा सकता है तीन माह है। यह निवेदन किया गया है कि प्रत्येक तीन माह की अवधि के लिए किए जा रहे विस्तारण की दृष्टि में अस्पष्ट स्थिति पहले ही सामने आ गयी है क्योंकि अधिनियम के प्रावधान प्रत्येक समय ऐसी प्रक्रिया किया जाना अनुध्यात नहीं करते हैं। सरकार अधिनियम की धारा 12(3), धारा 19 एवं धारा 20 में वर्णित समय तालिका की दृष्टि में निरोध की अवधि विस्तारित करने की इच्छुक है। विद्वान जी॰ पी॰ ॥ ने इस न्यायालय से **टी॰ देवकी बनाम तमिलनाडू सरकार एवं अन्य, (1990)2 SCC 456,** मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की त्रिन्यायाधीश न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर **प्रिंस खान (ऊपर)** में पारित आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है जिसे **चेरूकुरि मनि का मामला (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अथवा **प्रिंस खान (ऊपर)** मामला में इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। अत: विद्वान जी॰ पी॰ ॥ अंतत: यह कथन करके अपना तर्क समाप्त करते हैं कि निरोध की अवधि राज्य सरकार पर निर्भर है और किसी भी परिस्थिति में **चेरूकुरि मनि (ऊपर)** के निर्णय में यथा निष्कर्षित तीन माह की अवधि निरोध अवधि से संबंधनीय नहीं है बल्कि यह केवल राज्य सरकार द्वारा जिला दंडाधिकारी को शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में है।

6. विद्वान जी॰ पी॰ ॥ द्वारा किए गए निवेदनों तथा **टी॰ देवकी (ऊपर)** मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में यह न्यायालय आदेश जिसे **प्रिंस खान (ऊपर)** मामला में पारित किया गया है पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर है। यहाँ इसमें गौर किया जाना है कि **प्रिंस खान (ऊपर)** में पारित आदेश **चेरूकुरि मनि (ऊपर)** मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की दृष्टि में था। **टी॰ देवकी (ऊपर)** मामला में निर्णय **प्रिंस खान (ऊपर)** में निर्णय दिए जाने के समय पर इस न्यायालय के समक्ष अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में कभी नहीं लाया गया था।

7. झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 लोक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से असामाजिक तत्वों के नियंत्रण तथा दमन के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 12 अधिनियम के अधीन एक व्यक्ति को निरूद्ध करने वाला प्रक्रिया का आरंभ है और इसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^^èkkjk 3 : **dfri; 0;fDr;k dk fu#) dju dk vkn'k ikfjr dju dh 'kfDr-**&(1) ljdkj] ;fn fdlh voèk e| 0;kikjh] Mdr] vk"kfèk vijkèkdrk] xMk] vufrd 0;kikj vijkèkdrk] vFkok Hkfe gMiu okyk d lcèk e lr"V g fd ykd 0;oLFkk cuk, j[ku d çfr] çfrdydkjh fdlh rjhd l mldk ÑR; dju l jkdu dh nf"V l , lk djuk vko';d g] ;g fun'k nr g, fd , lk 0;fDr fu#) fd;k tk,] vkn'k ikfjr dj ldrh gA*
>
> *(2) ftyk nMkfèkdkjh vFkok ifyl vk;Dr dh vfèkdkfjrk dh LFkkuh; lhek d vrxr fdlh {k= e çpfyr vFkok çpfyr gku dh lHkkouk j[ku oky ifjfLFkfr;k dk è;ku e j[ku ij ;fn ljdkj lr"V g fd , lk djuk vko';d g] o fyf[kr e vkn'k }kjk fun'k n ldr g fd , lh vofèk d nkjku tlk vkn'k e fofufn"V fd;k x;k g] , lk ftyk eftLVV vFkok ifyl vk;Dr] ;fn lr"V g tlk mièkkjk (1) e çkoèkkfur fd;k x;k g] mDr mièkkjk }kjk çnÙk 'kfDr dk ç;kx dj ldrk gA*

ijUr ;g fd bl mièkkjk d vèkhu ljdkj }kjk ikfjr vkn'k e fofufn"V vofèk igyh ckj e rhu ekg d ij ugh gkxh fdr ljdkj] ;fn iokDrkulkj lr"V g fd ,lk djuk vko';d g] fdlh ,d le; ij rhu ekg dh vofèk l vufèkd rd dh fdlh vofèk }kjk le;≤ ij ,lh vofèk dk c<ku d fy, ,l vkn'k dk l'kkèku dj ldrh gA

*(3) tc mièkkjk (2) e mfYyf[kr vfèkdkjh }kjk èkkjk d vèkhu dkb vkn'k ikfjr fd;k tkrk g] og vkèkkjk ftu ij vkn'k ikfjr fd;k x;k g vkj ,lh vU; fof'kf"V;k ftudk mld er e ekey ij çHkko g d lkFk ljdkj dk bl rF; dk fjikV rjUr djxk vkj ,lk vkn'k bld ikfjr fd, tku d ckjg fnu l vfèkd d fy, çHkko e cuk ugh jgxk tc rd bl chp bl ljdkj }kjk vuekfnr ugh fd;k tkrk gA***

*ijUr ;g fd tgk èkkjk 17 d vèkhu fujkèk d vkèkkj fujkèk dh frfFk l ikp fnuk ckn fdr nl fnuk d ckn ugh vkn'k ikfjr dju oky vfèkdkjh }kjk llfpr fd, tkr g] ;g mièkkjk mikrj.k d vè;èkhu ykx gkxh fd 'kCnk** 12 fnuk d fy, 'kCnk** iæg fnuk** dk çfrLFkkfir fd;k tk,xkA***

8. धारा 12 की उपधारा 2 का परन्तुक इस न्यायालय को पुनर्विचार करने की आज्ञा देता है कि क्या परन्तुक में यथा उल्लिखित तीन माह की अवधि बंदी के निरोध के संबंध में है अथवा राज्य सरकार द्वारा जिला दंडाधिकारी को शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में है।

9. अधिनियम ने विनिर्दिष्ट समय सीमा उच्चारित किया है जो जिला दंडाधिकारी द्वारा निरोध आदेश पारित किए जाने के क्षण से शुरू होती है। अधिनियम की धारा 12(3) निरोध आदेश पारित करने के बाद 12 दिनों की अंतिम सीमा देती है और यदि उक्त समय सीमा के भीतर निरोध आदेश अनुमोदित नहीं किया जाता है, यह अप्रवर्तनीय और व्यर्थ बन जाता है। अधिनियम की धारा 18 सलाहकार बोर्ड के गठन पर विचार करती है और इसका पठन निम्नलिखित है:–

*^^18. **lykgdkj ckM dk xBu-**&jkT; ljdkj tc dHkh vko';d gk bl vfèkfu;e d ç;ktu l lykgdkj ckM xfBr djxhA*

(2) ckM rhu 0;fDr;k l xfBr gkxk tk mPp U;k;ky; d U;k;kèkh'k g vFkok jg g vFkok fu;Dr fd, tku d fy, vfgr g vkj ,l 0;fDr jkT; ljdkj }kjk fu;Dr fd, tk,xA

*(3) ljdkj lykgdkj ckM d lnL;k e l ,d dk] tk mPp U;k;ky; dk U;k;kèkh'k g vFkok jgk g] bldk vè;{k fu;Dr djxhA***

अधिनियम की धारा 19 के मुताबिक सलाहकार बोर्ड का अनुमोदन लिया जाना होगा जो निम्नलिखित प्रकट करती है:–

*^^19. **lykgdkj ckM dk fun'k-**&bl vfèkfu;e e vfHk0;Dr :i l tlk micfèkr g mld flok,] çR;d ekeyk e tgk bl vfèkfu;e d vèkhu fujkèk vkn'k ikfjr fd;k x;k g] ljdkj vkn'k d vèkhu 0;fDr d fujkèk dh frfFk l rhu llrkg d Hkhrj èkkjk 18 d vèkhu bld }kjk xfBr lykgdkj ckM d le{k vkèkkjk ftu ij vkn'k ikfjr fd;k x;k g vkj vkn'k }kjk çHkkfor 0;fDr }kjk fn;k x;k vH;konu] ;fn gk] vkj ;fn tgk vkn'k èkkjk 12 dh mièkkjk (2) e mfYyf[kr ftyk nMkfèkdkjh }kjk vkn'k ikfjr fd;k x;k g] ml èkkjk dh mièkkjk (3) d vèkhu ,l vfèkdkjh }kjk fjikV çLrr djxkA***

10. इस प्रकार, राज्य सरकार को आधारों तथा बंदी द्वारा दाखिल अभ्यावेदन यदि हो, को अधिनियम की धारा 17 के निबंधनानुसार सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 20 में वर्णित की गयी है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*^^20. **lykgdkj ckM dh çfØ;k-**&(1) lykgdkj ckM viu le{k çLrr lkexh ij fopkj dju d ckn vkj ljdkj l vFkok ljdkj d eke;e l bl ç;ktu l cyk, x, fdlh 0;fDr l vFkok lcfèkr 0;fDr l ,lh vfrfjDr lpuk tlk ;g vko';d le>rk g exku d ckn vkj ;fn] fdlh ekeyk fo'k"k e] ;g ,lk djuk vko';d le>rk g vFkok ;fn lcfèkr 0;fDr lu tku dh bPNk j[krk g] mldk futh :i l luu d ckn lcfèkr 0;fDr d fujkèk dh frfFk l lkr lIrkg d Hkhrj ljdkj dk viuk fjikV çLrr djxkA*

(2) lykgdkj ckM dk fjikV mld iFkd Hkkx e lykgdkj ckM dk er fofufn"V djxk fd D;k lcfèkr 0;fDr d fujkèk d fy, i;kIr dkj.k g ;k ugh(

(3) tc lykgdkj ckM fufer dju oky lnL;k d chp erHkn g] ,l lnL;k d cger er ckM dk er le>k tk,xkA

*(4) bl èkkjk e dN Hkh fdlh 0;fDr ft ld fo:) fujkèk vkn'k ikfjr fd;k x;k g dk lykgdkj ckM d çfr fun'k e lcfèkr fdlh ekeyk e fdlh fofèkd i'koj }kjk mifLFkr gku dk gdnkj ugh gkxk vkj lykgdkj ckM dh dk;okgh vkj bldh fjikV] flok, ml Hkkx d ft le lykgdkj ckM dk er fofufn"V fd;k x;k g] xkiuh; jgxhA***

11. अधिनियम की धारा 20 का परिशीलन प्रकट करता है कि सलाहकार बोर्ड को बंदी के निरोध की तिथि से सात सप्ताह की अवधि के भीतर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

12. निरोध की तिथि से सलाहकार बोर्ड द्वारा रिपोर्ट की प्रस्तुति तक संपूर्ण प्रक्रिया सात सप्ताह है जो निरोध की तिथि से तीन सप्ताह सम्मिलित करती है जिस समय तक राज्य सरकार को मामला सलाहकार बोर्ड को इसके अनुमोदन के लिए निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। पूर्वोक्तानुसार वर्णित अवधि के पूरा होने के बाद अधिनियम की धारा 21 तब निरोध संपुष्ट करने के लिए और यदि यह सुयोग्य समझता है निरोध जारी रखने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए प्रवर्तन में आती है। महत्तम अवधि जिसके लिए बंदी को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निरूद्ध किया जा सकता है, एक वर्ष है जैसा अधिनियम की धारा 22 में वर्णित किया गया है। प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का कथन जो अधिनियम में प्रावधानित किया गया है, प्रकट करेगा कि प्रत्येक समय जब निरोध आदेश विस्तारित किया जाता है घुमावदार रास्ते से होकर जाना राज्य सरकार के लिए अनधिसंभाव्य होगा। अधिनियम ऐसी कोई प्रक्रिया प्रावधानित नहीं करती है जो विस्तारपूर्ण प्रक्रिया आवश्यक बनाएगी जब और जैसे विस्तारण का प्रश्न राज्य सरकार के समक्ष आता है।

13. उक्त वर्णित पृष्ठभूमि के विरूद्ध यह न्यायालय वर्तमान वास्तविक विवाद्यक पर विचार करने का प्रयास करता है जो यह है कि क्या धारा 12 की उपधारा (2) के परन्तुक का अर्थ प्रत्येक तीन माह की अवधि के लिए विस्तारणीय निरोध की अवधि के रूप में लगाया जा सकता है अथवा यह राज्य सरकार

द्वारा जिला दंडाधिकारी को शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में है। काफी पहले 1985 में यह विवाद्यक **भीम सिंह बनाम बिहार राज्य,** (1985) PLJR 763, में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आया था। पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने निम्नलिखित निष्कर्षित किया:–

> *^13. vkjHk e gh iN x, nk e[; ç'uk dk fu"df"kr dju d fy,] igy ;g vfHkfuèkkfjr djuk gkxk fd vfèkfu;e dh èkkjk 12 dh mièkkjk (2) dk ijUrd doy mI vofèk ij ifjlhek g ftld fy, jkT; ljdkj }kjk fujkèk dh vofèk dk çR;k;ktu ,d le; ij ftyk nMkfèkdkjh dk fd;k tkuk g vkj bldk fujkèk dh vofèk ftl nMkfèkdkjh }kjk vknf'kr fd;k tk ldrk g d çfr fun'k vFkok çklfxdrk ugh g vkj f}rh;r% fd fuolu l lcfèkr èkkjk 3 d çkoèkkuk dh èkkjk 12 rFkk mld lkFk lcfèkr vU; vku"kfxd çkoèkkuk d vèkhu fujkèk d fcydy fHkUu {k= d çfr fdlh Hkh rjg dh çklfxdrk ugh gA***

14. इस प्रकार, उक्त निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया था कि धारा 12 की उपधारा (2) के परन्तुक में निर्दिष्ट की गयी तीन माह की अवधि केवल राज्य सरकार द्वारा जिला दंडाधिकारी को शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में है जिसे समय-समय पर एक बार तीन माह के परे विस्तारित नहीं किया जा सकता है। **टी॰ देवकी (ऊपर)** मामला में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की त्रि-न्यायाधीश न्यायपीठ तमिलनाडू अवैध मद्य व्यापारियों, औषधि अपराधियों, वन अपराधियों, अनैतिक देह व्यापार अपराधियों एवं गंदी बस्ती हड़पने वालों की खतरनाक गतिविधि निवारण अधिनियम, 1982 की धारा 3 पर विचार कर रहा था जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^3 : **dfri; 0;fDr;k dk fu#) dju dk vkn'k ikfjr dju dh 'kfDr-**&(1) ljdkj] ;fn fdlh voèk e| 0;kikjh] Mdr] vk"kfèk vijkèkdrk] xMk] vufrd 0;kikj vijkèkdrk] vFkok Hkfe gMiu okyk d lcèk e lr"V g fd ykd 0;oLFkk cuk, j[ku d çfr] çfrdydkjh fdlh rjhd l mldk ÑR; dju l jkdu dh nf"V l ,lk djuk vko';d g] ;g fun'k nr g, fd ,lk 0;fDr fu#) fd;k tk,] vkn'k ikfjr dj ldrh gA*
>
> *(2) ftyk nMkfèkdkjh vFkok ifyl vk;Dr dh vfèkdkfjrk dh LFkkuh; lhek d vrxr fdlh {k= e çpfyr vFkok çpfyr gku dh lHkkouk j[ku okyk ifjfLFkfr;k dk è;ku e j[ku ij ;fn ljdkj lr"V g fd ,lk djuk vko';d g] o fyf[kr e vkn'k }kjk fun'k n ldr g fd ,lh vofèk d nkjku tlk vkn'k e fofufn"V fd;k x;k g] ,lk ftyk eftLVV vFkok ifyl vk;Dr] ;fn lr"V g tlk mièkkjk (1) e çkoèkkfur fd;k x;k g] mDr mièkkjk }kjk çnÙk 'kfDr dk ç;kx dj ldrk gA*
>
> *ijUr ;g fd bl mièkkjk d vèkhu ljdkj }kjk ikfjr vkn'k e fofufn"V vofèk igyh ckj e rhu ekg d ij ugh gkxh fdr ljdkj] ;fn iokDrkuqlkj lr"V g fd ,lk djuk vko';d g] fdlh ,d le; ij rhu ekg dh vofèk l vufèkd rd dh fdlh vofèk }kjk le;≤ ij ,lh vofèk dk c<kuk d fy, ,l vkn'k dk l'kkèku dj ldrh gA*
>
> *(3) tc mièkkjk (2) e mfYyf[kr vfèkdkjh }kjk èkkjk d vèkhu dkb vkn'k ikfjr fd;k tkrk g] og vkèkkjk ftu ij vkn'k ikfjr fd;k x;k g vkj ,lh vU; fof'kf"V;k ftudk mld er e ekey ij çHkko g d lkFk ljdkj dk bl rF; dk fjikV rjUr djxk vkj ,lk vkn'k bld ikfjr fd, tku d ckjg fnu l vfèkd d fy, çHkko e cuk ugh jgxk tc rd bl chp bl ljdkj }kjk vuekfnr ugh fd;k tkrk gA***

15. झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 यहाँ ऊपर उद्धृत तमिलनाडू अधिनियम की समविषयक है। उक्त निर्णय में निष्कर्षित किया गया था कि यथा उल्लिखित तीन माह की अवधि राज्य सरकार द्वारा जिला दंडाधिकारी को शक्ति के प्रत्यायोजन की अवधि के संबंध में थी और किसी भी रूप में बंदी के निरोध के साथ संबंधित नहीं थी। प्रासंगिक पैराग्राफों को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*^^10. iokDr èkkjkvk d çkoèkku foyck ftUg vH;konu ij fopkj dju e dkfjr fd;k tk ldrk g d fo:) vr%fufer lj{kk, gA ;fn iokDr çkoèkkuk e ;Fkk fofgr le; lhek dk ikyu ugh fd;k tkrk g] fujkèk vkn'k fo[kfMr fd, tku dk nk;h g vkj cnh Lor=rk dk gdnkj gA tc ,dckj jkT; ljdkj }kjk fujkèk vkn'k li"V fd;k tkrk g] vofèk ftld fy, cnh dk fu:) fd;k tk ldrk g] fujkèk dh frfFk l 12 ekg d ij ugh tk ldrh gA vfèkfu;e vofèk ftld fy, cnh dk fu:) dju dh vko';drk g fofufn"V djuk fu:) dju oky çkfèkdkjh d fy, vko';d ugh cukrk gA èkkjk 3 dh mièkkjk (2) e vku okyh vfHk0;fDr ^^jkT; ljdkj lr"V g fd ,lk djuk vko';d g] o fyf[kr vkn'k }kjk fun'k n ldr g fd ,lh vofèk d nkjku ftl vkn'k e fofufn"V fd;k tk ldrk g**] ml vofèk l lcfèkr g ftld fy, jkT; ljdkj }kjk tkjh çR;k;ktu dk vkn'k çHkko e cuk jgrk g vkj bldh fujkèk vofèk d çfr çklfxdrk ugh gA foèkkueMy u fujkèk dh 'kfDr jkT; ljdkj dk lkiu dk [;ky j[kk g(pfd fopkj.k d fcuk fujkèk ukxfjd d ey vfèkdkjk dk xHkhj vfèkØe.k g] blu ;g çkoèkkfur djd fd vkjHk e çR;k;ktu rhu ekg dh vofèk d ij ugh tk,xk vkj bl çR;k;ktu vkn'k e fofufn"V fd;k tk,xk] vfuf'pr vofèk d fy, vèkhuLFk çkfèkdkfj;k dk 'kfDr d li.k çR;k;ktu l cpu dk vkx [;ky j[kk gA fdr ;fn jkT; ljdkj fLFkfr ij fopkj dju ij ;g vko';d ikrk g] ;g le;≤ ij iokDr çkfèkdkfj;k dk fujkèk dh 'kfDr iuh% çR;k;kftr dj ldrk g fdr fdlh Hkh le; çR;k;ktu rhu ekg l vfèkd vofèk dk ugh gkxkA vfèkfu;e dh èkkjk 3(2) e ;Fkk mfYyf[kr vofèk çR;k;ktu dh vofèk fufn"V djrh g vkj bldh ml vofèk d çfr fcydy çklfxdrk ugh g ftld fy, 0;fDr fu:) fd;k tk ldrk gA pfd vfèkfu;e vofèk ftld fy, cnh dk fu:) dju dh vko';drk g fofufn"V djuk fu:) dju oky çkfèkdkjh d fy, vko';d ugh cukrk g] fujkèk vkn'k ,l fofufn"Vdj.k dh vuifLFkfr e voèk ugh cu tkrk gA**

^^12. egkjk"V Lye ykMl] cVyxl ,o vk"kfèk vijkèkh fuokj.k vfèkfu;e] 1981 dh èkkjk 3 rfeyukM vfèkfu;e dh èkkjk 3 d fucèkuk d ln'k gA egkjk"V vfèkfu;e dh èkkjk 3 ykd 0;oLFkk cuk, j[ku d çfr çfrdydkjh fdlh rjhd l Ñ R; dju l cnh dk jkdu dh nf"V l fdlh 0;fDr dk fu:) djuk jkT; ljdkj] ftyk nMkfèkdkjh vFkok ifyl vk;Dr d fy, vko';d ugh cukrh gA èkkjk 3(1) tk fdlh 0;fDr dk fujkèk funf'kr djr g, vkn'k ikfjr dju d fy, jkT; ljdkj ij 'kfDr çnÙk djrh g] jkT; ljdkj d fy, fujkèk vofèk fofufn"V djuk vko';d ugh cukrh gA blh çdkj l] èkkjk 3 dh mièkkjk (2) vFkok (3) èkkjk 3 dh mièkkjk (1) d vèkhu viuh 'kfDr dk ç;kx djr g, fujkèk vofèk fofufn"V djuk ftyk nMkfèkdkjh vFkok ifyl vk;Dr d fy, vko';d ugh cukrh gA x:cD'k fHkj;kuh e fd, x, lç{k.k fd egkjk"V vfèkfu;e dh ;ktuk vU;

le:i vfèkfu;ek e vrfo"V çkoèkkuk l fHkUu Fkh vkj fd vfèkfu;e dh èkkjk 3 ,d le; ij rhu ekg dh fujkèk dh vkjfHkd vofèk vuè;kr djrh g] lgh ugh gA fopkj.k d fcuk 0;fDr dk fujkèk çkoèkkfur dju oky vU; vfèkfu;ek e ;Fkk vrfo"V ;ktuk le:i gA bl lcèk e] geu fuokjd fujkèk vfèkfu;e] 1950 vkrfjd lj{kk vfèkfu;e 1971] dkQiklk vfèkfu;e] 1974, jk"Vh; lj{kk vfèkfu;e] 1980 dk loh{k.k fd;k g] fdr bue l fdlh Hkh vfèkfu;e e 0;fDr d fo:) fujkèk vkn'k ikfjr djr g, fujkèk vofèk fofufn"V djuk fu:) dju oky çkfèkdkjh d fy, vko';d ugh gA**

16. रोशन कुमार ठाकुर उर्फ रोशन ठाकुर बनाम बिहार राज्य, दांडिक रिट अधिकारिता केस सं॰ 34 वर्ष 2016 में **चेरूकुरि मनि (ऊपर)** के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करने पर अभिनिर्धारित किया गया था कि जिला दंडाधिकारी द्वारा अवैधता अथवा असंवैधानिकता नहीं की गयी थी जिसने एक वर्ष की अवधि के लिए बंदी का निवारक निरोध आदेशित किया था। **चेरूकुरि मनि (ऊपर)** के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) पर विश्वास किया गया था जिसका पठन निम्नलिखित है:–

"(4) fuokjd fujkèk dk micUèk dju okyh dkb fofèk fdlh 0;fDr dk rhu ekl l vfèkd vofèk d fy, rc rd fu#) fd;k tkuk çkfèkÑr ugh djxh tc rd fd&

(a) ,l 0;fDr;k l] tk mPp U;k;ky; d U;k;kèkh'k g] ;k U;k;kèkh'k jg g ;k U;k;kèkh'k fu;Dr gku d fy, vfgr g] feydj cu lykgdkj ckM u rhu ekl dh mDr vofèk dh lekfIr l igy ;g çfronu ugh fn;k g fd mldh jk; e ,l fujkèk d fy, i;kIr dkj.k gh

ijUr bl mi[k.M dh dkb ckr fdlh 0;fDr dk ml vfèkdre vofèk l vfèkd vofèk d fy, fu#) fd;k tkuk çkfèkÑr ugh djxh tk [k.M (7) d mi[k.M (b) d vèkhu lIn }kjk cukb xb fofèk }kjk fofgr dh xb g(;k

(b) ,l 0;fDr dk [k.M (7) d mi[k.M (a) vkj mi[k.M (b) d vèkhu lIn }kjk cukb xb fofèk d micUèkk d vulkj fu#) ugh fd;k tkrk gA**

17. इस न्यायालय द्वारा विचार किए जा रहे विवाद्यक पर हाल में संविधान के अनुच्छेद 22(4) पर विचार करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा विचार भी किया गया था और उसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

^^14. ge nkgjkr g fd lfoèkku d vuPNn 22(4) e vucfèkr rhu ekg dh vofèk lykgdkj ckM dh fjikV dh çkfIr d pj.k rd fujkèk dh vkjfHkd vofèk l lcèkuh; g vkj bldk fujkèk dh vofèk ij dkb çHkko ugh g] ftl lykgdkj ckM dh fjikV dh çkfIr ij jkT; }kjk ikfjr fd, tk jg lif"V vkn'k d i'pkr tkjh j[kk tkrk gA jkT; ljdkj }kjk ikfjr lif"V vkn'k d vulj.k e fujkèk tkjh j[ku dk fujkèk vofèk fofufn"V dju dh vko';drk ugh g] u gh ;g doy rhu ekg dh vofèk rd fucfèkr gA ;fn lif"V vkn'k e dkb vofèk fofufn"V dh tkrh g] rc fujkèk vofèk ,lh vofèk rd gkxh(;fn vofèk fofufn"V ugh dh tkrh g] rc ;g fujkèk dh frfFk l ckjg ekg dh egUke vofèk d fy, gkxhA gekj nf"Vdk.k e jkT; ljdkj dk bld lif"V vkn'k ikfjr dju d ckn çR;d rhu ekg ij fujkèk vkn'kk dk iufoykdu dju dh vko';drk ugh gA

^^15. bl çdkj] gekj nf"Vdk.k e] Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 22(4)(a) e fofufn"V rhu ekg dh vofèk lykgdkj ckM d fjikV d igy dh fujkèk vofèk

*l lcèkuh; g vkj u fd mld i'pkr dh fujkèk vofèk lA bld vfrfjDr] vuPNn 22(4) d fucèkukuklkj fujkèk vofèk rhu ekg d ij dh vofèk d fy, çHkko e ugh cuh jg ldrh g ;fn rc rd lykgdkj ckM u ;g vfHkfuèkkfjr djr g, viuk er ugh fn;k g fd ,l fujkèk dk i;kIr dkj.k gA vr%] vuPNn 22(4) d vèkhu] lykgdkj ckM dk fujkèk dh frfFk l rhu ekg dh vofèk d Hkhrj viuk er nuk gh gkxk vkj lykgdkj ckM }kjk vfHk0;Dr er ij fuHkj djr g, jkT; ljdkj vfèkfu;e dh èkkjk 12 d vèkhu fujkèk dh vofèk li"V dj ldrh g vFkok vfèkfu;e dh èkkjk 13 e ;Fkk fofufn"V 12 ekg dh egÙke vofèk d fy, lcfèkr 0;fDr dk fujkèk tkjh j[k ldrh g vFkok cnh dk rjUr fueDr dj ldrh g] tl ekeyk gk ldrk gA ;fn fujkèk vkn'k li"V fd;k tkrk g] rc fujkèk vofèk fujkèk dh frfFk l ckjg ekg dh egÙke vofèk rd foLrkfjr dh tk ldrh gA lEekuiod ge lçf{kr djr g fd ;g vko';d ugh g fd rhu ekg d volku d igy jkT; ljdkj d fy, fujkèk vkn'k iufoykfdr djuk vko';d ugh g tl k p:dfj efu e ekuuh; lokPp U;k;ky; }kjk vfHk0;Dr fd;k x;k gA vfèkfu;e fujkèk vkn'k dk iufoykdu vuè;kr ugh djrk g tc ,d ckj lykgdkj ckM u er fn;k g fd lcfèkr 0;fDr d fujkèk d fy, i;kIr dkj.k g vkj ml vkèkkj ij fujkèk dh frfFk l ckjg ekg dh egÙke vofèk d fy, 0;fDr dk fu:) dju d fy, jkT; ljdkj }kjk lif"V vkn'k ikfjr fd;k x;k gA nljh vkj] vfèkfu;e dh èkkjk 3 (2) d vèkhu jkT; ljdkj ftyk nMkfèkdkjh vFkok ifyl vk;Dr dk viuh 'kfDr dk ç;kx dju ,o fujkèk vkn'k ikfjr d fy, viuh 'kfDr çR;k;kftr djrh gA igyh ckj e çR;k;k tu rhu ekg l vfèkd ugh tk ldrk g vkj çR;k;k tu dh vofèk dk foLrkj.k Hkh fdl h ,d le; ij rhu ekg d ij dh vofèk d fy, ugh gk ldrk gA***

18. अधिनियम की धारा 12(2) में उल्लिखित तीन माह की अवधि के संबंध में जो पुनः कर्नाटक अवैध मद्य व्यापारियों, औषधि अपराधियों, जुआरियों, गुंडों, अनैतिक देह व्यापार अपराधियों एवं गंदी बस्ती क्षेत्र हड़पने वालों की खतरनाक गतिविधियाँ निवारण अधिनियम, 1985 की धारा 3 की समविषयक है जो कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष विषयवस्तु थी जिसने निम्नलिखित रूप से विवाद्यक विनिश्चित किया था:–

*^^16. iokDr ppk dk Hkh è;ku e j[kdj ;g vfHkfuèkkfjr dju d fy, VhO nodh ekeyk e ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k; dk vulj.k dju d bPNd g] tk Hkh rhu ekuuh; U;k;kèkh'kk dk fu.k; g tl h ppk Åij foLrkj e dh x;h g] fd vfèkfu;e dh èkkjk 3(2) e fofufn"V vofèk fujkèk dh vofèk l lcfèkr ugh g cfYd ftyk nMkfèkdkjh vFkok ifyl vk;Dr d i{k e jkT; ljdkj }kjk fd, x, çR;k;ktu dh vofèk l lcfèkr gA***

17. VhO nodh e io fu.k; d vkykd e] p:dfj efu e ekuuh; lokPp U;k;ky; d gky d fu.k; d lkoèkkuhi.k iBu ij ;g Li"V gk tkrk g fd nkuk fu.k;k d chp erHkn vFkok f}Hkkxhdj.k gA ;g Li"V g fd p:dfj efu e VhO nodh e ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k; d çfr fun'k ugh fd;k x;k gA vkx] VhO nodh f=&U;k;kèkh'k U;k; ihB dk fu.k; g tcfd p:dfj efu f} U;k;kèkh'k

*U;k; ihB dk fu.k; gA Li"Vr%] VhO nodh e fu.k; f}U;k;kèkh'k U;k; ihB ft lu p:dfj efu e fu.k; fn;k Fkk] d è;ku e ugh yk;k x;k gA egRoi.k :i l] iokDr ekeyk e fopkjkèkhu fofèk d çkoèkku vFkkr vkèk çn'k vfèkfu;e] rfeyukM vfèkfu;e ,o dukVd vfèkfu;e dh èkkjk 3 lefo"k;d gA***

19. प्रिंस खान (ऊपर) मामला में इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के परन्तुक का विस्तारपूर्ण अध्ययन नहीं किया था क्योंकि **टी॰ देवकी (ऊपर)** का निर्णय इसके समक्ष नहीं रखा गया था। पटना उच्च न्यायालय तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा पारित पश्चातवर्ती निर्णय भी वर्तमान विवाद्यक विनिश्चित करने में आत्यधिक मददगार थे।

20. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में विचार किए गए विधिक विवाद्यकों के साथ इस मामला के ताथ्यिक पहलूओं को रखा जाना प्रकट करेगा कि राज्य सरकार ने तीन माह की अवधि के लिए याची के निरोध की अवधि बढ़ाया है और निरोध का मूल आदेश भी तीन माह की अवधि तक सीमित है। राज्य सरकार को ऐसी अवधि जैसा यह अधिनियम की धारा 21 के निबंधनानुसार सुयोग्य समझता है के लिए बंदी का निरोध जारी रखने का स्वविवेक है। अत: यह राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 22 के निबंधनानुसार एक वर्ष की महत्तम अवधि के लिए अथवा अलग-अलग विस्तारणों में आरंभिक चरण पर ही निरोध आदेश पारित करने का विशेषाधिकार देता है और विधिक आज्ञा जो **टी॰ देवकी (ऊपर)** के निर्णय से प्रवाहित होता है की दृष्टि में निरोध का आरंभिक आदेश पारित किए जाने के बाद सलाहकार बोर्ड का मत लेने के लिए राज्य सरकार के लिए आगे कोई आवश्यकता उद्भूत नहीं होगी।

21. अत: यहाँ ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में रिट याची की प्रार्थना मान्य नहीं है और तद्नुसार, इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vfuy dekj pkèkjh] U;k;efrx.k

मांगा ओराँव

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Cr. Appeal (DB) No.53 of 1993(R). Decided on 30th November, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 339 वर्ष 1989 में पंचम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 22.1.1993 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 5.2.1993 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 201—हत्या एवं साक्ष्य गायब होना—परिस्थितिजन्य साक्ष्य—आजीवन कारावास—घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है—अभियोजन कथा कि अपीलार्थी ने मृतक को उसके घर से बुलाया था, सूचक के फर्दबयान में सुधार है क्योंकि फर्दबयान में यह कहीं नहीं कथित किया गया है कि अपीलार्थी ने मृतक को बुलाया था और उसे अपने साथ ले गया था—अपराध में फँसाने वाली परिस्थितियाँ अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराधों का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है—दोषसिद्धि एवं दंडोदश अपास्त किया गया। (पैराएँ 13 से 16)

अधिवक्तागण.—None, For the Appellant; Mr. Satish Kumar Keshri, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.—बार–बार बुलाए जाने के बावजूद अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है। अभिलेख दर्शाता है कि 12.8.2010 को जब मामला सुना गया था, अपीलार्थी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ था और मामला स्थगित किया गया था। तत्पश्चात, मामला आज सुना जा सकता था और आज भी अपीलार्थी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। राज्य के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। इस दशा में हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता की मदद से अभिलेख का परिशीलन किया है।

2. एकमात्र अपीलार्थी एस॰ टी॰ सं॰ 339 वर्ष 1989 में विद्वान पंचम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 22.1.1993 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 5.2.1993 के दंडादेश से व्यथित है, जिसके द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए पृथक दंडादेश पारित नहीं किया गया था।

3. अभियोजन मामला मृतक गोबरा ओराँव के पुत्र रय्या ओराँव के 26.9.1988 को दर्ज फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था जिसमें कथन किया गया था कि दो दिन पहले उसका पिता गाँव में शाम में टहलने के लिए गया था। जब उसका पिता देर रात तक वापस नहीं आया था, वे उसको खोजने लगे। सुबह में, उसने अपने पिता का एक चप्पल अभियुक्त मंगा ओराँव के घर के निकट पाया और उसने वहाँ कुछ खून भी पाया। उसने घसीटे जाने का निशान भी पाया और तत्पश्चात, उसके पिता का मृत शरीर नदी में पाया गया था। चौकीदार को सूचित किया गया था। सूचक ने कथन किया है कि अपीलार्थी मंगा ओराँव एवं उसके पिता गोबरा ओराँव के बीच दुश्मनी थी और दांडिक मामला था जिसमें उसके पिता को दोषमुक्त किया गया था। उसने संदेह किया है कि इस अभियुक्त ने उसके पिता की हत्या किया था। फर्दबयान के आधार पर लापुंग पी॰ एस॰ केस सं॰ 25 वर्ष 1988, जी॰ आर॰ सं॰ 2976 वर्ष 1988 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 201/ 34 के अधीन अपराधों के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने मामला में आरोप पत्र दाखिल किया।

4. सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने के बाद एकमात्र अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्त के निर्दोषिता का अभिवचन करने तथा विचारण किए जाने का दावा करने पर उसका विचारण किया गया था।

5. विचारण के क्रम में, अभियोजन ने नौ गवाहों (वस्तुतः आठ क्योंकि अगला गवाह अ॰ सा॰ 6 के बाद अ॰ सा॰ 8 के रूप में संख्यांकित किया गया था) तथा डॉक्टर जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था का परीक्षण किया है। मामला के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है।

6. अ॰ सा॰ 1 रय्या ओराँव मामला का सूचक और मृतक का पुत्र है। इस गवाह ने कथन किया है कि घटना लगभग डेढ़ वर्ष पहले शनिवार को शाम में लगभग 4 बजे हुई थी और उसका पिता घर पर था। यह करमा उत्सव का दिन था। मंगा ओराँव एवं कार्लस खखा उसके घर आए और उसके पिता को हड़िया (चावल की स्थानीय शराब) पीने के लिए बुलाया। उनका पिता उनके साथ गया, किंतु रात में वापस नहीं लौटा था और अगले दिन उसने अपने पिता का चप्पल मँगा ओराँव के घर के निकट पाया और खून भी पाया गया था। मृत शरीर को घसीटे जाने का निशान था और उसके पिता का मृत शरीर

नदी में पाया गया था। उसने कथन किया कि उसने चौकीदार को सूचित किया और उसने पुलिस को भी सूचित किया। जिस पर पुलिस द्वारा उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था जिस पर उसने अपने अंगूठा का निशान लगाया। उसने न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि उसे घटना की तिथि याद नहीं है किंतु उसके पिता का मृत शरीर रविवार को नदी में पाया गया था। उसने अपने पिता का चप्पल अभियुक्त के घर के निकट लगभग 20 फीट की दूरी पर देखा था और वहाँ खून भी था। उसने यह कथन भी किया है कि जब अभियुक्त एक अन्य व्यक्ति के साथ उसके पिता को बुलाने आया, उस समय तक उसके पिता ने हड़िया का सेवन नहीं किया था। उसने पक्षों के बीच पूर्व वाद के बारे में भी कथन किया है और कथन किया है कि उनके बीच दुश्मनी थी। उसने अभियुक्त को हत्या करते नहीं देखा था। उसने यह कथन भी किया है कि अभियुक्त का भाई उसकी कजिन बहनों को फुसलाकर ले गया था और उनमें से एक से विवाह किया था जिस कारण उनके बीच दुश्मनी थी। उसने झूठा साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार किया है।

7. अ॰ सा॰ 2 सुखरो ओराँव तथा अ॰ सा॰ 3 बिरसी ओराँव क्रमशः मृतक की पत्नी एवं पुत्री है जिन्होंने अभियुक्त के विरूद्ध संदेह करते हुए अभियोजन मामला का समर्थन किया था। अ॰ सा॰ 2 सुखरो ओराँव घर में उपस्थित नहीं थी क्योंकि वह घटना के समय पर अपने माएका गयी थी और इस दशा में वह केवल अनुश्रुत गवाह है जबकि अ॰ सा॰ 3 बिरसी ओराँव ने मामला का समर्थन किया है और कथन किया है कि मंगा ओराँव एक अन्य व्यक्ति के साथ आया और उसके पिता को हड़िया सेवन के लिए ले गया और वह भी उनके साथ इस तथ्य के बावजूद चला गया कि इस गवाह ने अपने पिता को उनके साथ नहीं जाने के लिए कहा था और तत्पश्चात मृत शरीर पाया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने घटना नहीं देखा था और वह नही जानती है कि किसने हत्या किया।

8. अ॰ सा॰ 4 पेने ओराँव मृतक के मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है और उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया है। वह मंगा ओराँव के घर के निकट जब्त रक्त रंजित मिट्टी की जब्ती का गवाह भी है और उसने अपना हस्ताक्षर और अभिग्रहण सूची के एक अन्य गवाह का हस्ताक्षर सिद्ध किया है जिन्हें क्रमशः प्रदर्श 1/1 एवं 1/2 चिन्हित किया गया है।

9. अ॰ सा॰ 5 विशुबा ओराँव को केवल अभियोजन द्वारा दिया गया था और अ॰ सा॰ 6 लाखो ओराँव ने केवल अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग डेढ़ वर्ष पहले मंगा ओराँव एवं कार्लस खखा हड़िया पीने उसके घर आए थे किंतु उसने उनको हड़िया नहीं दिया था।

10. अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ निरंजन मिंज है, जिन्होंने 26.9.1988 को मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहतियाँ पाया था:–

(1) ck, vk[k d dk.k d Åij ck, ÝVy {k= ij 5 cm x 2 cm x vfLFk rd xgjk dVu dk t[eA gfFk;kj u vkèkkjHkr vfLFk ,o M;jk eVj dk ijh rjg dkV fn;kA ck, ÝVy ifjVy vfLFk rd tkrk 10 cm yck ÝDpj FkkA

(2) Vklol :i l fLFkr xnu d ck, Hkkx ij 6 cm x 2 cm x vfLFk rd xgj gfFk;kj u xnu d ck, Hkkx d lk¶V fV'k] e[; CyM oly vkj pkFk lokbdy oVhdk dk v'kr% dkVr g,A

उन्होंने कथन किया है कि समस्त उपहतियाँ मृत्यु पूर्व प्रकृति की थी जो तेज धारवाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी और मृत्यु इन उपहतियों के कारण कारित हुई थी। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था।

11. चूँकि इस मामला में आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया गया है, फर्द बयान एवं औपचारिक प्राथमिकी औपचारिक गवाह अ॰ सा॰ 9 जगरनाथ राम, कोर्ट काँसटेबल द्वारा सिद्ध की गयी है और उसकी पहचान पर फर्दबयान प्रदर्श 23 तथा औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 4 चिन्हित की गयी थी।

12. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था।

13. इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रकट है कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अपीलार्थी के विरूद्ध एकमात्र साक्ष्य यह है कि अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से मृतक को बुलाया था और हड़िया सेवन के बहाना पर मृतक को अपने साथ ले गया था और अगले दिन उसका मृत शरीर पाया गया था। किंतु, कहानी कि अपीलार्थी ने मृतक को उसके घर से बुलाया था, सूचक के फर्दबयान का सुधार है क्योंकि फर्दबयान में कहीं नहीं कथन किया गया है कि अपीलार्थी ने मृतक को बुलाया था और उसे अपने साथ ले गया था। फर्दबयान में केवल यह कथन किया गया है कि सूचक का पिता गाँव में शाम में टहलने गया था और तत्पश्चात वापस नहीं आया था। एकमात्र अन्य साक्ष्य जो अपीलार्थी के विरूद्ध है यह है कि उसके घर से 20 फीट की दूरी पर मृतक का एक चप्पल एवं खून पाया गया था। यद्यपि अभियोजन मामला यह है कि मृतक अभियुक्त के साथ हड़िया सेवन करने गया था और यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 6 लाखो ओराँव का परीक्षण इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए किया गया है, किंतु उसने केवल यह कथन किया है कि अभियुक्त मंगा ओराँव तथा कार्लस खखा उसके घर हड़िया सेवन के लिए गए थे और उसने मृतक अर्थात गोबरा ओराँव को नामित नहीं किया है।

14. हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि यद्यपि मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, किंतु परिस्थितियाँ अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराधों के लिए दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप भी विरचित नहीं किया गया था। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

15. पूर्वोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, दिनांक 22.1.1993 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 5.2.1993 का दंडादेश, जिसे विद्वान पंचम अपर न्यायिक आयुक्त राँची ने पत्र विचारण सं॰ 339 वर्ष 1989 में पारित किया है, एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, एकमात्र अपीलार्थी मंगा ओराँव दोषी नहीं पाया जाता है और उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है, उसे उसके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

16. यह अपील तद्नुसार अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को वापस भेजे जाएँ।

ekuuh; jkt'k 'kdkj] U;k;efr

विजय कुमार चौधरी एवं एक अन्य

cuke

नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह एवं अन्य

W.P.(C) No. 5759 of 2010. Decided on 3rd August, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 18 नियम 17—बचाव गवाह का परीक्षण एवं आदेश वापस लिया जाना—अवर न्यायालय ने प्रतिवादियों/याचियों को अपना साक्ष्य देने का अनेक अवसर प्रदान किया—तीन स्थगनों की परिसीमा लागू नहीं होगी जहाँ परिस्थितियों जो किसी पक्ष के नियंत्रण के परे हैं के कारण स्थगन प्रदान किया जाना है—न्यायालय उच्चतर व्यय जो न्यायालय के स्वविवेक में दंडात्मक व्यय भी सम्मिलित कर सकता है के प्रावधानों का सहारा लेकर इस तथ्य कि स्थगन प्रदान करने से इनकार पक्ष के साथ अन्याय कारित कर सकता है पर विचार करते हुए तीन से अधिक स्थगन प्रदान किया जा सकता है—इस तथ्य की दृष्टि में कि ब॰ सा॰ 5 प्रतिवादियों/याचियों की ओर से परीक्षण किया जाने वाला अंतिम गवाह है, प्रतिवादियों/याचियों द्वारा व्यय के भुगतान पर ब॰ सा॰ 5 का साक्ष्य देने के लिए याचियों को एक अवसर दिया गया। (पैराएँ 7, 9, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.—(2005) 6 SCC 344—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Indrajit Sinha, Vipul Poddar, For the Petitioners; M/s Shubham Gautam, Shivani Verma, For the Resp. No.1.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका अभिधान वाद सं॰ 70/1999 में उप न्यायाधीश VI, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 5.10.2010 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा याचीगण द्वारा दिनांक 23.9.2010 के आदेश को वापस लेने के लिए दिनांक 5.10.2010 को याचिका अस्वीकार की गयी है। आगे, अंतिम गवाह के रूप में अपने बचाव गवाह सं॰ 5 का परीक्षण करने की अनुमति याचीगण को देने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय पर निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गयी है।

3. मामला का ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि वाद भूमि पर अभिधान की संपुष्टि की डिक्री के लिए उप न्यायाधीश 1, धनबाद के न्यायालय में वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा अभिधान वाद सं॰ 70/1999 दाखिल किया गया था। प्रतिवादीगण/याचीगण मामला में उपस्थित हुए और अपना लिखित कथन दाखिल किया। यद्यपि मामला बचाव गवाह सं॰ 5 के परीक्षण के लिए नियत किया गया था, याचीगण ने 23.9.2010 को समय याचिका दाखिल किया, किंतु इसे उपन्यायाधीश I, धनबाद द्वारा अस्वीकार किया गया था और याचीगण को आगे साक्ष्य देने से अपवर्जित किया गया था। तत्पश्चात, याचीगण ने वापसी याचिका दाखिल किया जिसे भी उपन्यायाधीश द्वारा दिनांक 5.10.2010 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार किया गया था कि प्रतिवादियों/याचियों ने अपना साक्ष्य देने के लिए पाँच वर्ष लिया था जो उनका टालमटोल वाला रवैया उपदर्शित करता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मामला ब॰ सा॰ 5 के परीक्षण के लिए छठी बार स्थगित किया गया था और 23.9.2010 को भी प्रतिवादियों द्वारा यह अभिवचन करते हुए कि ब॰ सा॰ 5 निजी कारणों से शहर के बाहर गया हुआ था, किसी शपथ पत्र एवं दस्तावेज के बिना समय याचिका दाखिल की गयी थी।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि नियत तिथियों पर ब॰ सा॰ 5 का गैर–परीक्षण याचीगण के नियंत्रण के परे था और इस दशा में उनको ब॰ सा॰ 5 का परीक्षण करने के लिए कम से कम एक अवसर दिया जाना चाहिए। आगे यह निवेदन किया गया है कि 6.9.2010 को अगली तिथि 23.9.2010 नियत करते हुए ब॰ सा॰ 5 को पेश करने तथा परीक्षण करने के लिए याचीगण को अंतिम अवसर दिया गया था। किंतु, 23.9.2010 को याचीगण ने न्यायालय को सूचित किया कि चूँकि उनका अंतिम गवाह अर्थात ब॰ सा॰ 5 कुछ निजी कारणों से शहर के बाहर चला गया है, वे उसे न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सके थे और इसलिए कुछ और समय प्रदान किया जाय, किंतु विद्वान अवर न्यायालय ने तथ्यों का गलत अर्थ लगाया और प्रतिवादियों/याचियों का साक्ष्य बंद कर दिया। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि वस्तुतः वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने ब॰ सा॰ 3 महेन्द्र मंडल तथा ब॰ सा॰ 4 विजय कुमार चौधरी (प्रतिवादी सं॰ 1/ याची सं॰ 1) का प्रतिपरीक्षण करने में प्रतिवादियों/याचियों को काफी परेशान किया है क्योंकि ब॰ सा॰ 3 का शपथ पत्रित साक्ष्य 2.5.2005 को दाखिल किया गया था किंतु उसका प्रतिपरीक्षण 4.9.2009 को समाप्त किया गया था, वह भी डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1295/2006 में पारित दिनांक 8.3.2006 के आदेश के तहत इस न्यायालय के मध्यक्षेप पर। इसी प्रकार से, ब॰ सा॰ 4 विजय कुमार चौधरी (याची सं॰ 1) का शपथपत्रित साक्ष्य 29.11.2005 को दाखिल किया गया था किंतु उसका प्रतिपरीक्षण अनेक तिथियों के बाद 30.8.2009 को समाप्त किया गया था। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय ने पूरी तरह उक्त तथ्यों को अनदेखा किया और प्रतिवादियों/याचियों का साक्ष्य इस आधार पर बंद कर दिया कि ब॰ सा॰ 5 को पेश करने के लिए अनेक स्थगन लिए गए थे। यह निवेदन भी किया गया है कि याचीगण अपना मामला अग्रसर करने में चौकस थे किंतु उनके नियंत्रण के परे कारणों से ब॰ सा॰ 5 को 23.9.2010 को पेश नहीं किया जा सका था जो विद्वान अवर न्यायालय के दिनांक 23.9.2010 के आदेश की ओर ले गया और बाद में दिनांक 23.9.2010 का आदेश वापस लेने के लिए याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन भी दिनांक 5.10.2010 के आदेश के तहत अस्वीकार किया गया था।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में **सलेम एडवोकेट बार एशोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ, (2005)6 SCC 344,** मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान अवर न्यायालय याचीगण के टालमटोल रवैया पर विचार करते हुए मामला की अगली तिथि 23.9.2010 को नियत करते हुए ब॰ सा॰ 5 को 6.9.2010 को उसके परीक्षण के लिए पेश करने का अंतिम अवसर उनको प्रदान किया। किंतु, 23.9.2010 को याचीगण ब॰ सा॰ 5 को पेश करने में विफल रहे जिस कारण विद्वान अवर न्यायालय याचीगण का साक्ष्य बंद करने के लिए मजबूर हुआ। दिनांक 23.9.2010 के आदेश को वापस लेने से इनकार करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 5.10.2010 का आक्षेपित आदेश पूर्णतः न्यायोचित है क्योंकि चर्चा की गयी है कि याचीगण को अपना साक्ष्य देने का अनेक अवसर प्रदान किया गया था। किंतु, याचीगण के आलस्यपूर्ण रवैया पर विचार करते हुए, विद्वान अवर न्यायालय ने दिनांक 23.9.2010 का आदेश वापस लेने से इनकार किया जिसके द्वारा याचीगण का साक्ष्य बंद किया जाना आदेशित किया गया था।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रतिवादियों/याचियों को अपना साक्ष्य देने के लिए अनेक अवसर प्रदान किया। जहाँ तक ब॰ सा॰ 5 अर्थात सुबोध प्रसाद सिंह के परीक्षण का संबंध

है, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा छह स्थगन दिए गए थे। अंततः दिनांक 6.9.2010 के आदेश के तहत याचीगण को ब॰ सा॰ 5 को पेश करने के लिए अगली तिथि 23.9.2010 को नियत करते हुए अंतिम अवसर दिया गया था। याचीगण 23.9.2010 को भी ब॰ सा॰ 5 को पेश करने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने आवेदन दाखिल किया कि निजी अनिवार्य कारणों से ब॰ सा॰ 5 शहर के बाहर गया था और इसलिए उसे उस दिन पर पेश नहीं किया जा सका था। विद्वान अवर न्यायालय ने याचीगण की ओर से दाखिल समय याचिका स्वीकार नहीं किया था और याचीगण/प्रतिवादियों का साक्ष्य बंद कर दिया। किंतु, यह विवादित नहीं है कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने स्वयं अपना साक्ष्य बंद करने में चार वर्ष का समय लिया। इसके अतिरिक्त, ब॰ सा॰ 3 (महेन्द्र मंडल) को वापस बुलाने के लिए वादीगण/प्रत्यर्थीगण का आवेदन विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दो बार अनुज्ञात किया गया था और इस न्यायालय की न्यायपीठ ने डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1295/2006 में पारित दिनांक 8.3.2006 के आदेश के तहत विद्वान अवर न्यायालय को ब॰ सा॰ 3 का आगे प्रतिपरीक्षण करने के लिए तिथि विशेष नियत करने का निर्देश दिया और न कि कोई स्थगन देने के लिए यदि वादीगण/प्रत्यर्थीगण उस नियत तिथि पर ब॰ सा॰ 3 का प्रतिपरीक्षण करने में विफल रहते हैं। इस प्रकार, वाद के विचारण के समापन में विलंब केवल प्रतिवादियों/याचियों पर अभ्यारोपित किया नहीं जा सकता है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सलेम एडवोकेट बार एशोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ (ऊपर)** में सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XVII नियम 1 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^29. lfgrk dk vkn'k 17 LFkxuk d çnku l lcfèkr gA mlesa nk l'kksèku fd, x, gA ,d ;g fd okn dh luokbZ d nkjku fdlh i{k dk rhu ckj l vfèkd LFkxu çnku ugh fd;k tk,xkA nljk LFkxu d 0;; l lcfèkr gA 0;; vfèkfu.khr fd;k tkuk vkKkid cuk;k x;k gA 0;; ftUg vfèkfu.khr fd;k tk ldrk g] nk çdkj d gA igyk] LFkxu d dkj.k 0;; vkj nljk ,lk mPprj 0;; ftl U;k;ky; l;kX; le>rk gA**

> *^^30. vkn'k 17 fu;e 1(1) d ijUrd d foLrkj dk ijh{k.k djr g, fd rhu l vfèkd LFkxu çnku ugh fd, tk,x] ;g è;ku e j[kk tkuk g fd vfèkfu;e 104 o"k 1976 }kjk [kMk (a) l (e) lfEefyr djr g, vkn'k 17 fu;e 1(2) dk ijUrd j[k fy;k x;k gA [kM (b) vucfèkr djrk g fd fdlh i{k d vujkèk ij LFkxu çnku ugh fd;k tk,xk] flok, tgk ifjfLFkfr;k ml i{k d fu;=.k d ij gA vkn'k 17 fu;e 1(1) dk ijUrd rFkk vkn'k 17 fu;e (2) dk iBu lkFk fd;k tkuk gkxkA bl çdkj iBu dju ij] vkn'k 17 LFkxu d çnku l euk ugh djrk g tgk ifjfLFkfr;k i{k d fu;=.k d ij gA ,l ekeyk e] çnku fd, tku oky LFkxuk dh l[;k ij fucèku ugh gA ;g ugh dgk tk ldrk g fd Hky gh ifjfLFkfr;k i{k d fu;=.k d ij g] rhljk LFkxu çkIr dju d ckn] vkx LFkxu çnku ugh fd;k tk,xkA i{k }kjk rhu LFkxu çkIr dj fy, tku d ckotn i{k d fu;=.k d ij ekey gk ldr gA mnkgj.kLo:i] fdlh i{k dk dN xHkhj chekjh d dkj.k vpkud vLirky e Hkjrh fd;k tk ldrk g vFkok xEHkhj n?kVuk gk ldrh g ;k fouk'k dh vkj y tkrk b'ojh; ÑR; ;g ugh dgk tk ldrk g fd ;|fi ifjfLFkfr;k i{k d fu;=.k d ij gk ldrh g] vkx LFkxu vkn'k 17 fu;e 1 d ijUrd e ;Fkk çkoèkkfur rhu LFkxuk d fucèku d dkj.k çnku ugh fd;k tk ldrk gA***

> *^^31. dN fof'k"V ekeyk e] bl rF; fd rhu LFkxu igy gh çnku fd, x, g (mnkgj.kLo:i] Hkkiky xl =klnh] xtjkr Hkdi ,o nxk vkj lukeh d dkj.k*

*fouk'k) d ckotn LFkxu çnku djuk vko';d cu tk ldrk gA vrr%] ;g çR;d ekeyk d rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fuHkj djxk ft ld vkèkkj ij U;k;ky; LFkxu çnku dju vFkok b ll budkj dju dk fu.k; djxkA 0;; ,o mPprj 0;; d çkoèkku doy vfHkçk;kRed 0;; vfèkfu.khr dju dh çFkk fodflr gku ij cuk;h x;h g] rc Hkh tc 0;; d Hkxrku ij LFkxu çnku fd;k tkrk gA lkekU;r% tgk 0;; vFkok mPprj 0;; vfHkfuèkkfjr fd;k tkrk g] ;g okLrfod gkuk pkfg, vkj ;Fkk lHko okLrfod 0;; ft l vU; i{k }kjk mixr fd;k x;k Fkk] vfèkfu.khr fd;k tk,xk tgk LFkxu cpu ;kX; ik;k tkrk g] fdr fdlh i{k dh mi{kkoku vFkok ykijokg jo;k d dkj.k çnku fd;k tk jgk g vFkok ekeyk dh çxfr foyfcr dju d fy, vFkok ,l fdlh vU; dkj.k l bfllr fd;k tk jgk gA vkx] lfoèkku d vuPNn 14 d nx.k l vkn'k 17 fu;e 1(1) d ijUrd dk 0;kor dju d fy, Åij l uhp rd bldk iBu djuk vko';d g rkfd Åij xkj fd, x, vR;Ur dBkj ekeyk e U;k;ky; dk Lofood okil ugh fy;k tk ldA rhu LFkxuk dh ifjlhek ykx ugh gkxh tgk ifjfLFkfr;k tk i{k d fu;=.k d ij g d dkj.k LFkxu çnku fd;k tkuk gA ,l ekeyk e Hkh tk dBkjrkiod i{k d fu;=.k d ij ifjfLFkfr dh dkfV d vrxr ugh vk ldr g] U;k;ky; mPprj 0;; d nM dk lgkjk ydj] tk U;k;ky; d Lofood e nMkRed 0;; Hkh lfEefyr dj ldrk g] vU;k; tk ekeyk d fofp= rF;k d çfr fun'k e] mll budkj ij ifj.kr gk ldrk g dk è;ku e j[kdj rhu l vfèkd LFkxu çnku fd;k tk ldrk gA fdr] ge tkM ldr g fd fdlh LFkxu] çFke ;k f}rh; ;k rrh;] dk çnku i{k dk vfèkdkj ugh gA U;k;ky; }kjk LFkxu dk çnku fo'k"k ,o vlkèkkj.k ifjfLFkfr i{k }kjk n'kk, tku ij gkxkA ;g :Vhu ugh gk ldrk g LFkxu çnku dju dh çkFkuk ij fopkj djr g,] LFkxuk d çnku dk fucfèkr dju dk foèkk;h vk'k; è;ku e j[kuk vko';d gA***

9. पूर्वोक्त मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित उक्त निर्णयाधार की दृष्टि में यह सामने आएगा कि तीन स्थगनों की परिसीमा लागू नहीं होगी जहाँ स्थगन परिस्थितियों जो पक्ष के नियंत्रण के परे हैं के कारण प्रदान किया जाना है, न्यायालय उच्चतर व्यय जो न्यायालय के स्वविवेक में दंडात्मक व्यय भी सम्मिलित कर सकता है के प्रावधान का सहारा लेकर इस तथ्य कि स्थगन प्रदान करने से इनकार पक्ष के प्रति अन्याय कारित कर सकता है को विचार में लेते हुए तीन से अधिक स्थगन प्रदान किया जा सकता है।

10. वर्तमान मामला में, चूँकि ब॰ सा॰ 5 प्रतिवादियों/याचियों की ओर से परीक्षण किया जानेवाला अंतिम गवाह है, हमारे सुविचारित मत में याचीगण को ब॰ सा॰ 5 का साक्ष्य देने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए किंतु प्रतिवादियों/याचियों द्वारा व्यय के भुगतान पर।

11. पूर्वोक्त तथ्यों एवं न्यायिक उद्घोषणा की दृष्टि में, अभिधान वाद सं॰ 70/1999 में उपन्यायाधीश VI, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 5.10.2010 का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा प्रतिवादियों/याचियों द्वारा वादीगण/प्रत्यर्थीगण को 6000/- रुपयों के व्यय के भुगतान के अध्यधीन, जिसका भुगतान वाद में नियत अगली तिथि पर किया जाएगा, अपास्त किया जाता है।

12. याचीगण को ब॰ सा॰ 5 को 21.8.2017 को विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया जाता है और ब॰ सा॰ 5 का परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण 31.8.2017 तक पूरा किया जाएगा। यह

ध्यान में रखते हुए कि वाद वर्ष 1999 का है, विद्वान अवर न्यायालय पक्षों को अनुचित स्थगन प्रदान किए बिना यथासंभव शीघ्रतिशीघ्र वाद का विचारण समाप्त करने का समस्त संभव प्रयास करेगा। दोनों पक्ष वाद के निपटान में सहयेाग करेंगे।

13. दिनांक 11.1.2011 का अंतरिम आदेश एतद्द्वारा रिक्त किया जाता है।

14. तद्नुसार, रिट याचिका पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के निबंधनानुसार अनुज्ञात की जाती है एवं निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o vfer kHk dñ xlrk] U;k;efr

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

cuke

आनन्द एवं अन्य

L.P.A. No. 406 of 2017 With I.A. No. 6037, 6038 of 2017. Decided on 29th November, 2017.

झारखंड सूचना सेवा भरती नियमावली, 2007—नियम 3—सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930—नियम 18—वेतनमान—झारखंड सूचना सेवा कैडर में कार्यरत कर्मचारी राज्य सेवा में कार्यरत है—भले ही कैडर बाद में सृजित किया गया है अथवा भले ही कोई कर्मचारी बाद में झारखंड सूचना सेवा में नियोजित किया गया है और यदि ऐसे कर्मचारी वित्त विभाग के संकल्प के खंड 4 सहपठित झारखंड सूचना सेवा भरती नियमावली, 2007 का नियम 3 के समस्त पुरोभाव्य शर्तों को परिपूर्ण कर रहे हैं, वे 8000-13,500/- रुपयों के वेतनमान का लाभ पाने के हकदार होंगे। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.—M/s Ajit Kumar, Vikash Kumar, For the Appellants; M/s Manoj Tandon, Kumari Rashmi, For Resp. Nos. 1 to 3.

डी॰ एन॰ पटेल, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश—

आई॰ ए॰ सं॰ 6037/2017

यह अंतर्वर्ती आवेदन इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल करने में 357 दिनों के विलंब की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दाखिल किया गया है।

2. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा इस अंतर्वर्ती आवेदन में, विशेषत: पैराग्राफ सं॰ 5 से 14 में कथित कारणों को देखते हुए विलंब की माफी के लिए युक्तियुक्त कारण हैं। अत:, हम इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल करने में 357 दिनों का विलंब माफ करते हैं।

3. अत: आई॰ ए॰ सं॰ 6037 वर्ष 2017 अनुज्ञात की जाती है और निपटायी जाती है।

एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 406 वर्ष 2017

यह लेटर्स पेटेन्ट अपील डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4542 वर्ष 2014 के प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा दाखिल की गयी है जिसे 8000-13500/- रुपयों के वेतनमान का लाभ पाने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 द्वारा दाखिल किया गया था जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29 जून, 2016 के निर्णय एवं आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था, अत: मूल प्रत्यर्थियों ने वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया है।

2. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री अजित कुमार ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 (मूल याचीगण) सहायक निदेशक–सह–जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में 2200-4000/- रुपयों के वेतनमान में कार्यरत हैं। चूँकि उक्त कैडर 12 मार्च 2007 को सृजित किया गया है और राज्य सेवा के रूप में घोषित नहीं किया गया है, वे वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 17 दिसंबर 2007 के संकल्प के लाभ के हकदार नहीं हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 द्वारा दाखिल रिट याचिका अनुज्ञात करते हुए मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है, अत: विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय एवं आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान महाधिवक्ता ने झारखंड सूचना सेवा भरती नियमावली, 2007 के नियम 3 पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 18 के मुताबिक राज्य सेवाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए भी, झारखंड राज्य के दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के संकल्प के मुताबिक वे 8000-13500/- रुपयों का वेतनमान पाने के हकदार नहीं हैं, अत: विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय एवं आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 द्वारा दाखिल याचिका अनुज्ञात करते हुए गलती नहीं की गयी है। प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 (मूल याचीगण) सहायक निदेशक–सह जिला लोक संपर्क पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और वे झारखंड राज्य की सेवा में हैं और, इसलिए, वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 17 दिसंबर, 2007 का संकल्प, विशेषत: उसका खंड सं॰ 4, प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 के प्रति प्रयोज्य है। प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 (मूल याचीगण) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि जहाँ तक वित्त विभाग के दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के संकल्प के खंड सं॰ 4 का संबंध है, उनके लिए जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वेतनमान में पुनरीक्षण पहले ही प्रभावी बनाया गया है जो 2200-4000/- रुपयों के वेतनमान में कार्यरत थे जिसे अब 6500-10500/- रुपयों के वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया था और बाद में विषमता हटाने के लिए और झारखंड राज्य की फिटमेन्ट कमिटी द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर वेतनमान अंतत: 8000-13500/- रुपयों के वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया था और उक्त वेतनमान 1 मार्च, 2007 से प्रभावी बनाया गया है, अत: वे समस्त कर्मचारी जो राज्य की सेवा में हैं और जो 2200-4000/- रुपयों का वेतनमान पा रहे थे जिसे बाद में 6500-10500/- रुपयों के रूप में पुनरीक्षित किया गया था और जिनका अगला प्रोन्नत पद वेतनमान 10,000-15,000/- रुपया है, वे फिटमेन्ट कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 8000-13500/- रुपयों के वेतनमान के हकदार हैं, इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना कि कर्मचारियों ने 1 मार्च 2007 के बाद किसी दिन सरकार की सेवा ग्रहण किया है। झारखंड राज्य द्वारा जो घोषित किया गया है, झारखंड राज्य के फिटमेन्ट कमिटी द्वारा दिए गए रिपोर्ट के आधार पर वेतन विषमता हटाकर वेतनमान का पुनरीक्षण है और दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के संकल्प के खंड 4 (परिशिष्ट 4) में उल्लिखित शर्तें प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 (मूल याचीगण) द्वारा परिपूर्ण की गयी हैं। संकल्प सर्वबंध में और न कि व्यक्तिबंध में प्रयोज्य है। उक्त संकल्प कैडर विशेष के प्रति प्रयोज्य है और यह 1 मार्च, 2007 के प्रभाव से प्रयोज्य है, अत: वे सब जो दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के संकल्प के खंड सं॰ 4 द्वारा आच्छादित हैं, 8000-13500/- रुपयों के वेतनमान के हकदार हैं। प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 द्वारा दाखिल रिट

याचिका अनुज्ञात करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है। प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 (मूल याचीगण) के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि झारखंड राज्य द्वारा जारी मूल अधिसूचना जो लेटर्स पेटेन्ट अपील के मेमो के परिशिष्ट 3 पर है में एक से अधिक गलतियाँ हैं। उसके नियम 3 ने नियमावली वर्ष 1955 का कथन किया है जबकि झारखंड राज्य कहना चाहता है कि नियमावली वर्ष 1930 है। इस प्रकार, मूल अधिसूचना में गलती है। इसे 1955 के बजाए 1930 होना चाहिए। द्वितीय प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 (मूल याचीगण) के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि विद्वान महाधिवक्ता ने सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 पर विश्वास किया है, किंतु इस नियमावली का झारखंड राज्य के आशय के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यह प्रतीत होता है कि झारखंड राज्य बिहार सेवा संहिता और इसके नियम 18 को और न कि सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 18 को निर्दिष्ट करना चाहता है। इस प्रकार, झारखंड सूचना सेवा भरती नियमावली, 2007 के नियम 3 में एक से अधिक गलती है। प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 (मूल याचीगण) के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अन्यथा भी, बिहार सेवा संहिता के नियम 18 के मुताबिक झारखंड सूचना सेवा भरती नियमावली, 2007 के नियम 3 द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 को पहले ही घोषित किया गया है कि उनकी सेवाएँ राज्य सरकार की सेवा के रूप में मानी जाएगी। इस प्रकार, झारखंड सूचना सेवा भरती नियमावली, 2007 के नियम 3 के मुताबिक (परिशिष्ट 3) के मुताबिक प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 राज्य सेवा के अंतर्गत हैं। प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 (मूल याचीगण) द्वारा दाखिल रिट याचिका अनुज्ञात करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है, अतः यह लेटर्स पेटेन्ट अपील इस न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

कारण:

4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, हम मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को ग्रहण करने का कारण नहीं देखते हैं:–

(i) प्रत्यर्थीगण सं॰ 1 से 3 मूल याचीगण है, जिन्होंने वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के संकल्प (इस लेटर्स पेटेन्ट अपील के मेमो का परिशिष्ट 4), विशेषतः उसके खंड 4, की दृष्टि में 8000-13500/- रुपयों के वेतनमान का लाभ पाने के लिए रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4542 वर्ष 2014 संस्थित किया था।

(ii) त्वरित निर्देश के लिए नियमावली एवं संकल्प के खंड का पठन किया जाता है:–

(a) ***>kj[kM lpuk lok Hkjrh fu;ekoyh] 2007 d fu;e 3 dk iBu fuEufyf[kr gS%&***

^^3. ***dMj dk xBu-&lok >kj[kM lpuk lok d uke e xfBr dh tk,xhA bldk vFk fu;ekoyh 1953 d fu;e 18 d ç;ktu l jkT; lok d :i e yxk;k tk,xkA*** *(tkj fn;k x;k)*

(iokDr vuokn nkuk i{k d fo}ku vfèkoDrk }kjk l;Dr :i l vkir fd;k x;k gA ey ikB; fgnh e gA)

(b) fnukd 17 fnlcj] 2017 d foÙk foHkkx d ekè;e l >kj[kM ljdkj }kjk tkjh ldYi dk [kM 4 (ifjf'k"V 4) dk iBu fuEufyf[kr gS%

^^4. bl çdkj] jkT; u ekeyk d leLr igyvk ij fopkj djr g, ;g fu.k; fd;k g fd 1.1.1996 l çHkkoh fnukd 8.2.1999 d foÙk foHkkx ldYi l0 660/F(2) }kjk fQVeUV dfeVh dh vu'kl k ij **mu jkT; l ok vfèkdkfj;k** ftudk ey orueku (viujhf{kr 2200/- – 4000/- #i;k) g vkj ftUg 6500-10,000/- #i;k dk orueku vuKkr fd;k x;k g vkj ftud çkUufr dh igyh lh<h&10,000-15200/- #i;k vFkok vfèkd dk orueku j[krh g dk dæ ljdkj d vudy 8000-13500/- #i;k d orueku e mRØfer fd;k tk,A **mRØfer orueku dk vfHkç;kRed ykHk 15.11.2000 rFkk okLrfod ykHk 1.3.2007 l Hkxr; gkxkA**** (tkj fn;k x;k)

(ey vkonu dh vkifr l;Dr :i l nkuk i{kk d fo}ku vfèkoDrk }kjk dh x;h gA ey ikB; fgnh e gA)

(c) flfoy lok (oxhdj.k] fu;=.k ,o vihy) fu;ekoyh] 1930 d fu;e 18 dk iBu fuEufyf[kr g%&

^^18. çknf'kd lok, jkT;iky d çn'k d LFkkuh; ljdkj d ç'kklfud fu;=.k d vèkhu , lh lokvk (vulph&I e lfEefyr lok l fHkUu) l xfBr gkxh tl k LFkkuh; ljdkj le;≤ ij çn'k dh çknf'kd lok e lfEefyr fd, tku d fy, LFkkuh; vkfèkdkfjd xtV e vfèklpuk }kjk ?kkf"kr dj ldrh g%

ijUr ;g fd bl çdkj lfEefyr lokvk e l ,d lkekU; lok dh gdnkj gkxhA**

(d) fcgkj lok lfgrk (ftl >kj[kM jkT; }kjk viuk;k x;k g vkj blfy, vc ;g **>kj[kM lok lfgrk** d :i e Kkr g) d **fu;e 18** dk iBu fuEufyf[kr g%&

^^18. jktif=r ljdkjh lod l vfHkçr g%&

(i) jkT; lokvk e l fdlh dk lnL;(

(ii) **in ftl jkT; ljdkj }kjk jktif=r in d :i e fo'k"kr% ?kkf"kr fd;k tk ldrk g èkkj.k dju okyk dkb vU; ljdkjh lodA**** (tkj fn;k x;k)

(iii) झारखंड सूचना सेवा भरती नियमावली, 2007 के नियम 3 को देखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिनियमित इस नियमावली द्वारा यह घोषित किया गया है कि झारखंड सूचना सेवा राज्य सेवा होगी। नियम 3 की दृष्टि में, किसी नियम द्वारा आगे किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है जब यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि झारखंड सूचना सेवा में कार्यरत कर्मचारी राज्य सेवा में कार्यरत हैं।

(iv) वित्त विभाग के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के संकल्प के खंड 4 को देखते हुए, 8000-13500/- रुपयों का वेतनमान पाने के लिए चार शर्तें हैं जो निम्नलिखित हैं:–

^^(i) cfld xM dk orueku 1.1.1996 d igy 2200-4000/- #i;k FkkA

(ii) mUg 1.1.1996 d çHkko l 6500-10500/- #i;k dk orueku vuKkr fd;k x;k FkkA

(iii) çkUufr dk igyk pj.k 10,000-15,200/- #i;k d orueku e vFkok mPprj orueku e gkuk pkfg,A

*(iv) mUg jkT; lokvk dk cfld xM vfèkdkjh gkuk pkfg,A***

प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 (मूल याचीगण) द्वारा पूर्वोक्त समस्त शर्तें परिपूर्ण की गयी हैं और इसलिए वे 8000-13,500 रुपयों के रूप में, जो झारखंड राज्य द्वारा नियुक्त फिटमेन्ट कमिटी द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर आधारित है, झारखंड राज्य द्वारा अंतत: अंतिम रूप से दिए गए वेतनमान का लाभ पाने के हकदार हैं।

(v) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क कि चूँकि झारखंड सूचना सेवा भरती नियमावली, 2007 मार्च 12, 2007 से प्रयोज्य है, प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 की सेवा दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के सरकार के संकल्प के खंड 4 के अधीन आच्छादित नहीं है। हम इस प्रतिवाद से मुख्यत: इस कारण से सहमत नहीं हैं कि वित्त विभाग के माध्यम से झारखंड सरकार के दिनांक 17 दिसंबर 2007 के संकल्प के खंड 4 को देखते हुए, उक्त संकल्प के खंड 4 के साथ संलग्न यहाँ इसमें उपर उल्लिखित चार शर्तें है जिन्हें प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 (मूल याचीगण) द्वारा परिपूर्ण किया गया है। प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 द्वारा दाखिल रिट याचिका अनुज्ञात करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है। दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के सरकारी संकल्प का उक्त खंड 4 सर्वबंध में न कि व्यक्तिबंध में प्रयोज्य है, तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अथवा सेवा कैडर जो वित्त विभाग के संकल्प के खंड 4 में उल्लिखित पुरोभाव्य शर्तों को पूरा कर रहे हैं, वे समस्त इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना कि क्या ऐसा कैडर झारखंड राज्य द्वारा 1 मार्च, 2007 के पहले अथवा उसके बाद सृजित किया गया है, 8000-13500/- रुपयों के वेतनमान के हकदार हैं। इसी प्रकार से, यदि दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के वित्त विभाग के संकल्प के खंड 4 में उल्लिखित पुरोभाव्य शर्तों को राज्य सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा परिपूर्ण किया जाता है, वह इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना कि उसे 1 मार्च, 2007 के पहले अथवा 1 मार्च, 2007 के बाद नियोजित किया गया था, 8000-13500/- रुपयों के वेतनमान का हकदार है। वस्तुत:, 1 मार्च, 2007 के प्रभाव से सेवा के सृजन अथवा किसी कर्मचारी की नियुक्ति का दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के वित्त विभाग के संकल्प के खंड 4 की प्रयोज्यता से कुछ लेना देना है। वस्तुत: पूर्वोक्त संकल्प के खंड 4 ने पुरोभाव्य शर्त विहित किया है जैसा यहाँ उपर स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। इस प्रकार, यदि कोई कर्मचारी जिसने पहले ही दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के संकल्प के खंड 4 में उल्लिखित उन समस्त पुरोभाव्य शर्तों को परिपूर्ण किया है 1 मार्च, 2007 के पहले 8000-13500/- रुपयों का उक्त वेतनमान पाने का हकदार है, तब धनीय लाभ 1 मार्च, 2007 से भुगतेय होगा। वस्तुत: वे जिन्हें बाद में नियोजित किया जाता है अथवा यदि कोई सेवा 1 मार्च, 2007 के बाद सृजित की जाती है, वे सदैव उस तिथि से जिस पर सेवा सृजित की गयी है अथवा कर्मचारी नियोजित किया गया है, 8000-13500/- रुपयों का वेतनमान पाने के हकदार हैं अत: राज्य का प्रतिवाद कि चूँकि झारखंड सूचना सेवा 12 मार्च 2007 को सृजित की गयी है, वित्त विभाग के दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के वित्त विभाग के संकल्प के खंड 4 का लाभ लागू नहीं हो सकता है, अस्वीकार्य है।

(vi) कट ऑफ तिथि 1 मार्च, 2007 केवल वास्तविक वित्तीय लाभ देने के लिए है यद्यपि वेतनमान पूर्व तिथि से बढ़ाया जा रहा है। सेवा विधिशास्त्र के अधीन यह अज्ञात नहीं है कि कभी कभार

अभिप्रायात्मक प्रोन्नति दी जाती है, किंतु वास्तविक वित्तीय लाभ पश्चातवर्ती तिथि से दिया जाएगा। इसी प्रकार से सेवा विधिशास्त्र के अधीन यह हो सकता है कि अभिप्रायात्मक रूप से वेतनमान भूतलक्षी तिथि से बढ़ाया जा सकता है किंतु वास्तविक वित्तीय लाभ का भुगतान कर ऑफ तिथि पर अथवा से किया जाएगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि कर्मचारी को बाद में अर्थात कट ऑफ तिथि के बाद नियोजित किया गया था जिसे सरकार द्वारा वास्तविक वित्तीय लाभ दिए जाने के लिए विहित किया गया है, ऐसा कर्मचारी लाभ नहीं पा सकता है। यह तर्क किसी गुणावगुण से रहित है। वर्तमान मामला के तथ्यों में कट ऑफ तिथि 1 मार्च, 2007 है और यह केवल वित्तीय लाभ देने के लिए है। इस प्रकार, भले ही कैडर बाद में सृजित किया जाता है अथवा भले ही किसी कर्मचारी को बाद में झारखंड सूचना सेवा में नियोजित किया जाता है और यदि ऐसा कर्मचारी वित्त विभाग के संकल्प के खंड 4 सह पठित झारखंड सूचना सेवा भरती नियमावली, 2007 के नियम 3 के समस्त पुरोभाव्य शर्तों को परिपूर्ण कर रहा है वह 8000-13,500/- रुपयों के वेतनमान का लाभ पाने का हकदार होगा।

(vii) झारखंड राज्य द्वारा काफी तर्क किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 (मूल याचीगण) राज्य सेवा के अंतर्गत नहीं है, हम इस प्रतिवाद को मुख्यत: इस कारण से स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिनियमित झारखंड सूचना सेवा भरती नियमावली, 2007 के नियम 3 के मुताबिक, जिसे इस लेटर्स पेटेन्ट अपील के मेमो के परिशिष्ट 3 पर संलग्न किया है, इस नियमावली 2007 के अधीन कार्यरत कर्मचारी राज्य सेवा में हैं।

(viii) वर्तमान मामला के तथ्यों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि आरंभ में प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 ने 2200-4000/- रुपयों के वेतनमान में कार्यरत थे जिसे 6500-10500/- रुपयों में पुनरीक्षित किया गया था और चूँकि फिटमेन्ट कमिटी द्वारा दी गयी रिपोर्ट के मुताबिक वेतन विषमता थी, वेतनमान पुन: 8000/- - 13500/- रुपयों में पुनरीक्षित किया गया था जिसका विवरण वित्त विभाग के माध्यम से झारखंड राज्य के दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के संकल्प में दिया गया है। चूँकि प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 पूर्वोक्त संकल्प के खंड 4 में उल्लिखित उन समस्त पुरोभाव्य शर्तों को परिपूर्ण कर रहे हैं, वे 8000-13500/- रुपयों के वेतनमान का लाभ पाने के हकदार हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4542 वर्ष 2014 को दिनांक 29 जून, 2016 के निर्णय एवं आदेश के तहत विनिश्चित करते हुए गलती नहीं की गयी है। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण लेने का कारण नहीं देखते हैं। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारणों से पूर्णत: सहमत हैं।

(ix) झारखंड सूचना सेवा भरती नियमावली, 2007 के नियम 3 को देखते हुए नियमावली, 1955 का निर्देश था। यह प्रतीत होता है कि मूल गजट में भी टंकण गलती है। जब कभी राज्य द्वारा कोई विधि अधिनियमित की जाती है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसी गलती नहीं छोड़ी जाए क्योंकि महाधिवक्ता सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 का उसके नियम 18 को निर्देश करने के लिए पठन कर रहे हैं जबकि प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता बिहार सेवा संहिता (जिसे अब झारखंड राज्य द्वारा अपनाया गया है जो अब झारखंड सेवा संहिता के रूप में ज्ञात है) के नियम 18 को निर्दिष्ट कर रहे हैं। विधायी प्रारूप तैयार करना कला है। ऐसा काम राज्य के अधिकारियों द्वारा इतनी लापरवाही से नहीं किया जा सकता है। यदि झारखंड राज्य का विधि आयोग है तब इसे प्रवृत्त

एवं प्रभावी बनाया जाना और यदि राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है, तब ऐसे पद को भरने का समय आ गया है ताकि विधायी प्रारूप तैयार करने के लिए विधि आयोग से सहायता ली जा सके। हमने अनेक अधिसूचनाओं में इस प्रकार की गलती पाया है।

5. पूर्वोक्त तथ्यों एवं कारणों के समेकित प्रभाव से इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में गुणागुण नहीं है, अत: इसे खारिज किया जाता है।

6. लेटर्स पेटेन्ट अपील में पारित अंतिम आदेश की दृष्टि में आई॰ ए॰ सं॰ 6038 वर्ष 2017 भी निपटायी जाता है।

---

ekuuh; Jh pæ'k[kj] U;k;efr

खुदीराम भगत

cuke

प्रभाकर लाला एवं एक अन्य

W.P.(C) No. 4444 of 2008. Decided on 30th November, 2017.

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 74—लोक दस्तावेज—विस्तार एवं परिधि अभिधान (बँटवारा) वाद के दस्तावेजों की प्रमाण पत्रित प्रतियाँ धारा 74 के अधीन लोक दस्तावेज की परिभाषा के अंतर्गत आच्छादित नहीं होगी। (पैरा 5)

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 7 नियम 14—दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण—न्यायालय की अनुमति से सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VII के नियम 14 के उपनियम (3) के अधीन पक्षों द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा दस्तावेज पक्षों के अभिवचनों के प्रति निर्देश में दस्तावेज होगा। (पैरा 5)

निर्णयज विधि.—(2012) 1 SCC 425—Discussed.

अधिवक्तागण.—Mr. Pratik Sen, For the Petitioner; M/s Rajesh Lala, Arpit Kumar, For the Respondents.

आदेश

अभिधान वाद सं॰ 89 वर्ष 1990 में पारित दिनांक 18.7.2008 के आदेश से व्यथित होकर, जिसके द्वारा अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 140 वर्ष 2004 के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, एम॰ पी॰ केस सं॰ 620 वर्ष 1989 के ऑर्डर शीट एवं कारण बताओ नोटिस चिन्हित करने के लिए दिनांक 27.6.2008 का आवेदन इनकार किया गया है, याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. याची द्वारा इसके उपर वादी के अभिधान की घोषणा पर अनुसूची 'ए॰' संपत्ति की कब्जा की वापसी की डिक्री के लिए अभिधान वाद सं॰ 89 वर्ष 1990 संस्थित किया गया था। वाद में एक अन्य प्रार्थना प्रतिवादियों एवं उनके परिवार के सदस्यों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों, आदि को वादी के शांतिपूर्ण कब्जा में हस्तक्षेप करने तथा निर्माण करके वाद की प्रकृति एवं चरित्र बदलने से अवरूद्ध करने वाले स्थायी व्यादेश की डिक्री के लिए है। प्रतिवादियों ने यह दावा करते हुए वाद का प्रतिवाद किया कि दिनांक 7.2.1966 का विक्रय विलेख कूट रचित दस्तावेज है। उन्होंने एच॰ पी॰ लाला एवं सतीष प्रसाद लाला के बीच वादी द्वारा यथा अभिवचनित भूमि के विनिमय से इनकार किया है। श्रीमती पुष्पा देवी के घर के अभिकथित रूप से पार्श्व वादी के घर की स्थिति से भी इनकार किया है। जब वाद तर्क के लिए सूचीबद्ध किया गया था, इनके लोक दस्तावेज होने का दावा करते हुए कुछ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति चिन्हित करने के लिए दिनांक 27.6.2008 का आवेदन दाखिल किया गया था।

3. जसवंत सिंह बनाम गुरदेव सिंह एवं अन्य, (2012)1 SCC 425, में निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वाद के किसी चरण पर लोक दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। चूँकि अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 140 वर्ष 2004 के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ ''लोक दस्तावेज'' की कोटि के अधीन आएगी, विचारण न्यायालय ने अवैध रूप से वादी द्वारा दाखिल दिनांक 27.6.2008 का आवेदन अस्वीकार किया है।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 निम्नलिखित रूप से लोक दस्तावेज परिभाषित करती है:–

^^(1) o nLrkot tk&

(i) çHkÙkk lEiUu çkfèkdkjh d]

(ii) 'kkldh; fudk;k vkj vfèkdj.kk d] rFkk

(iii) Hkkjr d fdlh Hkkx d ;k dkeuoYFk d] ;k fdlh fon'k d foèkk;h] U;kf;d rFkk dk;ikyd ykd vkfQljk d] dk;k d :i e ;k dk;k d vfHky[k d :i e gA

*(2) fdlh jkT; e j[k x, çkboV nLrkotk d ykd vfHky[kA***

5. जसवन्त सिंह बनाम गुरदेव सिंह एवं अन्य मामला में न्यायालय के समक्ष विवाद्यक यह था कि क्या सुलह करार जिसके आधार पर डिक्री पारित की गयी थी की प्रमाणित प्रति लोक दस्तावेज होगी या नहीं और क्या इसे मामला के अभिलेख पर लिया जाना चाहिए। अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 140 वर्ष 2004 के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ धारा 74 के अधीन लोक दस्तावेज की परिभाषा के अधीन आच्छादित नहीं होगी। दिनांक 27.6.2008 के आवेदन में, वादी ने अभिवचन नहीं किया है कि अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 140 वर्ष 2004 की कार्यवाही में दाखिल किया गया था, स्पष्टत: लोक दस्तावेज नहीं कहे जा सकते हैं। उन दस्तावेजों को निश्चय ही औपचारिक चिन्हित किये जाने तथा प्रमाण की आवश्यकता होगी। इस मामला में अंतर्ग्रस्त एक अन्य विवाद्यक सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VII के नियम 14 के अधीन आवश्यकता होगा। सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VII के नियम 14 के उपनियम (3) के अधीन न्यायालय की अनुमति से पक्षों द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है किंतु ऐसा दस्तावेज पक्षों के अभिवचनों के प्रति निर्देश में दस्तावेज होगा। विधि की अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बार सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VII के नियम 14 के उपनियमों (i) एवं (2) पर विचार किया जाता है। अभिधान वाद सं॰ 89 वर्ष 1990 में, एम॰ पी॰ केस सं॰ 620/1989 का वाद पत्र में निर्देश नहीं है।

6. उक्त तथ्यों में, विचारण न्यायाधीश ने सही प्रकार से दस्तावेजों को ग्रहण करने से इनकार किया है जिन्हें दिनांक 27.6.2008 के आवेदन के तहत प्रदर्शित किया जाना इप्सित किया गया था।

7. रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o vferkHk dñ xlrk] U;k;efr

रिन्तु भगत

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 359 of 2016. Decided on 2nd January, 2018.

विद्यालय विधि—स्थानांतरण—जब कभी भी कोई शिक्षक किसी जिला में नियुक्त किया जाता है, उसे उसी जिला में किंतु भिन्न प्रखंड में अपने स्थानांतरण के लिए तैयार रहना चाहिए—ऐसे स्थानांतरण जो प्रशासनिक अत्यावश्यकता तथा लोक आवश्यकता पर आधारित है में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है—व्यय के साथ एल॰ पी॰ ए॰ खारिज किया गया।

(पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.—Mr. Deepankar, For the Appellant J.C. to A.G., For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश.— यह लेटर्स पेटन्ट अपील अपीलार्थी (मूल याची) द्वारा दाखिल किया गया है जिसकी रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3890 वर्ष 2016 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2016 के आदेश एवं निर्णय के तहत खारिज कर दी गयी है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29 जून 2016 का उसका स्थानांतरण आदेश मान्य ठहराया गया है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है। अत:, मूल याची द्वारा यह लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल की गयी है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस अपीलार्थी को पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित विद्यालय में भूगोल विषय में सहायक शिक्षक के रूप में 21 अगस्त, 2010 को नियुक्त किया गया था और वह वर्ष 2010 में नियुक्त किया गया था तथा वह पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित विद्यालय में कार्यरत था। उसके विषय में परिणाम लगभग 94% था। वह नवीं एवं दसवीं कक्षा के छात्रों को पढ़ा रहा था और उसे परिशिष्ट 3 पर आदेश के तहत 29 जून, 2016 को स्थानांतरित किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि सरकारी परिपत्र, जो परिशिष्ट 2 पर है के मुताबिक जब कभी भी परिणाम 40% से न्यून होता है, तब केवल ऐसे शिक्षक को स्थानांतरित किया जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

3. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि यह अपीलार्थी जिसे पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित विद्यालय में नवीं एवं दसवीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए भूगोल विषय में सहायक शिक्षक के रूप में अगस्त 2010 को इस लेटर्स पेटेन्ट अपील के मेमो के परिशिष्ट 3 पर आदेश के तहत स्थानांतरित किया गया था।

4. परिशिष्ट 3 स्थानांतरण आदेश में कथित कारणों को समेकित रूप से देखते हुए यह प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं लोक आवश्यकता के तुल्य है और इसलिए इस अपीलार्थी को सदैव उसी जिला में किंतु भिन्न प्रखंड में एक सरकारी विद्यालय से दूसरे सरकारी विद्यालय में सदैव स्थानांतरित किया जा सकता है; यह प्रत्यर्थियों द्वारा सदैव अनुज्ञेय है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है।

5. विषय विशेष में परिणाम नहीं देखा जाना है बल्कि विद्यालय का परिणाम संपूर्ण रूप से देखा जाना है।

6. विषय एवं विद्यालय विशेष के परिणाम के अतिरिक्त, तथ्य बना रहता है कि जब कभी किसी जिला में कोई शिक्षक नियुक्त किया जाता है, उसे उसी जिला में किंतु भिन्न प्रखंड में अपने स्थानांतरण के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार, विद्यालयों के समग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रत्यर्थी सरकार को उसी जिला के भीतर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में सरकारी विद्यालय में किसी शिक्षक को स्थानान्तरित करने की समस्त शक्ति, अधिकारिता एवं प्राधिकार है। हम ऐसे स्थानांतरण जो प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं लोक आवश्यकता पर आधारित है में हस्तक्षेप करने का औचित्यपूर्ण कारण नहीं पाते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2016 के आदेश एवं निर्णय के तहत डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3890 वर्ष

2016 को खारिज करते हुए मामला के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कारण नहीं देखते हैं। **अतः इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में सार नहीं है और इसे एतद्द्वारा 5000/- रुपया के व्यय के साथ खारिज किया जाता है जिसे इस अपीलार्थी द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, झारखंड सरकार के समक्ष किशोर न्याय निधि में जमा किया जाएगा और इस राशि का उपयोग किशोरों के कल्याण के लिए किया जाएगा। यह राशि आज के दिन से छह सप्ताह की अवधि के भीतर झारखंड किशोर न्याय निधि, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, परियोजना भवन, हटिया के खाता सं॰ 3734498462-5 में भुगतान की जाएगी। यदि आज के दिन से छह सप्ताह की अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है, सरकार अपीलार्थी के वेतन से अथवा इस अपीलार्थी के पेंशन से 10 समान मासिक किश्तों में पूर्वोक्त राशि की कटौती करेगी और तत्पश्चात इसे यहाँ ऊपर यथा कथित किशोर न्याय बोर्ड निधि में जमा किया जाएगा।**

7. यह लेटर्स पेटेन्ट अपील एतद् द्वारा व्यय के साथ खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

आनन्द लाल साव

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 3139 of 2016. Decided on 29th January, 2018.

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894—धारा 4—भूमि का अर्जन—अर्जित की गयी भूमि के संबंध में याची का दावा इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि यह सीमांकित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है यद्यपि यह अनन्य रूप से याची की रैयती भूमि है—किसी व्यक्ति द्वारा नामांतरण का कोई आदेश अथवा लगान का भुगतान किसी भूमि पर अधिकार, अभिधान अथवा हित सृजित अथवा निर्वापित नहीं करता है–इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रश्नगत भूमि के वास्तविक स्थिति के संबंध में विवाद है, याची द्वारा की गयी प्रार्थना रिट कार्यवाही में ग्रहण नहीं की जा सकती है और इस दशा में इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है—किंतु, याची को अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए विधि के अधीन यथा प्रावधानित समुचित रास्ता अपनाने की स्वतंत्रता दी गयी। (पैराएँ 3 से 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Sumit Kumar, For the Petitioner; Mr. Rahul Kamlesh, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा पारित दिनांक 20.7.2015 के मेमो सं॰ 541 में अंतर्विष्ट आदेश रिट याचिका का परिशिष्ट 7) के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अर्जित भूमि के संबंध में याची का दावा इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि यह सीमांकित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है यद्यपि यह अनन्य रूप से याची की रैयती भूमि है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने पहले ग्राम इचागढ़, जिला पूर्वी सिंहभूम अवस्थित खाता सं॰ 239 के भूखंड सं॰ 1713/2108 में से 33 डिसमिल मापवाली भूमि के अर्जन के कारण उसको तोषण एवं उस पर ब्याज के साथ मुआवजा का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश

दिया जाना इप्सित करते हुए इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4626 वर्ष 2009 दाखिल किया। इस न्यायालय ने दिनांक 4.2.2011 के आदेश के तहत याची को प्रत्यर्थियों के समक्ष नया अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता प्रदान किया जिनका ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याची का दावा विनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। याची की शिकायत यह है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने इस तथ्य कि याची प्रश्नगत भूमि का विधिपूर्ण स्वामी है पर विचार किए बिना दिनांक 20.7.2015 के मेमो सं॰ 541 में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश रिट याचिका का परिशिष्ट 7) के तहत मनमाने रूप से याची का आवेदन अस्वीकार कर दिया।

3. प्रत्यर्थियों की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिशपथ पत्र में प्रकथन किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा लगान का भुगतान अथवा नामांतरण का कोई आदेश किसी भूमि पर अधिकार, अभिधान अथवा हित सृजित अथवा निर्वापित नहीं करता है। आगे यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के सत्यापन पर यह पाया गया था कि नक्शा में भूखंड सं॰ 1713 के निकट भूखंड सं॰ 2108 धारण करने वाली भूमि का उल्लेख नहीं था बल्कि भूखंड सं॰ 1337/2108 उल्लिखित किया गया है। इसके अतिरिक्त भूखंड सं॰ 2108 सीमांकित वन क्षेत्र के भीतर आता पाया गया है और इस दशा में प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने भूखंड सं॰ 1713/2108 में भूमि के 33 डिसमिल के संबंध में मुआवजा के भुगतान के लिए याची का दावा अस्वीकार कर दिया।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने इस निष्कर्ष कि भूखंड सं॰ 2108 भूखंड सं॰ 1713 के निकट नहीं दर्शाया गया है बल्कि भूखंड सं॰ 1337/2108 नक्शा में उल्लिखित किया गया है, के साथ रिपोर्ट एवं नक्शा के आधार पर भूमि का अस्तित्व विवादित किया है।

5. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रश्नगत भूमि की वास्तविक स्थिति के संबंध में विवाद है, याची द्वारा की गयी प्रार्थना रिट कार्यवाही में ग्रहण नहीं की जा सकती है और इस दशा में इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

6. किंतु याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए विधि के अधीन यथा प्रावधानित समुचित रास्ता अपनाने के लिए स्वतंत्र है।

---

ekuuh; Jh pæ'k[kdj] U;k;efr

राजीव लोचन पांडे

cuke

कृष्णा झा

W.P.(C) No.1903 of 2016. Decided on 28th November, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 1, नियम 10—वाद से प्रतिवादी सं॰ 1 का नाम काटा जाना—जब वादी के आवेदन पर अभिधान वाद सं॰ 15 वर्ष 2010 के कॉज टाइटल से प्रतिवादी सं॰ 1 का नाम विलोपित किया गया है, प्रतिवादी सं॰ 1 के संबंध में वादी का दावा वाद के अभिलेख से मिटा दिया जाता है—जब एक बार प्रतिवादी सं॰ 2 के पक्ष में प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, समस्त विधिक प्रयोजन से प्रतिवादी सं॰ 2 प्रतिवादी सं॰ 1 का विधिक प्रतिनिधि बन जाता है—आक्षेपित आदेश मान्य ठहराया गया।(पैराएँ 4 से 6)

अधिवक्तागण.—M/s Jai Prakash Jha, Bejoy Kr. Pandey, For the Petitioner; Mr. Rajesh Lala, For the Respondent.

आदेश

अभिधान वाद सं॰ 15 वर्ष 2010 में पारित दिनांक 19.1.2016 के आदेश, जिसके द्वारा वाद से प्रतिवादी सं॰ 1 का नाम काटा जाना इप्सित करने वाला आवेदन अनुज्ञात किया गया है, से व्यथित होकर याची जो प्रतिवादी सं॰ 2 है इस न्यायालय के पास आया है।

2. अभिधान वाद सं॰ 15 वर्ष 2010 में शंकर मुखर्जी को प्रतिवादी सं॰ 1 बनाया गया है। वाद इस घोषणा के लिए संस्थित किया गया था कि दिनांक 14.1.2002 का विक्रय विलेख सं॰ 139 बोगस एवं नकली दस्तावेजी संव्यवहार है और इस प्रकार वादी पर बाध्यकारी नहीं है। विक्रय विलेख प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा प्रतिवादी सं॰ 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया है। लंबित वाद में न्यायालय को यह सूचित करते हुए कि प्रतिवादी सं॰ 1 की मृत्यु 5.5.2013 को हो गयी है, प्रतिवादी सं॰ 2 द्वारा आवेदन दाखिल किया गया था। इस आवेदन का प्रत्युत्तर देते हुए वादी दावा करता है कि उसने प्रतिवादी सं॰ 1 के विधिक उत्तराधिकारियों का नाम प्रकट करने के लिए प्रतिवादी सं॰ 1 के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश देने के लिए दिनांक 10.3.2015 का आवेदन दाखिल किया था। यह निवेदन किया गया है कि जब प्रतिवादी सं॰ 1 शंकर मुखर्जी के विधिक उत्तराधिकारियों का नाम प्रकट नहीं किया गया था, वादी ने लंबित वाद में मामला–शीर्षक से प्रतिवादी सं॰ 1 का नाम काटने की प्रार्थना करते हुए दिनांक 18.9.2015 का आवेदन दाखिल किया। दिनांक 19.1.2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह आवेदन अनुज्ञात किया गया है।

3. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री जय प्रकाश झा प्रतिवाद करते हैं कि जब एक बार परिसीमा अवधि के भीतर प्रतिवादी सं॰ 1 के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया जाता है, प्रतिवादी सं॰ 1 के संबंध में वाद उपशमनित हो जाएगा और प्रतिवादी सं॰ 1 के संबंध में वाद के उपशमन का न्यायालय का आदेश होना चाहिए था जबकि न्यायालय ने गलत प्रक्रिया अपनाया है जिसके द्वारा प्रतिवादी सं॰ 1 का नाम कारण–शीर्षक से काट दिया गया है।

4. दिनांक 19.1.2016 के आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश लाला निवेदन करते हैं कि जब एक बार दिनांक 14.1.2002 का विक्रय विलेख प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा प्रतिवादी सं॰ 2 के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया है, समस्त विधिक प्रयोजन से प्रतिवादी सं॰ 2 प्रतिवादी सं॰ 1 का विधिक प्रतिनिधि बन जाता है।

5. विधि में, जब एक बार वादी के आवेदन पर अभिधान वाद सं॰ 15 वर्ष 2010 के मामला शीर्षक से प्रतिवादी सं॰ 1 का नाम विलोपित किया गया है, प्रतिवादी सं॰ 1 के संबंध में वादी का दावा वाद के अभिलेख से मिटा दिया जाता है। मेरे मत में, इस विवाद्यक पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं॰ 2 की चिंता का उत्तर दिया गया है।

6. उक्त तथ्यों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, मैं दिनांक 19.1.2016 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूँ। तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] ,ñ lhñ tñ ,o vferkHk dñ xlrk] U;k;efr

निर्भय कुमार झा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Civil Review No. 32 of 2014. Decided on 30th November, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 47 नियम 1—बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण अधिग्रहण) अधिनियम, 1981—धारा 3(1)—पुनर्विलोकन—तर्कों जिन्हें प्रासंगिक समय पर छोड़ दिया गया है के लिए पुनर्विलोकन आवेदन विधि में मान्य नहीं है—यदि पुनर्विलोकन के अधीन निर्णय में बाद में खंड न्यायपीठ द्वारा विस्तारपूर्ण तर्क के बाद गलती पायी जाती है, इस प्रकार के पुनर्विलोकन आवेदन विधि में मान्य नहीं हैं—एकमात्र उपलब्ध एकमात्र उपचार अपील दाखिल करना है—पुनर्विलोकन आवेदन छद्मावेश में अपील नहीं हैं—आवेदक के अधिवक्ता द्वारा इंगित की गयी गलती इतनी स्पष्ट नहीं है कि पुनर्विलोकन आवेदन ग्रहण करने की आवश्यकता है—अपील का उपचार आवेदक को उपलब्ध है—सिविल पुनर्विलोकन आवेदन खरिज। (पैराएँ 2 एवं 3)

निर्णयज विधि.—(1979) 4 SCC 389; (1995) 1SCC 170; (1997) 8 SCC 715; (2006) 4 SCC 78; AIR 2016 SC 326—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. V.P. Singh, For the Petitioner; Mr. Abhijeet Kumar Singh, For the State.

डी॰ एन॰ पटेल, ए॰ सी॰ जे॰.—यह सिविल पुनर्विलोकन आवेदन एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 114 वर्ष 2013 के प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा दाखिल किया गया है। एल॰ पी॰ ए॰ झारखंड राज्य द्वारा दाखिल किया गया था जिसे इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 2014 के निर्णय एवं आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था और रिट याचिका सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 764 वर्ष 2000(R) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया गया था।

कारण:

2. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस आवेदक (एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 114 वर्ष 2013 का मूल प्रत्यर्थी) के मुताबिक यह मामला बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण अधिग्रहण) अधिनियम, 1981 (संक्षिप्तता के लाभ के लिए इसमें इसके बाद ''अधिनियम 1981'' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 3(1) के अधीन आच्छादित है और न कि उसकी धारा 3(3) के अधीन। आवेदक की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता ने पुनः मामले के गुणावगुणों पर विस्तारपूर्वक तर्क किया है और इंगित किया है कि एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 114 वर्ष 2013 गुणागुण पर विनिश्चित करते हुए, इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने समुचित रूप से मामले के पूर्वोक्त पहलू का अधिमूल्यन नहीं किया है और, इसलिए, इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिया गया दिनांक 9 जुलाई, 2014 के निर्णय एवं आदेश का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। हम मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से इस प्रतिवाद से सहमत नहीं हैं:—

(i) यह ध्यान में रखना चाहिए कि पुनर्विलोकन आवेदन छद्मावेष में अपील नहीं है।

(ii) भले ही निर्णय गलत है, इसका पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है यदि प्रथम दृष्टया पुनर्विलोकन के अधीन निर्णय ने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया है।

(iii) अभिलेख को देखते ही प्रकट गलती इंगित की जानी होगी। यदि ऐसी गलती विस्तारपूर्ण तर्कों से न्यायालय द्वारा निकाला जाना है, पुनर्विलोकन आवेदन विधि में मान्य नहीं है।

(iv) **(1979) 4 SCC 389** में रिपोर्ट किये गये **अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अईबम पिशाक शर्मा** के मामले में पैरा संख्या 3 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नवत् निर्णीत किया गया है:—

^^3. U;kf;d vk;Dr u viu iokfèkdkjh d vkn'k dk iufoykdu dju d fy, nk dkj.k fn; FkA igyk ;g Fkk fd mud iokfèkdkjh u nk egRoi.k nLrkots in'kk A1 rFkk A3 dh vun[kh dj nh Fkh tk n'kkr Fk fd o"k 1948&49 e Hkh iR;Fkhx.k dk dk; LFkyk ij dCtk Fkk rFkk ;g fd vunku ml le; rd gh inku dj fn; x; gkxA nlj k ;g Fkk fd ,dy fjV ;kfpdk e fofHkUu iR;Fkhx.k d i{k e fd; x; cUnkcLr ij i'u mBku dh vihykFkh dk vuefr nu e ,d idV voèkkfudrk FkhA ge lng g fd fo}ku U;kf;d vk;Dr }kjk mfYyf[kr dkj.kk e l dkb Hkh iufoykdu d fy, dkb vkèkkj cukrk gA ***tlk fd f'kono flg cuke itkc jkT; e bl U;k;ky; }kjk lEijhf{kr fd;k x;k g] ;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh blls djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tlk ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA*** *(cy inku fd;k x;k)*

(v) **(1995) 1 SCC 170** में रिपोर्ट किये गये **मीरा भांजा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी** के मामले, विशेषकर पैरा संख्याओं 8, 9 एवं 15 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निम्नवत् निर्णीत किया गया है:–

"8. ***;g lLFkkfir g fd iufoykdu dh dk;okfg;k ,d vihy d :i e ugh gkrh g rFkk bUg dBkjrkiod flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 dh ifjfèk ,o dk;{k= rd lhfer jguk gkrk gA vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu U;k;ky; dh 'kfDr;k d ifjlhek d lcèk e] Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vkn'kk dk iufoykdu dju dh blls djr le; mPp U;k;ky; dk miyCèk le:i vfèkdkfjrk ij fopkj djr g,] U;k;efr fpulik jMMh d eké;e l ckyr g, bl U;k;ky; u vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek d ekey e fuEukfdr lehphu ijh{k.k fd; g%*** *(SCC i"B 390] ijk 3)*

^^tlk fd f'kono flg cuke itkc jkT; e bl U;k;ky; }kjk lEijhf{kr fd;k x;k g] ;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA ***ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh blls djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk***

blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tk lk ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA**

9. vc bl Hkh nf"Vxr j[kk tkuk g fd vk{kfir fu.k; e] mPp U;k;ky; dh [kMihB u Li"Vrh lEijhf{kr fd;k g fd o vfHky[k d iVy ij idV nk"k d vkèkkj ij gh iufoykdu ;kfpdk xg.k dj jg Fk rFkk fdlh vU; vkèkkj ij ughA tgk rd bl igy dk lcèk g] bl è;ku e j[kk tkuk g fd vfHky[k d iVy ij idV dkb nk"k vfuok;rh ,lk nk"k gkuk g tk vfHky[k ij n[ku ek= l gh fdlh dk irk py tk; rFkk ftle mu fcUnvk ij rd ford dh fdlh ych ifØ;k dh vko';drk ugh gk tgk nk er èkkj.k fd; tk ldr gA ge lR;ukjk;.k y{ehukjk;.k gxM cuke efYydktu Hkkoulik rh:ey d ekey e bl U;k;ky; d lEijh{k.kk dk mi;kxh :i l fufn"V dj ldr g ftle U;k;ky; d fy, ckyr g, U;k;efr dO lhO nkl xlrk u vfHky[k d iVy ij idV nk"k d lcèk e fuEukfdr lEijh{k.k fd; g%&

fdlh ,l nk"k dk dfBukb l gh vfHky[k d iVy ij idV ,d nk"k dgk tk ldrk g ftl rd ford dh ,d yEch ifØ;k }kjk fl) fd;k tkuk g mu fcUnvk ij ftuij nk er èkkj.k fd; tk ldr gA tgk ,d vfHkdfFkr nk"k LoLi"V gku l dkQh nj g rFkk vxj bl fl) fd;k tk ldrk g] bl yEc rFkk tfVy rdk }kjk fl) fd;k tkuk g] ,lk fjV fuxr dju d fy, mPprj U;k;ky; dh 'kfDr;k dk lpkfyr djuoky fu;e d vulkj ,l nk"k dk mRi"k.k d fjV }kjk mipkj ugh fd;k tk ldrk gA

15. gekjh jk; e] iufoykdu dk;okfg;k ij fopkj djr g, [kMihB dk iokDr jo;k Li"Vrh n'kkrk g fd ;g idV nk"k l ;Fkk xLr fiNyh [kMihB }kjk viuk; x; rd dk ek= <x cnydj fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu viuh vfèkdkfjrk l vkx pyh x;h gA gekj }kjk io e bfxr LFkkfir fofèk dh fLFkfr dh nf"V e ;g ,d idV nk"k ;k idV =fV ugh cu tk;xhA rkfRod :i l] iufoykdu ihB u lep lk{; dk iueY;kdu fd;k g] yxHkx ,d vihyh; U;k;ky; d :i e cBd fd;k g rFkk fiNyh [kMihB }kjk ikIr fu"d"kk dk myV fn;k gA vxj lhO ,l0 lykV l[;k 74 l lcfèkr [kMihB d fiNy fu"d"k nk"ki.k Hkh ik; x; Fk] ;g mud iufoykdu d fy, dkb vkèkkj ugh gkxk D;kfd ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk idk; gkxkA iR;Fkh d fo}ku vfèkoDrk bl fufn"V dju dh fLFkfr e ugh Fk fd fl0 i0 l0 vkn'k 47] fu;e 1 dh ldh.k ,o lhfer ifjfèk d Hkhrj iufoykdu ihB }kjk viuk; x; rd rFkk ikIr fu"d"k dk fdl idkj leFku fd;k tk ldrk gA lgh Fkk ;k xyr] fiNyh [kMihB dk fu.k; vfre cu pdk Fkk tgk rd mPp U;k;ky; dk lcèk FkkA iufoykdu dh 'kfDr;k dk voyc yu dk U;k;lxr Bgjku d fy, vfHkdfFkr idV nk"k dk irk yxku dk è;ku e j[kdj lep lk{; ij iufopkj djd bldk iufoykdu ugh fd;k tk ldrk FkkA vr,o] doy bl NkV vkèkkj ij gh bl vihy dk vuKkr fd; tku dh vko';drk gA tgk rd lhO ,l0 lykV l[;k 74 dk lcèk g] vihyh; fMØh l[;k 569 o"k 1973 l gkuokyh vihy dk [kkfjt djuoky [kMihB d fnukd 8.7.1986 d vfre fu.k; rFkk blh Hk&[kM] vFkkr] lhO ,l0 lykV l[;k 74 d lcèk e fnukd 5.9.1984 d iufoykdu fu.k; vikLr fd; tkr g rFkk okn

lykV l[;k 74 l lcfèkr nljh vihy dk vuKkr djuokyk mPp U;k;ky; dk fnukd 3.8.1978 dk fiNyk fu.k; iucgky fd;k tkrk gA rnulkj] vihy vuKkr dh tkrh gA ekey d rF;k rFkk ifjfLFkfr;k e] 0;;k dk ydj dkb vkn'k ugh gkxkA** (cy inku fd;k x;k)

(vi) **(1997) 8 SCC 715** में रिपोर्ट किये गये **परसियोन देवी बनाम सुमीत्री देवी** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, विशेष रूप से पैरा संख्याओं 7 से 9 में यह भी निम्नवत् निर्णीत किया गया है:–

"7. **;g lLFkkfir g fd iufoykdu dk;okfg;k dk fl0 i0 l0 vkn'k 47] fu;e 1 d ifjfèk ,o dk;{k= d Hkhrj dBkjrkiod lhfer jguk gkrk gA** rxHknk bMLVh't fyfeVM cuke vkèk in'k jkT; (SCR i"B 186 ij) e bl U;k;ky; u jk; fn;k Fkk%&

^^rFkkfi] vc ge ftl eryc g og ;g g fd D;k flrEcj] 1959 d vkn'k e ;g dFku fd ekey e fofèk dk dkb rkfRod i'u vrxLr ugh Fkk] vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k gA ;g rF; fd fiNy volj ij U;k;ky; u rF;k dh ,d ln'k fLFkfr ij fu.khr fd;k Fkk fd mnHkkr gkuokyk fofèk dk dkb rkfRod i'u viu vki e fu'pk;h ugh gkxk] D;kfd fiNyk vkn'k gh nk"ki.k gk ldrk gA **blh idkj] vxj ;g dFku nk"ki.k Hkh Fkk] bl ;g lkeu ugh vk;xk fd ;g vfHky[k d iVy ij idV ,d nk"k Fkk D;kfd ,d vrj g tk okLrfod g] ;fi ,d nk"ki.k fu.k; ek= rFkk ,d ,l fu.k;] ftl idV nk"k }kjk nf"kr ,d fu.k; d :i e fpfUgr fd;k tk ldrk gk]** d chp vrj djuk lno lHko ugh gk ldrk gA **,d iufoykdu fdlh Hkh idkj l iPNUu :i l ,d vihy ugh g ftld }kjk ,d nk"ki.k fu.k; dh iuh luokb dh tkrh g rFkk bl n:Lr fd;k tkrk g] cfYd ;g doy idV nk"k d fy, gkrk gA****

8. **iuh] ehjk Hkktk cuke fueyk dekjh pkèkjh e vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek l ,d vorj.k dk lgefr l mRdfFkr djr g, bl U;k;ky; u iuh fu.khr fd;k Fkk fd iufoykdu dh dk;okfg;k ,d vihy d rkj ij ugh gkrh g rFkk bUg dBkjrkiod fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 dh ifjfèk rFkk dk;{k= d Hkhrj lhfer jguk gkrk gA**

9. fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu dkb fu.k; vU; d lkFk&lkFk iufoykdu d fy, [kyk gk ldrk g vxj vfHky[k d iVy ij ,d =fV ;k nk"k idV gA **dkb ,lk nk"k tk LoLi"V ugh g rFkk ftldk rd ford dh ifØ;k }kjk irk yxk;k tkuk gkrk g] fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu iufoykdu dh viuh 'kfDr dk bLreky dju d fy, U;k;ky; d fy, vkfpR;i.k cukr g, vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k dnkfpr gh dgk tk ldrk gA fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu vfèkdkfjrk d bLreky e] fdlh nk"ki.k fu.k; dh iuh luokb fd;k tkuk rFkk bl n:Lr fd;k tkuk vuK; ugh gA bl vko';d :i l Lej.k j[kuk g fd ,d iufoykdu ;kfpdk dk lhfer mi';; gkrk g rFkk bl iPNUu :i l ,d vihy gku ugh fn;k tk ldrk gA**** (cy inku fd;k x;k)

(vii) **(2006) 4 SCC 78** में रिपोर्ट किये गये **हरिदास दास बनाम उषा रानी बानिक** के मामले में, विशेषकर पैरा संख्या 13 से 18 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् यह भी निर्णीत किया गया है:–

"13. fdlh iufoykdu dh xtkb'k dk le>u d fy,] fl0 i0 l0 dh èkkjk 114 dk ifBr fd;k tkuk gkxk] ijUr ;g èkkjk U;k;ky; l vif{kr gLr{ki dh ifjfèk dk Hkh dfFkr ugh djrh g D;kfd ;g ek= ,lk dFku djrh g fd ;g mlij ,lk vkn'k dj ldrk g ftl og mi;Dr le>A fl0 i0 l0 d vkn'k 47 e ekin.M fofgr fd, x, g rFkk bl edne d i;ktukFk] ifroknh dk fdlh Hky ;k vfHky[k d iVy ij idV fdlh nk"k d dkj.k ;k fdlh vU; i;kIr dkj.k d

fy, iu% luokbZ djus gsrq tkjh nu dh vuefr nr gSA fu;e dk iFke Hkkx vkond l lcfèkr fd, tku ;kX; fdlh ifjfLFkfr l lcfèkr g] rFkk ckn okyk ,d U;kf;d NR; l tk idVr% nk"ki.k g ;k ftlij nk fu"d"k lEHko ugh gA mue l dkbZ Hkh fookn dh iu%] luokbZ vfHkdfFkr ugh djrk g D;kfd fdlh i{kdkj u ekey d bu lkj igyvk dk mtkxj ugh fd;k Fkk ;k dnkfpr muij vfèkd icy :i l ftjg dj ldrk Fkk rFkk@;k U;k;ky; d fy, ckè;dj mnkgj.k m)r dj ldrk Fkk ,o rn}kjk ,d vudy fu.k; ikIr dj ldrk FkkA ;g vkn'k 47 d fu;e 1 d Li"Vhdj.k l i;kIr :i l Li"V g tk dfFkr djrk g fd ;g rF; fd fofèk d fdlh i'u ij fu.k;] ftl ij U;k;ky; dk fu.k; vkèkkfjr g] fdlh vU; ekey e mPPrj U;k;ky; d i'pkrh fu.k; }kjk iR;kofrr ;k mikUrfjr fd;k x;k g] ,l fu.k; d iufoykdu d fy, ,d vkèkkj ugh gkxkA
tgk i'ukèkhu vkn'k vihy ;kX; g] 0;fFkr i{k d ikl i;kIr rFkk iHkkoh mipkj g] rFkk U;k;ky; dk viu vkn'k dk iufoykdu dju d fy, 'kfDr dk bLreky vR;Ur l;e l djuk pkfg,A *rxHknk bMLVht fyfeVM cuke vkèk in'k ljdkj e bl U;k;ky; u fuEuor fu.kh r fd;k Fkk((SCR i"B 186)*

^^;gk ek= ,d nk"ki.k fu.k; rFkk ,d ,l fu.k;] ftl idV =fV }kjk ;Fkk nf"kr fu.k; d :i e fpfUgr fd;k tk ldrk g] d chp ,d vUrj g tk okLrfod g ;|fi ;g lno idV fd, tku ;kX; ugh gk ldrk gA ***dkbZ iufoykdu fdlh Hkh idkj l iPNUur% ,d vihy ugh gkrk g ftld }kjk ,d nk"ki.k fu.k; dh iu% luokbZ dh tkrh g rFkk ml n:Lr fd;k tkrk g] cfYd doy idV nk"k d fy, gkrk gA*** *-------- tgk fdlh fo'kn rd d fcuk dkbZ nk"k dk fufn"V dj ldrk g rFkk dg ldrk g fd ;gk fofèk dk ,d rkfRod fcUn g tk fdlh dk lkQ fn[kkbZ iM jgk g] rFkk bld ckj e ;fDr;Dr :i l dkbZ nk jk; ugh j[kh tk ldrh g] vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k dk ,d Li"V ekeyk cuxkA**

14. ***ehjk Hkkstk cuke fueyk dekjh pkèkjh*** *e] ;g fuEuor fu.kh r fd;k x;k Fkk fd%&*

8. ***;g lLFkkfir g fd iufoykdu dh dk;okfg;k ,d vihy d :i e ugh gkrh g rFkk bUg dBkjrkiod flO iO lO d vkn'k 47] fu;e 1 dh ifjfèk ,o dk;{k= rd lhfer jguk gkrk gA vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu U;k;ky; dh 'kfDr;k d ifjlhek d lcèk e] Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vkn'kk dk iufoykdu dju dh bllk djr le; mPp U;k;ky; dk miyCèk le:i vfèkdkfjrk ij fopkj djr g,] U;k;efr fpulik jMMh d eké;e l ckyr g, bl U;k;ky; u vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek d ekey e fuEukfdr lehphu ijh{k.k fd; g%***

^;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh bllk djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh ln'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tlk ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky;

}kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA** *(SCC i"B 172&73 ijk 8)*

15. vkn'k 47 fu;e 1 dk ifj'khyu n'kkrk g fd fdlh fu.k; ;k vkn'k d iufoykdu dh blIk dh tk ldrh gA ^^(a) u, rFkk egRoi.k ekeyk ;k lk{; dk irk yxu l tk lE;d rRijrk cjr tku d ckn vkond d tkudkjh e ugh Fkk((b) , l egRoi.k ekey ;k lk{; dk vkond }kjk ml le; iLrr ugh fd;k tk ldrk Fkk tc fMØh ikfjr dh x;h Fkh ;k vkn'k fd;k x;k Fkk((c) vfHky[k d iVy ij idV fdlh pd ;k nk"k d dkj.k ;k fdlh vU; i;kIr dkj.k lA

16. ***vfjce ry'oj 'kek cuke vfjce fi'kkd 'kek e bl U;k;ky; u fu.khr fd;k Fkk fd iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA*** *ml ekey e] lfgrk d vkn'k 47] fu;e 1 lg&ifBr èkkjk 151 d vèkhu , d vkonu nkf[ky fd;k x;k Fkk ftl vuKkr dj fn;k x;k Fkk rFkk U;kf;d vk;Dr }kjk ikfjr vkn'k vikLr dj fn;k x;k Fkk ,o fjV ;kfpdk [kkfjt dj nh x;h FkhA bl U;k;ky; e ,d vihy gku ij fuEuor fu.khr fd;k x;k Fkk((SCC i"B 390] ijk 3)*

^^tlk fd ***f'kono flg cuke itkc jkT;*** *e bl U;k;ky; }kjk lEijhf{kr fd;k x;k g] ;g lgh g fd lfoèkku d vuPNn 226 e iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky dju l mPp U;k;ky; dk jkdu d fy, dN Hkh ugh g tk U;k; dk guu jkdu d fy, ;k mld }kjk dkfjr xHkhj ,o Li"V nk"kk dk nj dju d fy, vfre vfèkdkfjrk d iR;d U;k;ky; e fufgr gkrh gA ijUr iufoykdu dh 'kfDr d bLreky dh fu'pk;h lhek, gA u; rFkk egRoi.k ekey ;k lk{; d irk pyu ij iufoykdu dh 'kfDr dk bLreky fd;k tk ldrk g tk iufoykdu dh blIk djuoky 0;fDr dh tkudkjh e lE;d rRijrk cjru d ckn Hkh ugh Fkk ;k ftl mld }kjk ml le; i'k ugh fd;k tk ldk Fkk tc vkn'k fd;k x;k Fkk % bldk bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHky[k d iVy ij dN =fV ;k idV nk"k ik;k tkrk g(bldk blh In'k vkèkkj ij Hkh bLreky fd;k tk ldrk gA ijUr] bldk bl vkèkkj ij bLreky ugh fd;k tk ldrk g fd fu.k; x.kkox.kk ij nk"ki.k FkkA ;g fdlh vihyh; U;k;ky; dk vfèkdkj {k= gkxkA* ***iufoykdu dh 'kfDr dk Hkeo'k vihyh; 'kfDr;k tlk ugh le>k tkuk g tk vèkhuLFk U;k;ky; }kjk dkfjr lHkh idkj dh =fV;k dk n:Lr dju e vihyh; U;k;ky; dk l{ke cuk ldrh gA*****

17. ehjk Hkk tk e vfjce ekey dk vu'kj.k fd;k x;k gA ml ekey e bl nkgjk;k x;k g fd iufoykdu dh vfèkdkfjrk vftr dju d fy, vfHky[k d iVy ij idV =fV vko';d :i l , lh =fV gkuh g tk vfHky[k ij n[ku ek= l fdlh d è;ku e vk tk, rFkk ble rd ford dh pyu okyh yEch ifØ;k dh vko';drk u gkA lR;ukjk;.k y{ehukjk;.k gxM cuke feYyhdk tu Hkkoulik fr:ey e vfHky[k d iVy ij idV nk"k d lcèk e fuEukfdr lEijh{k.kk dk Hkh mfYyf[kr fd;k x;k Fkk % *(AIR i"B 137)*

^^fdlh , l nk"k dk dfBukb l gh vfHky[k d iVy ij idV , d nk"k dgk tk ldrk g ftl rd ford dh , d yEch ifØ;k }kjk fl) fd;k tkuk g mu fcUnvk ij ftuij nk er èkkj.k fd; tk ldr gA tgk , d vfHkdfFkr nk"k LoLi"V gku l dkQh nj g rFkk vxj bl fl) fd;k tk ldrk g] bl yEc rFkk tfVy rdk }kjk fl) fd;k tkuk g] , lk fjV fuxr dju d fy, mPprj U;k;ky; dh 'kfDr;k dk lpkfyr djuoky fu;e d vulkj , l nk"k dk mRi"k.k d fjV }kjk mipkj ugh fd;k tk ldrk gA (SCR i"B 901&02)

18. ijfl;k noh cuke lfe=h noh e bl U;k;ky; d lEijh{k.kk dk mfYyf[kr djuk Hkh lehphu gA vfjce rFkk ehjk Hkk tk e g, fu.k;k ij Hkjk lk djr g, fuEuor lEijh{kr fd;k x;k FkkA (SCC i"B 719] ijk 9)

*"9. fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu dkb fu.k; vU; d lkFk&lkFk iufoykdu d fy, [kyk gk ldrk g vxj vfHky[k d iVy ij ,d =fV ;k nk"k idV gA dkb ,lk nk"k tk LoLi"V ugh g rFkk ft ldk rd ford dh ifØ;k }kjk irk yxk;k tkuk gkrk g] fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu iufoykdu dh viuh 'kfDr dk bLreky dju d fy, U;k;ky; d fy, vkfpR;i.k cukr g, vfHky[k d iVy ij ,d idV nk"k dnkfpr gh dgk tk ldrk gA fl0 i0 l0 d vkn'k 47] fu;e 1 d vèkhu vfèkdkfjrk d bLreky e] fdlh nk"ki.k fu.k; dh iuh luokb fd;k tkuk rFkk bl n:Lr fd;k tkuk vuK; ugh gA bl vko';d :i l Lej.k j[kuk g fd ,d iufoykdu ;kfpdk dk lhfer mí'; gkrk g rFkk bl iPNUu :i l ,d vihy gku ugh fn;k tk ldrk gA*** *(cy inku fd;k x;k)*

(viii) आवेदक के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता **AIR 2016 SC 326** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास करते हैं। वर्तमान मामला के विचित्र तथ्यों को देखते हुए कि:-

(a) çkfxd le; ij vkond d fo}ku vfèkoDrk }kjk çpkfjr leLr fcnvk dk bl U;k;ky; dh [kM U;k;ihB }kjk ,y0 ih0 ,0 l0 114 o"k 2013 fofuf'pr djr g, fnukd 9 tykb] 2014 d fu.k; ,o vkn'k d rgr vfèkeY;u fd;k x;k gA

(b) rdk ftUg vkond d vfèkoDrk }kjk çkfxd le; ij NkM fn;k x;k g d fy, iufoykdu vkonu fofèk e ekU; ugh gA

(c) ;fn iufoykdukèkhu fu.k; e xyrh [kM U;k;ihB }kjk ckn e foLrkji.k rdk d ckn fudkyk tkuk g] bl çdkj d iufoykdu vkonu fofèk e ekU; ugh gA ,dek= miyCèk mipkj vihy nkf[ky djuk gA

(d) iufoykdu vkonu Nneko"k e vihy ugh gA

3. पूर्वोक्त निर्णयों की दृष्टि में एवं तथ्य को भी देखते हुए कि इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 114 वर्ष 2013 विनिश्चित करते हुए दिनांक 9 जुलाई, 2014 के निर्णय एवं आदेश के तहत विस्तार में विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा रखे गये तर्कों के समस्त बिंदुओं पर विचार किया है, हम यह सिविल पुनर्विलोकन आवेदन ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित गलती इतनी स्पष्ट नहीं है कि पुनर्विलोकन आवेदन ग्रहण करने की आवश्यकता है, इसके विपरीत, हमें निष्कर्ष पर आना होगा और वह भी संपूर्ण एल॰ पी॰ ए॰ पुनः सुनकर कि क्या इस आवेदक का मामला अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के अधीन आता है। भले ही हम विपरीत निष्कर्ष पर आते हैं जो पहले एल॰ पी॰ ए॰ में विस्तारपूर्ण तर्कों के बाद विनिश्चित किया गया था, इस सिविल पुनर्विलोकन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पद्धति द्वारा ''अभिलेख से प्रकट गलती'' द्वारा एल॰ पी॰ ए॰ में निर्णय उलट नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में, यह तुल्य होगा मानो हम अपील सुन रहे हों तथा एल॰ पी॰ ए॰ में निर्णय उलट रहे हैं। सिविल पुनर्विलोकन में ऐसा रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस आवेदक के पास अपील का उपचार उपलब्ध है। अतः, यह सिविल पुनर्विलोकन आवेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

ekuuh; vfuy dekj pkèkjh] U;k;efr

रूदवा देवी एवं अन्य

cuke

लालजी महतो एवं अन्य

First Appeal No. 116 of 2012. Decided on 21st February, 2018.

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870—अनुसूची II का अनुच्छेद 17—घोषणात्मक वाद में न्यायालय शुल्क का भुगतान—इस घोषणा कि विक्रय विलेख अथवा दान विलेख शून्य है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है, के लिए वाद में मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क भुगतेय है—चूँकि अपीलार्थीगण शून्य एवं अकृत घोषित किए जाने के लिए इप्सित विक्रय विलेखों के गैर निष्पादक हैं और वाद भूमि पर काबिज होने का दावा करते हैं, उन्हें 500/- रुपयों के न्यायालय शुल्क का भुगतान करना होगा। (पैराएँ 5 एवं 9)

निर्णयज विधि.–A.I.R.1960 S.C. 980—Referred; AIR 2010 SC 2807—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Ayush Aditya, For the Appellants.

आदेश

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 2846 वर्ष 2013</u>

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह अपील अभिधान वाद सं॰ 45 वर्ष 2007 में सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) IV हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 2 मई, 2012 के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि वादीगण का कुल वाद भूमि 28½ डिसमिल में से केवल 12¼ डिसमिल का अभिधान एवं कब्जा है और विद्वान अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी आया कि विक्रय विलेख सं॰ 517, 518, 519 एवं 520 वादीगण पर बाध्यकारी नहीं है एवं अवैध नहीं है।

3. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद निम्नलिखित दो घोषणाओं की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया था:–

(i) vulph 'A' Hkfe ij oknh d vfHkèkku dh ?kk"k.kk

(ii) ?kk"k.kk fd foØ; foy[k l0 517, 518, 519 ,o 520 fnukfdr 15.2.2007 'kU; ,o voèk ,o vçor g vkj oknh ij ckè;dkjh ugh gA

4. एफ॰ ए॰ सं॰ 164 वर्ष 2009 में आई॰ ए॰ सं॰ 2174 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 17.12.2009 के आदेश पर विश्वास करते हुए स्टांप रिपोर्ट ने रिपोर्ट किया है कि इस अपील में 10,730/- रुपयों का मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क भुगतेय है।

5. आई॰ ए॰ सं॰ 2174 वर्ष 2009 में, दिनांक 17.12.2009 के उक्त आदेश में, उस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में जहाँ इस इस घोषणा की डिक्री के लिए वाद दाखिल किया गया था कि रजिस्टर्ड दान विलेख शून्य एवं अकृत है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है और चूँकि उस मामला में अवर न्यायालय में मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान वादी द्वारा किया गया था, इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने संप्रेक्षित किया कि विधि के सुस्थापित सिद्धांत की दृष्टि में कि इस घोषणा के लिए वाद में कि विक्रय विलेख अथवा दान विलेख शून्य है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है, मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क भुगतेय है और **AIR 1960 SC 980** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए यह आदेशित किया गया था कि ओीलार्थी मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान करेगा।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की अनुसूची II के अनुच्छेद 17 की ओर आकृष्ट किया, जिसका पठन निम्नलिखित है:–

17. निम्नलिखित वादों में से प्रत्येक में अपील का ज्ञापन अथवा वाद पत्र:–	
(i) लेटर्स पेटेन्ट द्वारा स्थापित नहीं किये गये किसी सिविल न्यायालय अथवा किसी राजस्व न्यायालय के संक्षिप्त निर्णय अथवा आदेश को परिवर्तित अथवा अपास्त करने के लिए;	
(ii) राजस्व भुगतान करने वाली संपदाओं के स्वत्वधारियेां के नामों के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को परिवर्तित अथवा रद्द करने के लिए;	दस रुपया
(iii) घोषणात्मक डिक्री जहाँ पारिणामिक अनुतोष की प्रार्थना नहीं की गयी है प्राप्त करने के लिए;	
(iv) अधिनिर्णय अपास्त करने के लिए;	
(v) दत्तक ग्रहण अपास्त करने के लिए;	
(vi) प्रत्येक अन्य वाद जहाँ विवाद के विषय वस्तु को धन मूल्य पर मूल्यांकित करना संभव नहीं है और जिसे अन्यथा इस अधिनियम द्वारा प्रावधानित नहीं किया गया है।	

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि उक्त अनुसूची में यथा उल्लिखित नियत न्यायालय शुल्क 10/- रुपया अब 250/- रुपया पर पुनरीक्षित किया गया है और चूँकि इस मामला में प्रतिवादियों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों को शून्य एवं अकृत घोषित करने के लिए वाद दाखिल किया गया है और वादी वाद भूमि पर काबिज है, दो पृथक घोषणाओं के लिए प्रार्थना किए जाने के चलते अपीलार्थी द्वारा 500/- रुपयों का न्यायालय शुल्क भुगतेय है।

8. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुहरीद सिंह उर्फ शर्दुल सिंह बनाम रणधीर सिंह एवं अन्य, AIR 2010 SC 2807,** मामले के पैराग्राफों 4, 5 एवं 6 में घोषणात्मक वादों में न्यायालय शुल्क के भुगतान के संबंध में विधि का निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित किया है:–

^^4. fopkjkFk mnHkr gku okyk lhfer ç'u ;g g fd ?kks"k.kk fd foØ; foy[k 'kU; Fk ,o ^lgnkf;d ij ckè;dkjh ugh Fk vkj l;Dr dCtk ,o 0;kn'k d ikfj.kkfed vurk"k d fy, çkFkuk d lcèk e Hkxr; U;k;ky; 'kYd D;k gA*

5. itkc jkT; e U;k;ky; 'kYd itkc e ;Fkk l'kkfèkr U;k;ky; 'kYd vfèkfu;e] 1870 (l{ki e ^vfèkfu;e) }kjk 'kkflr gA èkkjk 6 vko';d cukrh g fd vfèkfu;e dh çFke ,o f}rh; vulfp;k e ;Fkk çlkj.kh; fofufn"V çdkj d nLrkot fdlh U;k;ky; e nkf[ky ugh fd, tk,x tc rd mle minf'kr 'kYd dk Hkxrku ugh fd;k tkrk gA f}rh; vulph dh çfof"V 17 (iii) ?kk"k.kkred fMØh tgk ifj.kkfed vurk"k dh çkFkuk ugh dh x;h g çkIr dju d fy, oknk e okn i=k ij 19.50/-#i;k d U;k;ky; 'kYd dk Hkxrku vko';d cukrh gA fdr tgk okn dCtk ,o 0;kn'k dh ?kk"k.kk ,o ikfj.kkfed vurk"k d fy, okn g] ml ij U;k;ky; 'kYd vfèkfu;e dh èkkjk 7(iv)(c) }kjk 'kkflr g tk çkoèkkfur djrh g%*

^^7. **dfri; oknk e Hkxr; 'kYd dh lx.kuk**&ble bld ckn mfYyf[kr vxy oknk e bl vfèkfu;e d vèkhu Hkxr; 'kYd dh jkf'k fuEufyf[kr :i l lxf.kr dh tk,xh%

(iv) oknk e& x x x x (c)- ?kk"k.kkRed fMØh ,o ikfj.kkfed vurk"k d fy,- —?kk"k.kkRed fMØh vFkok vkn'k tgk ikfj.kkfed vurk"k dh çkFkuk dh x;h g] xxxx jkf'k ftl ij okn i= e vFkok vihy Kkiu e bfllr vurk"k dk eY;kdu fd;k x;k g d vulkj djrk g%

,l leLr oknk e oknh jkf'k dk dFku djxk ftl ij og bfllr vurk"k eY;kfdr djrk g%

ijUr ;g fd çR;d e U;ure U;k;ky; 'kYd rjg #i;k gkxk%

ijUr vkx ;g fd mi[kM (c) e vku oky oknk e] ,l ekeyk e tgk bfllr vurk"k fdlh lifÙk d çfr fun'k e g] ,lk eY;kdu bl èkkjk d [kM (v) }kjk çkoèkkfur rjhd l lxf.kr lifÙk d eY; l U;u ugh gkxkA**

vfèkfu;e dh èkkjk 7(iv) dk f}rh; ijUrd bl ekeyk e ykx gkxk vkj eY;kdu mDr èkkjk d [kM (v) }kjk çkoèkkfur rjhd l lxf.kr lifÙk d eY; l U;u ugh gkxkA [kM (v) çkoèkkfur djrk g fd tgk vurk"k Ñf"k Hkfe d lcèk e g] U;k;ky; 'kYd mld [kMk (a) l (d) d vèkhu Hkxr; jktLo d çfr fun'k e fxuk tkuk pkfg,] vkj tgk vurk"k ?kj d lcèk e g] U;k;ky; 'kYd mld [kM (e) d vèkhu ?kj d cktkj eY; ij gkxkA

6. **tc foy[k dk fu"iknd bl fujflr djuk pkgrk g] ml foy[k dk jnndj.k bfllr djuk gkxkA fdr ;fn xj fu"iknd foy[k dk fujlu bfllr djrk g] ml ?kk"k.kk bfllr djuk gkxk fd foy[k voèk] vFkok vfo|eku] vFkok voèk g vkj ;g ml ij ckè;dkjh ugh gA jnndj.k vkj vrj.k@gLrkrj.k foy[k d lcèk e ?kk"k.kk d fy, çkFkuk d chp fHkUurk nk Hkkb;k 'A' ,o 'B' l lcfèkr fuEufyf[kr mnkgj.k }kjk lkeu yk;h tk ldrh gA 'A' 'C' d i{k e foØ; foy[k fu"ikfnr djrk gA ckn e 'A' foØ; l cpuk pkgrk gA 'A' dk foy[k d jnndj.k d fy, okn djuk gkxkA nljh vkj] ;fn 'B' tk foy[k dk fu"iknd ugh g bl l cpuk pkgrk g ml bl ?kk"k.kk d fy, okn djuk gkxk fd 'A' }kjk fu"ikfnr foy[k voèk@'kU; vkj fo|eku@voèk g vkj og bld }kjk ckè; ugh gA lkjr% nkuk foØ; foy[k vikLr dju d fy, vFkok ckè;dkjh ?kkf"kr fd, tku d fy, okn dj ldr gA fdr Lo:i fHkUu g vkj U;k;ky; 'kYd Hkh fHkUu gA ;fn foy[k dk fu"iknd 'A' foy[k dk jnndj.k bfllr djrk g] ml foØ; foy[k e dfFkr çfrQy ij eY;kulkj U;k;ky; 'kYd dk Hkxrku djuk gkxkA ;fn 'B', tk xj fu"iknd g] dkfct g vkj ?kk"k.kk d fy, okn djrk g fd foy[k 'kU; ,o vÑr g vkj ml vFkok mld fgLlk ij ckè;dkjh ugh g] ml vfèkfu;e dh f}rh; vulph d vuPNn 7(iii) d vèkhu ek= 19.50/- #i;k d fu;r U;k;ky; 'kYd dk Hkxrku djuk gkxkA** fdr ;fn ^B*] xj fu"iknd dkfct ugh g] vkj og u doy ;g ?kk"k.kk fd foØ; foy[k voèk g cfYd dCtk dk ikfj.kkfed vurk"k Hkh bfllr djrk g] ml vfèkfu;e dh èkkjk 7(iv) (c) d vèkhu ;Fkk çkoèkkfur eY;kulkj U;k;ky; 'kYd dk Hkxrku djuk gkxkA èkkjk 7(iv) (c) çkoèkkfur djrh g fd ikfj.kkfed vurk"k d lkFk ?kk"k.kkRed fMØh d fy, okn e U;k;ky; 'kYd ml jkf'k d vulkj lxf.kr fd;k tk,xk ftl ij bfllr vurk"k okn i= e eY;kfdr fd;k x;k gA mldk ijUrd ;g Li"V djrk g fd tgk ikfj.kkfed vurk"k d lkFk ?kk"k.kkRed fMØh d fy, okn

*fdlh lifÙk d çfr fun'k e g] ,lk eY;kdu èkkjk 7 d [kM (v) }kjk çkoèkkfur rjhd l lxf.kr lifÙk d eY; l U;u ugh gkxkA** (tkj fn;k x;k)*

9. पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, चूँकि अपीलार्थीगण अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने के लिए इप्सित विक्रय विलेखों के गैर निष्पादक हैं और वाद भूमि पर काबिज होने का दावा करते हैं, उन्हें 500/- रुपयों के न्यायालय शुल्क का भुगतान करना होगा।

10. तद्नुसार अंतर्वर्ती आवेदन निपटाया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

टाटा मोटर्स लि॰ राजेश कुमार दास, उप-महाप्रबंधक (विधिक सेवा) टेल्को, जमशेदपुर के माध्यम से

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No.1009 of 2017. Decided on 23rd November, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 451—वाहन बेचने के लिए अनुमति-याची वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण एवं विक्रय के काम में लगा हुआ है—याची द्वारा निर्मित चेसिस दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसका परिणाम इसकी जब्ती में हुआ—याची के पक्ष में वाहन की निर्मुक्ति के समय पर न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा शर्तों के अधिरोपण के कारण मजबूरी कारित हुई क्योंकि याची इसे बेचने के प्रयोजन से चेसिस को भारी वाहन में संपरिवर्तित करने में सक्षम नहीं हुआ है—वाहन बेकार पड़ा हुआ है और प्राकृतिक क्षय के अध्यधीन है—मामले का वाणिज्यिक पहलू भी देखना होगा—चूँकि न तो विचारण तेजी से अग्रसर हो रहा है जो चेसिस निर्मुक्त करते हुए अधिरोपित शर्तों को हटाया जाना एवं विचारण का समापन आवश्यक बनाएगा एवं न ही दंडाधिकारी द्वारा अधिरोपित शर्त शिथिल किए बिना चेसिस ऑपरेशनल बनाया जा सकता है—यह न्याय के हित में समीचीन होगा कि याची को निबंधनों एवं शर्तों पर प्रश्नगत चेसिस बेचने की अनुमति दी जाए। (पैराएँ 9 से 13)

अधिवक्तागण.—Mr. P.P.N. Rai, For the Petitioners; APP., For the State.

आदेश

पक्षकार सुने गए।

2. याची परिवाद मामला सं॰ 3093 वर्ष 2012, मानगो (आजाद नगर) पी॰ एस॰ केस सं॰ 512 वर्ष 2012 के तत्सम, के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 21.2.2017 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन सं॰ JH-05A 7432 वाले वाहन के विक्रय के लिए अनुमति के लिए याची की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है।

3. यह प्रतीत होता है कि याची द्वारा निर्मित चेसिस 17.10.2012 को परडीह, जमशेदपुर में बिजली के पोल एवं ट्रांसफॉर्मर को क्षतिग्रस्त करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसके लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279 एवं 427 के अधीन मामला दर्ज किया गया था। वाहन जब्त किया गया था और बाद में वाहन की निर्मुक्ति के लिए याची द्वारा दाखिल आवेदन पर इसे दिनांक 22.1.2013 के आदेश के तहत

इस शर्त पर निर्मुक्त किया गया था कि प्रश्नगत वाहन मामला के निपटान तक बेचा नहीं जाएगा और जब तथा जैसी आवश्यकता हो, इसे न्यायालय अथवा आई॰ ओ॰ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगे शर्त अधिरोपित किया गया था कि मामला के निपटान तक प्रश्नगत वाहन की भौतिक दशा परिवर्तित नहीं की जाएगी।

4. याची ने उक्त वाहन के विक्रय की अनुमति के लिए आवेदन दाखिल किया, जिसे विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा 21.2.2017 को अस्वीकार किया गया था जो वर्तमान मामला का विषय वस्तु है।

5. दिनांक 21.2.2017 के आक्षेपित आदेश का विरोध करते हुए, याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची भारी वाहनों के चेसिस के निर्माण में अंतर्ग्रस्त है और याची के पक्ष में वाहन की निर्मुक्ति के समय पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा शर्तों के अधिरोपण ने मजबूरी कारित किया है क्योंकि याची इसे बेचने के प्रयोजन से चेसिस को भारी वाहन में संपरिवर्तित करने में सक्षम नहीं है।

6. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि चूँकि वाहन वर्ष 2013 में निर्मुक्त किया गया था, यह काफी सीमा तक अवक्षयित हो गया है क्योंकि परिवहन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है और यह प्राकृतिक क्षय के अध्यधीन किया जा रहा है।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्नगत वाहन के विक्रय के लिए अनुमति के लिए अपने प्रतिवाद के समर्थन में दांडिक एम॰ पी॰ सं॰ 585 वर्ष 2017 में दिनांक 28.3.2017 को पारित इस न्यायालय के आदेश पर विश्वास किया है।

8. विद्वान अपर पी॰ पी॰ ने याची के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना का विरोध किया है।

9. यह स्वीकृत तथ्य है कि याची वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण एवं विक्रय के काम में लगा हुआ है। याची द्वारा निर्मित चेसिस दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसका परिणाम इसका जब्ती में हुआ और बाद में कतिपय निबंधनों एवं शर्तों को अधिरोपित करने के बाद विद्वान दंडाधिकारी द्वारा इसे निर्मुक्त किया गया था। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि चूँकि वाहन का भौतिक स्वरूप नहीं बदलने का निर्देश दिया गया था, अत: यह गैर–ऑपरेशनल बना रहा क्योंकि इसे भारी वाहन में संपरिवर्तित किए बिना यह किसी उपयोग का नहीं है और बेकार पड़ा हुआ है और प्राकृतिक क्षय के अध्यधीन है। मामला के वाणिज्यिक पहलू को भी देखना होगा।

10. चूँकि, विचारण न तो तेजी से अग्रसर हो रहा है जो चेसिस निर्मुक्त करते हुए अधिरोपित शर्तों को हटाया जाना तथा विचारण का समापन आवश्यक बनाएगा और न ही उक्त चेसिस विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अधिरोपित शर्त शिथिल किए बिना ऑपरेशनल बनाया जा सकता है।

11. टाटा मोटर्स बनाम झारखंड राज्य, दांडिक एम॰ पी॰ सं॰ 585 में इस न्यायालय ने असल में समरूप विवाद्यकों पर विचार करते हुए प्रश्नगत वाहन की भौतिक प्रस्तुती की शर्त शिथिल करते हुए याची पर कतिपय निबंधन एवं शर्त अधिरोपित किया है। निर्देशाधीन पूर्वोक्त मामला के निबंधन एवं शर्त निम्नलिखित हैं:–

> *^^fu.k; l ldr yr g, vkj bl rF; ij fopkj djr g, fd ;kph diuh okgu cpu e l{ke ugh gkxh pfd ;g ch0 ,l0 III ekl ,fe'ku LVUMM l lcfèkr g tk 1 vfçy] 2017 l ijkuk iM tk,xk] fnukd 11.5.2016 d vkn'k e nMkfèkdkjh }kjk minf'kr fucèku ,o 'kr mikrfjr dju dh vko';drk gA*

rnu lkj] fiFkkfj;k ihO ,lO dl lO 42 o"k 2016 (thO vkjO lO 2126 o"k 2016) d lcèk e fo}ku U;kf;d nMkfèkdkjh] çFke J.kh] jkph }kjk ikfjr fnukd 11.5.2016 dk vk{kfir vkn'k bl lhek rd mikrfjr fd;k tkrk g fd okgu dk fp= fy;k tk,xk ftl lE;d :i l vfHkçekf.kr ,o çek.k if=r fd;k tk,xk vkj mDr fp= ;kph }kjk 'kh?kfr'kh?k fopkj.k U;k;ky; d le{k çLrr fd;k tk,xkA ;g Hkh bfxr fd;k tkrk g fd QkVkxkQ tk fo}ku fopkj.k U;k;ky; d le{k iLrr fd;k tk;xk] vfHky[k ij j[kk tk,xk vkj fopkj.k d nkjku f}rh;d lk{; d :i e mi;kx fd;k tk,xkA

;kph dk ç'uxr okgu dh Hkkfrd çLrfr dh vko';drk ugh g vkj mDr minf'kr vkipkfjdrk dk vuikyu fd, tku d ckn ;kph okgu cpu d fy, Lor= gkxkA mDr minf'kr lhek rd fiFkkfj;k ihO ,lO dl lO 42 o"k 2016 (thO vkjO lO 2126 o"k 2016) d lcèk e fo}ku U;kf;d nMkfèkdkjh] çFke J.kh] jkph }kjk ikfjr fnukd 11.5.2016 dk vk{kfir vkn'k mikrfjr fd;k tkrk gA fdr] ;g Hkh Li"V fd;k tkrk g fd oreku vkn'k ekey d iokDr rF;k ,o ifjfLFkfr;k d vkèkkj ij ikfjr fd;k x;k gA**

12. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याची का वाणिज्यिक वाहन बेकार पड़ा है और विचारण के समापन पर इसकी निर्मुक्ति निर्भर है और चूँकि चेसिस की जब्ती की तिथि से और इसकी पश्चातवर्ती निर्मुक्ति की तिथि से पर्याप्त समय बीत चुका है, न्याय के हित में समीचीन होगा कि याची को प्रश्नगत चेसिस बेचने की अनुमति निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों पर दी जाए:–

1. pfll dk QkVkxkQ fy;k tk,xk ftl lE;d :i l vfèkçekf.kr ,o çek.kif=r fd;k tk,xk vkj ;kph }kjk fo}ku fopkj.k U;k;ky; d le{k mDr QkVkxkQ 'kh?krh'kh?k çLrr fd, tk,xA

2. ;kph }kjk fopkj.k U;k;ky; d le{k çLrr QkVkxkQ vfHky[k ij j[k tk,x vkj fopkj.k d nkjku f}rh; lk{; d :i e mi;kfxrk fd, tk,xA

3. ;kph dk ç'uxr pfll dh Hkkfrd çLrrh dh vko';drk ugh g vkj ;gk of.kr vkipkfjdrkvk@'krk d vuikyu d ckn ;kph pfll cpu d fy, Lor= gkxkA

13. उक्त निर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की दृष्टि में, दिनांक 21.2.2017 का आक्षेपित आदेश तथा दिनांक 22.1.2013 का आदेश उपदर्शित सीमा तक उपांतरित किया जाता है।

यह आवेदन निपटाया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लि०

cuke

प्रभा नील सुषमा किंडो एवं अन्य

M.A. No. 192 of 2015. Decided on 1st December, 2017.

मोटरयान अधिनियम, 1988—धारा 166—दुर्घटनावश मृत्यु—अधिकरण द्वारा 36,16,800/- रुपया का मुआवजा अधिनिर्णीत किया गया—मुआवजा राशि एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ द्वारा मृतक की आमदनी जिसे आसानी से अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है को विचार में लेते हुए वैध रूप से संगणित की गयी है—मृतक के भूतपूर्व सैनिक होने के कारण मृतक की आयु भी अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर आसानी से अभिनिश्चित की जा सकती थी—मृतक की समस्त आय, पेंशन के रूप में भारत सरकार के माध्यम से अथवा उड़ीसा पुलिस के साथ संविदात्मक सेवा के लिए उसके पारिश्रमिक के माध्यम से आसानी से सिद्ध की जा सकती थी—पारिश्रमिक राशि के प्रति 14 का गुणक लागू करने में अवैधता नहीं है क्योंकि दुर्घटना की तिथि पर मृतक की आयु 44 वर्ष थी—वाहन स्वामी नोटिस के बावजूद एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था—स्वामी से मुआवजा राशि वसूल करने के लिए विधि के अनुरूप समुचित कदम उठाने के लिए अपीलार्थी बीमा कंपनी को स्वतंत्रता दी गयी यदि वह इसकी हकदार है। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.—M/s. Alok Lal, For the Appellant; M/s. Ashutosh Anand, For the Respondents.

आदेश

अपीलार्थी नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लि॰ के विद्वान अधिवक्ता तथा दावेदार प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। वाहन स्वामी प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस स्वीकार करने से इनकार किया था जिसे उसके उपर वैध रूप से तामील किया गया समझा गया था। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, राँची के समक्ष स्वामी प्रत्यर्थी सं॰ 4 नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हो सका और अधिकरण वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 4 के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ था।

2. अपीलार्थी नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लि॰ (इसमें इसके बाद 'बीमा कंपनी' के रूप में निर्दिष्ट) ने मुआवजा मामला सं॰ 284 वर्ष 2012 में एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ द्वारा पारित दिनांक 26.9.2014 के निर्णय को चुनौती दिया जिसके द्वारा मामला के न्याय निर्णयन पर 6% वार्षिक ब्याज के साथ 36,16,800/- रुपयों की मुआवजा राशि परिवादी प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 जो मृतक की पत्नी एवं संताने हैं के पक्ष में अधिनिर्णीत किया गया है। मृतक भूतपूर्व सैनिक दुर्घटना की तिथि पर मोटरसाइकिल सवार था और प्रश्नगत बस के लापरवाह एवं उपेक्षावान चालन द्वारा कारित दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। यह दावा करते हुए कि मृतक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते भारत सरकार से 8062/ रुपया प्रति माह पेंशन पा रहा था और वह अपने संविदात्मक काम से 16,875/- रुपया प्रतिमाह का पारिश्रमिक भी पा रहा था क्योंकि वह सेना से अपनी सेवा निवृत्ति के बाद उड़ीसा पुलिस बल की विशेष प्रहार बल में सेवारत था, दावा मामला दाखिल किया गया था। अभिलेख पर लाए गए एवं दावेदारों द्वारा सिद्ध किए गए दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया था कि मृत्यु के समय पर मृतक की आयु 44 वर्ष 7 माह थी और कि मृतक भारत सरकार से 8062/- रुपया प्रतिमाह का पेंशन पा रहा था और वह उड़ीसा पुलिस में अपनी संविदात्मक सेवा के लिए 16,875/- रुपया प्रतिमाह पारिश्रमिक पा रहा था। इस आय के आधार पर अधिनिर्णीत किया जाने वाला मुआवजा एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ द्वारा संगणित किया गया था जो 36,16,800/- रुपया हुआ और तद्नुसार इसे ब्याज के साथ अधिनिर्णीत किया गया था।

3. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपनी सेवा निवृत्ति के बाद अपीलार्थी केवल संविदात्मक आधार पर सेवारत था, किंतु अवधि जिसके लिए वह संविदा पर नियोजित था, अभिलेख पर नहीं लाया गया है और तद्नुसार, मुआवजा राशि गलत रूप से एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ द्वारा 14 का गुणक लागू करके संगणित की गयी है। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि वाहन स्वामी मामला में उपस्थित नहीं हुआ था और बीमा कंपनी ने यह कथन करते हुए दावा विवादित किया था कि वाहन का वैध दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया था और तद्नुसार बीमा कंपनी मुआवजा का भुगतान करने की दायी नहीं थी। किंतु एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ द्वारा यह आपत्ति ग्रहण नहीं की गयी थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

4. दावादार प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित निर्णय में अवैधता नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी सं॰ 1 का पति भूतपूर्व सैनिक था और उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वह संविदा आधार पर उड़ीसा पुलिस में कार्यरत था। इस दशा में, मृतक पति की प्रत्येक आय, चाहे पेंशन से हो या संविदात्मक काम से, अत्यन्त आसानी से एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ में सिद्ध दस्तावेजों द्वारा सिद्ध किया जा सकता था। मृतक की आयु भी मृतक के पहचान पत्र के आधार पर अत्यन्त आसानी से सिद्ध किया गया था और यह पाया गया था कि अपनी मृत्यु के समय पर मृतक की आयु 44 वर्ष 7 माह थी। तद्नुसार, भावी संभावना के रूप में 30% की वृद्धि देते हुए और 14 का गुणक लागू करते हुए एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ द्वारा मुआवजा राशि संगणित की गयी थी और इसमें अवैधता नहीं है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद के संबंध में कि संविदा सेवा की अवधि सिद्ध नहीं की गयी थी, विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि साधारण परिस्थिति में उक्त संविदा को 14 और वर्षों अर्थात कम से कम 60 वर्ष की आयु तक जारी रहने की उम्मीद की जाती थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस आय पर भी 14 का गुणक लागू करते हुए एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में अवैधता नहीं है।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर मैं पाता हूँ कि मृतक की आय जिसे अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों के आधार पर अत्यन्त आसानी से सिद्ध किया जा सकता था को विचार में लेते हुए एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ द्वारा मुआवजा राशि वैध रूप से संगणित की गयी है। मृतक की आयु भी उसके भूतपूर्व सैनिक होने के कारण अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज के आधार पर अत्यन्त आसानी से विनिश्चित की जा सकती थी। मृतक की समस्त आय, चाहे पेंशन के रूप में भारत सरकार के माध्यम से हो या उड़ीसा पुलिस में संविदात्मक सेवा के लिए अपने पारिश्रमिक के माध्यम से, अत्यन्त आसानी से सिद्ध की जा सकती थी। इस दशा में, मैं पारिश्रमिक राशि के प्रति भी 14 का गुणक लागू करने में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ क्योंकि दुर्घटना की तिथि पर मृतक की आयु लगभग 44 वर्ष थी और यह दर्शाने के लिए प्रतिकूल कुछ भी नहीं है कि मृतक 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बना नहीं रह सकता था। इस दशा में, मैं आक्षेपित अधिनिर्णय में अवैधता नहीं पाता हूँ।

7. वाहन की प्रत्यर्थी स्वामी नोटिस के बावजूद एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ में उपस्थिति नहीं हुआ था और इस दशा में अधिकरण स्वामी के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ था। इस न्यायालय ने भी स्वामी

को नोटिस जारी किया था, किंतु इसे अस्वीकार किया गया है और उस पर वैध रूप से तामील समझा गया है। आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि स्वामी द्वारा एम॰ ए॰ सी॰ टी॰ में आवश्यक दस्तावेज न तो प्रस्तुत किए गए थे और न ही सिद्ध किए गए थे। मामला के उस दृष्टिकोण में, स्वामी से मुआवजा राशि वसूल करने के लिए विधि के अनुरूप समुचित कदम उठाने की स्वतंत्रता अपीलार्थी बीमा कंपनी, यदि वह हकदार है, को दी जाती है।

8. रजिस्ट्री को अपीलार्थी द्वारा जमा की गयी सांविधिक राशि का भुगतान दावेदार प्रत्यर्थी सं॰ 1 को करने का निर्देश दिया जाता है जो अपनी अवयस्क संतानों की ओर से भी 9 दिसंबर, 2017 को होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन प्राप्त करेगी। रजिस्ट्री को भुगतान के लिए चेक तैयार रखने का निर्देश दिया जाता है। दावेदार प्रत्यर्थी सं॰ 1 इसे प्राप्त करने के लिए उस दिन पर लोक अदालत के समक्ष उपस्थित होगी। इस मामला को पूर्वोक्त प्रयोजन से 9 दिसंबर, 2017 को लोक अदालत के समक्ष रखा जाए।

9. इस विविध अपील में गुणागुण नहीं है, जिसे उक्त निर्देशों/संप्रेक्षणों के साथ खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vfuy dekj pkèkjh] U;k;efr

केहर महतो एवं अन्य

cuke

बिशु महतो एवं अन्य

S.A. No.197 of 2005. Decided on 24th January, 2018.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 100—वाद के प्रतिवादियों के पूर्वज द्वारा निष्पादित करार के फलस्वरूप वाद भूमि पर अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा एवं कब्जा की संपुष्टि के लिए वाद—विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी को प्रश्नगत भूमि का कब्जा कभी नहीं दिया गया था और करार द्वारा वादी पर अधिकार प्रोद्भूत नहीं हुआ है—अवर अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के साथ सहमत होते हुए समुचित परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर उपलब्ध समस्त प्रासंगिक तथ्यों, साक्ष्यों एवं सामग्रियों पर विचार किया है—अवर अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री में केवल इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है कि अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सामग्रियों जिसे विनिर्दिष्ट करने में अपीलार्थी विफल रहा पर विचार नहीं किया है—अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 3 एवं 7)

निर्णयज विधि.—(1999) 4 S.C.C. 350—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Manjul Prasad, For the Appellants; M/s Rajnandan Sahay, Yashvardhan, S.P. Mehta, For the Respondents.

आदेश

यह अपील वादी अपीलार्थी द्वारा दाखिल की गयी है। वादी ने वाद के प्रतिवादियों के पूर्वज द्वारा निष्पादित दिनांक 30.4.1961 के करार के फलस्वरूप वाद भूमि पर अधिकार, अभिधान एवं हित तथा कब्जा की संपुष्टि के लिए प्रथम अपर मुंसिफ, गिरीडीह के न्यायालय में अभिधान वाद सं॰ 63 वर्ष 1990/139 वर्ष 1994 दाखिल किया।

2. वादी का मामला यह है कि वाद भूमि का स्वामी रघु महतो ने अपने इलाज के लिए धन की आवश्यकता होने के कारण 1500/- रुपयों के प्रतिफल के लिए वाद भूमि वादी को बेचने का करार किया। उक्त राशि 1500/- रुपयों को प्राप्त करने के बाद और करार निष्पादित करते हुए जिसमें उल्लेख किया गया था कि रघु ने प्रतिफल राशि प्राप्त किया और वादी को वाद भूमि का कब्जा दिया है और आगे उल्लिखित किया गया था कि ज्योंही रघु स्वस्थ होगा वह वादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करेगा और यदि विक्रय विलेख निष्पादित करने के पहले रघु की मृत्यु हो जाती है, करार विलेख विक्रय विलेख माना जाए, वादी को 30.4.1961 को वाद भूमि का कब्जा दिया। वादी का मामला यह है कि तब से वादी वाद भूमि पर निरंतर एवं अबाधित काबिज बना हुआ है। वादी का मामला यह भी है कि रघु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रोहिणी देवी वाद की प्रतिवादी सं० 1 ने प्रतिवादी सं० 2 हुरो महतो के साथ विवाह किया और युगल रघु के घर में रहा किंतु 30.3.90 को क्योंकि प्रतिवादियों ने वादी को वाद भूमि से बेदखल करने की धमकी दिया, वादी ने वाद दाखिल किया। प्रतिवादी सं० 1 से 4 एवं 9 ने सामान्य दृष्टिकोण लेकर वाद का प्रतिवाद किया। प्रतिवादियों के अनुसार प्रतिवादी सं० 1 रोहिणी देवी ने रघु की मृत्यु के बाद विवाह कभी नहीं किया और चूँकि रघु की मृत्यु निःसंतान हो गयी, उसने उसका एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते संपत्ति विरासत में पाया। उन्होंने 1500/- रुपयों की अल्प राशि के लिए वादी के पक्ष में रघु द्वारा किसी विक्रय विलेख अथवा विक्रय करार के निष्पादन से भी इनकार किया। यद्यपि 11 विवाद्यक विरचित किए गए थे, वाद के मुख्य विवाद्यक 5, 6 एवं 7 थे जो निम्नलिखित हैं:–

(5) D;k oknh djkj d vkèkkj ij okn Hkfe ij dkfct gvk\ D;k djkj d vkèkkj ij oknh dk dkb vfHkèkku lØkr gvk g

(6) D;k j?k egrk }kjk fu"ikfnr djkj fofèkd ,o oèk g ;k ugh

(7) D;k j?k egrk }kjk oknh f[kfj;k noh d i{k e djkj fu"ikfnr fd;k x;k Fkk

fo}ku fopkj.k U;k;ky; }kjk leLr fook|d oknh d fo:) fofuf'pr fd, x, FkA

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक सं० 6 एवं 7 को एक साथ लिया और अभिलेख पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि रघु महतो ने वादी के पक्ष में कोई करार निष्पादित नहीं किया है और इसलिए अभिकथित करार वैध एवं बाध्यकारी नहीं है और विधि के निबंधनानुसार विधितः निष्पादनीय नहीं है। जहाँ तक विवाद्यक सं० 5 का संबंध है, विद्वान अवर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी को प्रश्नगत भूमि का कब्जा कभी नहीं दिया गया था और उक्त करार द्वारा वादी को अभिधान प्रोद्भूत नहीं हुआ है।

4. अभिधान अपील सं० 36 वर्ष 1996 में विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय अर्थात् अपर जिला न्यायाधीश, एफ० टी० सी०, सप्तम, गिरीडीह ने अपील में लिए गए आधारों की दृष्टि में समस्त पहलुओं पर चर्चा एवं विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों पर पूरी तरह विचार एवं चर्चा करने के बाद विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के साथ सहमत हुआ और विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं पाया था और अपील खारिज कर दिया।

5. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री मंजुल प्रसाद ने अवर अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री का अवैध तथा अभिलेख पर मौजूद तथ्यों एवं साक्ष्यों को विपरीत

होने के रूप में विरोध किया और निवेदन किया कि चूँकि करार जिसके द्वारा वादी को वाद भूमि का कब्जा दिया गया था को विधित: अनिष्पादनीय अभिनिर्धारित किया गया था, अत: वादी का कब्जा प्रतिकूल बन गया है और उसने प्रतिकूल कब्जा के रूप में अपना अभिधान पुख्ता किया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सामग्रियों पर विचार नहीं किए जाने के कारण दूषित हो गया है।

6. प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजनंदन सहाय ने निवेदन किया कि वादी ने वाद पत्र में प्रतिकूल कब्जा का अभिवचन नहीं किया है और वाद पत्र में यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि किस तिथि से भूमि के अभिधान धारक के मुकाबले वादी का कब्जा प्रतिफल बन गया है, अत: वादी का अभिवचन एवं साक्ष्य उसके पक्ष में प्रतिकूल कब्जा की डिक्री पारित करने के लिए अपर्याप्त है। आगे यह निवेदन किया गया है कि वादी का मामला यह होने के नाते कि वह दिनांक 30.4.1961 के भूमि के विक्रय के करार के रूप में रघु महतो की अनुज्ञेय कब्जा में थी और केवल 30.3.1990 से प्रतिवादी के विरूद्ध उसका कब्जा विरूद्ध था, अत: वादी किसी अनुतोष का हकदार नहीं है।

7. पक्षों को सुनने के बाद तथा अवर न्यायालयों के आक्षेपित निर्णयों एवं डिक्रियों सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद मैं पाता हूँ कि विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में समस्त प्रासंगिक तथ्यों, साक्ष्यों एवं सामग्रियों पर विचार किया है और उसके आधार पर तथ्य के निष्कर्ष पर आया है कि वादी करार पर रघु महतो के अंगूठा का निशान सिद्ध करने में विफल रहा है और कि वादी वाद भूमि पर वास्तविक कब्जा सिद्ध करने में विफल रहा है। विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री में केवल इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है कि अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सामग्रियों जिन्हें विनिर्दिष्ट करने में अपीलार्थी विफल रहा पर विचार नहीं किया है। **अरूमुगम एवं अन्य बनाम सुन्दरमबल एवं एक अन्य, (1999)4 SCC 350,** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वितीय अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा विरचित तथा विनिश्चित किए जाने के लिए विधि के किसी सारवान प्रश्न को उद्भूत करने वाले विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में कोई अवैधता अथवा गलती इंगित नहीं कर सके थे। तद्नुसार, द्वितीय अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है किंतु परिस्थितियों में किसी व्यय के बिना।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] ,ñ lhñ tñ ,o vferkHk dñ xlrk] U;k;efr

जनक सिंह मुंडा एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No.500 With I.A. No.7011 of 2016. Decided on 14th November, 2017.

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894—धाराएँ 11, 16 एवं 17—भूमि अर्जन के लिए मुआवजा की मूल राशि पर ब्याज के लिए दावा का अस्वीकरण—धारा 4 अधिसूचना एक चीज है तथा

कब्जा लिया जाना बिलकुल दूसरी चीज—भले ही अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी, भूमि का उपयोग भूमि धारक को अनुज्ञेय है—अपीलार्थीगण (मूल याचीगण) यह तथ्य स्थापित नहीं कर सके थे कि अधिनियम 1894 की धारा 17 के प्रावधान का अवलंब लेकर सरकार द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा लिया गया था—लेटर्स पेटेन्ट अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 5 से 8)

अधिवक्तागण.—M/s Ritu Kumar, Vikash Kumar, For the Appellants; Mr. Atanu Banerjee, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, ए॰ सी॰ जे॰.—

आई॰ ए॰ सं॰ 7011 वर्ष 2016

यह अंतर्वर्ती आवेदन इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल करने में 34 दिनों के विलंब की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दाखिल किया गया है।

2. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर तथा इस अंतर्वर्ती आवेदन में कथित कारणों, विशेषत: पैराग्राफ सं॰ 2 में, देखते हुए विलंब की माफी के लिए युक्तियुक्त कारण हैं। अत: हम इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल करने में 34 दिनों का विलंब माफ करते हैं।

3. आई॰ ए॰ सं॰ 7011 वर्ष 2016 अनुज्ञात की जाती है एवं निपटायी जाती है।

एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 500 वर्ष 2016

यह लेटर्स पेटेन्ट अपील मूल याचीगण द्वारा दाखिल की गयी है जिनकी रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4563 वर्ष 2014 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 1.8.2016 के निर्णय एवं आदेश के तहत खारिज की गयी है जिसके द्वारा अर्जित भूमि के लिए मुआवजा की मूल राशि पर ब्याज का दावा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, अत: मूल याचीगण द्वारा यह लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल की गयी है।

2. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (संक्षिप्तता के लाभ के लिए इसमें इसके उपरांत 'अधिनियम 1894' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 4 के अधीन अर्जित की गयी थी और आरंभ में 10.12.1987 को अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी। उक्त अर्जन कार्यवाही अनुबंधित समय के भीतर पूरी नहीं की जा सकी थी, अत: यह बीत गयी थी।

3. पुन:, अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन भूमि अर्जन कार्यवाही शुरू की गयी थी और अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी किंतु यह भी पुन: बीत गयी थी।

4. तीसरी बार भूमि अर्जन कार्यवाही आरंभ की गयी थी और अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना 31.7.2003 को प्रकाशित की गयी थी और अंतत: अधिनिर्णय पारित किया गया था और 15,47,780/- रुपयों का मुआवजा भूधारकों—मूल याचीगण—अपीलार्थीगण को अधिनिर्णीत किया गया था और इन अपीलार्थियों द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया है।

5. अब, मुख्यत: इस कारण से कि आरंभ में अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना 10.12.1987 को प्रकाशित की गयी थी, अत: वर्ष 1988 से ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए, 15,47,780/- रुपयों की मूल राशि पर ब्याज पाने के लिए इन अपीलार्थियों द्वारा रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4563 वर्ष 2014 दाखिल की गयी थी। यह प्रतिवाद इस न्यायालय द्वारा मुख्यत: इन कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है:—

(a) èkkjk 4 vfèklpuk ,d pht g vkj dCtk fy;k tkuk fcydy fHkUu pht g(

(b) Hky gh vfèkfu;e 1894 dh èkkjk 4 d vèkhu vfèklpuk çdkf'kr dh x;h Fkh] Hkfe èkkjd }kjk Hkfe dk mi;kx vuK; gA

(c) vfèkfu;e] 1894 dh èkkjk 16 d erkfcd doy vfèkfu;e 1894 d èkkjk 11 d vèkhu vfèkfu.k; ikfjr fd, tku d ckn gh ljdkj }kjk vfèkfu;e] 1894 dh èkkjk 17 d vèkhu vyx dj fudky x, viokn d lkFk lkekU; n'kk e dCtk fy;k tk ldrk g vkj vihykFkhx.k (ey ;kphx.k) bfxr ugh dj ld Fk fd D;k o"k 1987 e çklfxd le; ij ljdkj }kjk vfèkfu;e] 1894 dh èkkjk 17 d çkoèkku dk voyc fy;k x;k Fkk ;k ughA

6. पूर्वोक्त कारणों की दृष्टि में, ये अपीलार्थीगण (मूल याचीगण) यह तथ्य स्थापित नहीं कर सके थे कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा सरकार द्वारा अधिनियम, 1894 की धारा 17 का अवलंब लेकर किया गया था।

7. इन अपीलार्थियों का मुआवजा की मूल राशि पर ब्याज का दावा खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामला के पूर्वोक्त पहलू पर समुचित रूप से विचार किया गया है और हम विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण लेने का कारण नहीं देखते हैं। रिट याचिका डब्लू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4563 वर्ष 2014 दिनांक 1.8.2016 के आदेश के तहत विनिश्चित करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलती नहीं की गयी है। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारणों से पूर्णत: सहमत हैं।

8. इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में सार नहीं है, अत: इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pæ'k[kj] U;k;efr

बिजय महतो

cuke

सूरज राम महतो एवं एक अन्य

W.P.(C) No. 2441 of 2017. Decided on 7th December, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 6 नियम 17—वादपत्र का संशोधन—वादी के वाद संपत्ति पर अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा की डिक्री के लिए और इस घोषणा कि प्रतिवादी आनुग्रहिक अनुज्ञप्तिधारी के रूप में वाद संपत्ति का अधिभोग कर रहा है के लिए वाद—न्यायालय अभिवचनों में संशोधन अनुज्ञात कर सकता है यदि यह पाया जाता है कि मामला जिसे अभिवचन में सम्मिलित किया जाना इप्सित किया गया है का अभिवचन पक्ष द्वारा नहीं किया जा सका था और यह अन्य पक्ष पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा—वादी प्रस्तावित संशोधन द्वारा अनुतोष भाग में संशोधन इप्सित नहीं करता है—उन्होंने अभिवचन किया है कि अनवधानता के कारण वाद संपत्ति का वर्णन गलत रूप से उल्लिखित किया गया था—प्रतिवाद कि वाद भूमि की खाता संख्या में परिवर्तन प्रतिवादी पर गंभीर प्रतिकूलता कारित करेगा, अस्वीकार किए जाने का दायी है—प्रतिवादी की चिंता दूर की जाती है जब एक बार प्रतिवादी को अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है—क्या वादीगण का

संशोधित वाद भूमि पर अधिकार, अभिधान एवं हित है, ऐसा विवाद्यक है जिसे विचारण के दौरान सुलझाया जा सकता है—इस चरण पर जब वादीगण ने अपने गवाहों का परीक्षण अभी तक नहीं किया है, वाद पत्र में वादीगण द्वारा सम्मिलित किए जाने के लिए इप्सित दावा के गुणागुण का न्यायालय द्वारा संवीक्षण नहीं किया जा सकता है—रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Jitendra Kumar Pasari, For the Petitioner; Mr. Rajendra Prasad, For the Respondents.

आदेश

दिनांक 13.4.2017 के आदेश जिसके द्वारा वादपत्र में संशोधन के लिए आवेदन अनुज्ञात किया गया है से व्यथित होकर प्रतिवादी इस न्यायालय के पास आया है।

2. अभिधान वाद सं० 268 वर्ष 2013 वाद संपत्ति पर वादीगण के अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा की डिक्री के लिए और इस घोषणा कि प्रतिवादी आनुग्रहिक अनुज्ञप्तिधारी के रूप में वाद संपत्ति का अधिभोग कर रहा है के लिए दाखिल किया गया था। वाद संपत्ति की कब्जा की वापसी के लिए डिक्री और अंत:कालीन लाभ के रूप में 10,400/- रुपयों के भुगतान के लिए भी प्रार्थना की गयी है। वादीगण का दावा है कि मौजा हीरापुर के अंतर्गत सी० एस० खाता सं० 37 से संबंधित सी० एस० भूखंड सं० 208 से गठित भूमि धारू महतो एवं उसके पुत्रों/पौत्रों की संयुक्त अचल संपत्ति थी जिसके बँटवारा के लिए अभिधान (बँटवारा) वाद सं० 66 वर्ष 1931 संस्थित किया गया था। यह अभिवचन किया गया है कि रशिक महतो के पाँच पुत्रों के बीच उसकी मृत्यु के बाद पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से मैत्री पूर्ण बँटवारा हुआ था और प्रतिवादी विजय महतो ने धन की अत्यावश्यकता के कारण लाइसेंसशुदा परिसर बेचने का निर्णय किया। विक्रय प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और यह बहुमूल्य प्रतिफल के लिए दिनांक 15.10.1966 के विक्रय विलेख के रजिस्ट्रेशन में समाप्त हुआ। प्रतिवादी ने वाद संपत्ति पर उनके अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए वादीगण का दावा प्रतिवादित करते हुए लिखित कथन दाखिल किया। प्रतिवादी ने अभिवचन किया कि वह लाइसेंस शुदा परिसर खाली करने का दायी नहीं है क्योंकि अभिधान (बँटवारा) वाद सं० 66 वर्ष 1931 में अंतिम डिक्री तैयार नहीं की गयी थी। लंबित वाद में, विवाद्यकों को सुलझाए जाने के बाद वाद पत्र में पैराग्राफ 9 के अंत में निम्नलिखित पैराग्राफ सम्मिलित करने के लिए दिनांक 24.11.2016 का आवेदन दाखिल किया गया था:–

> *^^;gk ;g mYys[kuh; g fd 7 fMlfey dy {k=Qy l xfBr okn Hk[kM l0 2088 ektk l0 7, ektk ghjkij d lh0 ,l0 [kkrk l0 37 l lcfèkr g tlk 19 tuojh] 1925 dk vfre :i l çdkf'kr lh0 ,l0 vfèkdkj vfHky[k dh çek.k if=r çfr l Li"V gkxk fdr çek.kif=r çfr d çklfxd i"B ij tgk Hk[kM l0 2088 lkeu vkrk g] [kkrk l[;k xyr :i l [kkrk l0 20 d :i e mfYyf[kr fd;k x;k g vkj foy[k y[kd u lh0 ,l0 vfèkdkj vfHky[k d çklfxd i"B dk vun[kk djr g, vuoèkkurkiod Hk[kM l0 2088 d fy, [kkrk l0 20 mfYyf[kr fd;k fdr [kfr;ku vFkok [kkrk l[;k dh ,lh xyrh fofèk dh nf"V e ifj.kkeghu gA***

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार पसारी प्रतिवाद करते हैं कि प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में अपना दृष्टिकोण प्रकट करने के बाद वादीगण अब वाद भूमि का वर्णन बदलने का आशय रखते हैं जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि वस्तुत: संशोधन के लिए आवेदन दाखिल किया गया था जब वादीगण के साक्ष्य के लिए मामला नियत किया गया था।

4. साधारणत: अभिवचनों में संशोधन का अर्थ उदारतापूर्वक लगाया जाएगा और इसे सुनवाई के अंतिम चरण पर भी अनुज्ञात किया जा सकता है। परीक्षा यह है कि क्या अभिवचनों में संशोधन वाद

में अंतर्ग्रस्त विवाद के अंतिम न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक है। किंतु सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन न्यायालय की शक्ति इस प्रावधान के परन्तुक द्वारा सीमित है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 का परन्तुक आज्ञापक है, किंतु न्यायालय अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दे सकता है यदि यह पाया जाता है कि मामला जिसे अभिवचनों में सम्मिलित किया जाना इप्सित किया गया है का अभिवचन पक्ष द्वारा नहीं किया जा सका था और यह अन्य पक्ष पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा। स्वीकृत तथ्यों पर वादीगण को अभी भी अपने गवाहों का परीक्षण करना था जब संशोधन के लिए आवेदन दाखिल किया गया था। वादीगण प्रस्तावित संशोधन द्वारा अनुतोष भाग में संशोधन इप्सित नहीं करते हैं, उन्होंने अभिवचन किया है कि अनवधानता के कारण वाद संपत्ति का वर्णन गलत रूप से उल्लिखित किया गया था। प्रतिवाद कि वाद भूमि की खाता संख्या में परिवर्तन प्रतिवादी पर गंभीर प्रतिकूलता कारित करेगा, अस्वीकार किए जाने का दायी है। प्रतिवादी की चिंता दूर की जाती है जब एक बार प्रतिवादी को अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। क्या वादीगण का संशोधित वाद भूमि पर अधिकार, अभिधान एवं हित है, ऐसा विवाद्यक है जिसे विचारण के दौरान सुलझाया जा सकता है जिसके लिए पक्षगण साक्ष्य देंगे। इस चरण पर, जब वादीगण ने अभी तक अपने गवाहों का परीक्षण नहीं किया है, वादीगण द्वारा वाद पत्र में सम्मिलित किए जाने के लिए इप्सित दावा के गुणागुण का न्यायालय द्वारा संवीक्षण नहीं किया जा सकता है।

5. पूर्वोक्त तथ्यों में, दिनांक 13.4.2017 के आक्षेपित आदेश को चुनौती में गुणागुण नहीं पाते हुए रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

बिरेन्द्र कुमार सिन्हा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No.3826 of 2008. Decided on 5th December, 2017.

सेवा विधि—वेतन—याची ने कुछ माह के लिए वेतन के भुगतान के लिए और मेडिकल बिल तथा स्टांप, टिकट, स्टेशनरी एवं अन्य विविध कार्यों के लिए वाउचर का भी भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देने की प्रार्थना किया है—जहाँ तक वेतन बकाया का संबंध है, इसका भुगतान कर दिया गया है—किंतु 9,011/- रुपया के मेडिकल बिल के संबंध में न्यायालय प्रत्यर्थियों को ग्राह्य मेडिकल व्यय का भुगतान करने का निर्देश देने का इच्छुक है—जहाँ तक 30.11.2000 से जुलाई, 2004 तक वेतन के बकाया का संबंध है, निदेशक, कृषि इस पर विचार करेंगे और विधि के अनुरूप समुचित आदेश पारित करेंगे और उस पर लिया गया निर्णय याची को संसूचित करेंगे। (पैराएँ 5, 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.—2010 (2) JCR 64 (Jhr)—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Krishna Shankar, For the Petitioner; Mr. Sarvendra Kumar, For the Resp.-State.

आदेश

संलग्न रिट आवेदन में याची ने रिट आवेदन के परिशिष्ट 6 के तहत निदेशक, कृषि द्वारा पारित दिनांक 17.9.2007 के आदेश की दृष्टि में जनवरी 1993, 1.6.1994, जनवरी 2000 के वेतन के भुगतान तथा 3.3.2003 से 14.7.2004 तक और 18.11.2005 से 15.1.2006 तक वेतन के बकाया

के भुगतान एवं 9011/- रुपयों के मेडिकल बिल तथा स्टांप, टिकट, स्टेशनरी एवं अन्य विविध कार्यों के लिए 20,747.28/- रुपयों के वाउचर के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देने की प्रार्थना किया है और याची ने आगे रिट आवेदन के परिशिष्टों 7 एवं 8 के तहत दिनांक 19.10.2005 तथा 23.8.2006 के आदेश के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है।

2. रिट आवेदन में यथा प्रकट संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जब याची निरीक्षक, वजन एवं माप, टेलको, जमशेदपुर के कार्यालय में पदस्थापित था, जनवरी 1993 के लिए उसके वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। इसी प्रकार से, जब वह चास में पदस्थापित था, उसे जनवरी 2000 तथा जून 1994 में एक दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। निदेशक, कृषि ने सहायक निदेशक, कृषि-सह-उपनियंत्रक, वजन एवं माप, हजारीबाग को दिनांक 1.6.1994 के लिए आकस्मिक अवकाश मंजूर करने तथा तद्नुसार के भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। परिवाद मामला के कारण, याची को 27.1.2003 को निलंबित किया गया था, जब वह चास में पदस्थापित था और निलंबन का उक्त आदेश 3.3.2003 के प्रभाव से 13.7.2004 को प्रतिसंहृत किया गया था। प्रश्नगत अवधि के लिए वेतन के गैर भुगतान के कारण याची वेतन एवं मेडिकल बिल, स्टेशनरी बिल जैसे अन्य देयों के भुगतान के संबंध में डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4163 वर्ष 2005 में पहले इस न्यायालय के पास आया जिसे दिनांक 9.9.2005 के आदेश के तहत निपटाया गया था। याची पुनः डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 539 वर्ष 2006 में इस न्यायालय के पास आया और रिट याचिका 13.6.2006 को निपटायी गयी थी। रिट आवेदन के निपटान के अनुसरण में, याची ने 25.7.2007 को अभ्यावेदन दाखिल किया। चूँकि पूर्वोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था, याची ने अवमान याचिका दाखिल किया। अवमान कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, रिट याचिका के परिशिष्ट 9 के तहत सचिव, कृषि विभाग एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 18.1.2008 का आदेश पारित किया गया था जिसके आधार पर अवमान कार्यवाही छोड़ दी गयी थी। उसकी शिकायत दूर नहीं करने में प्रत्यर्थियों की निष्क्रियता के कारण याची कोई अन्य वैकल्पिक, प्रभावकारी एवं त्वरित उपचार नहीं होने के चलते भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के पास आया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण शंकर ने तर्क के दौरान निवेदन किया कि रिट याचिका के परिशिष्ट 6 के तहत निदेशक, कृषि द्वारा पारित दिनांक 17.9.2007 के आदेश की दृष्टि में याची वेतन के बकाया तथा मेडिकल बिल एवं स्टेशनरी बिल जैसे अन्य बकाया का हकदार है। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रिट याचिका के परिशिष्टों 7, 8 एवं 9 के तहत पारित आदेश की दृष्टि में आक्षेपित आदेश आधारहीन है और अपास्त किए जाने का दायी है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं। कि याची को ग्राह्य देयों का भुगतान नहीं करने में प्रत्यर्थियों की कार्रवाई शक्ति का मनमाना प्रयोग है। याची के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि प्रत्यर्थी ने इस बहाने पर आदेश पारित किया है कि बोकारो जेनरल अस्पताल (बी॰ जी॰ एच॰), बोकारो स्टील सिटी सरकारी कर्मचारी के लिए सूचीबद्ध नहीं होने के कारण मेडिकल बिल के प्रयोजन से स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता है। इस संबंध में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने **झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम जैकब सैमुअल एवं अन्य, 2010(2) JCR 64 (Jhr.)** में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

4. याची द्वारा किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थियों की ओर से दिनांक 11.12.2009 का पूरक प्रतिशपथ पत्र दखिल किया गया है। अन्य बातों के साथ यह निवेदन किया गया है कि बोकारो

जेनरल अस्पताल, बोकारो स्टील सिटी मेडिकल बिल के प्रयोजन से झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंजूरी प्रदान करने के लिए सरकारी कर्मचारी के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है जैसा उक्त शपथपत्र के परिशिष्ट A के तहत दिनांक 15.9.2006 के पत्र से स्पष्ट है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची स्टांप आदि खरीदने के लिए प्राधिकृत नहीं है क्योंकि याची लिपिकीय स्टाफ है। लिपिकीय स्टाफ केवल कार्यालय अध्यक्ष अथवा नियंत्रक अधिकारी द्वारा अनुमति/प्राधिकरण पर यह काम कर सकते हैं। वर्तमान मामला में, याची ने कार्यालय अध्यक्ष अथवा नियंत्रक अधिकारी का सम्यक अनुमति नहीं लिया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि जनवरी, 1993 के वेतन का भुगतान पहले ही सहायक नियंत्रक, वजन एवं माप, धनबाद द्वारा लिखे गए दिनांक 2.8.2009 के विपत्र सं॰ 9 एवं 10 के माध्यम से किया जा चुका है। प्रतिशपथ पत्र में किए गए निवेदनों को दोहराते हुए प्रत्यर्थियों द्वारा दिनांक 2.11.2017 का पूरक प्रतिशपथपत्र भी दाखिल किया गया है।

5. प्रत्यर्थी राज्य के एस॰ सी॰ (एल॰ एन्ड सी॰) के विद्वान जे॰ सी॰ श्री सर्वेन्द्र कुमार ने निवेदन किया है कि जहाँ तक वेतन के बकाया का संबंध है, इसका भुगतान किया गया है जैसा प्रतिशपथ पत्र में बताया गया है किंतु मेडिकल बिल के संबंध में यह झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 15.9.2006 के परिपत्र की दृष्टि में प्रतिशपथ पत्र में किए गए स्पष्ट निवेदनों के कारण अनुज्ञेय नहीं है।

6. परस्पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख के परिशीलन पर यह न्यायालय याची के वेतन बकाया एवं अन्य विविध व्यय में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है। किंतु 9011/- रुपयों के मेडिकल बिल के संबंध में यह न्यायालय रिट याचिका के परिशिष्ट 5 के मुताबिक ग्राह्य मेडिकल व्यय का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देने का इच्छुक है जिसका अनुमोदन निदेशक, कृषि (प्रत्यर्थी सं॰ 2) द्वारा भी किया गया है। इस न्यायालय का दृष्टिकोण **जैकब सेमुअल (ऊपर)** में निर्णय द्वारा सुदृढ़ होता है। मामला के उस दृष्टिकोण में, प्रत्यर्थियों विशेषत: प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 को रिट याचिका के परिशिष्ट 5 के मुताबिक ग्राह्य मेडिकल बिल के भुगतान के लिए 12 सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

7. जहां तक 30.11.2000 से जुलाई, 2004 तक वेतन बकाया का संबंध है, याची समस्त प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए आज के दिन से छह सप्ताह की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता इप्सित करता है। और उक्त अभ्यावेदन की प्राप्ति पर प्रत्यर्थी सं॰ 2 इस पर विचार करेगा एवं विधि के अनुरूप समुचित आदेश पारित करेगा और लिया गया निर्णय याची को संसूचित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याची की शिकायत वास्तविक पायी जाती है और वह विधित: भुगतेय वेतन बकाया का हकदार है, तत्पश्चात दो सप्ताह की अवधि के भीतर याची को इसका भुगतान किया जाएगा।

8. तद्नुसार, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Jh pæ'k[kj] U;k;efr

विजय कुमार शास्त्री

cuke

प्रतिभा सिंह

W.P.(C) No.3062 of 2017. Decided on 22nd November, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 26, नियम 9—प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति—भूमि पर वादी के अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा इप्सित करने वाला वाद—अनुसूची 'सी॰' भूमि का खास कब्जा दिया जाना इप्सित करते हुए वादी द्वारा इप्सित अनुतोष न्यायालय द्वारा वादी के अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा पर निर्भर है—अंतिम तर्क के चरण पर वादी के अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए वाद में प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति वाद जो मुख्यत: अभिधान के परस्पर विरोधी दावा के इर्द गिर्द घूमता है में अंतर्ग्रस्त विवाद को न्यायनिर्णीत करने में न्यायालय की मदद नहीं करेगी—आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 3, 4 एवं 5)

निर्णयज विधि.—2004 (16) AIC 230 (BOM.,H.C.-N.B.)—Distinguished; [2015(151) AIC 373 (Kant., H.C.); [2011 (3) JCR 107 (Jhr)]—Referred.

अधिवक्तागण.—Mr. Shresth Gautam, For the Petitioner; M/s Ram Prakash Singh, Tarun Kumar, For the Respondent.

आदेश

अभिधान वाद सं॰ 520 वर्ष 2012 में पारित दिनांक 18.2.2017 के आदेश जिसके द्वारा प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति के लिए आवेदन अनुज्ञात किया गया है से व्यथित होकर याची ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है।

2. अभिधान वाद सं॰ 520 वर्ष 2012 अनुसूची 'सी॰' संपत्ति पर अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा की डिक्री के लिए और वाद संपत्ति से प्रतिवादी को बेदखल करने के बाद अनुसूची 'सी॰' भूमि का खास कब्जा दिए जाने के लिए प्रतिभा सिंह ने वाद संस्थित किया था। वादी ने दावा किया है कि वर्ष 1955 में किसी बीबी दुल्हन उर्फ रहीमन बीबी ने आर॰ एस॰ भूखंड सं॰ 595 से गठित भूमि किसी रंजीत कुमार सिन्हा को बहुमूल्य प्रतिफल पर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से बेचा एवं अंतरित किया जिसके बाद खरीदार वाद भूमि पर खास काबिज हुआ। वादी ने दावा किया है कि दिनांक 21.6.1975 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के फलस्वरूप उसने कुल 2.44 एकड़ क्षेत्र में से भूखंड सं॰ 595, खाता सं॰ 9,खेवट सं॰ 28 से उप-भूखंड सं॰ 595/ II में 9 डिसमिल भूमि खरीदा। उक्त भूमि ग्राम हीनू, पी॰ एस॰ डोरन्डा, जिला, राँची में अवस्थित है। वादी रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से 11.6.1976 को 11 कठ्ठा 3 छटाँक भूमि खरीदने का दावा भी करता है। यह भूमि अनुसूची 'बी॰' भूमि है, प्रत्यर्थी ने यह अभिवचन करते हुए वाद का प्रतिवाद किया कि वर्ष 1955 में निष्पादित विक्रय विलेख के फलस्वरूप रंजीत कुमार सिन्हा उसमें गठित भूमि पर काबिज कभी नहीं हुआ बल्कि प्रतिवादी ग्राम हिनू में उप-भूखंड सं॰ 595/I से गठित संपत्ति पर काबिज था और 'ह्वाइट हाउस' नामक भवन निर्मित किया जो स्व॰ गजेन्द्र सिंह शास्त्री के कब्जा में बना रहा। प्रतिवादी ने अभिधान की घोषणा के लिए वादी के दावा का प्रतिरोध इस आधार पर किया कि 55 वर्ष बीत जाने के बाद वादी 15 x 114 वर्गफीट भूमि पर प्रतिवादी के कब्जा वाली भूमि पर दावा नहीं कर सकता है। विचारण के दौरान पक्षों ने अपना साक्ष्य दिया और जब वाद अंतिम तर्क के लिए नियत किया था, सर्वेक्षण ज्ञाता प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXVI नियम 9 के अधीन दिनांक 4.10.2016 का आवेदन दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 18.2.2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा अनुज्ञात किया गया था।

3. अभिधान वाद सं॰ 520 वर्ष 2012 मुख्यत: वादी के अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा इप्सित करने वाला वाद है। अनुसूची 'सी॰' भूमि का खास कब्जा दिया जाना इप्सित करते हुए वादी द्वारा इप्सित अनुतोष न्यायालय द्वारा वादी के अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा पर निर्भर है। वाद अनुसूची

भूमि चौहद्दी अंतर्विष्ट करती है और अभिधान वाद सं॰ 520 वर्ष 2012 के विचारण के दौरान इस विवाद्यक पर पक्षों ने अपना साक्ष्य दिया है। इस चरण पर इस आधार पर कि किसी मामला को स्पष्ट करने के लिए अथवा किसी अन्य मामला को अभिनिश्चित करने के लिए अधिक विशेषत: सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXVI नियम 9 के अधीन यथा परिकल्पित स्थानीय निरीक्षण आदेश किया जा सकता है, भूखंड सं॰ 595(1) की माप करके विवादित मामला स्पष्ट करने के लिए मेरे मत में विचारण न्यायालय द्वारा सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXVI नियम 9 के अधीन प्रदत्त अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए गलती की गयी थी। उप भूखंड सं॰ 595/I की माप की आवश्यकता केवल निष्पादन के समय पर और न कि उसके पहले उद्भूत हो सकती है वादी के अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के बिना विवादित अनुसूची 'सी॰' भूमि का कब्जा वादी को नहीं दिया जा सकता है। **किशनलाल मनिकलाल रथी बनाम दिनकर यशवन्त पाटिल, 2004(16) AIC 230 (Bom, H.C.-N.B.)** पर विश्वास मान्य नहीं है क्योंकि उक्त मामला में तथ्य अभिधान वाद सं॰ 520 वर्ष 2012 में प्रकट किए गए तथ्यों से बिलकुल भिन्न हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **ए॰ सी॰ अनंथास्वामी बनाम ए॰ आर॰ चंद्रप्पा एवं एक अन्य, 2015 (151) AIC 373 (Kant. HC)** में निर्णय पर भी विश्वास किया गया है। प्रत्यथी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **गोबिन्द साहू बनाम बैजनाथ साहू एवं अन्य, 2011(3) JCR 107 (Jhr.)** के प्रति निर्देश दिनांक 18.2.2017 के आक्षेपित आदेश के समर्थन में प्रत्यर्थी का मामला अग्रसर नहीं करता है।

4. अंतिम तर्क के चरण पर, वादी के अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए वाद में, प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति वाद जो मुख्यत: अभिधान के विरोधी दावा के इर्द गिर्द घूमता है में अंतर्ग्रस्त विवाद न्याय निर्णीत करने में न्यायालय की मदद नहीं करेगा।

5. उक्त तथ्यों में, दिनांक 18.2.2017 के आक्षेपित आदेश में गंभीर दुर्बलता पाते हुए इसे अपास्त किया जाता है। रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vfuy dekj pkèkjh] U;k;efrx.k

अंडू सिंह

cuke

झारखण्ड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No.1499 of 2004. Decided on 31st January, 2018.

सत्र मामला सं॰ 20 वर्ष 2001 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰), लातेहार द्वारा पारित दिनांक 21.7.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 23.7.2004 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या—आजीवन कारावास—अ॰ सा॰ 3 के माध्यम से अभियोजन द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय है और वह घटना का एकमात्र गवाह है—वह स्वाभाविक गवाह है—उसके परिसाक्ष्य का तात्विक भाग उसके प्रतिपरीक्षण में चुनौतीहीन बना हुआ है—यह ऐसा मामला है जहाँ अभियोजन को तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं करने में पुलिस की ओर से ढिलाई के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए और कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है—विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त अपीलार्थी को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है—अपील खारिज की गयी।

(पैराएँ 19 एवं 21)

निर्णयज विधि.–(1995)5 S.C.C. 518; 2014 (3) JBCJ 115 (SC) : (2013)12 SCC 529; 2016 (2) JBCJ 95 (HC) : 2015(4) JLJR 599; (2016)10 SCC 537—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. A. K. Chaturvedi, For the Appellant; Mr. Sanjay Kumar Pandey, For the State.

अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील सत्र मामला सं॰ 20 वर्ष 2001 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰), लातेहार द्वारा पारित दिनांक 21.7.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 23.7.2004 के दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है और कठोर आजीवन कारावास भुगतने तथा 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने तथा जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में एक वर्ष का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. बंस राज सिंह की प्राथमिकी के आधार पर आरंभ किया गया अभियोजन मामला यह है कि 1.7.2000 को अपराह्न लगभग 5 बजे सूचक अपने ''ढाबा'' में बैठा हुआ अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था। इस बीच अभियुक्त अंडू सिंह जो सूचक का भतीजा है, अपना दोनों हाथ अपने शरीर के पीछे किए हुए वहाँ आया और उसकी पत्नी के मस्तक पर उसके मस्तक को धड़ से अलग करते हुए उसकी तुरन्त मृत्यु कारित करते हुए टांगी से दो लगातार वार किया। जब सूचक ने हल्ला किया, तब अभियुक्त ने सूचक की हत्या करने का निरर्थक प्रयास किया किंतु सूचक भागने में सफल रहा। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि अभियुक्त उसकी पत्नी को डायन कह रहा था क्योंकि अभियुक्त के भाई पेहट सिंह की मृत्यु साँप काटने से हो गयी।

3. प्रथम प्राथमिकी के आधार पर, पर मानिका पी॰ एस॰ केस॰ सं॰ 23 वर्ष 2000, जी॰ आर॰ सं॰ 185 वर्ष 2000 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दर्ज किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने मामला में आरोप-पत्र दाखिल किया।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने पर एकमात्र अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्त के निर्दोषिता का अभिवचन करने और विचारण किए जाने का दावा करने पर उसका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन ने इस मामला में 13 गवाहों का परीक्षण किया है और बचाव की ओर से एक गवाह का परीक्षण किया गया है।

5. अ॰ सा॰ 3 बंस राज सिंह इस मामले का सूचक है जो मृतका रूपनी देवी का पति है। उसने कथन किया है कि घटना एक वर्ष से अधिक पुरानी है। वह अपनी पत्नी के साथ अपने सड़क किनारे स्थित होटल में बैठा था। अंडू सिंह उसके पास आया उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जिसे उसने अपने पीछे छुपाया हुआ था। वह आया और उसकी पत्नी की गर्दन पर हमला किया और उसने उस पर भी हमला करने का प्रयास किया किंतु अ॰ सा॰ 3 बच निकला। अंडू सिंह ने उसकी पत्नी को डायन कहा और कुल्हाड़ी से उसपर हमला किया। अंडू सिंह ने अभिकथित किया कि उसकी पत्नी ने उसके भाई पर जादू टोना किया है। मृतका की मृत्यु हो गयी क्योंकि उसे कुल्हाड़ी से काटा गया था और उसका मृत शरीर पुलिस थाना ले जाया गया था। चौकीदार भी उसके साथ था। अ॰ सा॰ 3 ने इंसपेक्टर को घटना की सूचना दी और इंसपेक्टर ने उसका बयान दर्ज किया और उसके अंगूठे का निशान लिया। उसने न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से दो बार हमला किया। मृत शरीर से मस्तक अलग नहीं किया गया था। केवल थोड़ा सा बचा था। उसका अभियुक्त अंडू सिंह के साथ झगड़ा नहीं था और अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से काटने के पहले कुछ नहीं

कहा था। जब उसने अभियुक्त से पूछा कि उसने क्यों हत्या किया तब उसने उत्तर दिया कि उसकी पत्नी डायन थी, अत: उसने उसकी हत्या की। अ॰ सा॰ 3 ने यह कथन भी किया कि घटना के पहले अभियुक्त अभिकथित किया करता था कि उसकी पत्नी डायन है। पुलिस थाना के कर्मी ने उसको मृत शरीर के साथ आने का मौखिक निर्देश दिया। वह मृत शरीर के साथ पुलिस थाना गया तब उसका बयान दर्ज किया गया था। अभियुक्त भी अकेला पुलिस थाना गया था और अपना दोष संस्वीकार किया कि उसने रूपनी देवी की हत्या की थी क्योंकि वह डायन थी। अभियुक्त अंडू ने बलराम जो अभियुक्त का पड़ोसी है की छत पर कुल्हाड़ी रखा था। इसे चौकीदार द्वारा पुलिस थाना भेजा गया था। जब चौकीदार कुल्हाड़ी नीचे ला रहा था, वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। पुलिस बाद में भी उस स्थान पर नहीं आयी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के चार दिन बाद मामला का अन्वेषण किया। मृत शरीर पुलिस थाना से लातेहार लाया गया था। सूचक ने उसी दिन मृत शरीर प्राप्त किया। अभियुक्त उसका कजिन भतीजा है। भूमि विभाजन काफी पहले हुआ।

6. अ॰ सा॰ 1 लोचन सिंह एवं अ॰ सा॰ 2 पनरो सिंह मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के गवाह हैं। उन्होंने कथन किया अभियुक्त अंडू सिंह द्वारा मृतका रूपनी देवी की हत्या की गयी थी। उन्होंने उसका मृत शरीर देखा। इंसपेक्टर ने उनकी उपस्थिति में मृत शरीर का कागजात तैयार किया। उन्होंने रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण में, अ॰ सा॰ 2 ने कथन किया कि मृत शरीर का दस्तावेज पुलिस थाना में तैयार किया गया था और उसने पुलिस थाना में इस पर अपना हस्ताक्षर किया।

7. अ॰ सा॰ 4 चंद्रदेव सिंह एवं अ॰ सा॰5 बरन सिंह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। उन दोनों ने कथन किया है कि अंडू सिंह ने बंसराज सिंह की पत्नी को डायन कहा और उसकी हत्या की। उन्होंने मृत शरीर देखा। अपने प्रतिपरीक्षण में अ॰ सा॰ 4 ने कथन किया कि डायन के विषय पर गाँव में पंचायत नहीं की गयी थी। उसने कभी नहीं सुना कि अंडू सिंह ने रूपनी को डायन कहा। अपने प्रतिपरीक्षण में, अ॰ सा॰ 5 ने कथन किया कि घटना के पहले उन दोनों के बीच भूमि संबंधित विवाद था और कभी कभार उनमें गाली गलौज होता था। अ॰ सा॰ 6 संगिया देवी प्रतिपरीक्षण के लिए पेश की गयी थी।

8. अ॰ सा॰ 7 रघुनाथ सिंह ने कथन किया है कि वह रूपनी देवी को जानती थी। उसकी हत्या लगभग डेढ़ वर्ष पहले हुई थी। वह घटना के समय पर मनिका में था। जब वह मनिका से अपने घर जाने के रास्ता में पनगट नदी के निकट पहुँचा, तब वह अंडू सिंह तथा बंसराज सिंह से मिला। अंडू सिंह ने वहाँ बताया कि उसने एक गलती किया है। उसने अपनी चाची की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। तत्पश्चात, वह मृत शरीर देखने घर गया। मृत शरीर बरामदा पर था। उसने भी न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया है कि वह सूर्यास्त के समय पर मनिका से लौट रहा था। बंसराज अंडू सिंह के साथ था किंतु चौकीदार उनके साथ नहीं था। मुखिया जी ने अंडू को बुलाया उस समय पर अंडू ने मुखियाजी के साथ लगभग दस मिनट बात किया और तत्पश्चात वह मुखियाजी के साथ घर चला गया और अंडू तथा उसका चाचा बंसराज सिंह गंतव्य से आए। उसने अंडू से चर्चा नहीं किया था।

9. अ॰ सा॰ 8 हीरामन सिंह ने कथन किया है कि पुलिस इंसपेक्टर अन्वेषण के लिए आया। उसने अंडू सिंह के घर से कुल्हाड़ी जब्त किया। इसका कागज तैयार किया गया था और उसने इस पर अपने अंगूठा का निशान लगाया। उसने भी न्यायालय में अभियुक्त अंडू सिंह को पहचाना था। अपने प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने कथन किया है कि चौकीदार ने पुलिस थाना में कुल्हाड़ी जमा किया। उसने वहाँ कुल्हाड़ी

देखा था और उसी स्थान पर कागज पर अपने अंगूठा का निशान लगाया था। उसे पुलिस थाना में जानकारी हुई कि उसकी सास मृतका की हत्या उसी कुल्हाड़ी से की गयी थी।

10. अ॰ सा॰ 9 शेरू सिंह अनुश्रुत गवाह है। इस गवाह द्वारा किसी महत्व का अभिसाक्ष्य नहीं है।

11. अ॰ सा॰ 10 सतीश चंद्र झा इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है जिसने कथन किया है कि उसे मनिका पुलिस थाना में प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया था। उसने 2.7.2000 को प्रात: 6 बजे सूचक बंसराज सिंह का बयान दर्ज किया और उसने स्वयं मामला का अन्वेषण किया। उसने इस मामला की प्राथमिकी दर्ज किया जो उसके लेखन में है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया है। उसने आगे कथन किया कि उसने पुन: पुलिस थाना में सूचक का बयान दर्ज किया और गवाहों पेरू सिंह एवं लोचन सिंह की उपस्थिति में मृतका रूपनी देवी का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया और उनका हस्ताक्षर एवं अंगूठा का निशान लिया। उसने भी इस पर हस्ताक्षर किया और इसे प्रदर्श ½ चिन्हित किया। उसने पुन: गवाहों पेरू सिंह एवं लोचन सिंह का बयान दर्ज किया और मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा। आगे उसने कथन किया कि अन्वेषण के समय पर वह प्रात: 9 बजे घटना स्थल पर पहुँचा और घटना स्थल का निरीक्षण किया जैसा शेरू सिंह द्वारा बताया गया था और आगे घटना स्थल की चौहद्दी के बारे में वर्णन किया। बरामदा पर खून की भारी मात्रा गिरी थी जिसे विधित: जब्त किया गया था। आगे, उसने कथन किया है कि उसने घटना स्थल का नक्शा तैयार किया और ग्राम सघवाडीह, पी॰ एस॰ मनिका के दशरथ एवं हीरामन सिंह की उपस्थिति में अभिग्रहण सूची तैयार किया और रक्तरंजित मिट्टी एवं रक्तरंजित कुल्हाड़ी जब्त किया। अभिग्रहण सूची प्रदर्श 3 एवं 3/1 चिन्हित की गयी थी। आगे उसने घटना स्थल पर शेरू सिंह, चंद्रदेव सिंह, सुगिया देवी, रघुनाथ सिंह आदि का बयान दर्ज किया और कथन किया कि मृतका को 2.7.2000 को प्रात: 6 बजे लाया गया था जबकि घटना 1.7.2000 को शाम में हुई। किसी ने उससे रिपोर्ट करने में विलंब के बारे में नहीं पूछा। उसने खटिया जब्त नहीं किया था। उसने मृत शरीर के निकट पाए गए वस्त्र, कुल्हाड़ी, रक्त रंजित मिट्टी जैसी वस्तुओं को जब्त किया। उसने अपने परीक्षण के समय तक न्यायालय में जब्त वस्तुओं को प्रस्तुत नहीं किया था। उसने अभियुक्त अंडू सिंह को 2.7.2000 को पूर्वाह्न 11 बजे दिन में गिरफ्तार किया। उसे गाँव में गिरफ्तार किया गया था। उसके घर से कुल्हाड़ी जब्त किया गया था और इस पर खून लगा था।

12. जवाहर लाल अ॰ सा॰ 11 औपचारिक गवाह है। वह अधिवक्ता का लिपिक भी है जिसने औपचारिक रूप से मृतका रूपनी देवी के शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श 5 के रूप में सिद्ध किया गया है। उसके प्रति परीक्षण में अधिक महत्व का कुछ नहीं है।

13. अ॰ सा॰ 12 डॉक्टर सिद्धनाथ ने यद्यपि रूपनी देवी के मृत शरीर का शव परीक्षण नहीं किया है किंतु मृतक के मृत शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियों का विवरण देते शव परीक्षण रिपोर्ट का निष्कर्ष वर्णित किया है:–

(i) rt èkkj oky gfFk;kj }kjk dkfjr èkM l vyx xnu] eLrd dk 7" x 6" dVu dk t[eA

(ii) dM inkFk }kjk dkfjr vxckg dh vfLFk;k dk ÝDpjA

विच्छेदन करने पर उन्होंने हृदय चैम्बर खाली, फेफड़ा निस्तेज, पेट भोजन अंतर्विष्ट करता पाया, तरल एवं गैस एवं शव अकड़न मौजूद था। मृत्यु का कारण पूर्वोल्लिखित गर्दन उपहति के कारण आघात था। उन्होंने चिकित्सीय विधिशास्त्र एवं चिकित्सीय नीतिशास्त्र पर अपना मत आधारित किया।

अपने प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कथन किया कि उन्होंने शव परीक्षण नहीं किया है। वह इस शव परीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणिकता के बारे में नहीं कह सकते हैं। यह शव परीक्षण उनकी उपस्थिति में नहीं किया गया था और रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में तैयार नहीं की गयी थी।

14. अ॰ सा॰ 13 संजय कुमार सिंह ने तात्विक प्रदर्शों अर्थात मनिका पी॰ एस॰ केस सं॰ 23/2000 के रक्त रंजित कुल्हाड़ी को न्यायालय में आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर प्रस्तुत किया और इसे तात्विक प्रदर्श–1 चिन्हित किया गया था। इस प्रदर्श की मालखाना संख्या एम॰ आर॰ 05/2000 है। उसने आगे कथन किया है कि पत्र मनिका पुलिस थाना के तत्कालीन ए॰ एस॰ आई॰ जनेश्वर प्रसाद यादव के लेखन एवं हस्ताक्षर में है। उसने पत्र पहचाना है और इसे प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया है। उसने किसी परिवर्तन के बिना न्यायालय में जब्त कुल्हाड़ी प्रस्तुत किया है। अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि कुल्हाड़ी पर रक्त का धब्बा था। कुल्हाड़ी की चौड़ाई लगभग 2½ इंच थी। पुलिस थाना मालखाना संख्या चिन्हित चिट हाल में मालखाना में चिपकाया गया था। उसने आगे कथन किया है कि जब्त कुल्हाड़ी पर गवाहों का हस्ताक्षर नहीं है। मालखाना में हत्या से संबंधित अधिक जब्त कुल्हाड़ियां हैं और उसे अन्वेषण अधिकारी का नाम याद नहीं है।

15. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के बाद दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध साक्ष्य में आने वाली सामग्रियों से इनकार किया।

16. ब॰ सा॰ 1 मनोज दत्त ने न्यायालय के निर्देश के मुताबिक सिविल न्यायालय, लातेहार के सरिस्तादार की उपस्थिति में अपने डिजिटल कैमरा निकॉन कूल पिक्स 2100 जूम द्वारा तात्विक प्रदर्श (कुल्हाड़ी) का तीन फोटोग्राफ लिया और फोटोग्राफों को पॉजिटिव नंबर DSCN 00058, 0060, 0062 के साथ प्रदर्शों A से A/2 के रूप में चिन्हित किया गया था। डिजिटल कैमरा में निगेटिव नहीं है, अत: वह न्यायालय में निगेटिव प्रस्तुत करने में अक्षम था। प्रस्तुत फोटोग्राफों का दिनांक 30.6.2004 का कैशमेमो उसके लेखन एवं हस्ताक्षर में था और समस्त तीन फोटोग्राफों के पीछे उसका हस्ताक्षर था और इसे प्रदर्श B से B/3 चिन्हित किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया कि डिजिटल फोटोग्राफी निगेटिव के बिना की जाती है और उसने इसकी प्रामाणिकता सिद्ध किया।

17. सुनवाई होने पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया था कि अभियोजन मामला एकमात्र चश्मदीद गवाह अर्थात अ॰ सा॰ 3 बंसराज सिंह पर आधारित है किंतु उसका परिसाक्ष्य अभियोजन मामला के अनुरूप नहीं है क्योंकि उसने कथन किया है कि वह पुलिस थाना गया और पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या का मामला रिपोर्ट किया। किंतु पुलिस ने उसे मौखिक रूप से अपनी मृतक पत्नी के मृत शरीर के साथ आने के लिए कहा जिसका खंडन इस मामला के अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 10 सतीश चंद्र झा द्वारा किया गया है। अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में 2.7.2000 को प्रात: 6 बजे पी॰ एस॰ कैम्पस में जब मामला संस्थित किया गया था मामला के संस्थापन के पहले अ॰ सा॰ 3 बंसराज सिंह के साथ किसी मुलाकात के बारे में प्रकट नहीं किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अपराध के हथियार की बरामदगी के संबंध में अंतर था क्योंकि अ॰ सा॰ 3 बंसराज सिंह ने कथन किया है कि अभियुक्त अपीलार्थी अंडू सिंह ने कुल्हाड़ी जो अपराध का हथियार है को बलराम जो अ॰ सा॰ 3 बंसराज सिंह का पड़ोसी है की छत पर रखा और चौकीदार इसे पुलिस थाना ले गया जबकि अ॰ सा॰ 10 सतीश चंद्र झा ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उसने

अभियुक्त के घर से मृतका की हत्या में प्रत्युक्त कुल्हाड़ी जब्त किया और इसे प्रदर्श 3 में उल्लिखित भी किया गया है जो अ॰ सा॰ 10 सतीश चंद्र झा द्वारा तैयार की गयी अपराध का हथियार अंतर्विष्ट करती अभिग्रहण सूची है। आगे यह निवेदन किया गया है कि डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया का इस मामला में परीक्षण नहीं किया गया है। शव परीक्षण की विषयवस्तु का पठन साक्ष्य में नहीं किया जाना चाहिए। आगे यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 7 रघुनाथ सिंह ने कथन किया है कि वह अ॰ सा॰ 3 बंसराज सिंह एवं अभियुक्त अंडू सिंह को दो अन्य के साथ अपने गंतव्य स्थान जाते हुए मिला और रास्ता में अंडू सिंह ने मृतका रूपनी देवी की हत्या करने का दोष संस्वीकार किया जो भी अ॰ सा॰ 10 सतीश चंद्र झा द्वारा रखे गए मामला का खंडन करता है क्योंकि अ॰ सा॰ 10 सतीश चंद्र झा द्वारा रखे गए मामला का खंडन करता है क्योंकि अ॰ सा॰ 10 सतीश चंद्र झा ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्टत: कथन किया है कि अभियुक्त अंडू सिंह फरार हो गया था और उसे 2.7.2000 को अपराह्न 11 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया था। अत:, आगे यह निवेदन किया गया है कि एकमात्र चश्मदीद गवाह का परिसाक्ष्य अनधिक्षेपणीय चरित्र का नहीं है। अत:, यह सुयोग्य मामला है जहाँ अभियुक्त अपीलार्थी को संदेह का लाभ देकर आरोप से दोषमुक्त किया जाए।

18. दूसरी ओर, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अपर पी॰ पी॰ ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का बचाव किया और निवेदन किया कि पुलिस एवं अन्वेषण एजेंसी की ओर से कतिपय ढिलाई हुई है। किंतु यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मामला के अन्वेषण में ढिलाई के लिए अभियोजन मामला प्रभावित नहीं होना चाहिए। आगे यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 3 बंसराज सिंह के परिसाक्ष्य के किसी तात्विक भाग पर प्रतिपरीक्षण बिलकुल नहीं किया गया है, अत: उसका परिसाक्ष्य कि अभियुक्त अपीलार्थी ने उसकी पत्नी रूपनी देवी पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या की, चुनौतीहीन बना रहता है। अ॰ सा॰ 3 बंसराज सिंह देहाती गवाह है किंतु वह इस मामला में प्रतिपरीक्षण पर खरा उतरा है। आगे यह निवेदन किया गया है कि घटनास्थल पर नहीं जाने एवं मृत शरीर बरामद नहीं करने में पुलिस की निष्क्रियता तथा जिम्मेदारी से बचना अभियुक्त को कोई लाभ देने का आधार नहीं है, खासकर जब अभियोजन का मामला यह नहीं है कि उस पर किसी तरीके से प्रतिकूलता कारित की गयी है। यह निवेदन भी किया गया है कि अन्यथा अ॰ सा॰ 3 के परिसाक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जाना और उसके समक्ष अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा किए गए न्यायिकेतर संस्वीकृत के संबंध में अ॰ सा॰ 7 रघुनाथ सिंह के परिसाक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है और अ॰ सा॰ 7 के परिसाक्ष्य को भी चुनौती नहीं दी गयी है और न्यायिकेतर संस्वीकृति के संबंध में अ॰ सा॰ 7 के परिसाक्ष्य के भाग को उसके प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गयी है। अत:, यह निवेदन किया गया है कि इस पर विश्वास किया जाना है। आगे यह निवेदन किया गया है कि डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया का परीक्षण इस मामला में नहीं किया गया है किंतु एक अन्य डॉक्टर जो विशेषज्ञ है का इस मामला में परीक्षण किया गया है और इस कारण से जब अ॰ सा॰ 3 बंसराज सिंह का चाक्षुक परिसाक्ष्य विश्वसनीय है, इसे त्यक्त नहीं किया जाना चाहिए और अभियुक्त को इस मामला में संदेह का कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अत:, यह निवेदन किया गया है कि न्यायालयों को न केवल यह देखना है कि निर्दोष को दोषसिद्ध नहीं किया जाय बल्कि यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दोषी दोषमुक्त नहीं किया जाय। अत:, यह निवेदन किया गया है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि आक्षेपित निर्णय में अनियमितता अथवा दुर्बलता नहीं है। अत:, यह अपील गुणागुण रहित होने के नाते खारिज की जाए।

19. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अ॰ सा॰ 3 बंसराज सिंह के माध्यम से अभियोजन द्वारा दिया गया साक्ष्य

विश्वसनीय है और वह घटना का एकमात्र गवाह है। वह स्वाभविक गवाह है। उसके परिसाक्ष्य का तात्विक भाग उसके प्रतिपरीक्षण में चुनौतीहीन बना रहा है। उसका परिसाक्ष्य केवल इसलिए त्यक्त नहीं किया जाना है कि उसे मृत शरीर के साथ पुलिस थाना आने के लिए कहने में पुलिस की निष्क्रियता है। अ॰ सा॰ 3 बंसराज सिंह का चाक्षुक परिसाक्ष्य अ॰ सा॰ 7 रघुनाथ सिंह के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है जिसने अभियुक्त द्वारा मृतका रूपनी देवी की हत्या करने के बारे में उसके समक्ष की गयी न्यायिकेतर संस्वीकृति के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है। अ॰ सा॰ 3 के परिसाक्ष्य के तात्विक भाग तथा अ॰ सा॰ 7 के समक्ष की गयी न्यायिकेतर संस्वीकृति के संबंध में परिसाक्ष्य चुनौतीहीन बना रहा है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि त्रुटिपूर्ण अन्वेषण के मामला में न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में चौकस होना होगा किंतु यह केवल त्रुटि के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त करने में सही नहीं होगा जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **करनेल सिंह बनाम म॰ प्र॰ राज्य, (1995)5 SCC 518,** में पैराग्राफ 5 में अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *^^5. vUo"k.k dh çÑfr d lcèk e gekjh vçlUurk d ckotn ge ;g fopkj djuk gkxk fd D;k vfHky[k ij ektn lk{;] dBkj loh{k.k ij Hkh nk"k LFkkfir djr gA* ***=fVi.k vUo"k.k d ekeyk e U;k;ky; dk lk{; dk eY;kdu dju e pkdl gkuk gkxk fdr ;g doy =fV d dkj.k vfHk;Dr dk nk"keDr dju e lgh ugh gkxk] ,lk djuk vUo"k.k vfèkdkjh d gkFkk e [kyu d rY; gkxk ;fn vUo"k.k tkuc>dj =fVi.k gA*** *fdlh Hkh vUo"k.k vfèkdkjh dk vfHk;kD=h ,o vfHk;Dr d çfr fu"i{krk e nk xokgk dk c;ku nt djrk vkj pM<h* d lcèk e lefpr tCrh eek fy[krkA ;gh dkj.k g fd geu ;g D;k dgk g fd vUo"k.k ykijokg ,o =fVi.k FkkA** (tkj fn;k x;k)

इसी प्रकार से **करन सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं एक अन्य, (2013)12 SCC 529 [: 2014 (3) JBCJ 115 (SC)],** में पैराग्राफ 19 एवं 20 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^19.* ***vUo"k.k vfèkdkjh dh vkj l yki] tgk vfHk;ktu lk{;] fo'k"krk p'enhn xokgk ,o vU; xokgk dk lk{;] ndj fdlh ;fDr;Dr lng d ij viuk ekeyk fl) dju e lQy gkrk g] vfHk;ktu ekeyk d çfr ?kkrd bl dkj.k l ugh gkxk*** *fd vUo"k.k e ektn çR;d vrj U;k;ky; ij bl lhek rd otu ugh Mkyrk g fd ;g vko';drk vfHk;Dr dh nk"kefDr e ifj.kr gkrk g tc rd ;g fl) ugh fd;k tkrk g fd vUo"k.k ,l rjhdk l fd;k x;k Fkk ft l ^^cbeku vFkok ekxnf'kr vUo"k.k** d :i e Mc fd;k tk ldrk g tk vfHk;Dr dk foeDr djxkA**
>
> *20. bl çdkj] tc rd vUo"k.k çkfèkdkfj;k dh vkj l pd ,lh ugh gkrh g tk vfHk;ktu ekeyk ij ;fDr;Dr lng Mky ld vFkok vfHk;Dr d cpko ij xHkhj :i l çfrdyrk dkfjr dj] U;k;ky; ek= dyfdr vUo"k.k d vkèkkj ij vfHk;Dr dh nk"kflf) vikLr ugh djxkA** (tkj fn;k x;k)

20. जहाँ तक डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया के गैर परीक्षण के संबंध में अपीलार्थियों के प्रतिवाद का संबंध है, इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने **कोलहा महतो बनाम झारखंड राज्य,** 2015(4) JLJR 599 **[: 2016 (2) JBCJ 95 (HC)]**, में अभिनिर्धारित किया है कि यदि मूल डॉक्टर

जिन्होंने शव परीक्षण किया का अता–पता नहीं है, किसी अन्य डॉक्टर को पेश करके शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया जा सकता था जो मूल डॉक्टर के हस्ताक्षरों को पहचान सके। पैराग्राफ 9 में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया गया था:-

> *^^9. LohÑr : i l] MkDVj ftUgksus erd d er 'kjhj dk 'ko ijh{k.k fd;k] dV?kjk e ugh vk, Fk] bl n'kk e HkkO nO lO dh èkkjk 302 dk vkjki fl) ugh gkrk gA fo}ku fopkj.k U;k;ky; }kjk fd;k x;k lç{k.k dh erd fd eR; çFke lpd vO lkO 1 ftlu vfHk;Dr dk erd d 'kjhj ij Vkxh dk okj dkfjr djr n[kk d c;ku d dkj.k ekuo cèk Fkh] 'kk;n lgh nf"Vdk.k ugh g vkj ge bl vLohdkj djr gA fo}ku fopkj.k U;k;ky; dk Lo; viu vkn'k }kjk vfHk;ktu lk{; cn djr g, lrd jguk pkfg, Fkk fd ml le; rd 'ko ijh{k.k dju okyk MkDVj dV?kjk e ugh vk;k FkkA fo}ku ykd vfHk;ktd dk de l de vPNh rjg ;g tkur g, fd og lokfèkd egRoi.k xokg Fkk] 'ko ijh{k.k dju oky MkDVj dk ijh{k.k ugh dju e viu nf"Vdk.k e ykijokg ugh gkuk pkfg, FkkA ;gh dkj.k g fd lkekU;r% nkfMd fopkj.k e tgk eR; gb g vFkok ifjoknh i{k l migfr çkIr dh x;h g lkekU;r% viuk;h x;h çFkk ;g g fd fopkj.k d vkjHk e MkDVj dk ijh{k.k fd;k tkrk g vkj doy rRi'pkr vU; xokgk dk ijh{k.k fd;k tkrk gA* ***oreku ekeyk e] ;fn ykd vfHk;ktd ey MkDVj dk irk yxku e v{ke Fkk ftlu 'ko ijh{k.k fd;k Fkk] mld }kjk r;kj dh x;h 'ko ijh{k.k fjikV fdlh vU; MkDVj tk mldk gLrk{kj igpku ldrk Fkk dk i'k djd fl) dh tk ldrh Fkh D;kfd eR; d dkj.k d fy, er vfèkdk'kr% 'ko ijh{k.k fjikV r;kj djr g, fn;k tkrk g] flok, dN ekeyk e tgk er tgj nu tl ekeyk e ,QO ,lO ,yO fo'k"kK d er ij fuHkj gA***** *(tkj fn;k x;k)*

इस विचारण में, एक अन्य डॉक्टर जो मूल डॉक्टर का हस्ताक्षर पहचान सकता था का परीक्षण करके बिलकुल यही दृष्टिकोण अपनाया गया था, अत: अपीलार्थी के प्रतिवाद में बल नहीं है।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह के लाभ की अतिशयोक्ति का परिणाम न्याय की विफलता में हो सकता है जैसा **भगवान जगन्नाथ मरकद एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2016)10 Supreme Court Cases 537,** में पैराग्राफ 20 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *^^20. lng d ykHk d fl)kr dh vfr'k;kfDr dk ifj.kke U;k; dh foQyrk e gk ldrk gA nk"kh dk cp fudyu nuk U;k; djuk ugh gA U;k;kèkh'k fopkj.k U;k;ky; dh vè;{krk u doy ;g lfuf'pr dju d fy, djrk g fd funk"k nfMr ugh fd;k tk; cfYd ;g Hkh n[kuk g fd nk"kh u cp fudyA***

21. निस्संदेह, तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं करने में अन्वेषण अधिकारी की ओर से कतिपय ढिलाई हुई है जैसा अन्वेषण करने में विधि में आवश्यक है। पूर्वोक्त चर्चा के कारण हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि यह ऐसा मामला है जहाँ तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं करने में पुलिस की ओर से ढिलाई के लिए अभियोजन को पीड़ित नहीं होना चाहिए और कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं और विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त अपीलार्थी को दोषसिद्ध

एवं दंडादेशित किया है। हम इस अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और इस अपील को खारिज किया जाता है और सत्र मामला सं॰ 20 वर्ष 2001 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ॰ टी॰ सी॰) लातेहार द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया जाता है। अपीलार्थी पहले से ही अभिरक्षा में दंडादेश भुगत रहा है।

22. इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख विचारण न्यायालय को भेजा जाए।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

बासुदेव मंडल एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 2919 of 2016. Decided on 18th January, 2018.

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950—धारा 4(h)—रैयती भूमि से बेदखली—जमीन्दार द्वारा की गयी कोई बंदोबस्ती समाहर्ता द्वारा धारा 4(h) के अधीन उसमें उल्लिखित आधार पर रद्द की जा सकती है और न कि अन्यथा—बेदखली केवल राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद की जा सकती है—यद्यपि भूमि गैर-मजरूआ खास के रूप में अधिकार अभिलेख में दर्ज की गयी है, फिर भी राज्य ने अनेक दशकों की अवधि से लगान स्वीकार करके याचीगण के अभिधृति अधिकारों को मान्यता दिया है—प्रत्यर्थियों का मामला यह नहीं है कि याचीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारियों ने जमाबन्दी के सृजन में कोई कपट अथवा दुर्व्यपदेशन किया था—लंबे अरसे से चली आ रही जमाबन्दी रद्द नहीं की जा सकती है जबतक सक्षम न्यायालय की ऐसी कोई डिक्री अथवा आदेश नहीं है अथवा किसी विधिक कार्यवाही में यह स्थापित नहीं किया जाता है कि जमाबन्दी रैयत द्वारा कपट करके सृजित की गयी थी अथवा ऐसी जमाबन्दी का सृजन विधि में दूषित था—प्रत्यर्थियों को अवैध के रूप में उक्त भूमि पर याचीगण के अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा घोषित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किए जाने तक अथवा प्रत्यर्थियों द्वारा भूमि के वास्तविक स्वामी को समुचित मुआवजा का भुगतान करके अर्जित किए जाने तक उक्त भूमि पर याचीगण के कब्जा को अस्त व्यस्त नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(2003) 3 JLJR 793—Relied.

अधिवक्तागण.–Mahesh Tiwari, For the Petitioners; Kanchan Kumari, For the Resp.-State; Mr. A.K.Sahani, For the Resp. no. 5.

आदेश

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थियों को याचीगण की रैयती भूमि पर अधिक्रमण करने से अवरूद्ध करने के लिए और आगे उनको इसपर सड़क का अप्राधिकृत निर्माण करने से अवरूद्ध करने के लिए दाखिल की गयी है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण बाबूलाल मंडल (याची सं॰ 1 का पिता), खांडू मंडल (याची सं॰ 2 का पिता) और जयदेव मंडल (याची सं॰ 3) के नाम में संयुक्त रूप से दर्ज पी॰ एस॰ चंदन कियारी, जिला बोकारो में पुराने खतियान के मुताबिक 4 एकड़ 63 डिसमिल और नए खतियान के मुताबिक 4 एकड़ 35 डिसमिल कुल क्षेत्र के माप वाले मौजा पोलकिरी, मौजा सं॰ 241,

पुराना खाता सं॰ 85, नया खाता सं॰ 255, पुराना/नया भूखंड सं॰ 2447/2476, 2448/2481 एवं 2449/2480 की भूमि के रैयती स्वामी है। उक्त भूमि याचीगण एवं उक्त दर्ज रैयतों के अन्य विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में पायी गयी थी और वे इस पर काबिज हुए तथा इसके लगान का भुगतान करने लगे। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण याचीगण की भूमि का अधिक्रमण कर रहे हैं और इसे अर्जित किए बिना अथवा याचीगण को कोई मुआवजा दिए बिना अप्राधिकृत तरीके से प्रत्यर्थी सं॰ 5 के माध्यम से उक्त भूमि के भाग पर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। याचीगण ने उक्त निर्माण के बारे में प्रत्यर्थी सं॰ 5 से पूछा और उससे अधिक्रमण रोकने का अनुरोध किया, किंतु प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने उनको गंभीर परिणामों को चेतावनी दी। याचीगण ने अंचलाधिकारी, चंदन कियारी, (प्रत्यर्थी सं॰ 3) को भी मामला सूचित किया और अपनी भूमि पर अधिक्रमण अवरूद्ध करने के लिए उपायुक्त, बोकारो (प्रत्यर्थी सं॰ 2) के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया किंतु कुछ नहीं किया गया था जो वर्तमान रिट याचिका की दाखिली उद्भूत करता है।

4. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उक्त भूमि अधिकार अभिलेख में गैर मजरूआ के रूप में दर्ज की गयी है और जमीन्दारी निहित किए जाने के बाद इसे बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (संक्षेप में 'बी॰ एल॰ आर॰ अधिनियम, 1950') की धारा 3 के अधीन राज्य में निहित किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण उक्त गैर मजरूआ भूमि पर सड़क का निर्माण कर रहे थे, जिसमें याचीगण द्वारा रूकावट डाली गयी थी और तत्पश्चात प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने याचीगण को अपना अधिकार, अभिधान एवं हित दर्शाने के लिए सम्यक नोटिस जारी किया किंतु वे संबंधित प्राधिकारी को संतुष्ट करने में विफल रहे कि उक्त भूमि उनकी रैयती भूमि है, इस प्रकार प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने विविध कार्यवाही सं॰ 1/2015-16 आरंभ किया और दस्तावेजी साक्ष्य एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि की जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा डी॰ सी॰ एल॰ आर॰, बोकारो को करते हुए दिनांक 19.6.2015 का आदेश पारित किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि यदि याचीगण को उक्त आदेश के विरूद्ध शिकायत है, उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय के पास जाना चाहिए। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण के पास प्रश्नगत भूमि वैध अधिकार, अभिधान एवं हित नहीं है और इस दशा में वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया। याचीगण ने प्रतिवाद किया है कि उक्त भूमि उनकी रैयती भूमि है जिसपर वे अपने अधिकार, अभिधान एवं हित का दावा करते हैं। समानांतर स्तंभ में प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि उक्त भूमि गैर मजरूआ भूमि है और याचीगण उक्त भूमि का कोई वैध दस्तावेज दर्शाने में विफल रहे, अतः उनके नाम में चल रही जमाबंदी रद्द की गयी है और जनता के लाभ के लिए इस पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। याचीगण अपने दावा के समर्थन में रैयती खतियान तथा 2004-05 तक जारी लगान रसीद दाखिल किया है। भले ही प्रत्यर्थियों का तर्क स्वीकार किया जाता है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ भूमि है, यह सरकारी प्राधिकारियों को इसे ले लेने के लिए हकदार नहीं बनाती है यदि भूमि के अधिभोगी द्वारा दावा किया जाता है कि इसे भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा उसे/उसके हित पूर्वाधिकारी को बंदोबस्त किया गया है।

6. गुलाबसी देवी बनाम बिहार राज्य, (2003)3 JLJR 793, में इस न्यायालय की न्यायपीठ ने पैरा 6 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *^^6. LohÑr :i l Hkfe Hkrio tehUnkj d uke e xjet :vk ekfyd d :i e vfèkdkj lo vfHky[k e nt dh x;h Fkh ft lu Hkfe ;kph jke doy lkg d foØrk d i{k e cnkcLr fd;kA Hkrio tehUnkj u jkedoy lkg dk settlee d :i e n'kkr g, viuk fjVu nkf[ky fd;k vkj mld uke e tekcUnh [kkyh*

x;h FkhA vfèkdkj vfHky[k dh okLrfodrk] jke doy lkg d i{k e dh x;h cnkcLrh vkj mld uke e [kkyh x;h tekcUnh dk fcgkj jkT; }kjk pukrh dHkh ugh fn;k x;k Fkk cfYd ctukFk çlkn ,o çR;Fkh lO 7 dh çj.kk ij vkjHk dh x;h leLr dk;okfg;k e jkT; çkfèkdkfj;k u mu leLr dk;okfg;k dk ;kph d i{k e fofuf'pr fd;kA ***;g lLFkkfir g fd tc 0;fDr d i{k e tekcUnh lftr dh tkrh g vkj og vud o"kk rd tkjh jgrh g] bl doy fcgkj Hkfe lèkkj vfèkfu;e dh èkkjk 4(h) d vèkhu lekgrk }kjk dk;okgh vkjHk djd jnn fd;k tk ldrk gA gfjgj flg cuke vij lekgrk]*** *1978 BBCJ 323,* ***e iVuk mPp U;k;ky; dh [kM U;k;ihB dk fu.k; fufn"V fd;k tk ldrk gA*****

7. वर्तमान मामला में भी, अंचल निरीक्षक के पत्र (प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट सी॰ श्रृंखला के रूप में संलग्न) के मुताबिक उक्त भूमि वर्ष 1937 में जमीन्दार द्वारा किसी शक्ति पदों मंडल एवं अन्य के पक्ष में बंदोबस्त किए जाने का दावा किया गया था। यह विधि की सुस्थापित अवस्था है कि जमीन्दार द्वारा की गयी कोई बंदोबस्ती बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के अधीन समाहर्ता द्वारा उसमें उल्लिखित आधार पर रद्द की जा सकती है और न कि अन्यथा और केवल राज्य सरकार की सहमति के बाद बेदखली की जा सकती है। प्रत्यर्थियों ने यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं लाया है कि उक्त भूमि के लिए बी॰ एल॰ आर॰ अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के अधीन कोई कार्यवाही आरंभ की गयी थी। इसके अतिरिक्त, व्यवस्थापन अधिकारी, धनबाद के कार्यालय से उक्त भूमि का रैयती खतियान जारी किया गया है जिसमें बाबूलाल मंडल (याची सं॰ 1 का पिता), खांडू मंडल (याची सं॰ 2 के पिता) एवं जयदेव मंडल (याची सं॰ 3) के नाम रैयत के रूप में उल्लिखित किए गए हैं। सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 की धारा 83(2) के अधीन प्रकाशित कोई अधिकार अभिलेख वास्तविक एवं सत्य उपधारित किया जाता है। इसके खंडन के प्रमाण का भार उस व्यक्ति पर है जो उक्त शुद्धता को चुनौती देता है। स्वीकृत रूप से, जमाबन्दी बाबूलाल मंडल (याची सं॰ 1 का पिता), खांडू मंडल (याची सं॰ 2 का पिता) एवं जयदेव मंडल के नाम में सृजित की गयी थी और 2004-05 तक उनके पक्ष में लगान रसीद जारी किया गया था। किंतु, प्रत्यर्थियों द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि इस संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी का आदेश अभिलेख पर नहीं है। यहाँ, यह संप्रेक्षित किया जा सकता है कि यद्यपि भूमि अधिकार अभिलेख में गैर मजरूआ खास के रूप में दर्ज की गयी हैं, फिर भी राज्य ने अनेक दशकों के लिए लगान स्वीकार करके याचीगण के अभिधृति अधिकारों को मान्यता दिया है। प्रत्यर्थियों का मामला यह नहीं है कि याचीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारियों ने जमाबंदी के सृजन में कोई कपट अथवा दुर्व्यपदेशन किया था। लंबे अरसे से चली आ रही जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती है जबतक सक्षम न्यायालय की ऐसी कोई डिक्री अथवा आदेश नहीं है अथवा इसे किसी विधिक कार्यवाही में स्थापित किया जाता है कि जमाबंदी रैयत द्वारा कपट करके सृजित की गयी थी अथवा ऐसी जमाबन्दी का सृजन विधि में दूषित था।

8. उक्त कथित कारणों से वर्तमान रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है और प्रत्यर्थियों को उक्त भूमि पर याचीगण का अधिकार, अभिधान हित एवं कब्जा अवैध घोषित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किए जाने तक अथवा भूमि के वास्तविक स्वामी को समुचित मुआवजा का भुगतान करके प्रत्यर्थियों द्वारा भूमि अर्जित किए जाने तक उक्त भूमि पर याचीगण का कब्जा अस्त व्यस्त नहीं करने का निर्देश दिया जाता है।

9. पूर्वोक्त संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

ekuuh; vkuUn lu ,o jkt'k 'kdj] U;k;efrx.k

विलियम कीरो

cuke

झारखंड राज्य

Cr. (Jail) Appeal (DB) No. 1132 of 2008. Decided on 6th January, 2018.

एस॰ टी॰ सं॰ 33 वर्ष 2006 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰, सिमडेगा द्वारा पारित दिनांक 19.6.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 20.6.2008 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या—आजीवन कारावास—यद्यपि सूचक अपराध की कारिता के बिन्दु पर अनुश्रुत गवाह है, उसने समुचित रूप से फर्दबयान की विषयवस्तु का समर्थन किया है—अ॰ सा॰ स्वतंत्र गवाह हैं जिन्होंने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने अपीलार्थी को घटना स्थल से भागते देखा था—उक्त गवाहों ने भी अभियोजन मामला का समर्थन किया है—दोषसिद्धि एकमात्र चश्मदीद गवाह के परिसाक्ष्य पर आधारित की जा सकती है यदि एकमात्र चश्मदीद गवाह का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य के साथ संगत पाया जाता है—चूँकि मृतका एक स्थान से दूसरे तक इलाज करवा रही थी, प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब अभियोजन मामला के प्रति घातक नहीं हो सकता है—अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 6 से 11)

निर्णयज विधि.—(2012) 5 SCC 724—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Naveen Kr. Jaiswal, For the Appellant; Mrs. Vandana Bharti, For the State.

न्यायालय द्वारा (राजेश शंकर, न्यायमूर्ति).—वर्तमान अपील सत्र विचारण सं॰ 33 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 19.6.2008 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 20.6.2008 के दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास भुगतने तथा 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने तथा उसके व्यतिक्रम में दो माह का अतिरिक्त सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. फर्दबयान में यथा कथित मामला के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि सूचक इटवा मांझी (अ॰ सा॰ 1) का फर्दबयान जिसे 7.11.2005 को प्रातः लगभग 9 बजे दर्ज किया गया था कि 5.11.2005 को उसकी पत्नी गोमती मंझियाइन (अ॰ सा॰ 3) बेरोनिका कीरो (मृतका) के साथ धान काटने गयी थी। अपराह्न लगभग 3 बजे गोमती मंझियाइन एवं बेरोनिका कीरो खेत में बैठी थी। इस बीच मृतका का पति अर्थात विलियम कीरो (अपीलार्थी) टांगी लिए वहाँ आया और उसकी हत्या करने के आशय से अपनी पत्नी बेरोनिका कीरो के मस्तक पर तीन-चार बार प्रहार किया और परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गयी। तत्पश्चात, उसे अस्पताल ले जाया गया था। उसे बेहतर इलाज के लिए 6.11.2005 को आई॰ जी॰ एच॰ अस्पताल राउरकेला निर्दिष्ट किया गया था।

3. फर्दबयान के आधार पर, प्राथमिकी जलदेगा (बाँसजोर ओ॰ पी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 44 वर्ष 2005 भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 324, 326 एवं 307 के अधीन 7.11.2005 को दर्ज किया गया था। किंतु, इलाज के क्रम में 8.11.2005 को आई॰ जी॰ एच॰ अस्पताल राउरकेला में बेरोनिका कीरो की मृत्यु हो गयी और इस प्रकार दिनांक 11.11.2005 के आदेश के तहत भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 जोड़ी गयी थी। अन्वेषण के बाद, आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था और तद्नुसार विचारण किया गया था।

4. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार जायसवाल आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए निवेदन करते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब हुआ है। वर्तमान मामला में, घटना

5.11.2005 को अपराह्न लगभग 3 बजे हुई, किंतु, प्राथमिकी 7.11.2005 को पूर्वाह्न लगभग 9 बजे दर्ज किया गया था और इस दशा में प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ है जो अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण चूक है। आगे यह निवेदन किया गया है कि शव परीक्षण रिपोर्ट के मुकाबले उपहति रिपोर्ट में उल्लिखित उपहतियों की संख्या में अंतर है। यद्यपि उपहति रिपोर्ट में, डॉक्टर ने कुल चार कटने का जख्म एवं एक खरोंच पाया किंतु शव परीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने केवल तीन कटने का जख्म पाया। विद्वान विचारण न्यायालय ने एकमात्र चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 3 के परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्धि करने में गलती किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अधिमूल्यन भी नहीं किया था कि सूचक अर्थात अ॰ सा॰ 3 के पति की अपीलार्थी के साथ पूर्व दुश्मनी थी और इस दशा में उसे वर्तमान मामले में झूठा आलिप्त किया गया था और अ॰ सा॰ 3 ने निजी प्रतिशोध के चलते स्वयं के घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हुए अपीलार्थी को मृतका के हत्यारा के रूप में आलिप्त किया है।

5. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्रीमती वंदना भारती ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विचारण के दौरान अभियोजन गवाहों ने अभियोजन मामला का पूर्णत: समर्थन किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 3 घटना की चश्मदीद गवाह है जिसने संगत रूप से घटना का विवरण दिया है और बचाव प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके अभिसाक्ष्य में कोई बड़ा विरोधाभास नहीं निकाल सका था।

6. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और विचारण के दौरान दिए गए साक्ष्य सहित विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया। अभियोजन ने अपने मामला के समर्थन में कुल 9 गवाहों का परीक्षण किया। अ॰ सा॰ 1 इटवा मांझी मामला का सूचक है। यद्यपि, वह अपराध की कारिता के बिंदु पर अनुश्रुत गवाह है, उसने समुचित रूप से फर्दबयान की विषयवस्तु का समर्थन किया है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया है। अ॰ सा॰ 2 किशोर कुल्लु घटना के तरीका के बिन्दु पर अनुश्रुत गवाह है। किंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अपीलार्थी को घटनास्थल से भागते देखा था। अ॰ सा॰ 3 गोमती मंझिया इन घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वह मृतका के साथ धान काटने गयी थी। अपराह्न लगभग 3 बजे वह मृतका के साथ पेड़ की छाया के नीचे विश्राम कर रही थी। इस बीच, अपीलार्थी आया और टांगी से मृतका के मस्तक पर तीन–चार वार किया और परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गयी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने शोर किया और तब ग्रामीण आए। तत्पश्चात, अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया। अ॰ सा॰ 4 सुधीर डुंगडुंग भी घटना के तरीका के बिंदु पर अनुश्रुत गवाह है, किंतु उसने भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने लगभग 50 फीट की दूरी से अपीलार्थी को घटनास्थल से भागते देखा था। अ॰ सा॰ 5 विनय तेते एक अनुश्रुत गवाह है। अ॰ सा॰ 6 राजेश बिलंग एवं अ॰ सा॰ 7 मरियानस सोरेंग भी अनुश्रुत गवाह हैं, किंतु उन्होंने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 2 एवं 2/1 चिन्हित किया गया हैं। अ॰ सा॰ 8 सुधीर प्रसाद मामला का अन्वेषण अधिकारी है। उसने प्राथमिकी तथा प्राथमिकी के दर्जकरण पर अपना पृष्ठांकन सिद्ध किया है जिसे क्रमश: प्रदर्श 5 एवं 5/1 चिन्हित किया गया है। अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ सुधीर रंजन सामल डॉक्टर हैं जिन्होंने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया। उन्होंने पुलिस द्वारा भेजा गया तलब सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 7 चिन्हित किया गया है। उसके द्वारा आगे शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 8 के रूप में सिद्ध

किया गया है। शव परीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, अ॰ सा॰ 7 ने मृतका के सिर की खाल पर प्रत्येक 3" लंबा तीन कटने का जख्म पाया, एक पेराइटल क्षेत्र पर, एक टेम्पोरो–पेराइटल क्षेत्र पर और एक मस्तक के पीछे। समस्त उपहतियाँ, ब्रेन तक गहरी एवं मृत्यु पूर्व प्रकृति की थी। समस्त विसरा धुंधला एवं अक्षुण्ण पाया गया था। मृतका के गर्भाशय में 7 माह का एक स्त्रीभ्रूण भी पाया गया था। उनके मत में मृत्यु उन तीन मस्तक उपहतियों के कारण हुई। मृत्यु से बीता समय 36-72 घंटा था। अ॰ सा॰ 9 के मत के मुताबिक, उक्त तीन बाह्य मस्तक उपहतियाँ तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी जो टांगी हो सकती थी।

7. अ॰ सा॰ 3 घटना की मुख्य गवाह है। वह मामला की एकमात्र चश्मदीद गवाह है जिसने संगत रूप से घटना एवं समय के तरीका का विवरण दिया है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी अ॰ सा॰ 3 ने विनिर्दिष्टत: अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अभिकथित घटना देखा था। यद्यपि बचाव ने अ॰ सा॰ 3 को सुझाव दिया कि उसके पति (सूचक) एवं अपीलार्थी के बीच दुश्मनी के कारण उसने झूठे रूप से अपीलार्थी के विरूद्ध अभिसाक्ष्य दिया, फिर भी उक्त सुझाव के समर्थन में दोषसिद्ध/अपीलार्थी मुख्य परीक्षण में दिए गए उसके अभिसाक्ष्य में बड़ा विरोधाभास नहीं निकाल सका था। चाक्षुक गवाह (अ॰ सा॰ 3) के साक्ष्य के मुताबिक घटना स्थल सूचक का धान का खेत था जहाँ अ॰ सा॰ 3 तथा मृतका धान काटने गयी थीं जो अन्वेषण अधिकारी (अ॰ सा॰ 8) के साक्ष्य से भी समर्थन पाता है। अ॰ सा॰ 3 जो अपराध की एकमात्र चश्मदीद गवाह है के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कारण नहीं प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, डॉक्टर (अ॰ सा॰ 9) जिन्होंने शव परीक्षण किया ने मस्तक पर तीन उपहतियों को भी पाया है जो उनके मत में तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी जो टांगी हो सकती थी। अ॰ सा॰ 9 ने अपने शव परीक्षण रिपोर्ट में भी घटना का तरीका संपुष्ट किया है जैसा अ॰ सा॰ 3 द्वारा बताया गया था। इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 2 एवं 4 स्वतंत्र गवाह हैं जिन्होंने भी अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अपीलार्थी को घटनास्थल से भागते देखा था। इस प्रकार, उक्त गवाहों ने भी अभियोजन मामला का समर्थन किया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एकमात्र चश्मदीद गवाह के परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है यदि एकमात्र चश्मदीद गवाह का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य के साथ संगत पाया जाता है।

8. कथी भरत वजसुर बनाम गुजरात राज्य, (2012)5 SCC 724, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

31. bl U;k;ky; u jkd'k cuke e0 ç0 jkT; e vfHkfuèkkfjr fd;k&

*^^13. ;g lLFkkfir fofèkd çfriknuk g fd pk{kd lk{; dk çkFkfedrk nh tk,xh tc rd ;g LFkkfir ugh fd;k tkrk g ekf[kd lk{; fpfdRlh; lk{; d lkFk fcydy cey gA bld vykok] fpfdRlh; lk{; d edkcy xokg d pk{kd ifjlk{; dk mPprj lkf{;d eY; g(tc fpfdRlh; lk{; pk{kd ifjlk{; vufèklHkk0; cukrk g] og lk{; d eY;kdu dh çfØ;k e çklfxd dkjd cu tkrk gA fdr] tgk fpfdRlh; lk{; bl nj rd tkrk g fd ;fn ;g fl) fd;k tkrk g] ;g ijh rjg l pk{kd lk{; dh li.k lHkkouk l budkj djrk g] pk{kd lk{; ij vfo'okl fd;k tk ldrk gA (n[k mO ç0 jkT; cuke gfj pn] vCny lbn cuke e0 ç0 jkT; vkj Hktu flg cuke gfj;k.kk jkT;A***

32. tgk fpfdRlh; lk{; ekf[kd@pk{kd lk{; d e[; Hkkx d vu:i g] rn}kjk vfHk;ktu ekeyk dk leFku djr g,] ek= bl vkèkkj ij pk{kd lk{;

*l budkj dju dk ç'u ugh g fd ekf[kd lk{; e dN vlxfr vFkok fojkèkkHkkl gA ge bl vkèkkj ij Jh <kyfd;k l lger gku d bPNd ugh gA***

9. हमारे मत में, विद्वान विचारण न्यायालय सही प्रकार से इस निष्कर्ष पर आया कि चूँकि मृतका एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलाज करवा रही थी, प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब अभियोजन मामला के प्रति घातक नहीं हो सकता है। जहां तक उपहति रिपोर्ट एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित उपहतियों में अंतर के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अन्य तर्क का संबंध है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सही प्रकार से संप्रेक्षित किया गया है कि चूँकि दोनों रिपोर्ट के बीच समय अंतराल पाँच दिन है, यह बिलकुल संभव है कि खरोंच गायब हो गया हो अथवा दो उपहतियाँ एक-दूसरे में मिल गयी हों जिन्हें डॉक्टर (अ॰ सा॰ 9) जिन्होंने शव परीक्षण किया द्वारा एक उपहति गिना गया था। अत: हम विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं।

10. मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित दृष्टकोण है कि विद्वान अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया है। इस प्रकार, एस॰ टी॰ सं॰ 33 वर्ष 2006 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰, सिमडेगा के दिनांक 19.6.2008 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 20.6.2008 के दंडादेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. वर्तमान अपील गुणागुण रहित होने के कारण तद्नुसार खारिज की जाती है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

रामजी सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3649 of 2003. Decided on 12th December, 2017.

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000—धाराएँ 72 एवं 74—झारखंड पेंशन नियमावली, 2000—नियम 43(B)—प्रोन्नति की गलत तिथि के आधार पर याची को भुगतान की गयी अंतर की राशि की वसूली से संबंधित आदेश—पोषणीयता—याची कनीय अभियन्ता के पद से झारखंड राज्य से सेवा निवृत्त हुआ—बिहार राज्य झारखंड राज्य के सृजन पर जहाँ तक झारखंड राज्य के कर्मचारी का संबंध है कोई आदेश पारित करने की अधिकारिता से रहित है और केवल उस आधार पर आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं हैं—इसके अतिरिक्त, याची के सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों से वसूली के लिए निर्देश जारी किए जाने के पहले याची को नोटिस जारी नहीं किया गया है जो भी पेंशन नियमावली के नियम 43(b) की दृष्टि में असंपोषणीय है—आक्षेपित आदेश अभिखंडित किए गए। (पैराएँ 8, 9 एवं 10)

निर्णयज विधि.—2002 (1) J.L.J.R. 697; 2015 (1) JBCJ 318 (SC) : (2015) 4 SCC 334; (2012) 8 SCC 417—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Sameer Saurabh, For the Petitioner; Mr. Rakesh Kumar Shahi, For the Resp.-State of Jharkhand; M/s Pankaj Kumar, S.P. Roy, For the Resp.-State of Bihar.

आदेश

वर्तमान रिट आवेदन में, याची ने अन्य बातों के साथ दिनांक 1.6.2002 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है और आगे प्रोन्नति की गलत तिथि के आधार पर याची को भुगतान की गयी अंतर की राशि की वसूली से संबंधित प्रत्यर्थियों द्वारा जारी दिनांक 29.6.2002 के पत्र के अभिखंडन के लिए प्रार्थना की गयी है और याची सांविधिक ब्याज सहित देयों के बकाया के प्रदान के लिए प्रत्यर्थी को आज्ञा देने वाले परमादेश रिट जारी करने के लिए प्रार्थना करता है।

2. रिट आवेदन में यथा प्रकथित संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची ने आरंभ में 10.3.1973 को निर्धारित कर्म स्थापन में पर्यवेक्षक ग्रेड III पद पर सेवा ग्रहण किया और वर्ष 1978 में याची को रिट याचिका के परिशिष्ट 3 के मुताबिक उसकी आरंभिक नियुक्ति की तिथि अर्थात 10.3.1973 से कनीय अभियन्ता के पद पर आमेलित किया गया था। लंबी अवधि की सेवा देने के बाद याची अधीक्षक अभियन्ता, हाइड्रोलिक सर्किल, राँची के कार्यालय से कनीय अभियन्ता के पद से 31.7.2001 को सेवानिवृत्त हुआ। चूँकि याची को समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया था, याची डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 1826 वर्ष 2002 में इस न्यायालय के पास आया जिसे 29.3.2002 को प्रत्यर्थियों को विवाद्यकों कि क्या याची किसी समयबद्ध प्रोन्नति का हकदार था और यह भी कि याची के पक्ष में सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान क्यों नहीं किया गया है, विनिश्चित करने के निर्देश तथा आगे चार माह की अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति लाभों सहित स्वीकृत देयों का याची को भुगतान करने का निर्देश के साथ निपटाया गया था। रिट याचिका के परिशिष्ट 5 के तहत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने परिशिष्ट 6, 7 एवं 8 के तहत दिनांक 1.6.2002, 29.6.2002 एवं 29.10.2002 के आदेशों को पारित किया है जो इस रिट आवेदन में चुनौती के अधीन हैं। पूर्वोक्त आदेशों से व्यथित होकर याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के पास आया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के क्रम के दौरान निवेदन किया कि रिट आवेदन के परिशिष्टों 6, 7 एवं 8 के तहत आक्षेपित आदेशों को जारी करने में प्रत्यर्थी सं॰ 6 की कार्रवाई अधिकारिताहीन है। झारखंड राज्य के सृजन के बाद, चूँकि याची वर्ष 2001 में झारखंड राज्य से सेवानिवृत्त हुआ है और **बिहार राज्य बनाम अरविन्द बिजय बिलंग एवं एक अन्य,** 2002 (1) JLJR 697, में दिए गए निर्णय की दृष्टि में बिहार राज्य याची को सेवा निवृत्ति के बाद, आदेश पारित करने की अधिकारिता से रहित है। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं, जहाँ तक कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना वसूली के निर्देश का संबंध है, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि रिट आवेदन का परिशिष्ट 3 स्पष्टत: कथन करता है कि याची को उसकी आरंभिक नियुक्ति की तिथि अर्थात 10.3.1973 से सरकारी पद में आमेलित किया गया था, अत: याची दस वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद अर्थात वर्ष 1983 में समयबद्ध प्रोन्नति का हकदार था। चूँकि याची को वर्ष 1988 से समयबद्ध प्रोन्नति दी गयी थी, इसे 1983 से पूर्व दिनांकित किया जाना चाहिए था।

4. रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि याची 31.7.2001 को मास्टर प्लानिंग

इनवेस्टिगेशन एवं हाइड्रोलॉजी सर्किल I राँची के कार्यालय से सेवानिवृत्त हुआ है। उसे दिनांक 27.9.1978 की अधिसूचना के मुताबिक जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा कनीय अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके पहले वह अधीक्षण अभियन्ता, तिरहुत नहर सर्किल, समस्तीपुर द्वारा जारी दिनांक 7.3.1973 के पत्र के मुताबिक 10.3.1973 से निर्धारित कर्म स्थापन में पर्यवेक्षक ग्रेड III के रूप से कार्यरत था। उसे निर्धारित कर्म स्थापन में आमेलित किए जाने के पहले मस्टर रॉल पर काम पर लगाया गया था। किंतु, उसे अधीक्षण अभियन्ता, तिरहुत कनाल सर्किल, समस्तीपुर के दिनांक 22.11.1975 के पत्र के मुताबिक पर्यवेक्षक ग्रेड-II के पद पर प्रोन्नत किया गया था, किंतु तत्कालीन मुख्य अभियन्ता II, गंडक परियोजना, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 22.6.1976 के पत्र के माध्यम से रद्द किया गया था जिसे अधीक्षण अभियन्ता, मोतीहारी द्वारा दिनांक 15.7.1976 के पत्र के माध्यम से संपुष्ट किया गया था। बाद में, कार्यपालक अभियन्ता, बागमती डिविजन, बागमती नगर ने दिनांक 22.3.1980 के अपने पत्र के माध्यम से दिनांक 10.3.1973 के पत्र को निर्दिष्ट करके वेतन वृद्धि मंजूर किया, जिसे दिनांक 1.6.2002 के पत्र के माध्यम से जल संसाधन विभाग, बिहार, मुख्यालय द्वारा अधिक्रांत किया गया है। विभाग के मुख्यालय को अपने फील्ड ऑफिसरों की कार्रवाई सुधारने का प्रत्येक अधिकार है जब कभी भी यह मुख्यालय के ध्यान में आता है। तद्द्वारा जल संसाधन विभाग ने 10.3.1973 से उसके वेतन के गलत नियतकरण के कारण श्री सिंह से राशि आधिक्य की वसूली का आदेश दिया है। इसे दिनांक 14.12.2002 के पत्र के मुताबिक भी जल संसाधन विभाग, झारखंड द्वारा संपुष्ट किया गया है याची को जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार से 27.9.1978 को जारी नियुक्ति पत्र के मुताबिक कनीय अभियन्ता के रूप में उसके पद ग्रहण की तिथि अर्थात 29.9.1978 के प्रति निर्देश में प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति दी गयी है। अत: जल संसाधन विभाग, बिहार/झारखंड की कार्रवाई बिलकुल न्यायोचित, सेवा संहिता के प्रावधानों के अधीन शक्ति एवं अधिकारिता के भीतर है।

5. ए॰ ए॰ जी॰ के विद्वान जे॰ सी॰ श्री राकेश कुमार शाही ने प्रतिशपथपत्र में किए गए निवेदनों को दोहराने के अतिरिक्त जोरदार निवेदन किया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा इस आधार पर कि सद्भावपूर्ण गलती समय के किसी बिन्दु पर सुधारी जा सकती है, प्रत्यर्थियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में दुर्बलता अथवा अवैधता नहीं है। चूँकि आरंभिक नियुक्ति की तिथि का अर्थ सेवा नियमित करने की तिथि के रूप में गलत रूप से लगाते हुए वेतन का गलत नियमितिकरण किया गया है, अत:, प्रत्यर्थियों के पास वेतन के नियतकरण को परिशुद्ध करने के अलावा विकल्प नहीं है और वेतन का नियमित नियतकरण आरंभिक नियुक्ति की तिथि अर्थात 10.3.1973 के बजाए नियमितकरण की तिथि अर्थात 1978 को किया जाना चाहिए था, अत: रिट आवेदन में गुणागुण नहीं है और यह आरंभ में ही खारिज किए जाने का दायी है।

6. प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के निवेदनों के कमोबेश दोहराते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 6 की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है।

7. प्रत्यर्थी बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जी॰ ए॰, बिहार श्री एस॰ पी॰ रॉय के विद्वान जे॰ सी॰ श्री पंकज कुमार ने निवेदन किया है कि उपसचिव, झारखंड राज्य, राँची द्वारा पारित आदेश के तहत झारखंड राज्य द्वारा इप्सित स्पष्टीकरण पर बिहार राज्य द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किए गए है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर यह न्यायालय रिट आवेदन के परिशिष्टों 6 से 8 के तहत आक्षेपित आदेशों में निम्नलिखित आधारों पर हस्तक्षेप करने का इच्छुक है:–

LohÑr :i l] ;kph rRdkyhu fcgkj jkT; d foHkktu d ckn rFkk >kj[kM jkT; d l tu d ckn vèkh{k.k vfHk;Urk] gkbMkfyd lfdy] jkph d dk;ky; l duh; vfHk;Urk d in l 31.7.2001 dk >kj[kM jkT; l lokfuoÙk gvkA fcgkj jkT; cuke vjfoUn fct ; fcyx ,o ,d vU;] 2002 (1) JLJR 697 e fn, x, fu.k; e ;Fkk fufn"V fcgkj iuxBu vfèkfu;e] 2000 dh èkkjkvk 72 ,o 74 d çkl fxd çkoèkkuk dh nf"V e fcgkj jkT; dkb vkn'k ikfjr dju dh vfèkdkfjrk l jfgr g tgk rd >kj[kM jkT; d l tu ij >kj[kM jkT; d depkfj;k dk lcèk g vkj doy ml vkèkkj ij vk{kfir vkn'k fofèk dh nf"V e lik"k.kh; ugh gA MCy0 ih0 (,l0) l0 1826 o"k 2002 e ikfjr fnukd 19.3.2002 d vkn'k d ifj'khyu ij bl U;k;ky; u lfpo] ty l lkèku foHkkx] >kj[kM ljdkj dk lefpr vkn'kk dk ikfjr dju dk fun'k fn;k g] fdr tlk çrhr gkrk g] çR;Fkh >kj[kM jkT; }kjk vk{kfir vkn'k ikfjr ugh fd;k x;k g vkj fcgkj jkT; }kjk vk{kfir vkn'k ikfjr fd, x, g tk iokDr fu.k; dh nf"V e vuK; ugh gA vfèkdkfjrk fcUn d nf"Vdk.k ij fofèkd voLFkk d vfrfjDr] tgk rd olyh dk lcèk g] iokDr vk{kfir vkn'k bl rF; dh nf"V e lik"k.kh; ugh g fd ;kph d lokfuofÙk i'pkr ykHkk l olyh d fy, fun'k tkjh fd, tku d igy ;kph dk ukfVl tkjh ugh fd;k x;k g tk Hkh i'ku fu;ekoyh dh èkkjk 43(B) dh nf"V e lik"k.kh; ugh gA tgk rd olyh Hkkx dk lcèk g] ekuuh; lokPp U;k;ky; u pMh çlkn mfu;ky ,o vU; cuke mÙkjk[kM jkT; ,o vU;] (2012)8 SCC 417, e fn, x, fu.k; lfgr vud fu.k;k ij fo'okl djr g, itkc jkT; ,o vU; cuke jQhd e'khg (puk okyk) ,o vU;] (2015)4 SCC 334 **[: 2015 (1) JBCJ 318 (SC)],** e fn, x, fu.k; e ekuuh; lokPp U;k;ky; u ijkxkQ 18 ij fuEufyf[kr vfHkfuèkkfjr fd;k g%

^^18. dfBukbi dh leLr fLFkfr;k tk] tgk mudh gdnkjh d ij fu;kDrk }kjk xyr :i l Hkxrku fd;k x;k g] olyh d fook|d ij depkfj;k dk 'kkflr djx] çfrikfnr djuk lHko ugh gA pkg tk Hkh gk] ;gk mij fufn"V fu.k;k d vkèkkj ij ge Rofjr fun'k d :i e dN fuEufyf[kr fLFkfr;k dk lf{kIr dj ldr g ftue fu;kDrk }kjk olyh fofèk e vuuK; gkxh%

(i) ox III ,o ox IV lok (vFkok leg C rFkk leg D lok) l vku oky depkfj;k l olyhA

(ii) lok fuoÙk depkjh vFkok depkjh tk olyh d vkn'k d ,d o"k d Hkhrj lok fuoÙk gku oky g l olyhA

(iii) olyh vkn'k tkjh fd, tku d igy depkfj;k l olyh tc ikp o"kk d ij dh vofèk d fy, vkfèkD; dk Hkxrku fd;k x;k gA

(iv) ,l ekeyk e olyh tgk depkjh d fy, mPprj in d dr0;k dk fuogu djuk vo';d cuk;k x;k g vkj rnulkj Hkxrku fd;k x;k g ;fi ml d fy, fuEurj in d fo:) dk; djuk lgh çdkj l vko';d cuk;k tkuk pkfg, FkkA

*(v) fdlh vU; ekeyk e tgk U;k;ky; bl fu"d"k ij vkrk g fd ;fn depkjh l olyh dh tkrh g] ;g ,h lhek rd ?kkj vU;k;i.k vFkok dBkj vFkok euekuk gkxk tk olyh dju d fu;kDrk d vfèkdkj d lkE;ki.k lryu ij Hkkjh iMxkA***

9. पूर्वोक्त पैराग्राफों में कथित कारणों की दृष्टि में तथा तार्किक परिणति के रूप में प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा परिशिष्टों 6, 7 एवं 8 के तहत पारित दिनांक 1.6.2002, 29.6.2002 और 29.10.2002 के आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं हैं। तद्नुसार, इसे एतद्द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

10. रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vfuy dekj pkèkjh] U;k;efrx.k

गगन कुमार उर्फ मिंटू एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No.1535 of 2007. Decided on 18th December, 2017.

एस॰ टी॰ सं॰ 418 वर्ष 2005 में अपर न्यायिक आयुक्त XVII, राँची द्वारा पारित दिनांक 12 जुलाई, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 17.7.2007 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 323/34—हत्या एवं घोर उपहति—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः संपुष्ट किया गया है—मृतक के मस्तक पर प्रहार दोहराने का अभिकथन नहीं है और शव परीक्षण में केवल एक विदीर्ण जख्म पाया गया था—यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्तों की ओर से मृतक की हत्या करने का आशय था यदि ऐसा कोई आशय रहा होता, मृतक के सिर पर वार दोहराया गया होता—यह दोनों अपीलार्थियों की भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्धि के संपरिवर्तन के लिए सुयोग्य मामला है—तद्नुसार, दोषसिद्धि एवं दंडादेश उपांतरित किया गया। (पैराएँ 12 से 14)

अधिवक्तागण.—M/s B.M. Tripathy, Naveen Kr. Jaiswal, For the Appellants; Mr. Azeemuddin, For the State.

न्यायालय द्वारा—अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. दोनों अपीलार्थीगण एस॰ टी॰ सं॰ 418 वर्ष 2005 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त XVII, राँची द्वारा पारित दिनांक 12.7.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 17.7.2007 के दंडादेश से व्यथित हैं जिसके द्वारा दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 323/34 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई पर, दोनों अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है और आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन अपराध के लिए प्रत्येक को एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

3. अभियोजन मामला के अनुसार, घटना 26.3.2005 को हुई थी और यह अभिकथित किया गया है कि होली के अवसर पर सूचक सूरन राम ने रंग बेचने के लिए स्टॉल लगाया था। यह अभिकथित किया गया है कि दोनों अभियुक्त अपीलार्थियों ने उक्त स्टॉल से 200/- रुपयों का रंग लिया किंतु उन्होंने भुगतान नहीं किया था और मांगने पर उन्होंने गंभीर परिणाम की चेतावनी दी और कोई भुगतान किए बिना चले गए। तत्पश्चात, अपराह्न लगभग 2 बजे जब सूचक, उसका भाई सुधीर राम और उसकी बहन का पुत्र सुशील कुमार वर्मा सेवा सदन अस्पताल की ओर जा रहे थे, दोनों अभियुक्तगण लोहे की छड़ से लैस होकर आए और उन्होंने सुधीर राम के मस्तक पर प्रहार किया जिस कारण वह बेहोश हो गया। उसकी बहन का पुत्र उसे बचाने आया जिस पर भी दोनों अभियुक्तों द्वारा उसके हाथ पर उपहति कारित करते हुए प्रहार किया गया था और तत्पश्चात, दोनों अभियुक्त भाग गए। सूचक के घायल भाई को उसके इलाज के लिए नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल लाया गया था, जहाँ इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी। सूचक सुरन राम का पूर्वोक्त प्रभाव का फर्दबयान उक्त अस्पताल में 26.3.2005 को अपराह्न लगभग 4 बजे दर्ज किया गया था जिसके आधार पर कोतवाली पी॰ एस॰ केस सं॰ 184 वर्ष 2005, जी॰ आर॰ सं॰ 923 वर्ष 2005 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 323, 325/34 के अधीन अपराध के लिए दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया।

4. सत्र न्यायालय को मामला की सुपुर्दगी के बाद दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 325/34 एवं 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्तों के निर्दोषिता का अभिवचन करने पर और विचारण किए जाने का दावा करने पर उनका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन ने आई॰ ओ॰ तथा मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर सहित सात गवाहों का परीक्षण किया है, जिनमें से एक गवाह अर्थात अ॰ सा॰ 6 विजय राम पक्षद्रोही हो गया था और अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया था। उसने केवल यह कथन किया है कि उसने किसी को मृतक पर प्रहार करते देखा और बाद में उसे जानकारी हुई कि मृतक की मृत्यु हो गयी थी।

5. अ॰ सा॰ 5 सुरेन राम मामला में सूचक है और मृतक का भाई है। इस गवाह ने कथन किया है कि घटना 26.3.2005 को हुई थी जो शनिवार था। उसने रंग बेचने के लिए स्टॉल खोला था जहाँ से अभियुक्तों ने 200/- रुपए मूल्य का रंग खरीदा था, किंतु उन्होंने इसके लिए धन का भुगतान नहीं किया था और मांग पर उन्होंने गंभीर परिणामों की धमकी दी और चले गए। इसी दिन पर, अपराह्न लगभग 2 बजे सूचक अपने मृतक भाई सुधीर राम एवं अपनी बहन के पुत्र सुशील कुमार वर्मा के साथ औषधि लेने अस्पताल जा रहा था जब दोनों अभियुक्त लोहे की छड़ से लैस होकर आए और उन्होंने इस गवाह के भाई के मस्तक पर प्रहार किया एवं रक्त बहती उपहति कारित किया और वह बेहोश हो गया। इस गवाह का बहन का पुत्र भी उसे बचाने आया जिस पर भी अभियुक्तों द्वारा लोहे की छड़ से उसके हाथ पर उपहति कारित करते हुए प्रहार किया और जब यह गवाह उनको बचाने गया, दोनों अभियुक्तगण भाग गए। तत्पश्चात, घायल भाई को उसके इलाज के लिए नगरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल लाया गया था, जहाँ इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा दी गयी सूचना पर पुलिस आयी और फर्दबयान दर्ज किया जिसपर उसने अपना हस्ताक्षर और अपनी बहन के पुत्र का हस्ताक्षर पहचाना है जिन्हें प्रदर्श 1 एवं 1/a चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया है कि मृत शरीर

की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की गयी थी जिसपर उन दोनों ने अपना हस्ताक्षर किया था और उसने दोनों हस्ताक्षरों को पहचाना है जिन्हें प्रदर्श 2 एवं 2/a चिन्हित किया गया है। उसने न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना है। उसके प्रति परीक्षण में उसके परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने के लिए अधिक महत्व का कुछ नहीं है।

6. अ० सा० 2 सुशील कुमार वर्मा सूचक की बहन का पुत्र है और अ० सा० 1 सतीश राम भी घटना का चश्मदीद गवाह है और उन्होंने भी अभियोजन मामला का समर्थन किया है जिसमें एकमात्र फर्क यह है कि अ० सा० 1 सतीश राम ने कथन किया है कि इन अपीलार्थियों सहित तीन व्यक्तियों ने मृतक पर प्रहार किया था। उन दोनों ने कथन किया था कि अभियुक्तों द्वारा मृतक के मस्तक पर प्रहार किया गया था। बाद में मृतक की मृत्यु हो गयी और घटना में सुशील कुमार वर्मा भी घायल हुआ था। अ० सा० 2 सुशील कुमार वर्मा ने फर्दबयान एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर पहचाना है जिन्हें उक्त वर्णित रूप में प्रदर्श चिन्हित किया गया था। इन दोनों गवाहों ने न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना है और प्रतिपरीक्षण की परीक्षा पर खरे उतरे और उनका परिसाक्ष्य ठुकराने के लिए उनके प्रतिपरीक्षण में कुछ नहीं है।

7. अ० सा० 3 डॉ० चंद्रशेखर प्रसाद ने 27.3.2005 को मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहतियाँ पाया था:–

[kjkp%

(i) ck;h ckg d ik'o Hkkx ij 1.5 cm.

(ii) ck, vxckg&fupyk fgLlk d ihN 1.5 cm.

(iii) ck; lkeu d ?kVu ij 2.1 cm ,o 3.1 cm

(iv) nk, lkeu d ?kVu ij 1.1 cm

(v) ck, vxckg mijh Hkkx d ihN ij 7.5 cm.

(vi) nk, xky ij 5.3 cm.

fonh.k t[e%

(i) eLrd d ck, ijkbVy {k= ij 2.1 cm x vfLFk rd xgjk

vkrfjd migfr;k%

ck, VEikjk ijkbVy LdkYi dk fM¶;TM dV; tu FkkA cu d nkuk fgLlk ij lCM;jy jDr ,o jDr d FkDdk d lkFk cu dk dV; tu FkkA

इस गवाह ने कथन किया है कि समस्त उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित मृत्यु पूर्व प्रकृति की थी और मस्तक उपहति के कारण मृत्यु कारित हुई थी। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि मस्तक उपहति एकल वार द्वारा कारित की गयी थी।

8. अ० सा० 4 डॉ० सुरेश नाग यादव है, जिन्होंने 26.3.2005 को अ० सा० 2 सुशील कुमार वर्मा पर उपहतियों का परीक्षण किया गया था, किंतु यह गवाह प्राइवेट चिकित्सक है और उन्होंने उपहति रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया है। उन्होंने उक्त घायल पर तीन उपहतियाँ पाया गया है जिनमें से एक बाएँ हाथ पर मेटाकार्पल अस्थि का फ्रैक्चर था जो गंभीर प्रकृति का था जबकि अन्य सरल प्रकृति की थी।

9. अ॰ सा॰ 7 सरजू पंडित है, जो मामला का आई॰ ओ॰ है। इस गवाह ने कथन किया है कि 26.3.2005 को वह कोतवाली पुलिस थाना में एस॰ आई॰ के रूप में पदस्थापित था और उस तिथि को नागरमल मोदी सेवा सदन, राँची से एक ओ॰ डी॰ परची प्राप्त किया था जिसे दिनांक 26.3.2005 की सनहा सं॰ 796 के रूप में प्रविष्ट किया गया था और उसके बाद वह उक्त अस्पताल गया था, जहाँ वह अपराह्न लगभग 4 बजे पहुँचा और उसने अस्पताल में सूचक सुरेन राम का फर्दबयान दर्ज किया जिसे उसने पहचाना था और इसे प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया था। उसने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में सुशील कुमार वर्मा की उपहति रिपोर्ट के लिए तलब पहचाना है जिसे प्रदर्श 7 चिन्हित किया गया था और उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 8 चिन्हित किया गया था। उसके द्वारा मृत शरीर चालान प्रदर्श 9 के रूप में सिद्ध किया गया था और उसने औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 10 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने घटना स्थल का वर्णन दिया है और अपने द्वारा किए गए अन्वेषण के बारे में कथन किया है। उसने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी भी किया था और शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने पर उसने अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। यद्यपि, इस गवाह का विस्तार पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया है, किंतु उसके प्रतिपरीक्षण में अधिक महत्व का कुछ नहीं है।

10. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य, विशेषत: अ॰ सा॰ 5 सुरेन राम एवं अ॰ सा॰ 2 सुशील कुमार वर्मा जो घायल भी हुआ था के साक्ष्य की दृष्टि में अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने अत्यन्त निष्पक्षत: निवेदन किया वह अपना तर्क केवल इस निवेदन तक सीमित रखेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपीलाथियों की दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्धि में संपरिवर्तित की जाए। अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि चश्मदीद गवाहों के अनुसार भी मृतक के मस्तक पर वार का दोहराव नहीं था और शव परीक्षण करने वाले डॉ॰ चंद्रशेखर प्रसाद अ॰ सा॰ 3 ने भी मृतक के मस्तक पर केवल एक विर्दीण जख्म पाया। अन्य उपहतियाँ शरीर के गैर महत्वपूर्ण भागों पर थीं और केवल खरोंच थीं, तद्नुसार विद्वान वरीय अधिवक्ता ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर निवेदन किया कि यह कहा जा सकता है कि मृतक की हत्या करने का अभियुक्तों की ओर से आशय नहीं था यद्यपि लोहे की छड़ से प्रहार के कारण मृत्यु होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले के तथ्यों में केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन और न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध बनता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनों अपीलार्थीगण बारह वर्षों से अधिक से अभिरक्षा में है और इस दशा में उन्होंने पर्याप्त दंड भुगत लिया है और उन्हें कारा अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाना चाहिए।

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है। यह निवेदन किया गया है कि घटना के तीन चश्मतीद गवाह हैं, जो अ॰ सा॰ 5 सूरेन राम, अ॰ सा॰ 2 सुशील कुमार वर्मा, जो घटना में घायल भी हुआ था और अ॰ सा॰ 1 सतीश राम है जिन्होंने अभियोजन मामला का पूर्णत: समर्थन यह कथन करते हुए किया कि दोनों अभियुक्तों ने मृतक के मस्तक पर लोहे की छड़ से प्रहार किया था। यह निवेदन भी किया गया है कि उनका चाक्षुक साक्ष्य अ॰ सा॰ 3 डॉ॰ चंद्रशेखर प्रसाद के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: संपुष्ट किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध बनता है और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

12. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख का परीक्षण करने पर, हम अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता के निवेदन में सार पाते हैं। सूचक अ॰ सा॰ 5 सुरेन राम तथा अ॰

सा॰ 2 सुशील कुमार वर्मा जो घटना में घायल हुआ था का साक्ष्य स्पष्टत: दर्शाता है कि उन्होंने मृतक के मस्तक पर किए गए केवल एक प्रहार के बारे में कथन किया है। मृतक के मस्तक पर प्रहार दोहराने का अभिकथन नहीं है और अ॰ सा॰ 3 डॉ॰ चंद्रशेखर प्रसाद द्वारा मृतक के मृत शरीर के शव परीक्षण में केवल एक विदीर्ण जख्म पाया गया था। मामले के उस दृष्टिकोण में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक की हत्या करने का अभियुक्तों की ओर से कोई आशय था। यदि ऐसा आशय होता, मृतक के मस्तक पर बार दोहराया गया होता। इस दशा में, हम पाते हैं कि यह दोनों अपीलार्थियों की दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उसकी दोषसिद्धि से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्धि में संपरिवर्तन के लिए सुयोग्य मामला है।

13. तद्नुसार, एस॰ टी॰ सं॰ 418 वर्ष 2005 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त XVII, राँची द्वारा पारित दिनांक 12.7.2007 की दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि दोनों अपीलार्थियों अर्थात गगन कुमार उर्फ मिन्टू उर्फ गगन कुमार वर्मा और गौतम कुमार उर्फ बिट्टू उर्फ गौतम कुमार वर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है। सुशील कुमार वर्मा अ॰ सा॰ 2 को उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन उनकी दोषसिद्धि भी पोषित की जाती है। यद्यपि यह गवाह गंभीर उपहति से पीड़ित बताया जाता है, किंतु उसका परीक्षण प्राइवेट चिकित्सक द्वारा किया गया था जो विश्वास उत्पन्न नहीं करता है।

14. तद्नुसार, अपीलार्थियों को धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने तथा प्रत्येक को 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश देते हुए दिनांक 17.7.2007 का आक्षेपित दंडादेश भी अपास्त किया जाता है। चूँकि हम दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्ध कर रहे हैं और भले ही इसके लिए महत्तम दंडादेश अर्थात 10 वर्ष का सश्रम कारावास अपीलार्थियों पर अधिरोपित किया जाता है, उन्होंने पहले ही इसे भुगत लिया है क्योंकि वे बारह वर्ष से अधिक से अभिरक्षा में है।

15. मामला के उस दृष्टिकोण में दोनों अपीलार्थियों गगन कुमार उर्फ मिन्टू उर्फ गगन कुमार वर्मा और गौतम कुमार उर्फ बिट्टू उर्फ गौतम कुमार वर्मा को निर्मुक्त करने तथा तुरन्त स्वतंत्र करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामला में उनके निरोध आवश्यक नहीं है।

16. तद्नुसार, पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में उपांतरण के साथ यह अपील खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख संबंधित न्यायालय को तुरन्त वापस भेजी जाए।

---

ekuuh; vfuy dekj pkèkjh] U;k;efr

राजा ओराँव एवं एक अन्य

cuke

इलियास ओराँव एवं अन्य

S.A. No.137 of 1998 (R). Decided on 5th April, 2018.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 22, नियम 1–वाद का उपशमन–विधिक उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन में विलंब–अपीलार्थीगण दूरस्थ गाँव में निवास करनेवाली वृद्ध देहाती आदिवासी महिलाएँ हैं–मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विधि के सिद्धांत पर विचार करते हुए यह सुयोग्य मामला है जहाँ प्रत्यर्थी सं० 3, 6, 7 एवं 8 के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका दाखिल करने में विलंब माफ किया जाए और व्यय के भुगतान के अध्यधीन उपशमन अपास्त किया जाए–प्रत्यर्थी सं० 3, 6, 7 एवं 8 के विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका दाखिल करने में विलंब माफ किया गया एवं उपशमन अपास्त किया गया और प्रत्यर्थी सं० 3, 6, 7 एवं 8 के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 16, 17 एवं 18)

निर्णयज विधि.–2008 AIR SCW 6025; 2010 AIR SCW 6415; (2003) 3 SCC 272—Referred; AIR 1985 SC 606—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. S. K. Sharma, For the Appellants; Mr. Lalit Kr. Lal, For the Respondent.

आदेश

आई०ए०सं० 1390 वर्ष 2017 तथा आई०ए०सं० 1391 वर्ष 2017

पक्षकार सुने गए।

2. अपीलार्थियों द्वारा अंतर्वर्ती आवेदन सं० 1390 वर्ष 2017 विलंब माफ करने तथा उपशमन, यदि हो, अपास्त करने के बाद मृतक प्रत्यर्थी सं० 3, 6, 7 एवं 8 के विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन तथा प्रोफॉर्मा प्रत्यर्थी सं० 15 के रूप में अर्नेष्ट ओराँव को पक्षकार बनाने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गयी है।

3. अंतर्वर्ती आवेदन सं० 1391 वर्ष 2017 अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यर्थी सं० 3, 6, 7 एवं 8 के विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका दाखिल करने में विलंब माफ करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

4. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं०3 की मृत्यु अपने पीछे अपने केवल दो विधिक प्रतिनिधियों, जिनके नामों, पतों एवं माता–पिता के नाम को अंतर्वर्ती आवेदन सं० 1390 वर्ष 2017 के पैराग्राफ 11 में उल्लिखित किया गया है, को छोड़ते हुए 6.3.2009 को हो गयी। आगे यह निवेदन किया गया है कि अर्नेस्ट ओराँव उक्त प्रत्यर्थी सं० 3 पास्कल ओराँव के पुत्रों में से एक है किंतु अर्नेस्ट ओराँव को अपीलार्थी सं०1 द्वारा गोद लिया गया है और उसका हित अपीलार्थी सं०1 के साथ सह विस्तारी है, अतः अर्नेस्ट ओराँव को प्रत्यर्थी सं०3 के विधिक प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाए जाने के बजाए, यह प्रार्थना की गयी है, उसे प्रोफोर्मा प्रत्यर्थी सं०15 बनाया जाना चाहिए।

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं०4 से 13 विचारण न्यायालय में वादीगण के रूप में प्रत्यर्थी सं०1, 2, 3 द्वारा दाखिल वाद में प्रोफोर्मा प्रतिवादी थे।

6. द्वितीय अपील ग्रहण के बाद दिनांक 10.11.2004 के आदेश सं॰ 22 के तहत इस न्यायालय के अनिवार्य आदेश के अननुपालन के लिए खारिज की गयी थी और इस द्वितीय अपील को फाइल में पुनर्स्थापन के लिए सी०एम०पी० सं० 120 वर्ष 2005 दाखिल किया गया था और उक्त सी०एम०पी० में प्रत्यर्थी सं० 6, 7 एवं 8 पर वर्ष 2014 में वैध रूप से नोटिस तामील किया गया था और परिणामतः दिसंबर, 2013 तथा जनवरी, 2014 के बीच किसी समय किसी क्रिस्टीन एक्का द्वारा इसे प्राप्त किए जाने के बाद रजिस्टर्ड पत्रों की अभिस्वीकृति वापस पाए गए थे। सी०एम०पी०सं० 120 वर्ष 2005 दिनांक

5.2.2015 के आदेश के निबंधनानुसार अनुज्ञात की गयी थी और यह द्वितीय अपील इसके मूल फाइल में पुनर्स्थापित की गयी थी।

7. प्रत्यर्थी सं॰1 एवं 2 ने 30.1.2017 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 10A के अधीन याचिका दाखिल किया जिसके द्वारा उन्होंने सूचित किया कि प्रत्यर्थी सं॰ 6, 7 एवं 8 अर्थात मतियस ओराँव, एन्जेलस ओराँव एवं याकूब ओराँव की मृत्यु अपने पीछे अपने विधिक प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों को छोड़ते हुए हो गयी। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰6 अर्थात मतियस ओराँव की मृत्यु 2.1.2007 को अपने पीछे अपने केवल तीन विधिक प्रतिनिधियों को छोड़ते हुए हो गयी जिनके नामों, माता-पिता तथा पता का उल्लेख अंतर्वर्ती आवेदन सं॰ 1390 वर्ष 2017 के पैरा 8 में किया गया है। प्रत्यर्थी सं॰7 अर्थात एन्जेलस ओराँव की मृत्यु 18.8.2001 को अपने पीछे अपने केवल तीन विधिक प्रतिनिधियों को छोड़ते हुए हो गयी जिनके नामों, माता-पिता तथा पता का उल्लेख अंतर्वर्ती आवेदन सं॰ 1390 वर्ष 2017 के पैरा 9 में किया गया है। प्रत्यर्थी सं॰8 अर्थात याकूब ओराँव की मृत्यु अप्रिल, 2004 में अपने पीछे अपने केवल तीन विधिक प्रतिनिधियों को छोड़ते हुए हो गयी जिनके नाम, माता-पिता एवं पता का उल्लेख अंतर्वर्ती आवेदन सं॰ 1390 वर्ष 2017 के पैरा 10 में किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी सं॰ 1, 80 वर्ष की आयु की आदिवासी महिला है और वह दूरस्थ गाँव में रहने वाली देहाती महिला है और विधि की जटिलता तथा सिविल कार्यवाही में मृतक पक्ष के विधिक प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन की आवश्यकता से अवगत नहीं है। अत:, यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 3, 6, 7 एवं 8 के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका दाखिल करने में विलंब माफ किया जाए और उपशमन, यदि हो, अपास्त किया जाए और मृतक प्रत्यर्थी सं॰ 3, 6, 7, 8 के विधिक प्रतिनिधियों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए।

8. अपने प्रतिवाद के समर्थन में अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **पेरूमॉन भागवथी देवस्वम पेरिनाडू ग्राम बनाम भार्गवी अम्मा (मृत) एल॰आर॰ द्वारा एवं अन्य, 2008 AIR SCW 6025** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया। जिसमें पैराओं 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपशमन अपास्त करने के लिए सिद्धांत पर विचार किया है और इसे संक्षिप्त किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^^8- bl idkj mi'keu vikLr dju d fy, vkonuk ij fopkj dju e i;kT; fl)kr fuEufyf[kr :i e lf{klr fd, tk ldr g%&*
>
> *(i)* ***'kCnk ^^ifjlhek dh vofèk d Hkhrj vkonu ugh nu d fy, i;klr dkj.k** dk ;fDr;Dr] 0;ogkfjd ,o mnkjoknh rjhd l ekeyk d rF;k ,o ifjfLFkfr;k rFkk ekeyk d idkj ij fuHkj djr g, le>k tkuk ,o ykx fd;k tkuk pkfg,A ifjlhek vfèkfu;e dh èkkjk 5 e 'kCnk ^^i;klr dkj.k** dk mnkjoknh vFkkUo;u fd;k tkuk pkfg, rkfd lkjoku U;k; vxlj fd;k tk ld tc foyc vihykFkh dh vkj l fdlh foycdkjh ;fDr] lnHkko dh deh] tkuc>dj fuf"Ø;rk vFkok mi{kk d dkj.k ugh gA***
>
> *(ii)* ***foyc dh ekQh d fy, dkj.kk ij fopkj dju e U;k;ky; vU; ekeyk dh ryuk e mi'keu vikLr dju d fy, vkonuk d ifr fun'k e vfèkd mnkj gA ;|fi U;k;ky; dk è;ku e j[kuk gkxk fd erd iR;Fkh d fofèkd ifrfufèk;k dk cgeY; vfèkdkj iknHkr gkrk g tc vihy mi'kefur gkrh g] ;g vuk'kf;r pd d fy, vihy dk igy gh cn djd vihykFkh dk nfMr ugh djxkA U;k;ky; mi'keu d***

vkèkkj ij vihy lekIr dju d ctk, mi'keu vikLr dju rFkk x.ktx.k ij ekeyk fofuf'pr dju dh iofr j[krk gA

(iii) foyc dh ekQh e fu.kk;d dkjd foyc dh vofèk ugh cfYd lrk"ktud Li"Vhdj.k dh i;kIrrk gA

(iv) U;k;ky; }kjk n'kk;h tku okyh mnkjrk dh lhek vFkok fMxh vkonu dh idfr ,o ekeyk d rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fuHkj djrh gA mnkgj.kLo:i] ***U;k;ky; vihy d lLFkkiu e foyc dh ryuk e yfcr vihy e vkonu nu e foyc dk vfèkd ujeh l n[krk gA*** *U;k;ky; okndkj dh pd l lcfèkr vkonuk dh ryuk e vfèkoDrk d pd l lcfèkr vkonuk dk vfèkd ujeh l n[krk gA ,d 'kkL=h; mnkgj.k vihy nkf[ky dju e foyc dh ekQh d fy, vkonuk d ifr vkj =fV;k dk lèkkju d ckn vihy iu% nkf[ky dju e foyc dh ekQh d fy, vkonuk d ifr U;k;ky;k d nf"Vdk.k e fHkUurk gA*

(v) ^rRijrk dh deh vFkok ^fuf"Ø;rk* d fy, vihykFkh dk mÙkjnk;h doy rc Bgjk;k tk ldrk g tc mld }kjk fd, tku d fy, vko';d dkb pht ugh dh x;h gA tc dN Hkh dju dh vko';drk ugh g] U;k;ky; vihykFkh d rRij gku dh mEehn ugh dj ldr gA* ***tgk mPp U;k;ky; }kjk vihy xg.k dh x;h g vkj dN o"kk rd vfre luokb d fy, bl lphc) dju dh mEehn ugh g] vihykFkh l voLFkk vfHkfuf'pr dju d fy, iR;d dN llrkg ij U;k;ky; vFkok viu vfèkoDrk d ikl tku vFkok ;g tkp dju fd D;k ifrokn dju okyk iR;Fkh thfor g] dh mEehn ugh dh tkrh gA og ek= vihy lphc) fd, tku d ckj e viu vfèkoDrk l cykok vFkok lpuk dh irh{kk djrk gA***

9- vc ge vkx dN fo'k"k dkjdk dk fufn"V dj ftudk mi'keu vikLr dju d fy, vkj fofèkd ifrfufèk;k dk vfHky[k ij yku d fy, vkonuk e foyc d ifr fun'k e D;k i;kIr dkj.k xfBr djrk g] ij iHkko gA

10- iFke ;g g fd D;k vihy ml U;k;ky; e yfcr g tgk luokb dh fu;fer rFkk vofèkdkfyd frfFk;k fu;r dh x;h gA ***voj U;k;ky; e yfcr vihy rFkk mPp U;k;ky; e yfcr vihy d chp egRoi.k vrj gA voj U;k;ky;k e luokb dh frfFk;k vofèkdkfyd :i l fu;r dh tkrh g vkj i{kdkj vFkok mld vfèkoDrk l mu frfFk;k ij mifLFkr gku rFkk ekeyk dh [kkt&[kcj j[ku dh mEehn dh tkrh gA ifØ;k ^luokb dk LFkxu** d :i e Kkr gA oLrr% bl U;k;ky; u jkepj.k (Åij) e fu"df"kr fd;k fd LFkxu ifØ;k è;ku e j[kr g, fofèkd ifrfufèk;k dk yku d fy, ifjlhek vofèk 90 fnu fu;r dh tk ldrh FkhA***

*^^foèkku eMy u mEehn fd;k gkxk fd lkèkkj.kr% okn d nk Øeokj luokb d chp dk vrjky rhu ekg d Hkhrj gkxk vkj fdlh fuf'pr luokb e ml vofèk d Hkhrj fdlh ifrokrh dh vuifLFkfr dk dkj.k mld vfèkoDrk vFkok mldh eR; d dkj.k fdlh lcèkh }kjk fn;k tk ldrk g vFkok ;g vU; i{k dh vuifLFkfr d fy, dkj.kk d ckj e okrh dk ftKkl cuk ldrk gA***

bld foijhr tc vihy mPp U;k;ky; e yfcr g] luokb dh frfFk;k vofèk dkfyd :i l fu;r ugh dh tkrh gA tc ,d ckj vihy xg.k dh tkrh g] ;g vly e HkMkj e pyh tkrh g vkj U;k;ky; d le{k doy rc lphc) dh tkrh g tc ;g luokb d fy, r;kj gkrh g vFkok tc vrfje fun'k bfIlr dju okyk dkb vkonu nkf[ky fd;k tkrk gA vud o"kk d fy, lphc) ugh fd;k tkuk mPp U;k;ky;k e yfcr vihyk d fy, lkekU; gA *(dN U;k;ky;k e tgk dkQh*

l[;k e vihy yfcr g] luokb ugh gku dh vofèk dkQh T;knk 10 o"k vFkok mlls Hkh vfèkd gk ldrh gA tc mPp U;k;ky; }kjk vihy xg.k fd;k tkrk g] vfèkoDrk i{kk dk lfpr djr g fd o lid djx tc vkj tl ekeyk luokb d fy, lphc) fd;k tkrk gA vihykFkh dk (iij cd nkf[ky dju vFkok iij cd r;kj dju d fy, iHkkj] tgk dgh Hkh ;g vko';d gk] tek dju d flok,) vihy xg.k dju rFkk rd d fy, vihy lphc) fd, tku d chp dh vofèk d nkjku dN Hkh dju dh vko';drk ugh gA **mPp U;k;ky; vihyk d ck> l nc g, g vkj okndkj vud o"kk rd lphc) ugh fd, tku d fy, ftEenkj ugh gA** vihykFkh dk xg.k ,o luokb d fy, lphc) fd, tku d chp ych vofèk d nkjku vofèkdkfyd iNrkN }kjk ;g [kkt[kcj j[ku dh vko';drk ugh g fd D;k iR;Fkh thfor g ;k erA **tc luokb d fy, dkb frFk fu;r fd, fcuk mPp U;k;ky; e vud o"kk rd vihy dk bl idkj fuyfcr lfØ;rk e yfcr j[kk tkrk g] vihykFkh d iR;Fkh dh eR; l voxr gku dh lHkkouk ugh g tc rd nkuk vkl&ikl ugh jgr g vFkok lcfèkr ugh g vFkok U;k;ky; iR;Fkh dh eR; lfpr djr g, mldk ukfVl tkjh ugh djrk gA**

11- f}rh; ifjfLFkfr ;g g fd D;k erd iR;Fkh d vfèkoDrk vFkok erd iR;Fkh d fofèkd ifrfufèk u U;k;ky; dk eR; d ckj e vfèklfpr fd;k vkj D;k U;k;ky; u vihykFkh dk ,lh eR; dk ukfVl fn;k FkkA vkn'k 22 fu;e 10A iR;Fkh d vfèkoDrk ij ,l iR;Fkh dh eR; d ckj e U;k;ky; dk lfpr dju dk dr0; Mkyrk g tc dHkh Hkh mldk bld ckj e tkudkjh gkrh gA tc eR; fjikV dh tkrh g vkj vkMj 'khV@dk;okgh e nt dh tkrh g vkj vihykFkh dk vfèklfpr fd;k tkrk g] vihykFkh dk eR; dh tkudkjh g vkj erd d fofèkd ifrfufèk;k dk vfHky[k ij erd d LFkku ij yku d fy, dne mBkuk vihykFkh dk dr0; gA **rRijrk dh vko';drk ,lh tkudkjh dh frFk l vkjHk gkrh gA** ;fn vihykFkh U;k;ky; }kjk mldk iR;Fkh dh eR; d ckj e vfèklfpr fd, tku d ckn Hkh vufHkKrk dk vfHkopu djrk g] og mi{kk vFkok rRijrk dh deh dk |krd gk ldrk gA

12- rrh; ifjfLFkfr ;g g fd D;k vihykFkh d nkok dk [kMu dju d fy, dkb lkexh g ;fn og Li"Vr% dFku djrk g fd og iR;Fkh dh eR; l vufHkK FkkA

13- **bl idkj] ;g ljf{kr :i l fu"df"kr fd;k tk ldrk g fd ;fn fuEufyf[kr rhu n'kk,a fo|eku g] U;k;ky; lkekU;r% foyc ekQ djxk vkj mi'keu vkLr djxk (;|fi foyc dh vofèk vR;fèkd g vkj fojkèkh i{kdkj vFkkr erd d ,y0 vkj0 dk mi'keu d dkj.k cgeY; vfèkdkj iknHkr gvk gkxk)%**

(i) **iR;Fkh dh eR; ml vofèk d nkjku gb Fkh tc vihy luokb dh dkb frFk fu;r fd, fcuk yfcr iMh gb FkhA**

(ii) **erd iR;Fkh d vfèkoDrk vFkok erd iR;Fkh d fofèkd ifrfufèk;k u U;k;ky; dk iR;Fkh dh eR; dh lpuk ugh nh FkhA vkj U;k;ky; u vihykFkh dk ,lh eR; dh lpuk ugh fn;k gA**

(iii) **vihykFkh idFku djrk g fd og iR;Fkh dh eR; l vufHkK Fkk vkj mld nkok ij lng dju vFkok bldk [kMu dju d fy, lkexh ugh gA**** (tkj fn;k x;k)

9. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **स्वामी प्रसाद एवं एक अन्य बनाम लखन सिंह (मृतक, एल०आर० द्वारा) एवं अन्य, 2010 AIR SCW 6415,** मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पेरूमन भागवथी देवस्वम पेरिनाडू ग्राम (ऊपर)** मामला पर विश्वास करते हुए विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका दाखिल करने में आठ वर्ष से अधिक का विलंब माफ किया।

10. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **सरदार अमरजीत सिंह कालरा (मृत) एल०आर० द्वारा एवं अन्य बनाम प्रमोद गुप्ता (एस०एम०टी०) (मृत) एल०आर० द्वारा एवं अन्य, (2003)3 SCC 272,** मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 26 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^26 ifØ;k dh fofèk lkjoku ,o okLrfod U;k; dju d mí'; dk iHkkodkjh :i l fu;fer ,o lgkf;r dju d fy, vk'kf;r g vkj u fd futh] lifÙk ,o vU; fofèk;k d vèkhu ukxfjd d lkkoku vfèkdkjk d x.kkx.k ij U;k;fu.k;.k cn dj nu d fy,A* ***ifØ;k dk lno U;k; d vupj d :i e n[kk tkrk g tk U;k; dk mí'; vojkfèkr dju vFkok U;k; dh foQyrk cjdjkj j[ku d fy, vk'kf;r ugh gA lhO ihO lhO d vkn'k 22 rFkk mle fd, x, i'pkrorh l'kkèkuk e vrfo"V ikoèkkuk dk lkoèkkuhi.k iBu bl nf"Vdk.k dk vueknu djxk ,o leFku nxk fd mUg mudh fujrjrk ,o iHkkodkjh U;k;fu.k;.k e lekfIr lfuf'pr dju d fy, cuk;k x;k g vkj u fd dk;okgh dh vkx ixfr vo:) dju d fy, vkj rn }kjk vU; lefLFkr dk okn jfgr dju d fy, tc rd lifÙk vFkok fdlh nkok d mudk lfHkUu ,o Lor= vfèkdkj v{k..k cu jgr g vkj dk;okgh e ,d ;k nlj dh eR; d dkj.k lnk d fy, xok; ugh tkr gA vkn'k 22 e vrfo"V ikoèkku dk vFk dBkj fl)kr d :i e ugh yxk;k tkuk g cfYd bl lno U;k; d i'kklu e lfoèkk d yphy vktkj d :i e n[kk tkuk gkxkA** *;g rF; fd [kkrk l;Dr crk;k x;k g] dh ikIfxdrk ugh g tc rd mue l iR;d dk lifÙk e mudk viuk Lor=] lfHkUu ,o iFkd fgLlk Fkk tk mue l iR;d d fgLlk dk lfHkUu :i l Lo; tekcUnh e iFkd :i l minf'kr ik;k x;k gA* ***gekjk nf"Vdk.k ;g Hkh g fd mPp U;k;ky; dk mlh vuckèk tk bldk mi'keu d i'u ij Fkk ij i{kdkj cuk, tku d fy, vkonu vuKkr djuk pkfg, Fkk] xHkhj rjhdk ftle ;g vU;Fkk vU; 'k"k vihykfFk;k d mud fdlh nk"k d fcuk vfèkdkjk] x.kkx.k ij iHkkodkjh U;k;fu.k;.k ifjldV e Mkyxk dk è;ku e j[kr g, vkonu nkf[ky dju e foyc d fy, dkj.k l vlc) gku ij HkhA*** *U;k; dk fgr cgrj :i l ijk fd;k tk ldrk Fkk ;fn mPp U;k;ky; u x.kkx.k ij vU; d nkok dk U;k; fu.k;u cn dju d fy, li.k ifØ;k dk foQy dju d ctk, ldkjkRed ,o jpukRed nf"Vdk.k viuk;k gkrkA mi'keu vikLr dju d fy,] ekQh d fy, rFkk fofèkd ifrfufèk;k dk vfHky[k ij yku d fy, vkonuk dk mPp U;k;ky; }kjk vLohdj.k ekey dh fofp= idfr e U;k;ky; dh 'kfDr dk U;k;kfpr vFkok ;fDr;Dr i;kx vFkok okLrfod] iHkkodkjh ,o lkjoku U;k; dju d Li"V mí'; d lkFk lxr irhr ugh gkrk gA bl rF; fd iR;d vihykFkh dk Lo; viuk Lor= ,o lfHkUu vfèkdkj Fkk tk vihykfFk;k e l ,d ;k nlj ij vrj fuHkj ugh Fkk] d vkykd e n[ku ij mPp U;k;ky; }kjk vihyk dh mudh li.krk e [kkfjth 'kfDr dk rdi.k] ;fDr;Dr vFkok U;k;kfpr ,o lefpr i;kx xfBr ugh djrh gA Hky gh ;g n[kk tkuk gkxk fd mudk lkekU; fgr Fkk] rc U;k; dk fgr 'k"k vU;*

*vihykfFk;k dk mu vU; tk U;k;ky; d le{k ugh g d ykHk d fy, vihy vxlj dju dh vuefr fn;k tkuk vko';d cuk,xk vkj li.k :i l dk;okgh tMor ,o vU; d fy, okn jfgr ugh cuk,xk** (tkj fn;k x;k)*

11. यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि उपशमन अपास्त करने के लिए याचिका के संबंध में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने अपीलार्थियों की ओर से दो गवाहों तथा प्रत्यर्थियों की ओर से एक गवाह का अभिसाक्ष्य दर्ज किया है। अपने अभिसाक्ष्य में अपीलार्थी सं०1 जिसका परीक्षण अपीलार्थी गवाह सं०2 के रूप में किया गया था ने कथन किया है कि पास्कल के पुत्रों में से एक अर्थात अर्नेस्ट उसके साथ रहता है और पास्कल की मृत्यु के बाद अर्नेस्ट ने पास्कल की मृत्यु के बारे में तुरन्त जानकारी पायी।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का पैरवीकार जिसने इन दो अंतर्वर्ती आवेदनों अर्थात बासिल टोप्पो पुत्र स्व० मार्टिन टोप्पो, की विषयवस्तु के सत्यापन में शपथ पर शपथ पत्र दिया है ने स्वयं का अपीलार्थी सं०1 का भाई होने का दावा किया है यद्यपि वह अपीलार्थी सं० 1 का सगा भाई नहीं है जैसा उक्त पैरवीकार अर्थात बासिल टोप्पो द्वारा दिए गए माता–पिता के नाम से प्रकट है जिसने अपने पिता का नाम मार्टिन टोप्पो के रूप में प्रकट किया है यद्यपि अपीलार्थी सं०1 के पिता का नाम चेतो ओराँव है जैसा अपील मेमो के वाद शीर्षक से स्पष्ट है।

13. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी सं०1 प्रत्यर्थी सं०3 की मृत्यु के बारे में उसकी मृत्यु के लगभग तुरन्त बाद अच्छी तरह अवगत थी और प्रतिस्थापन के लिए इस न्यायालय के पास नहीं आने पर अत्यधिक विलंब है। अतः, मृतक प्रत्यर्थी सं० 3, 6, 7 एवं 8 के विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की प्रार्थना अस्वीकार की जाए।

14. यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राम सुमिरन एवं अन्य बनाम डी०डी०सी० एवं अन्य, AIR 1985 SC 606** में अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उस मामला के मृतक प्रत्यर्थी सं०5 के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका दाखिल करने में छह वर्ष का विलंब निम्नलिखित संप्रेक्षित करते हुए माफ कर दिया:–

^^;g lR; g fd erd iR;Fkh l05 d fofèkd ifrufèk;k dk vfHky[k ij yku d fy, vihykfFk;k }kjk yxHkx Ng o"kk rd dkb dne ugh mBk;k x;k Fkk ;|fi iR;Fkh l04 d vulkj vihykFkhx.k iR;Fkh l05 dh eR; d ckj e tkur FkA fdr ek= blfy, fd erd iR;Fkh l05 d fofèkd ifrufèk;k dk vfHky[k ij yku d fy, vihykFkhx.k }kjk vkonu ugh fn;k x;k Fkk] ge ugh lkpr g fd oreku ekeyk dh ifjfLFkfr;k e og mi'keu vikLr dju d fy, vkj erd iR;Fkh l05 d fofèkd ifrufèk;k dk vfHky[k ij yku d fy, vihykfFk;k dk vkonu etj dju l budkj dju dk oèk vkèkkj gkxk D;kfd vihykFkhx.k Lohdr :i l xkeh.k {k= l g vkj gekj tl n'k e tgk bruh fuèkurk] vKkurk ,o fuj{kjrk g] ;g mièkkfjr djuk mfpr ugh gkxk fd gj dkb tkurk g fd iR;Fkh dh eR; ij mld fofèkd ifrufèk;k dk fuf'pr le; d Hkhrj vfHky[k ij yk;k tkuk gkxkA U;k; dk mí'; vko';d cukrk g fd erd iR;Fkh l05 d fofèkd ifrufèk;k dk vfHky[k ij yku d fy, vkonu etj fd;k tkuk pkfg, FkkA rnulkj] ge vihy vuKkr djr g] mPp U;k;ky; dk vkn'k vikLr djr g vkj fun'k nr g fd mi'keu]

*;fn dkb gk] vikLr fd;k tk,xk vkj erd iR;Fkh l0 5 d fofèkd ifrfufèk;k dk vfHky[k ij yk;k tk,xk vkj fjV ;kfpdk fofèk d vu:i fuiVku d fy, mPp U;k;ky; dk ifrif"kr dh tk,xhA** (tkj fn;k x;k)*

15. जहाँ तक अपीलार्थी सं॰1 के भाई के रूप में पैरवीकार के दावा के संबंध में प्रत्यर्थियों के प्रतिवाद का संबंध है, उक्त पैरवीकार का विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका के संबंध में अपीलार्थी का गवाह सं॰1 के रूप में परीक्षण किया गया है और अपने प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्टत: कथन किया है कि वह ग्रामीण संबंध के कारण अपीलार्थी सं॰ 1 रोजा ओराँव से भाई के रूप में संबंधित है।

16. यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थीगण दूरस्थ गाँव में निवास करने वाली वृद्ध देहाती आदिवासी महिलाएँ हैं। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उपर चर्चा किए गए विधि के सिद्धांत पर विचार करते हुए इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि यह सुयोग्य मामला है जहाँ प्रत्यर्थी सं॰ 3, 6, 7 एवं 8 के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका दाखिल करने में विलंब माफ किया जाए और उपशमन, यदि हो, अपास्त किया जाए।

17. जहाँ तक प्रोफोर्मा प्रत्यर्थी सं॰ 15 के रूप में अर्नेस्ट ओराँव को पक्षकार बनाने के संबंध में अपीलार्थियों के प्रतिवाद का संबंध है, प्रतिस्थापन के लिए इस याचिका के प्रति शपथ पत्र में, प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी सं॰1 द्वारा अर्नेस्ट ओराँव को गोद लिए जाने का दावा विवादित किया है। अपीलार्थी सं॰1 की ओर से दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है और न ही कोई विनिर्दिष्ट तिथि अथवा जिस तरीके से अपीलार्थी सं॰1 द्वारा अर्नेस्ट ओराँव के अभिकथित दत्तक ग्रहण का उल्लेख इस याचिका में किया गया है। यद्यपि उक्त अपीलार्थी सं॰1 का परीक्षण दत्तक ग्रहण के संबंध ने गवाह के रूप में किया गया है किंतु उसने केवल यह कथन किया है कि अर्नेस्ट उसके साथ रहता है। किंतु वह अपने द्वारा अर्नेस्ट को गोद लिए जाने के बारे में मौन रही।

18. ऐसी परिस्थितियों के अधीन, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि चूँकि यह विवादित नहीं है कि अर्नेस्ट ओराँव पास्कल ओराँव का पुत्र है, उसे स्वतंत्र प्रत्यर्थी सं॰ 15 के रूप में पक्षकार बनाए जाने के बजाए पास्कल ओराँव के विधिक प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाया जाए और याचिका की दाखिली में विलंब माफ किया जाए और उपशमन, यदि हो, अपास्त किया जाए, निश्चय ही व्यय के भुगतान के अध्यधीन।

19. तद्नुसार, प्रत्यर्थी सं॰ 3, 6, 7 एवं 8 के विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका की दाखिली में विलंब माफ किया जाता है और उपशमन, यदि हो, अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी सं॰ 3, 6, 7 एवं 8 के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना अनुज्ञात की जाती है किंतु अनेस्ट ओराँव को दो सप्ताह के भीतर उनके लिए अपील में उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यर्थियों को 1000/– (एक हजार) रुपयों के व्यय के भुगतान के अध्यधीन स्वतंत्र प्रोफोर्मा प्रत्यर्थी सं॰ 15 के रूप में पक्षकार बनाने के बजाए प्रत्यर्थी सं॰ 3 पास्कल ओराँव के विधिक प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाया जाए जिसमें विफल होने पर इस सशर्त आदेश को प्रभाव नहीं दिया जाएगा और अंतर्वर्ती आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

20. तद्नुसार, आई॰ए॰सं॰ 1390 वर्ष 2017 तथा 1391 वर्ष 2017 निपटायी जाती है।

एस॰ए॰सं॰ 137 वर्ष 1998 (R)

21. यदि अपीलार्थीगण अपील में उनके लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्यर्थियों को 1000/– (एक हजार) रुपयों के व्यय के भुगतान का प्रमाण दाखिल करते हैं, रजिस्ट्री को मृतक प्रत्यर्थी

सं॰ 3, 6, 7 एवं 8 के विधिक प्रतिनिधियों के नाम को सम्मिलित करने का निर्देश दिया जाता है जिनका नाम एवं पता अंतर्वर्ती आवेदन सं॰ 1391 वर्ष 2017 के क्रमशः पैराग्राफ सं॰ 11, 8, 9 एवं 10 में प्रत्यर्थी सं॰ 3, 6, 7 एवं 8 के स्थान में प्रत्यर्थी सं॰ 3(a), (b); 6(a), (b), (c); 7(a), (b), (c) और 8(a), (b), (c) के रूप में क्रमशः उल्लिखित किया गया है।

22. अपीलार्थियों को चार सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी सं॰ 3(a), (b); 6(a), (b), (c); 7(a), (b), (c) और 8(a), (b), (c) पर नोटिस के तामील के लिए दोनों तरीके से अध्यपेक्षित दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें विफल होने पर यह अपील न्यायपीठ को आगे निर्देश के बिना उन प्रत्यर्थियों के विरूद्ध खारिज हो जाएगी।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] ,ñ lhñ tñ ,o vfer kHk dñ xlrk] U;k;efr

भगवान लाल चौधरी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

C.M.P. No. 472 of 2016 with I.A. No. 1920 of 2017. Decided on 15th January, 2018.

परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5–अपील–परिसीमा–परिसीमा का असीमित एवं स्थायी खतरा असुरक्षा एवं अनिश्चितता सृजित करता है–परिसीमा का कुछ प्रकार लोक व्यवस्था, के लिए आवश्यक है–जब राज्य एवं इसके अभिकरण विलंब की माफी इप्सित करने वाले आवेदक है, वे नरमी की निश्चित मात्रा के हकदार है किंतु परिसीमा विधि नागरिक एवं सरकारी प्राधिकारियों के लिए एक ही है–परिसीमा अधिनियम अपील अथवा आवेदन दाखिल करने में सरकार के लिए भिन्न अवधि प्रावधानित नहीं करता है–ऐसे मामलों में विलंब की माफी के लिए आवेदन पर विचार करते हुए न्यायालय को संविधियों के अधीन विहित परिसीमा की अवधि विशेष को ध्यान में रखना होगा–जब आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है और विलंब समुचित, संतोषजनक एवं विश्वासोत्पादक रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता है, न्यायालय मात्र सहानुभूति के आधार पर विलंब माफ नहीं कर सकता है–जब किसी व्यक्ति ने वाद हेतुक उद्‌भूत होने के तुरन्त बाद न्यायालय के पास जाकर अनुतोष प्राप्त किया है, अन्य व्यक्ति विलंबित चरण पर न्यायालय के पास जाकर इसका लाभ नहीं ले सकते हैं।

(पैराएँ 5 से 8)

निर्णयज विधि.–(1981) 1 SCC 495; (2008) 17 SCC 448; (2012) 8 SCC 524; 2014 (2) JBCJ 312 (SC) : (2014) 11 SCC 351—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Delip Jerath, Amritansh Vats, Gaurav Raj, For the Petitioner; J.C. to G.P.-I., For the State.

डी०एन०पटेल, ए०सी०जे०.–

आई०ए०सं० 1920 वर्ष 2017

यह अंतर्वर्ती आवेदन इस सिविल विविध याचिका को दाखिल करने में 335 दिनों के विलंब की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दाखिल किया गया है।

कारण:

2. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा इस अंतर्वर्ती आवेदन में, विशेषत: पैराग्राफ 3 से आगे, कथित कारणों को देखते हुए विलंब की माफी के लिए युक्तियुक्त आधार नहीं है। अत:, हम विलंब माफ करने के लिए इस अंतर्वर्ती आवेदन को ग्रहण करने का कारण नहीं देखते हैं। सिविल पुनर्विलोकन सं॰ 115 वर्ष 2005 दिनांक 6 अक्टूबर 2015 के आदेश के तहत व्यतिक्रम के लिए खारिज किया गया था और तत्पश्चात किसी औचित्यपूर्ण कारण के बिना इस सिविल विविध याचिका को दाखिल करने में याची की ओर से लंबा विलंब हुआ है। याची का आलस्यपूर्ण रवैया विलंब की माफी का आधार नहीं हो सकता है।

3. सी॰एम॰पी॰सं॰ 472 वर्ष 2016 में आई॰ए॰सं॰ 1920 वर्ष 2017 के पैराग्राफ सं॰ 5, 6 एवं 7 में कथित कारणों का पठन निम्नलिखित है:–

^^5- fd fouerkiod fuonu fd;k tkrk g fd vuoèkkurk d dkj.k lph lefpr :i l fpfUgr ugh dh tk ldh Fkh D;kfd vfèkoDrkvk d leLr uke tk fnukd 6-10-2015 d ekeyk lph e i"B l0 2 ij vk jg Fk] vc bl pEcj d lkFk lc) ugh g vkj vc o Lor= i'koj gA

fnukd 6-10-2015 dh ekeyk lph d i"B l0 2 dh Nk;k ifrfyfi bl vkonu dk Hkkx fufer djuoky ifjf'k"V 1A d :i e fpfUgr vkj bld lkFk lc) dh x;h gA

6- fd vkx fouerkiod fuonu fd;k tkrk g fd e[; flfoy iufoykdu vkonu e] bl e[; flfoy iufoykdu vkonu dk luu d fy, dkb frFk fu;r ugh dh x;h FkhA vr% Mk;jh j[kh ugh tk ldh FkhA fd jftLVh l luokb d fy, fu;r lVhd frFk tkuu d fy, vud i;kl fd, x, Fk fdr pfd luokb d fy, frFk fu;r ugh dh x;h Fkh] lVhd frFk tkuh ugh tk ldh FkhA

7- fd fouerkiod fuonu ,o dFku fd;k tkrk g fd tc ;kph viu ekeyk d fooj.k d ckj e iNrkN djr g, gekj le{k vk;k vkj tc bVjuV l ekeyk dk fooj.k fudkyk x;k Fkk] ;g ik;k x;k Fkk fd ekeyk xj&vfHk;k tu d fy, [kkfjt fd;k x;k Fkk vkj rjUr rªi'pkr mlh fnu ij fnukd 6-10-2015 d vkn'k dh iek.k if=r ifr d fy, vkonu fn;k x;k Fkk vkj mlh fnu vFkkr 4-10-2016 dk ikIr fd;k x;k FkkA

*fd ;kph l vun'k yu d ckn e[; flfoy iufoykdu l0 115 o"k 2005 d iuLFkkiu d fy, 6-10-2016 dk oreku flfoy fofoèk ;kfpdk nkf[ky dh x;h FkhA^^*

4. पूर्वोक्त कारण इस सिविल विविध याचिका को दाखिल करने में 335 दिनों के विलंब की माफी के लिए युक्तियुक्त कारण नहीं हैं। यह विलंब अस्पष्टीकृत है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अजित सिंह ठाकुर सिंह बनाम गुजरात राज्य, (1981)1 SCC 495,** में पैराग्राफ 6 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

^^6- vkjHk e vihykfFk;k d fo}ku vfèkoDrk }kjk ;g vkxg fd;k x;k g fd mPp U;k;ky; u vihy nkf[ky dju e foyc ekQ dju e xyrh fd;k] vkj vihy ifjlhek }kjk oftr d :i e [kkfjt dj nuk pkfg, FkkA geu lkoèkkuhiod rF;k dk ijh{k.k fd;k gA ;g irhr gkrk g fd vkjHk e jkT; ljdkj u vihy nkf[ky ugh dju dk fu.k; fd;k vkj blu ifjlhek vofèk chr tku fn;kA ckn e] HkykHkkb }kjk nkf[ky iujh{k.k ;kfpdk ij fopkj djr g, mPp

U;k;ky; }kjk fd, x, dfri; li{k.kk ij fd ;g l;kX; ekeyk Fkk tgk jkT; ljdkj dk vihy nkf[ky djuk pkfg, vkj ekeyk e jkT; ljdkj dk mPp U;k;ky; }kjk ukfVl tkjh fd, tku ij vihy nkf[ky dh x;h FkhA ;g ifjlhek d volku d rhu ekg ckn nkf[ky dh x;h FkhA ;g n'kku dk {kh.k i;kl fd;k x;k Fkk fd tc vihy nkf[ky ugh dju dk vkjfHkd fu.k; fy;k x;k Fkk] lcfèkr foHkkx }kjk leLr dkxtkrk ij fopkj ugh fd;k x;k Fkk] fdr ge ml vfHkdFku l iHkkfor ugh gA lR; ;g irhr gkrk g fd vihy igy blfy, nkf[ky ugh dh x;h Fkh D;kfd jkT; ljdkj u vihy d fy, x.kkx.k ij ekeyk ugh n[kk vkj bl doy blfy, nkf[ky fd;k x;k Fkk D;kfd mPp U;k;ky; u lif{kr fd;k Fkk] og Hkh ifjlhek d volku d dkQh ckn&fd ekeyk jkT; ljdkj }kjk vihy nkf[ky fd, tku ;kX; FkkA **vc ;g lR; g fd i{k vihy nkf[ky dju d fy, ifjlhek d vfre fnu rd irh{kk dju dk gdnkj FkkA fdr tc ;g ifjlhek dk volku gku nrk g vkj vihy igy nkf[ky ugh dju d fy, i;kIr dkj.k dk vfHkopu djrk g] i;kIr dkj.k dk LFkkfir djuk gkxk fd ifjlhek d volku d igy mnHkkr gku oky dN ?kVuk vFkok ifjfLFkfr d dkj.k le; d Hkhrj vihy nkf[ky djuk lHko ugh FkkA ifjlhek d volku d ckn mnHkkr gku okyh dkb ?kVuk ;k ifjfLFkfr i;kIr dkj.k xfBr ugh dj ldrk gA ifjlhek d volku d ckn ?kVuk,j vFkok ifjfLFkfr;k gk ldrh g tk vkx vihy dh nkf[kyh foyfcr dj ldrh gA fdr ;g fd vihy nkf[ky fd, fcuk ifjlhek dk volku gku nh x;h g dk ifjlhek dh vofèk d Hkhrj mnHkkr gku oky dkj.k rd <<uk gkxkA oreku ekeyk e ,lk dkj.k ugh Fkk vkj mPp U;k;ky; u foyc ekQ dju e xyrh fd;kA**** (tkj fn;k x;k)

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पुंडलिक जलम पाटिल बनाम कार्यपालक अभियन्ता, जलगाँव मीडियम प्रोजेक्ट, (2008)17 SCC 448,** में पैराग्राफों 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29 एवं 31 पर अभिनिर्धारित किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

^^15- **D;k iR;Fkh u U;k;ky; dk lr"V fd;k Fkk fd bld ikl fofgr le; d Hkhrj vihy nkf[ky ugh dju d fy, i;kIr dkj.k Fkk** ifjlhek vfèkfu;e dh èkkjk 5 dfri; ekeyk e ifjlhek dh fofgr vofèk dk foLrkj.k ikoèkkfur djrh g vkj fofgr vofèk d ckn fdlh vkonu vFkok fdlh vihy dk xg.k dju dh vfèkdkfjrk U;k;ky; ij inÙk djrh g ;fn ;g lr"V g fd vihykFkh vFkok vkond d ikl fofgr vofèk d Hkhrj ,lh vihy vFkok vkonu nkf[ky ugh dju d fy, i;kIr dkj.k FkkA

16- oreku ekeyk e fun'k U;k;ky; u 9-3-2000 dk vfèkfu;e dh èkkjk 8 d vèkhu vfèkfu.k; ikfjr fd;kA ljdkj u 13-4-2000 dk gh fun'k U;k;ky; }kjk ikfjr fMØh ,o vfèkfu.k; d fo:) dkb vihy nkf[ky ugh dju dk fu.k; fy;k vkj rnulkj iR;Fkh lfgr leLr lcfèkr dk viuk fu.k; llfpr fd;kA ljdkj u fnukd 21-5-2001 d viu vkn'k d rgr viu fu.k; dk iufoykdu dju l budkj fd;k vkj rnulkj bl vtu d iR;Fkh ykHkkFkh dk lfpr fd;kA iR;Fkh ykHkkFkh foyc dh ekQh bfllr dju oky vkonu e lfpo] flpkb foHkkx }kjk bldk lefpr dk;okgh vkjHk dju d fy, vfèkoDrk l fofèkd ijke'k ikIr dju dk fun'k nr g, tkjh fnukd 19-11-2003 d i= dk fufn"V djr gA iR;Fkh u ekeyk e dR; dju d ctk, ,d ckj fQj fun'k U;k;ky;] d vk{kfir fu.k; ,o vfèkfu.k; dk pukrh nu d vujkèk d lkFk fnukd 6-2-2004 d i= d rgr ,l0 ,y0 ,0 vk0 dk lckfèkr djuk puk FkkA ;gh vujkèk 12-7-2004 rd

ckj&ckj Lej.k fnyk dj fd;k x;k Fkk iR;Fkh ykHkkFkh u 18-5-2004 dk lekgrk dk mul Hkfe vtu vfèkdkjh dk vihy nkf[ky dju dk fun'k nu dk vujkèk djr g, i= lckfèkr fd;kA ;g i=kpkj 21-6-2004 rd tkjh jgkA rRi'pkr] foyc dh ekQh bfllr dju okyh vihy d lkFk vkonu 25-2-2005 dk nkf[ky fd;k x;k FkkA

17- vkond e'khujh xfr'khy dju ij bl vud o"kk d ckn fQj l pky fd, tku d fy, NkM ugh ldrk g D;kfd ikfèkdkjh ftld lkFk blu i=kpkj fd;k u vihy nkf[ky dju d bld vujkèk ij è;ku ugh fn;k FkkA **i'u ;g gh D;k bl ekeyk e iR;Fkh vkond vud o"k chru d ckn ljdkj d fu.k; dh viuh mi{kk dk ykHk y ldrk g** ;g mu lVhd vkèkkjk dk tkurk Fkk ftu ij vihy nkf[ky dh tk ldrh FkhA **fofèk mièkkfjr djxh fd ;g vfèkfu.k; d fo:) vihy nkf[ky dju dk viuk vfèkdkj tkurk FkkA U;k;ky; d le{k fopkjkFk vihyk dk nkf[ky djuk bldk dr0; Fkk tk blu ugh fd;k FkkA bl lcèk e lkeu vku okyk Li"Vhdj.k ugh gA vfHky[k ij ektn lk{; vihyk dk nkf[ky dju e yc le; rd viu vfèkdkj dh mi{kk l>kr gA U;k;ky; lkE;k d vkèkkj ij foyfcr ,o cklh nkok dh tkp ugh dj ldrk gA U;k;ky; mudh enn djrk g tk lrd g vkj viu vfèkdkjk ij lk ugh tkr gA****

18- **fopkjkFk i'u ;g g fd D;k idFkuk u vihyk dk nkf[ky dju e** 1724 **fnuk d vR;fèkd foyc dk ekQ dju d fy, i;kir dkj.k idV fd;kA**

19- vftr flg Bkdj flg cuke xtjkr jkT; e bl U;k;ky; u lif{kr fd;k&

^^6. **vc ;g lR; g fd i{k vihy nkf[ky dju d fy, ifjlhek d vfre fnu rd irh{kk dju dk gdnkj FkkA fdr tc ;g ifjlhek dk volku gku nrk g vkj vihy igy nkf[ky ugh dju d fy, i;kIr dkj.k dk vfHkopu djrk g] i;kIr dkj.k dk LFkkfir djuk gkxk fd ifjlhek d volku d igy mnHkr gku oky dN ?kVuk vFkok ifjfLFkfr d dkj.k le; d Hkhrj vihy nkf[ky djuk lHko ugh FkkA ifjlhek d volku d ckn mnHkr gku okyh dkb ?kVuk ;k ifjfLFkfr i;kIr dkj.k xfBr ugh dj ldrk gA**** ¼tkj Mkyk x;k½

;g fu.k; oreku rF;k d ifr i.krk i;kT; gA

20- **vtu d iR;Fkh ykHkkFkh u ifjlhek d volku d igy dkb Hkh dne ugh mBk;k Fkk vkj U;k;ky; d le{k dkb ifjfLFkfr j[kh ugh x;h Fkh fd vihyk dk nkf[ky dju d fy, dne mBk, x, Fk fdr le; d Hkhrj vihyk dk nkf[ky djuk lHko ugh FkkA**

23- **rF;k ij ,o ifjfLFkfr;k e] gekjk er g fd iR;Fkh ykHkkFkh vihy d mipkj dk ykHk yu e rRij ugh Fkk vihyk dk nkf[ky dju e foyc dh ekQh bfllr dju oky vkonu e fd, x, idFku dkb Lohdk; dkj.k ugh n'kkr g] viu i{k e U;k;ky; d Lofood dk i;kx dju d fy, i;kIr dkj.k dh rk ckr gh njA**

26- **eyrh ifjlhek fofèk ykd uhfr ij vkèkkfjr gA gkYlcjh jfpr bxyUM dh fofèk;k] prFk lLdj.k] okY;e 28] i"B 266] ijk 605 e ifjlhek vfèkfu;ek dh uhfr fuEufyf[kr :i l vfèkdfFkr dh x;h gk&**

^^605 **ifjlhek vfèkfu;ek dh uhfr-&U;k;ky;k u ifjlhek dh lfofèk;k d vfLrRo dk leFku dju oky de l de rhu fHkUu dkj.kk dk vfHk0;Dr fd;k g vFkkr (1) fd yc le; l lilr nkok e mue U;k; dh ryuk e Øjrk dgh vfèkd g] (2) fd ifroknh u ckIh nkok vfl) dju d fy, lk{; xok fn;k gkxk] vkj (3) fd vPN okn grd oky 0;fDr dk ;fDr;Dr rRijrk d lkFk mUg vxlj djuk pkfg,A**

27- ifjlhek dh lfofèk;k dHkh&dHkkj ^^'kkfr dh lfofèk;k** d :i e of.kr fd;k tkrk gA **ifjlhek dk vlhfer ,o LFkk;h [krjk vlj{kk ,o vfuf'prrk lftr djrk g(ifjlhek dk dN idkj ykd 0;oLFkk d fy, vko';d gA** bl U;k;ky; u jktUnj flg cuke lrk flg e lif{kr fd;k g%&

^^18- ifjlhek dh fofèk dk mí';, ftl yc miHkkx }kjk lkE;k ,o U;k; e vftr fd;k tk ldrk Fkk vFkok ftl fdlh i{k d viuh fuf"Ø;rk] mi{kk ,o f<ykb }kjk xok;k tk ldrk Fkk] mldk vLrO;Lrrk vFkok opu jkduk gA**

28- **frykdpn ekrhpn cuke ,pO chO e'kh e bl U;k;ky; u lif{kr fd;k fd ;g fl)kr lfDr ^^jkT; dk fgr bl ckr e g fd edneckth dk vr gk** ij vkèkkfjr g** fdr blh le; ij ifjlhek dh fofèk;k diV ,o feF;k lk{; dk neu djd] rRijrk dh xfr rt djd vkj mRihMu jkd djd ikboV U;k; lfuf'pr dju dk lkèku gA

29- bl gekj }kjk nkgjku dh vko';drk ugh g fd okn d fy, le; lhek fu;r dju dk mí'; lkekU; dY;k.k d i;ktu l fofèkd mipkj dk thoudky fu;r djrh ykduhfr ij vkèkkfjr gA **o ;g n[ku d fy, vk'kf;r g fd i{kx.k foycdkjh ;fDr;k dk lgkjk ugh y cfYd rRijrkiod viu fofèkd mipkjk dk ykHk yA lkyeUM viu fofèk'kkL= e dFku djr g fd fofèk lrd dh lgk;rk djrh g u fd vkylh dhA**

31- **;g lR; g fd tc jkT; ,o bld vfHkdj.k foyc dh ekQh bfIlr dju oky vkond g] o ujeh dh dfri; ek=k d gdnkj gk ldr g fdr ifjlhek fofèk ukxfjd d fy, ,o ljdkjh ikfèkdkfj;k d fy, ,d gh gA ifjlhek vfèkfu;e vihyk vFkok vkonuk dh nkf[kyh e ljdkj dk fHkUu vofèk ikoèkkfur ugh djrh gA** ;g fHkUu ekeyk gkxk tgk ljdkj ,lk ekeyk cukrh g tgk bld vfèkdkfj;k vFkok ,tUVk dh vkj l diV vFkok njfHk lfèk d dR;k d dkj.k ykdfgr iHkkfor gkrk n'kk;k x;k Fkk vkj tgk vfèkdkjhx.k Li"Vr% bl fHkUu i;ktu l dke dj jg FkA ;fn fdlh fn, x, ekeyk e ,lk dkb rF; vfHkopfur vFkok fl) fd;k x;k g] mUg fopkj l vioftr ugh fd;k tk ldrk g vkj U;kf;d fu.k; e mu dkjdk dk lfEefyr fd;k tk ldrk gA oreku ekeyk e] ,lk dkb rF; vfHkopfur vkj fl) ugh fd;k x;k g ;|fi fdlh vkèkkj d fcuk njfHklfèk ,o diV l>ku d fy, iR;Fkh d fo}ku vfèkoDrk }kjk {kh.k i;kl fd;k x;k FkkA ge vfHkopuk e fdlh lefpr vkèkkj d fcuk U;k;ky; e fd, x, fuonu xg.k ugh dj ldr gA (tkj fn;k x;k)

7. सिसिली कल्लारक्कल बनाम वेहिकल फैक्ट्री, (2012)8 SCC 524, पैराग्राफ 6, 7 एवं 8 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"6. bl U;k;ky; u v'ky vxoky cuke uk;Mk e ,d ,l ekey e foyEc dh ekQh dh ifjfèk Li"V fd;k g tgk 0;fFkr 0;fDr dk 'kh?krkiod mipkj miyCèk djku d fy, fo'k"k U;k;ky;@vfèkdj.k LFkkfir fd, x, g rFkk miHkkDrk lj{k.k vfèkfu;e] 1986 mue l ,d gA vr,o] bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd ,l ekeyk e foyEc dh ekQh d vkonu ij fopkj djr g, U;k;ky; dk lfofèk¼;k½ d vèhu fofgr ifjlhek dh vofèk dk è;ku e j[kuk pkfg,A

7. orZeku ekey e] fcuk fdlh i;klr dkj.k d vlkekU; foyEc dk ekQ djuk fo'k"k vuefr ;kfpdk dk nkf[ky dju d fy, foèkkf;dk }kjk fofgr vofèk d LFkku ij bl U;k;ky; ifjlhek dh vofèk ifrLFkkfir dju e gkxkA vr,o] ge foyEc ekQ dju dk dkb rdi.k dkj.k ugh n[kr gA

*8. vr,o] ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e tl k fd ble bld mij Li'V fd;k x;k g] ge bu ;kfpdkvk dk xg.k dju d bPNd ugh gA bl foyEc d vkèkkj ij [kkfjt fd;k tkrk gA** ¼tkj Mkyk x;k½*

8. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(2014) 11 SCC 351 [: 2014 (2) JBCJ 312 (SC)]** में प्रकाशित **ब्रिजेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य** में पैरा सं० 6, 10 तथा 11 पर यह अभिनिर्धारित किया गया है, जो निम्नवत् पठित है:–

^^6- ifjlhek] foyc ,o f<ykb rFkk ,l foyc dh ekQh d fookn dk dk U;k;ky;k }kjk iR;d fnu ijh{k.k ,o bl Li"V fd;k tk jgk gA ***ifjlhek fofèk fofèkd lfDr ^^jkT; dk fgr bl ckr e g fd edneckth dk vr gk** e ifr"Bkfir gA ifjlhek d fl)kr i{kk d vfèkdkjk dk fou"V dju d fy, vk'kf;r ugh g cfYd fopkj ;g g fd iR;d fofèkd mipkj dk foèkk;h :i l fu;r le;kofèk d fy, cjdjkj j[kuk gkxkA***

10- U;k;ky;k dk foyc dh ekQh d fy, vkonu vLohdkj dju e vU;k;&mUe[k nf"Vdk.k ugh viukuk pkfg,A fdr U;k;ky; dk ,lk vkonu vuKkr djr g, foyc ,o vR;fèkd foyc d chp lfHkUurk djuk gkxk D;kfd fuf"Ø;rk vFkok mi{kk d lnHkko dh deh i{k dk ifjlhek vfèkfu;e] 1963 dh èkkjk 5 d lj{k.k l ofpr djxhA ***foyc dh ekQh d fy, U;k;ky; }kjk Lofood d i;kx d fy, i;klr dkj.k ijkHkk0; 'kr gA bl U;k;ky; u ckj&ckj vfHkfuèkkfjr fd;k g fd tc vkKkid ikoèkkuk dk vuikyu ugh fd;k tkrk g vkj foyc lefpr] lrk"ktud rFkk fo'okLkRiknd :i l Li"V ugh fd;k tkrk g] U;k;ky; doy lgkuHkfr d vkèkkj ij foyc ekQ ugh dj ldrk gA***

11- ***;g fofèk dk lLFkkfir fl)kr g fd ;fn fdlh 0;fDr u okn grd mnHkr gku d rjUr ckn U;k;ky; d ikl tkdj vurk"k fy;k g] vU; 0;fDr foyfcr pj.k ij U;k;ky; d ikl tkdj bldk ykHk bl dkj.k l ugh y ldr g D;kfd mUg fdlh rRij 0;fDr d dgu ij ikfjr vkn'k l xfr yu dh vuefr ugh nh tk ldrh gA*****

(tkj fn;k x;k)

9. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं की दृष्टि में, अंतर्वर्ती आवेदन में सार नहीं है और इसलिए, इसे एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

सी०एम०पी०सं० 472 वर्ष 2016

चूँकि विलंब माफ नहीं किया गया है, यह सिविल विविध याचिका एतद् द्वारा निपटायी जाती है।

---

ekuuh;k vuHkk jkor pkèkjh] U;k;efr

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद

cuke

रंजीत कुमार सिन्हा

W.P.(C) No.3151 of 2007. Decided on 5th April, 2018.

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987–धारा 22C–स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन–स्थायी लोक अदालत के समक्ष राशि स्वीकार की गयी और स्वयं याची ने अंतिम भुगतान करने के लिए 15 दिनों के समय की प्रार्थना किया था किंतु उसका भुगतान नहीं किए जाने पर अंततः स्थायी लोक अदालत ने याची को भुगतान करने का निर्देश देते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया और तत्पश्चात डिक्री तैयार की गयी थी–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त पुनर्विलोकन की किसी विनिर्दिष्ट शक्ति की अनुपस्थिति में, स्थायी लोक अदालत को अपने आदेशों का पुनर्विलोकन करने की अधिकारिता नहीं है–यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पुनर्विलोकन स्वयं पोषणीय नहीं है, आक्षेपित आदेश सही प्रकार से पारित किया गया है–उस प्रभाव का विनिर्दिष्ट आदेश पारित किए जाने के बावजूद याची द्वारा पुनर्विलोकन के आधार दाखिल नहीं किए जाने पर उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की अवस्था में नहीं है–रिट याचिका का खारिज की गयी। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–1980 (Supp) SCC 420—Distinguished; 2010 (3) JLJR 313; 2009 (2) JLJR 684 ;2012 (3) JLJR 213; (2011) 7 SCC 463—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Rupesh Singh, Amrendra Pradhan, For the Petitioner; Mr. Lukesh Kumar, For the Respondent.

आदेश

याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अमरेन्द्र प्रधान द्वारा सहायित अधिवक्ता श्री रूपेश सिंह सुने गए।

2. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री लुकेश कुमार सुने गए।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेदों 226 एवं 227 के अधीन यह रिट याचिका रिट याची द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दाखिल की गयी है:–

> *"(a) LFkk;h ykd vnkyr] èkuckn d U;k;ky; }kjk ih0 ,y0 dl l0 1251@2004 e ikfjr fnukd 5-4-2007 d vkn'k d vfHk[kMu d fy, ftl d }kjk ,o ftl d vèkhu LFkk;h ykd vnkyr }kjk ikfjr fnukd 15-6-2005 d vkn'k@vfèkfu.k; d iufoykdu d fy, ;kph dh vkj l nkf[ky iufoykdu ;kfpdk vLohdkj dh x;h g D;kfd fo}ku U;k;ky; ;g vfèkeY;u dju e foQy jgk fd fo}ku U;k;ky; }kjk ikfjr fnukd 15-6-2005 dk vkn'k@vfèkfu.k; vfHky[k dk n[kr gh idV =fV l ihfMr g vkj ;fn ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e vk{kfir vkn'k dk iufoykdu ugh fd;k tkrk g] ;g U;k; dh foQyrk dh vkj y tk,xkA*

*(b) LFkk;h ykd vnkyr] èkuckn }kjk ikfjr fnukd 15-6-2005 d vkn'k@vfèkfu.k; d vfHk[kMu d fy, ft ld vèkhu fo}ku U;k;ky; u oreku ;kph dk oreku iR;Fkh@Bdnkj@oknh dk Hkxr; cdk;k fofèkd n;k d :i e 93,000@& #i;k dk Hkxrku dju dk fun'k fn;k g D;kfd mDr vfèkfu.k; fo}ku U;k;ky; d le{k fojkèkh i{kdkj@oreku ;kph dh vkj l nkf[ky fyf[kr dkj.k crkvk e Li"Vr% vfHkdfFkr djr g, fd okn@Bdnkj dh vkj l nkok dh x;h jkf'k fookfnr fl foy nkok g] fn, x, c;ku dh nf"V e fofèk dh nf"V e lefpr ugh g vkj fo}ku U;k;ky; bld ckotn fookfnr ekeyk ft le i{kk d chp lyg gku dh lHkkouk ugh g e vfèkdkfjrk d fcuk viu le{k ihO ,y0 ekeyk xg.k dju d fy, vxlj gvk ft ldk ifj.kke U;k; dh ?kkj foQyrk e gvk D;kfd Bdnkj d fofèkr% Lohdr n;k dk Hkxrku ;kph vFkkr ,e0 ,0 MhO ,0 dh vkj l igy gh dj fn;k x;k Fkk vkj bl n'kk e fo}ku U;k;ky; }kjk ;Fkk vfèkfu.khr fdl h dkYifud jkf'k dk Hkxrku ,l h jkf'k d Hkxrku e ifj.kr gkxk tk ;kph dk fofèkr% n; ugh g vkj fofèk d foijhr gA***

4. तथ्यों पर, याची के अधिवक्ता निम्नलिखित निवेदन करते हैं:–

a. प्रत्यर्थी द्वारा स्थायी लोक अदालत, धनबाद के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया था जिसे वाद पूर्व मामला सं॰ 1251 वर्ष 2004 के रूप में संख्यांकित किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी ने वर्ष 1995–96 की संविदा के अनुसरण में निष्पादित कतिपय कामों के निष्पादन के संबंध में 6 लाख रुपयों का दावा किया।

b. स्थायी लोक अदालत द्वारा याची को नोटिस जारी किया गया था और याची ने प्राधिकारी के समक्ष कारण बताओ दाखिल किया और कारण बताओ में याची ने प्रत्यर्थी के दावा की विधिकता एवं वैधता के संबंध में गंभीर विवाद उठाया था और यह अभिवचन भी किया था कि स्वयं दावा निराशाजनक रूप से समय वर्जित था।

c. याची ने कारण बताओ में यह भी उल्लिखित किया था कि मामला में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक केवल सिविल वाद द्वारा विनिश्चित किया जा सकता था। कारण बताओ उत्तर के पैरा 23 पर याची ने कथन किया है कि स्वीकृत रूप से याची द्वारा केवल 1,43,012/–रुपया का काम किया गया था और 90,875/– रुपयों की कुल राशि का भुगतान किया गया था और 53,009/– रुपया शेष था किंतु प्रत्यर्थी ने 8,29,260/– रुपयों के मूल्य की सामग्री नहीं लौटाया था और इसलिए, आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की गयी थी।

d. स्थायी लोक अदालत के आदेश शीट को विनिर्दिष्ट करते हुए याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 16.10.2004 के आदेश के मुताबिक यह प्रतीत होता है कि पक्षगण सुलह के लिए बातचीत कर रहे हैं, यह कथन करते हुए संयुक्त याचिका दाखिल की गयी थी और औपचारिक सुलह याचिका दाखिल किए जाने की संभावना थी और तत्पश्चात दिनांक 18.10.2004 के आदेश के तहत यह प्रतीत होता है कि याची के अधिवक्ता ने याचिका दाखिल किया कि अभिलेखों के सत्यापन के बाद प्रत्यर्थी के समस्त देयों का भुगतान किया जाएगा। तत्पश्चात 24.12.2004 को याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह उल्लेख करते हुए याचिका दाखिल की गयी थी कि अभिलेखों के सत्यापन पर राशि 93,000/– रुपया होती है और आयकर तथा विक्रय कर काटने के बाद राशि का भुगतान किया जा सकता है और उक्त याचिका में अंतिम भुगतान करने के लिए 15 दिनों के समय के प्रदान के लिए प्रार्थना की गयी थी। यह याचिका रिट याचिका के परिशिष्ट 6 के रूप में संलग्न है। इस याचिका की प्रति प्रत्यर्थी के अधिवक्ता को सौंपी गयी थी और दिनांक 24.12.2004 के आदेश में इसका उल्लेख किया गया था।

e. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह याचिका अधिवक्ता द्वारा दाखिल की गयी थी और याची के किसी भी अधिकारी द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था।

किंतु तर्क के क्रम के दौरान याची के अधिवक्ता अवर न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता द्वारा दाखिल इस याचिका को अपना मानने से इनकार करने की अवस्था में नहीं थे और दावा किया कि 93,000/- रुपयों की इस राशि जिसे परिशिष्ट 6 में उल्लिखित किया गया था, को वास्तविक संगणना जैसा अभिलेख से सिद्ध होता है के बिना अनवधानता से उल्लिखित किया गया था।

f. आदेश शीट की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 18.10.2004 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी ने 93,000/- रुपयों की संगणना दिया था और इसे याची के अधिवक्ता को सौंपा था और मामला 22.12.2004 के लिए सूचीबद्ध किया गया था। मामला 22.12.2004 को 24.12.2004 तक स्थगित कर दिया गया था और 24.12.2004 को याची के अधिवक्ता की ओर से यह याचिका दाखिल की गयी थी कि अभिलेख के सत्यापन पर 93,000/- रुपयों की राशि भुगतेय पायी गयी है और दिनांक 24.12.2004 के आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि याची को प्रत्यर्थी को राशि का भुगतान करने के लिए समय प्रदान किया गया था।

g. याची के अधिवक्ता आगे आदेश शीट को निर्दिष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि तत्पश्चात कतिपय तिथियाँ प्रदान की गयी थी किंतु उसके बावजूद भुगतान नहीं किए जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा 93,000/- रुपया जिस पर पक्षों द्वारा आया गया था की समझौता राशि के निबंधनानुसार अंतिम आदेश पारित करने के लिए याचिका दाखिल की गयी थी जिसके अनुसरण में रिट याचिका के परिशिष्ट 2 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 15.6.2005 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

h. दिनांक 15.6.2005 का आदेश पारित किए जाने के बाद प्रत्यर्थी द्वारा निष्पादन मामला दाखिल किया गया था और तत्पश्चात याची ने दिनांक 15.6.2005 के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए स्थायी लोक अदालत के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका दाखिल किया जिसे रिट याचिका के परिशिष्ट 1 में यथा अंतर्विष्ट एक अन्य आक्षेपित आदेश द्वारा अपोषणीय के रूप में दाखिल किया गया है।

i. याची के अधिवक्ता 2010(3) JLJR 313 में प्रकाशित इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर विश्वास करते हुए निवेदन करते हैं कि स्थायी लोक अदालत गुणागुण पर मामला विनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(c) की उपधारा (8) के अधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे जब तक दोनों पक्षों से लिखित सहमति प्राप्त नहीं की जाती है और धारा 22C की उपधारा (1) से (7) के अधीन कदम उठाये गए हैं और स्वयं स्थायी लोक अदालत द्वारा पक्षों को समझौता के निबंधन अग्रसारित किए गए हैं।

j. याची के अधिवक्ता ने **2009(2) JLJR 684** में प्रकाशित निर्णय पर भी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 की प्रयोजयता एवं विस्तार पर विश्वास किया है।

k. याची के अधिवक्ता **1980 (Supp.) SCC 420** में प्रकाशित निर्णय पर भी विश्वास करते हैं और निवेदन करते हैं कि ऐसे मामले में जहाँ संविधि पुनर्विलोकन प्रावधानित नहीं करती है, ऐसी परिस्थितियों में भी पुनर्विलोकन याचिका पोषणीय है जब न्याय के उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। वह आगे निवेदन करते हैं कि यद्यपि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति प्रावधानित नहीं की गयी है, फिर भी उक्त निर्णय के आलोक में स्थायी लोक अदालत को मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन पुनर्विलोकन याचिका ग्रहण करना चाहिए था।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता निम्नलिखित निवेदन करते हैं:–

(a) रिट याचिका के परिशिष्ट 2 में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश जो स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित अंतिम आदेश है के परिशीलन से और मामला के अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि स्थायी लोक अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 22C की उपधारा (8) के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं किया है किंतु स्थायी लोक अदालत ने केवल राशि जो स्वीकृत रूप से याची द्वारा प्रत्यर्थी को भुगतेय थी के भुगतान के लिए आदेश पारित किया है।

(b) यद्यपि आवेदक का दावा 6 लाख रुपयों का था किंतु फिर भी वह केवल 93,000/– रुपया प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ था। वह निवेदन करते हैं कि स्थायी लोक अदालत के समक्ष मामला दाखिल किए जाने के बाद पक्षगण स्वीकृत रूप से स्थायी लोक अदालत को सम्यक सूचना के अधीन साथ बैठे थे जैसा स्वयं आदेश शीट से प्रकट है। तत्पश्चात, अभिलेख के सत्यापन से यह पाया गया था कि केवल 93,000/– रुपया प्रत्यर्थी को भुगतेय था और तद्नुसार दिनांक 18.10.2004 के आदेश में यथा उल्लिखित याचिका के तहत प्रत्यर्थी ने 93,000/– रुपयों का संगणना दिया था और इसे याची के अधिवक्ता को सौंपा था और मामला 22.12.2004 के लिए सूचीबद्ध किया गया था मामला 22.12.2004 को 24.12.2004 तक स्थगित किया गया था और 24.12.2004 को याची के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा याची की ओर से आवेदन दाखिल किया गया था कि अभिलेख के सत्यापन पर 93,000/– रुपयों की राशि भुगतेय पायी गयी थी और दिनांक 24.12.2004 के आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि याची को प्रत्यर्थी को राशि का भुगतान करने का समय अनुज्ञात किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि जब भुगतान नहीं किया गया था, रिट याचिका के परिशिष्ट 2 में यथा अंतर्विष्ट अंतिम आदेश पारित किया गया था।

(c) याची के अधिवक्ता आगे आदेश शीट निर्दिष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि 24.12.2014 के बाद कतिपय तिथियाँ याची को प्रदान की गयी थी, किंतु उसके बावजूद भुगतान नहीं किए जाने पर रिट याचिका के परिशिष्ट 2 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 15.6.2005 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

(d) वह निवेदन करते हैं कि परिशिष्ट 2 में यथा अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 22C की उपधारा (8) के अधीन आदेश नहीं है, अत: निर्णयों जिन पर याची द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 22C की व्याख्या एवं प्रयोज्यता के बिंदु पर विश्वास किया गया है की इस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रति प्रयोज्यता नहीं है।

(e) प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता भी निवेदन करते हैं कि जहाँ तक पुनर्विलोकन का संबंध है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अधीन पुनर्विलोकन का प्रावधान नहीं है और तदनुसार, स्थायी लोक अदालत द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था।

(f) वह आगे निवेदन करते हैं कि पुनर्विलोकन की शक्ति संविधि की उत्पत्ति है और ऐसी शक्ति की अनुपस्थिति में स्थायी लोक अदालत ने सही प्रकार से रिट याचिका के परिशिष्ट 1 में यथा अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश के तहत अपोषणीय के रूप में पुनर्विलोकन याचिका अस्वीकार कर दिया है।

(g) इस प्रतिवाद के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिवक्ता ने डब्लू०पी० (सी०) सं० 14755 वर्ष 2009 में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें पुनर्विलोकन के विस्तार एवं परिस्थितियों जिनके अधीन पुनर्विलोकन याचिका दाखिल की जा सकती है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **AIR 2013 SC 3301** में अधिकथित किया गया है पर विचार एवं अनुसरण किया गया

है। वह निवेदन करते हैं कि इसमें विनिर्दिष्ट कोई भी परिस्थिति स्थायी लोक अदालत द्वारा पुनर्विलोकन की किसी तथाकथित अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के लिए नहीं कहती है।

(h) वह यह भी इंगित करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7.2.2018 का आदेश पारित किया गया था जिसमें याची के अधिवक्ता ने पुनर्विलोकन याचिका दाखिल करने के लिए एक सप्ताह के समय के लिए प्रार्थना किया था जिसे याची द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था और इसका उत्तर भी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों के बेहतर अधिमूल्यन के लिए स्थायी लोक अदालत के समक्ष दाखिल किया गया था, किंतु दिनांक 7.2.2018 के आदेश के बावजूद उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर नहीं लाया गया था और उक्त दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, पुनर्विलोकन आदेश का परीक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति के प्रयोग में नहीं किया जा सकता है।

(i) प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की माननीय खंड न्यायपीठ द्वारा पारित 2012(3) JLJR 213, में प्रकाशित निर्णय पर भी विश्वास किया है जिसमें अधिनियम की धारा 22(c) की उपधारा (8) के संबंध में विरोधी दृष्टिकोण पर विचार किया गया है और **(2011)7 SCC 463** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल यदि पक्षगण सुलह द्वारा करार पर आने में विफल रहते हैं, स्थायी लोक अदालत विवाद विनिश्चित करके न्यायनिर्णायक निकाय में नामांतरित हो जाता है। वह आगे निवेदन करते हैं कि वर्तमान मामला कें पक्षों के बीच सुलह इस निष्कर्ष पर आने में सफल हुआ था कि प्रत्यर्थी को 93,000/- रुपयों की राशि भुगतेय थी और तद्नुसार धारा 22(c) की उपधारा (8) के अधीन स्थायी लोक अदालत के पास विवाद पर विचार करने और गुणागुण पर मामला विनिश्चित करने का अवसर नहीं था और तद्नुसार, परिशिष्ट 2 में यथा अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22C की उपधारा (8) के अधीन पारित नहीं किया गया है।

(j) प्रत्यर्थी के अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि अन्यथा भी रिट याची को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि याची ने मुख्य अधिनिर्णय के अनुसरण में तैयार की गयी डिक्री को चुनौती नहीं दिया है और उसने केवल अधिनिर्णय तथा पुनर्विलोकन याचिका अस्वीकार करने वाले आदेश को चुनौती दिया है।

6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद तथा पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद यह न्यायालय रिट याची को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अधीन निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से कोई अनुतोष प्रदान करने का इच्छुक नहीं है:-

(a) मामला अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा स्थायी लोक अदालत के समक्ष दावा दाखिल किया गया था एवं तत्पश्चात, याची द्वारा इसके प्रति प्रत्युत्तर भी दाखिल किया गया था जिसमें याची ने यद्यपि परिसीमा का बिन्दु उठाया था और याची का दावा विवादित किया था, याची ने अपने उत्तर के पैरा 23 में निवेदन किया था कि 53,009/- रुपयों की राशि अभी भी आवेदक को भुगतेय थी यद्यपि आवेदक ने 8,29,260/- रुपयों के मूल्य की सामग्री वापस नहीं किया था। तत्पश्चात, मामला के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि पक्षगण ने आपस में मिल-बैठ का मामला सुलझाने का प्रयास किया था और वे इस निष्कर्ष पर आए थे कि 93,000/- रुपयों की राशि प्रत्यर्थी को भुगतेय है। दिनांक 18.10.2004 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी द्वारा समझौते एवं अभिलेख के सत्यापन के आधार पर 93,000/- रुपयों की राशि का दावा करते हुए याचिका दाखिल की गयी थी जिसके प्रति याची को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना था। तत्पश्चात, रिट याचिका के परिशिष्ट 6 में यथा अंतर्विष्ट याचिका याची के

अधिवक्ता द्वारा यह उल्लेख करते हुए दाखिल की गयी थी कि अभिलेख के सत्यापन पर राशि 93,000/– रुपया होती है और कि याची राशि का भुगतान करने का इच्छुक था यदि अंतिम भुगतान के लिए 15 दिन का समय प्रदान किया जाता है।

(b) यद्यपि याची के अधिवक्ता द्वारा यह इंगित किया गया है कि दिनांक 24.12.2004 की यह विशेष याचिका याची के किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन दाखिल नहीं की गयी थी किंतु इसी समय पर याची इसे अपना नहीं मानने में सक्षम नहीं हुआ है और केवल यह निवेदन किया है कि संगणना की गलती थी और 93,000/– रुपयों की उल्लिखित राशि सही नहीं थी।

(c) मामला के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि 93,000/– रुपयों की राशि स्थायी लोक अदालत के समक्ष स्वीकार की गयी थी और स्वयं याची ने अंतिम भुगतान करने के लिए 15 दिनों के समय की प्रार्थना की थी किंतु उसका भुगतान नहीं किए जाने पर अंतत: स्थायी लोक अदालत ने याची को भुगतान करने का निर्देश देते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया और तत्पश्चात डिक्री तैयार की गयी थी।

(d) यह न्यायालय आगे पाता है कि दिनांक 7.2.2018 के आदेश के बावजूद आवश्यक याचिका एवं उत्तर जिसे रिट याचिका के परिशिष्ट 2 में यथा अंतर्विष्ट आदेश के पुनर्विलोकन के लिए दाखिल किया गया था, याची द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। तद्नुसार, इस न्यायालय के परिशीलन के लिए पुनर्विलोकन का आधार उपलब्ध नहीं है।

(e) अन्यथा भी, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त पुनर्विलोकन की किसी विनिर्दिष्ट शक्ति की अनुपस्थिति में, स्थायी लोक अदालत को अपने आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति नहीं है। तद्नुसार, परिशिष्ट 1 में यथा अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश सही प्रकार से यह अभिनिर्धारित करते हुए पारित किया गया है कि स्वयं पुनर्विलोकन पोषणीय नहीं है। जहाँ तक याची द्वारा विश्वास किए गए **1980 (Supp.) SCC 420** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का संबंध है यह औद्योगिक अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के संबंध में था जो एक पक्षीय अधिनिर्णय था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिकरण के पास एकपक्षीय अधिनिर्णय अपास्त करने के लिए पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की आनुषंगिक शक्ति थी। तथ्य एवं परिस्थितियाँ जो इस मामला में अंतर्ग्रस्त है, पूर्णत: भिन्न है। इसके अतिरिक्त, उस प्रभाव का विनिर्दिष्ट आदेश पारित किए जाने के बावजूद याची द्वारा पुनर्विलोकन का आधार दाखिल नहीं किए जाने पर यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की अवस्था में नहीं है। जहाँ तक अन्य निर्णयों, जिनपर याची के अधिवक्ता द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22C(8) के अधीन शक्ति के प्रयोग के बिन्दु पर विश्वास किया गया है, का संबंध है, इनकी इस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रति प्रयोज्यता नहीं है क्योंकि इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि विद्वान स्थायी लोक अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22(C) की उपधारा (8) के अधीन न्यायनिर्णयन की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। स्थायी लोक अदालत ने मात्र 93,000/– रुपयों की राशि के भुगतान के लिए समय सीमा दिया है, जिसपर मामला लंबित रहने के दौरान पक्षों के बीच पहुँचा गया था जो प्रत्यर्थी को भुगतेय था, जिसके लिए प्रत्यर्थी द्वारा विनिर्दिष्ट याचिका दाखिल की गयी थी और याची द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया था। याची ने तर्क के क्रम के दौरान अपने अधिवक्ता द्वारा दाखिल उत्तर को अपना मानने से इनकार नहीं किया है और उसका एकमात्र आधार यह है कि उक्त याचिका में संगणना की गलती थी। याची के प्रत्यर्थी द्वारा 93,000/– रुपयों की तय राशि के प्रति दाखिल याचिका का प्रत्युत्तर देने पर, याची को अभिकथित संगणना की गलती के आधार पर इसको चुनौती देने की छूट नहीं है। इसके अतिरिक्त

इस न्यायालय को अवगत कराने के लिए पुनर्विलोकन का आधार दाखिल नहीं किया गया है ताकि यह पता चल सके कि याची ने किस प्रकार पहली बार में स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित आदेश के प्रति प्रतिक्रिया किया।

7. इस प्रकार, यह न्यायालय आक्षेपित आदेशों में कोई विकृतता अथवा अवैधता नहीं पाता है ताकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा 227 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vfuy dekj pkèkjh] U;k;efr

मनबोध महतो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (SJ) No.95 of 2006. Decided on 6th March, 2018.

जी॰आर॰केस सं॰ 3801 वर्ष 1993 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (एस॰सी॰ एवं एस॰टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 23.1.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989–धारा 3(1)(xi)–भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 448/354–गृह अतिचार एवं मर्यादा भंग करने का प्रयास–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण अभियोजन मामला के प्रति घातक नहीं है जब तक यह बचाव पर प्रतिकूलता कारित नहीं करता है–घटना स्थल के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य बिलकुल नहीं है–अभियोजन गवाहों के परिसाक्ष्य में मुख्य विरोधाभास हैं कि कब और किस प्रकार और किस सीमा तक अभियुक्तों ने उपहतियाँ पाया और साक्ष्य कि कब एवं कहाँ अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था के संबंध में भी अंतर है–यह ऐसा मामला है जहाँ अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण से बचाव पर प्रतिकूलता कारित हुआ है– अपने गवाहों के माध्यम से अभियोजन मामला में सुधार किया गया है और घटना के तरीका और इसके परिणाम के संबंध में, गवाहों के परिसाक्ष्य में विरोधाभास है जो उनके विरूद्ध विरचित किसी आरोप के लिए दोषसिद्धि आधारित करने के लिए अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है–अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया।
(पैराएँ 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.–Mr. P. Chatterjee, For the Appellants; Addl. P.P., For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान ए॰पी॰पी॰ सुने गए।

2. अपीलार्थियों ने जी॰आर॰केस॰सं॰ 3801 वर्ष 1993 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, एस॰सी॰ एवं एस॰टी॰ (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 23.1.2006 के निर्णय से व्यथित होकर इस अपील को दाखिल किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया है और उनको एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है। उन्हें भारतीय

दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी भी पाया गया है और दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और आगे तीनों अपीलार्थियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. सूचक महेश्वरी भुइनी के फर्दबयान में यथा उल्लिखित अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि 11.10.1993 को अपराह्न लगभग 11.15 बजे अपीलार्थीगण अचानक सूचक के घर में घुसे और गंदी भाषा में उसको गाली दिया और सूचक और उसकी पुत्री की मर्यादा भंग करने का प्रयास किया जिस पर सूचक ने शोर किया जिसपर अभियुक्त अपीलार्थीगण सूचक के घर से भाग गए और दुर्गी भुइनी के घर में घुस गए। उन्होंने दुर्गी भुइनी की मर्यादा भंग करने का प्रयास किया। दुर्गी भुइनी ने भी शोर किया जिस पर मुहल्ला के निवासियों ने दो अपीलार्थी अभियुक्तों अर्थात मनबोध महतो एवं राजेश सिंह को पकड़ लिया जब कि अपीलार्थी अभियुक्त होन्डा महतो भागने में सफल रहा। सूचक द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने बाघमारा (महुदा) पी०एस० केस सं० 274 वर्ष 1993, जी०आर०सं० 3801 वर्ष 1993 के तत्सम, दर्ज किया और मामला का अन्वेषण किया। अन्वेषण पूरा करने के बाद, पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और संज्ञान के बाद मामला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। अपीलार्थियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 448/354 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(xii) के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए थे और उनके निर्दोषिता के अभिवचन पर उनका विचारण किया गया था।

4. अपने मामला के समर्थन में अभियोजन ने कुल पाँच गवाहों का परीक्षण किया है जिनमें से अ०सा० 3 समरू भुइया एवं अ०सा० 4 रामचंद्र भुइया ने अभियोजन मामला का समर्थन नहीं किया था और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ०सा० 1 महेश्वरी भुइनी ने कथन किया है कि अपराह्न लगभग 11 बजे तीन व्यक्ति शराब के नशे में उसके घर के अंदर आए और उसका हाथ एवं बाँह पकड़ लिया और उसको गाली देने लगे। उसने हल्ला किया। इस पर तीनों व्यक्ति अ०सा०2 दुर्गी भुइनी के घर में घुसे और उन्होंने दुर्गी भुइनी के साथ भी यही कृत्य किया। हल्ला किए जाने पर, तीनों अभियुक्तगण भाग गए जिनमें से दो को पकड़ा गया था जबकि एक भागने में सफल रहा। अभियुक्तों जिन्हें पकड़ा गया था ने अपना नाम मनबोध महतो एवं एस०के० सिंह के रूप में प्रकट किया। उन्हें महुदा पुलिस थाना ले जाया गया था। पुलिस थाना में, पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और इसे उसे पढ़कर सुनाया एवं स्पष्ट किया। जिसके बाद उसने अपने अंगूठा का निशान लगाया। अ०सा०3 एवं 4 ने भी उसके फर्दबयान पर हस्ताक्षर किया। अ०सा०1 ने मनबोध महतो तथा होन्डा महतो को पहचाना। उसने आगे कथन किया कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है। अपने प्रतिपरीक्षण में अ०सा०1 में कथन किया है कि वे प्रातः 6 बजे अभियुक्तों के साथ पुलिस थाना गए। उसने यह भी कहा कि अभियुक्तों के शरीर पर उपहतियाँ थी। उसने कहा कि उन्होंने अभियुक्तों पर प्रहार नहीं किया था। अभियुक्तों को पहले अस्पताल ले जाया गया था और तत्पश्चात, उन्हें पुलिस थाना ले जाया गया था। अ०सा०1 ने यह कथन भी किया कि वह बी०सी०सी० एल० के क्वार्टर में रह रही है, यद्यपि क्वार्टर उसको आवंटित नहीं है। अभियुक्तगण बी०सी०सी०एल० के कार्मिक हैं। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह बी०सी०सी०एल० के क्वार्टर के अवैध अधिभोग

में है और चूँकि सी०आई०एस०एफ० उसे उक्त क्वार्टर से बेदखल करना चाहता है, उसने यह झूठा मामला संस्थित किया है।

5. अ०सा०2 दुर्गी भुइनी ने कथन किया है कि अपराह्न लगभग 11.30 बजे तीन व्यक्ति अ०सा०1 के घर से बाहर आने के बाद उसके घर आए। वे उसके कपड़ों को फाड़ने लगे। उसने हल्ला किया और कॉलोनी के निवासी घटना स्थल पर आए और मनबोध महतो तथा राजेश सिंह को पकड़ा। उन्हें पुलिस थाना ले जाया गया था। अ०सा०2 दुर्गी भुइनी ने कथन किया कि वह अनुसूचित जाति की है, अत: अभियुक्तों ने उक्त कृत्य किया। अ०सा०2 ने अभियुक्तों को पहचाना जो न्यायालय में उपस्थित थे और तीसरे अभियुक्त को पहचानने का दावा किया जो अ०सा०2 के परीक्षण की तिथि पर उपस्थित था। अपने प्रति-परीक्षण में उसने कथन किया है कि जब अभियुक्तगण अ०सा०1 के घर के बाहर आए, किसी द्वारा उनका अनुसरण नहीं किया गया था। अभियुक्तों को मध्यरात्रि 12 तथा 1 बजे के बीच पुलिस थाना ले जाया गया था। अ०सा०2 भी पुलिस थाना गयी। अभियुक्तों, ने गिरने से उपहतियाँ पाया जब अभिकथित अभियुक्तगण उसके घर के पीछे नाला में गिर गए जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह बी०सी०सी० एल० क्वार्टर के अवैध अधिभोग में है और चूँकि उन्हें उक्त क्वार्टरों से हटाया जाना था, अत: उसने यह झूठा मामला संस्थित किया है।

6. अ०सा०5 मीना देवी ने कथन किया है कि अ०सा०1 द्वारा शोर सुनने पर वह घटनास्थल की और दौड़ कर गयी और अभियुक्तों को अ०सा०2 का कपड़ा खींचते देखा। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उसने न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना और तीसरे अभियुक्त को पहचानने का दावा किया जो अ०सा०5 के परीक्षण की तिथि पर उपस्थित था। अ०सा०5 ने आगे कथन किया है कि अ०सा०1 एवं 2 दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं किंतु अभियुक्तगण अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया है कि घटना के एक सप्ताह बाद अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसका परीक्षण किया गया था। उसने कथन किया कि उसका घर अ०सा०2 के घर के सामने अवस्थित है। वह बाहर आयी और उसने अ०सा०3 एवं 4 सहित अनेक व्यक्तियों को वहाँ उपस्थित देखा। जब पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया था, उसने पुलिस को अभियुक्तों को इंगित किया। अभियुक्तों को लगभग दो घंटों तक निरूद्ध किया गया था। तत्पश्चात पुलिस आयी और उनको ले गयी। अभियुक्तों ने गिरने से उपहतियाँ पाया। अभियुक्तगण समुचित रूप से चलने में सक्षम नहीं थे क्योंकि वे अत्यधिक नशा में थे। वे गिर गए जब पकड़े जाने के लिए उनका पीछा किया गया था। पुलिस ने दो अभियुक्तों मनबोध महतो तथा राजेश सिंह को पकड़ा। उसने आगे कथन किया कि शोर सुनने पर जब वह वहाँ गयी, अ०सा०4 ने उसको बताया कि अभियुक्तगण बदमाशी कर रहे थे। अ०सा०3 एवं 4 ने अभियुक्तों का पीछा किया और उन पर प्रहार किया। पुलिस शोर सुन कर आयी। उसने आगे कथन किया कि वह न्यायालय में वैसा अभिसाक्ष्य दे रही है जैसा अ०सा०4 द्वारा उसको बताया गया था।

7. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के बाद, अभियुक्तों का दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन बयान दर्ज किया गया था। अभियुक्तों ने अपने विरूद्ध साक्ष्य में आने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और अभियुक्त अपीलार्थियों ने मनबोध महतो एवं एम० राजेश ने इस मामला में झूठा आलिप्त किए जाने का अभिवचन किया। अभियुक्त अपीलार्थियों की ओर से साक्ष्य नहीं दिया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद, विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त उपदर्शित रूप में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया।

8. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामला में अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण बचाव पर अत्यधिक प्रतिकूलता कारित हुई है क्योंकि घटनास्थल सिद्ध नहीं किया जा सका था। सूचक का फर्दबयान भी सिद्ध नहीं किया गया था यद्यपि अ०सा०5 का ध्यान दं०प्र० सं० की धारा 161 के अधीन पुलिस के समक्ष उसके द्वारा दिए गए बयान के मुकाबले खींचा गया था किंतु अन्वेषण अधिकारी के गैर–परीक्षण के कारण उसके परिसाक्ष्य में उसके द्वारा किए गए विरोधाभासों एवं सुधारों को लाने के लिए अन्वेषण अधिकारी का सामना इससे नहीं कराया जा सका था। आगे यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी के गैर–परीक्षण के कारण यह अस्पष्ट बना रहा कि यद्यपि लिपिकीय लिप्तलेखन के कारण भाटडीह पुलिस चौकी में सूचक के फर्दबयान दर्ज करने का समय 11.10.1993 को अपराह्न 11.45 के रूप में उल्लिखित किया गया है, पुलिस ने अभियुक्तों को तुरन्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया था और कब तथा कहाँ से अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के समय एवं पेशी के तरीके तथा उनके द्वारा पायी गयी उपहतियों के संबंध में गवाहों के परिसाक्ष्य में मुख्य विरोधाभास है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि सत्य का दमन करने के लिए एवं अपीलार्थियों–अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के अंतरस्थ हेतु के साथ अन्वेषण अधिकारी किसी तर्कसंगत कारण के बिना कटघरे से बाहर रखा गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि आरोप–पत्र में कुल 11 व्यक्तियों को गवाहों के रूप में उद्धृत किया गया है किंतु यह अस्पष्ट बना रहा कि आरोप–पत्र में नामित शेष छह गवाहों का अभियोजन द्वारा परीक्षण क्यों नहीं किया गया था। आगे अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि स्वीकृत रूप से अपीलार्थीगण इस सीमा तक नशा में थे कि वे समुचित रूप से चलने में असमर्थ थे जैसा अ०सा० 5 द्वारा कथन किया गया है और अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद नहीं है कि अभियुक्तों का अ०सा० 1 अथवा अ०सा० 2 की मर्यादा भंग करने का आशय था; अत: भा०दं०सं० की धारा 354 के अधीन दंडनीय अपराध नहीं बनता है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) के खंडों में से किसी के अधीन दंडनीय आरोप सिद्ध करने के लिए पुरोभाव्य शर्त यह है कि अभियुक्तों को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होना होगा। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि अ०सा०5 के माध्यम से साक्ष्य आया है कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं किंतु इसको लेकर साक्ष्य बिल्कुल नहीं है कि क्या वे अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) के खंडों के अधीन अपराध के आवश्यक अवयवों के संबंध में ऐसे किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में, विद्वान अवर न्यायालय को अपीलार्थियों को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर देना चाहिए था। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि यह सुझाने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद है कि समय के प्रासंगिक बिंदु पर अभियुक्त अपीलार्थीगण भारी नशा में थे और इसलिए, वे समुचित रूप से चलने में सक्षम नहीं थे। अत: कल्पना की किसी विस्तार तक इस निष्कर्ष पर नहीं आया जा सकता है कि वे कोई अपराध करने अथवा उनको अभित्रासित करने या चिढ़ाने के आशय से अ०सा०1 अथवा अ०सा०2 के घर में घुसे। अंत में यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय को अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य ध्यान में लेते हुए अभियुक्त अपीलार्थियों को कम से कम संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करना चाहिए था, अत: विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दोष सिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया जाए।

9. दूसरी ओर, विद्वान अपर पी०पी० ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश का बचाव किया और निवेदन किया कि अ०सा०1 एवं 2 का साक्ष्य जिसे अ०सा०2 के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है, भा०दं०सं० की धारा 448/354 के अधीन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi) के अधीन समस्त दंडनीय आरोपों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। अत:, यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को सही प्रकार से दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किए जाने पर, यह अपील गुणागुणरहित होने के कारण खारिज की जाए।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख के परिशीलन पर, यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण अभियोजन मामला के प्रति घातक नहीं है जब तक यह बचाव पर प्रतिकूलता कारित नहीं करता है। इस मामला के तथ्यों पर आते हुए, मैं पाता हूँ कि घटनास्थल के संबंध में साक्ष्य बिलकुल नहीं है। अ०सा०5 का ध्यान दं०प्र०सं० की धारा 161 की अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज उसके बयान के मुकाबले में खींचा गया था। अभियोजन गवाहों के परिसाक्ष्य में मुख्य विरोधाभास है कि कब तथा किस सीमा तक अभियुक्तों ने उपहतियाँ पाया और साक्ष्य कि कब और कहाँ अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था के संबंध में भी अंतर है और यह भी अस्पष्ट बना रहता है कि यदि सूचक का फर्दबयान 11.10.1993 को अपराह्न 11.45 बजे दर्ज किया गया था क्योंकि उसमें उल्लिखित समय 11.45 का लिप्तलेखन है, क्यों नहीं अपीलार्थियों को तुरन्त गिरफ्तार किया गया था, खासकर क्योंकि यह अभियोजन का मामला है कि दो अभियुक्तों को घटना के तुरन्त बाद गिरफ्तार किया गया था। अत: मामला के पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि यह ऐसा मामला है जहाँ अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण बचाव पर प्रतिकूलता कारित हुआ है। जहाँ तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi) के अधीन दंडनीय अपराध के प्रतिवाद का संबंध है, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल है कि साक्ष्य बिलकुल नहीं है कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं जो अभियुक्तों के विरूद्ध उक्त आरोप स्थापित करने के लिए अनिवार्य है। साक्ष्य में यह भी आया है कि अपीलार्थी सं०3 एम०राजेश केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल का कार्मिक है और कि यद्यपि अ०सा०1 एवं 2 को बी०सी०सी०एल० क्वार्टर आवंटित नहीं किया गया था किंतु वे इसका अधिभोग कर रहे थे और यह साक्ष्य अपीलार्थियों–अभियुक्तों को झूठा आलिप्त करने के लिए अ०सा०1 एवं 2 की ओर से निश्चय ही हेतु दर्शाता है। आगे अ०सा०5 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने अ०सा०4 से घटना के बारे में सुना। अत: उसे घटना का चश्मदीद गवाह नहीं कहा जा सकता है। आगे अ०सा०4 का बयान कि उन्होंने घटना की अगली तिथि पर पुलिस थाना में हस्ताक्षर किया, भी संदेह सृजित करता है। किसी तर्कसंगत कारण के बिना झूठा आलिप्त करने के लिए हेतु तथा स्वतंत्र गवाहों का गैरपरीक्षण ऐसी परिस्थिति है जो इस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियोजन के विरूद्ध जाती है। यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि अपने गवाहों के माध्यम से अभियोजन मामला में सुधार किया गया है और घटना के तरीका तथा इसके परिणाम के संबंध में गवाहों के परिसाक्ष्य में विरोधाभास हैं जो अपीलार्थियों के विरूद्ध विरचित किसी आरोप के लिए उनकी दोषसिद्धि आधारित करने के लिए अभियोजन का साक्ष्य अविश्वसनीय बनाता है।

11. मामला के पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि यह सुयोग्य मामला है जहाँ अभियुक्त अपीलार्थियों को उनको संदेह का लाभ देकर समस्त तीनों आरोपों से दोषमुक्त किया जाए। तद्नुसार, अभियुक्त अपीलार्थियों को उनको संदेह का लाभ देकर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 448/354 के अधीन और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi) के अधीन दंडनीय समस्त तीनों आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है। अभियुक्त अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उनकी दोषमुक्ति की दृष्टि में उन्हें उनके जमानत बंधपत्रों के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

12. इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख अवर न्यायालय को तुरन्त वापस भेजे जाएँ।

13. परिणामस्वरूप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh;k vuHkk jkor pkèkjh] U;k;efr

बदरी प्रसाद उर्फ बदरी साव एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No.7018 of 2011. Decided on 16th February, 2018.

बिहार सरकारी भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 1956–धारा 3–अधिक्रमण हटाया जाना–जब एक बार ऑर्डर शीट के मुताबिक नोटिस जारी किए जाने के लिए आदेश पारित किया गया है, इसे जारी किया जाना चाहिए था–यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि तिथियाँ जिन्हें ऑर्डर शीट के मुताबिक नियत किया गया था, याचीगण की उपस्थिति में नियत किया गया था अथवा याचीगण को यह प्रदर्शित करने के लिए कि याचीगण द्वारा आदेशों को देखा गया था, स्वयं ऑर्डर शीट पर उनका पृष्ठांकन अथवा हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें कहकर याची को अवगत कराया गया था–याचीगण अपने नियंत्रण के परे कारणों से अंचलाधिकारी के समक्ष अपना-परस्पर कारण बताओ दाखिल नहीं कर सके थे–आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में पारित किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(1992) 2 PLJR 854 (Patna)—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s B.S. Lal, Vikash Kishore, For the Petitioners; Mr. Prashant Kr. Singh, For the Resp.-State; Mr. A.K. Sahani, For the Private-Resp..

न्यायालय द्वारा.–याचीगण के लिए उपस्थित अधिवक्ता श्री विशाल किशोर द्वारा सहायित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री बी०एस० लाल सुने गए।

2. प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार सिंह, जी०पी० VI, सुने गए।

3. प्राइवेट प्रत्यर्थी सं० 6 एवं 7 के लिए उपस्थित अधिवक्ता श्री ए०के० साहनी सुने गए।

4. यह रिट याचिका रिट याचियों द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दाखिल की गयी है:–

(a) रिट याचिका के परिशिष्ट 24 में यथा अंतर्विष्ट अंचलाधिकारी, बागोदर द्वारा केस सं॰ 1/2008–09 में पारित दिनांक 14.5.2010 के आदेश के अभिखंडन के लिए।

(b) रिट याचिका के परिशिष्ट 25 में अंतर्विष्ट, जिला समाहर्ता, गिरीडीह द्वारा फाइल सं॰ 21/2010 में पारित दिनांक 25.11.2011 के अपीलीय आदेश के अभिखंडन के लिए।

5. याचीगण के अधिवक्ता निम्नलिखित निवेदन करते हैं:–

(a) प्रश्नगत भूमि 1939 से याचीगण के अधिभोग में है और वे प्रश्नगत भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियाँ कर रहे हैं। संपत्ति अधिकार अभिलेख में गैर–मजरूआ खास के रूप में दर्ज की गयी है। भूतपूर्व जमीन्दार ने काफी पहले वर्ष 1939 में याची सं॰1 एवं चार अन्य के पिता के पक्ष में भूमि बन्दोबस्त किया था और परचा भी जारी किया गया था। भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा लगान रसीद भी जारी की गयी थी और बिहार राज्य ने सम्यक् रूप से याची को रैयत के रूप में मान्यता दिया और लगान रसीद जारी किया।

(b) बिहार सरकारी भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन याचीगण एवं अन्य के विरूद्ध कार्यवाही आरंभ की गयी थी और उस चरण पर याची सं॰1 से 6 ने कार्यवाही को चुनौती देते हुए रिट याचिका डब्लू॰पी॰(सी॰)सं॰ 4735 वर्ष 2008 दाखिल किया।

(c) उक्त रिट याचिका डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 4735/2008 दिनांक 8 जनवरी, 2010 के आदेश के तहत निपटायी गयी थी। याची के अधिवक्ता ने उक्त आदेश का पैरा 2 से 6 निर्दिष्ट किया जिसे त्वरित निर्देश के लिए यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता हैं:–

> *^^2- pkg tk Hkh gk] iR;Fkh jkT; d fo}ku vfèkoDrk u dFku fd;k g fd fcgkj ljdkjh Hkfe vfèkØe.k vfèkfu;e] 1956 (ble bld ckn ^^vfèkfu;e 1956** d :i e fufn"V) dh èkkjk 3 d vèkhu lMd pkMk dju d i;ktu l dk;okgh vkjHk dh x;h g vkj iR;Fkh jkT; d fo}ku vfèkoDrk }kjk fu"i{kr% fuonu fd;k x;k g fd dk;okgh ;Fkk lHko 0;ogkfjdr%] ikFkfedr% bl vkn'k dh ifr dh ikfIr dh frfFk l uCc fnuk dh vofèk d Hkhrj ijh dh tk,xh vkj ;kph dk luokb e lg;kx djuk pkfg,A iR;Fkh jkT; d fo}ku vfèkoDrk }kjk fu"i{kr% ;g fuonu Hkh fd;k x;k g fd vfèkfu;e] 1956 d vèkhu dk;okgh vfre :i l fofuf'pr fd, tku rd i'uxr ljpuk Hkftr@vLr0;Lr ugh dh tk,xhA*
>
> *3- iR;Fkh l0 6 ,o 7 dh vkj l mifLFkr fo}ku vfèkoDrk u tkjnkj fuonu fd;k g fd ;kphx.k vfèkØe.kdrk g vkj o i'uxr lifÙk d Lokeh ugh g vkj ;kph }kjk vud Hkked c;ku fn, x, gA*
>
> *4- nkuk i{kk d fo}ku vfèkoDrk dk luu ij rFkk ekeyk d rF;k ,o ifjfLFkfr;k dk n[kr g,] ;g irhr gkrk g fd vfèkfu;e] 1956 d vèkhu dk;okgh jkT; }kjk igy gh vkjHk dh x;h g vkj iR;Fkh jkT; d fo}ku vfèkoDrk }kjk vk'oLr fd;k x;k g fd mDr dk;okgh ;Fkk lHko 'kh?k ikFkfedr% bl U;k;ky; d vkn'k dh ifr dh ikfIr dh frfFk l uCc fnuk d Hkhrj] ;kphx.k vFkok mud fofèkd ifrfufèk;k dk luokb dk i;kIr volj nu d ckn rFkk iR;Fkh l0 6 ,o 7 lfgr leLr iHkkfor i{kk dk luokb dk i;kIr volj fn, tku d ckn ijh dh tk,xh vkj iR;Fkh jkT; d fo}ku vfèkoDrk }kjk fn, x, vk'oklu fd*

i'uxr ljpuk bl chp Hkftr@vLr0;Lr ugh dh tk,xh dk n[kr g,] e ,rn }kjk >kj[kM jkT; ,o bld ikfèkdkfj;k dk vfèkfu;e] 1956 d vèkhu dk;okgh bl U;k;ky; d vkn'k dh ifr dh ikfIr dh frfFk l vfèkekur% ucc fnuk d Hkhrj 0;ogkfjdr% ;FkkIHko 'kh?k ;kphx.k vFkok mud fofèkd ifrfufèk;k dk luokb dk i;kIr volj nu d ckn rFkk iR;Fkh l0 6 ,o 7 lfgr leLr iHkkfor i{kk dk luokb dk i;kIr volj nu d ckn luu ,o fofuf'pr dju dk fun'k nrh g vkj e vkx fun'k nrh g fd vfèkfu;e] 1956 d vèkhu dk;okgh ijh fd, tku rd i'uxr ljpuk >kj[kM jkT; }kjk Hkftr@vLr0;Lr ugh dh tk,xhA

5- e >kj[kM jkT; d lcfèkr vfèkdkjh dk ;g fun'k Hkh nrh g fd vkt d fnu l rjUr bu leLr lifÙk;k dk jxhu QkVkxkQ leLr dk.kk ,o leLr i{kk l fy;k tk,xk rkfd vkx fuek.k vFkok Hktu jkdk tk ld vkj bu leLr jxhu QkVkxkQk rFkk ipuke dk nk xokgk d gLrk{kjk d lkFk fy;k tk,xk vkj bUg jkT; d mPp J.kh d vfèkdkjh d ikl j[kk tk,xkA

*6- rnuIkj] iokDr li{k.kk ,o fun'kk d lkFk ;g fjV ;kfpdk fuiVk;h tkrh gA***

(d) डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 4735/2008 में पारित दिनांक 8.1.2010 के आदेश के बाद मामला 23.2.2010 को प्राधिकारी द्वारा सुना गया था। याची के अधिवक्ता रिट याचिका के परिशिष्ट 24 (कार्यवाही शीट) में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 23.2.2010 के आदेश को निर्दिष्ट करके निवेदन करते हैं कि परिसर की फोटोग्राफी करने के निर्देश के साथ आदेश और उस प्रयोजन से नोटिस संबंधित अंचल के प्राधिकारियों को जारी किया गया था।

(e) दिनांक 23.2.2010 के आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि मामला में अगली तिथि नियत नहीं की गयी है।

(f) किंतु ऑर्डर शीट से यह प्रतीत होता है कि अगली तिथि जब मामला सुना गया था, 10 मार्च 2010 थी जब आदेश पारित किया गया था कि 4.4.2010 तक अधिक्रमण हटाया जाना है और उस प्रयोजन से तिथि 8.4.2010 नियत करने वाला नोटिस जारी किया गया था।

(g) अगली तिथि 8.4.2010 को थी जिस पर यह दर्ज किया गया था कि नोटिस तामील की गयी है और नोटिस के तामील के अनुसरण में याचीगण सहित व्यक्ति उपस्थित हुए और 15 दिनों के समय के लिए प्रार्थना किया। समय प्रदान किया गया था और अगली तिथि 21.4.2010 को नियत की गयी थी।

(h) याचीगण का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि याची ने 8.4.2010 को समय याचिका दाखिल किया था किंतु याची को अगली तिथि से अवगत नहीं कराया गया था और तद्नुसार याचीगण 21.4.2010 को उपस्थित नहीं हो सके थे।

(i) तद्नुसार, याचीगण 21.4.2010 को उपस्थित नहीं हो सके थे और ऑर्डर शीट के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि 8.4.2010 को दाखिल समय याचिका सुनी गयी थी और याचीगण को अपना कारण बताओ उत्तर दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय प्रदान किया गया था और मामला 3. 5.2010 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

(j) याचीगण को तिथि 3.5.2010 को नियत किए जाने के बारे में जानकारी नहीं थी और तद्नुसार याचीगण 3.5.2010 को प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे।

(k) याचीगण 3.5.2010 को भी उपस्थित नहीं हो सके थे क्योंकि उन्हें 21.4.2010 को पारित आदेश की जानकारी नहीं थी। किंतु, प्राधिकारी ने 3.5.2010 को अंतिम अवसर के रूप में 12.5.2010 तक समय प्रदान करने वाला आदेश पारित किया और बिहार भूमि अधिक्रमण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया।

(l) याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि नोटिस जिसे दिनांक 3.5.2010 के आदेश में उल्लिखित किया गया है, वस्तुत: कभी नहीं जारी किया गया था और तद्नुसार याचीगण पर इसका तामील कभी नहीं किया गया था, तद्नुसार वे 12.5.2010 को प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे। यह याचीगण का विनिर्दिष्ट मामला है कि याचीगण को तिथि 12.5.2010 होने की जानकारी नहीं थी जिस दिन पर याचीगण की अनुपस्थिति में कार्यवाही बन्द की गयी थी और मामला आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

(m) तत्पश्चात याची को अधिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए दिनांक 14.5.2010 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

(n) याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 14.5.2010 का आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय तथा निष्पक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन में और डब्लू०पी०(सी०) सं० 4735/2008 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के विरूद्ध पारित किया गया है।

(o) याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 14.5.2010 के आदेश के विरूद्ध याची सं०1 से 6 जिला समाहर्ता, गिरीडीह के समक्ष गए जिन्होंने 25.11.2011 को यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील खारिज कर दिया कि फॉर्म 1 में नोटिस पहले ही 13.9.2008 को याची को जारी की गयी थी और इसे प्राप्त किया गया था। याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान जिला न्यायालय, गिरीडीह ने अधिमूल्यन नहीं किया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि सुनवाई की तिथियाँ अपीलार्थीगण को ज्ञात नहीं थी और अंतत: अपीलार्थीगण अपना मामला अंचलाधिकारी, बागोदर के समक्ष नहीं रख सके थे।

(p) याचीगण के अधिवक्ता मामला के गुणागुण पर आगे निवेदन करते हैं कि याचीगण काफी अरसे से संपत्ति पर अधिकारवान रूप से काबिज हैं और (1992)2 PLJR 854 (Patna) में प्रकाशित माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर यह दर्शाने के लिए विश्वास किया है कि यदि किसी संपत्ति के प्रति सरकार के अभिधान के संबंध में सद्भावपूर्ण विवाद है, तब सरकार एकपक्षीय कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऐसा विवाद विधि के सामान्य क्रम में न्यायनिर्णीत किया जाना होगा।

(q) किन्तु, यदि याचीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह पर्याप्त होगा यदि मामला याचीगण को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद नया आदेश पारित किए जाने के लिए प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है और स्वयं इस माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई की तिथि नियत की जाए।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अवर प्राधिकारियों द्वारा सही प्रकार से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है और उन्होंने नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न किया है जिन्हें फॉर्म 1 में बिहार सरकारी भूमि अधिक्रमण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन 13.9.2008 को रिट याचीगण पर तामील किया गया था और इसलिए दिनांक 3.5.2010 के आदेश के मुताबिक नया नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मामला के गुणागुण का संबंध है, प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण अधिक्रमणकर्ता हैं और आक्षेपित आदेश सही प्रकार से पारित किए गए हैं। प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि याचीगण को पहले ही समायोजित किया जा चुका है और पुनर्वास के प्रयोजन से मार्केट कंपलेक्स में कोई अन्य स्थान दिया गया है किंतु फिर भी वे परिसर खाली नहीं कर रहे हैं। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाए।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद तथा मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह न्यायालय अंचलाधिकारी, बागोदर द्वारा पारित दिनांक 14.5.2010 का आक्षेपित आदेश तथा जिला समाहर्ता, गिरीडीह द्वारा पारित दिनांक 25.11.2011 के अपीलीय आदेश को अपास्त करने और निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से नए सिरे से विचार किए जाने के लिए मामला अंचलाधिकारी, बागोदर को प्रतिप्रेषित करने के इच्छुक हैं:

(a) मामला के अभिलेख से मैं पाती हूँ कि पूर्व रिट याचिका डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 4735 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 8.1.2010 के आदेश के तहत पक्षों को सुनने के बाद नया आदेश पारित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश पारित किया गया था।

(b) डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 4735 वर्ष 2008 में निम्नलिखित छह याचीगण थे:–

(i) **cnjh ilkn lko mQ cnjh lko]**

(ii) **'khry lko]**

(iii) **xkiky lko mQ un xkiky lko]**

(iv) **ykyth ilkn lko]**

(v) **ujflx lko mQ ujflx ilkn]**

(vi) **ghjklko**

(c) यही याचीगण याची सं॰1 से 6 के रूप में इस न्यायालय के समक्ष हैं। जहाँ तक याची सं॰7 एवं 8 का संबंध है, डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 4735 वर्ष 2008 में पक्ष नहीं थे।

(d) यह किसी का मामला नहीं है कि याची सं॰7 एवं 8 ने कभी भी कोई भी रिट याचिका अंचलाधिकारी, बागोदर की कार्रवाई और बिहार सरकारी भूमि अधिनियम की धारा 3 के अधीन कार्यवाही जिसे काफी पहले वर्ष 2008 में जारी किया गया था को चुनौती देते हुए दाखिल किया था।

(e) ऑर्डर शीट से, मैं पाती हूँ कि कार्यवाही डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 4735 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 8.1.2010 के अनुपालन में डब्लू॰पी॰(सी॰) सं॰ 4735 वर्ष 2008 में दर्ज दिनांक 23.2.2010 के आदेश के अनुसरण में आरंभ की गयी थी।

(f) तत्पश्चात, दिनांक 5.4.2010 के आदेश के तहत रिट याची सं॰1 से 6 तथा प्रत्यर्थी सं॰ 7 एवं 8 को समय प्रदान किया गया था।

(g) तत्पश्चात, 21.4.2010 को उसी कार्यवाही में पुन: समय प्रदान किया गया था और अगली तिथि 3.5.2010 नियत की गयी थी।

(h) तत्पश्चात, 3.5.2010 को तथाकथित अधिक्रमणकर्ता याचीगण सहित अंचलाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे और तद्नुसार, अंचलाधिकारी ने कारण बताओ/दस्तावेज दाखिल करने के लिए 12.5.2010 तक की अंतिम तिथि प्रदान किया और उसी तिथि पर 3.5.2010 को धारा 3 के अधीन फॉर्म 1 में नया नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था।

(i) ऑर्डर शीट एवं मामला के अभिलेख से, मैं पाता हूँ कि अगली तिथि 12.5.2010 नियत करते हुए 3.5.2010 में यथा उल्लिखित नोटिस याचीगण को कभी नहीं जारी किया गया था और तद्नुसार, इसे याचीगण पर तामील नहीं किया जा सका था। अंतत:, 12.5.2010 को याचीगण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे और आदेश आरक्षित किया गया था और याचीगण को सुने बिना 14.5.2010 को अंतिम आदेश पारित किया गया था जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में तथा

डब्लू०पी०(सी०) सं० 4735 वर्ष 2008 में जारी निर्देशों के विरूद्ध था। ऐसी परिस्थितियों में याचीगण अपने दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके थे। याची सं०1 से 6 डब्लू०पी०(सी०) सं० 4735 वर्ष 2010 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद अपना दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे और जहाँ तक याची सं०7 एवं 8 का संबंध है, वे भी अपना दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे क्योंकि तिथि 12.5.2010 नियत करने वाली नोटिस न तो जारी की गयी थी न ही याचीगण पर तामील की गयी थी।

(j) प्रत्यर्थियों का अभिवचन कि फॉर्म 1 में नोटिस पहले वर्ष 2008 में जारी किया गया था और दिनांक 3.5.2010 के आदेश के अनुसरण में नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब एक बार स्वयं ऑर्डर शीट के मुताबिक नोटिस जारी करने के लिए आदेश पारित किया गया है, इसे जारी किया जाना चाहिए था। यह विशेषत: इन परिस्थितियों में है कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि तिथियाँ जिन्हें ऑर्डर शीट के मुताबिक नियत किया गया था, याचीगण की उपस्थिति में नियत किया गया था अथवा याचीगण को यह प्रदर्शित करने के लिए कि याचीगण द्वारा ऑर्डरशीट देखा गया था, स्वयं ऑर्डरशीट पर अपना पृष्ठांकन अथवा हस्ताक्षर करने के लिए कहकर उन्हें अवगत कराया गया था।

(k) इस प्रकार, यह न्यायालय पाता है कि याचीगण अपने नियंत्रण के परे कारणों से अंचलाधिकारी के समक्ष अपना परस्पर कारण बताओ दाखिल नहीं कर सके थे और दिनांक 14.5.2010 का आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन से पारित किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है।

(l) अपीलीय प्राधिकारी भी मामला के इस पहलू पर विचार करने में विफल रहे हैं और अपना आदेश मुख्यत: इस आधार पर आधारित किया है कि अवर न्यायालय फाइल का परिशीलन प्रकट करता है कि फॉर्म I 13.9.2008 को जारी किया गया था और इसे अपीलार्थियों द्वारा प्राप्त किया गया था और इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि अंचलाधिकारी द्वारा यथा नियत अनेक तिथियाँ याचीगण को ज्ञात नहीं थी अथवा उनको संसूचित नहीं की गयी थी और तिथि 12.5.2010 नियत करने वाले दिनांक 3.5.2010 के आदेश में यथा उल्लिखित नोटिस कभी नहीं जारी किया गया था और तद्नुसार याचीगण पर तामील नहीं किया गया था।

8. इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन, रिट याचिका के परिशिष्ट 4 में यथा अंतर्विष्ट अंचलाधिकारी, बागोदर द्वारा केस सं० 1/2008-09 में पारित दिनांक 14.5.2010 का आदेश तथा रिट याचिका के परिशिष्ट 25 में यथा अंतर्विष्ट जिला समाहर्ता, गिरीडीह द्वारा फाइल सं० 21/2010 में पारित दिनांक 25.11.2011 का अपीलीय आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और याचीगण को अंचलाधिकारी, बागोदर के समक्ष अपने दावा के संबंध में अपने परस्पर कारण बताओ तथा दस्तावेजों के साथ 10.3.2018 को प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

9. प्रत्यर्थी प्राधिकारी याचीगण द्वारा 10.3.2018 को कारण बताओ का उत्तर दाखिल करने पर पक्ष को सुनने तथा तत्पश्चात दो सप्ताह की अवधि के भीतर सकारण आदेश द्वारा अंतिम निर्णय लेने के लिए मामला के साथ अग्रसर होंगे।

10. इस चरण पर, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह आदेश केवल इस मामला के याचीगण तक सीमित किया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति जिसने आक्षेपित आदेश को चुनौती नहीं दिया है को कोई लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

11. प्रत्यर्थियों द्वारा की गयी प्रार्थना पर विचार करते हुए यह कहना अनावश्यक है कि आदेश केवल रिट याचीगण जो इस न्यायालय के समक्ष हैं तक सीमित है।

12. तद्नुसार, पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

रेखा अग्रवाल

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 4963 of 2014. Decided on 10th January, 2018.

बिहार भूमि सुधार (महत्तम सीमा का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961–धारा 45B–अर्जन से भूमि का अनधिसूचनाकरण–जमाबन्दी किसी भूमि पर पक्ष का कोई अधिकार, अभिधान अथवा हित सृजित अथवा निर्वापित नहीं करती है–जमाबन्दी के सृजन का प्रयोजन सरकार द्वारा भूमि राजस्व का संग्रहण करना है–आक्षेपित आदेश उपायुक्त द्वारा मात्र इस आधार पर पारित किया गया है कि अर्जन की अधिसूचना को चुनौती देने में विलंब हुआ था–याची सद्भावपूर्ण खरीदार था–प्रत्यर्थीगण यह प्रतिवाद करने में न्यायोचित नहीं हैं कि चूँकि याची ने अर्जन अधिसूचना को चुनौती देने में विलंब किया, याची की प्रार्थना अस्वीकार की जा सकती है जबकि स्वयं प्रत्यर्थियों ने अर्जन पर कृत्य करने में आलस्यपूर्ण रवैया अपनाया है–उपायुक्त द्वारा पारित आदेश अभिखंडित किया गया और राज्य को याची की भूमि को अर्जन से अनधिसूचित करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar, Birendra Kumar, For the Petitioner; Mr. Atanu Banerjee, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका याची की भूमि अर्जन से अनधिसूचित करने एवं उसके पक्ष में लगान रसीद जारी करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश जारी करने के लिए दाखिल की गयी है। आगे, विविध मामला सं॰ 11 वर्ष 2001 में उपायुक्त, कोडरमा (प्रत्यर्थी सं॰2) द्वारा पारित दिनांक 24.7.2014 के आदेश (परिशिष्ट 5) को अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना की गयी है।

2. रिट याचिका में यथा कथित मामला की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि दिनांक 31.1.1979 के विक्रय विलेख के फलस्वरूप याची ने मौजा मोरियावाँ में 7.45 एकड़ कुल क्षेत्र की खाता सं॰ 40, भूखंड सं॰ 1250, क्षेत्र 2.52 एकड़; खाता सं॰4, भूखंड सं॰ 1251, क्षेत्र 1.90 एकड़; खाता सं॰ 25 भूखंड सं॰ 1249, क्षेत्र 2.03 एकड़ और खाता सं॰ 57, भूखंड सं॰ 1252, क्षेत्रफल 1 एकड़ भूमि (इसमें इसके बाद ''उक्त भूमि'' के रूप में निर्दिष्ट) प्रयाग मोदी, राघव मोदी एवं रामकृष्ण मोदी से खरीदा था। खाता सं॰ 25 घनश्याम पांडे एवं अन्य के नाम में, खाता सं॰ 40 नारो गोप एवं अन्य के नाम से, खाता सं॰ 4 अनहछ गोप एवं अन्य के नाम में और खाता सं॰ 57 भिखु गोप एवं अन्य के नाम में दर्ज किया

गया है। याची के विक्रेताओं ने दिनांक 21.7.1976 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के रूप में अभिलिखित अभिधारियों के उत्तराधिकारियों से उक्त भूमि खरीदा था। याची ने वर्ष 1999 में उक्त भूमि के लिए अपने नाम के नामांतरण के लिए आवेदन दिया, किंतु इसे इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि उक्त भूमि दिनांक 30.6.1976 की गजट अधिसूचना सं॰ 466 के तहत किसी मेसर्स क्रिश्चियन माइका इंडस्ट्रीज लि॰, डोमचंच (संक्षेप में मेसर्स सी॰ एम॰आई॰लि॰) की अधिशेष भूमि के रूप में घोषित की गयी है। तत्पश्चात, उपायुक्त, कोडरमा (प्रत्यर्थी सं॰2) के समक्ष निर्मुक्ति मामला सं॰ 11 वर्ष 2001 दाखिल किया गया था जिस पर प्रत्यर्थी सं॰2 ने दिनांक 24.5.2002 के पत्र सं॰37 के तहत अंचलाधिकारी, कोडरमा (प्रत्यर्थी सं॰6) से जाँच रिपोर्ट मंगाया और अंततः दिनांक 24.7.2014 के आक्षेपित आदेश के तहत याची का आवेदन अस्वीकार किया गया था जो वर्तमान रिट याचिका उद्भूत करता है।

3. याची की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची उक्त भूमि की सद्भावपूर्ण खरीदार है। उक्त भूमि का खतियान स्पष्टतः प्रकट करता है कि यह अभिलिखित अभिधारियों की रैयती भूमि थी जिसे बाद में याची के विक्रेताओं द्वारा खरीदा गया था और अंततः याची के हाथ में आया था। मेसर्स सी॰एम॰आई॰ लि॰ का समय के किसी बिंदु पर उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं था, इस प्रकार अभिकथित अर्जन का वैध प्रभाव नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि समस्थित व्यक्तियों अर्थात श्रीमती यशोदा रानी शर्मा एवं अन्य ने भूखंड सं॰ 1249, खाता सं॰ 25, जिसे मेसर्स सी॰एम॰आई॰लि॰ की अधिशेष भूमि के रूप में भी अधिसूचित किया गया था, के लिए मौजा मोरियावाँ के घनश्याम पांडे के संततियों से उनके द्वारा खरीदी गयी भूमि के अनधिसूचीकरण के लिए पटना उच्च न्यायालय की राँची न्यायपीठ के समक्ष रिट याचिका सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰ 3026 वर्ष 1998 (R) दाखिल किया था। इस न्यायालय की न्यायपीठ ने दिनांक 1.5.2009 के आदेश के तहत रिट याचिका अनुज्ञात किया और उनकी भूमि का अनधिसूचीकरण आदेशित किया। यह निवेदन भी किया गया है कि याची का मामला **सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰ 3026 वर्ष 1998 (R) (श्रीमती जशोदा रानी शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)** में पारित इस न्यायालय के दिनांक 1.5.2009 के निर्णय द्वारा पूर्णतः आच्छादित है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अंचलाधिकारी, कोडरमा (प्रत्यर्थी सं॰6) की दिनांक 29.6.2002 तथा 29.8.2013 की जाँच रिपोर्ट स्पष्टतः उक्त भूमि पर याची का अभिधान एवं कब्जा स्थापित करती है और उसने तद्नुसार उक्त भूमि के अनधिसूचीकरण की अनुशंसा की। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची कैंसर पीड़ित वृद्ध महिला है और उसके पति का भी लंबा इलाज चला था और अंततः उसकी मृत्यु हो गयी। इस दशा में वह पहले नामांतरण के लिए आवेदन दाखिल नहीं कर सकी थी और अनधिसूचीकरण के लिए प्राधिकारी के पास जाने में विलंब आशयपूर्वक नहीं है, बल्कि उसके नियंत्रण के परे परिस्थितियों के कारण वह देर से प्राधिकारियों के पास गयी। यह निवेदन भी किया गया है कि अभिलिखित अभिधारियों के नाम में चल रही जमाबन्दी भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा द्वारा याची को कोई नोटिस जारी किए बिना अथवा सुनवाई का अवसर दिए बिना दिनांक 19.8.1991 के आदेश के तहत रद्द की गयी थी यद्यपि स्वयं उस समय पर याची उक्त भूमि की अधिकारवान स्वामिनी बन गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा दिनांक 30.6.1976 की गजट अधिसूचना पर कृत्य नहीं किया गया था क्योंकि भूमि का कब्जा नहीं किया गया था।

4. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उक्त भूमि वर्ष 1976 में ही अर्जित की गयी थी क्योंकि यह बिहार भूमि सुधार (महत्तम सीमा का नियतकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1961') के प्रावधानों के अधीन मेसर्स सी॰एम॰आई॰लि॰ की आधिक्य भूमि के रूप में मेसर्स सी॰एम॰आई॰लि॰ डोमचंच की थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि अर्जन की तिथि से राज्य उक्त भूमि पर काबिज है। यह निवेदन भी किया गया है कि खतियान

के टिप्पणी कॉलम में उक्त भूमि की प्रकृति ''परती'' के रूप में दर्शायी गयी है। यद्यपि मांग मूल रैयतों के नाम में चल रहा था, अर्जन के बाद, एल०आर०डी०सी०, कोडरमा के दिनांक 19.8.1991 के पत्र सं० 885 के तहत आदेश द्वारा जमाबन्दी रद्द की गयी थी और बाद में रसीद जारी किया जाना रोक दिया गया था। यह निवेदन भी किया गया है कि स्वीकृत रूप से याची द्वारा अर्जन की तिथि के बाद उक्त भूमि खरीदी गयी थी, इस प्रकार अभिकथित विक्रय विलेख का विधिक प्रभाव नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि यदि याची को अर्जन के विरूद्ध कोई शिकायत थी, उसे 12 वर्षों के भीतर आपत्ति दाखिल करना चाहिए था जिसे नहीं किया गया था, इस प्रकार याची का दावा परिसीमा द्वारा वर्जित है। यह निवेदन भी किया गया है कि याची का मामला **सी०डब्लू०जे०सी० सं० 3026 वर्ष 1998 (R) (श्रीमती जशोदा रानी शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)** से भिन्न है, अत: उक्त मामला में दिया गया निर्णय वर्तमान मामला पर लागू नहीं होगा।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया। याची ने अपनी भूमि के अनधिसूचीकरण के लिए दावा किया है जिसे अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन दिनांक 30.6.1976 की अधिसूचना के तहत अर्जित किया गया था। अर्जन का मुख्य आधार यह था कि उक्त भूमि मेसर्स सी०एम०आई०लि० की अधिशेष भूमि के रूप में अर्जित की गयी थी, किंतु वस्तुत: मेसर्स सी०एम०आई०लि० का उक्त भूमि से सरोकार नहीं था, बल्कि यह रैयती भूमि थी जिसे आरंभ में दिनांक 21.7.1976 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा उसके विक्रेता द्वारा खरीदा गया था और बाद में याची ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा उक्त भूमि खरीदा और खरीद की तिथि से याची इस पर काबिज है। अपने दावा के समर्थन में, याची ने अंचलाधिकारी की दिनांक 29.6.2002 तथा 29.8.2013 की रिपोर्टों तथा सी०डब्लू०जे०सी० सं० 3026 वर्ष 1998 (R) में इस न्यायालय की न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है। मैंने अंचलाधिकारी (प्रत्यर्थी सं०6) की रिपोर्ट का परिशीलन किया है। उक्त रिपोर्ट में प्रत्यर्थी सं०6 ने कथन किया है कि समय के किसी बिंदु पर जमाबंदी मेसर्स सी०एम०आई०लि० के नाम में नहीं चल रही थी। आगे यह रिपोर्ट किया गया है कि पूर्व जमाबन्दी अभिलिखित अभिधारी के नाम में चल रही थी जिसे वर्ष 1991 में रद्द किया गया था। प्रत्यर्थी सं०6 द्वारा यह रिपोर्ट भी किया गया था कि उक्त भूमि के विक्रय के समय पर यह विक्रेता के कब्जा में थी। मैंने **श्रीमती जशोदा रानी शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (ऊपर)** में इस न्यायालय की न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 1.5.2009 के निर्णय का परिशीलन भी किया है। उक्त मामला में भी विषय वस्तु खाता सं० 25, भूखंड सं० 1249 के अधीन भूमि थी जिसे अधिनियम के प्रावधान के अधीन मेसर्स सी०एम०आई०लि० की भूमि के रूप में अर्जित किया गया था। इस न्यायालय की न्यायपीठ ने दिनांक 1. 5.2009 के निर्णय के तहत उक्त रिट याचिका निम्नलिखित संप्रेक्षण के साथ अनुज्ञात किया है:–

> *^^12- oreku ekeyk e] vfèkfu;e dh èkkjk 11 d vèkhu ;Fkk vko';d vfre idk'ku ugh gA rF; cuk jgrk g fd ;kphx.k i'uxr Hkfe d lnHkkoi.k [kjhnkj g ft l Loxh; ?ku';ke ikM d uke e nt fd;k x;k Fkk vkj yxku j lhn inku fd;k x;k Fkk vkj tekcUnh Hkh mud i{k e FkhA ;g n'kku ,o fl) dju d fy, vfHky[k ij dN Hkh ugh g fd [kkrk l0 25 Hk[kM l0 1249 dh 2-74 ,dM dy {k=Qy okyh i'uxr Hkfe l0 ,e0 vkb0 diuh dk vrfjr dh x;h FkhA fcgkj Hkfe lèkkj (egÙke {k= dk fu;frdj.k ,o vfèk'k"k Hkfe dk v tu) vfèkfu;e] 1961 dh èkkjk 15 d vèkhu vfre idk'ku idkf'kr ugh fd;k x;k g vkj iot cnkcLr j;r Fk vkj fcgkj Hkfe lèkkj vfèkfu;e ikfjr fd, tku d*

*ckn j;r fgr dHkh ugh cnyk x;k Fkk vkj bl dMLVy lo e Hkh nt fd;k x;k Fkk vkj bl idkj cnkcLr j;r Lo0 ?ku';ke ikM dh lrfr;k l [kjhn lnHkkoi.k ,o okLrfod irhr gkrh g] [kk ldj tc ;g n'kku d fy, vfHky[k ij dN ugh g fd [kfr;ku e vFkok dMLVy lo e Hkfe dHkh Hkh vftr dh x;h Fkh vFkok lh0 ,e0 vkb0 diuh d uke e FkhA voj ikfèkdkfj;k u Hkh ;kphx.k d ifroknk dk ekU; Bgjkr g, rkfdd vkn'k fn;k g ftl u rk pukrh nh x;h g u gh vikLr fd;k x;k g tk Hkh x.kkx.k jfgr gA***

6. वर्तमान मामला में भी, उक्त भूमि खाता सं० 25 भूखंड सं० 1249 से संबंधित है और भूमि मेसर्स सी०एम०आई० लि० की अधिशेष भूमि के रूप में अर्जित की गयी थी। याची ने अधिकारवान विक्रेताओं से वर्ष 1979 में उक्त भूमि खरीदा। प्रत्यर्थी सं० 6 के रिपोर्ट के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि जमाबन्दी अभिलेख में, मेसर्स सी०एम०आई० लि० के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार, याची का मामला दिनांक 1.5.2009 के निर्णय द्वारा पूर्णत: आच्छादित है। पूछे जाने पर, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि **श्रीमती जशोदा रानी (ऊपर)** में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध एल०पी०ए० दाखिल नहीं किया गया था। इस प्रकार, इसने अंतिमता प्राप्त कर लिया है। प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **श्रीमती जशोदा रानी शर्मा (ऊपर)** मामला को वर्तमान मामला से सुभिन्न करने का प्रयास किया है और निवेदन किया है कि श्रीमती जशोदा रानी शर्मा मामला में जमाबंदी उस मामला के याचीगण के नाम में चल रही थीं किंतु वर्तमान मामला में याची अर्थात रेखा अग्रवाल के नाम में जमाबंदी खोली नहीं गयी थी। मैं प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद में कोई सार नहीं पाता हूँ। जमाबन्दी किसी भूमि पर किसी पक्ष का कोई अधिकार, अभिधान एवं हित सृजित अथवा निर्वापित नहीं करती है। जमाबंदी के सृजन का प्रयोजन सरकार द्वारा भूमि राजस्व संग्रहित करना है। दिनांक 24.7.2014 का आक्षेपित आदेश प्रत्यर्थी सं०2 द्वारा मात्र इस आधार पर पारित किया गया है कि अर्जन की अधिसूचना को चुनौती देने में विलंब हुआ था। यह प्रत्यर्थियों का स्वीकृत मामला है कि भूमि वर्ष 1976 में अर्जित की गयी थी, किंतु जमाबन्दी 1991 तक अभिलिखित अभिधारी के नाम में चल रही थी और केवल 25 वर्ष बाद अभिलिखित अभिधारी के नाम में चल रही जमाबन्दी रद्द की गयी थी और वह भी याची जो सद्भावपूर्ण खरीदार थी को कोई नोटिस जारी किए बिना। इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण यह प्रतिवाद करने में न्यायोचित नहीं थे कि चूँकि याची ने अर्जन अधिसूचना को चुनौती देने में विलंब किया, याची की प्रार्थना अस्वीकार की जा सकती है जबकि स्वयं प्रत्यर्थियों ने अर्जन पर कृत्य करने में आलस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। याची ने स्पष्ट किया है कि उसका पति अनेक वर्षों से बीमार बना रहा अंतत: जिसकी मृत्यु हो गयी, अत: अर्जन के विरूद्ध आपत्ति पहले दाखिल नहीं की जा सकी थी। यह प्रकथन भी किया गया है कि वह कैंसर पीड़ित वृद्ध महिला है जो मेरे दृष्टिकोण में लंबे विलंब के बाद प्राधिकारियों के पास जाने तथा रिट याचिका दाखिल करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रतीत होता है। अधिनियम, 1961 की धारा 45B प्रावधानित करती है कि राज्य सरकार किसी भी समय पर समाहर्ता द्वारा निपटायी गयी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकती है और इसका परीक्षण कर सकती है और इसे नए सिरे से निपटा सकती है। इस प्रकार, अधिनियम, 1961 के अधीन निपटायी गयी किसी कार्यवाही का परीक्षण करने के लिए समय सीमा विहित नहीं की गयी है। अत:, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि भूमि के अनधिसूचीकरण के लिए याची का आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है, मान्य नहीं है।

7. तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन, विविध मामला सं॰ 11 वर्ष 2001 में उपायुक्त, कोडरमा (प्रत्यर्थी सं॰ 2) द्वारा पारित दिनांक 24.7.2014 का आदेश (परिशिष्ट 5) एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है और प्रत्यर्थी राज्य को याची की भूमि को अर्जन से अनधिसूचित करने का निर्देश दिया जाता है। जहाँ तक लगान रसीद जारी किए जाने का संबंध है, याची अनधिसूचना आदेश जारी किए जाने के बाद जमाबन्दी के सृजन तथा लगान रसीद जारी करने के लिए अंचलाधिकारी, कोडरमा (प्रत्यर्थी सं॰6) के समक्ष नया आवेदन दाखिल कर सकती है जिस पर प्रत्यर्थी सं॰6 द्वारा विधि के अनुरूप विचार किया जाएगा।

8. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vfuy dekj pkèkjh] U;k;efr

महेन्द्र प्रसाद यादव उर्फ एम॰ पी॰ यादव

cuke

झारखंड राज्य निगरानी के माध्यम से

Cr.M.P. No. 106 of 2010. Decided on 17th November, 2017.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988–धारा 13(1)(d)–भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 415, 420 एवं 470–लोक सेवक द्वारा छल एवं कूटरचना–अपराध का संज्ञान–अंतरिती जो दावा करता है कि संपत्ति उसकी है और किराया रसीद याची से उन व्यक्तियों जिनके नाम में भूमि नामांतरित की गयी थी के नाम में पाता है को अपराध करने वाला कभी नहीं कहा जा सकता है और आगे अभिकथन नहीं है कि याची किसी रूप में नामांतरण प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त था–याची के विरूद्ध एकमात्र अभिकथन यह है कि याची ने तत्परतापूर्वक जमाबन्दी रद्द नहीं किया है–अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि याची ने कूटरचना का अपराध किया है–इसी प्रकार से, भा॰दं॰सं॰ की धाराओं 423 अथवा 424 के अधीन दंडनीय अपराध याची के विरूद्ध नहीं बनता है क्योंकि झूठा बयान अथवा प्रतिफल अंतर्विष्ट करने वाले अंतरण विलेख के निष्पादन को बेइमानी से अथवा कपटपूर्वक प्रेरित करने का उसके विरूद्ध अभिकथन नहीं है और संपत्ति को बेइमानी एवं कपटपूर्वक छुपाने का अभिकथन भी नहीं है–इसी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता है कि याची ने भा॰दं॰सं॰ की धारा 415 के अधीन यथा परिभाषित एवं भा॰दं॰सं॰ की धारा 420 के अधीन दंडनीय छल का अपराध किया है–इसी प्रकार से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) के अधीन दंडनीय अपराध गठित करने वाले अवयवों के बारे में किसी विनिर्दिष्ट अभिकथन की अनुपस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि याची के विरूद्ध उक्त अपराध बनता है–जहाँ तक याची का संबंध है, संज्ञान लेने सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी। (पैरा 10)

निर्णयज विधि.–1996(2) East Crc 337 (SC); 2013 (4) Supreme 606; 2011 (3) JLJR 305; (2009)8 SCC751 = 2009(4) JLJR (SC) 75—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Pandey Pradeep Nath Roy, For the Petitioner; Mr. T.N. Verma, For the Vigilance.

अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति.–पक्षकार सुने गए।

2. यह दांडिक विविध याचिका याची की ओर से दं०प्र०सं० की धारा 482 के अधीन निगरानी केस सं० 33 वर्ष 2002 से उद्भूत होने वाले विशेष मामला सं० 38 वर्ष 2002 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.11.2009 के आदेश के अभिखंडन के लिए और उक्त मामला के तहत याची के विरूद्ध लंबित संपूर्ण दांडिक अभियोजन अभिखंडित करने के लिए भी दाखिल की गयी है।

3. इस आवेदन को उद्भूत करने वाले तथ्य ये हैं कि मौजा अरगोरा अवस्थित खाता सं० 268, भूखंड सं० 2983 से संबंधित 1.8 एकड़ माप वाली कतिपय भूमि अधिकार अभिलेख में गैरमजरूआ मालिक के रूप में दर्ज की गयी थी। किंतु, वर्ष 1970–71 में उस भूमि के विरूद्ध सामू साव के नाम में दो लगान रसीदें जारी की गयी थी। उसकी मृत्यु के बाद, उसके पुत्र चंदन साव ने संपत्ति विरासत में पाया और वर्ष 1982–83 में पूर्वोक्त भूमि के विरूद्ध अपना नाम नामांतरित करवाया।

4. समय के क्रम में, चंदन साव ने वर्ष 1988–91 में महावीर काशी, जय भवानी सहकारी सोसायटी के तत्कालीन सचिव को 0.49 एकड़ एवं 0.59 एकड़ भूमि पृथक रूप से बेचा जिसने विक्रय की गयी भूमि के विरूद्ध अपना नाम नामांतरित करवाया। महावीर काशी ने भूमि दस व्यक्तियों को बेचा। इस पर याची जो समय के प्रासंगिक बिंदु पर सबडिविजनल अधिकारी, सदर, राँची के रूप में पदस्थापित था, स्वयं अत्यन्त आरंभिक चरण पर जमाबन्दी रद्द करने के लिए सशक्त एवं योग्य था किंतु उसने तुरन्त जमाबन्दी इस आधार पर रद्द नहीं किया था कि उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है और केवल अपर समाहर्ता द्वारा उसको सूचित किए जाने के बाद कि उसे जमाबन्दी के रद्दकरण की शक्ति है, उसने जमाबन्दी रद्द कर दिया है।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 6.11.2017 के तृतीय पूरक शपथपत्र के परिशिष्ट 4, पृष्ठ 3 की ओर आकृष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि उक्त जमाबन्दी याची द्वारा अपर समाहर्ता के दिनांक 9 अगस्त, 1994 के पत्र सं० 2356 (ii) के तहत निर्देश के मुताबिक रद्द की गयी थी, किंतु उक्त जमाबन्दी के रद्दकरण के काफी बाद 14.5.2002 को याची के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची को अपर समाहर्ता के उक्त निर्देश से जानकारी हुई कि वह स्वयं ऐसे रद्दकरण के लिए सशक्त है।

आगे, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 17.4.2017 के द्वितीय पूरक शपथ पत्र के पृष्ठ 5–6 की ओर आकृष्ट करके निवेदन किया कि सदृश आरोपों पर विभागीय कार्यवाही भी याची के विरूद्ध आरंभ की गयी थी और याची से कारण बताओ मांगा गया था और उक्त विभागीय कार्यवाही में उसके विरूद्ध अभिकथित समस्त आरोपों से याची को विमुक्त किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय ने दांडिक एम०पी०सं० 1309 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 22.2.2013 के आदेश के तहत संपूर्ण दांडिक कार्यवाही तथा दिनांक 16.11.2011 का आदेश जिसके द्वारा सह–अभियुक्त नरेश कुमार के विरूद्ध संज्ञान लिया गया था अभिखंडित कर दिया है।

6. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **पी०एस० राज्य बनाम बिहार राज्य, 1996(2) East Cr. 337(SC),** मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

^^;|fi dnh; fuxjkuh vk;kx dh fjiksV lfgr ; leLr rF; mPp U;k;ky; d è;ku e yk, x, Fk] nHkkX;o'k] mPp U;k;ky; u nf"Vdk.k fy;k fd mBk, x, fook|dk ij vfre dk;okgh e fopkj fd;k tkuk Fkk vkj dUnh; fuxjkuh vk;kx

*dh vihykFkh dk foHkkxh; dk;okgh e mlh vkjki l foeDr dju okyh fjikV vihykFkh d fo:) nkfMd ekeyk lekIr ugh djxhA geu igy gh vfHkfuèkkfjr fd;k g fd fn, x, dkj.kk l] bl ekeyk d fofp= rF;k ij] vihykFkh d fo:) vkjHk dh x;h nkfMd dk;okgh vxlj ugh dh tk ldrh gA***

7. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **लोकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य, 2013 (4) Supreme 606,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास किया, जिसमें उस मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, जहाँ न तो मूल अभिलेख का पता लगाया जा सका था न ही याची को आलिप्त करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों को पाया जा सका था और अपीलार्थी को पहले ही समरूप आरोपों पर विभागीय कार्यवाही में विमुक्त किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पी०एस० राज्या बनाम बिहार राज्य (ऊपर)** पर विश्वास करते हुए संप्रेक्षित किया कि अन्वेषण के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध मामला जारी रखना अनावश्यक है और अपीलार्थी के विरूद्ध प्राथमिकी अभिखंडित कर दिया।

8. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे **राजेन्द्र पांडे बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य,** 2011(3) JLJR 305, मामला में दांडिक एम०पी०सं० 534 वर्ष 2008 में इस न्यायालय के आदेश पर विश्वास किया। उस मामला में, चूँकि याची को उस मामला में विभागीय कार्यवाही के दौरान उसके विरूद्ध विरचित आरोप से विमुक्त किया गया था और प्राथमिकी में भी वही अभिकथन किए गए थे और उस विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष को राज्य सरकार द्वारा विवादित नहीं किया गया था, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दांडिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की शक्ति के दुरूपयोग के तुल्य होगा और दांडिक कार्यवाही अभिखंडित कर दिया।

9. ए०सी०बी० के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वह यह तथ्य विवादित नहीं करते हैं कि वर्तमान याची को विभागीय कार्यवाही में प्राथमिकी में यथा अभिकथित सदृश आरोपों से विमुक्त किया गया है किंतु संज्ञान आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना का विरोध करते हैं।

10. तथ्यों एवं परिस्थितियों में विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या प्राथमिकी में किए गए अभिकथन छल, कूट रचना, दुर्विनियोग का अपराध अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध भी गठित करते है?

मोहम्मद इब्राहिम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, (2009)8 SCC 751 = 2009(4) JLJR (SC) 75, मामला में माननीय न्यायाधीशों ने भा०दं०सं० की धारा 470 में अंतर्विष्ट प्रावधान तथा कूटरचना से संबंधित अन्य प्रावधान को ध्यान में रखकर निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

*^^èkkjk 467 ,o 471 d vèkhu vijkèk d fy, ijkHkk0; 'kr dVjpuk gA dVjpuk dh ijkHkk0; 'kr >Bk nLrkot (vFkok >Bk byDVkfud fjdkM vFkok mldk Hkkx) cukuk gA ;g ekeyk fdlh >B byDVkfud fjdkM l lcfèkr ugh gA vr% i'u ;g g fd D;k iFke vfHk;Dr lifÙk dk foØ; (Hky gh ;g eku fy;k tkrk g fd ;g mldh ugh Fkh) dju dk rkRi; j[ku oky nk foØ; foy[kk dk fu"ikfnr ,o jftLVj dju e vU; vfHk;Dr d lkFk njfHklfèk e >Bk nLrkot cukrk ,o fu"ikfnr djrk gvk dgk tk ldrk gA***

इस न्यायालय ने आगे संप्रेक्षित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 464 का विश्लेषण दर्शाता है कि यह झूठा दस्तावेज निम्नलिखित तीन कोटियों में विभक्त करती है:–

^^igyh dkfV og g tgk 0;fDr ;g fo'okl dkfjr fd, tku d vk'k; d lkFk fd ,l nLrkot fdlh vU; 0;fDr }kjk vFkok fdlh vU; 0;fDr d çkfèkdkj }kjk ftld }kjk vFkok ftld çkfèkdkj }kjk og tkurk g fd bl cuk;k vFkok fu"ikfnr ugh fd;k x;k Fkk] xj bekunkj :i l vFkok diViod nLrkot cukrk ;k fu"ikfnr djrk gA

nljh dkfV og g tgk 0;fDr xjbekunkj :i l vFkok diViod fofèki.k çkfèkdkj d fcuk jidj.k }kjk vFkok vU; Fkk }kjk nLrkot d fdlh rkfRod Hkkx e Lo; }kjk vFkok fdlh vU; 0;fDr }kjk cuk, tku vFkok fu"ikfnr fd, tku d ckn ifjofrr djrk gA

rhljh dkfV og g tgk 0;fDr ;g tkurk g, fd ,l k 0;fDr xj bekunkj :i l vFkok diViod fdlh 0;fDr dk nLrkot ij gLrk{kj dju] fu"ikfnr dju vFkok ifjofrr dju d fy, etcj djrk gA

(a) vLoLFkfpÙkrk (b) u'kk] vFkok (c) ml ij dh x;h çopuk d dkj.k nLrkot dh fo"k;oLr vFkok ifjoru dh çÑfr dk ugh tku ldrk FkkA

l{ki e] 0;fDr dk ^>Bk c;ku* nrk gvk dgk tkrk g ;fn (i) mlu dkb vkj gku vFkok fdlh vU; }kjk çkfèkÑr fd, tku dk nkok djr g, nLrkot cuk;k vFkok fu"ikfnr fd;k gk(vFkok (ii) mlu nLrkot dk ifjofrr fd;k vFkok bld lkFk NMNkM fd;k gk(vFkok (iii) mlu çopuk djd vFkok 0;fDr tk viuh bfn;k d fu;=.k e ugh g l nLrkot çkIr fd;kA

iFke vihykFkh }kjk fu"ikfnr foØ; foy[k Li"Vr% ^^>Bk c;ku** dh f}rh; ,o rrh; dkfV e ugh vkr gA vr%] ;g n[kk tkuk 'k"k g fd D;k iFke vfHk;Dr tk fdlh :i e Hkfe l lcfèkr ugh Fkk dk nkok ifjokmh dh Hkfe dk dCtk yu d vk'k; l nLrkotk dh dV jpuk dju d rY; gvkA ¼vkj fd vfHk;Dr 2 l 5 u [kjhnkj] xokg] LØkbo ,o LVki foØrk d :i e mDr foØ; foy[kk d fu"iknu ,o jftLV'ku e iFke vfHk;Dr d lkFk njfHklfèk fd;k) tk ekeyk iFke dkfV e yk,xkA

foy[k fu"ikfnr dju oky 0;fDr vkj Lokeh dh vkj l foy[k fu"ikfnr dju d fy, Lokeh }kjk ikfèkdr vFkok l'kDr cuk, tku dk >Bk nkok djr g, vFkok Lokeh dk ifr:fir djd foØ; foy[k fu"ikfnr dju oky 0;fDr d chp ey vrj gA tc dkb 0;fDr bl viuh lifÙk d :i e of.kr djr g, bl gLrkrfjr dju okyk nLrkot fu"ikfnr djrk g] nk lHkkouk, gA iFke ;g g fd og lnHkkoiod fo'okl djrk g fd lifÙk oLrr% mldh gA f}rh;r%] og cbekuh vFkok diViod bld viu gku dk nkok dj ldrk g ;fi og tkurk g fd ;g mldh lifÙk ugh gA fdr ^^>Bk nLrkot** dh iFke dkfV e vku d fy, ;g i;kIr ugh g fd nLrkot cbekuh l vFkok diViod cuk;k vFkok fu"ikfnr fd;k x;k gA vkx vko';drk ;g g fd bl ;g fo'okl fd;k tkuk dkfjr dju d vk'k; l cuk;k tkuk pkfg, Fkk fd ,l k nLrkot 0;fDr }kjk vFkok 0;fDr d ikfèkdkj }kjk] ftld }kjk vFkok ftld ikfèkdkj }kjk og tkurk g fd bl cuk;k vFkok fu"ikfnr ugh fd;k x;k Fkk] cuk;k vFkok fu"ikfnr fd;k x;k FkkA

tc lifÙk tk mldh ugh g dk nkok dju oky 0;fDr }kjk nLrkot fu"ikfnr fd;k tkrk g] og ;g nkok ugh dj jgk g fd og dkb vkj g vkj u gh og ;g nkok dj jgk g fd ml fdlh vU; }kjk ikfèkdr fd;k x;k gA vr% ,l nLrkot dk fu"iknu (fdlh lifÙk ftldk og Lokeh ugh g dk gLrkrfjr dju dk rkRi; j[ku okyk) >B nLrkot dk fu"iknu ugh g tlk lfgrk dh èkkjk 464 d vèkhu ikfjHkkf"kr fd;k x;k gA ;fn tk fu"ikfnr fd;k x;k g >Bk nLrkot

*ugh g] dVjpuk ugh gA ;fn dVjpuk ugh g] rc lfgrk dh èkkjk 467 vFkok 471 vkd"V ugh gkrh gA***

पूर्वोक्त मामलों में अधिकथित निर्णयाधार इस मामला में पूरी तरह प्रयोज्य है। एक अंतरक, जो तुरन्त दावा करता है कि संपत्ति उसकी है और व्यक्तियों जिनके नाम में उक्त भूमि नामांतरित की गयी थी के नाम में याची से लगान रसीद पाता है को अपराध करता कभी नहीं कहा जा सकता है और आगे अभिकथन नहीं था कि याची किसी रूप में नामांतरण प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त था। याची के विरूद्ध एक मात्र अभिकथन यह है कि याची ने तत्परतापूर्वक जमाबन्दी रद्द नहीं किया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि याची ने कूटरचना का अपराध किया है। इसी प्रकार से, भा० दं० संघ की धारा 423 या 424 के अधीन दंडनीय अपराध याची के विरूद्ध नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उसके विरूद्ध झूठा बयान अथवा प्रतिफल अंतर्विष्ट करने वाले अंतरण विलेख का निष्पादन बेइमानी से अथवा कपटपूर्वक प्रेरित करने का अभिकथन नहीं है और संपत्ति बेइमानी से अथवा कपटपूर्वक छुपाने का अभिकथन भी नहीं है। इसी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता है कि याची ने भा० दं० सं० की धारा 415 के अधीन यथा परिभाषित एवं भा० दं० सं० की धारा 420 के अधीन दंडनीय छल का अपराध किया है। इसी प्रकार से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (d) के अधीन दंडनीय अपराध गठित करने वाले अवयवों के बारे में किसी विनिर्दिष्ट अभिकथन की अनुपस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि याची के विरूद्ध उक्त अपराध बनता है।

मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायाधीश, निगरानी, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.11.2011 के उक्त आदेश सहित विशेष मामला सं० 38 वर्ष 2002 से उद्भूत होने वाली निगरानी पी०एस० केस सं० 33 वर्ष 2002 की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है जहाँ तक याची का संबंध है।

परिणामस्वरूप, दांडिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg ,o ch chñ exyefr] U;k;efrx.k

डॉ० सारिका सिंह

cuke

शशि भूषण

First Appeal No. 142 of 2014. Decided on 18th December, 2017.

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 13—तलाक याचिका—न्यायिक पृथक्करण की डिक्री—अपीलार्थी/पत्नी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री से व्यथित नहीं है, बल्कि वह विवाह का विघटन चाहती है—प्रत्यर्थी/पति भी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री से व्यथित नहीं है यद्यपि उसने विवाह का विघटन इप्सित किया था—पक्षों के बीच प्रतिवाद का बिंदु स्थायी निर्वाह भत्ता के विवाद्यक का है—पक्षगण जुलाई 2009 से पृथक रूप से रह रहे हैं—अपीलार्थी भी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पर जोर देने की इच्छुक नहीं है—पक्षों को कुटुम्ब न्यायालय, राँची के समक्ष विवाह का विघटन इप्सित करने की स्वतंत्रता दी गयी जहाँ स्थायी निर्वाह भत्ता का विवाद्यक भी न्यायनिर्णीत किया जा सकता है—अपील वापस ले लिए गए के रूप में खारिज की गयी।
(पैरा 4)

अधिवक्तागण.—M/s Birendra Kumar, Vishwanath Roy, For the Appellant; Mr. Anil Kr. Sinha, For the Respondent.

आदेश

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन तलाक की डिक्री के लिए वर्तमान प्रत्यर्थी/पति द्वारा संस्थित वैवाहिक वाद सं० 213/2010 विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 5.4.2014 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया था। किंतु विद्वान न्यायालय ने न्याय का उद्देश्य पूरा करने के लिए तलाक की डिक्री के बजाए न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित करना समुचित समझा। पति न्यायिक पृथक्करण की डिक्री से व्यथित नहीं था और उसके द्वारा अपील दाखिल नहीं की गयी थी। पत्नी अपीलार्थी है जिसने न्यायिक पृथक्करण की डिक्री से व्यथित महसूस किया।

2. अपील पहले 21.4.2015 को सुनवाई के लिए ग्रहण की गयी थी। किंतु अपीलार्थी/पत्नी का अपील अस्तित्वयुक्त रहने के दौरान विचार बदल गया था। उसने कतिपय प्रासंगिक तथ्यों जो अपील लंबित रहने के दौरान विकसित हुए को अभिलेख पर लाने के लिए अंतर्वर्ती आवेदन सं० 7664/2017 दाखिल किया। उसके अनुसार, यद्यपि पक्षों के बीच बोध गया में 27.2.2009 को विवाह संपन्न किया गया था, किंतु 24.7.2009 से ही वे आठ वर्ष से अधिक से अलग रह रहे हैं। विवाह असुधार्य रूप से टूट गया है और साहचर्य नहीं है और अपीलार्थी ने अपना समस्त भावनात्मक आधार खो दिया है। प्रत्यर्थी/पति के साथ रहने की संभावना नहीं है। अपीलार्थी ने 35 लाख रुपया का स्थायी निर्वाह भत्ता एवं भरण-पोषण बकाया नियत करने के बाद आक्षेपित डिक्री उपांतरित करके विवाह के विघटन के लिए डिक्री पारित करने का अनुरोध किया है। अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी पति 2003 से राँची में पेशेवर वकील है और उसके पास काफी संपत्ति है। वह भी अपनी पी०एच०डी० डिग्री पूरा करने पर अत्यन्त अर्हित शिक्षित महिला है। वर्तमान आई०ए० के पैरा 7 पर अपीलार्थी कथन करती है कि वह आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पर जोर देना नहीं चाहती है।

3. अपीलार्थी की स्वयं विवाह का विघटन करके विवाद सुलझाने की प्रार्थना को ध्यान में लेते हुए हमने उन्हें दिनांक 31.10.2017 के अपने आदेश द्वारा मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जहाँ स्थायी निर्वाह भत्ता के विवाद्यक का समाधान किया जा सकता था। मध्यस्थता भी विफल हो गयी प्रतीत होती है जैसा फ्लैग 'X' पर दिनांक 29.11.2017 के पत्र सं० 3024 में अंतर्विष्ट झालसा के विद्वान मध्यस्थ की रिपोर्ट से स्पष्ट है।

4. आज की तिथि तक तथ्य तथा पश्चातवर्ती घटनाक्रम जो सामने आए, यह दर्शाते हैं कि अपीलार्थी/पत्नी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री से व्यथित नहीं है बल्कि वह विवाह का विघटन चाहती है। प्रत्यर्थी पति न्यायिक पृथक्करण की डिक्री से व्यथित नहीं है, यद्यपि उसने विवाह का विघटन इप्सित किया था। पक्षों के बीच विवाद का बिंदु स्थायी निर्वाह भत्ता का विवाद्यक है। स्वयं उनके अपने बयान के मुताबिक, पक्षगण 2009 से अलग रह रहे हैं। आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.4.2014/11.4.2014 का है। अपीलार्थी भी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पर जोर देने की इच्छुक नहीं है। इन परिस्थितियों में, पक्षों में से प्रत्येक विद्वान कुटुम्ब न्यायालय, राँची के समक्ष विवाह का विघटन इप्सित करने के लिए स्वतंत्र है जहाँ उस बिंदु पर साक्ष्य देकर अथवा यदि पक्षगण उस बिन्दु पर सहमति पर आने में सक्षम हैं, स्थायी निर्वाह भत्ता का विवाद्यक भी न्यायनिर्णीत किया जा सकता है। पृष्ठभूमि के इन तथ्यों में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता विवाह के विघटन के लिए विद्वान कुटुम्ब न्यायालय का अवलंब लेने के लिए इस अपील को वापस लेने की अनुमति इप्सित करते हैं। तद्नुसार, यह अपील वापस ले लिए गए के रूप में खारिज की जाती है। तद्नुसार, आई०ए० भी निपटाया जाता है।

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

संतोष ठाकुर (2995 में)

कन्हाई प्रसाद (3376 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

W.P.(C) Nos. 2995 with 3376 of 2016. Decided on 15th January, 2018.

बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984–खंड 11–पी०डी०एस० दुकान अनुज्ञप्ति का रद्दकरण–किसी प्रशासनिक/न्यायिक कल्प प्राधिकारी को व्यक्ति के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला आदेश पारित करते हुए अथवा पत्र जारी करते हुए प्रभावित पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद न्यायोचित रूप से कार्रवाई करना चाहिए–याचीगण पर प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्टों को तामील कभी नहीं किया गया था जिसे एस०डी०ओ० द्वारा आक्षेपित आदेशों में निर्दिष्ट किया गया है–जाँच रिपोर्टों तथा प्रासंगिक दस्तावेजों को तामील करने के बाद विधि के अनुरूप नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता एस०डी०ओ० को देते हुए आक्षेपित आदेशों को अभिखंडित किया गया। (पैराएँ 6, 9 से 12)

निर्णयज विधि.–(2009) 2 SCC 192; (2008) 14 SCC 151; 2013 (1) JBCJ 460; 2015 (4) JLJR 685—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Nilesh Kumar, For the Petitioners; Ms. Richa Sanchita, For the Respondents.

आदेश

इन दोनों रिट याचिकाओं को मेमो सं० 128 (डब्लू०पी० (सी०) सं० 2995 वर्ष 2016 का परिशिष्ट 7) और मेमो सं० 129 (डब्लू०पी०(सी०) सं० 3376 वर्ष 2016 का परिशिष्ट 4) में यथा अंतर्विष्ट प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा पारित दिनांक 26.4.2016 के आदेशों को अपास्त करने के लिए दाखिल की गयी हैं जिसके द्वारा पी०डी०एस० दुकानों को चलाने के लिए याचीगण की अनुज्ञप्तियाँ रद्द की गयी है।

2. रिट याचिकाओं में यथा कथित मामला की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि पी०डी० एस० दुकानों को चलाने के लिए अनुज्ञप्तियाँ याचीगण को प्रदान की गयी थीं। किंतु उनके विरूद्ध प्राप्त किए गए कतिपय परिवादों के आधार पर दिनांक 19.2.2016 के मेमो सं० 41 एवं 44 द्वारा उनके पी०डी०एस० अनुज्ञप्तियों को निलंबित किया गया था और उनके पी०डी०एस० अनुज्ञप्तियों के रद्दकरण के लिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचीगण ने अपने विरूद्ध लगाए गए अभिकथनों से इनकार करते हुए उक्त कारण बताओ नोटिस के प्रति अपना परस्पर उत्तर प्रस्तुत किया। किंतु, प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा दिनांक 26.4.2016 के मेमो सं० 128 एवं 129 में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेशों के तहत याचीगण की पी०डी०एस० अनुज्ञप्तियाँ रद्द की गयी थीं जो वर्तमान रिट याचिकाओं की दाखिली उद्भूत करता है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि याचीगण को पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तिथि से उन्होंने सम्यक रूप से प्रत्येक नियम/विनियम का अनुसरण किया और बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश, 1984 (इसमें इसके बाद 'आदेश 1984' के रूप में निर्दिष्ट) के किसी निबंधन एवं शर्त का उल्लंघन कभी नहीं किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि अधिकांश परिवादी कार्डधारक नहीं थे और उन्होंने ग्रामीण राजनीति के कारण याचीगण के विरूद्ध झूठा अभिकथन किया। इसके विपरीत, अनेक ग्रामीणों एवं कार्डधारकों ने प्रत्यर्थी सं०3 को सूचित किया कि याचीगण के

विरूद्ध किए गए अभिकथन झूठे एवं आधारहीन हैं। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता अपने तर्क पर अधिक जोर देते हैं कि याचीगण की पी०डी०एस० अनुज्ञप्तियों के निलंबन तथा दिनांक 19.2.2016 के मेमो सं० 41 एवं 44 के तहत उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद उन्होंने दस दिनों के भीतर अपना उत्तर दाखिल किया। किंतु, प्रत्यर्थी सं० 3 ने दिनांक 26.4.2016 के आक्षेपित आदेशों को पारित करते हुए प्रखंड विकास अधिकारी, मनिका के दिनांक 29.3.2016 तथा 2.3.2016 की जाँच रिपोर्टों पर विश्वास किया। यद्यपि उक्त जाँच रिपोर्ट याचीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने एवं प्रत्यर्थी सं०3 के समक्ष अपना उत्तर दाखिल किए जाने के बाद तैयार की गयी थी, दिनांक 29.3.2016 तथा 2.3.2016 की उक्त जाँच रिपोर्टों को याचीगण पर तामील कभी नहीं किया गया था ताकि उनको उनमें उनके विरूद्ध किए गए अभिकथनों का समुचित रूप से प्रत्युत्तर देने के लिए सक्षम बनाया जा सके। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं०3 द्वारा पारित दिनांक 26.4.2016 के आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के घोर उल्लंघन में हैं और अभिखंडित किए जाने के दायी हैं।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण के पास आदेश 1984 के प्रावधानों के अधीन अपील का वैकल्पिक/प्रभावकारी उपचार है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण को उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके सुनवाई का सम्यक अवसर दिया गया था। प्रत्यर्थी सं०3 ने याचीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तरों पर सम्यक विचार के बाद उनके पी०डी०एस० अनुज्ञप्तियों को रद्द करते हुए आक्षेपित आदेशों को पारित किया है, क्योंकि उनके लाभार्थियों के बीच खाद्यान्न के वितरण में अनियमितताओं की कारिता, कार्डधारकों के साथ दुर्व्यवहार तथा राशन कार्ड जारी करने के लिए धन मांगने के संबंध में उनके विरूद्ध अनेक परिवाद प्राप्त किए गए थे। प्रखंड विकास अधिकारी, मनिका द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट लाभार्थियों के बीच खाद्यान्न के वितरण में याचीगण द्वारा अनेक अनियमितताओं की कारिता अभिकथित करते हुए अनेक लाभार्थियों के बयान अंतर्विष्ट करती है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। यह प्रतीत होता है कि याचीगण के विरूद्ध प्राप्त परिवादों के आधार पर प्रत्यर्थी सं०3 द्वारा उनके पी०डी०एस० अनुज्ञप्तियों का निलंबन आदेशित किया गया था और दिनांक 19.2.2016 के पत्रों के तहत उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचीगण ने प्रत्यर्थी सं०3 के समक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी सं०3 द्वारा पारित दिनांक 26.4.2016 के आक्षेपित आदेशों के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रखंड विकास अधिकारी, मनिका द्वारा प्रस्तुत दिनांक 29.3.2016 तथा 2.3.2016 की जाँच रिपोर्टों पर अपना आदेश आधारित किया है जिनमें अनेक लाभार्थियों का इस प्रभाव का बयान दर्ज किया गया था कि याचीगण द्वारा उनके बीच नियमित रूप से खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया था। दोनों रिट याचिकाओं में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों में प्रत्यर्थियों ने कथन नहीं किया है कि दिनांक 29.3.2016 तथा 2.3.2016 की जाँच रिपोर्टों की प्रतियाँ याचीगण की पी०डी०एस० अनुज्ञप्तियों को रद्द करने वाले दिनांक 26.4.2016 के आक्षेपित आदेशों को पारित किए जाने के पहले याचीगण पर तामील की गयी थीं। इस प्रकार, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में प्रत्यर्थी सं०3 ने याचीगण को जाँच रिपोर्टों में किए गए अनियमितताओं के अभिकथनों को खंडित करने के लिए उनको सक्षम बनाने के लिए इनकी प्रतियों को प्रस्तुत किए बिना दिनांक 26.4.2016 के आक्षेपित आदेशों को पारित करते हुए प्रखंड विकास अधिकारी, मनिका द्वारा प्रस्तुत उक्त जाँच रिपोर्टों पर विश्वास करने में गलती किया। दिनांक 26.4.2016 के आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में पारित किए गए प्रतीत होते हैं।

6. यह सुस्थापित विधि है कि किसी प्रशासनिक/न्यायिक कल्प प्राधिकारी को व्यक्ति के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला आदेश पारित करते हुए अथवा पत्र जारी करते हुए प्रभावित पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद न्यायोचित रूप से उक्त कार्रवाई करना चाहिए।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कोठारी फिलामेंट्स बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, (2009)2 SCC 192,** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^15 vfèkfu;e ulfxd U;k; d fl}krk dh i;kT;rk ifrf"k) ugh djrk gA lhek'kYd vk;Dr lkefx;k tk doy mUgh dk Kkr Fkh] ftudh ifr;k dh vkifr ugh dh x;h Fkh vFkok ftudk fujh{k.k dju ugh fn;k x;k Fkk d vkèkkj ij vkn'k ikfjr ugh dj ldr FkA bl idkj] og len ikj tkpk dh fjikV dk mYy[k ugh dj ldr FkA vi?kk"k.kk l vkjkfir 0;fDr ml vkèkkj dk tkuu dk gdnkj g ftld vkèkkj ij ml nM fn;k tk,xkA mld ikl vkjki dk mÙkj gk ;k ugh gk ldrk gA fdr ble fdlh Hkh idkj dk lng ugh gk ldrk g fd fofèk e og lefpr luokb dk gdnkj g tk nLrkotk dh vkifr lfEefyr djxkA doy nLrkot dh fo"k; oLrvk dk tkuu ij og iHkkodkjh mÙkj n ldrk Fkk--***

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सहारा इंडिया (फर्म)(1) बनाम सी०आई०टी०, (2008)14 SCC 151** के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^18- gky e] dujk cd cuke oh0 d0 voLFkh e ulfxd U;k; d fl)krk dh èkkj.kk] foLrkj] fodkl dk bfrgkl ,o egRo ij fo"k; ij io ekeyk d ifrfun'k e foLrkjiod ppk dh x;h gA vU; ckrk d lkFk&lkFk] ;g lif"kr djr g, fd ulfxd U;k; d fl)kr o fl)kr g ftUg eueku ifØ;k ftl U;kf;d] U;kf;d dYi ,o i'kklfud ikfèkdkjh }kjk mu vfèkdkjk dk iHkkfor dju oky vkn'kk dk ikfjr djr g, viuk;k tk ldrk g d fo:) 0;fDr d vfèkdkjk d U;ure lj{k.k gku d :i e U;k;ky;k }kjk vfèkdfFkr fd;k x;k g(U;k;ky; u dgkh (SCC Pg 331-32 ijk 14)

^^14- gky d o"kk e ulfxd U;k; dh èkkj.kk e Hkkjh ifjoru gvk gA ulfxd U;k; d fl)kr lno lfofèk e vFkok ml vèkhu fojfpr fu;ekoyh e vfHk0;Dr :i l lekfo"V fl)kr ugh gA mUg lfofèk d vèkhu ikyu fd, tku d fy, dr0; dh idfr l foof{kr fd;k tk ldrk gA ulfxd U;k; dk dku fl)kr fo'k"k foof{kr fd;k tkuk pkfg, vkj bldk lnHk D;k gkuk pkfg,] cMh lhek rd ml ekeyk d rF;k ,o ifjfLFkfr;k] lfofèk ftld vèkhu tkp dh tkrh g d <kpk ij fuHkj djxkA U;kf;d dR; ,o i'kklfud dR; d chp ijkuh lfHkUurk vc e>k x;h gA i'kklfud vkn'k tk flfoy ifj.kke vrxLr djrk g] dk Hkh ulfxd U;k; d fl)kr d lkFk lxr gkuk gkxkA vfHk0;fDr ^flfoy ifj.kke u doy lifÙk vFkok futh vfèkdkjk dk cfYd flfoy Lor=rk] Hkkfrd opu ,o xjèkuh; udlkuh dk vfry?ku lekfo"V djrh gA bld fo'kky N= e iR;d pht vkrh g tk viu flfoy thou e ukxfjd dk iHkkfor djrh gA***

19- bl idkj] ;g io l ipfyr g fd tc rd lkfofèkd ikoèkku fofufn"Vr% vFkok vko';d foo{kk }kjk ulfxd U;k; d fl)krk dh i;kT;rk vioftr ugh djrk g] D;kfd ml fLFkfr e U;k;ky; foèkk;h vkKk dk vun[kk ugh djxk] vkn'k ikfjr dju d igy lu tku dk ;fDr;Dr volj nu dh

*vko';drk dk iBu lfofèk d ikoèkkuk e lkekU;r% fd;k tkrk g fo'k"kr% tc vkn'k dk iHkkfor i{k d fy, ifrdy flfoy ifj.kke gA ;g fl)kr bl è;ku e fy, fcuk fd D;k lkfofèkd fudk; vFkok vfèkdj.k ij inÙk 'kfDr i'kkfud g vFkok U;kf;ddYi] dk;e cuk jgxkA***

9. इस न्यायालय ने **सुरेश कुमार साव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2013 (1) JBCJ 460** और **बिद्या देवी बनाम झारखंड राज्य, सचिव, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग एवं अन्य,** 2015 (4) JLJR 685 में जाँच रिपोर्टों जिनकी आपूर्ति पी०डी०एस० डीलरों को नहीं की गयी थी पर विश्वास करते हुए पी०डी०एस० अनुज्ञप्तियों को रद्द करने वाले आक्षेपित आदेशों को अभिखंडित कर दिया है।

10. याचीगण पर प्रखंड विकास अधिकारी, मनिका द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्टों को तामील कभी नहीं किया गया था जिन्हें प्रत्यर्थी सं०3 द्वारा दिनांक 26.4.2016 के आक्षेपित आदेशों में निर्दिष्ट किया गया है।

11. इस प्रकार, केवल इस आधार पर मेमो सं० 128 (डब्लू पी०(सी०) सं० 2995 वर्ष 2016 का परिशिष्ट 27) तथा मेमो सं० 129 (डब्लू पी०(सी०) सं० 3376 वर्ष 2016 का परिशिष्ट 4) में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 26.4.2016 के आक्षेपित आदेशों को विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और इसे एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

12. किंतु, प्रत्यर्थी सं० 3 याचीगण पर जाँच रिपोर्टों तथा प्रासंगिक दस्तावेजों (यदि हो) को तामील करने और याचीगण को सुनवाई का सम्यक अवसर देने के बाद विधि के अनुरूप नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

13. पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ दोनों रिट याचिकाएँ निपटायी जाती हैं।

---

ekuuh; vfuy dekj pkèkjh] U;k;efr

चंद्र मौलेश्वर सिंह एवं अन्य

cuke

मालती देवी एवं अन्य

Second Appeal No. 31 of 2010. Decided on 22nd February, 2018.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 100–द्वितीय अपील–विस्तार एवं परिधि–सी०पी०सी० की धारा 100 के अधीन शक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय जो तथ्य का अंतिम न्यायालय है द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक इसे विकृत नहीं पाया जाता है–अवर अपीलीय न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर उपलब्ध समस्त प्रासंगिक तथ्यों, साक्ष्यों एवं सामग्रियों पर विचार किया है और उसके आधार पर तथ्य के निष्कर्ष पर आया है कि वाद पत्र की अनुसूची IIA, IID एवं III में वर्णित संपत्तियाँ संयुक्त संपत्तियाँ नहीं हैं और वाद के पक्षों के बीच उन संपत्तियों के संबंध में अभिधान एवं कब्जा की एकता नहीं है–अपील खारिज की गयी। (पैराएँ 12, 13 एवं 14)

निर्णयज विधि.–(2010) 15 SCC 530—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s. J.P. Jha, N.P.Choudhary, For the Appellants; M/s. Arvind Kr. Choudhary, Awanish Shekhar, For the Respondents.

आदेश

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह द्वितीय अपील अपर जिला न्यायाधीश V (एफ०टी०सी०) द्वारा अभिधान अपील सं० 68 वर्ष 1976–अभिधान अपील सं० 01 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 27.11.2009 के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन दाखिल की गयी है जिसके द्वारा विद्वान अपर जिला न्यायाधीश V ने द्वितीय अपर उपन्यायाधीश, देवघर द्वारा अभिधान वाद सं० 165 वर्ष 1967 में पारित दिनांक 21.6.1976 का निर्णय एवं डिक्री मान्य ठहराया और वादीगण–अपीलार्थीगण का अपील खारिज कर दिया।

3. वादीगण ने उनके वैध एवं विधिक हिस्सा आवंटित करके और अमीन आयुक्त की प्रतिनियुक्ति द्वारा वादी का पृथक तख्ता काढ़कर निकाल करके वादपत्र की अनुसूची I, II A, IID एवं III में वर्णित संपत्तियों एवं वाद भूमि के विभाजन के लिए एवं आरंभिक डिक्री के अनुरूप अंतिम डिक्री के लिए अभिधान वाद सं० 165 वर्ष 1967 दाखिल किया।

4. वादीगण का मामला यह था कि वाद के पक्षगण कुन्दन सिंह के कॉमन पूर्वज की संपत्ति है। वादपत्र की अनुसूची I में वर्णित वाद संपत्ति आरंभ में इश्वरी सिंह एवं गिरिजा सिंह के नाम में दर्ज की गयी थी। वाद अनुसूची II (A, B, C एवं D) भूमि बकस्त मालिक के रूप में दर्ज की गयी थी और भाईयों इश्वरी सिंह एवं गिरजा सिंह के संयुक्त कब्जा में रही थीं। किंतु, वाद अनुसूची IIB एवं IIC संपत्ति को वाद का विषय वस्तु नहीं बनाया गया था। वाद पत्र की अनुसूची III की वाद संपत्ति कामत मालिक के रूप में दर्ज की गयी थी और अनुसूची IIA, IID एवं III में उल्लिखित भूमि वादीगण के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी के संयुक्त कब्जा में थी और बिहार भूमि सुधार अधिनियम के प्रवर्तन के बाद भूमि रैयती भूमि के रूप में बनी रही। प्रतिवादियों को आगे मामला यह है कि माप एवं सीमांकन द्वारा विभाजन नहीं हुआ था। संयुक्त संपत्ति के मित्रतापूर्ण विभाजन के लिए, वादीगण ने मांग रखा किंतु प्रतिवादी ने इससे इनकार किया जिसके वाद की दाखिली के लिए वाद हेतुक उद्भूत किया।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादियों का मामला यह है कि अनुसूची अनुसूची IIB, IIC, IID एवं III पद के फलस्वरूप कजरा घटवाली संपदा के घटवाल की अनन्य संपत्ति है। अनुसूची II भूमि बकस्त मालिक के रूप में इश्वरी सिंह के नाम में अनन्य रूप से दर्ज की गयी थी और अनुसूची III अंतिम सर्वे में खास कमत के रूप में दर्ज की गयी थी और इन संपत्ति के संबंध में विनियमन III 1872 की धारा 25A के अधीन वर्जना प्रयोज्य है। प्रतिवादियों का आगे मामला यह था कि पक्षों के बीच पृथक्करण था और न तो इश्वरी सिंह न ही उसका पुत्र ओकिल सिंह संयुक्त परिवार का कर्ता थी। घटवालिन साहदरा कुमारी की 1928–29 में मृत्यु के बाद इश्वरी सिंह को घटवाल नियुक्त किया गया था और इश्वरी सिंह तथा गिरिजा सिंह द्वारा पृथक रूप से जमाबंदी भूमि पर खेती की जा रही थी और उनके बाद, उनकी संततियाँ अपने हिस्सा पर काबिज हैं। प्रतिवादियों का मामला यह भी है कि वाद अनुसूची IIA, IIB, IIC, IID की भूमि वादीगण के संयुक्त कब्जा में कभी नहीं थीं और ये घटवाल के पद के फलस्वरूप इश्वरी सिंह को दिए जाने के कारण प्रतिवादियों की अनन्य संपत्ति हैं और इश्वरी सिंह इस पर अनन्य रूप से काबिज था। इश्वरी सिंह की मृत्यु 1934 में हो गयी और उसके पुत्र ओकिल सिंह को 31.10.1934 को कजरा घटवाली संपदा के घटवाल के रूप में नियुक्त किया गया था। किंतु, भूमि का एक छोटा टुकड़ा आवासीय

प्रयोजन से वादीगण के कब्जा में रहा था, जिसे गिरजा सिंह के अनुरोध पर दिया गया था और गिरजा सिंह को सुरक्षा के विचार से इस पर घर बनाने की अनुमति दी गयी थी। प्रतिवादियों के मामला के अनुसार, गिरजा सिंह का कब्जा केवल घटवाली भूमि के छोटे टुकड़े पर अनुज्ञेय था। प्रतिवादियों का आगे मामला यह है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम के अधीन संपदा निहित किए जाने के समय पर ओकिल सिंह अकेले खास खेती वाले कब्जा में मध्यवर्ती था और इस दशा में वह अकेले उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन रैयत बन गया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने कुल पाँच विवाद्यकों को विरचित किया। अपने-अपने मामला के समर्थन में वादीगण तथा प्रतिवादीगण दोनों ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दिया और अभिधान वाद सं॰ 165 वर्ष 1967 में अपने उक्त निर्णय द्वारा विद्वान उपन्यायाधीश ने आधा हिस्सा और वाद पत्र की अनुसूची I के वाद संपत्ति क्योंकि केवल उक्त संपत्ति वाद के पक्षों की संयुक्त संपत्ति है में काढ़ कर निकाले जाने के लिए पृथक तख्ता घोषित करके वादीगण का वाद अंशत: अनुज्ञात किया किंतु वाद पत्र की अनुसूची IIA, IID एवं III वाद संपत्ति के संबंध में विभाजन के लिए प्रार्थना अस्वीकार कर दिया क्योंकि वाद के पक्षों के संबंध में अभिधान एवं कब्जा की एकता नहीं थी।

7. विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने जिला न्यायाधीश, जामतारा के समक्ष अपील दाखिल किया और इसे अभिधान अपील सं॰ 68 वर्ष 1976 के रूप में दर्ज किया गया था और बाद में अभिधान अपील सं॰ 1 वर्ष 2009 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया था और अंतत: अपर सत्र न्यायाधीश V (एफ॰टी॰सी॰) जामतारा द्वारा सुना एवं विनिश्चित किया गया था।

8. अपील लंबित रहने के दौरान, यह प्रतीत होता है कि वाद का मूल अभिलेख लापता हो गया जब वह प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दुमका के न्यायालय में लंबित था और जिला न्यायाधीश, दुमका के आदेशों द्वारा पुनर्संरचित किया गया था किंतु विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में उल्लेख किया कि पुनर्संरचित अभिलेख छायाप्रति लिपियों का पेपर बुक है और इसमें मूल वाद अभिलेख के प्रदर्शित दस्तावेजों की प्रतियाँ नहीं है किंतु चूँकि इन प्रदर्शों को द्वितीय अपर उपन्यायाधीश, देवघर के निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है, विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने भी द्वितीय अपर उपन्यायाधीश, देवघर के उक्त निर्णय में यथा उल्लिखित प्रदर्शों की विषयवस्तु पर विश्वास किया।

9. न्यायालय में अपील में विरोधी पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों की दृष्टि में, विद्वान अवर अपीलीय न्यायाय ने विनिश्चयकरण के लिए निम्नलिखित बिंदु निरूपित किया:

> *^^D;k vulph IIA, IID ,o III e of.kr okn lifÙk l;Dr lifÙk g vkj ;g oknhx.k&vihykFkhx.k ,o ifrokfn;k&iR;fFk;k d chp foHkkftr fd, tku dh nk;h g***

विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने समस्त पहलूओं पर चर्चा एवं विचार किया और अभिलेख पर मौजूद तथ्यों एवं साक्ष्यों पर समग्र चर्चा एवं विचार के बाद इस निष्कर्ष पर आया कि वाद पत्र की अनुसूची IIA, IID एवं III में वर्णित संपत्तियाँ संयुक्त संपत्तियाँ नहीं हैं क्योंकि वाद पत्र की अनुसूची IIA, IID एवं III में वर्णित संपत्ति उनके सेवाकाल के दौरान घटवालों को मिलने पर भूमि गैर अन्य संक्रामणीय एवं गैर-विरासती है। घटवाली भूमि निहित किया जाना निजी अधिकार था और इन संपत्तियों को निहित किए जाने की तिथि पर, इन्हें सही प्रकार से ओकिल सिंह को बंदोबस्त किया गया था। अत:, वादीगण अथवा उनके हितपूर्वाधिकारियों का कोई हित, अधिकार अथवा अभिधान नहीं हो सकता था और उन्हें

ओकिल सिंह के सह-मध्यवर्तियों के रूप में माना नहीं जा सकता था और चूँकि वादीगण का हिस्सा नहीं है और वादपत्र की उक्त अनुसूची IIA, IID एवं III के संबंध में अभिधान अथवा कब्जा का एकता नहीं था और इसके प्रतिवादियों की अनन्य संपत्ति होने के नाते अभिनिर्धारित किया गया कि वाद के पक्षों के बीच इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है और अपील खारिज कर दिया।

10. अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री जे०पी०झा ने निवेदन किया कि चूँकि विद्वान अपीलीय न्यायालय के पास मामला के इन प्रदर्शों का परिशीलन करने का अवसर नहीं था। अत:, आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अत:, संपूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन करने के लिए मामला प्रथम अपीलीय न्यायालय को इसके तथ्य का अंतिम न्यायालय होने के नाते प्रतिप्रेषित किया जाए। अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निष्पक्षत: निवेदन किया कि उनके पास प्रदर्शों की प्रतियाँ नहीं हैं और उन्होंने निष्पक्षत: यह निवेदन भी किया कि वह नहीं कह सकते हैं कि किस विनिर्दिष्ट प्रदर्श को अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार में नहीं लिया गया था।

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार चौधरी ने निवेदन किया कि विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील सुने जाने के समय पर वर्तमान अपीलार्थीगण जो अवर न्यायालय में भी अपीलार्थीगण थे भी पुनर्सरचित अवर न्यायालय अभिलेख में प्रदर्शों की प्रतियों के गैर अस्तित्व के बारे में अच्छी तरह अवगत थे किंतु उन्होंने कोई आपत्ति नहीं किया था। उनके द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि न तो अपीलार्थीगण न ही प्रत्यर्थीगण के पास प्रदर्शों की प्रतियाँ हैं, अत: भले ही मामला प्रतिप्रेषित किया जाता है, अवर अपीलीय न्यायालय के पास प्रदर्शों का परिशीलन करने की गुंजाइश नहीं है। अत: उक्त मामला प्रतिप्रेषित करना निरर्थक कार्य होगा। आगे यह निवेदन किया गया है कि तथ्यों का समवर्ती निष्कर्ष है और अपीलार्थियों द्वारा किया गया विनिर्दिष्ट निवेदन भी नहीं है कि विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा तथ्यों का अनुचित अधिमूल्यन किया गया है, अत: यह द्वितीय अपील गुणागुणरहित होने के कारण खारिज किया जाए।

12. पक्षों को सुनने के बाद एवं अवर न्यायालयों के आक्षेपित निर्णयों एवं डिक्रियों सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए मैं पाता हूँ कि विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर उपलब्ध समस्त प्रासंगिक तथ्यों, साक्ष्यों एवं सामग्रियों पर विचार किया है तथा उसके आधार पर तथ्य के निष्कर्ष पर आया है कि वादपत्र की अनुसूची IIA, IID एवं III में वर्णित संपत्तियाँ संयुक्त संपत्तियाँ नहीं हैं और वाद के पक्षों के बीच उन संपत्तियों के संबंध में अभिधान एवं कब्जा की एकता नहीं है। (यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय जो तथ्य का अंतिम न्यायालय है द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जब तक इसे विकृत नहीं पाया जाता है, जैसा **गुरवचन कौर एवं अन्य बनाम सलीकराम (मृत) एल०आर० द्वारा, (2010)15 SCC 530,** मामला में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराया गया है जिसमें पैराग्राफ 10 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

> ^^10- ***;g lLFkkfir fofèk g fd flfoy ifØ;k lfgrk dh èkkjk 100 d vèkhu mPp U;k;ky; iFke vihyh; U;k;ky; }kjk vfHkfyf[kr rF; d fu"d"k d lkFk gLr{ki ugh dj ldrk g tk rF; dk vfre U;k;ky; g tcrd fd bl vufpr ugh ik;k tkrk g*** *voLFkk ,lh gku d pyr ;g vfHkfuèkkfjr djuk gkxk fd mPp U;k;ky; oknh ,o ifroknh d chp edkuekfyd&fdjk,nkj lcèk d vfLrRo d fook|d ij iFke vihyh; U;k;ky; }kjk nt rF; dk fu"d"k vkj fdjk;k Hkxrku e fdjk,nkj }kjk fd;k x;k 0;frØe myVu e U;k;kfpr ugh Fkk** ¼tkj Mkyk x;k½*

13. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वितीय अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा विरचित एवं विनिश्चित किए जाने के लिए विधि के किसी सारवान प्रश्न को उद्भूत करने वाले विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में कोई अवैधता या गलती इंगित नहीं कर सके थे।

14. इस अपील में गुणागुण नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है किंतु इन परिस्थितियों में व्यय के आदेश के बिना।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

भरत राज सिंह

cuke

दिलीप संथालिया एवं अन्य

W.P.(C)No. 3348 of 2016. Decided on 8th February, 2018.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 6 नियम 17–वादपत्र में संशोधन–बेदखली वाद–जब एक बार वाद में विचारण आरंभ हो गया है, अभिवचनों में संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा–किंतु, शर्तों कि अभिवचनों में संशोधन अन्य पक्ष पर प्रतिकूलता कारित नहीं करता है और यह अभिवचनों में संशोधन इप्सित करने वाले पक्ष की ओर से व्यतिक्रम के कारण नहीं था कि मामला वाद के संस्थापन के समय अभिवचनित नहीं किया जा सका था, के अध्यधीन अंतिम सुनवाई के चरण पर भी अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है–संशोधन द्वारा वादी को वाद हेतुक परिवर्तित करने और संपूर्णतः नए वाद हेतुक को सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। (पैराएँ 6 एवं 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Sheo Kumar Singh, For the Petitioner; M/s V. Shivnath, Amar Kr. Sinha, Kundan Kumar Ambastha, For the Resp. No.3.

आदेश

उनपर नोटिस के वैध तामील के बावजूद प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 ने उपस्थित होना नहीं चुना है जिसे दिनांक 21.11.2017 के आदेश में दर्ज किया गया है।

2. याची जो बेदखली वाद सं॰ 20 वर्ष 2009 में प्रतिवादी है की चिंता यह है कि दिनांक 30.4.2016 के आक्षेपित आदेश के फलस्वरूप पश्चातवर्ती खरीदार वादी सं॰ 3 सी॰पी॰सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन आवेदन दाखिल करके वाद स्वयं अपनी निजी आवश्यकता के वाद में परिवर्तित करेगा।

3. दिलीप संथालिया एवं उसकी पत्नी द्वारा वादी सं॰1 की निजी आवश्यकता के आधार पर वाद अनुसूची परिसर से प्रतिवादी की बेदखली के लिए बेदखली वाद सं॰ 20 वर्ष 2009 संस्थित किया गया था। वाद के लंबित रहने के दौरान सूर्या कॉमोडिटीज प्रा॰लि॰ द्वारा बेदखली वाद में वादी के रूप में अपने पक्षांतरण के लिए सी॰पी॰सी॰ के आदेश 1 नियम 10(2) के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था। दिनांक 10.3.2011 के आदेश द्वारा इस आवेदन के अस्वीकरण के विरूद्ध सूर्या कॉमोडिटीज प्रा॰ लि॰ डब्लू॰पी॰ (सी॰) सं॰ 2243 वर्ष 2011 में इस न्यायालय में आया। रिट याचिका यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सूर्या कॉमोडिटीज प्रा॰लि॰ को वैध अभिधान प्रोद्भूत हुआ है, अनुज्ञात की गयी थी और इसलिए लंबित कार्यवाही में इसे जोड़ा जाना आवश्यक है। परिणामस्वरूप, सूर्या कॉमोडिटीज प्रा॰लि॰ को बेदखली वाद सं॰ 20 वर्ष 2009 में वादी सं॰ 3 के रूप में पक्षांतरित किया गया था इसने वादपत्र में संशोधन के लिए सी॰पी॰सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन आवेदन दाखिल किया। वाद पत्र में इप्सित संशोधनों में से एक पैराग्राफ सं॰12 का विलोपन है जिसमें मूल वादीगण ने सूर्या कॉमोडिटीज प्रा॰लि॰,

वादी सं०3, की निजी आवश्यकता प्रतिस्थापित करके वादी सं०1 की निजी आवश्यकता का अभिवचन किया है। इसका पठन है:–

^^1- fd okni= d ijk l0 11 ,o 12 d chp u;k ijk 11(a) fuEufyf[kr rjhd l vr% LFkkfir fd;k tk,%

*^^11(a)- fd okn h l0 1 ,o 2 u gtkjhckx uxjikfydk d ijkuk okM l0 14] u;k 12 d ekfr l0&212 ,o 213 e lifÙk ftl mUgku fnukd 29-9-2008 d foy[k l0 11212 d rgr vftr fd;k d viu Hkkx dk fnukd 28-4-2010 d jftLVM foØ; foy[k l0 5264 d QyLo:i fofekd vko';drk d fy, ,o okn h l0 3 l cgeY; ifrQy dh ikfIr ij okn h l0 3 d i{k e vrfjr fd;k vkj okn xg (vulph "A") tk ifrokn h d dCtk e Fkk d flok, mldk dCtk fn;k vkj rnulkj okn h l0 3 okn h l0 1 ,o 2 d LFkku ij vk;kA***

2- fd okn i= dk ijk 12 foykfir fd;k tk, vkj bld LFkku ij u;k ijk 12 fuEufyf[kr rjhd l vr%LFkkfir fd;k tk,%

*^^12 u;k& fd okn h l0 3 14@2 ijkuk pkbuk ckt kj LVhV] f}rh; ry] dejk l0 148] dkydkrk 700001] if'pe cxky e viuh jftLVM dk;ky; okyh diuh vfekfu;e] 1856 d vekhu jftLVM diuh g tk gtkjhckx Vkmu e xg okl lfoekk d lkFk viuk 'kk[kk dk;ky; foLrkfjr dju dk vk'k; j[krh g ftld fy, fo'kky {k= dh vko';drk g] vr% okn h l0 3 dk ;fDr;Dr :i l vkj lnfo'okl e viu futh mi;kx ,o vfekHkkx d fy, vulph "A" ifjlj dh vko';drk gk***

4. याची के विद्वान अधिवक्ता, श्री शिव कुमार सिंह प्रतिवाद करते हैं कि वादपत्र में संशोधन सारत: वादी सं०1 की निजी आवश्यकता का अभिवचन वापस लेने के तुल्य है और चूँकि ऐसा है, वाद ग्रहण पर खारिज किए जाने का दायी है।''

5. दिनांक 30.4.2016 के आक्षेपित आदेश को चुनौती का गंभीरतापूर्वक विरोध करते हुए याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी० शिवनाथ निवेदन करते हैं कि अभिवचनों एवं दस्तावेज में असंगतता से बचने के लिए वाद पत्र के पैरा सं०11 में संशोधन आवश्यक है। वादपत्र के पैराग्राफ सं०12 में संशोधन पर प्रत्यर्थी सं०3 की ओर से किया गया प्रतिवाद यह है कि जब एक बार प्रत्यर्थी सं०3 को अपने पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के फलस्वरूप बेदखली वाद में वादी के रूप में पक्षांतरित किया गया है, अब वाद में विवाद्यक वादी सं०3 की निजी आवश्यकता के लिए वाद परिसर से प्रतिवादी की बेदखली तक सीमित होगा।

6. सी०पी०सी० का आदेश VI नियम 17 न्यायालय पर अभिवचनों में संशोधन की अनुमति देने की शक्ति प्रदत्त करता है किंतु ऐसी शक्ति उक्त नियम के परन्तुक के अधीन निर्बंधित है। यह प्रावधानित करता है कि अभिवचनों में संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब एक बार वाद में विचारण आरंभ हो गया है। किंतु, अब यह सुस्थापित है कि शर्तों कि अभिवचनों में संशोधन अन्य पक्ष पर प्रतिकूलता कारित नहीं करता है और यह अभिवचनों में संशोधन इप्सित करने वाले पक्ष की ओर से व्यतिक्रम के कारण नहीं था कि मामला वाद के संस्थापन के समय अभिवचनित नहीं किया जा सका था, के अध्यधीन अंतिम सुनवाई के चरण पर भी अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।

7. प्रत्यर्थी सं०3 के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि वाद पत्र में संशोधन की अनुमति देकर विचारण न्यायाधीश ने अपने में निहित अधिकारिता का प्रयोग किया है और इसके अतिरिक्त, यह वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं करेगा।

8. वादपत्र के पैराग्राफ सं०11 में इप्सित संशोधन इस प्रभाव का है कि वादी सं०1 एवं 2 ने अपनी विधिक आवश्यकता के लिए और वादी सं०3 से बहुमूल्य प्रतिफल की प्राप्ति पर वाद परिसर बेचा है। दिनांक 28.4.2010 का विक्रय विलेख अभिलेख पर नहीं लाया गया है। वादी सं० 1 एवं 2 की विधिक आवश्यकता पर उक्त विक्रय विलेख में प्रकथन पर दिनांक 30.4.2016 के आक्षेपित आदेश में निर्देश नहीं है। केवल उस कारण से दिनांक 30.4.2016 का आक्षेपित आदेश असंपोषणीय बन गया है। वादी सं०1 के स्थान पर वादी सं० 3 की निजी आवश्यकता के लिए दावा में परिवर्तन पर, यह उपदर्शित करना पर्याप्त होगा कि वाद जिस वादी सं०1 की निजी आवश्यकता के लिए संस्थित किया गया था, वाद में वादी सं०3 के पक्षांतरण पर, वादी सं०3 की निजी आवश्यकता के लिए वाद नहीं बन सकता है। दिनांक 8.5.2015 का आदेश जिसके द्वारा सूर्या कॉमोडिटीज प्रा०लि० वादी सं०3 के पक्षांतरण के लिए सी०पी०सी० के आदेश 1 नियम 10(2) के अधीन आवेदन अनुज्ञात किया गया था, उपदर्शित करेगा कि इसका पक्षांतरण केवल इस कारण से था कि इसके पक्ष में वैध अभिधान प्रोद्भूत हुआ है। यह वादी सं०3 द्वारा अभिवचनित मामला नहीं है कि इसने वाद अनुसूची संपत्ति से प्रतिवादी की बेदखली के लिए स्वयं अपनी निजी आवश्यकता का दावा करने के लिए लंबित वाद में अपना पक्षांतरण इप्सित किया। वस्तुतः, वाद संपत्ति का विक्रय वादी सं०1 की निजी आवश्यकता का दावा त्यागने का संकेतक हैं। वादपत्र के पैराग्राफ सं०12 में संशोधन के फलस्वरूप वाद की प्रकृति निश्चय ही परिवर्तित होगी। संशोधन द्वारा, वादी को वाद हेतुक परिवर्तित करने और संपूर्णतः नया वाद हेतुक सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

9. पूर्वोक्त तथ्यों की दृष्टि में, मैं दिनांक 30.4.2016 के आक्षेपित आदेश में गंभीर दुर्बलता पाता हूँ और तद्नुसार, इसे अपास्त किया जाता है।

10. रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh;k vuHkk jkor pkèkjh] U;k;efr

एच० वी० ट्रांसमिशन लि०

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 5633 of 2009. Decided on 25th January, 2018.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948–धाराएँ 87 एवं 91A– अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट–विशेष सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड सरकार द्वारा मामला सुना गया था और आदेश आरक्षित किया गया था और प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड सरकार के समक्ष सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड सरकार द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया था–आदेश उस व्यक्ति द्वारा पारित किया जाना चाहिए जो तर्क सुनता है जिसमें विफल होने पर आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत एवं निष्पक्षता के घोर उल्लंघन के तुल्य होगा–याची पर इस तथ्य द्वारा अत्यन्त प्रतिकूलता कारित की गयी है कि मामला विशेष सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड सरकार द्वारा सुना गया था और आदेश आरक्षित किया गया था किंतु अंतिम आदेश प्रधान

सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया था–प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश पारित करते हुए मामला के अनेक महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया है–आक्षेपित आदेश अपास्त एवं अभिखंडित और मामला सक्षम प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित। (पैराएँ 13 एवं 14)

निर्णयज विधि.–(2014) 6 SCC 564; (2015) 10 SC241; A.I.R. 1959 SC 308—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s V.P. Singh, A.K. Das, Pooja Kumari, For the Petitioner; Mr. Lalan Kumar Singh, For the Resp.-State; Mr. Ashutosh Anand, For the ESIC.

न्यायालय द्वारा–याची के लिए उपस्थित अधिवक्ता श्री ए०के० दास द्वारा सहायित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी०पी० सिंह सुने गए।

2. प्रत्यर्थी राज्य के लिए जी०पी०I के जे०सी० श्री ललन कुमार सिंह सुने गए।

3. प्रत्यर्थी सं०3 एवं 4 के लिए उपस्थित अधिवक्ता श्री आशुतोष आनंद सुने गए।

4. इस रिट याचिका में याची ने निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना किया है:

(a) रिट याचिका के परिशिष्ट 5 में यथा अंतर्विष्ट प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा मेमो सं० 989 के अधीन जारी दिनांक 13.10.2009 के आदेश के अभिखंडन के लिए जिसके द्वारा संबंधित प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट इप्सित करने वाली कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 87 के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

(b) याची के स्थापन के प्रति उक्त अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 87 सह पठित धारा 91A के अधीन याची कंपनी को 1.11.2004 के प्रभाव से तुरन्त छूट प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश के लिए।

याची के अधिवक्ता ने निम्नलिखित निवेदन किया:–

(i) depkjh jkT; chek vfèkfu;e dh èkkjk 1(3) ikoèkkfur djrh g fd ;g ,l frfFk vFkok frfFk;k ij iHkko e vk,xh tl dUn ljdkj }kjk vkfèkdkfjd xtV e vfèkl puk }kjk fu;r fd;k x;k g vkj fofHkUu jkT;k vFkok mud fofHkUu Hkkxk d fy, vfèkfu;e d fofHkUu ikoèkkuk d fy, fofHkUu frfFk;k fu;r dh tk ldrh gA ;g fuonu fd;k x;k g fd dUn ljdkj u fnukd 25-10-2004 dh vfèkl puk d rgr ;kph d {k= e vfèkfu;e iHkko e yk;k g vkj bl fty ioh flgHke d fofHkUu Hkkxk d ifr i;kT; cuk;k gA

(ii) ;g fuonu fd;k x;k g fd mifun'kd] depkjh jkT; chek fuxe] }kjk tkjh fnukd 21-5-2005 d i= d rgr ;kph diuh dk vfèkfu;e d vèkhu jftLV'ku d fy, vkonu nu d fy, dgk x;k FkkA ;kph u 13-1-2005 dk vfèkfu;e d vèkhu jftLV'ku d fy, vkonu fn;k vkj iR;Fkh ikfèkdkfj;k }kjk ekx tku ij ;kph u fnukd 21-5-2005 d i= d rgr Bdnkjk dh lph Hkh iLrr fd;k Fkk tk ;kph dh diuh d vèkhu dk;jr Fk vkj dkj[kkuk ykbl l dh ifr;k Hkh lyXu fd;kA

(iii) ;kph diuh igy ell VkVk bthfu;fjUx ,o ykdkekfVo diuh fy0 dk Hkkx Fkh tk vc ell VkVk ekVl fy0 d rkj ij Kkr gA ckn e ;g vud 0;olkf;d dkj.kk l ell VkVk ekVl fy0 l vyx gk x;hA ;g fuonu fd;k

x;k g fd pfd ;kph diuh vfèkfu;e d vèkhu vuè;kr lfoèkkvk dh ryuk e viu depkfj;k dk cgrj lfoèkk inku dj jgh Fkh vkj pfd bld depkjh etnj ;kph dh cgrj lfoèkkvk dk NkMdj iR;Fkh l0 2 l 4 d {k= e vku e fnypLih ugh j[kr Fk] vr% ;kph diuh u fofgr QkeV e] mle ykHkk (ftUg bld depkfj;k dk fn;k tk jgk g d leLr fooj.kk dk mYy[k djr g, vfèkfu;e d ikoèkkuk dh i;kT;rk l ;kph diuh dk NV inku dju d fy, vfèkfu;e dh èkkjk 87 d vèkhu vkonu nkf[ky fd;kA

(iv) ;g fuonu fd;k x;k g fd pfd iR;fFk;k u ;kph dk dkb f'kfFkyhdj.k inku ugh fd;k Fkk vkj vfèkfu;e d ikoèkkuk d vuikyu d fy, ;kph ij tkj n jg Fk vkj ;kph diuh d fo:) iihMd dne mBku dh èkedh Hkh Fkh] bl n'kk e] ;kph dkb fodYi ugh gku d dkj.k MCy0 ih0 (lh0) l0 5273 o"k 2008 e bl U;k;ky; d ikl vk;k vkj ekuuh; U;k;kèkh'k Mh0 th0 vkj0] iVuk;d dh vè;{krk e bl U;k;ky; u iR;fFk;k dk ;kph }kjk NV d inku d fy, mDr vfèkfu;e dh èkkjk 87 d vèkhu nkf[ky vkonu dk Ng lIrkg d Hkhrj fofuf'pr dju dk fun'k nr g, fnukd 3-4-2009 d vkn'k d rgr mDr fjV vkonu fuiVk;k vkj fu.k; fy, tku rFkk ;kph dk bl lIfpr fd, tku rd iR;fFk;k dk ;kph d fo:) dkb iihMd dne mBku l vo:) fd;k x;k FkkA

(v) ;g fuonu fd;k x;k g fd ,p0oh0 VkIfe'ku depkjh ;fu;u tk ;kph diuh e ekU;rk ikIr VM ;fu;u g u Hkh viu lnL;k dh ifrfufèkd gfl;r e lfpo] Je] fu;ktu ,o if'k{k.k foHkkx] >kj[kM ljdkj d le{k 17-4-2009 dk mul ;kph diuh dk depkjh jkT; chek vfèkfu;e d vèkhu NV inku dju dk vujkèk djr g, vH;konu fn;k Fkk D;kfd vfèkfu;e d mDr ikoèkku dk ;kph diuh e fØ;kUou lnL;k dk mu ykHkk l ofpr djxk ftudk o igy l gh ykHk y jg g vkj LFkkiu e mino dh vkj Hkh y tk ldrk gA rRi'pkr] eek l0 998 e ;Fkk vrfo"V fnukd 13-10-2009 d vkn'k }kjk lcfèkr iR;Fkh u ;kph }kjk depkjh jkT; chek vfèkfu;e dh èkkjk 87 d vèkhu nkf[ky vkonu vLohdkj dj fn;k FkkA

5. याची के अधिवक्ता रिट याचिका के परिशिष्ट 5 में यथा अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश को निर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित उद्धरण निर्दिष्ट करते हैं:–

^^ekeyk 20@21-4-09 dk fo'k"k lfpo] Je] fu;ktu ,o if'k{k.k foHkkx] >kj[kM ljdkj (ièkku lfpo vodk'k ij Fk rFkk vuifLFkr Fk) }kjk luk x;k FkkA fo'k"k lfpo d lcfèkr ukVl rFkk Qkby ij fyf[kr vfHky[k dk ièkku lfpo] Je] fu;ktu ,o if'k{k.k foHkkx] >kj[kM ljdkj }kjk ifj'khyu fd;k x;k FkkA**

6. यद्यपि, इस रिट याचिका में अनेक बिंदु उठाए गए हैं, किंतु याची के अधिवक्ता ने अपना तर्क इस बात तक सीमित किया कि क्या आक्षेपित आदेश उस व्यक्ति जिसने मामला सुना से भिन्न किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किया जा सकता था। याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची द्वारा दाखिल छूट के लिए आवेदन विशेष सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखंड सरकार द्वारा सुना गया था, किंतु आश्चर्यजनक रूप से आक्षेपित आदेश प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार

द्वारा पारित किया गया है जिनके पास छूट के प्रदान के लिए आवेदन सुनने का अवसर नहीं था। प्रत्यर्थियों द्वारा मामला के इस पहलू का खंडन नहीं किया गया है। याची के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि मामला विशेष सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा सुना गया था, आक्षेपित आदेश प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा पारित नहीं किया जा सकता था। प्रतिवाद के समर्थन में याची के अधिवक्ता ने **(2014)6 SCC 564** में प्रकाशित तीन निर्णयों पर विश्वास किया है। पैराग्राफ 20 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^mDr dh nf"V e] fook|d ij bl iHkko dh fofèk lf{kIr dh tk ldrh g fd ogh 0;fDr@vfèkdkjh tk vkifÙkdrk dk lurk g] vkifÙk ij fjikV iLrr djxk@fu.k; yxk vkj ;fn mldk mÙkjorh u;h luokb d fcuk ekeyk fofuf'pr djrk g] vkn'k ulfxd U;k; d fl)krk d mYy?ku e ikfjr fd, tku ij nf"kr gk tk,xkA***

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **(2015)10 SCC 241** में प्रकाशित निर्णय पर भी विश्वास किया उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 का पठन निम्नलिखित है:–

*^^èkkjk 5A d egRo ij vfèkd tkj ugh fn;k tk ldrk gA bl ulfxd U;k; l ifjdfYir fd;k x;k g vkj lfDr** nlj i{k dh Hkh luk** e i#"kRo e ifjiDo gvk g vFkkr fu.k; }kjk lHkkfor ifrdy :i l iHkkfor gku oky iR;d 0;fDr dk lu tku dk vFki.k volj inku djuk gkxkA bl vfèkdkj dk gok d >kd l okil ugh fy;k tk ldrk g tlk 'kfDr'kkyh :i l un'oj ilkn cuke m0 i0 jkT; e dFku fd;k x;k gA ;g vfèkdkj bruk dBkj g fd ;g vkKk nrk g fd 0;fDr ftlu vkifÙk;k dk luk vkj bu ij fopkj fd;k] doy ogh vkifÙk;k dk fofuf'pr dj ldrk g(vkj mldk mÙkjorh Hkh viu iokfèkdkjh }kjk lxfgr lkexh d vkèkkj ij Hkh ,lk dju d fy, l{ke ugh gA bld vfrfjDr] vkifÙk;k ij fu.k; Lo vrfo"V] ldkj.k ,o rkfdd vkn'k e miyC/k gkuk pkfg,(ckn e ble dkj.k tkM ugh tk ldr g D;kfd og u;h ckry e ijkuh 'kjkc j[ku leku gkxkA ge bu vkj ltkrh; fopkjk ij Hkkjr l?k cuke f'ko jkt dk lkoèkkuh i.k ifj'kyu dju l cgrj dN vkj lykg ugh n ldr gA***

8. याची **AIR 1959 SC 308,** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक न्यायपीठ के निर्णय को भी निर्दिष्ट करता है। निर्णय के पैरा सं० 30 एवं 31 को त्वरित निर्देश के लिए यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

^^30- fdr lfpo] ifjogu foHkkx }kjk dh x;h ,lh luokb ulfxd U;k; d fl)kr dk mYy?ku djrh g fd fojkèkh i{kk d chp fookn fofuf'pr dju d fy, l'kDr ikfèkdkjh dk iokxg d fcuk gkuk gkxk] vkj ml fl)kr d mYy?ku e dh x;h dk;okgh vkj luokb nk"ki.k gA

31- ;|fi vfèkfu;e rFkk mld vèkhu fojfpr fu;ekoyh jkT; ljdkj ij futh luokb dk volj nu dk dr0; vfèkjkfir djr g] fu;ekoyh }kjk fofgr ifØ;k lfpo ij luu rFkk e=h ij fofuf'pr dju dk dr0; vfèkjkfir djrh gA ;g foHkkftr mÙkjnkf;Ro U;kf;d luokb dh èkkj.kk dk fouk'kdkjh gA ,lh ifØ;k futh luokb dk mí'; foQy djrh gA futh luokb lcfèkr ikfèkdkjh dk xokgk dh Hkko&Hkkfxek n[ku d fy, l{ke cukrh g vkj rdk d nkjku mldk lng lekIr djrh g vkj mifLFkr gku oky i{kk dk [kkyh rd }kjk ikfèkdkjh dk viu

*nf"Vdk.k dk Lohdkj dju d fy, vk'oLr djrh gA ;fn ,d 0;fDr lurk g vkj nljk fofuf'pr djrk g] rc futh luokb dkjh vkipkfjdrk cu tkrh gA vr% bl ekeyk e vulfjr mDr ifØ;k U;kf;d ifØ;k d ,d vU; ey fl)kr dk mYy?ku djrh gA***

9. याची के विद्वान अधिवक्ता समरूप परिस्थितियों के अधीन सदृश विवाद्यकों पर दिनांक 24.11.2011 के आदेश के तहत निपटाए गए डब्लू०पी० (सी०) सं० 2213 वर्ष 2009 और डब्लू० पी० (सी०) सं० 122 वर्ष 2010 में पारित इस न्यायालय के दो आदेशों/निर्णयों पर भी विश्वास करते हैं। मामला प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार को वापस भेजा गया था, जिन्हे अनुबंधित समय सीमा के भीतर विधि के अनुरूप तार्किक आदेश द्वारा आवेदन निपटाने का निर्देश दिया गया था।

10. याची के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि डब्लू०पी०(सी०) 2213 वर्ष 2009 एवं डब्लू०पी०(सी०) 122 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 24.11.2011 के आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर लिया है और प्रत्यर्थियों द्वारा इसे चुनौती नहीं दी गयी है।

11. प्रत्यर्थी सं०1 एवं 2 के अधिवक्ता विधिक अवस्था स्वीकार करते हैं और निवेदन करते हैं कि मामला के गुणागुणों पर विचार करने के बजाए मामला याची द्वारा दावा किए गए छूट के बिन्दु पर याची को सुनवाई का अवसर देने के बाद नया आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जा सकता है।

12. प्रत्यर्थी सं० 3 एवं 4 के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जहाँ तक आक्षेपित आदेश का संबंध है, अधिनियम की धारा 91(A) की दृष्टि में भूतलक्षी प्रभाव के साथ छूट देने के लिए अधिनियम के अधीन प्रावधान नहीं है। प्रत्यर्थी सं०3 एवं 4 द्वारा निवेदन किया गया है कि यह संशोधन 1.6.2010 के प्रभाव से वर्ष 2010 में किया गया था।

13. पक्षों की ओर से दिए गए तर्क पर विचार करने के बाद और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद यह न्यायालय प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार के मुहर एवं हस्ताक्षर के अधीन पारित दिनांक 13.10.2009 का आक्षेपित आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 5) अपास्त करने और विधि के अनुरूप याची को सुनने के बाद नया आदेश पारित करने के लिए मामला सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजने का इच्छुक निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से है:

(a) ;g Lohdr rF; g fd ekeyk fo'k"k lfpo] Je] fu;ktu ,o if'k{k.k >kj[kM ljdkj }kjk luk x;k Fkk vkj vkn'k vkjf{kr fd;k x;k Fkk vkj vfre vkn'k ièku lfpo] Je] fu;ktu ,o if'k{k.k] >kj[kM ljdkj d le{k luokb dk dkb volj fn, fcuk ièku lfpo] Je] fu;ktu ,o if'k{k.k] >kj[kM ljdkj }kjk ikfjr fd;k x;k FkkA

(b) ;kph }kjk fo'okl fd, x, fu.k;k e ekuuh; lokPp U;k;ky; }kjk vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fd vkn'k ml 0;fDr }kjk ikfjr fd;k tkuk pkfg, tk rd lurk g ft le foQy gku ij vkn'k ulfxd U;k; d fl)krk d ?kkj mYy?ku d rY; gkxkA

(c) ;kph ij bl rF; }kjk vR;fèkd ifrdyrk dkfjr dh x;h g fd ekeyk fo'k"k lfpo] Je] fu;ktu ,o if'k{k.k }kjk luk x;k Fkk vkj vkn'k vkjf{kr fd;k x;k Fkk fdr vfre vkn'k ièku lfpo] Je] fu;ktu ,o if'k{k.k] >kj[kM ljdkj }kjk ikfjr fd;k x;k Fkk D;kfd mDr ikfèkdkjh u vk{kfir vkn'k ikfjr djr g, ekeyk d vud egRoi.k igyvk ij fopkj ugh fd;k gA

(d) blij dkb fookn ugh g fd le:i ifjfLFkfr;k d vèkhu le:i fook|d ij MCy0 ih0 (lh0) 2213 o"k 2009 rFkk MCy0 ih0 (lh0) 122 o"k 2010 fnukd 24-11-2011 d vkn'k d rgr fuiVk;h x;h Fkh vkj ekeyk ièkku lfpo] Je] fu;ktu ,o if'k{k.k] >kj[kM ljdkj dk okil Hkt k x;k Fkk ftUg vucfèkr le; lhek d Hkhrj fofèk d vu:i rkfdd vkn'k }kjk vkonu fuiVku dk fun'k fn;k tkrk gA

(e) tgk rd depkjh jkT; chek vfèkfu;e] 1948 e èkkjk 91A vr% LFkkfir djd depkjh jkT; chek vfèkfu;e] 1948 e l'kkèku d lcèk e iR;Fkh l0 3 ,o 4 d fy, mifLFkr vfèkoDrk d ifrokn dk lcèk g bl U;k;ky; dk lfopkfjr nf"Vdk.k g fd ;kph xyrh ij ugh g fd ekeyk ,d ikfèkdkjh }kjk luk x;k Fkk vkj ikfèkdkjh ftlu vkn'k ikfjr fd;k Fkk }kjk fdlh luokb d fcuk nlj ikfèkdkjh }kjk vfre vkn'k ikfjr fd;k x;k FkkA vkn'k ftl ikfèkdkjh }kjk ikfjr fd;k tk ldrk g] fdlh u, vkonu ij vkn'k ugh gkxk cfYd bl mlh vkonu ,o lkexh tk igy l gh vfHky[k ij g ij ikfjr fd;k tk,xkA

(f) vkx ;kph d vfèkoDrk lger g fd lcfèkr ikfèkdkjh d le{k vfrfjDr nLrkot nkf[ky ugh fd;k tk,xk vkj ekeyk i{kk dk luokb dk volj nu d ckn vfHky[k ij miyCèk lkexh d vkèkkj ij fofuf'pr fd;k tk,xkA

14. तद्नुसार, यह रिट आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार के मुहर एवं हस्ताक्षर के अधीन पारित दिनांक 13.10.2009 का आक्षेपित आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 5) एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। मामला सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है जो मार्च माह में मामला में सुनवाई की तिथि नियत करेंगे और तत्पश्चात छह माह की अवधि के भीतर अभिलेख पर पहले से ही उपलब्ध सामग्री के आधार पर विधि के अनुरूप तार्किक एवं सकारण आदेश पारित करेंगे।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामला के गुणागुण पर विचार नहीं किया है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

रावेल कौर एवं अन्य (117 में)

मेसर्स हजारीबाग माइका माइनिंग कं० प्र० लि० एवं अन्य (81 में)

cuke

सरदार मनजीत सिंह बग्गा एवं अन्य (दोनों में)

F.A. No. 117 of 1986, Misc Appeal No. 81 of 1986 (R). Decided on 7th December, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 22 नियम 4(4)–अपील का उपशमन–वाद विभाजन के लिए है और समय के भीतर मृतक प्रत्यर्थी का प्रतिस्थापन इप्सित करने में अपीलार्थियों की विफलता का संपूर्ण अपील उपशमनित करने का प्रभाव है क्योंकि प्रत्येक पक्ष को कार्यवाही अभियोजित करने अथवा इसका बचाव करने का अधिकार है–वर्तमान अपीलार्थीगण प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादीगण होने के नाते प्रत्यर्थियों जिनमें से कुछ की मृत्यु अपील लंबित

रहने के दौरान हो गयी के पुत्र अथवा संतति होने के नाते प्रोफोर्मा प्रत्यर्थियों के रूप में उसी आधार पर खड़े हैं–मृतक प्रत्यर्थियों ने वाद का प्रतिवाद करने के लिए अपनी ओर से कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया है–प्रत्यर्थियों के प्रतिस्थापन से छूट के लिए अपीलार्थियों की प्रार्थना विधि की प्रक्रिया को तीव्र करने के उद्देश्य से अनुज्ञात की जा सकती है।

(पैराएँ 15 एवं 16)

निर्णयज विधि.–(1967)3 SCR 454 : AIR 1967 SC 1786; (1983) 2 SCC 260; (1987) 1 SCC 727; (1994) 4 SCC 294; (2009) 14 SCC 294—Referred; 2013 (2) JBCJ 304 (SC) : (2013) 14 SCC 722; JT 2010 (8) 115; (2003)3 SCC 272—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rahul Kr. Gupta, Shailendra Kr. Singh, For the Appellants; M/s V. Shivnath, Kundan Ambastha, For the Respondents.

आदेश

इस चरण पर, वर्तमान अपील में विनिश्चयकरण के लिए उद्‌भूत होने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या संपूर्ण वाद संपत्ति के विभाजन पर 1/9 वाँ हिस्सा इप्सित करने वाले वादीगण/प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल वाद के विचारण के दौरान कुछ प्रत्यर्थियों जो प्रतिवाद नहीं करनेवाले थे की मृत्यु पर अपील पूर्णत: उपशमनित हो जाती है अथवा क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4(4) के अधीन मृतक प्रत्यर्थियों को छूट के लिए प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों/वर्तमान अपीलार्थियों की प्रार्थना अनुज्ञात किए जाने योग्य है।

2. आरंभ में कुछ प्रासंगिक तथ्यों का कथन करने की आवश्यकता है। वादीगण जो सरदार राम सिंह की पुत्री की संतति थे ने विभाजन पर वादपत्र में वर्णित वाद संपत्तियों में 1/9 वें हिस्सा का दावा किया। प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादीगण जो वर्तमान अपीलार्थीगण एवं अन्य सह-प्रतिवादीगण है, प्रतिवादी सं० 31 के सिवाए, स्वर्गीय सरदार राम सिंह से ऐसे पुत्रों के पुत्र अथवा संतति थे। प्रतिवादी सं० 31 सरदार राम सिंह की पुत्री थी किंतु उसने लिखित कथन दाखिल नहीं किया था, यद्यपि उसने विचारण के दौरान प्रतिवादियों के पक्ष में अभिसाक्ष्य दिया। प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण तथा कुछ अन्य प्रतिवादियों ने लिखित कथन दाखिल किया था। किंतु, यह विवाद में नहीं है कि वर्तमान विवाद्यक ऐसे प्रतिवादियों/वर्तमान प्रत्यर्थियों अर्थात प्रत्यर्थी सं० 6 से 8, 11 से 13, 15, 21 एवं 27 जिन्होंने विचारण के दौरान लिखित कथन दाखिल नहीं किया था के मामलों पर विचार करता है। प्रत्यर्थी सं०31 को पहले दिनांक 13 नवम्बर, 1992 को पारित आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^^tgk rd iR;Fkh l0 31 dk lcèk g] fu%lng og vihy dh vko';d i{k g] fdr U;k;ky; e i<k x;k mldk vfHkk{; n'kkrk g fd mlu lifÙk e viu fgLlk d cny 15000@& (ing gtkj) #i;k ikIr fd;k Fkk vkj mldk viu firk }kjk vftr lifÙk e fgr ugh FkkA ;|fi] lk{; bl U;k;ky; e fopkjkèkhu g] fdr rF; cuk jgrk g fd mlu Lohdr :i l mDr jkf'k ikIr fd;k FkkA ,l Lohdj.k dk è;ku e j[k dj ml lifÙk e ogh fgr j[ku okyk ugh ekuk tk ldrk g tk fgr mld vihykFkh Hkkb dk gA e ifrLFkkiu ;kfpdk dh nkf[kyh e foyc vun[kk dju d bl rF; l vk'oLr gA***

3. मृतक प्रत्यर्थी सं०31 के विधिक उत्तराधिकारियों को तद्‌नुसार प्रत्यर्थी सं० 31(a) से (g) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। यद्यपि प्रत्यर्थी सं० 31(g) की मृत्यु हो गयी है किंतु प्रत्यर्थी सं० 31 के शेष विधिक उत्तराधिकारीगण अभिलेख पर हैं।

4. प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों ने आई०ए०सं० 3671/2011 के माध्यम से वर्ष 2005 में प्रत्यर्थी सं०8, पाँच वर्ष पहले प्रत्यर्थी सं०11 तथा 31 जनवरी, 2008 को प्रत्यर्थी सं० 27 की मृत्यु रिपोर्ट किया। अपीलार्थियों ने अपनी बुद्धिमत्ता में आई०ए०सं० 2361/2012 के माध्यम से कतिपय मृतक प्रत्यर्थियों के नामों का विलोपन इप्सित किया जिसे दिनांक 21 फरवरी, 2013 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था किंतु प्रत्यर्थी सं० 5, 6, 7 एवं 8 के संबंध में। तत्पश्चात अपीलार्थियों ने आई०ए०सं० 2361/2012 में पारित दिनांक 21 फरवरी, 2013 के आदेश का उपांतरण इप्सित करते हुए आई०ए०सं० 1237/2013 दाखिल किया, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने उक्त आई०ए० के पैरा 3 में उल्लिखित समस्त मृतक प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों के विलोपन के लिए प्रार्थना किया था, यद्यपि केवल प्रत्यर्थी सं०5 से 8 के संबंध में विलोपन अनुज्ञात किया गया था। वह आई०ए० अभी भी लंबित है। प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थी सं० 1, 2 एवं 3 ने तत्पश्चात यह घोषणा इप्सित करते हुए कि संपूर्ण अपील क्रमशः तीन अंतर्वर्ती आवेदनों में प्रत्यर्थी सं० 11 एवं 27, 13 एवं 31(g) एवं 5 से 8 की मृत्यु पर उपशमनित हो गयी है, आई०ए०सं० 569/2015, 570/2015 एवं 571/2015 दाखिल किया। अपीलार्थियों ने अपील के उपशमन के दावा का प्रतिवाद करने वाले तीन अंतर्वर्ती आवेदनों का समेकित उत्तर दाखिल किया। ये अंतर्वर्ती आवेदन लंबित पड़े रहे।

5. किंतु, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने पूर्व तिथि पर अर्थात 13.7.2017 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के अधीन समुचित आवेदन दाखिल करने के लिए प्रार्थना किया। तत्पश्चात, प्रतिवाद नहीं करने वाले प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों जिनकी मृत्यु वर्तमान अपील लंबित रहने के दौरान हो गयी के विधिक उत्तराधिकारियों/प्रत्यर्थियों को प्रतिस्थापित करने से छूट इप्सित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4(4) सहपठित धाराएँ 151, 152 एवं 153 के अधीन आई०ए०सं० 6133 वर्ष 2017 दाखिल किया गया है। वर्तमान आई०ए० में उन्होंने स्पष्टतः प्राख्यान किया है कि इन मृतक प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों ने कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया था और इस दशा में उन्होंने वाद का प्रतिवाद करना कभी नहीं चुना। उन्होंने आगे दोहराया है कि प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा 2011 में सूचनात्मक याचिका आई०ए०सं० 3671/2011 दाखिल किए जाने के बाद उन्होंने आगे पूछताछ किया और उन्हें जानकारी हुई कि प्रत्यर्थी सं० 8, 11 एवं 27 के अतिरिक्त कतिपय अन्य प्रत्यर्थियों की मृत्यु भी हो गयी है। किंतु, उनके मृत्यु की तिथि उनको ज्ञात नहीं थी। अपीलार्थियों ने दिनांक 21 फरवरी, 2013 के आदेश का इस सीमा तक उपांतरण इप्सित किया है कि आई०ए० सं० 2361/2012 में की गयी प्रार्थना पर प्रतिवादी सं० 5 से 8 के नामों को इस अभिवचन पर विलोपित कर दिया गया था कि ऐसा रास्ता सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन अनुज्ञेय नहीं था। बल्कि समुचित रास्ता सी०पी०सी० के आदेश 22 नियम 4(4) के निबंधनानुसार मृतक प्रतिवाद नहीं करने वाले प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों के संबंध में छूट इप्सित करना था।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ पूर्वोक्त प्रार्थना के संबंध में निम्नलिखित निवेदन किया है:–

> *(i) erd iR;Fkhx.k fopkj.k d nkjku ifrokn ugh dju oky ifroknhx.k Fk vkj bl n'kk e vihykFkhx.k lh0 ih0 lh0 d vkn'k 22 fu;e 4(4) d fucèkuku lkj mud fofèkd mÙkjkfèkdkfj;k@ifrufèk;k d eklè;e l mudk ifrLFkkfir dju l NV bfllr dju e U;k;kfpr gA*
>
> *(ii) iR;Fkh lO 31 d flok, erd iR;Fkhx.k ikQkek iR;Fkhx.k Fk vkj ml vkèkkj ij [kM g tk ifrokn dju oky ifrokfn;k@vihykfFk;k dk g tk Lo0 ljnkj jkeflg d i= vFkok i=k dh lrfr;k gA bl n'kk e oreku vihykfFk;k }kjk mudk fgr lE;d :i l ljf{kr fd;k x;k gA*

(iii) bu vihykfFk;k u iR;Fkh l0 4 l 30 tk ikQkek iR;Fkhx.k g d fo:) fdlh vurk"k dk nkok ugh fd;k gA ***exy flg cuke jruk] (1967)3 SCR 454: AIR 1967 SC 1786*** *vkj* ***dUg;kyky cuke jke'oj] (1983)2 SCC 260*** *e lokPp U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k;k ij fo'okl fd;k x;k gA*

(iv) vihykfFk;k d fo}ku vfèkoDrk u fofufn"V oreku vihy e ikfjr fnukd 24 Qjojh] 1998 rFkk 2 ekp] 1998 d vkn'kk dk fufn"V fd;k gA vihykfFk;k d vulkj bl U;k;ky; u vihy e ukfVl ij ifrokn dju oky iR;fFk;k dh mifLFkfr vkj vU; ifrokfn;k dh xj mifLFkfr Hkh è;ku e fy;k vkj lif{kr fd;k fd mudh mifLFkfr rRle; d fy, vfHkekfpr dh tk ldrh g D;kfd mUgku ifrokn ugh fd;k FkkA bl U;k;ky; u ;g Hkh lif{kr fd;k Fkk fd ekey d ml nf"Vdk.k e vihy dk luokb d fy, r;kj dgk tk ldrk gA bl U;k;ky; d bu li{k.kk dk le; d fdlh fcn ij ifrokn dju oky iR;fFk;k }kjk pukrh ugh nh x;h g vkj bl n'kk e ;g i{kk d chp U;k; fu.khr d :i e iofrr gkxhA U;k; fu.khr dk fl)kr ,d gh dk;okgh d nk pj.kk d chp ykx gkrk g tlk ***igykn flg cuke l[kno flg] (1987)1 SCC 727*** *e ekuuh; lokPp U;k;ky; }kjk vfHkfuèkkfjr fd;k x;k gA vihykfFk;k d fo}ku vfèkoDrk dk fuonu bl iHkko dk g fd ikQkek iR;fFk;k dh mifLFkfr vihy d U;k; fu.k;u d fy, vko';d ugh g vkj blfy, vihykfFk;k dk mudk ifrLFkkiu bfllr dju l NV fn;k tk ldrk gA*

(v) vihykfFk;k u ifrokn fd;k g fd NV d inku ij bl vihyh; U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k; dh fLFkfr e] tcrd mle ikfjr fMØh dk ioru fo}ku fopkj.k U;k;ky; }kjk ikfjr fMØh rFkk bl U;k;ky; }kjk ikfjr fMØh d chp Lofouk'kdkjh idfr d fucèkukulkj fdlh ijLij fojkèkkHkkl d dkj.k vlHko ugh cuk fn;k tk,xk] ,l ifrokn ugh dju oky iR;fFk;k d ifrLFkkiu l NV vuKkr dju d fy, oreku jkLrk lefpr gA oLrr%] ;fn vihy lQy gkrh g] ikQkek iR;Fkhx.k@erd iR;Fkhx.k 1@9 o fgLlk ftl fo}ku fopkj.k U;k;ky; }kjk fMØh fd;k x;k g d ij ogÜkj fgLlk d gdnkj gkx tlk nkok oreku vihykfFk;k }kjk fd;k x;k gA vihyh; U;k;ky; dh fMØh fopkj.k U;k;ky; }kjk inku fd, x, vurk"k dk vdr vFkok 'kU; fcydy ugh djxhA ***ljnkj vejthr flg dkyjk cuke iekn xlrk] (2003)3 SCC 272,*** *e ekuuh; lokPp U;k;ky; d fu.k; ij fo'okl fd;k x;k gA*

7. विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना के समर्थन में सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराओं 151, 152 एवं 153 के प्रावधानों को निर्दिष्ट किया है कि गलती जो प्रत्यर्थी सं० 5 से 8 के नामों के विलोपन के फलस्वरूप कार्यवाही में आ गयी है, इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही को विधि की दृष्टि में समुचित एवं नियमित बनाने के लिए सुधारी जा सकती है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **माता प्रसाद माथुर बनाम ज्वाला प्रसाद माथुर एवं अन्य, (2013)14 SCC 722 [: 2013 (2) JBCJ 304 (SC)],** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि पृष्ठभूमि की परिस्थितियों में इस न्यायालय को मृतक प्रत्यर्थियों के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से अपीलार्थियों को छूट देकर अपील के उपशमन से बचने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसका विधि की प्रक्रिया तीव्र करने में प्रभाव भी होगा।

8. प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने गंभीर रूप से छूट के अभिवचन पर अपीलार्थियों की प्रार्थना का विरोध किया है। उनके अनुसार, मृतक प्रत्यर्थीगण के विधिक उत्तराधिकारियों जो निश्चय ही विभाजन वाद में आवश्यक पक्ष है का प्रतिस्थापन इप्सित करने में अपीलार्थियों की विफलता पर संपूर्ण अपील उपशमनित हो गयी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने आई०ए०सं० 569/2011 से 571/2011 के प्रति समेकित उत्तर में यथा अंतर्विष्ट अपीलार्थियों के दृष्टिकोण को भी निर्दिष्ट किया है। प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों के अनुसार अपीलार्थियों ने जानबूझकर प्रत्येक प्रत्यर्थी की मृत्यु की तिथि पर मौन बनाए रखा क्योंकि आदेश 22 के अधीन अनुध्यात विधि में परिणाम अर्थात उनका प्रतिस्थापन/उपशमन अपास्त इप्सित करने और ऐसा उपशमन इप्सित करने में विलंब यदि हो की माफी इप्सित करने में उनकी विफलता पर स्वयं अपील का उपशमन अनुसरित होने के लिए बाध्य है। प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **बुध राम एवं अन्य बनाम बंशी एवं अन्य** के **JT 2010 (8) 115** में प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर पैरा 17, 19 तथा 20 पर भरोसा किया है। उन्होंने **केन्चेगौड़ा बनाम सिद्देगौड़ा, (1994)4 SCC 294,** तथा **टी॰ ज्ञानवेल बनाम टी॰ एस॰ कंगाराज एवं एक अन्य, (2009) 14 SCC 294** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर अपने निवेदन के समर्थन में विश्वास किया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि सी०पी०सी० के आदेश 22 नियम 4(4) के प्रावधान विचारण न्यायालय के समक्ष और न कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष की छूट की प्रार्थना के मामला पर लागू होंगे। वाद विभाजन के लिए है और समय के भीतर मृतक प्रत्यर्थियों का प्रतिस्थापन इप्सित करने में अपीलार्थियों की विफलता का स्वयं संपूर्ण अपील के उपशमन का प्रभाव है क्योंकि प्रत्येक पक्ष को कार्यवाही अभियोजित करने अथवा बचाव करने का अधिकार है। वाद विभाजन का होने के कारण समस्त सह अंशधारियों को पक्षकार बनाया जाना विधि में पूर्णत: आवश्यक था। आदेश 22 नियम 4(1) के निबंधनानुसार ऐसे अन्य प्रतिवादियों जो संयुक्त परिवार के भाग हैं और विचारण न्यायालय के अभिलेख पर मौजूद रहे थे के विरूद्ध वाद हेतुक जीवित रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थियों की प्रार्थना अस्वीकार किए जाने योग्य है। इसी कारण से अन्य मृतक प्रत्यर्थियों के विलोपन और उस तरीके से दिनांक 21 फरवरी, 2013 के आदेश का उपांतरण भी अस्वीकार किए जाने योग्य है।

9. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तर में सी०पी०सी० के आदेश 22 नियम 11 के प्रावधानों को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि आदेश 22 के अधीन प्रावधान अपीलीय चरण पर भी लागू होंगे। उन्होंने दिनांक 21 फरवरी, 2013 के आदेश के उपांतरण के लिए अपनी प्रार्थना सिद्ध करने के लिए संहिता की धारा 153 के प्रावधानों को पुन: निर्दिष्ट किया है।

10. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है, उक्त निर्दिष्ट प्रासंगिक सामग्रियों तथा विधि के प्रावधान एवं पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का भी परिशीलन किया है।

11. आरंभ में रखे गए विवाद्यक का उत्तर देने के लिए प्रासंगिक मामला के ताथ्यिक मैट्रिक्स तथ्यों पर कुछ अविवादित अवस्था छोड़ते हैं। वाद विभाजन के लिए था। प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादीगण/अपीलार्थी और प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थी सं० 4 से 30 स्वर्गीय सरदार राम सिंह के पुत्र अथवा पुत्रों की संततियाँ हैं। प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादी सं० 1 से 3 जो अपीलार्थीगण हैं के अतिरिक्त मृतक प्रत्यर्थी सं० 6 से 8, 11 से 13, 15, 21 तथा 27 ने 31 सहित वाद का प्रतिवाद करने के लिए लिखित कथन दाखिल नहीं किया था। प्रत्यर्थी सं० 31 जो स्व० सरदार राम सिंह की पुत्री है को अलग छोड़ते हुए शेष मृतक प्रत्यर्थीगण स्व० सरदार राम सिंह के पुत्र अथवा पुत्रों की संततियाँ होने के नाते प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों/वर्तमान

अपीलार्थियों की तरह ही उसी आधार पर है। किंतु, प्रत्यर्थी सं० 31 यद्यपि उसने लिखित कथन दाखिल नहीं किया था बल्कि भिन्न आधार पर खड़ी रही क्योंकि वह स्वर्गीय सरदार राम सिंह की पुत्री थी किंतु उसने विचारण में प्रतिवादियों के पक्ष में अभिसाक्ष्य दिया।

12. इस न्यायालय ने दिनांक 13 नवम्बर, 1992 के अपने आदेश में, जिसके उद्धरणों को उपर उद्धृत किया गया है, स्पष्टत: अभिव्यक्त किया कि वह निस्संदेह अपील का आवश्यक पक्ष थी। यद्यपि उसका अभिसाक्ष्य निर्दिष्ट किया गया था, किंतु इस न्यायालय को प्रतिस्थापन याचिका दाखिल करने में विलंब अनदेखा करने के बाद उसका प्रतिस्थापन अनुज्ञात किए जाने के पूर्वोक्त तथ्य द्वारा आश्वस्त किया गया था। अत: प्रत्यर्थी सं० 31 के प्रतिस्थापित उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लाया गया था और प्रत्यर्थी सं० 31(g) के सिवाए शेष अभिलेख पर मौजूद है। प्रत्यर्थी सं०3 के प्रतिस्थापित उत्तराधिकारियों का उस स्थिति में संपत्ति के हिस्सा का दावा करने के लिए प्रभाव में वही दृष्टिकोण हो सकता है जो प्रत्यर्थी सं० 31(g) का है। किंतु, शेष प्रत्यर्थी सं० 6 से 8, 11 से 13, 15, 21 एवं 27 ने कोई लिखित कथन दाखिल करके वाद का प्रतिवाद नहीं किया था।

13. माता प्रसाद माथुर (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय के पास 54वें विधि आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1973 के बाद आदेश 22 नियम 4(4) के अधीन लाए गए संशोधन जैसे वे वर्तमान स्वरूप में है पर विनिर्दिष्टत: विचार करने का अवसर था। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश 22 नियम 4 के संशोधन के इतिहास पर विचार किया और ध्यान में लिया कि कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा आदि के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा किए गए समरूप स्थानीय संशोधनों के बावजूद, प्रस्तावित संशोधन के सम्मिलन के संबंध में विधि आयोग के भिन्न दृष्टिकोण लेने के बावजूद विधानमंडल ने विषय पर संयुक्त कमिटि की अनुशंसा पर विचार किया और आदेश 22 नियम 4(4) के वर्तमान प्रावधानों को अंत:स्थापित किया जो अब सिविल प्रक्रिया संहिता में अपना स्थान पाता है। ऐसे प्रावधान को सम्मिलित करने के पीछे के प्रयोजन का भी परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। यह विनिर्दिष्टत: संप्रेक्षित किया गया है कि विधानमंडल ने प्रतिवाद नहीं करने वाले प्रतिवादियों के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया तीव्र करने की विनिर्दिष्ट दृष्टि से आदेश 22 नियम 4(4) का प्रावधान सम्मिलित किया। किसी विपरीत अनिवार्य कारण की अनुपस्थिति में अवर न्यायालय मृतक प्रतिवादी विरेन्द्र कुमार के विधिक प्रतिवादियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से वादी को छूट देकर वाद के उपशमन से बचने के लिए अपने में निहित शक्ति का प्रयोग करेंगे और वस्तुत: यह किया जाना चाहिए था। वर्तमान सिविल अपील अपीलार्थियों के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं व्यादेश के लिए डिक्री इप्सित करने वाले वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल वाद से भी उद्भूत हुई। सर्वोच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण भी था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को लाने में विफलता वाद के उपशमन में परिणत नहीं हुई थी, छूट की शक्ति जो पर्याप्त रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4(4) के अधीन अवर न्यायालयों को उपलब्ध थी की ताकत पर अधिक समुचित रूप से संपोषित किया जा सकता था। अत: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए ये संप्रेक्षण भी प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों के प्रतिवादों को विकर्षित करते हैं कि ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल विचारण न्यायालय के चरण पर और न कि अपीलीय स्तर अथवा उच्च न्यायालय के स्तर पर किया जा सकता था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 11 भी इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है कि सी०पी०सी० के आदेश 22 नियम 4(4) के अधीन छूट की शक्ति का प्रयोग अपीलीय चरण पर भी किया जा सकता है। वर्तमान प्रावधान सम्मिलित करने का संपूर्ण प्रयोजन विधि की प्रक्रिया तीव्र करना है जो वर्तमान मामला में अभिलेख को देखते ही प्रकट है। वर्तमान वाद विभाजन वाद सं० 27 वर्ष 1978/18 वर्ष 1986 से उद्भूत होता है। वर्तमान अपील वर्ष 1986 से लंबित है और यद्यपि इसे सुनवाई के लिए काफी पहले ग्रहण किया गया है किंतु यह मृतक प्रत्यर्थी के विधिक उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन अथवा उनके छूट अथवा क्या अपील स्वयं समय के भीतर प्रतिस्थापन करने

में अपीलार्थियों की विफलता पर उपशमनित हो गयी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए के अंतर्वर्ती चरण पर अटका हुआ है। जैसा उपर ध्यान में लिया गया है, प्रत्यर्थी सं० 31(g) के सिवाए मृतक प्रत्यर्थीगण प्रतिवाद नहीं करने वाले प्रत्यर्थीगण थे और उन्हें उसी आधार पर टिका बताया जाता है जो प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों अर्थात अपीलार्थियों का है। उनके प्रतिस्थापन से छूट प्रदान किए जाने पर ऐसे मामले में उद्घोषित निर्णय का वही बल एवं प्रभाव होगा मानों इसे उनके मृत्यु होने के पहले उद्घोषित किया गया है।

14. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा विश्वास किए गए **बुधराम एवं अन्य (ऊपर)** में भी **सरदार अमरजीत सिंह कालरा, (2003)3 SCC 272** में निर्णय सहित बिंदु पर पूर्वोदाहरण पर विचार किया है और पैरा 19 में संप्रेक्षित किया है कि विवाद्यक पर विधि इसके प्रति सुनिश्चित आकार ले चुकी है कि क्या प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों के विधिक प्रतिनिधियों का गैर-प्रतिस्थापन ने अपील पूर्णत: उपशमनित कर दिया है अथवा केवल मृतक प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों के प्रति उपशमनित किया है और इस दशा में यह प्रत्येक मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जहाँ प्रत्येक पक्ष का स्वयं अपना स्वतंत्र एवं सुभिन्न अधिकार है जो एक या दूसरे पर अंतर-निर्भर नहीं है और न ही पक्षों का आपस में परस्पर विरोधी हित है, अपील केवल मृतक अपीलार्थी प्रत्यर्थी के प्रति उपशमनित हो सकता है। किंतु, यदि संभावना है कि न्यायालय मृतक पक्ष के पक्ष में डिक्री के विरोधाभासी डिक्री पारित कर सकता है, अपील संपूर्ण रूप से इस कारण से उपशमनित हो जाएगी कि अपील वाद की निरंतरता है और विधि उसी वाद में उसी विषयवस्तु पर विरोधाभासी डिक्रियों की अनुमति नहीं देती है।

15. जैसा उक्त मामला में निर्दिष्ट तथ्यों से प्रतीत होता है, अपीलार्थियों ने वादीगण-प्रत्यर्थीगण द्वारा इस घोषणा के लिए संस्थित वाद का प्रतिवाद किया था कि वे भूमि के कतिपय टुकड़ों के संयुक्त कब्जा में सहस्वामी एवं सहअंशधारी थे और प्रोफोर्मा प्रतिवादी सं०6 भूमि के कतिपय टुकड़ों के वाद संपत्ति होने की सीमा तक संयुक्त कब्जा में सहस्वामी एवं सहअंशधारी थे। प्रोफोर्मा प्रतिवादी सं०6 ने यद्यपि वाद का प्रतिवाद नहीं किया था और न ही उपस्थित हुआ किंतु विचारण न्यायालय ने वादीगण एवं प्रतिवादी सं०6 के पक्ष में वाद डिक्री किया। तत्पश्चात दाखिल अपील में प्रत्यर्थी सं०4 के रूप में पक्षकार बनाए गए प्रतिवादी सं०6 की मृत्यु 19 नवंबर 2000 को हो गयी। किंतु, प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपने प्रतिस्थापन के लिए दिए गए आवेदन के साथ अत्यधिक विलंब की माफी के लिए कोई आवेदन संलग्न नहीं किया गया था और न ही अपीलार्थीगण कोई स्पष्टीकरण दे सके थे। उन परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय ने पाया कि ऐसे अत्यधिक विलंब के बाद आवेदन दाखिल करने के लिए अपीलार्थियों के पास पर्याप्त कारण नहीं था और चूँकि वादीगण/प्रत्यर्थीगण के संयुक्त कब्जा एवं सह स्वामित्व की डिक्री थी, अपील पूर्णत: उपशमनित हो गयी। उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश मान्य ठहराया था, तत्पश्चात मामला सर्वोच्च न्यायालय ले जाया गया था। वर्तमान मामला जैसा पक्षों द्वारा बनाया गया है के तथ्यों में, वर्तमान अपीलार्थीगण प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थीगण होने के नाते उसी आधार पर टिके हैं जिस पर प्रोफोर्मा प्रत्यर्थीगण स्वर्गीय सरदार राम सिंह के पुत्र अथवा संतति होने के नाते टिके हैं जिसमें से कुछ की मृत्यु अपील लंबित रहने के दौरान हो गयी। इन मृतक प्रत्यर्थियों ने भी वाद का प्रतिवाद करने के लिए अपनी ओर से कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया था। उन परिस्थितियों में इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि इन प्रत्यर्थियों के प्रतिस्थापन से छूट के लिए अपीलार्थियों की प्रार्थना विधि की प्रक्रिया तीव्र करने के उद्देश्य से अनुज्ञात की जा सकती है। अत: यह न्यायालय प्रत्यर्थी सं० 31(g) के सिवाए मृतक प्रत्यर्थियों को प्रतिस्थापित करने से अपीलार्थियों को छूट के प्रदान के मामला में **माता प्रसाद माथुर (ऊपर)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशंसित दृष्टिकोण अपनाने का इच्छुक है।

16. वर्तमान मामला में, प्रत्यर्थी सं॰ 6 से 8, 11 से 13, 15, 21 एवं 27 ने निर्विवादत: वाद का प्रतिवाद नहीं किया था। अत:, तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता में, इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि यद्यपि 2012 में पहले मृतक प्रत्यर्थियों के नामों के विलोपन के लिए भ्रामक आवेदन के बाद इस चरण पर छूट के लिए प्रार्थना की गयी हैं, किंतु यह प्रत्यर्थी सं॰6 से 8, 11 से 13, 15, 21 एवं 27 के मुकाबले अनुज्ञात किए जाने योग्य है। किंतु, यहाँ उपर की गयी चर्चा और दिनांक 13 नवम्बर, 1992 के आदेश जहाँ प्रत्यर्थी सं॰31 को आवश्यक पक्ष के रूप में माना गया था में किए गए विनिर्दिष्ट संप्रेक्षण की दृष्टि में मृतक प्रत्यर्थी सं॰ 31(g) के संबंध में छूट की प्रार्थना अनुज्ञात किए जाने योग्य नहीं है।

17. पृष्ठभूमि के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थीगण आई॰ए॰सं॰ 2361 वर्ष 2012 के माध्यम से प्रत्यर्थी सं॰ 8, 11 एवं 27 की मृत्यु रिपोर्ट करते हुए प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल सूचनात्मक याचिका आई॰ए॰सं॰ 3671 वर्ष 2011 के बाद कदम उठाते प्रतीत होते हैं। किंतु, उन्होंने भ्रामक तरीके से मृतक प्रत्यर्थी का विलोपन इप्सित किया था। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान विनिर्दिष्टत: आदेश 22 के अधीन पक्षों/प्रतिवादियों की मृत्यु पर एक या दूसरी संभाव्यता कल्पित करते हैं अर्थात मृतक प्रत्यर्थियों का प्रतिस्थापन अथवा ऐसे मृतक प्रतिवादियों के मुकाबले वाद अथवा अपील का उपशमन अथवा ऐसे मृतक प्रत्यर्थियों के प्रतिस्थापन से छूट का प्रदान किंतु ऐसे तरीके से प्रत्यर्थियों का विलोपन नहीं। उन परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण विलंब से अपनी गलती महसूस करते प्रतीत होते हैं और उन्होंने दिनांक 21 फरवरी, 2013 के आदेश के उपांतरण के लिए प्रार्थना किया जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰5 से 8 का नाम अपीलार्थियों के जोखिम पर विलोपित किया गया था।

18. अत: यह न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153 के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में तथा इन प्रत्यर्थियों के विधिक उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन से प्रदान किए गए छूट की दृष्टि में इस दृष्टिकोण का है कि दिनांक 21 फरवरी, 2013 का आदेश उस सीमा तक उपांतरित किए जाने योग्य हैं। किंतु, यह ऐसा भ्रामक आवेदन दाखिल करने के लिए अपीलार्थियों पर संगत व्यय के बिना नहीं हो सकता है। तद्नुसार, प्रतिवाद करने वाले वर्तमान प्रत्यर्थियों को भुगतान किए जाने के लिए 5000/– रुपयों के व्यय के भुगतान के अध्यधीन उपांतरण के लिए प्रार्थना अनुज्ञात की जाती है। परिणामस्वरूप, आई॰ए॰सं॰ 6133 वर्ष 2017 में की गयी प्रार्थना पूर्वोक्त तरीके से अंशत: अनुज्ञात की जाती है। दिनांक 21 फरवरी, 2013 के आदेश का उपांतरण इप्सित करने वाला आई॰ए॰सं॰ 1237 वर्ष 2013 पूर्वोक्त तर्क के आधार पर अस्वीकार किया गया क्योंकि ऐसे मृतक प्रत्यर्थियों का विलोपन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। बल्कि उनके प्रतिस्थापन से छूट वर्तमान आदेश द्वारा आज अनुज्ञात किया गया है। अत: आई॰ए॰सं॰ 569/2015, 570/2015 एवं 571/2015 के माध्यम से प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा की गयी अपील की संपूर्णता में उपशमन की प्रार्थना अस्वीकार किए जाने योग्य है। तद्नुसार, उन्हें अस्वीकार किया जाता है।

---

ekuuh;k vuHkk jkor pkèkjh] U;k;efr

केदार पांडे उर्फ केदारनाथ पांडे

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 2456 of 2006. Decided on 16th January, 2018.

बिहार भूमि सुधार (महत्तम सीमा का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961–धारा 16(3)–अग्रक्रय–खरीदार का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि बगल की संपत्ति उसके पति की है और इसके फलस्वरूप वह बगल की संपत्ति की सहअंशधारी है और इसलिए बगल की रैयत है–अवर प्राधिकारियों के समक्ष ऐसा अभिवचन कभी नहीं किया गया था–बल्कि विनिर्दिष्ट अभिवचन यह था कि उसके पति ने उसके नाम में संपत्ति खरीदी थी और संपत्ति उसके पति की बेनामी संपत्ति थी और उसका पति संपत्ति का बगल का रैयत था–अग्रक्रयाधिकार सांविधिक अधिकार है और आज्ञापक प्रकृति का है–याची अग्रक्रयाधिकारी होने के कारण धारा 16(3) के अधीन अनुतोष का हकदार है। (पैराएँ 6, 8 से 11)

निर्णयज विधि.–1969 (2) PLJR 517—Applied; (2016) 6 SCC 441—Relied; 1986 PLJR 763 ; AIR 1984 PATNA 268; 1999 BLJR 115; AIR 1969 SC 244—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Ram Awtar Choubey, For the Petitioner; M/s R.N. Sahay, Yashvardhan, S.P. Mahta, For the Respondents; Mr. Sahil, For the State.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. यह रिट याचिका पुनरीक्षण मामला सं॰ 26 वर्ष 2005 में प्रत्यर्थी सं॰2 अर्थात् सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड, राँची द्वारा पारित दिनांक 21.12.2005 के आदेश (परिशिष्ट 6) के अभिखंडन की प्रार्थना के साथ दाखिल की गयी है जिसके द्वारा उक्त प्राधिकारी ने भूमि महत्तम सीमा अपील सं॰ 8 वर्ष 2004 में पारित दिनांक 9.6.2005 का अपीलीय आदेश अभिखंडित कर दिया है जिसे अपर समाहर्ता, हजारीबाग द्वारा पारित किया गया था। याची आगे भूमि महत्तम सीमा मामला सं॰ 13 वर्ष 2003 में प्रत्यर्थी सं॰4 अर्थात उपसमाहर्ता भूमि सुधार, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 7.2.2004 के आदेश (परिशिष्ट 4) के आदेश के अभिखंडन के लिए आगे प्रार्थना करता है जिसके द्वारा याची के भूमि का अग्रक्रयाधिकारी होने के नाते दावा बिहार भूमि सुधार महत्तम सीमा का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन अस्वीकार कर दिया गया है।

3. जैसा याची द्वारा निवेदन किया गया है, इस मामला में अंतर्ग्रस्त संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है:

a. बिलवन्ती देवी उर्फ विमला देवी का पति देवनारायण पांडे वर्तमान याची केदार पांडे उर्फ केदार नाथ पांडे का कजिन भाई था और वे अपनी पैतृक संपत्ति में सह अंशधारी थे।

b. विभाजन के बाद एवं देवनारायण पांडे की मृत्यु के बाद बिलवन्ती देवी ने संपत्ति विरासत में पाया। बिलवन्ती देवी ने 0.78 एकड़ माप वाली खाता सं॰5, भूखंड सं॰ 280 वाली इस मामला में अंतर्ग्रस्त संपत्ति सहित संपूर्ण अचल संपत्ति अभिधान वाद सं॰ 31/37 वर्ष 1967/72 जिसमें याची प्रतिवादी सं॰ 6 था दाखिल करके पाया।

c. उक्त बिलवन्ती देवी ने दिनांक 3.7.1995 के दान विलेख द्वारा अपने भाईयों भुनेश्वर तिवारी, शशिभूषण तिवारी एवं युधिष्ठिर तिवारी को प्रश्नगत भूमि अंतरित किया।

d. स्वीकृत रूप से, न तो रिट याची न ही प्रतिवाद करने वाले वर्तमान प्रत्यर्थीगण भुवनेश्वर तिवारी, शशि भूषण तिवारी एवं युधिष्ठिर तिवारी से संबंधित हैं।

e. बाद में, भुवनेश्वर तिवारी, शशिभूषण तिवारी एवं युधिष्ठिर तिवारी ने दिनांक 20.6.2003 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के तहत भुवनेश्वर गोप की पत्नी डहनी देवी के पक्ष में उक्त भूमि अंतरित किया। उक्त धानी देवी इस रिट याचिका में प्रत्यर्थी सं॰6 थी जिसे अब उसके विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त विक्रय विलेख की प्रति रिट याचिका के परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

f. उक्त विक्रय विलेख के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि विक्रय विलेख दिनांक 3.7.1995 के दान विलेख के बारे में उल्लेख करता है और भूमि की संपत्ति की चौहद्दी निम्नलिखित रूप से उल्लिखित की गयी है:–

mÙkj% txr ukjk;.k ikM ,o vU;(

nf{k.k% dnkj ikM ,o vU;(

io% :iu xki ,o vU;(

if'pe% dkek[;k ikM ,o vU;

g. यह याची का विनिर्दिष्ट मामला है कि स्वयं विलेख के मुताबिक दक्षिण की ओर केदार पांडे के रूप में याची का नाम आता है और आगे रिट याची ने रिट याचिका के पैरा 4(g) में कथन किया है कि चूँकि प्रश्नगत भूमि याची की पैतृक संपत्ति है और इसलिए वह स्वर्गीय देवनारायण तिवारी/बिलवन्ती देवी की संपत्ति का सहअंशधारी है।

किंतु, तर्क के क्रम के दौरान याची स्वीकार करता है कि याची का देवनारायण तिवारी की पत्नी बिलवन्ती देवी उर्फ विमला देवी के साथ संबंध नहीं है और उसे विक्रय की गयी संपत्ति का सह अंशधारी नहीं कहा जा सकता है।

h. याची ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16(3) के अधीन उप समाहर्ता, भूमि सुधार के समक्ष मामला दाखिल किया जिसे दिनांक 20.6.2003 के विक्रय विलेख के तहत संपत्ति के खरीदार अर्थात् मूल प्रत्यर्थी सं॰ 6 अर्थात डहनी देवी के विरूद्ध एल॰सी॰ केस सं॰ 13/03 संख्यांकित किया गया था।

i. श्रीमती डहनी देवी को एल॰सी॰ केस संख्या 13 वर्ष 2004 में नोटिस जारी किया गया था, वह उक्त प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुई और याची केदार पांडे का दावा विवादित किया।

j. एल॰सी॰ केस सं॰ 13 वर्ष 2003 उपसमाहर्ता भूमि सुधार द्वारा दिनांक 7.2.2004 के आदेश के तहत विनिश्चित किया गया था जिसके द्वारा रिट याची द्वारा दाखिल आवेदन यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज किया गया था कि प्रश्नगत संपत्ति बेचने में श्रीमती डहनी देवी के विक्रेताओं द्वारा बिहार भूमि सुधार (महत्तम सीमा का नियतकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि स्वयं विक्रय विलेख में यह दर्ज किया गया है कि पूर्वी चौहद्दी की ओर की संपत्ति श्रीमती डहनी देवी के पति अर्थात भुवनेश्वर गोप के पूर्वज रूपन गोप की है और तद्नुसार श्रीमती डहनी देवी का पति संपत्ति का पाश्र्व रैयत था।

k. दिनांक 7.2.2004 के उक्त आदेश के विरूद्ध याची द्वारा अपील मामला सं॰8 वर्ष 2004 प्रत्यर्थी सं॰3 अर्थात अपर समाहर्ता, हजारीबाग के समक्ष दाखिल किया गया था और उक्त प्राधिकारी ने पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 9.6.2005 के आदेश के तहत अपील अनुज्ञात किया। अपील वर्तमान रिट याची के पक्ष में इस आधार पर विनिश्चित की गयी थी कि विक्रय विलेख के परिशीलन से यह प्रकट है कि रिट याची प्रश्नगत संपत्ति का पाश्र्व रैयत है और इस आधार पर भी कि प्रश्नगत संपत्ति डहनी देवी के नाम में खरीदी गयी है और पाश्र्व भूखंड उसके पति के नाम में होने के चलते डहनी देवी को पाश्र्व रैयत नहीं कहा जा सकता है।

l. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती डहनी देवी द्वारा सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गयी थी जिसे पुनरीक्षण मामला सं० 26 वर्ष 2005 संख्यांकित किया गया था।

m. पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष श्रीमती डहनी देवी का विनिर्दिष्ट मामला यह था कि उसके पति ने उसके नाम में भूमि खरीदा था और उसका पति विवादित भूमि की पार्श्व भूमि का रैयत है और तद्नुसार अपीलीय प्राधिकारी यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं था कि श्रीमती डहनी देवी पार्श्व रैयत नहीं थी। पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष उसने इनकार नहीं किया है कि याची अर्थात अग्रक्रयाधिकारी विवादित भूमि के पार्श्व भूमि का रैयत था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 21.12.2005 के आक्षेपित आदेश के तहत पुनरीक्षण खारिज कर दिया।

4. याची के अधिवक्ता दिनांक 21.12.2005 के आक्षेपित आदेश को निर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित निवेदन करते हैं:–

i. पुनरीक्षण प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि चूँकि डहनी देवी का विवादित भूमि के पार्श्व भूमि का रैयत होने का दावा भूखंड पर आधारित है जिसे उसके पति के नाम में खरीदा गया था, बेनामी खरीद का मामला बनाने का भार श्रीमती डहनी देवी पर है तथा उसने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था कि उसके पति ने उसके नाम में विवादित भूमि खरीदा था।

ii. तद्नुसार उसका दावा कि प्रश्नगत संपत्ति उसके पति की बेनामी संपत्ति थी पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अविश्वास किया गया था।

iii. पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आगे दर्ज किया कि याची ने विवादित भूमि के पार्श्व भूमि के रैयत के रूप में दर्जा स्थापित किया था।

iv. किंतु इन निष्कर्षों को दर्ज करने के बावजूद पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश जिसे रिट याची के पक्ष में पारित किया गया था अपास्त कर दिया।

v. याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 21.2.2005 के आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि आदेश के निष्कर्ष याची के पक्ष में हैं, किंतु, फिर भी अपीलीय न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता ने–

(I) 1969(2) PLJR 517,

(II) 1986 PLJR 763 rFkk

(III) AIR 1984 Patna 268

में प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास किया है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं०6 के प्रतिस्थापित उत्तराधिकारियों के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने बिहार भूमि सुधार (महत्तम सीमा का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 2(ee), 2(g) एवं 2(k) पर विश्वास किया और निवेदन किया कि परिवार की परिभाषा पति/पत्नी को सम्मिलित करती है और चूँकि पार्श्व भूमि उसके पति की है, अत: वह पार्श्व भूमि की सह अंशधारी है और इसलिए वह अपने द्वारा खरीदी गयी संपत्ति के पार्श्व रैयत के अर्थ के अंतर्गत आती है। यह निवेदन किया गया है कि तथ्यों के इस दृष्टिकोण में बिहार भूमि सुधार (महत्तम सीमा का नियतकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 का श्रीमती डहनी देवी द्वारा संपत्ति के खरीद में उल्लंघन नहीं है। प्रत्यर्थी ने **1999 BLJR 115** में प्रकाशित निर्णय पर यह दर्शाने के लिए विश्वास किया है कि अग्रक्रय विधि के अधीन अधिकार कमजोर अधिकार है और केवल यदि दावादार ऐसा मामला

जिसके असफल होने की आशंका न हो बनाता है, वह सफल हो सकता है। उन्होंने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 4 पर विश्वास किया है और स्वयं पूर्वोक्त अधिनियम के उद्देश्य को निर्दिष्ट किया है।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद यह न्यायालय याची द्वारा दाखिल रिट याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से अनुज्ञात करता है:–

a. बिहार भूमि सुधार (महत्तम सीमा का नियतकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करना लाभदायी है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*^^**èkkjk 2(ee):** ^^ifjokj** l vfHkizr g 0;fDr] mldk ifr@iRuh ,o vo;Ld lrku vkj ;g budk lfEefyr djrk gA*

***Li"Vhdj.k I**—bl [kM e 0;fDr dkb diuh] lLFkku] U;kl] l?k vFkok 0;fDr;k dk fudk; lfEefyr djrk g pkg fuxfer gk ;k ughA*

***Li"Vhdj.k II**—vfèkfu;e d i;ktu l ifjokj dh ljpuk fofuf'pr dju e Loh; fofèk ikl fxd ugh gkxh vFkok fopkj e ugh yh tk,xhA*

***èkkjk 2(g) :** ^^Hkèkkjd** l vfHkizr g [kM (ee) e ;Fkk ifjHkkf"kr ifjokj] j;r vFkok voj j;r vFkok cèkdnkj d :i e Hkfe èkkj.k dju okyk ljdkj vFkok iVVkèkkjh vFkok ljdkj }kjk resumable ugh Hkfe vFkok*

***èkkjk 2(k) :** ^^j;r** l vfHkizr g e[;r% og 0;fDr ftlu Lo; }kjk vFkok viu ifjokj d lnL;k }kjk vFkok HkkM ij fy, x, lodk }kjk vFkok Hkkxhnkjk dh enn l bldh [krh dju d i;ktu l Hkfe èkkj.k dju dk vfèkdkj vftr fd;k g vkj ;g fgr mÙkjkfèkdkfj;k vFkok 0;fDr;k ftUgku ,l k vfèkdkj vftr fd;k g dk lfEefyr djrk g vkj lFkky ijxuk ftyk e mldh ikboV Hkfe] ;fn gk] d lcèk e xke ièkku dk Hkh lfEefyr djrk g fdr {k=k] ftud ifr NkVkukxij vfHkèkfr vfèkfu;e] 1908 (cxky vfèkfu;e VI o"k 1908) ykx gkrk g] e eMkjh] [kV dVVhnkj vFkok Hkbugkj dk lfEefyr ugh djrk gA*

*èkkjk 16 % **vrj.k vkfn }kjk Hkkoh vtu ij fucèku-**&(1) dkb 0;fDr bl vfèkfu;e d vkjHk d ckn Lo; }kjk vFkok fdlh vU; 0;fDr d ekè;e l fdlh Hkfe dk vrj.k] fofue;] iVVk] cèkd] djkj vFkok 0;oLFkkiu }kjk vftr ugh djxk vFkok bl ij dkfct ugh gkxk tk mld }kjk èkkj.k dh x;h Hkfe] ;fn gk] d lkFk dy egÙke {k= l vfèkd gA*

***Li"Vhdj.kk**&bl èkkjk d i;ktu l ^^vrj.k** fojklr ;k nku lfEefyr ugh djrk gA*

2(i) bl vfèkfu;e d vkjHk d ckn vrj.k] fofue;] iVVk] cèkd] djkj vFkok 0;oLFkkiu d :i e fdlh Hkfe d vtu vFkok dCtk d fy, dkb l0;ogkj fuxfer dju okyk nLrkot jftLVM ugh fd;k tk,xk tcrd vrfjrh }kjk jkT; e dgh Hkh mld }kjk vFkok fdlh vU; 0;fDr d ekè;e l èkkj.k fd, x, Hkfe d dy {k= d ifr Hkkjrh; jftLV'ku vfèkfu;e] 1908 (XVI o"k 1908) d vèkhu jftLVh djuoky ikfèkdkjh d le{k lE;d :i l lR;kfir fyf[kr e ?kk"k.kk ugh dh tkrh gA

(ii) ,l k dkb jftLVhdrk ikfèkdkjh fdlh l0;ogkj dk lkf{;r dju okyk nLrkot jftLVj ugh djxk ;fn [kM (i) d vèkhu dh x;h ?kk"k.kk l ;g irhr gkrk g fd mièkkjk (1) d ikoèkku d mYy?ku e l0;ogkj iHkkoh cuk;k x;k gA

(iii) Hkkjrh; jftLV'ku vfèkfu;e] 1908 (XVI o"k 1908) d ikoèkkuk d vu:i jftLVM nLrkot d fcuk Hkfe vrfjr] fofufer] iVVkdr] ugh dh tk,xh ;k cèkd ugh j[kh tk,xh ;k fojkIr vFkok nku e ugh nh tk,xhA

Li"Vhdj.k-*&bl èkkjk e dkb pht vrj.k] fofue;] iVVk] cèkd] djkj vFkok 0;oLFkkiu l lcfèkr {k= d vfHkèkfr fofèk d ikoèkkuk ij dkb iHkko j[ku okyh ugh le>h tk,xhA*

3(i) tc vfèkfu;e d vkjHk d ckn Hkfe dk dkb vrj.k lg v'kèkkjh vFkok ik'o Hkfe d j;r l fHkUu fdlh 0;fDr dk fd;k tkrk g] vrjd dk dkb lg v'kèkkjh vFkok vrfjr Hkfe dh ik'o Hkfe èkkj.k dju okyk dkb j;r vrj.k nLrkot d jftLV'ku dh frfFk d rhu ekg d Hkhrj mDr foy[k e vrfo"V fucèkuk ,o 'krk ij mldk Hkfe dk vrj.k dju d fy, fofgr rjhd e lekgrk d le{k vkonu nu dk gdnkj gkxkA

ijUrq ;g fd lekgrk }kjk ,lk dkb vkonu xg.k ugh fd;k tk,xk tc rd mDr vofèk d Hkhrj fofgr rjhd e bld nl ifr'kr d cjkcj jkf'k d lkFk [kjhn èku tek ugh fd;k tkrk gA

(ii) ,lk tek fd, tku ij lg v'kèkkjh vFkok j;r bl rF; dk è;ku e fy, fcuk fd [kM (i) d vèkhu vkonu fu.k; d fy, yfcr g] Hkfe ij dkfct gku dk gdnkj gkxkA

ijUrq ;g fd tgk vkonu vLohdkj fd;k tkrk g] lg v'kèkkjh vFkok j;r] ;FkkfLFkfr] Hkfe l cn[ky fd;k tk,xk vkj bldk dCtk vrfjrh dk iuLFkkfir fd;k tk,xk vkj vrfjrh [kM (i) d vèkhu tek fd, x, e l [kjhn jkf'k d nl ifr'kr d cjkcj dh jkf'k dk Hkxrku fd, tku dk gdnkj gkxkA

(iii) ;fn vkonu vuKkr fd;k tkrk g] lekgrk vkn'k }kjk vrfjrh dk vkn'k e fofufn"V dh tku okyh vofèk d Hkhrj vrj.k nLrkot fu"ikfnr ,o jftLVj djd vkond d i{k e Hkfe gLrkrfjr dju dk fun'k nxk vkj ;fn og fun'k dk vuikyu dju e mi{kk djrk g vFkok budkj djrk g] flfoy ifØ;k lfgrk] 1908 (v o"k 1908) d vkn'k 21 fu;e 34 e fofgr ifØ;k dk tgk rd lHko gk vulj.k fd;k tk,xkA

b. स्वीकृत रूप से, विहित तरीके में खरीद धन की दस प्रतिशत राशि जमा करके रिट याची द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 16(3) के अधीन आवेदन देने के लिए शर्त का अनुपालन किया गया है।

c. श्रीमती डहनी देवी (खरीदार) का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि पार्श्व संपत्ति उसके पति की है और इसके फलस्वरूप वह पार्श्व संपत्ति की सह अंशधारी और इसलिए पार्श्व रैयत है।

यह पाया गया है कि श्रीमती डहनी देवी द्वारा अवर प्राधिकारियों के समक्ष ऐसा अभिवचन कभी नहीं किया गया था।

बल्कि विनिर्दिष्ट अभिवचन यह था कि उसके पति ने उसके नाम में संपत्ति खरीदा था और संपत्ति उसके पति की बेनामी संपत्ति थी और उसका पति संपत्ति का पार्श्व रैयत था और तद्नुसार उसके पति द्वारा सही प्रकार से उसके नाम में संपत्ति खरीदी गयी थी।

यह अभिवचन पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि बेनामी संपत्ति का अभिवचन श्रीमती डहनी देवी द्वारा सिद्ध किए जाने की आवश्यकता थी और उस प्रभाव का साक्ष्य नहीं था।

d. अन्यथा भी, उक्त अभिवचन जिसे पहली बार वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा रिट न्यायालय के समक्ष किया गया था, उक्त अधिनियम की धारा 2(k) के अधीन यथा परिभाषित ''रैयत'' की परिभाषा पर विचार करते हुए अस्वीकार किए जाने योग्य है। ''रैयत'' की परिभाषा से, इसका अर्थ मुख्यत: वह व्यक्ति है जिसने स्वयं द्वारा अथवा अपने परिवार के सदस्यों द्वारा अथवा भाड़े पर लिए गए सेवकों द्वारा अथवा भागीदारों की मदद से इस पर खेती करने के प्रयोजन से भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया है, यह परिभाषा रैयत की पत्नी को सम्मिलित नहीं करती है और तद्नुसार, श्रीमती डहनी देवी इस तथ्य कि विवादित संपत्ति को पार्श्व भूमि उसकी पैतृक संपत्ति होने के फलस्वरूप उसके पति के नाम में थी, के आधार पर पार्श्व रैयत के दर्जा का दावा नहीं कर सकती थी। परिवार की परिभाषा जो पति/पत्नी को सम्मिलित करता है भी श्रीमती डहनी देवी की किसी तरीके से मदद नहीं करती है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 16(3) में शब्द परिवार प्रयुक्त नहीं किया गया है। शब्द जिसे प्रयुक्त किया गया है रैयत है जिसे अधिनियम के अधीन परिभाषित किया गया है। शब्द ''भूधारकों'' की परिभाषा भी श्रीमती डहनी देवी की मदद किसी तरीके से नहीं करती है क्योंकि यह शब्द उक्त अधिनियम की धारा 16(3) में प्रयुक्त नहीं किया गया है। तद्नुसार, यह मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि श्रीमती डहनी देवी को पार्श्व रैयत के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है जैसा दावा प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा पहली बार रिट कार्यवाही में किया गया है।

e. 1969(2) PLJR 517 में प्रकाशित निर्णय में, यह विनिर्दिष्ट मामला था जहाँ विवादित संपत्ति के संबंध में विक्रय विलेख तीन महिलाओं को बेचे गए थे और उनके प्रति पार्श्व भूमि के रैयत थे। पार्श्व भूमि का रैयत होने का उक्त महिलाओं का दावा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार किया गया था कि वे सिद्ध नहीं कर सकी थी कि वे विक्रय की गयी संपत्ति के सह अंशधारी थी अथवा कि वे पार्श्व भूमि की रैयत थी। निर्णय का निर्णयाधार वर्तमान मामले में भी लागू होता है। यहाँ भी श्रीमती डहनी देवी यह सिद्ध करने में विफल रही हैं कि वह एक पार्श्व रैयत है अथवा वह बेची गयी संपत्ति की सह-अंशधारी है ताकि याची के अग्रक्रय के दावे को इनकार किया जा सके।

f. 1986 PLJR 763 में प्रकाशित मामला में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मात्र इसलिए कि पति पार्श्व रैयत है, पत्नी भूमि के पार्श्व रैयत के रूप में संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पत्नी के नाम में खरीदी गयी संपत्ति उसके पति की संपत्ति नहीं समझी जा सकती है जब तक बेनामी खरीद का मामला नहीं बनता है और स्थापित नहीं किया जाता है और पत्नी इस अभिवचन पर कि उसका पति भी पार्श्व रैयत है, पार्श्व रैयतों से अपनी भूमि संरक्षित नहीं कर सकती है।

g. **AIR 1984 Patna 268** में प्रकाशित निर्णय में **AIR 1969 SC 244** में निर्णय के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रक्रय आवेदन नियम 19 एवं फॉर्म एल॰सी॰13 के अननुपालन के तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

7. प्रत्यर्थियों द्वारा विश्वास किया गया **1999(1) BLJR 15** में प्रकाशित निर्णय किसी तरीके से प्रत्यर्थी की मदद नहीं करता है। उस मामला में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रक्रय अधिकार कमजोर अधिकार है और जब तक अग्रक्रयाधिकारी ऐसा मामला जिसके असफल होने की आशंका न हो नहीं बनाता है, वह सफल नहीं हो सकता है।

8. अग्रक्रयाधिकार सांविधिक अधिकार है और आज्ञापक प्रकृतिक का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(2016)6 SCC 441** में प्रकाशित निर्णय में यह दृष्टिकोण लिया गया है जिसका प्रासंगिक भाग त्वरित निर्देश के लिए नीचे उद्धृत किया जाता है:-

^^20- fjV ;kfpdk fofuf'pr dju oky fo}ku ,dy U;k;kèkh'k rFkk ,y0 ih0 ,0] fofuf'pr dju oky mPp U;k;ky; dh [kM U;k; ihB ;g nf"Vdk.k yr

g, irhr gkr g fd vxØ;kfèkdkj detkj vfèkdkj g] vuekurh blfy, fd iVuk mPp U;k;ky; dh [kM U;k; ihB u lnkek noh cuke jktUn flg vkj jke io'k flg cuke jktLo ckM e fo}ku ,dy U;k;kèkh'k u ;g nf"Vdk.k fy;k gA ***iR;Fkh 1 d fo}ku vfèkoDrk }kjk m)`r io fu.k;k e iVuk mPp U;k;ky; ,o bl U;k;ky; dk tk Hkh nf"Vdk.k gk] bl U;k;ky; dh ikp U;k;kèkh'k U;k; ihB u ';ke lUnj cuke jke dekj e vc ;g vfHkfuèkkfjr fd;k g fd tgk vxØ;kfèkdkj dk lfofèk }kjk ekU;rk nh x;h g] bl vkKkid d :i e vkj u fd Lofoodh ekuk tkuk gkxkA*** *';ke lUnj cuke jke dekj e fu.k; dk ikIfxd m)j.k ;gk uhp m)`r fd;k tkrk gh (SCC pp.-37-38 ijk 17)*

^^17--- lg v'kèkkjh dk vxØ;kfèkdkj Lo; Hkfe l lc) lifÙk dh ilxfr gA ;g Hkfe d lkFk pyrk fdlh idkj dk foYyxe g ft l Hkfe d v'kèkkjh }kjk vFkok mld fo:) iofrr fd;k tk ldrk gA vxØ;kfèkdkj pkg ;g :f< ij vkèkkfjr gk vFkok lkfofèkd fofèk ij] d ihN dk e[; mí'; vtuch dk ikfjokfjd èkfr vFkok lifÙk e vufèkdr io'k jkduk gA vxØ; dh fofèk d vèkhu lg v'kèkkjh dk Lo; dk viu }kjk [kjhnh x;h lifÙk d Hkkx d lcèk e vtuch d LFkku ij ifrLFkkfir dju dk vfèkdkj g] rn}kjk ft ldk vFk g fd tgk lg v'kèkkjh ?kfr e viuk fgLlk vrfjr djrk g] vU; lg v'kèkkjh dk ,lk vrj.k ohVk dju dk vfèkdkj g vkj rn}kjk vtuch dk {k= tgk vxØ; fofèk ipfyr g e èkfr vftr dju l jkdu dk vfèkdkj gA ,lk vfèkdkj oreku e vkfndkfyd] lkerh ,o ijkru d :i e fpf=r fd;k tk ldrk g fdr ;g yxHkx nk lfn;k l ;k rk :f< ij vFkok lkfofèkd fofèk ij vkèkkfjr fofèk FkhA blh i"BHkfe e lkfofèkd fofèk d vèkhu vxØ;kfèkdkj dk vkKkid vkj u fd Lofoodh ek= vfHkfuèkkfjr fd;k x;k gA

*bl idkj] Hky gh 19 o"k chr x, g] mPp U;k;ky; vxØ; d fy, vihykFkh dk nkok vLohdkj ugh dj ldrk Fkk tc lfofèk }kjk nkok dk ekU;rk fn;k x;k g ft l lfofèk d vu:i rFkk lfofèk }kjk ikoèkkfur rjhd e vkj lfofèk }kjk fofgr le; d Hkhrj nt fd;k x;k Fkk***

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों की दृष्टि में, मेरा दृष्टिकोण है कि रिट याची ने बिहार भूमि सुधार (महत्तम क्षेत्र का नियतकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) की आवश्यकता को संतुष्ट किया है और तद्नुसार वह अपने अग्रक्रयाधिकार के संबंध में अनुतोष का हकदार था। उक्त अधिकार उसका सांविधिक अधिकार है और आज्ञापक प्रकृति का है जिससे उसको मामला के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन इनकार नहीं किया जा सकता था।

10. इसके अतिरिक्त, मैं याची के अधिवक्ता के तर्कों से पूर्णत: सहमत हूँ कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि इस याची के पक्ष में निष्कर्ष दर्ज किए गए थे किंतु फिर भी पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अपास्त कर दिया था।

11. तद्नुसार, रिट याचिका एतद् द्वारा अनुज्ञात की जाती है। पुनरीक्षण मामला सं॰ 26 वर्ष 2005 में प्रत्यर्थी सं॰2 अर्थात सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 21.12.2005 का आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 6) इस सीमा तक अपास्त किया जाता है जिस सीमा तक यह दिनांक 9.6.2005 का अपीलीय आदेश अपास्त करता है। आगे भूमि महत्तम क्षेत्र मामला सं॰ 13 वर्ष 2003 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 अर्थात उप समाहर्ता, भूमि सुधार, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 7.2.2004 का आदेश (परिशिष्ट 4) भी अपास्त

किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याची अग्रक्रयाधिकारी होने के नाते बिहार भूमि सुधार (महत्तम क्षेत्र का नियतकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन अनुतोष का हकदार है।

---

ekuuh; dyk'k çlkn no] U;k;efr

उषा देवी एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (SJ) No. 400 of 2004. Decided on 4th May, 2018.

सिधगोरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 137 वर्ष 2000, जी॰आर॰ सं॰ 1761 वर्ष 2000 के तत्सम से उद्भूत होनेवाले विशेष केस सं॰ 3 वर्ष 2001 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 20 फरवरी 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धारा 3(xi)—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1989—नियम 7—भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 323—घोर उपहति—दोषसिद्धि एवं दंडादेश–संपूर्ण अन्वेषण पुलिस सब इंसपेक्टर द्वारा किया गया था जो नियमावली के अधीन सक्षम नहीं था—आरोप-पत्र की दाखिली अन्वेषण नहीं है—अन्वेषण का अर्थ है अन्वेषण के दौरान सामग्री का संग्रहण जिसे डी॰ एस॰ पी॰ द्वारा नहीं किया गया है—इस दशा में, संपूर्ण विचारण नियमावली के अननुपालन के कारण दूषित हो जाता है—अपीलार्थियों को एस॰ सी॰/एस॰टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (xi) के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया—भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323 एवं 324 के अधीन दोषसिद्ध एवं दंडादेश उपांतरित किया गया।

(पैराएँ 23 से 26)

निर्णयज विधि.–(2008) SCC 531—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Jitendra Nath Upadhyay, For the Appellants; Mr. Ashok Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.—इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.4.2018 के आदेश के अनुपालन में अपीलार्थियों के वर्तमान दर्जा के संबंध में सिधगोरा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है जिसे स्वीकार किया जाता है और अभिलेख पर लिया जाता है।

2. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. वर्तमान दांडिक अपील (सिधगोरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 137 वर्ष 2000 जी॰ आर॰ सं॰ 1761 वर्ष 2000 के तत्सम) से उद्भूत होने वाले विशेष केस सं॰ 3 वर्ष 2001 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 20 फरवरी, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी गुड़िया कुमारी उर्फ प्रमिला कुमारी उर्फ सुविन्दर कुमारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन आरोप का दोषी अभिनिर्धारित किया है और छह माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश अधिनिर्णीत किया गया था और अपीलार्थियों उषा देवी एवं संगीता कुमारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन आरोप के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और दो माह का

सामान्य कारावास भुगतने का दंड अधिनिर्णीत किया गया है और समस्त तीनों अपीलार्थियों को एस॰ सी॰/एस॰टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(xi) के अधीन आरोप का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और छह माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश अधिनिर्णीत किया गया है। समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों/अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 504/23 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया है।

4. अन्य बातों के साथ यह अभिकथित करते हुए कि वह 'बिहार मिलिट्री पुलिस, जमशेदपुर (अब झारखंड सशस्त्र पुलिस) के भवन में फ्लैट की निवासी है, सिधगोरा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष 30.10.2000 को सूचक फूलमनि गुड़िया (अ॰ सा॰ 4) द्वारा दाखिल प्राथमिकी में यथा अभिकथित अभियोजन मामला यह है कि 30.10.2000 को जब वह प्रातः लगभग 10 बजे भवन की छत पर अपना कपड़ा फैला रही थी, इस बीच कॉंसटेबल सुनील सिंह की सबसे छोटी पुत्री अर्थात गुड़िया जो उसी भवन के एक फ्लैट में निवास कर रही है आयी और उसने सारे कपड़ों को हटा दिया और यह कहकर उसका अपमान किया सूचक नीची जाति की स्त्री है, अतः उसे अपना कपड़ा जमीन पर फैलाना चाहिए। झगड़ा सुनने पर, गुड़िया की सबसे बड़ी बहन संगीता और उनकी माता उषा देवी वहाँ आए और सूचक का बाल पकड़ लिया और मुक्कों से उस पर प्रहार किया। इस बीच गुड़िया ने अपने दाँत से उपहति कारित करते हुए दाएँ हाथ की अंगुली काट लिया। हल्ला करने पर पड़ोसी आए और सूचक को बचाया। सूचक ने आगे कथन किया है कि सुनील सिंह (बिहार मिलिट्री पुलिस और अब झारखंड सशस्त्र पुलिस) के उसी भवन के तृतीय तल पर रह रहा है और सूचक द्वितीय तल पर रहती है। सूचक ने कथन किया है कि वह मुंडा जाति की है और इस दशा में अभियुक्तों के परिवार के सदस्य उसे सदैव तंग करते हैं। उसने आगे कथन किया कि समस्त तीनों अभियुक्तों ने उसको छत से फेंकने का प्रयास किया और उसके सारे कपड़ों को नाली में फेंक दिया। इस प्रकार, उसने इसके संबंध में विभाग के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सूचित किया।

सूचक की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 341, 323, 324, 504/34 और एस॰ सी॰/एस॰टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं 3/4 के अधीन दिनांक 30.10.2000 का सिघगोरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 137 वर्ष 2000 संस्थित किया। अन्वेषण पुलिस सब इंसपेक्टर एस॰ एन॰ सहाय को अन्वेषण अधिकारी के रूप में अन्वेषण सौपा गया था।

5. अन्वेषण के बाद, पुलिस ने गुड़िया उर्फ सौविन्द कुमारी उर्फ प्रमिला कुमारी, संगीता कुमारी एवं उषा देवी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 324, 504, 34 तथा एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं 3/4 के अधीन दिनांक 13.12.2000 की आरोप-पत्र सं॰ 120 वर्ष 2000 दाखिल किया।

6. अपराध का संज्ञान लिया गया है और तत्पश्चात मामला विद्वान विशेष न्यायाधीश सह-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर के न्यायालय को अंतरित किया गया था, जहाँ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323/34, 324/34, 504/34 के अधीन और एस॰ सी॰ एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं 3(xi) के अधीन 7.1.2002 को आरोप विरचित किया गया है।

7. अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए छह गवाहों का परीक्षण किया है और प्रदर्शित दस्तावेजों अर्थात प्रदर्श 1 के रूप में उपहति रिपोर्ट, प्रदर्श 2 के रूप में लिखित रिपोर्ट तथा प्रदर्श 2/1 के रूप में 'फर्दबयान' पर प्रभारी अधिकारी का पृष्ठांकन दिया है।

8. डॉ॰ नवीन कुमार सिन्हा का परीक्षण अ॰ सा॰ 1 के रूप में किया गया है। वह चिकित्सा अधिकारी है जिसने सूचक फूलमनि गुड़िया का परीक्षण 30.10.2000 को किया है और उसके शरीर पर निम्नलिखित उपहतियाँ पाया है:–

(i) ½" x ¼" x ¼" vkdkj dk nk, vxckg ij fonh.k t[eA

(ii) nk;h rtuh d vxy fgLl ij ¼" x ¼" x ¼" dk iDpj t[e@nkr dkVu l nk, rtuh dk uk[ku gV x;kA

(iii) ck;h Nkrh ij nkr l dkVu dk fu'kkuA

(iv) ihB d nk, Hkkx ¼vFkkr nk, Ldkiyj {k=½ ij 2" x 1" vkdkj dk ,d [kjkp

(v) cnu nn dh f'kdk;r

migfr lO (i), (iv) ,o (v) dM ,o HkkFkj inkFk }kjk dkfjr dh x;h g vkj migfr lO (ii) ,o (iii) nkr dkVu l dkfjr gb gA

mDr leLr migfr;k lkekU; çÑfr dh gA

çfr&ijh{k.k d nkjku] MkDVj u dFku fd;k g fd migfr (ii) ,o (iii) d flok, vU; migfr;k Åpkb l fxju ij dkfjr gk ldrh gA MkDVj dh fjikV e mYy[k ugh g fd mDr fufn"V migfr;k ekuo d nkr dkVu l dkfjr gb g fdr ej er e o ekuo d nkr dkVu l dkfjr gb gA

9. दामनी बिंझा का परीक्षण अ॰ सा॰2 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि वह मुंडा (अनुसूचित जनजाति) से आती है और 30.10.2000 को जब वह अपने भवन के छत पर कपड़ा फैला रही थी गुड़िया आयी और कहा कि चूँकि सूचक फूलमनि गुड़िया नीची जाति की है, उसे छत पर अपना कपड़ा फैलाना नहीं चाहिए और उसका जाति नाम लेकर उसको गाली भी दिया। तत्पश्चात गुड़िया की माता एवं बहन आयीं और उन तीनों ने सूचक फूलमनि गुड़िया पर प्रहार किया और उसे अन्य व्यक्तियों द्वारा बचाया गया था। इस गवाह ने सूचक फूलमनि गुड़िया पर पायी गयी उपहतियाँ देखा है।

प्रति–परीक्षण के दौरान इस गवाह ने स्वीकार किया है कि घर में हुआ वार्तालाप अन्य फ्लैटों में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा सुना नहीं जा सकता है और वह फ्लैट की छत पर अकेली थी। घटना भिन्न फ्लैट के छत पर हुई जो उसके फ्लैट से 20 फीट की दूरी पर अवस्थित है। उसने आगे कथन किया है कि लोग स्वयं बचाने के लिए आए जिसमें उसने मुक्ता कंडूलना एवं शकुंतला देवी को देखा है किंतु चूँकि वह भिन्न फ्लैट से घटना देख रही थी, इस दशा में वह बचाने नहीं आ सकी थी।

10. मुक्ता कंडूलना का परीक्षण अ॰ सा॰ 3 के रूप में किया गया है। उसने कथन किया है कि जब फूलमनि घर की छत पर कपड़ा फैला रही थी, सुनील सिंह की पुत्री अर्थात् गुडिया वहाँ आयी और कपड़ा हटाया और फूलमनि को कपड़ा जमीन पर फैलाने को कहा क्योंकि वह नीची जाति की थी, बाद में प्रहार किया गया जिसमें फूलमनि को बाल पकड़ कर घसीटा गया था और उसने उसकी उंगली, छाती एवं पीठ को भी दाँत से काटा। इस बीच, गुड़िया की माता एवं बहन आयीं और उन्होंने भी फूलमनि पर प्रहार किया। यह गवाह भी उसी फ्लैट के तृतीय तल पर रह रही थी और वह भी कपड़ा फैलाने आयी थी और पक्षों को शांत करने का प्रयास किया।

प्रति–परीक्षण के दौरान, इस गवाह ने कथन किया है कि सुनील सिंह का घर इस गवाह के घर के सामने तृतीय तल पर है, किंतु घटना फ्लैट की छत पर हुई थी। इस गवाह ने आगे कथन किया है

कि फूलमनि (सूचक) को बचाने के बाद वह उसे अपने घर ले गयी और भिन्न फ्लैटों की महिलाओं ने भी घटना देखा।

11. मामला की सूचक फूलमनि गुड़िया का परीक्षण अ॰ सा॰ 4 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि वह मुंडा (आदिवासी) है और घटना 30.10.2000 को हुई जब वह प्रातः लगभग 10 बजे फ्लैट की छत पर अपना कपड़ा फैला रही थी। इस गवाह ने कथन किया है कि सुनील सिंह की छोटी पुत्री अर्थात गुड़िया ने यह कहकर कि वह आदिवासी, नीची जाति की है और वह भवन की छत पर अपना कपड़ा नहीं फैलाएगी, उसको गाली दिया और बाद में हल्ला होने पर उसकी बड़ी बहन संगीता एवं माता उषा आयीं और सबों ने सूचक का बाल पकड़ लिया, उस पर प्रहार किया और गुड़िया ने उसकी दायीं हाथ की उंगली, पीठ एवं बायी छाती पर दाँत से काटा। हल्ला होने पर पड़ोसी बचाने आए क्योंकि सभी तीनों अभियुक्त उसे भवन की छत से नीचे फेंकने का प्रयास कर रहे थे और तत्पश्चात अभियुक्तों ने कपड़ा हटाया और तार भी तोड़ दिया। सूचक का पति पटना में कर्तव्य पर था। उसने अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। सूचक ने प्रदर्श 2 के रूप में अपना लिखित रिपोर्ट सिद्ध किया। सूचक का चिकित्सीय परीक्षण एम॰ जी॰ एम॰ अस्पताल में किया गया था।

प्रति-परीक्षण के दौरान, सूचक ने कथन किया है कि जब उस पर प्रहार किया गया था, शकुंतला देवी एवं मुक्ता कंडूलना अपना कपड़ा हटाने 15 मिनट बाद आयीं, किंतु उस समय पर प्रहार जारी था। मुक्ता एवं शकुंतला उसको बचाने में सक्षम नहीं हुई थीं। कोई राजेश सिंह आया और उसने बचाया। तत्पश्चात, मुक्ता एवं शकुंतला उसको अपने घर ले गयी। इस गवाह ने कथन किया है कि अपने लिखित रिपोर्ट में उसने पड़ोसियों के बारे में कथन किया है जो 10-15 की संख्या में वहाँ आए किंतु प्राथमिकी के परिशीलन से इसे नहीं पाया गया था और न ही उनका नाम प्राथमिकी में उल्लिखित किया गया है। दामनी बिंझा ने अपने छत से घटना देखा जो इस भवन की छत के बगल में है। इस सूचक ने कथन किया है कि उच्चतर अधिकारी को लिखित परिवाद सौंपने के बाद किसी ने घटना के बारे में पूछा नहीं था।

12. आनन्द कुमार गोस्वामी का परीक्षण अ॰ सा॰ 5 के रूप में किया गया है। इस गवाह ने कथन किया है कि 30.10.2000 को प्रातः लगभग 10 बजे घर की छत पर घटना हुई जब सूचक अपना कपड़ा फैला रही थी। शुरूआती झगड़ा गुड़िया एवं फूलमनि के बीच हुआ था, किंतु बाद में गुड़िया की बड़ी बहन संगीता एवं माता उषा आएँ और सूचक पर प्रहार किया। गुड़िया ने सूचक को दाँत भी काटा था। हल्ला होने पर पड़ोसी एवं पड़ोस की महिला सदस्य आए और बीच बचाव किया। इस गवाह ने कथन किया है कि उसने उसी भवन जो तीन मंजिला का है के द्वितीय तल में अपनी बालकनी से घटना देखा। इस गवाह ने दावा किया है कि बालकनी से अपना सिर मोड़ने के बाद उसने छत पर होती घटना देखा और स्वीकार किया कि छत पर बाउन्ड्री (छज्जा) है और कथन किया है कि उसने गुड़िया को फूलमनि को दाँत काटते नहीं देखा हैं। इस गवाह ने कथन किया है कि बालकनी की लंबाई 6 फीट एवं चौड़ाई 4 फीट है। इस गवाह ने कथन किया है कि वह बचाने नहीं गया था क्योंकि झगड़ा महिलाओं के बीच हो रहा था।

13. सब डिविजनल पुलिस अधिकारी श्री नागेन्द्र चौधरी का परीक्षण अ॰ सा॰ 6 के रूप में किया गया है। उसने कथन किया है कि उसने पुलिस सब इंसपेक्टर एस॰ एन॰ सहाय द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर आरोप-पत्र दाखिल किया है। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसने किसी भी गवाह

का बयान दर्ज नहीं किया है क्योंकि पूर्व अन्वेषण अधिकारी द्वारा गवाहों का बयान पहले ही दर्ज किया गया था और वही बयान गवाहों ने उसके समक्ष दिया है और इस दशा में उसने इसे दर्ज नहीं किया है।

14. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के बाद, अपीलार्थियों के बयान 28.1.2004 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज किए गए थे और पक्षों को सुनने के बाद एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण उषा देवी एवं संगीता को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषसिद्ध किया है और दो माह का कारावास अधिनिर्णीत किया है और गुड़िया को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दोषी पाया गया है और छह माह के लिए सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश अधिनिर्णीत किया गया है। तीनों अपीलार्थीगण को एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(xi) के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है और छह माह का सामान्य कारवास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

15. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र नाथ उपाध्याय एवं राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अशोक कुमार सुने गए तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

16. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(xi) के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है कि क्योंकि संपूर्ण अन्वेषण एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के उल्लंघन में किया गया है और अन्वेषण पुलिस सब इंसपेक्टर एस॰ एन॰ सहाय द्वारा किया गया है जैसा सब डिविजनल पुलिस अधिकारी अ॰ सा॰ 6 नागेन्द्र चौधरी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया गया है।

17. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि केस डायरी के परिशीलन से यह प्रकट होगा कि डी॰ एस॰ पी॰/एस॰ डी॰ पी॰ ओ॰ नागेन्द्र चौधरी ने 17.11.2000 को अन्वेषण अपने हाथ में लिया है जैसा कि केस डायरी के पैराग्राफ 71 के परिशीलन से प्रतीत होता है और बाद में 13.12.2000 को केस डायरी के पैराग्राफ 72 में अ॰ सा॰ 6 नागेन्द्र चौधरी ने निवेदन किया है कि दिनांक 17.11.2000 की डायरी सं॰ 9 तक केस डायरी पहले ही भेज दी गयी है और उसी दिन अर्थात 13.12.2000 को केस डायरी के पैराग्राफ सं॰ 73 में नागेन्द्र चौधरी ने उल्लेख किया है कि आरक्षी अधीक्षक के निर्देश की दृष्टि में दिनांक 13.12.2000 के आरोप पत्र सं॰ 120 के तहत भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 341, 323, 324, 504/34 तथा एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अ॰ सा॰ 6 नागेन्द्र चौधरी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ सं॰ 6 पर गलत रूप से निवेदन किया गया है कि उसने गवाहों का परीक्षण किया जिनके बयानों को पहले ही एस॰ आई॰ एस॰ एन॰ सहाय द्वारा दर्ज किया गया है और उन्होंने उसके समक्ष उसी तथ्य का कथन किया है, क्योंकि केस डायरी में ऐसी प्रविष्टि नहीं पायी गयी थी और इस दशा में संपूर्ण विचारण एस॰ सी॰/एस॰टी॰ (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के अननुपालन के कारण दूषित हो गया है।

18. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि वर्तमान मामला में घटना के सार्वजनिक होने की पूर्णत: कमी है क्योंकि अ॰ सा॰ 2 दामनी बिझा 20 फीट की दूरी पर अवस्थित भिन्न फ्लैट की निवासी है और स्वीकार किया है कि यदि व्यक्ति भिन्न फ्लैट में रह रहा है, वह उनका वार्तालाप नहीं सुन सकता है। इसके अतिरिक्त, उसने घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है, किंतु उसने इस तथ्य का कथन भी नहीं किया है कि एक अभियुक्त द्वारा पीड़िता को दाँत काटा गया था यद्यपि अन्य गवाहों एवं पीड़िता के मुताबिक, अभियुक्त द्वारा कम से कम 4-5 जगह काटा गया था। यदि ऐसी महत्वपूर्ण

चीजें दृष्टव्य नहीं हैं, तब केवल यह कह कर कि मैंने घटना देखा, इस गवाह को घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में स्वीकार करने में विश्वास उत्पन्न नहीं करेगा और इस दशा में उसका बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता है बल्कि वह अपीलार्थीगण को झूठा आलिप्त करने के लिए हितबद्ध गवाह प्रतीत होती है।

19. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि यह गवाह जाति के उपयोग–दुरूपयोग के अभिकथन के बाद घटना स्थल पर पहुँचा है क्योंकि प्रहार उन घटनाओं के बीत जाने के बाद हुआ था और इस दशा में, यह गवाह अभियोजन मामला को कोई ताकत नहीं दे सकता है अथवा इसपर प्रकाश नहीं डाल सकता है जहाँ तक विशेष अधिनियम अर्थात एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है। इसके अतिरिक्त, भवन में कुल 14 फ्लैट हैं, जिनमें हर जाति के लोग रहते हैं किंतु वर्तमान मामला में केवल हितबद्ध व्यक्तियों का गवाह के रूप में परीक्षण किया गया है और इस दशा में, ऐसी अल्प साक्ष्य पर महिला सदस्यों को दोषसिद्ध करने के लिए विश्वास किया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस दशा में यह इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है।

20. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि आनन्द कुमार गोस्वामी जिसका परीक्षण अ॰ सा॰ 5 के रूप में किया गया है घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है, क्योंकि तीन तल वाले भवन के द्वितीय तल पर उसी भवन में निवास करने वाला व्यक्ति घटना का गवाह नहीं हो सकता है जो भवन की छत जो तीसरे तल के उपर है और जिसका मुंडेर है पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण के दौरान इस गवाह ने कथन किया है कि उसने अभियुक्त गुड़िया को पीड़ित को दाँत काटते नहीं देखा है। यह केवल यह सुझाता है कि यह गवाह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

21. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि **गोरिगे पेंटैय्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2008) Supreme Court Cases 531,** में निर्णय की दृष्टि में वर्तमान मामला विशेष अधिनियम की परिधि के अधीन नहीं आएगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि परिवादी को अभिकथित करना चाहिए था कि अपीलार्थी/अभियुक्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था ताकि एस सी॰/एस॰टी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधान का अवलंब किया जा सके।

22. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अशोक कुमार ने निवेदन किया है कि अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि आरक्षी उप अधीक्षक ने 17.11.2000 को अन्वेषण संभाला है जैसा केस डायरी के पैरा 71 से प्रकट होगा और केस डायरी के पैराग्राफ 72 में आरक्षी उप अधीक्षक ने दिनांक 17.11.2000 के पैरा सं॰ 9 तक केस डायरी दाखिल किया है और केस डायरी के पैरा 73 में उसने वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश के मुताबिक आरोपपत्र की दाखिली के बारे में कथन किया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षत: निवेदन किया है कि केस डायरी के परिशीलन से यह प्रकट होगा कि आरक्षी उप अधीक्षक ने मामला का अन्वेषण नहीं किया है और न ही केस डायरी में उल्लेख किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन सब इंसपेक्टर एस॰ एन॰ सहाय द्वारा दर्ज गवाहों का बयान वही है जो गवाहों ने उसके समक्ष कथित किया है, किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172(2) के अधीन केस डायरी के परिशीलन से इसे गलत पाया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपीलार्थी गुड़िया कुमारी उर्फ प्रमिला कुमारी उर्फ सुविन्दर कुमारी की दोषसिद्धि तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपीलार्थियों उषा देवी एवं संगीता कुमारी की दोषसिद्धि में इस न्यायालय का हस्तक्षेप अनावश्यक है।

23. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जे॰ एन॰ उपाध्याय, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अशोक कुमार को सुनने पर एवं साक्ष्य के पुनर्परीक्षण से, एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (xi) के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विधि में दोषपूर्ण है क्योंकि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 में प्रतिष्ठापित प्रावधान का उल्लंघन किया गया है क्योंकि अन्वेषण एस॰ सी॰/एस॰टी॰ (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के अधीन यथा अनुध्यात रूप से कभी नहीं किया गया था बल्कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से, संपूर्ण अन्वेषण पुलिस सब इंसपेक्टर एस॰ एन॰ सहाय द्वारा किया गया था जो नियमावली के अधीन सक्षम नहीं था। डी॰ एस॰ पी॰ श्रेणी से अन्यून दर्जे का पुलिस अधिकारी मामला का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत है जैसा एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के अधीन अनुध्यान किया गया है। यहाँ इस मामला में, संपूर्ण अन्वेषण पुलिस सब इंसपेक्टर द्वारा किया गया है और उस के द्वारा संचालित किसी अन्वेषण के बिना डी॰ एस॰ पी॰ द्वारा केवल आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

इस प्रकार, न्यायालय का मत है कि आरोप–पत्र की दाखिली अन्वेषण नहीं है। अन्वेषण का अर्थ है अन्वेषण के दौरान सामग्री का संग्रहण जिसे डी॰ एस॰ पी॰ द्वारा नहीं किया गया है और इस दशा में, संपूर्ण विचारण एस॰ सी॰/एस॰टी॰ (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के अननुपालन के कारण दूषित हो जाता है।

चूँकि विशेष अधिनियम में कठोर प्रावधान हैं, इस दशा में न्यायालय को मामला कठोरतापूर्वक सिद्ध करने के लिए साक्ष्य का संवीक्षण करते हुए सतर्कता बरतना चाहिए। चूँकि अन्वेषण एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 7 के उल्लंघन में किया गया था, इस दशा में, अपीलार्थीगण उषा देवी, गुड़िया कुमारी और संगीता कुमारी को एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (xi) के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

24. जहाँ तक अपीलार्थी गुड़िया कुमारी उर्फ प्रमिला कुमारी उर्फ सुविन्दर कुमारी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, इसे न्यायोचित पाया गया है क्योंकि इस अपीलार्थी ने सूचक के शरीर के अनेक भागों पर उपहति कारित किया, इस दशा में, इसे इस न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया जाता है। जहाँ तक भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324 के अधीन दंडादेश का संबंध है, चूँकि पक्षगण पुलिस कॉंसटेबल के भवन में विभिन्न फ्लैटों में निवास करने वाली स्त्री सदस्या हैं और घटना 2000 की है, इस न्यायालय ने इस मामला के सूचक को भुगतान किए जाने के लिए गुड़िया कुमारी उर्फ प्रमिला कुमारी उर्फ सुविन्दर कुमारी पर 10,000/- रुपयों का जुर्माना अधिरोपित करके भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अधिनिर्णीत छह मास का सामान्य कारावास उपांतरित किया।

25. जहाँ तक अपीलार्थियों उषा देवी एवं संगीता कुमारी की भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, इसे भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अभिपुष्ट करके मान्य ठहराया जाता है, किंतु दो माह का सामान्य कारावास भुगतने के लिए अधिनिर्णीत दंड सूचक को भुगतेय उषा देवी एवं संगीता कुमारी प्रत्येक पर 5000/- रुपयों का जुर्माना अधिरोपित करके उपांतरित किया जाता है। इस न्यायालय ने ऐसा दृष्टिकोण इसलिए लिया है क्योंकि पक्षगण स्त्रियाँ है और घटना लगभग 18 वर्ष पहले हुई।

26. पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ दंडादेश में उपांतरण के साथ वर्तमान अपील अंशत: पूर्वोक्तानुसार अनुज्ञात की जाती है।

27. अवर न्यायालय के अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को भेजा जाए।